

बिक्री और सेवा उत्कृष्टता से
श्रेष्ठ कार्य-निष्पादन

**A winning performance
through sales and service excellence**



BARODA next

STATE-OF-THE-ART. STRAIGHT FROM THE HEART.

www.bankofbaroda.com



बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

India's International Bank



निदेशक मंडल / Board of Directors



बायें से दायें - श्री आलोक निगम, श्री विनिल कुमार सक्सेना, श्री सुरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री सत्यदेव त्रिपाठी,
डॉ. (श्रीमती) मसररत शाहिद, श्री राजीव शेखर साहू, श्री आर.के. बक्षी - कार्यकारी निदेशक,
श्री एम.डी. मल्या - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री एन.एस. श्रीनाथ - कार्यकारी निदेशक,
श्री मौलिन ए. वैष्णव, श्री अजय माथुर, श्री सुदर्शन सेन, श्री वी. बी. चव्हाण

Left to Right: Shri Alok Nigam, Shri Vinil Kumar Saxena, Shri Surendra Singh Bhandari, Shri Satya Dev Tripathi,
Dr. (Smt) Masarrat Shahid, Shri Rajib Sekhar Sahoo, Shri R.K. Bakshi - Executive Director,
Shri M.D. Mallya - Chairman & Managing Director, Shri N.S. Srinath - Executive Director,
Shri Maulin A. Vaishnav, Shri Ajay Mathur, Shri Sudarshan Sen, Shri V. B. Chavan



महाप्रबंधक / General Managers

एन. रमणी	N. RAMANI
ए. के. गुप्ता	A. K. GUPTA
आर. के. बंसल	R. K. BANSAL
सिरिल पात्रो	CYRIL PATRO
बी. बी. गर्ग	B. B. GARG
जे. रमेश	J. RAMESH
वि. एच. थत्ते	V. H. THATTE
एस. के. दास	S. K. DAS
सी. डी. कालकर	C. D. KALKAR
सुभाष सी. आहुजा	SUBHASH C. AHUJA
उल्हास पी. सांगेकर	ULHAS P. SANGEKAR
आर. एस. सेतिया	R. S. SETIA
अरुण तिवारी	ARUN TIWARI
एस. कल्याणरमण	S. KALYANRAMAN
अनिमेष चौहान	ANIMESH CHAUHAN
के. एन. मानवी	K. N. MANVI
टी. एन. अदिनाथन	T. N. ATHINATHAN
के. डी. लाम्बा	K. D. LAMBA
मोहर सिंह	MOHAR SINGH
पी. के. गुप्ता	P. K. GUPTA
के. के. शुक्ला	K. K. SHUKLA
अरुण श्रीवास्तव	ARUN SHRIVASTAVA
आर. पी. मराठे	R. P. MARATHE
राजेश महाजन	RAJESH MAHAJAN
जे. डी. परमार	J. D. PARMAR
पी. डी. सिंह	P. D. SINGH
आर. एस. अभ्यंकर	R. S. ABHYANKAR
आर. कोटीश्वरन	R. KOTEESWARAN
डी. के. गर्ग	D. K. GARG
वी. के. गुप्ता	V. K. GUPTA
आर. के. सिन्हा	R. K. SINHA
के. वेंकट रामामूर्ति	K VENKATA RAMA MOORTHY
के. पी. खरात	K. P. KHARAT
यू. के. बीजापुर	U. K. BIJAPUR
निर्मेष कुमार	NIRMESH KUMAR

मुख्य सतर्कता अधिकारी- रिक्त	CHIEF VIGILANCE OFFICER - VACANT
डॉ. (श्रीमती) रूपा नित्सुरे - मुख्य अर्थशास्त्री	DR. (SMT.) RUPA NITSURE - CHIEF ECONOMIST



लेखा परीक्षक / Auditors

कृते खिमजी कुंवरजी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

For Khimji Kunverji & Co
Chartered Accountants

कृते ब्रह्मय्या एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

For Brahmayya & Co.
Chartered Accountants

कृते रे एण्ड रे
सनदी लेखाकार

For Ray & Ray
Chartered Accountants

कृते एस के. मित्तल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

For S. K. Mittal & Co.
Chartered Accountants

कृते एन.बी.एस. एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

For N. B. S. & Co.
Chartered Accountants

कृते लक्ष्मीनिवास नीथ एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

For Laxminiwas Neeth & Co.
Chartered Accountants

प्रधान कार्यालय

बड़ौदा हाऊस, माण्डवी, वड़ोदरा 390 006.

Head Office

Baroda House, Mandvi, Vadodara 390 006.

बड़ौदा कार्पोरेट सेन्टर

सी-26, जी-ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पू.), मुंबई 400 051.

Baroda Corporate Centre

C-26, G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051.

निवेशक सेवाएं विभाग

प्रथम तल, बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, सी-26, जी-ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पू.), मुंबई 400 051.

Investor Services Department

1st Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400 051.

रजिस्ट्रार एवं अन्तरण एजेंट

मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा. लि. प्लॉट नं. 17-24, विठ्ठलराव नगर, इमेज अस्पताल के पास, माधापुर, हैदराबाद 500 081.

Registrars & Transfer Agent

M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd. Plot No. 17-24, Vithalrao Nagar, Nr Image Hospital, Madhapur, Hyderabad 500 081.



विषय सूची / Contents

	पृष्ठ		Page
अध्यक्षीय वक्तव्य	01	Chairman's Statement	07
नोटिस	12	Notice	12
निदेशकों की रिपोर्ट	16	Directors' Report	51
कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट	84	Report on Corporate Governance	84
कार्पोरेट गवर्नेंस में पर्यावरण सुरक्षा	124	Green Initiative in Corporate Governance	124
बासेल II पिलर 3 प्रकटीकरण	125	Basel II Pillar 3 disclosures	125
महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक	140	Key Financial Indicators	140
परिभाषाएं	142	Definitions	142
तुलन-पत्र	144	Balance Sheet	144
लाभ-हानि लेखा	145	Profit & Loss Account	145
नकदी-प्रवाह विवरणी	191	Statement of Cash Flow	191
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	193	Auditors' Report	193
समेकित वित्तीय विवरणियां	196	Consolidated Financial Statements	196
प्रॉक्सी फार्म / उपस्थिति पर्ची / ईसीएस		Proxy Form / Attendance Slip / ECS	



अध्यक्षीय वक्तव्य

“ चुनौतीपूर्ण दौर में उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन ”

एम. डी. मल्ल्या

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

प्रिय हितधारक,

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 2011-12 (वित्तीय वर्ष - 12) में हमने लगातार चौथे वर्ष, वैश्विक वित्तीय संकट के बावजूद रिकार्ड आय और लाभ प्राप्त किया। आपके बैंक के कार्यनिष्पादन ने आर्थिक उतार-चढ़ावों के परिप्रेक्ष्य में अपने व्यावसायिक मॉडल और कार्यनीतियों की वास्तविकता को सिद्ध किया। मुझे 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक ऑफ़ बड़ौदा की वार्षिक रिपोर्ट और वित्तीय वक्तव्य आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हुए अपार खुशी हो रही है।

सर्वप्रथम व्यवसाय परिवेश की समीक्षा करना उचित है। इसी परिवेश में विचाराधीन वर्ष के दौरान आपके बैंक ने कार्य किया।

आर्थिक समीक्षा

वित्तीय वर्ष 2012 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। दो वर्षों में 8.4% की शानदार वृद्धि के पश्चात केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारत सरकार के अनुसार भारत की जीडीपी विकास दर 6.9% होने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान जहां कृषि और सेवा क्षेत्रों ने बेहतर विकास की गति को बनाए रखा, वहीं औद्योगिक क्षेत्र में तेज गिरावट आई जिसका कारण खनन एवं विनिर्माण क्षेत्रों का संकुचित होना था। वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान विभिन्न संरचना उद्योगों, विशेषकर सिमेन्ट और थर्मल पावर क्षेत्रों में क्षमता उपयोग दरों में पर्याप्त कमी आई।

मुद्रास्फीति के दबावों की प्रतिक्रिया में वर्ष के अधिकांश हिस्से में भारतीय रिज़र्व बैंक की आर्थिक सख्ती पूरे जोर-शोर से जारी रही। हैडलाइन (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति पूरे वर्ष 8.8% के आस-पास रही। धीरे-धीरे मुद्रास्फीति के उच्च स्तर ने विकास की गति को धीमा किया।

वित्तीय वर्ष 2011 के दौरान पूंजी आवक में आई तेजी के पश्चात बढ़ती वैश्विक जोखिम विमुखता और कुछेक घरेलू चिन्ताओं ने पूंजी के प्रवाह को कम किया। उदाहरण के लिए पोर्टफोलियो इनफ्लो वित्तीय वर्ष 2011 के 32.2 बिलियन यूएसडालर से घटकर वित्तीय वर्ष 2012 में 18.9 बिलियन यूएसडालर रह गया। वर्ष 2011 के दौरान प्रमुख एशियाई मुद्राओं में रुपए का सर्वाधिक हास हुआ। इसका आंशिक कारण भारत का व्यापक चालू खाता घाटा और मुख्य कारण कच्चे तेल के दामों में हुई भारी वृद्धि था। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सितम्बर 2011 के प्रारंभ में विद्यमान 321 बिलियन यूएसडालर के उच्च स्तर से घटकर मार्च 2012 की समाप्ति पर 295 बिलियन यूएसडालर रह गया।

जहां अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के गैर खाद्य ऋण की मांग, विशेषकर मीयादी ऋणों की, वित्तीय वर्ष 2012 के अधिकांश समय में शिथिलता बनी रही, वहीं वित्तीय वर्ष 2012 की चौथी तिमाही में जमा वृद्धि में भी गिरावट आई जिनका असर नकदी की तंगी के रूप में दिखाई दिया। नीति दरों में 375 आधार अंकों की बढ़ोतरी के पश्चात भारतीय रिज़र्व बैंक ने विकास के जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से दिसम्बर 2011 में सुधारात्मक कदम उठाए।

अस्थिर आर्थिक परिवेश, आस्ति गुणवत्ता संबंधी बढ़ते दबाव और घटती पूंजी पर्याप्तता के कारण बहुत से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने वाणिज्यिक ऋण के मुकाबले सरकारी प्रतिभूतियों को तरजीह दी।

वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान ईंधन सब्सिडी और रोजगार सृजन योजनाओं के कारण भारत का राजकोषीय घाटा बढ़कर जीडीपी का 5.9% हो गया जो 4.6% के लक्षित स्तर से काफी अधिक है।



संक्षेप में, वित्तीय वर्ष 2012 बहुत से बाह्य एवं आन्तरिक आर्थिक मसलों के परिप्रेक्ष्य में याद रखा जाएगा जिन्होंने सामान्य रूप से स्थानीय व्यवसायियों और विशेष रूप से बैंकिंग क्षेत्र को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने वित्तीय वर्ष 2012 में अपने ब्रांड को पुनः प्रमाणित किया

चुनौतीपूर्ण परिवेश के बावजूद आपका बैंक मौजूदा परिवेश में अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने में सफल रहा और इसने वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान अपनी गुणात्मक सर्वोच्चता बनाए रखी।

आपके बैंक ने अपने वैश्विक कारोबार में 25.9% की सुदृढ़ विकास दर दर्ज की, जो बैंकिंग उद्योग के औसत कार्यनिष्पादन से काफी अधिक है। अपनी शुद्ध ब्याज आय में 17.2% की स्वस्थ वृद्धि के बल पर बैंक ने शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) पर प्रतिकूल दबावों के बावजूद 18.0% की शुद्ध लाभ वृद्धि दर्ज की।

आपके बैंक का औसत आस्तियों पर प्रतिफल 1.24%, पूंजी पर्याप्तता स्तर 14.67% और इक्विटी पर प्रतिफल 19.04% रहा जिसने आपके बैंक की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति को पुनः प्रमाणित किया।

इसके अलावा, वर्ष 2012 के दौरान अपने सकल एनपीए अनुपात को 1.53% पर और शुद्ध एनपीए अनुपात को 0.54% पर नियंत्रित करके बैंक ने आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन में अपनी मजबूती को पुनः सिद्ध किया। यह भारत में बड़े आकार वाले बैंकों में सबसे कम है।

वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान कार्यनीति संबंधी पहलें

अपनी व्यावसायिक आधारशिला को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान कई कार्यनीति संबंधी पहलों की शुरुआत की।

डाटा सेंटर को बैंक के स्वयं के परिसर में सफलतापूर्वक स्थापित करने के पश्चात आपके बैंक ने बाधारहित बैंकिंग सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए वर्ष के दौरान अपने आपदा राहत केंद्र का विस्तार किया। आपके बैंक ने विन्डोज सर्वर वर्चुलाइजेशन, डेस्कटॉप वर्चुलाइजेशन और बैंक अप कन्सालीडेशन जैसे प्रौद्योगिकी से संबंधित नवोन्मेषी प्रयासों का शुभारंभ किया है। इन्हें ग्रीन इनिशियेटिव के रूप में एवं डाटा सेंटर की कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए प्रारंभ किया गया है। इसके अलावा, आपके बैंक के व्यापक नेटवर्क को डिमाण्ड अपग्रेड तथा अपटाइम सुधार हेतु मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग पर आधारित नयी टेक्नालॉजी में माइग्रेट किया गया है। इंटरप्राइज प्रबंधन प्रणाली को भी अपग्रेड किया गया है तथा बैंक के बढ़ते आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर को मानीटर करने तथा प्रभावशाली ढंग से व्यवस्था करने के लिए नये मॉड्यूलस उपयोग में लाये गये हैं।

अपने ग्राहकों को अधिक सुविधाजनक इंटरनेट बैंकिंग अनुभव उपलब्ध कराने के लिए, आपके बैंक ने संवर्धित गुणों से युक्त उन्नत वर्सन की कोर बैंकिंग प्रणाली में माइग्रेशन किया है। इसके अलावा, कई नये माड्यूलस जैसे अचल आस्तियों का रखरखाव, सेल्स ट्रेकर माड्यूल, केन्द्रीकृत सेवा कर, बैंक रियलाइजेशन सर्टीफिकेट (इबीआरसी) माड्यूल, खाता संख्या पोर्टेबिलिटी तथा नयी पेंशन योजना के लिए वर्क फ्लो आटोमेशन, स्वावलंबन, को समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कार्यान्वित किया गया। आरटीजीएस एवं एनईएफटी के माध्यम से इंटर

बैंक धनप्रेषण के लिए आपके बैंक की कोर बैंकिंग की सभी शाखाओं को सक्षम किया गया तथा इन्हें आपके बैंक के इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल के साथ जोड़ दिया गया।

आपके बैंक ने अपने इंटरनेट बैंकिंग चैनलों के अंतर्गत और सुविधाएं देने के कार्य को जारी रखा। इंटरनेट बैंकिंग - बड़ौदा कनेक्ट - अब तीव्रता के साथ स्वयं, अन्य व्यक्ति को (बैंक के भीतर) और अंतर बैंक धन अंतरण की सुरक्षित सुविधा प्रदान करता है। आपके बैंक के इंटरनेट पोर्टल में एसएमएस अलर्ट, आरटीजीएस / एनईएफटी संयवहार की सुविधा भी दी गई है। प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) तथा अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम (एफपीओ) ऑनलाइन अंशदान हेतु बड़ौदा कनेक्ट में एसबीए (ब्लॉक राशि के साथ आवेदन) सुविधा भी है ताकि इक्विटी शेयरों में आवेदन करने में सुविधा हो।

आपके बैंक ने मोबाइल बैंकिंग चैनल में बड़ौदा एम कनेक्ट के माध्यम से - खाता शेष की जानकारी, निजी खाता विवरण, कई खातों को एक साथ जोड़ना, निधि अंतरण, बिलों का भुगतान, टिकट बुकिंग, शॉपिंग, फीड बैक / शिकायतें आदि जैसी कई और सुविधाएं प्रदान की हैं।

31 मार्च 2012 तक आपके बैंक का एटीएम नेटवर्क 2012 तक पहुंच गया। एटीएम स्विच सात इंटरचेंजों अर्थात् नेशनल स्विच एनएफएस (एनपीसीआई), वीसा, मास्टरकार्ड, सीवीयूईई (यूईई), सीवीओमान (ओमान), लिंक (टीएनटी), पे मार्क (न्यूजीलैंड) के साथ, एटीएम के माध्यम से डिलीवरी पाइंट बढ़ाकर ग्राहकों को सुविधा देने हेतु जोड़ा गया है। केन्द्रीकृत डिपोजिटरी एप्लीकेशन के साथ, आपके बैंक की शाखाएं एनएसडीएल और सीएसडीएस दोनों की सुविधाएं देने में सक्षम हैं। आनलाइन ट्रेडिंग प्रणाली से आपका बैंक, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, बांड और प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम में (आईपीओ) जैसे लिखतों में ट्रेडिंग के लिए अपने ग्राहकों समस्त सेवाएं ऑनलाइन देने में सक्षम है।

इसके अलावा, आपके बैंक ने आईटी से संबंधित कई नवोन्मेषी कार्य जैसे इंटरनेट पेमेंट गेटवे, डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड से संबंधित भुगतान गेटवे सेवाएं, नकदी प्रबंधन प्रणाली जिसमें प्राप्ति प्रबंधन (कलेक्शन) जैसी सुविधाएं हैं एवं इन्वाइस प्रबंधन (प्राप्य और भुगतान प्रबंधन), भुगतान संदेश सोल्यूशन (पीएमएस) (20 विदेशी टैरीटरीज और भारत की सभी प्राधिकृत शाखाओं में क्रियान्वित की गई) ग्रिड आधारित चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस), (एनसीआर, नई दिल्ली; चेन्नै, कोयम्बतूर, बैंगलोर में कार्यान्वित) और मुंबई में आटोमेटेड चेक प्रोसेसिंग सेंटर (आवक जावक) कार्यान्वित किये हैं।

आपके बैंक ने कर्मचारियों का डाटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से तथा तीव्रता से निर्णय करने, पदोन्नति और चयन प्रक्रिया तथा अन्य मानव संसाधन प्रक्रिया के लिए कर्मचारियों हेतु मानव संसाधन नेटवर्किंग सेवाएं कार्यान्वित की हैं।

इसके अलावा आपके बैंक ने लचीली और कार्योपयोगी सूचनाओं के आपसी आदान प्रदान के स्रोत, ग्राहकों के बारे में बेहतर जानकारी के लिए ग्राहक रिलेशनशिप प्रबंधन तथा सभी चैनलों में एक समान ग्राहक विचार के लिए डाटा वेयर हाउस बनाने के लिए कदम उठाये हैं।

वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान आपके बैंक ने खुदरा बैंकिंग के क्षेत्र में कई बड़े कदम उठाये हैं। बैंक ने बड़ौदा फर्स्ट सेविंग बैंक और बड़ौदा फर्स्ट रेगुलर डिपोजिट जैसे दो उत्पादों को यूलिप और टर्म बीमा योजना के साथ संयुक्त करके बड़ौदा फर्स्ट हेल्थ पैक का शुभारंभ किया है।

कृषकों, स्वनियोजित व्यक्तियों एवं व्यावसायिकों के लिए विशेषरूप से बड़ौदा समृद्धि तिमाही आवर्ती जमा और बड़ौदा समृद्धि छमाही आवर्ती जमा योजनाएं तैयार की गईं.

163 बड़ौदा नवनिर्माण शाखाओं (बिजनेस प्रोसेस रिइंजीनियरिंग में आपके बैंक का प्रोजेक्ट) में सेल्स आपरेटिंग माड्यूल का शुभारंभ किया गया जिससे बिक्री एवं सेवा संस्कृति विकसित हो और वर्तमान / नये लाभदायक ग्राहकों के डाटा माइनिंग से तथा सेल्स कन्वर्सेशन और सेवा अनुरोध के माध्यम से बिजनेस लीड्स प्राप्त किए जा सके.

बचत बैंक जमाराशियों के संग्रहण में वृद्धि लाने हेतु बढ़ती हुई ब्याज दरों की कड़ी चुनौती के माहौल में आपके बैंक ने कई बचत बैंक अभियान चलाये. इसमें कार्यनिष्पादन करने वाले स्टाफ सदस्यों हेतु प्रोत्साहन का समावेश किया गया. इसमें अवाई जीतने वाली शाखाओं और क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए सीएमडी के साथ शाम और पिकनिक विद स्टाफ कार्यक्रमों का आयोजन शामिल था.

आपके बैंक ने वर्ष के दौरान अपने खुदरा ऋण को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से आवास ऋण एवं कार ऋण पर ध्यान केन्द्रित करते हुए कई खुदरा ऋण अभियान चलाये. आपके बैंक ने -9- सिटी सेल्स ऑफिस शुरू किये. इनमें से हल्द्वानी, रायबरेली, फैजाबाद, रायपुर, भोपाल, इंदौर, बेंगलूरु, गाजियाबाद और राजकोट शामिल हैं. इस ऋण मॉडल की सफलता को देखते हुए हल्द्वानी, देहरादून और नासिक में -3- नयी रिटेल लोन फैक्ट्रियों का शुभारंभ वित्त वर्ष 2012 में किया गया.

अल्प आय वर्ग में वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने की विशिष्ट योजना बनाने हेतु कारोबार नीति को नये रूप में तैयार करने की आवश्यकता को समझते हुए और इसे कारोबार अवसर एवं कार्पोरेट सामाजिक दायित्व मानते हुए, आपके बैंक ने उपलब्ध संसाधनों जैसे टेक्नॉलॉजी, व्यवसाय कौशल आदि का उपयोग करते हुए समीक्षाधीन वर्ष में वित्तीय समावेशन के उद्देश्य का आगे बढ़ाने हेतु ठोस कदम उठाये. वित्तीय समावेशन डाटा तथा संव्यवहार को बैंक के डाटा सेंटर में सेवा प्रदाता के वित्तीय समावेशन सर्वर / गेटवे के माध्यम से सीबीएस में एकीकृत किया गया. आपके बैंक ने लिंक शाखाओं के माध्यम से अपने ग्राहकों को उनके खातों को सीबीएस में अपलोड करने बाद और केवाईसी सत्यापन के बाद स्मार्ट कार्ड जारी किए.

आपके बैंक के अपने अधिकारियों के लिए वित्तीय समावेशन पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संयोजन एवं आयोजन करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी) हैदराबाद के साथ व्यवस्था की है. वित्तीय समावेशन के कार्य में तेजी लाने के लिए आपके बैंक ने सीडीएमए तकनीक के माध्यम से सीबीएस कनेक्टिविटी युक्त मोबाइल बैंकिंग वैनों की शुरुआत की है. इस प्रकार की पांच वेन (1 गुजरात में, 2 उत्तरप्रदेश में, 1 बिहार में तथा 1 गोवा में) चल रही हैं जोकि 41 गांवों में सेवाएं प्रदान कर रही हैं. आपके बैंक ने वित्तीय समावेशन परियोजना के अंतर्गत आबंटित शत प्रतिशत गांवों को कवर कर लिया है. इन गांवों में 7.61 लाख से अधिक वित्तीय समावेशन खाते खोले गए जबकि लक्ष्य 7.10 लाख का था.

ग्रामीण भारत की कृषि ऋण मांग तथा अन्य वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से बैंक का पर्याप्त योगदान सुनिश्चित करने के लिए आपके बैंक ने ग्रामीण एवं कृषि ऋण के अंतर्गत वर्ष के दौरान विभिन्न उत्पाद डिजाइन किए तथा व्यवसाय नीति तैयार की. बैंक ने कृषि ऋण

बढ़ाने के लिए भारत भर में 450 थर्स्ट शाखाओं का चयन किया है. कृषि ऋण बढ़ाने के उद्देश्य से -22- क्षेत्र विशेष योजनाएं तैयार की गईं.

बैंक ने वित्तीय वर्ष 12 के दौरान युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए तथा उनके लिए स्वरोजगार के अवसर मुहैया करवाने के लिए अपेक्षित ज्ञान एवं कौशल प्रशिक्षण हेतु 10 और बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान खोले. इस प्रकार बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थानों की संख्या बढ़कर 46 हो गई. इस प्रकार बैंक के प्रत्येक अग्रणी जिले में सरकारी दिशानिर्देशों के अनुरूप एक आर-सेटी (R-SETI) है. इसके अलावा अजमेर स्थित बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान को केवल महिला उद्यमियों के लिए विकसित किया गया है. वित्तीय वर्ष 12 के दौरान 42786 युवा लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया जिनमें से 25791 ने अपना स्वरोजगार उद्यम स्थापित कर लिया है. इन केंद्रों द्वारा अब तक प्रशिक्षित कुल 122228 लाभार्थियों में से 75050 ने स्वरोजगार उद्यम स्थापित कर लिए हैं. आपके बैंक ने समीक्षा वर्ष के दौरान 21 नए वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केंद्र (एफएलसीसी), खोले जिन्हें 'सारथी' नाम दिया है, इस प्रकार 31 मार्च 2012 को वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केंद्रों की संख्या 39 हो गई है.

सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यम (एमएसएमई) विश्व के अन्य देशों की भांति भारत में आर्थिक विकास और रोजगार का प्रमुख स्रोत हैं. आपके बैंक ने समीक्षा वर्ष के दौरान सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यम व्यवसाय के तहत कई नवोन्मेषी प्रयास किए हैं. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान दस नई एसएमई लोन फैक्ट्रियां तथा आठ नई विशिष्ट एसएमई शाखाएं खोलीं. इसके अलावा आपके बैंक ने स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए पांच नये ग्राहकोन्मुख क्षेत्र विशेष उत्पाद प्रारंभ किए. बैंक ने प्रयोगात्मक आधार पर एक नए आस्ति उत्पाद 'बड़ौदा चैनल फाइनांसिंग' की शुरुआत की.

आपके बैंक ने हैदराबाद, अहमदाबाद तथा जयपुर में ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा उद्यमियों के लिए आयोजित "मैनेजमेंट स्किल्स टू सोर्स फाइनांसिंग एण्ड मैनेजमेंट ऑफ टेक्नॉलॉजी बाय एसएमई" विषय पर कार्यशाला प्रायोजित की. आपके बैंक ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों हेतु बड़ौदा उद्यमी पुरस्कार भी शुरू किये.

इसके अलावा आपके बैंक ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के लिए क्रेडिट गारंटी फण्ड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) योजना के संदर्भ में बैंक के एसएमई उत्पादों तथा बार बार पूछे जानेवाले प्रश्न संबंधी जानकारी को शामिल करते हुए "प्रैक्टिकल गाइड टू बिकमिंग एन इन्टरप्रन्योर" नामक पुस्तिका भी जारी की है. बैंक ने वित्तीय वर्ष 12 के दौरान एसएमई खातों की रेटिंग हेतु चार अलग - अलग रेटिंग एजेन्सियों के साथ समझौता करार (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं.

वित्तीय वर्ष 12 में व्यावसायिक एवं वित्तीय उपलब्धियां

जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 12 के दौरान कठिन आर्थिक दौर के बावजूद उत्साहवर्धक परिणाम दिए हैं. पिछले तीन वर्षों की भांति व्यवसाय की दृष्टि से आपके बैंक का कार्यनिष्पादन बैंकिंग उद्योग के औसत कार्यनिष्पादन से काफी बेहतर रहा.

आपके बैंक का वैश्विक कारोबार वित्तीय वर्ष 12 के दौरान 25.9% (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज करते हुए 6,72,248 करोड़ रु के स्तर पर पहुंच गया. बैंक के भारतीय परिचालन में जमाओं तथा अग्रिमों



में क्रमशः 20.1% तथा 19.3% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। आपके बैंक की घरेलू कम लागत अर्थात् कासा जमाओं में खुदरा आवधिक जमाओं की अधिक ब्याज दर के बावजूद 15.9% (वर्ष-दर-वर्ष) की दर से वृद्धि हुई तथा वित्तीय वर्ष 12 में कुल घरेलू जमाओं में इनका अंश 33.2% रहा।

आपके बैंक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋणों में भी वित्तीय वर्ष 12 के दौरान 19.5% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई तथा ये समायोजित निवल बैंक ऋण (एनबीसी) का 43.37% रहे जो कि 40.00% के अनिवार्य लक्ष्य से भी अधिक था। आपके बैंक ने अपने एसएमई ऋणों में 26.1%, कृषि ऋणों में 18.4%, प्रत्यक्ष कृषि ऋणों में 24.9% तथा खुदरा ऋणों में 10.0% की वृद्धि दर्ज की जोकि विद्यमान प्रणाली में उपलब्ध संभावनाओं को देखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में संतुलित वृद्धि को दर्शाती है।

वित्तीय वर्ष 12 के दौरान आपके बैंक की विदेशी शाखाओं के कुल कारोबार में 44.6% की आशातीत वृद्धि हुई। विदेशी परिचालनों में आपके बैंक की ग्राहक जमाओं में 40.4%, कुल जमाओं में 45.2% तथा अग्रिमों में 43.9% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। सुदृढ़ तथा उद्योग की औसत वृद्धि दर से अधिक वृद्धि तथा बेहतर शुल्क आधारित आय के फलस्वरूप आपके बैंक के विदेशी परिचालनों के सकल लाभ में 48.5% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।

उल्लेखनीय है कि बैंक के वैश्विक कारोबार में विदेशी कारोबार का अंश 28.3% रहा। सकल लाभ में इसकी हिस्सेदारी 20.7% तथा कोर शुल्क आय में हिस्सेदारी 34.0% रही। इसके अलावा बैंक के विदेशी परिचालन से बैंक की कुल आस्तियां रु 91,273 करोड़ से बढ़कर 1,28,398 करोड़ हो गईं। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 12 के दौरान इनमें 40.7% की वृद्धि दर्ज की गई।

समूचे बैंक का सकल लाभ 23.6% की उल्लेखनीय वृद्धि दर के साथ बढ़कर रु 8630.37 करोड़ हो गया। बढ़े हुए प्रावधानों के बावजूद शुद्ध ब्याज मार्जिन में सतत प्रगति, गैर ब्याज आय में अच्छी वृद्धि तथा परिचालन खर्चों में नियंत्रित वृद्धि से आपके बैंक का शुद्ध लाभ वित्तीय वर्ष 2012 में 18.0% (वर्ष दर वर्ष) बढ़कर रुपये 5,007 करोड़ हो गया, जो कि बाजार की अपेक्षाओं से अधिक था। जहां शुद्ध ब्याज आय में 17.2% (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई है, वहीं अन्य आय (या गैर-ब्याज आय) में 21.8% (वर्ष-दर-वर्ष) हुई, जो मुख्य रूप से प्रभावी ट्रेजरी अर्जन एवं बड़ाकृत खातों में भारी वसूली से प्राप्त हुईं।

लगातार की गिरावट की प्रवृत्ति के बावजूद आपका बैंक वित्तीय वर्ष 2012 तक बैंकिंग जगत में एक उत्कृष्ट आस्ति गुणवत्ता बनाए रख सका। अपने पूर्व के रिकार्ड के अनुरूप आपका बैंक वित्तीय वर्ष 2012 में अपने सकल एनपीए का 1.53 तक तथा शुद्ध एनपीए को 0.54% तक सीमित रख पाने में सफल हुआ। बैंक का ऋण हानि कवरेज अनुपात (तकनीकी बड़ाकृत सहित) भी 31 मार्च 2012 को 80.05 % के उच्च स्तर पर रहा।

शेयरधारक प्रतिफल और तरलता अनुपात के मामले में आपके बैंक ने अपने बाजार मार्गदर्शन की तुलना में अच्छा कार्य किया और औसत आस्तियों पर प्रतिफल (आरओए) 1.24% रहा। प्रतिशेयर अर्जन (ईपीएस) रु 127.84 एवं प्रतिशेयर बही मूल्य (बीवीपीएस)

रु 637.37 रहा। इतना ही नहीं, आपके बैंक का लागत - आय अनुपात गतवर्ष के 39.87% के स्तर से तीव्र गिरावट के साथ 37.55% रहा, जो उसके निरंतर बढ़ते हुए अर्जन-प्रोफाइल और परिचालनगत व्ययों पर विवेकपूर्ण नियंत्रण प्रतिबिंबित करता है। 31 मार्च 2012 को आपके बैंक का बासेल II के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता अनुपात 14.67% के सुदृढ़ स्तर पर रहा, जिसमें 10.83% टियर - I पूंजी अनुपात शामिल है., यह बैंकिंग जगत में सर्वाधिक है।

भावी योजनाएं

जहां वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की प्रगति अपेक्षाकृत कुछ अधिक रही, अस्थिर वैश्विक परिदृश्य एवं घरेलू नीतियों सहित विविध घटकों ने निवेशों पर दबाव डाला। मुद्रास्फीति में अनुकूल सांख्यिकीय आधार के कारण मंदी शुरू हुई जिससे उधार - दरों में हल्की सी गिरावट आयी। वित्तीय वर्ष 13 के लिए विकास दर 7% से 7.3% होने का अनुमान विविध एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है, जहां नीतिगत मोर्चे पर धीमी प्रगति का जोखिम रहेगा, उच्च एवं अस्थिर मुद्रास्फीति तथा वैश्विक स्थिति भी गिरावट की ओर प्रवृत्त रहेगी।

वित्तीय वर्ष 13 के दौरान आपके बैंक की समग्र व्यावसायिक कार्यनीति उभरते हुए माइक्रो आर्थिक परिवेश के दृष्टिगत रहेगी, आपका बैंक अपने अच्छे पूंजीकृत तुलनपत्र एवं शानदार व्यवसाय मॉडल से निःसंदेह आनेवाले वर्षों में अपने सतत कार्यनिष्पादन को बनाए रखेगा।

वित्तीय वर्ष 13 के दौरान आपका बैंक अपने भौगोलिक एवं रणनीतिक लाभों तथा पूंजी की शक्ति की बल पर अपनी जमाराशियों एवं अग्रिमों, दोनों मामलों में बाजार में अपना हिस्सा बढ़ाना जारी रखेगा। पूर्व की भांति, आपका बैंक घरेलू कासा जमाराशियों में उच्च वृद्धि को जारी रखने पर ध्यान केंद्रित करेगा। आपका बैंक निम्न एनपीए अनुपात के दृष्टि से अपनी आस्ति गुणवत्ता को बनाए रखने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगा। वर्ष प्रति वर्ष बेहतर प्रावधान कवरेज अनुपात बनाए रखने की आपके बैंक की नीति किसी भी प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों का पूरी शक्ति के साथ सामना करने में सहायक होगी।

यह नोट कर लिया जाए कि ऋण संविभाग की आस्ति गुणवत्ता को बनाए रखने व इसमें सुधार करने के लिए आपके बैंक ने प्रभावी व्यवस्था की है ताकि खातों की यथाशीघ्र समीक्षा, नियम व शर्तों का अनुपालन व उच्च मूल्य के अग्रिम खातों में ऋण की रेटिंग को बढ़ाया जा सके।

अपनी उच्च लाभप्रदता को बनाए रखते हुए, आपका बैंक आनेवाले वर्षों में भी पर्याप्त उच्च सीआरएआर व टियर - I का अनुपात बनाए रखना जारी रखेगा। चूंकि आपका बैंक सामान्य इक्विटी जिसमें 31 मार्च 2012 को लगभग 93% टियर - I पूंजी सम्मिलित है, के साथ बेहतर पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए हुए है। इसलिए इसका बेसल - III में रूपांतरित होना अत्यधिक सरल होगा।

मानव संसाधन कार्य-नीति, व्यवसाय रूपांतरण के समग्र प्रयासों में आपके बैंक का प्रमुख घटक है। आपके बैंक के पास पहले ही सक्षम एवं अत्यधिक प्रोत्साहित कर्मचारियों का आधार है, फिर भी इसने मणिपाल ग्लोबल एज्यूकेशन सर्विसेस के साथ बड़ौदा मणिपाल स्कूल ऑफ बैंकिंग के रूप में एक नवोन्मेषी शुरूआत की है, जिससे यह अपेक्षा है कि वह आपके बैंक को प्रशिक्षित अधिकारी उपलब्ध करा पाएगा, जिन्हें बैंक की आवश्यकतानुसार पदस्थापित किया जाएगा।

वर्ष 2012 के दौरान आपके बैंक ने वर्तमान मानव चैनल संबंधी प्रक्रियाओं, संरचना व नीतियों को प्रौद्योगिकी आधारित व्यवसाय रूपांतरण के अनुरूप नया स्वरूप प्रदान करने हेतु कुछ कदम उठाए हैं. मानव संसाधन रूपांतरण पर केंद्रित 'स्पर्श' परियोजना इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु शुरू की गई है. आपके बैंक द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम जैसे - प्रतिभा प्रबंधन, उत्तराधिकार योजना, एक वैज्ञानिक स्टाफिंग मॉडल व श्रमशक्ति योजना का निर्माण, विकास व सक्षमता निर्माण तथा कार्यनिष्पादन प्रबंधन आपके बैंक को आगे ले जाने में तथा कड़ी व्यावसायिक चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने में अत्यधिक सकारात्मक परिणाम देंगे.

आज बैंकिंग सेवा प्रदाताओं में प्रमुख अंतर ग्राहक सेवा की गुणवत्ता का है. आपके बैंक के विश्वभर में 45 मिलियन से अधिक ग्राहक हैं. आपका बैंक सभी डिलिवरी चैनलों के माध्यम से उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और तकनीक के अधिकतम उपयोग द्वारा ग्राहक संतोष को बढ़ाने हेतु निरंतर कोशिश कर रहा है. यह विभिन्न ग्राहकों को अलग अलग किस्म की आवश्यकताओं के सर्वथा अनुकूल ई उत्पादों व वैकल्पिक डिलीवरी चैनलों के माध्यम से सेवा प्रदान करने हेतु प्रयासरत है. ग्राहकों के विभिन्न हितों और अपेक्षा का ध्यान विभिन्न प्रक्रिया एवं कार्य-विधियों में सुधार करके भी रखा जाएगा.

बैंक के कार्पोरेट लक्ष्य एवं कार्य-नीति

आपके बैंक ने वर्ष 13 के लिए - "उच्च उत्पादकता, दक्षता और लाभप्रदता के साथ व्यवसाय विकास" अपना उद्देश्य रखा है.

आपके बैंक ने स्थापना दिवस 20 जुलाई 2011 के अवसर पर "सिन्नेचर टयून" का शुभारंभ कर सोनिक मीडियम में अपने ब्रांड की शुरुआत की. इसका मूल प्रयोजन बैंक की भावना को उत्साह के साथ एक गतिशील उर्जावान संगठन के रूप में लोगो से तालमेल रखते हुए प्रतिष्ठित करना था. बैंक, वैश्विक बाजार में इसे दृढ़तापूर्वक स्थापित करते हुए माइलेज प्राप्त करेगा.

बैंक के प्रोजेक्ट नवनिर्माण में बहुत से घटक हैं जो बिजनेस प्रोसेस रिइंजीनियरिंग तथा संगठन पुनर्निर्माण दोनों को कवर करेंगे. इसका उद्देश्य स्थाई केंद्रीयकरण के माध्यम से बैंक की शाखाओं को बिक्री एवं सेवा केंद्रों के रूप में रूपांतरित करना है. इससे ठोस बिक्री वृद्धि, श्रेष्ठ ग्राहक अनुभव तथा वैकल्पिक चैनल माइग्रेशन प्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है. बैंक की निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी सभी मेट्रो व शहरी शाखाओं को बड़ौदा नेक्स्ट (अर्थात् जेन नेक्स्ट) में रूपांतरित करने की योजना है. बड़ौदा नेक्स्ट माइग्रेशन का प्रारंभिक लाभ, ग्राहक संतुष्टि तथा कासा बढ़ोतरी दोनों के रूप में मिल रहा है. बड़े पैमाने पर स्वचालित तथा लीन बैंक आफिस जैसे सिटी बैंक आफिस तथा रीजनल बैंक आफिस निश्चित रूप से बैंक के मानव संसाधन की दक्षता तथा उत्पादकता में सुधार करेंगे. बैंक ने पहले ही दो संपर्क केंद्र (अर्थात् कॉल सेंटर) लखनऊ तथा बड़ौदा में स्थापित कर लिए हैं.

सतत बिक्री वृद्धि के लिए बैंक ने कतिपय शाखाओं में नए सेल्स ऑपरेंटिंग मॉडल तैयार किए हैं.

बैंक ने मिड कार्पोरेट शाखाएं खोलना चालू कर दिया है ताकि होलसेल व्यवसाय के विशिष्ट घटक के रूप में ऋण वितरण पर ध्यान केंद्रित किया जा सके. आगामी प्रयोग के तौर पर केन्द्रीयकृत पहले शीघ्र ही शुरू की जा रही हैं ताकि ये शाखाएं "सेल्स-कम-सर्विस आउटलेट" शाखाएं बन सकें.

बैंक ने सभी व्यवसाय व वित्तीय पैरामीटरों में सतत एवं स्थाई वृद्धि की है और वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान श्रेष्ठ नेतृत्व ने विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अनुमोदन से इसे प्राप्त किया है.

बैंक को मिले बहुत से पुरस्कारों में सीएनबीसी - टीवी 18 व एससीएक्स द्वारा दिया गया बेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक का पुरस्कार, लंदन में इंस्टीट्यूट ऑफ़ डायरेक्टर्स एन्ड वर्ल्ड फॉरम फोर कार्पोरेट गवर्नेंस द्वारा दिया गया गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर कार्पोरेट गवर्नेंस, द दैनिक भास्कर इंडिया प्राइड अवार्ड फॉर 2011, द मोस्ट एफीशियन्ट बैंक इन केनिया, द बेस्ट इनीशिएटिव इन इनक्लूसिव बैंकिंग - एफआईबीसी बैंकिंग अवार्ड, द इन एन्ड ब्राडस्ट्रीटस् लीडिंग पीएसबी इन "ग्लोबल बिजनेस डेवलपमेंट कैटगरी", एसएमई व्यवसाय के तहत नेशनल अवार्ड फॉर परफॉर्मेंस, द अवार्ड फॉर बेस्ट यूटीलाइजेशन ऑफ़ इंटरलैक्युअल रिसोर्सेज, बिजनेस वर्ल्ड पीडब्ल्यूसी द्वारा "द बेस्ट ग्रोइंग लार्ज बैंक", एनडीटीवी द्वारा "द बिजनेस लीडरशिप अवार्ड - बेस्ट पीएसबी इन 2011", पीएसबी श्रेणी में आईसीएआई द्वारा "द अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग", बिजनेस वर्ल्ड - पीडब्ल्यूसी द्वारा "द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज बैंक", द यूटीवी-ब्लूमबर्ग फाइनेंशियल लीडरशिप अवार्ड तथा एफएम स्टार्स इंडस्ट्री ब्रांड लीडरशिप अवार्ड शामिल हैं.

द बैंकर लंदन के अनुसार - वित्तीय वर्ष 2012 के दौरा बैंक की ब्रान्ड रैंकिंग 500 टॉप बैंकिंग ब्रान्डों में 47 अंक सुधर गई.

बैंक वित्तीय वर्ष 13 के दौरान श्रेष्ठ कार्यनिष्पादन को बनाए रखने तथा असाधारण कार्यनिष्पादन हेतु पुरस्कार प्राप्त करने की आशा करता है. अतः यह सुदृढ़ वित्तीय स्थिति, सेवा उत्कृष्टता, मजबूत कार्पोरेट नियंत्रण, इच्छावान नियोक्ता तथा राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने की पूरी-पूरी कोशिश करेगा.

अपने सभी कोर व्यवसायों के लिए बैंक ने रणनीतियां तैयार की हैं जो भविष्य में चुनौतियों का सामना करने, तथा अपने प्लेटफार्म को सुदृढ़ करने के लिए अवसरों का लाभ उठाएगी.

बैंक की इस रोमांचकारी यात्रा में मैं आपके सतत सहयोग तथा समर्थन का निवेदन करता हूँ.

एम. डी. मल्ल्या

एम. डी. मल्ल्या
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



CHAIRMAN'S STATEMENT

“Sustained Performance in Challenging Environment”

M. D. Mallya

Chairman & Managing Director

Dear Stakeholder,

I am pleased to report that the year 2011-12 (FY12) was your Bank's fourth consecutive year of record income and profits post the global financial crisis. Once again, your Bank's performance has shown its resilience to economic volatility and proved the credibility of its business model and strategies. It gives me immense happiness to present before you the Annual Report and Financial Statements of Bank of Baroda for the year ended 31st March, 2012.

It is appropriate at the outset to review the business environment within which your Bank operated during the year under consideration.

Economic Review

The year FY12 has been challenging for the Indian economy. After two years of a fairly robust growth of 8.4%, India's GDP growth is estimated at 6.9% for FY12 by the Central Statistical Organisation, Government of India. While agriculture and services sectors maintained good growth momentum during FY12, industrial sector slowed down sharply, led by the contraction in mining and manufacturing segments. Capacity utilization rates in various infrastructure industries, especially in cement and thermal power sectors declined significantly during FY12.

The Reserve Bank of India's (RBI) monetary tightening continued with full vigour for most part of the year in response to the untamed inflationary pressures. The

headline (WPI) inflation averaged around 8.8% for the full year. Gradually, high levels of inflation gave way to a slowdown in the growth.

After the boom in capital inflows during FY11, rising global risk aversion and certain domestic concerns reduced the flows of capital. For instance, the portfolio inflows declined from US\$ 32.2 billion in FY11 to US\$ 18.9 billion in FY12. The rupee depreciated the most among major Asian currencies during calendar 2011 partly contributed by India's widened current account deficit, primarily driven by high crude oil prices. India's foreign exchange reserve position dwindled to US\$ 295 billion by end-Mar, 2012 from a high of US\$ 321 billion in early Sept, 2011.

While the demand for non-food credit of scheduled commercial banks (SCBs), especially term loans remained lacklustre for most part of FY12, the deposit growth too decelerated in the fourth quarter of FY12 reflecting tight liquidity conditions. After raising the policy rate by 375 basis points, the RBI took a pause in Dec, 2011 citing rising downside risks to growth.

Fragile economic environment, growing stresses on asset quality and depleting capital adequacy made several SCBs prefer government securities to commercial credit.

During FY12, India's fiscal deficit increased to 5.9% of GDP, much in excess of the targeted 4.6% due to increased fuel subsidies and employment creation schemes.



In short, the year FY12 was marked by interplay of several external and internal economic issues that impinged significantly on local businesses, in general, and the banking sector, in particular.

Bank of Baroda: Again Proved the Resilience of its Brand in FY12

Notwithstanding the challenging environment, your Bank was able to exploit the opportunities within the given environment and sustain its qualitatively superior performance during FY12.

Your Bank posted a very healthy growth of 25.9% in its global business – way above the banking industry's average performance. On the back of healthy growth of 17.2% in its Net Interest Income, the Bank recorded Net Profit growth of 18.0% despite adverse pressures on Net Interest Margins (NIMs).

Your Bank's Return on Average Assets (ROAA) at 1.24%, Capital Adequacy at 14.67% and Return on Equity at 19.04% again provided an eloquent testimony to the financial soundness of your Bank.

Moreover, your Bank again proved its strength in the asset quality management by restricting its Gross NPA ratio at 1.53% and Net NPA ratio at 0.54% during FY12 – one of the lowest in the large sized banking segment in India.

Strategic Initiatives during FY12

With the aim to strengthen its business foundations, your Bank undertook several strategic initiatives during FY12.

After successfully migrating Data Centre to a new Data Centre in the Bank's own premises, your Bank expanded its Disaster Recovery Centre during the year to ensure uninterrupted banking services. Your Bank took various technology initiatives like windows server virtualisation, desktop virtualisation and backup consolidation as green initiatives and also to improve Data Centre's operational efficiency. Besides, your Bank's wide network was migrated to new technology based on Multiprotocol Label Switching (MPLS) for improving uptime and on demand upgrade. The Enterprise Management System too was upgraded and new modules were deployed to effectively manage and monitor your Bank's growing IT infrastructure.

In order to provide superior internet banking experience to its customers, your Bank migrated the Core Banking System (CBS) to higher version with enhanced features. Additionally, various new modules like Fixed Assets Maintenance, Sales Tracker Module, Centralized Service Tax, Bank Realisation Certificate (eBRC) Module, Account Number Portability and Workflow Automation for New Pension Scheme, Swavalamban, were implemented during the year under review. All CBS branches of your Bank are enabled for interbank remittances through RTGS and NEFT which have also been interfaced with your Bank's internet banking portal.

Your Bank continued to add more facilities under its Internet Banking channels. The Internet Banking -- Baroda Connect -- now provides speedy and secured facility to transfer funds to self, third party (within the Bank) and inter-bank. The SMS Alerts, RTGS/NEFT transactions are also provided in your Bank's internet portal. The ASBA (Application Supported by Blocked Amount) functionality has been introduced in Baroda Connect for online subscription to Initial Public Offers (IPOs) and Follow-on Public Offers (FPOs) to facilitate application for equity shares.

Your Bank added more facilities to the Mobile Banking channel through Baroda M-Connect viz. Balance Enquiry, Mini Statement, Linking of Multiple Accounts, Fund Transfer, Bill Payments, Ticket Booking, Shopping, Feedback/Complaints etc.

By 31st March 2012, your Bank's ATM network expanded to 2,012. The ATM switch is now integrated with seven interchanges viz. National Switch NFS (NPCI), Visa, MasterCard, CBUAE (UAE), CBOMAN (Oman), Link (T&T), Paymark (New Zealand) to provide convenience to customers by increasing delivery points through ATMs. With a centralized depository application, your Bank's branches are now equipped to provide depository services for both NSDL as well as CDSL. With Online Trading System, your Bank will be able to provide a complete suite of online services to customers for trading in instruments like equities, mutual funds, bonds and initial public offering (IPOs).

Additionally, your Bank took several other IT related initiatives such as Internet Payment Gateway services for debit cards/credit cards, Cash Management System covering services like Receipt Management (Collections), Payment Management and Invoice Management (Receivable and Payable Management), Payment Messaging Solution (PMS) {that was implemented in 20 overseas territories and all authorised branches in India}, a grid based Cheque Truncation System (CTS) {implemented in NCR-New Delhi, Chennai, Coimbatore and Bangalore}, and initiation of an Automated Cheque Processing Centre (Inward & Outward) in Mumbai.

Your Bank also implemented the Human Resource Networking for Employees Service with the objective of creating a central database of Bank employees for facilitating speedy decision-making, promotion and selection exercise as also for automating other HR process.

Moreover, your Bank undertook measures to create Data Warehouse for providing flexible and interactive source of strategic information, Customer Relationship Management for better customer insight and uniform customer view across channels.

During the year FY12, your Bank took some major initiatives in its Retail Banking segment. It launched the *BarodaFirst Wealth Pack*, a combo of two products namely *BarodaFirst*



Savings Bank and BarodaFirst Regular Deposit jointly with two Insurance Products namely ULIP & Term Insurance Plan. It also designed *Baroda Samridhi Quarterly Recurring Deposit* and *Baroda Samridhi Half yearly Recurring Deposit Schemes* meant especially for Agriculturists, Self Employed and Professionals.

A *Sales Operating Model* was rolled out at 163 Baroda *Navnirman Branches* {i.e. your Bank's project in Business Process Reengineering} for developing Sales & Service culture to generate business leads through transitioning service requests to sales conversation and data mining of existing/new profitable customers.

To accelerate the pace of Savings Bank Deposits accretion – a tough challenge in rising interest rate scenario - your Bank launched several Savings Bank Deposit campaigns with incentives to the performing staff, such as “Evening with CMD & Picnic with Staff” for award winning Branches and Regional Offices.

Your Bank also launched a number of Retail Loan campaigns during the year to augment its Retail Loan Book with a special focus on Home Loans and Car Loans. Your Bank opened nine City Sales Offices one each at Haldwani, Raebarely, Faizabad, Raipur, Bhopal, Indore, Bengaluru, Ghaziabad and Rajkot. Going by the solid success of this lending model, three new Retail Loan factories were opened at Haldwani, Dehradun and Nasik by your Bank in FY12.

Understanding the need to redesign business strategies to incorporate specific plans to promote financial inclusion of low income group, treating it both as business opportunity as well as corporate social responsibility, your Bank made use of available resources including technology and business expertise and took concrete steps to promote the causes of Financial Inclusion during the year under review. The Financial Inclusion (FI) data and transactions were integrated to the CBS through an FI Server/Gateway of the service provider, kept in the Data Centre of the Bank. Your Bank issued Smart Cards to customers after uploading their accounts in CBS and effecting KYC verification by the link branches.

Your Bank tied-up with National Institute of Rural Development (NIRD), Hyderabad for designing and conducting special training program for its officers on FI. For increasing the pace of FI, your Bank introduced Mobile Banking vans, having connectivity to CBS through CDMA technology. Five such Vans (1 in Gujarat, 2 in UP, 1 in Bihar and 1 in Goa) have been made operational, which are covering 41 villages. Your Bank has already covered 100.0% villages allotted to it under the FI project. More than 7.61 lakh FI accounts were opened in these villages as against the target of 7.10 lakh.

To ensure adequate contribution of the Bank in meeting farmers' demand for agricultural credit and other financial needs of rural India, your Bank designed various products and business strategies during the year under *Rural and*

Agriculture lending. It identified 450 Thrust Branches across India to enhance Agriculture lending. As many as 22 area specific schemes were formulated to increase agricultural lending.

During FY12, your Bank opened ten more *Baroda Swarojgar Vikas Sansthan (BSVS)*, the institutes for training the youth and imparting knowledge and skills required for taking up self-employment ventures, taking the total number of BSVS to 46. Thus, each of the Bank's Lead Districts has now a R-SETI as per the government guidelines. Moreover, Ajmer BSVS centre has been exclusively developed for women entrepreneurs. During FY12, 42,786 youth beneficiaries were trained out of which 25,791 have established self-employment ventures. Out of the total 1,22,228 beneficiaries trained by these centers so far, 75,050 have established their self employment ventures. Your Bank opened 21 new Financial Literacy & Credit Counseling Centres (FLCC) christened as “*SARATHEE*” during the year under review, taking the total number of FLCCs to 39 as on 31st March 2012.

The Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) segment is a key source of economic growth and employment in India as in other parts of the world. Your Bank took several initiatives under *MSME Business* during the year under review. It opened ten New SME Loan Factories and eight New SME Specialized Branches during FY12. Also, your Bank introduced five new customer-centric area specific products to suit the local cluster needs. Bank introduced a new asset side product named as “Baroda Channel Financing” on a pilot basis.

Your Bank sponsored workshop on “*Management Skills to Source Financing and Management of Technology by SMEs*” for entrepreneurs arranged by All India Management Association (AIMA) at Hyderabad, Ahmedabad and Jaipur. Your Bank even introduced “Baroda Entrepreneur Awards” for Micro & Small enterprises.

Additionally, your Bank released a Booklet named as “Practical guide to Becoming An Entrepreneur”, inter alia, giving information on the Bank's SME products and “Frequently Asked Questions” on Credit Guarantee Fund Trust For Micro And Small Enterprises (CGTMSE) scheme. Your Bank also signed a MoU with four different Credit Rating Agencies during FY12 for rating of SME accounts.

Business and Financial Achievements in FY12

As described earlier, your Bank delivered another cheery performance during FY12 despite difficult economic environment. As in the past three years, your Bank's performance on the business front was comfortably above the banking industry's average performance.

Your Bank's Global Business touched the mark of Rs 6,72,248 crore in FY12 posting a growth of 25.9% (y-o-y). In its Indian operations, its Deposits and Advances increased



healthily by 20.1% and 19.3%, respectively. Your Bank's Domestic Low-cost or CASA deposits grew by 15.9% (y-o-y) notwithstanding higher interest rates on retail term deposits and formed 33.2% share of the total Domestic Deposits in FY12.

Your Bank's Priority Sector Credit too recorded a decent growth of 19.5% during FY12 and formed 43.37% of its Adjusted Net Bank Credit (ANBC), comfortably surpassing the mandatory requirement of 40.0%. Your Bank posted a growth of 26.1% in its SME credit, 18.4% in Farm credit, 24.9% in Direct Agriculture credit and 10.0% in Retail credit reflecting a well-balanced growth across different sectors in tune with opportunities available within the system.

During FY12, the Total Business of your Bank's Overseas branches registered a robust growth of 44.6%. In Overseas Operations, your Bank's Customer Deposits increased healthily by 40.4%, Total Deposits by 45.2% and Advances by 43.9%. Supported by steady and better than industry average spreads and a good pool of fee-based income, your Bank's Gross Profit in Overseas operations posted a healthy growth of 48.5%.

It may be noted that your Bank's Overseas Business contributed 28.3% to its Global Business, 20.7% to Gross Profits and 34.0% to Core Fee-based Income. Besides, the Total Assets of the Bank's Overseas Operations increased from Rs 91,273 crore to Rs 1,28,398 crore registering a growth of 40.7% during the year FY12.

For the Bank as a whole, Gross Profits recorded a healthy growth of 23.6% to Rs 8,630.37 crore. Despite increased provisions, a stable momentum in Net Interest Income (NII), a good traction in non-interest income and a controlled growth of operating expenses raised your Bank's Net Profit in FY12 by a rich 18.0% (y-o-y) to Rs 5,007 crore, much above the street expectations. While, NII increased by 17.2% (y-o-y), Other Income (or Non-Interest Income) grew by 21.8% (y-o-y), primarily driven by impressive treasury gains and strong recovery from the written off accounts.

Despite an ongoing cyclical downturn, your Bank maintained one of the best asset qualities in the banking arena by the end of FY12. In line with its past record, your Bank succeeded in restricting its Gross NPAs to 1.53% and Net NPAs to 0.54% during FY12. The Bank's Loan Loss Coverage Ratio (including technical write-offs) too stood at the pristine level of 80.05% as on 31st March 2012.

In the domain of shareholders' return and liquidity ratios, your Bank delivered better than its market guidance and maintained Return on Average Assets (ROAA) at 1.24%, Earnings per Share (EPS) at Rs 127.84 and the Book Value per Share (BVPS) at Rs 637.37. Furthermore, your Bank's Cost-Income ratio sharply declined from the previous year's level of 39.87% to 37.55%, reflecting its consistently improving earnings profile and a prudent control over

operating expenses. Your Bank's Capital Adequacy Ratio under Basel-II reached a sound level of 14.67% comprising 10.83% as Tier-I capital ratio as on 31st March 2012 – again one of the highest in the state-owned banking segment.

Looking Forward

While India's growth remains relatively high in the global context, various factors, including the unsettled global outlook and domestic policy concerns, have weighed on investment. Inflation has started moderating primarily on account of a favourable statistical base giving way to a modest decline in lending rates. Growth for FY13 is projected between 7.0% and 7.3% by various noted agencies, while risks from slow progress on policy front, high & volatile inflation and the global situation – remain on the downside.

While your Bank's overall business strategy during FY13 will evolve in response to the emerging macroeconomic environment, your Bank's well capitalized balance-sheet and robust business model would, no doubt, enable it to sustain its consistent performance in the coming years also.

During FY13, your Bank will continue to expand its market share in both deposits and advances by exploiting its geographic & strategic advantages and capital strength. As in the past, your Bank will focus on maintaining a high growth in domestic CASA deposits. Your Bank will leave no stone unturned in maintaining its asset quality in terms of low NPA ratios. Your Bank's policy of maintaining healthy Provision Coverage Ratio year after year will certainly help it face any adverse economic situation with strength.

It may be noted that for maintaining and further improving the asset quality of the credit portfolio, your Bank has put in place an effective mechanism for ensuring expeditious review of accounts, compliance of terms and conditions and up-gradation in credit ratings in high value advance accounts.

Aided by its sustained high profitability, your Bank will continue to maintain sufficiently high CRAR and Tier 1 ratios in the coming years also. As your Bank has been maintaining healthy Capital Adequacy Ratio with common equity constituting around 93% of Tier I Capital as at end March 2012, its transition to Basel III regime would be extremely smooth.

Human Resource strategies have been a key component of your Bank's overall efforts for business transformation. Your Bank is already endowed with a competent and highly motivated employee base, yet it has initiated an innovative resourcing channel with Manipal Global Education Services. A newly set up Baroda Manipal School of Banking is expected to provide trained officers to your Bank, who shall be deployed against its specific requirements.

During FY12, your Bank took several steps to revamp its existing HR processes, structures and policies in order to support its technology-led business transformation.



A focused HR transformation project – “**SPARSH**” has been introduced to achieve this goal. Various initiatives taken by your Bank such as Talent Management, Succession Planning, Creating a Scientific Staffing Model & Manpower Planning, Development & Capability Building and Performance Management will produce substantial results going forward enabling your Bank to successfully address tough business challenges.

Today, the major differentiator amongst the banking service providers is the quality of customer service. Your Bank enjoys the patronage of over 45 million global customers. Your Bank is committed and focused towards providing excellent Customer Service through all delivery channels and has been making continuous efforts for enhancing the level of customers’ satisfaction by leveraging technology to provide e-products and alternative delivery channels best suited to the diverse needs of different customers. The varied interests and expectations of customers will be taken care of by further improving upon the various processes and procedures.

Bank’s Corporate Goals and Strategy

Your Bank has articulated “**Business Growth through Higher Productivity, Efficiency and Profitability**” as the motto for the year FY13.

During the year FY12, your Bank introduced its Brand in Sonic Medium by launching a “Signature Tune” on the occasion of its Bank’s Foundation Day on 20th July, 2011. The prime purpose was to highlight the spirit of the Bank as a vibrant and energetic organization complementing the Logo. Your Bank will draw its mileage in positioning it strongly in the global market.

Your Bank’s Project *Navnirmaan* has various components covering both Business Process Re-engineering and Organization Re-structuring, aimed at transforming the Bank’s branches into sales and service centres through sustained centralization. This is expected to make achieve sound sales growth, superior customer experience and alternate channel migration. Your Bank has plans to convert all its metro and urban branches into BarodaNext (i.e. a branch where BPR is rolled out) within a stipulated timeline. The initial impact of BarodaNext migration has been found to be rewarding both in terms of increased customer satisfaction and CASA growth. Creation of automated and lean Back Offices like City Back Office and Regional Back Office on a wider scale will certainly improve the efficiency and productivity of the Bank’s human resources. Your Bank has already established two Contact Centres (i.e., Call Centres) one each at Lucknow and Baroda.

To sustain sales growth, a new Sales Operating Model has been rolled out in certain identified branches of your Bank. Your Bank has started opening Mid-corporate branches to ensure focused credit dispensation to this specific segment of wholesale business. Further centralization initiatives are going to be piloted soon to enable these branches to become a “Sales-cum Service Outlet”.

Your Bank’s consistent and stable performance across all business and financial parameters and superior leadership has earned it the approval of various national and international organizations during FY12.

Amongst several awards, in particular, your Bank has received the awards like Best Public Sector Bank (PSB) by CNBC-TV18 & MCX; the Golden Peacock Award for Excellence in Corporate Governance by the Institute of Directors & World Forum for Corporate Governance in London; the Dainik Bhaskar India Pride Award for 2011; the Most Efficient Bank in Kenya; the Best Initiatives in Inclusive Banking – FIBC Banking Award; the Dun & Bradstreet’s Leading PSB in “Global Business Development Category”, the National Award for Performance under the SME Business; the Award for Best Utilisation of Intellectual Resources; the Best Growing Large Bank by the Business World-PWC; the Business Leadership Award by NDTV- Best PSB in 2011; the Award for Excellence in Financial Reporting by the ICAI in PSB category; the Fastest Growing Large Bank by Business World-PWC; the UTV-Bloomberg Financial Leadership Award and the FM Stars Industry Brand Leadership Award.

Furthermore, your Bank’s Brand Ranking increased by 47 notches in just a year’s time in the Top 500 Banking Brands by *The Banker*, London during FY12.

Your Bank wishes to protect its superior performance in the year FY13 also to earn awards for exceptional performance. So, it will try to maintain its position in terms of sound financial health, service excellence, strong corporate governance, desirability as an employer and solid contributions to national development.

In all its core businesses, your Bank has put strategies in place that seek both to address near-term challenges and to seize opportunities to strengthen its platform for the future.

In this exciting journey of your Bank, I solicit your continued support and patronage.

M. D. Mallya

Chairman & Managing Director



नोटिस / NOTICE

बैंक ऑफ़ बड़ौदा BANK OF BARODA
प्रधान कार्यालय : मांडवी, वडोदरा- 390 006
Head Office : Mandvi, Vadodara – 390 006
कार्पोरेट कार्यालय : बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, सी-26, 'जी' ब्लॉक,
बांद्रा कुर्ला काम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुम्बई - 400 051.
Corporate Office: Baroda Corporate Centre, C-26, "G" Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East), MUMBAI 400 051
(Website: www.bankofbaroda.com)


एतद्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारकों की 16वीं वार्षिक सामान्य बैठक सर सयाजीराव नगरगृह, वडोदरा महानगर सेवा सदन, बैंक ऑफ़ बड़ौदा शताब्दी वर्ष (2007-2008), टीपी-1, एफपी.549/1, जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, अकोटा-वडोदरा-390 020 में गुरुवार दि. 28 जून, 2012 को प्रातः 10.30 बजे आयोजित होगी. इसमें निम्नलिखित कारोबार संचालित होंगे

1. बैंक का 31 मार्च, 2012 के तुलनपत्र, 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखा, लेखों में समाहित अवधि के कार्यनिष्पादन तथा कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र एवं लेखों पर लेखों परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श, अनुमोदन व इन्हें स्वीकार करना.
2. वर्ष 2011-12 के लिए लाभांश की घोषणा करना.


NOTICE is hereby given that the 16th ANNUAL GENERAL MEETING of the shareholders of BANK OF BARODA will be held on Thursday, 28th June 2012 at 10.30 a.m. at Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, Bank of Baroda Centenary Year (2007-2008), T.P. - 1, F.P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara – 390020, to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2012, Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2012, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To declare dividend for the year 2011-12.

स्थान : मुंबई
तारीख : 22/5/12


(एम. डी. मल्ल्या)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Place : Mumbai
Date : 22/5/12


M. D. Mallya
Chairman and Managing Director



टिप्पणियां / NOTES

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए पात्र शेयरधारक बैठक में भाग लेने और मत देने के लिए अपने स्थान पर प्रॉक्सी नियुक्त कर सकेगा /सकेगी (बैंक के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी के अलावा किसी अन्य को) और यह आवश्यक नहीं होगा कि नियुक्त प्रॉक्सी बैंक का शेयर धारक हो. प्रॉक्सी का कोई भी विलेख तभी वैध माना जाएगा, जब वह वार्षिक रिपोर्ट के साथ भेजे गए फार्म "बी" में भरा गया हो. उक्त प्रॉक्सी तभी प्रभावी मानी जाएगी यदि यह बैठक की तारीख से कम से कम 4 दिन पूर्व अर्थात शनिवार, 23 जून, 2012 को दोपहर 2.00 बजे तक या उससे पूर्व बैंक ऑफ बड़ौदा, केवायसी एण्ड एएमएल विभाग, 8वां तल, सूरज प्लाजा-I, सयाजीगंज, बड़ौदा-390 005 स्थित प्रधान कार्यालय में प्राप्त हो जाएगी और इसके साथ मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार पत्र, यदि हो, जिसके अधीन इसे हस्ताक्षरित किया गया है या मुख्तारनामा अथवा प्राधिकार पत्र की प्रति जो कि नोटरी पब्लिक अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यप्रति के रूप में सत्यापित हो, को भी साथ में भेजा जाएगा, यदि उक्त मुख्तारनामा अथवा अन्य प्राधिकार पत्र पूर्व में बैंक में जमा और पंजीकृत न किया गया हो.

2. प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी के विधिवत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने अथवा वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब कि उसे एक यथाविधि प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने संबंधी संकल्प की एक प्रति, जिसे उस बैठक, जिसमें यह पारित किया गया था, के अध्यक्ष द्वारा एक सत्य प्रतिलिपि के रूप में अभिप्रमाणित किया गया हो, बैठक की तारीख से 4 दिन पूर्व अर्थात शनिवार, 23 जून, 2012 को दोपहर 2.00 बजे या इससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में उपरोक्त पते पर जमा न कर दिया गया हो.

3. उपस्थिति - पर्ची सह प्रवेश पत्र

शेयरधारकों की सुविधा हेतु इस रिपोर्ट के साथ उपस्थित पर्ची सह प्रवेश पत्र संलग्न हैं. शेयरधारकों से अनुरोध है कि उपस्थिति पर्ची भरकर और उसमें दर्शाए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर करके, इसे बैठक स्थल पर सौंप दें. शेयरधारक के प्रॉक्सी /प्रतिनिधि को उपस्थिति पर्ची पर यथास्थिति "प्रॉक्सी" या "प्रतिनिधि" जैसी भी स्थिति हो, अंकित करना चाहिए.

4. शेयरधारक - रजिस्टर का बंद होना

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण रजिस्टर 16 जून, 2012 से 28 जून, 2012 तक (दोनों दिन सहित) वार्षिक सामान्य बैठक तथा वर्ष 2011-12 के लाभांश भुगतान करने के उद्देश्य से बंद रहेगा.

5. लाभांश का भुगतान

बैंक के निदेशक मंडल ने 4 मई, 2012 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च, 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए पूर्ण प्रदत्त प्रत्येक रु. 10/- के पूर्ण प्रदत्त शेयर के लिए रु. 17/- (रुपए सत्रह मात्र) की दर से लाभांश संस्तुत किया है. निदेशक मंडल द्वारा संस्तुत तथा 16वीं वार्षिक सामान्य बैठक में अनुमोदित लाभांश का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा.

1. Appointment of Proxy

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY (OTHER THAN AN OFFICER OR AN EMPLOYEE OF THE BANK) TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND THE PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form "B" as annexed in the Annual Report. The Proxy, in order to be effective, must be received at Head Office situated at Bank of Baroda, KYC & AML Department, 08th Floor, Suraj Plaza – I, Sayajiganj, Vadodara 390 005 not less than four days before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 2.00 p.m. on Saturday, 23rd June 2012, together with the Power of Attorney or other authority, if any, under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such Power of Attorney or other authority has been previously deposited and registered with the Bank.

2. Appointment of Representative

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank at the address given above, not later than four days before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 2.00 p.m. on Saturday, 23rd June 2012.

3. Attendance Slip-Cum Entry Pass

For convenience of the Shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass is annexed to this Notice. Shareholders are requested to fill-in and affix their signatures at the space provided therein so as to save time and hand over the same at the venue of the Meeting. Proxy / Representative of the shareholder should state on the attendance slip as "Proxy" or "Representative", as the case may be.

4. Closure of Register of Shareholders

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from 16th June 2012 to 28th June 2012 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and payment of dividend for the year 2011-12.

5. Payment of Dividend

The Board of Directors of the Bank in its meeting held on 4th May 2012 has recommended dividend @ Rs. 17/- (Rupees Seventeen only) per equity share of Rs.10/- each fully paid up, for the financial year ended 31st March 2012. Dividend as recommended by the Board of Directors and approved at the 16th Annual General Meeting will be paid as under:



- क) 15 जून, 2012 को कारोबार समय की समाप्ति पर नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में सभी लाभार्थी शेयरधारकों को.
- ख) 15 जून, 2012 को कारोबार समय की समाप्ति को या इससे पूर्व बैंक / बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट अर्थात् मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि. हैदराबाद (आरटीए) के पास दर्ज शेयर हस्तांतरण अनुरोध के संबंध में वैध हस्तान्तरण प्रभावी करने के पश्चात् भौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में सभी सदस्यों को.
- ग) 16वाँ वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से 30 दिन के अंदर पात्र शेयरधारकों को लाभांश वितरित किया जाएगा.

6. डाक पता / लाभांश अधिदेश में परिवर्तन

- क) इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उनके संबंधित डिपॉजिटरी खाते में पंजीकृत बैंक विवरणों को बैंक द्वारा लाभांश का भुगतान करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा. बैंक अथवा इसका रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट, इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के सीधे ही प्राप्त ऐसे किसी अनुरोध पर कार्यवाही नहीं करेगा जो बैंक विवरणों अथवा बैंक में डेट से संबंधित होंगे. ऐसे परिवर्तनों की सूचना केवल सदस्यों के डिपॉजिटरी सहभागी को ही दी जानी चाहिए.
- ख) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि यदि उनके पते में कोई परिवर्तन हो तो इसकी सूचना तत्काल बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट अर्थात् मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि. हैदराबाद को दें. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को अपने पते में किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना अवश्य ही अपने संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी को देनी चाहिए. बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट को सूचना देने की आवश्यकता नहीं है.
- ग) सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैंक अथवा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट के साथ किसी भी प्रकार के पत्र-व्यवहार में अपने संबंधित फोलियो नंबर (उनके लिए, जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं) और अपना डीपी आईडी/ग्राहक आईडी नंबर (उनके लिए, जिनके पास शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं) का उल्लेख अवश्य करें.

7. फोलियो का समेकन

जिन शेयरधारकों के पास एक से अधिक खाते में अपने समरूप नाम से शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे बैंक के रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट को शेयर प्रमाण-पत्रों के साथ ऐसे खातों के लिए लेजर फोलियो की सूचना दें ताकि वे एक खाते में सभी धारित शेयरों का समेकन कर सकें. पृष्ठांकन संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने के बाद सदस्यों को शेयर प्रमाण पत्र यथासमय लौटा दिए जाएंगे.

8. भौतिक रूप में शेयर धारिता का अभौतिकीकरण

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक अपनी शेयर धारिता का अभौतिकीकरण कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें अपने उस संबंधित डिपॉजिटरी सहभागी से संपर्क करना चाहिए जहां उनका अपना डीमेट खाता है.

- a) To all beneficial owners in respect of shares held in electronic form as per the data as may be made available by the National Securities Depository Limited (NSDL) and the Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as of the close of the business hours on 15th June 2012.
- b) To all the members in respect of shares held in physical form after giving effect to valid transfers in respect of transfer requests lodged with the Bank / Bank's Registrar and Share Transfer Agent i.e. M/s Karvy Computershare Private Limited, Hyderabad (RTA) on or before the close of business hours on 15th June 2012.
- c) The dividends will be distributed to the eligible shareholders within 30 days from the date of the 16th Annual General Meeting.

6. Change of Address / Dividend Mandate

- a) Members holding shares in electronic form are hereby informed that bank particulars registered against their respective depository account will be used by the Bank for payment of dividend. The Bank or its Registrar and Share Transfer Agent can not act on any request received directly from the members holding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandates. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Members.
- b) Members holding shares in physical form are requested to advise any change of address immediately to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, i.e. M/s Karvy Computershare Private Limited, Hyderabad. Members holding shares in electronic form must send the advice about change in address to their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.
- c) Members are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic form) in any correspondence with the Bank or Bank's Registrar and Share Transfer Agent.

7. Consolidation of Folios

The Members holding shares in physical form in identical order of names in more than one account are requested to intimate to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, the ledger folio of such accounts together with the share certificates to enable them to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the members after making necessary endorsement in due course.

8. Dematerialization of Physical Holdings

The Shareholders who are holding shares in physical mode may convert their holdings in dematerialized form, for which they may contact their respective Depository Participant, where they maintain their respective de-mat account.



9. अंतरणों के लिए प्रस्तुतीकरण

शेयर प्रमाण-पत्रों को अंतरण विलेखों के साथ बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के पास निम्नलिखित पते पर भेजा जाना चाहिए-
 मैसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्रा. लि.
 (इकाई : बैंक ऑफ़ बड़ौदा)
 प्लॉट सं. 17-24, विठ्ठलराव नगर,
 इमेज हॉस्पिटल के निकट,
 माधापुर, हैदराबाद - 500 081
 टेलीफोन : 040 2342 0815 से 820
 फैक्स : 040 2342 0814
 ई-मेल : einward.ris@karvy.com

10. दावा न किए गए लाभांश, यदि कोई हो

जिन शेयरधारकों ने पिछले वर्षों के अपने लाभांश पत्रों का नकदीकरण न कराया हो अथवा लाभांश पत्र उन्हें प्राप्त न हुए हों, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे बैंक के रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट हैदराबाद अथवा बैंक के निवेशक सेवाएं विभाग, मुंबई से निम्नलिखित पते पर सीधे संपर्क करें: निवेशक सेवाएं विभाग
 बैंक ऑफ़ बड़ौदा, प्रथम तल, बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर
 सी-26, जी-ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
 बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051
 ई-मेल - investorservices@bankofbaroda.com

शेयरधारक कृपया नोट कर लें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 में संशोधन के फलस्वरूप बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) तथा वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 के मद्देनजर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे उक्त अधिनियम लागू होने के फलस्वरूप भुगतान हेतु/दावा हेतु शेष लाभांश की राशि तथा उक्त अधिनियम लागू होने के बाद घोषित लाभांश "अप्रदत्त लाभांश खाते" में अंतरित करें.

"अप्रदत्त लाभांश खाते" में अंतरित राशि राशि और अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि ये अदावाकृत/अप्रदत्त राशि को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 (सी) की उप धारा (I) के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित है. इस राशि का उपयोग कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 सी के अंतर्गत उल्लिखित उद्देश्य से तथा यथाविधि किया जाएगा और उसके पश्चात इस संबंध में भुगतान के लिए कोई दावा बैंक को या निधि को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा.

11. सदस्यों से अनुरोध

कृपया नोट करें कि वार्षिक सामान्य बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वितरित नहीं की जाएंगी. अतः सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की प्रति साथ लेकर आएं.

9. Lodgments for Transfers

Share Certificate along with transfer deed should be forwarded to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent at the following address.
 M/s Karvy Computershare Private Ltd.,
 (Unit :- BANK OF BARODA)
 Plot No. 17-24, Vithalrao Nagar,
 Near Image Hospital, Madhapur,
 Hyderabad – 500 081
 Phone No. 040 2342 0815 to 820, Fax No. 040 2342 0814
 E- mail : einward.ris@karvy.com

10. Unclaimed Dividend, if any

The Shareholders who have not encashed their dividend warrants for the previous years are advised to approach the Bank's Registrar and Share Transfer Agent at aforesaid address or at Bank's Investors' Services Deptt. at Mumbai on the following address :
 Investors' Services Deptt
 Bank of Baroda, 1st Floor, Baroda Corporate Centre,
 C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex,
 Bandra (E), MUMBAI - 400 051.
 E-mail - investorservices@bankofbaroda.com

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to amendment in Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide "The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) And Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, Public Sector Banks are required to transfer amount remaining unpaid/unclaimed in dividend accounts of earlier years on the commencement of the aforesaid Act, and also dividend declared after the commencement of the said Act, to "Unpaid Dividend Account".

The amount transferred to the said "Unpaid Dividend Accounts" and remaining unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund established under sub-section (I) of section 205 C of the Companies Act, 1956, which shall be used for the purpose and in the manner specified in section 205 C of the Companies Act, 1956 and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof to the Bank or the Fund.

11. Request to Members

Please note that copies of the Annual Report will not be distributed at the Annual General Meeting and hence members are requested to bring their copies of the Annual Report at the meeting.

निदेशकों की रिपोर्ट

“**आ**पके निदेशकगण बैंक की 104वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष (वित्तीय वर्ष 12) के लेखा-परीक्षित तुलन पत्र, लाभ-हानि लेखा और व्यवसाय एवं परिचालन संबंधी रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करते हैं.”

कार्यनिष्पादन

- कुल कारोबार (जमा एवं अग्रिम) बढ़कर **₹.6,72,248 करोड़** हो गया। इस प्रकार इनमें **25.86%** की वृद्धि हुई।
- सकल लाभ एवं शुद्ध लाभ क्रमशः **₹.8,580.62 करोड़** एवं **₹.5,006.96 करोड़** रहा। शुद्ध लाभ में पिछले वर्ष की तुलना में **18.04%** की वृद्धि हुई।
- ऋण जमा अनुपात पिछले वर्ष के **86.77%** की तुलना में **86.86%** रहा।
- खुदरा ऋणों में **9.97%** की वृद्धि हुई और यह वित्तीय वर्ष 2012 में बैंक के सकल घरेलू ऋणों का **17.36%** रहा।
- वैश्विक परिचालनों में शुद्ध ब्याज अंतर (एनआईएम) ब्याज अर्जक आस्तियों के प्रतिशत के रूप में **2.97%** एवं घरेलू परिचालनों में **3.51%** के स्तर पर रहा।
- शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध गैर निष्पादक आस्तियां **0.54%** रहीं जबकि पिछले वर्ष यह **0.35%** थी।
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) बासेल II के अनुसार **14.67%** रहा।
- शुद्ध मालियत सुधर कर **₹.26,203.67 करोड़** हो गयी। इसमें **32.67%** की वृद्धि दर्ज हुई।
- वर्ष के दौरान बही मूल्य **₹.504.43** से बढ़कर **₹.637.37** हो गया।
- वर्ष के दौरान प्रति कर्मचारी कारोबार **₹.1,229 लाख** से बढ़कर **₹.1,466 लाख** हो गया।

खंडवार कार्य निष्पादन

वित्तीय वर्ष 12 के खंडवार परिणामों में राजकोषीय परिचालन (ट्रेजरी) का योगदान **₹.887.72 करोड़**, कार्पोरेट/होलसेल बैंकिंग का **₹.965.87 करोड़**, खुदरा बैंकिंग का **₹.2,782.37 करोड़** तथा अन्य बैंकिंग परिचालनों का योगदान

₹.2,959.73 करोड़ रहा। बैंक ने **₹.1,569.89 करोड़** के गैर आबंटित खर्च घटाने और **₹.1,018.84 करोड़** का करों के लिए प्रावधान करने के बाद **₹.5,006.96 करोड़** का कर पश्चात लाभ (पीएटी) अर्जित किया।

लाभांश

बैंक के निदेशकों ने 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए **₹.17 प्रति शेयर** का (₹.10/- के अंकित मूल्य पर) लाभांश प्रस्तावित किया है। इसमें कर सहित लाभांश के रूप में कुल व्यय **₹.812.29 करोड़** होगा।

पूंजी पर्याप्तता अनुपात

बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात काफी अच्छा है एवं 31 मार्च, 2012 को यह **बासेल II** के अंतर्गत **14.67%** है।

31 मार्च, 2012 को बैंक की शुद्ध मालियत **₹.26,203.67 करोड़** रही। इसमें चुकता पूंजी **₹.412.38 करोड़** और प्रारक्षित निधि (पुनर्मूल्यांकन निधि को छोड़कर) **₹.25,791.29 करोड़** शामिल है। **₹.4,194.67 करोड़** की राशि अर्जित लाभ में से प्रारक्षित निधि में अंतरित की गयी।

सेवानिवृत्ति तथा अन्य लाभों के लिए प्रावधान

वर्ष 2012 के दौरान बैंक ने उपदान में अंशदान के रूप में (₹.145.63 करोड़), पेंशन निधि के रूप में (₹.671.88 करोड़), अवकाश नकदीकरण के रूप में (₹.93.46 करोड़) तथा अतिरिक्त सेवानिवृत्त लाभ के रूप में (₹.80.97 करोड़) की राशि का उपचय आधार पर प्रावधान किया है। इन चारों श्रेणियों में प्रावधान की कुल राशि वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान **₹.991.94 करोड़** रही जबकि वित्तीय वर्ष 2011 के दौरान यह प्रावधान राशि **₹.1160.42 करोड़** थी। मार्च, 2012 के अंत में बैंक के पास इन शीर्षों के तहत उपलब्ध कुल आधारभूत निधि इस प्रकार थी: **₹.1,416.85 करोड़** (उपदान), **₹.5,935.62 करोड़** (पेंशन निधि), **₹.566.01 करोड़** (अवकाश नकदीकरण) तथा **₹.446.62 करोड़** (अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ)।

प्रमुख वित्तीय अनुपात

विवरण	वित्तीय वर्ष 12	वित्तीय वर्ष 11
औसत आस्तियों पर आय (आरओए) (%)	1.24	1.33
निधियों की औसत लागत (%)	5.64	4.67
औसत आय (%)	8.55	7.76
औसत ब्याज अर्जक आस्तियां (₹.करोड़ में)	3,47,223.21	2,82,109.79
औसत ब्याज वहन करने वाली देयताएं (₹.करोड़ में)	3,43,397.26	2,80,098.94
शुद्ध ब्याज मार्जिन (%)	2.97	3.12
लागत आय अनुपात (%)	37.55	39.87
प्रति शेयर बही मूल्य (₹.)	637.37	504.43
प्रति शेयर आय (₹.)	127.84	116.37



प्रबंधन विवेचन एवं विश्लेषण

वित्तीय वर्ष 2012 में आर्थिक परिदृश्य और वित्तीय वर्ष 2013 की संभावनाएं

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत सरकार ने वर्ष 2012 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का आकलन 6.9% किया है जो कि पिछले दो राजकोषीय वर्षों की 8.4% विकास दर से काफी कम है। वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान अर्थव्यवस्था को कृषि व सेवा क्षेत्र से काफी आधार मिला, तथापि औद्योगिक क्षेत्र में गिरावट बहुत ज्यादा रही। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि वित्तीय वर्ष 11 के 8.2% के स्तर से काफी गिरकर वित्तीय वर्ष 12 में 2.8% हो गई। औद्योगिक क्षेत्र के अंदर ही खनन, पूंजीगत वस्तुएं व मध्यस्थ वस्तु क्षेत्र में अत्यधिक दबाव बना रहा जिसने वित्तीय वर्ष 2012 में नकारात्मक विकास दर दर्ज की। अन्य कारकों जैसे लागत पर दबाव, कोयला व लौह अयस्क जैसे महत्वपूर्ण उत्पादों की कमी, भूमि अधिग्रहण तथा पर्यावरण स्वीकृति में अनिश्चयता, दिसम्बर, 2010 व 2011 के दौरान यूएस डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये में 19.0% की अत्यधिक गिरावट ने वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान निवेशगत माहौल को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।

वित्तीय वर्ष 10 व वित्तीय वर्ष 12 में निवेश व बचत की दरों में काफी गिरावट दर्ज की गई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के आकलन के अनुसार भारत की बचत दर वित्तीय वर्ष 10 के 33.5% से कम होकर वित्तीय वर्ष 12 में 31.3% हो गई तथा निवेश दर वित्तीय वर्ष 10 के 36.3% की तुलना में वित्तीय वर्ष 12 में 34.0% हो गई। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 12 के दौरान पूंजी निर्माण की कमी में प्रमुख बैंकों व वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या / आउट फ्लो में काफी धीमापन जैसे प्रत्यक्ष कारण रहे। विशेषतः 'धातु व धातुगत उत्पाद' व बिजली उद्योग में वित्तीय सहायता की अत्यधिक कमी रही।

पूरे वित्तीय वर्ष 12 में सुर्खियों में आई मुद्रास्फीति (होलसेल मूल्य सूचकांक) में लगभग 8.8% के साथ मुद्रास्फीति का जोखिम लगातार बना रहा। सितंबर, 2011 में यह मुद्रास्फीति 10.0% हो गई थी जो कि मार्च 2012 में कुछ खाद्यान्न की कीमतों में मौसमी गिरावट व अनुकूल आधारभूत प्रभावों के कारण 6.69% तक रही। मुद्रास्फीति को कम करने और मुद्रास्फीति में स्थिरता बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च, 2010 से अक्टूबर, 2011 के दौरान नीति दरों में 375 आधार बिंदुओं (बीपीएस) की बढ़ोतरी करने के बाद दिसम्बर, 2011 में अपनी नीति की समीक्षा की। बढ़ती हुई विकास स्फीति ने केन्द्रीय बैंक को यह संकेत दिया कि अब इसमें ज्यादा बढ़ोतरी की आवश्यकता नहीं रह गई और नीति दरों में भविष्य में कार्रवाई करनी होगी।

वित्तीय वर्ष 12 के दौरान व्यापार संतुलन में गिरावट तथा पूंजी आगमन में धीमेपन के कारण भारत के भुगतान संतुलन (बीओपी) पर निरंतर दबाव रहा। वित्तीय वर्ष 12 में निर्यात 21.0% (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि के साथ 304 बिलियन यूएस डॉलर रहा और आयात 32.2% की वृद्धि के साथ 489 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। इससे भारत का विदेशी व्यापार घाटा वित्तीय वर्ष 11 के 119 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर वित्तीय वर्ष 12 में 185 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। इसके साथ ही रुपये के मूल्य में हास, वैश्विक मांग में कमी के कारण वित्तीय वर्ष 12 में व्यापार घाटा, वैश्विक स्तर पर तेल की बढ़ती कीमतों के प्रभाव का अपर्याप्त अंतरण तथा

उससे संबंधित जैसे सोने व चांदी के भारतीय आयात की लोचहीन स्वरूप की तुलनात्मक कीमतें भी प्रमुख कारक रहीं। वित्तीय वर्ष 12 में भारत का चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4% तक होने की संभावना है। वित्तीय वर्ष 11 में एफआईआई (विदेशी संस्थागत निवेश) का बहुत ज्यादा प्रवाह होने के बाद वित्तीय वर्ष 12 में बढ़ते हुए वैश्विक जोखिम विमुखता व घरेलू नीतियों की चिंता के कारण एफआईआई प्रवाह 43.0% (वर्ष-दर-वर्ष) कम होकर 16.8 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। यह विदेशी संस्थागत निवेशकों का पिछले 3 वर्षों में सबसे कम निवेश था। वित्तीय वर्ष 12 में भारतीय एडीआर व जीडीआर में भी निवेश कम होकर 597 मिलियन यूएस डॉलर रह गया।

तथापि वित्तीय वर्ष 12 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 46.8 बिलियन यूएस डॉलर हुआ जोकि 34.0% (वर्ष-दर-वर्ष) वृद्धि थी। इसका श्रेय वेदांता अथवा ब्रिटिश बीपी जैसे बड़ी कंपनियों को ही जाता है।

वित्तीय वर्ष 12 के पहले चार महीनों में सामान्य रूप में भारतीय रुपये में गिरावट अगस्त, 2011 के अंतिम सप्ताह से दिसंबर, 2011 के मध्य तक यूएस डॉलर की तुलना में 18.3% रही। इसी प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक व सरकार द्वारा किए गए उपायों से विनिमय दर स्थिर रही। इन उपायों का उद्देश्य विदेशी बाजार में डॉलर की आपूर्ति बढ़ाना तथा सट्टेबाजी को कम करना था।

वित्तीय वर्ष 12 में कर की कम प्राप्ति, खराब विनिवेश प्राप्ति और अनुबंधितों में अत्यधिक खर्च के कारण केन्द्रीय सरकार का राजस्व घाटा 4.6% के लक्ष्य की तुलना में 5.9% हो गया।

इसी धारणा को वित्तीय वर्ष 13 में आगे बढ़ाते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने वार्षिक मौद्रिक नीतिगत वक्तव्य में सुधारते वैश्विक परिदृश्य तथा घरेलू निवेश सेंटीमेंट में सुधार की संभावना के परिप्रेक्ष्य में सामान्य मानसून का अनुमान लगाते हुए बेसलाइन सकल घरेलू उत्पाद में 7.3% की वृद्धि की संभावना व्यक्त की है। तथापि मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक के सुविधाजनक स्तरसे अधिक रहेगी और इसके 6.5% होने की संभावना है। जैसा कि वर्ष 2013 के केन्द्रीय बजट में संकेत किया गया है कि राजकोषीय सुधार तथा वित्तीय वर्ष 2013 के अन्य नीतिगत सुधारों के साथ-साथ कृषि, ऊर्जा व परिवहन क्षेत्रों में सुधार के फलस्वरूप निवेशगत गतिविधियों में सुधार होने की संभावना है।

वित्तीय वर्ष 12 में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का कार्य निष्पादन व वित्तीय वर्ष 13 की कार्य संभावनाएं

बढ़ी हुई मुद्रास्फीति, ब्याज दरों और आपूर्ति में रुकावटों की गहनता के कारण दिसम्बर, 2010 से भारत के वाणिज्यिक बैंकों के ऋण क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई। बैंक ऋण में वित्तीय वर्ष 2012 में 19.3% की वृद्धि और औसत जमाराशि में 17.4% की वृद्धि दर्ज हुई। यद्यपि वित्तीय वर्ष 12 की पहली तीन तिमाहियों में ऋण और जमाराशियों में अंतराल बहुत कम रहा लेकिन वित्तीय वर्ष 12 की चौथी तिमाही में जमाराशियों की वृद्धि में ज्यादा गिरावट के कारण यह अंतराल बहुत ज्यादा हो गया। इससे वित्तीय वर्ष 12 की चौथी तिमाही में वाणिज्यिक बैंकों की निर्भरता वित्त के गैर जमा राशि स्रोतों (उधारियां) पर ज्यादा हो गई।

यद्यपि बैंक ऋण वृद्धि में कमी सभी क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, सेवा व व्यक्तिगत ऋणों में हुई, तथापि भारतीय रिजर्व बैंक के डाटा में यह उल्लेख

किया गया है कि यह गिरावट मूलतः कृषि, रियल इस्टेट, होटल, रेस्टोरेंट, व्यवसायिक सेवाएं, टेली कम्यूनिकेशन, ऊर्जा, सीमेंट, टेक्सटाइल, लौह व इस्पात व अन्य वैयक्तिक वाहन ऋणों में अधिक परिलक्षित हुईं।

कार्पोरेट क्षेत्र में बढ़ता दबाव कार्पोरेट ऋण में बहुत अधिक उछाल के रूप में परिलक्षित हुआ, जिसे वित्तीय वर्ष 12 के दौरान कार्पोरेट ऋण पुनर्संरचना कक्ष के द्वारा पुनर्संरचित किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार भारतीय बैंकिंग क्षेत्र सामान्यतः वित्तीय वर्ष 12 में आर्थिक परिवेश में प्रतिकूल चयन की संभावनाओं से बचने के लिए जोखिम से बचता रहा। भारतीय रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय बैंकिंग उद्योग का सकल गैर निष्पादक आस्ति अनुपात में मार्च, 2011 के अंत से लेकर दिसंबर, 2011 के अंत तक 59 मूल आधारबिंदु (बीपीएस) हो गया और लगातार आर्थिक दबाव और जोखिम आधारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) में पूंजी के कारण आपके बैंकिंग उद्योग में उपर्युक्त अवधि के दौरान 91 बीपीएस हो गया। इन कारकों ने वित्तीय वर्ष 12 के दौरान बैंकिंग क्षेत्र में ऋण विस्तार पर नकारात्मक प्रभाव डाला, जिसके परिणामस्वरूप बैंक के आस्ति संविभाग से निवेश सरकारी प्रतिभूतियों की ओर हुआ।

संपूर्ण वित्तीय वर्ष 12 के दौरान नकदी की स्थिति लगातार कमी की रही तथापि नवंबर 2011 की शुरुआत में नकदी कमी कुल मांग और समयबद्ध देयताओं (एनडीटीएल) के 1% (+)/(-) के अनुकूल स्तर से भी कम रहा जिसके परिणामस्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक ने मुक्त बाजारगत परिचालन के रूप में मूल नकदी को प्रवाहित करने और नकद आरक्षित अनुपात में कटौती (जनवरी-मार्च 2012 के दौरान 125 बीपीएस) करने जैसे कदम उठाए। इसके परिणामस्वरूप नकदी प्रवाह काफी हद तक सहज हो सका।

वित्तीय वर्ष 13 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने समग्र सकल घरेलू उत्पाद में 7.3% की वृद्धि और मुद्रा आपूर्ति में 15.0% की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, वाणिज्यिक बैंकों की औसत जमाराशि में 16.0% और गैर खाद्य ऋण में 17.0% की वृद्धि आकलित की। बैंकों में प्रतिकूल आर्थिक परिवेश के बावजूद भी वित्तीय वर्ष 13 में बेहतर पूंजी आधार, संतुलित ऋण सम्मिश्रण, स्थायी निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएमएस) और कम वृद्धिशील बकाया अनुपात के कारण आय में अधिक वृद्धि होने की संभावना है।

जोखिम प्रबंधन

जोखिम लेन-देन का घटक है जिसमें कुछ हद तक नुकसान होने की संभावना है। वित्तीय संस्थानों में जोखिम विभिन्न अंतरालों, आस्तियों, देयताओं, आय में उतार चढ़ाव और नकदी के लेनदेन के कारण होता है। यद्यपि किसी संस्थान में जोखिम के स्वरूप व स्तर को निर्धारित किया जाना चाहिए जो कि विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। यह माना गया है कि सामान्यतः बैंकों के सामने ऋण, बाजार, नकदी, परिचालन, अनुपालन, विधि नियामक और प्रतिष्ठागत जोखिम होते हैं।

आपके बैंक के पास एक सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन है जहां जोखिमों का आकलन, निदेशक मंडल द्वारा जोखिम में निहित कारकों के आधार पर किया जाता है।

जोखिम प्रबंधन ढांचा

आपके बैंक के निदेशक मंडल के पास आपके बैंक में जोखिम प्रबंधन

स्वरूप को कार्यान्वित करने के दायित्व व अधिकार हैं। कार्यपालकों की जोखिम प्रबंधन समिति और निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति आपके बैंक में सघन जोखिम प्रबंधन पद्धतियों को लागू कर रही हैं।

निदेशक मंडल की एएलएम (आस्ति देयता प्रबंधन) की उप समिति और जोखिम प्रबंधन प्रभाग वित्तीय जोखिम संबंधी मामलों के बारे में निदेशक मंडल की सहायता करता है। आपके बैंक में पूर्ण जोखिम प्रबंधन विभाग है जिसके प्रभारी महाप्रबंधक हैं और जिसमें योग्य, प्रशिक्षित और अनुभवी कर्मचारियों की टीम है। आपके बैंक ने जोखिम प्रबंधन में निम्न कार्यों की देखरेख करने के लिए उच्च कार्यपालकों की एक समिति का गठन किया है।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) निर्णय लेने की इकाई है जो जोखिम प्रतिफल ब्याज दरों के रणनीतिपरक प्रबंधन और तरलता जोखिम के परिप्रेक्ष्य में तुलन पत्र के आयोजन के लिए जिम्मेदार है। अन्य व्यवसायिक मामलों के साथ साथ जमाराशियां व अग्रिमों के उत्पाद मूल्यनिर्धारण, वृद्धिशील आस्तियां और देयताओं की ऐच्छिक परिपक्वता प्रोफाइल आदि पर भी विचार करती है। यह आस्ति देयताओं के असंतुलन के बारे में भी कार्यनीति तय करती है।

ऋण नीति समिति (सीपीसी) पर विभिन्न उद्यमों पर होने वाली ऋण जोखिम कार्यनीतियां, जिनमें ऋण नीतियां बनाना और उन्हें कार्यान्वित करना शामिल हैं, और इस समिति पर आपके बैंक में जोखिम ऋण प्रबंधन कार्यों को नियमित रूप से मानिटर करने की जिम्मेदारी है।

परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) पर परिचालनगत जोखिम को कम करने के लिए स्पष्ट परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया का निर्धारण करने और उसे बनाए रखने के लिए आवश्यक उपाय करने व मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी है। समिति यह भी निगरानी करती है कि परिचालनगत ऋण प्रबंधन नीति के निर्धारित मानदंड और दिशा-निर्देशों का सख्ती से अनुपालन किया जाए।

जोखिम प्रबंधन नीति

आपके बैंक में विभिन्न प्रकार के जोखिमों का, प्रबंधन करने और कम करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियां व प्रक्रियाएं हैं। आपके बैंक में जोखिम प्रबंधन के विभिन्न कार्य प्रमुखों के सुलभ संदर्भ और दिशा-निर्देशों के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित आस्ति देयता प्रबंधन और समूह जोखिम नीति, घरेलू ऋण नीति, मिड सर्विस नीति, तुलन पत्र प्रकटन नीति (घरेलू), व्यवसाय निरन्तरता आयोग नीति, पिल्लर III प्रकटीकरण नीति, परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति, आन्तरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएपी), तनाव परीक्षण, ऋण जोखिम कम करना और संपार्श्विक प्रबंधन नीतियां हैं।

जोखिम प्रबंधन कार्यान्वयन व अनुप्रवर्तन पद्धति

तरलता जोखिम, ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनगत जोखिम आदि प्रमुख जोखिमों का मानिटरिंग प्रबंधन इस प्रकार है।

तरलता जोखिम

तरलता जोखिम आय अथवा पूंजी को होने वाला मौजूदा और संभावित



जोखिम है जो बैंक द्वारा देय हो चुकी देयताओं को बिना अस्वीकार्य हानि उठाए भुगतान न कर पाने के कारण पैदा होता है। तरलता जोखिम में निधित स्रोतों में गैर नियोजित कमी अथवा बदलाव का प्रबंधन करने की अक्षमता शामिल है। तरलता जोखिम बाजार की उन स्थितियों का निर्धारण न कर पाने और बदलावों को न समझ पाने के कारण पैदा होता है जो कि आस्तियों को शीघ्रता से तरलता में बदलने और मूल्य में न्यूनतम हास के साथ तरल करने की क्षमता को प्रभावित करती है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारतीय बैंकिंग पद्धति ने केन्द्रीय मौद्रिक प्राधिकारी द्वारा ऋण वृद्धि को संतुलित और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किए गए कुछ समायोजन के साथ कठोर व्यवस्थागत तरलता की स्थिति को दर्शाया। आपके बैंक में तरलता जोखिम को फ्लो पद्धति से संरचनागत तरलता अन्तराल रिपोर्ट की सहायता से दैनिक और पाक्षिक आधार पर तैयार की गई गतिशील अन्तराल रिपोर्ट द्वारा तीन माह के लिए आकलित किया जाता है। स्टाक एप्रोच के तहत आपके बैंक ने विभिन्न गतिविधियों जैसे दैनिक आधार पर ऋण देना, दैनिक आधार पर ऋण लेना, शुद्ध अल्पावधि ऋण लेना, शुद्ध ऋण ग्राहक जमा अनुदान और मूल आस्ति अनुपात आदि पर नियंत्रण की श्रृंखला स्थापित की है। जोखिम प्रबंधन विभाग में कार्यरत आस्ति देयता प्रबंधन कक्ष यह सुनिश्चित करने के लिए दैनिक आधार पर तरलता स्थिति की संवीक्षा करता है कि संबंधित समय सीमा में नकरात्मक तरलता अनुपात सहनशील सीमा से अधिक न हो। आपके बैंक की विशेषीकृत एकीकृत ट्रेजरी शाखा, मुंबई सभी विदेशी मुद्राओं की उपलब्धता के संदर्भ में घरेलू तरलता का आकलन करता है। विदेशी परिचालन के संदर्भ प्रत्येक क्षेत्र (टैरिटरी) निर्धारित अंतराल पर प्रत्येक प्रकार की अपनी मुद्रा की तरलता की स्थिति का आकलन करता है। आकस्मिकता की स्थिति निधियों की आवश्यकता का आकलन भी समय समय पर किया जाता है ताकि आपका बैंक निधियों की किसी भी कमी को पूरा करने के लिए तैयार रहे। आपके बैंक ने अपनी जमाराशियों के आधार में विवेकपूर्ण विविधता बड़ी जमाराशियों के स्तर पर नियंत्रण और साधारण बाजार की परिस्थितियों में निधियों की सुलभ उपलब्धता से अपनी तरलता का प्रबंधन किया है। आपके बैंक के पास बाजार द्वारा स्वीकार्य प्रतिभूतियां बहुत ज्यादा हैं जो कि आवश्यकता पड़ने पर बेची जा सकती हैं या रिपो ऋण या संपाश्विक के रूप में उनका उपयोग किया जा सकता है।

ऋण जोखिम

ऋण जोखिम को एक ऐसे जोखिम के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें ऋणकर्ता अथवा काउंटर पार्टियों की ऋण गुणवत्ता में गिरावट से जुड़ी संभावित हानियां निहित हैं। किसी भी बैंक के पोर्टफोलियों में अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा न करने की ग्राहक अथवा काउंटर पार्टी की अक्षमता अथवा अनिच्छा के कारण बाहरी चूक से हानियां पनपती हैं। ऋण गुणवत्ता में वास्तविक अथवा विद्यमान विकृतियों के फलस्वरूप पोर्टफोलियों मूल्य में कमी आने से भी हानियां हो सकती हैं। सामान्यतः ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में पहचान, परिमाणन अनुप्रवर्तन और ऋण एक्सपोजर पर नियंत्रण शामिल है।

बैंक में ऋण जोखिम प्रबंधन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि बैंक की जोखिम पहचान तथा ऋण प्रक्रियाओं में रिपोर्टिंग नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त और सुचारू रूप से कार्यशील है।

अपनी परिचालन इकाइयों के मार्गदर्शन हेतु बैंक में देशीय ऋण नीति, निवेश नीति, तुलनपत्र में शामिल न किए जानेवाले निवेशों से संबंधित नीति जैसी विभिन्न नीतियां विद्यमान हैं जिसमें बैंक के ऋण जोखिमों के लिए विभिन्न विवेकपूर्ण सुरक्षा उपाय किए गए हैं। बैंक ने उद्योग अध्ययन भी किए हैं ताकि जिन उद्योगों में बैंक ने भारी निवेश किया है, उनमें मौजूद

जोखिमों का पता चल सके और उभरते हुए उद्योगों की पहचान भी की जा सके परिचालन प्रमुखों को इन औद्योगिक रिपोर्टों के बारे में सूचित किया जाता है ताकि इन उद्योगों को उधार देते समय उस पर विचार किया जा सके।

बैंक ने विभिन्न ऋण रेटिंग मॉडल्स भी अपनाए हैं ताकि विशिष्ट ऋण संव्यवहारों से संबंधित जोखिम के स्तर को आंका जा सके। बैंक द्वारा अधिकांश व्यावसायिक ऋणों के जोखिम के आकलन हेतु सुदृढ़ रेटिंग मॉडल का उपयोग किया जाता है।

पीडी (चूक संभावताओं) के अलावा क्रेडिट रेटिंग मॉडल बैंक की कुछ अन्य तरीकों से भी सहायता करेगा जो कि इस प्रकार हैं :

- जोखिम भारित आस्तियों की गणना के लिए आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण (आधुनिक दृष्टिकोण) को अपनाना।
- अंतर्निहित ऋण जोखिम को ध्यान में रखते हुए विशेष मूल्य ऋण सुविधा।
- निहित ऋण जोखिम को ध्यान में रखते हुए समस्त ऋण जोखिम को मापना, उसका आकलन करना और ऋण जोखिम हेतु अपेक्षित प्रोफाइल तैयार करना।

काउण्टर पार्टी के स्तर पर ऋण जोखिम का मूल्यांकन करने के अतिरिक्त बैंक के पास संविभाग स्तर पर ऋण जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त प्रक्रिया एवं पद्धति है। बैंक नियमित अंतरालों पर ऋण संविभाग की समीक्षा करता है ताकि ऋण संविभाग की गुणवत्ता में सुधार हो सके या कुछ ऋणियों / क्षेत्रों / उद्योगों में ऋण संकेंद्रण के प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सके।

बाजार जोखिम

बाजार जोखिम बाजार द्वारा निर्धारित दरों और मूल्यों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण संभावित हानियों के रूप में होता है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य बैंक की आय और इक्विटी के साथ तुलन-पत्र एवं संरचनात्मक स्थिति को क्षति पहुंचाने वाले अत्यधिक एक्सपोजर से बचना और वित्तीय लिखतों जैसे प्रतिभूतियों विदेश विनियम संविदाएं, इक्विटी तथा डेरीवेटिव लिखतों में निहित उतार-चढ़ाव में बैंक के एक्सपोजर को कम करना है। वित्तीय मध्यस्थ के रूप में बैंक के समक्ष मुख्य जोखिम ब्याज दर जोखिम है, जो कि बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन कार्यकलापों के कारण उत्पन्न होता है।

बैंक के बाजार से संबद्ध अन्य जोखिमों में विदेशी मुद्रा स्थिति पर विदेशी मुद्रा जोखिम, नकदी अथवा नियमित जोखिम और ट्रेडिंग पोर्टफोलियों पर मूल्य जोखिम है।

बैंक ने अपने ट्रेजरी कार्यों के नियंत्रण और उनकी निगरानी हेतु स्पष्ट नीति बनाई है। इन नीतियों में प्रबंधन नीतियों, प्रक्रियाओं, विवेकसम्मत ऋण सीमाओं, समीक्षा प्रणाली और रिपोर्टिंग पद्धतियों का समावेश है। वित्तीय और बाजार स्थितियों में परिवर्तन के अनुरूप इन नीतियों में आवधिक रूप से संशोधन किया जाता है।

ब्याज दर जोखिम का आकलन ब्याज दर अस्थिरता अन्तराल रिपोर्ट तथा जोखिम आय के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा बैंक मासिक आधार पर अवधि, संशोधित अवधि, निवेश पोर्टफोलियों के जोखिम मूल्य, जिसमें स्थायी आय प्रतिभूतियां, इक्विटीज तथा विदेशी मुद्रा पोजीशन शामिल हैं, गणना करता है। बैंक, अल्पवधि ब्याज दर जोखिम

की मॉनिटरिंग, शुद्ध ब्याज आय (एनआरआई) तथा दीर्घ अवधि ब्याज जोखिम की मॉनिटरिंग इक्विटी के आर्थिक मूल्य (ईवीई) को ध्यान में रखते हुए करता है। ट्रेजरी के संदर्भ में वेल्यू एट रिस्क की गणना 99.0% कॉन्फिडेंस लेवल पर 10 दिन की होल्डिंग अवधि के आधार पर की जाती है। अस्थिरता विश्लेषण तथा इक्विटीज के माध्यम से स्थिर ब्याज निवेश पोर्टफोलियों की स्ट्रेस जांच परिस्थितिगत विश्लेषण के माध्यम से नियमित रूप से की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के आधार पर बैंक, इक्विटी प्रभाव के आर्थिक मूल्य का तिमाही आधार पर आकलन कर रहा है।

परिचालन जोखिम

अपर्याप्त अथवा असफल आंतरिक परिचालन प्रक्रिया, मानव और पद्धति अथवा बाह्य तत्वों के कारण होने वाले हानि जोखिम को परिचालन जोखिम कहा जाता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति के पास बैंक के परिचालन जोखिम पर नियंत्रण रखने का प्राधिकार एवं जिम्मेदारी है। बैंक, अपनी आंतरिक पद्धतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा और इनके विधिवत अनुपालन द्वारा परिचालन जोखिम पर नियंत्रण रखता है। बैंक प्रति छमाही आधार पर परिचालन जोखिम संबंधी आंकड़ों का संग्रहण एवं विभिन्न अलग-अलग पैरामीटरों पर इनका विश्लेषण करता है और जहां कहीं जरूरी हो, वहां अविलंब सुधार के उपाय किए जाते हैं।

बासेल II का बैंक द्वारा अनुपालन

बैंक की, अन्य भारतीय बैंकों की तुलना में विदेशों में व्यापक उपस्थिति है और इसलिए 31 मार्च, 2008 से इसने बासेल II दिशानिर्देशों को कार्यान्वित कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखकर बैंक ने ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, परिचालन जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण को अपनाया है। इस प्रकार बैंक, बासेल I तथा बासेल II दिशानिर्देशों के तहत समानान्तर आधार पर जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) में पूंजी की गणना कर रहा है। बैंक बासेल II दिशा-निर्देशों के तहत परिचालन जोखिम हेतु अतिरिक्त पूंजी का प्रावधान कर रहा है।

बैंक के सीआरएआर को निम्नानुसार सांराशीकृत किया गया है।

दिनांक	बासेल I	बासेल II
31.03.2010	12.84 %	14.36 %
31.03.2011	13.02 %	14.52 %
31.03.2012	12.95 %	14.67 %

बासेल II के मानदंडों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक के पिलर II दिशानिर्देशों के अनुपालन स्वरूप बैंक ने संभावित विभिन्न जोखिमों के संबंध में आंतरिक पूंजी का आकलन करने के लिए अपनी आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया नीति (आईसीएपी) तैयार की है। तनाव परीक्षण और परिवेश विश्लेषण का बैंक की वित्तीय तथा प्रबंधन क्षमता का विश्लेषण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ताकि विशिष्ट किन्तु संभावित परिस्थितियों में प्रभावशाली ढंग से परिचालन जारी रखा जा सके। बैंक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित तनाव परीक्षण नीति है जिसमें संभाव्य संवेदनशीलताओं की पहचान करने की विभिन्न तकनीकों एवं बैंक द्वारा उनको वहन करने की क्षमता का वर्णन किया गया है। बैंक ने आईसीएपी नीति के अनुसार अर्द्धवार्षिक आधार पर तनाव परीक्षण एवं आईसीएपी परीक्षण कराया है।

बासेल-II के पिलर 3 (अर्थात बाजार अनुशासन) का प्रयोजन प्रकटीकरण आवश्यकताओं का सेट तैयार करना है ताकि बाजार अनुशासन को प्रोत्साहित

करते हुए प्रतिभागियों को अनुप्रयोग के दायरे, पूंजी, ऋण निवेश, ऋण निर्धारण प्रक्रियाओं के बारे में प्रमुख सूचनाएं उपलब्ध हो और बैंक की पूंजी पर्याप्तता सुनिश्चित हो।

पिलर-III प्रकटीकरण त्रैमासिक तथा छमाही आधार पर तथा प्रत्येक वर्ष मार्च में वर्ष के अंत के प्रकटीकरण बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाते हैं। वर्ष के अंत के प्रकटीकरण बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित होते हैं और बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहते हैं।

बासेल-III की तैयारी : भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 मई, 2011 को बासेल-III के बारे में अंतिम दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। बासेल-II और बासेल-III के अंतर्गत न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं का तुलनात्मक विवरण नीचे प्रस्तुत है

मानदंड	बासेल II	बासेल III
सामान्य इक्विटी पूंजी	लागू नहीं	5.5%
टीयर-1 पूंजी	6%	7%
कुल पूंजी	9%	9%
पूंजी प्रत्यावर्तन बफर (वित्तीय और आर्थिक दबावों की अवधियों में हानियों की भरपाई हेतु प्रयुक्त होने वाली बफर पूंजी) (कामन इक्विटी के रूप में)	शून्य	2.5%

बासेल-III को दिशानिर्देशों के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए मानक है : (i) बैंक के तुलनपत्र की जोखिमी प्रवृत्ति के लिए अतिरिक्त मानक के रूप में न्यूनतम 4.5% का **लिवरेज अनुपात** (ii) **तरलता कवरेज अनुपात** (एल.सी.आर.) और **स्थिर निधियन अनुपात** (एनएसएफआर) के रूप में दो तरलता मानक।

जनवरी 2013 से जनवरी 2017 की समानांतर अवधि के दौरान बैंकों को 4.5% का न्यूनतम लीवरेज अनुपात बनाए रखने का प्रयास करना होगा. 01 जनवरी 2018 से समानान्तर अवधि प्रभावी हो जाने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियामक लीवरेज अनुपात निर्धारित किया जाएगा.

तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) के अंतर्गत बैंक के लिए अपेक्षित है कि वह 30 दिनों से अधिक की अपने कुल दबावग्रस्त शुद्ध नकदी प्रवाहों को कवर करने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्तावाली तरल आस्तियां रखे. शुद्ध स्थिर निधियन अनुपात (एनएसएफआर) के अंतर्गत बैंक के लिए यह अपेक्षित है कि वह विस्तारित दबाव की एक वर्ष अवधि लिए आवश्यक स्थिर निधियन राशि से अधिक स्थिर निधियन राशि उपलब्ध रखे.

बैंक के पास उसकी बहियों में उपलब्ध पूंजी की मात्रा और गुणवत्ता और मार्च 2012 को टीयर-1 की 93.05% कामन इक्विटी से यह आशा की जाती है कि बैंक बिना किसी अधिक कठिनाई के वित्तीय वर्ष 2014 तक बासेल-III की आवश्यकताओं को पूरा कर लेगा लेकिन इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए बैंक को वित्त वर्ष 2015 और उससे आगे पूंजीगत निधियाँ विशेष रूप से कामन इक्विटी फंड की पूर्ति करनी होगी.



ऋण निगरानी कार्य

बैंक ने अपनी ऋण आस्तियों की गुणवत्ता को सुरक्षित रखने के लिए अपने ऋण पोर्टफोलियो की सतत निगरानी हेतु एक प्रणाली बनायी है। बैंक के पास विभिन्न स्तरों पर अग्रिम खातों की मासिक जांच के लिए सुव्यवस्थित पद्धति है जो आस्तियों की गुणवत्ता में गिरावट को रोकने और समग्र ऋण संविभाग की गुणवत्ता सुधार हेतु समय पर कदम उठाने का कार्य करती है।

ऋण निगरानी के लिए कार्पोरेट स्तर पर महाप्रबंधक की देखरेख में एक अलग से विभाग तथा अंचल व क्षेत्रीय स्तर पर ऋण निगरानी के लिए विभागों का गठन सितम्बर 2008 से किया गया है। बैंक की घरेलू ऋण नीति के अनुरूप सभी अंचल/क्षेत्रीय कार्यालयों में स्लिपेज निवारक कार्य-दलों का गठन किया गया है। बैंक ने आरंभिक चरण में स्लिपेज को रोकने के उद्देश्य से विद्यमान मानदंड एवं दिशानिर्देशों के अनुरूप उपयुक्त प्रावधान को शामिल कर बैंक की घरेलू ऋण नीति को अनुकूल बना दिया गया है। बैंक ने ऋण निगरानी प्रक्रियाओं को असरदार बनाने की दिशा में आस्तियों की गुणवत्ता सुधारने, चिंताजनक क्षेत्रों की पहचान करने, विशेष ध्यान देने योग्य शाखाओं के निर्धारण और कार्यनीति तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया है। साथ ही समयबद्ध तरीके से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक ऋण नीति भी बनायी है।

कार्पोरेट स्तर पर ऋण निगरानी विभाग के मूल उद्देश्य निम्न प्रकार निर्धारित किए गए हैं:

- आरंभिक अवस्था में ऋण खाते की कमियों/संभावित चूक/शुरुआती अस्वस्थता को पहचानना।
- जब कभी भी किसी खाते में ऋण गुणवत्ता की क्षति अर्थात ऋण रेटिंग में गिरावट, एलसी/गारंटी की देयताओं को पूरा करने में देरी करने और ब्याज/किस्तें आदि की अदायगी में विलम्ब होने के संकेत मिलते हैं तो उन्हें रोकने के लिए समय पर उपयुक्त एवं सुधारात्मक कदम उठाना।
- कठोर अनुवर्ती कार्यवाही के माध्यम से आस्ति वर्गीकरण एवं ऋण रेटिंग में आने वाली गिरावट को रोकना।

- ऋण खातों की पुनः संरचना/पुनः समय निर्धारण/पुनः चरणबद्ध करने के लिए उपयुक्त मामलों की पहचान करना और साथ ही उपयुक्त एवं वास्तविक मामलों में पुनः वित्त प्रदान करना। सीडीआर कक्ष तथा अंचल एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से सम्पर्क स्थापित करना।
- खातों की समीक्षा एवं नियम तथा शर्तों के अनुपालन हेतु आवश्यक कदम उठाकर / नियमित रूप से अनुवर्ती कार्यवाही करके बैंक के ऋण संविभाग की गुणवत्ता में सुधार लाना।
- ऋण रेटिंग में सुधार करने के प्रयास करना।
- बीआइएफआर के अंतर्गत खातों की प्रगति पर निगरानी रखना।

अग्रिम खातों का पुनर्गठन

आस्ति गुणवत्ता को सुधारने हेतु सतत व्यवसाय रणनीति के रूप में बैंक द्वारा अग्रिम पोर्टफोलियो पर उद्योगवार और उधारकर्तावार रूप में ध्यान केन्द्रित किया गया ताकि वर्तमान स्थिति और भविष्य में आने वाली समस्याओं का विश्लेषण किया जा सके और अग्रिम खातों में अस्वस्थता / संभावित चूकों / संभावित न्यूनताओं की पहचान करके उचित और समय रहते सुधारात्मक उपाय करते हुए ऋण गुणवत्ता में क्षति को रोका जा सके।

बैंक के कार्पोरेट कार्यालय स्थित ऋण निगरानी विभाग द्वारा शुरुआती अस्वस्थता / संभावित चूक / न्यूनताओं की पहचान करने के लिए अनेक पहलें की हैं ताकि सुधारात्मक कार्यवाई की जा सके। इसमें स्लिपेज रोकने के लिए उपयुक्त मामलों के पुनर्गठन तथा आस्ति गुणवत्ता को बनाए रखना शामिल है। विभाग ने मासिक निगरानी रिपोर्ट (एमएमआर) के प्रारूप में संशोधन हेतु अंचल / क्षेत्रीय कार्यालयों से सुझाव मांगे। एमएमआर को संशोधित किया गया और इसे अधिक प्रभावी बनाने हेतु उसमें परिचालन इकाइयों से प्राप्त सुझाव शामिल किए गए।

वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान पुनर्गठित खातों के कुल बकाया की स्थिति 31 मार्च 2012 के निम्ननुसार थी।

वित्तीय वर्ष 2012 में पुनर्गठित ऋणों की बकाया राशि (घरेलू) (31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार

(₹ करोड़ों में)

विवरण	सी डी आर पद्धति	एस एम ई पुनर्गठन	अन्य	कुल	
पुनर्गठित मानक अग्रिम	ऋणियों की संख्या	16	274	9,596	9,886
	बकाया राशि	1,534.03	435.31	6,276.61	8,245.95
पुनर्गठित अव मानक अग्रिम	ऋणियों की संख्या	0	5	2,042	2,047
	बकाया राशि	0	10.38	5.09	15.47
पुनर्गठित संदिग्ध अग्रिम	ऋणियों की संख्या	0	2	40	42
	बकाया राशि	0	1.93	2.06	3.99
कुल	ऋणियों की संख्या	16	281	11,678	11,975
	बकाया राशि	1,534.03	447.62	6,283.76	8,265.41

उपरोक्त घरेलू पुनर्गठन के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों में बैंक ने वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान रु. 613.78 करोड़ की बकाया राशि (31 मार्च 2012 को) के खातों का पुनर्गठन किया गया।

आपके बैंक ने अपने ऋण पोर्टफोलियो की आस्ति गुणवत्ता में सुधार के लिए बड़ी राशि वाले अग्रिम खातों में खातों की समीक्षा, शर्तों एवं नियमों का अनुपालन, क्रेडिट रेटिंग में अपग्रेडेशन इत्यादि का कार्य तेजी से सुनिश्चित करने के लिए विशेष अनुवर्ती कार्यवाही भी शुरू की है।

आर्थिक आसूचना इकाई

बैंक के कार्पोरेट कार्यालय में कार्यरत विशेष आर्थिक आसूचना इकाई, नीतिपरक व्यवसाय आयोजना, निवेशक संबंध एवं ऋण तथा आस्ति देयता प्रबंधन बाजार जोखिम प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में उच्च प्रबंधन वर्ग को सहयोग देती है। यह इकाई नियमित रूप से उच्च प्रबंधन वर्ग तथा बैंक की विभिन्न परिचालन इकाइयों को समय समय पर प्रमुख क्षेत्रों में जैसे औद्योगिक एवं संगठनात्मक विकास, मुद्रा स्फीति ब्याज दर, स्टॉक संचालन, ऋण विस्तार एवं बैंकिंग उद्योग हेतु संसाधन जुटाना, तरलता एवं विनिमय दरों जैसे प्रमुख क्षेत्रों के संबंध में आवधिक रूप से जानकारी प्रदान करती है।

व्यापक आर्थिक पहलुओं, कार्पोरेट और वित्तीय क्षेत्र की नीतियों के संबंध में बेहतर समझ प्रदान कर बैंक ऑफ बड़ौदा की आर्थिक आसूचना इकाई व्यावसायिक अवसरों का अधिकतम फायदा उठाने हेतु बैंक के प्रयासों और बाजार के समीकरणों के हिसाब से अपने को अनुकूल बनाने में सहयोग प्रदान करती है।

आर्थिक आसूचना इकाई द्वारा व्यापक आर्थिक पहलुओं, विनिमय संबंधी प्रगति के संबंध में एक साप्ताहिक ई-बुलेटिन का प्रकाशन किया जाता है। ताकि बैंकरों, निवेशकों, नियामकों व अन्य शीर्ष उद्योगों को अपने सरोकारों से अवगत कराया जा सके। यह इकाई आर्थिक गतिविधियों का सारांश प्रस्तुत करते हुए बैंक की बौद्धिक शक्ति के रूप में काम करती है जिसके आधार पर भविष्य में संतुलित कार्यनीतियां तैयार होती हैं।

आंतरिक नियंत्रण पद्धति

आपके बैंक ने वर्ष दर वर्ष उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करना जारी रखा है। साथ ही उसने आस्ति गुणवत्ता के संबंध में बिना समझौता किए गए तीन वर्षों में अपने व्यवसाय को दुगुना करने का रिकार्ड भी बनाए रखा है।

आपके बैंक के केन्द्रीय लेखा एवं परीक्षा प्रभाग ने व्यवसाय वृद्धि को बिना आहत किए बैंक के नियंत्रण एवं अनुपालन मानकों को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

बैंक का केन्द्रीय निरीक्षण एवं लेखा प्रभाग, प्रधान कार्यालय, बड़ौदा में स्थित है एवं यह अंचल मुख्यालयों पर स्थित अंचल निरीक्षण केन्द्रों के माध्यम से कार्य करता है और शाखाओं की जोखिम आंतरिक लेखा-परीक्षा के माध्यम से आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को बनाए रखता है। सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा (आई.एस.-ऑडिट) समवर्ती लेखा-परीक्षा तथा प्रबंधन लेखा परीक्षा, परिचालन इकाइयों द्वारा गुणवत्ता अनुपालन को बनाए रखना सुनिश्चित करते हैं।

नियमित शाखा निरीक्षण रिपोर्ट, आपके बैंक की प्रणाली एवं प्रक्रियाओं तथा परिचालन स्तर पर दिशानिर्देशों के अनुपालन स्तर के संबंध में प्रबंधन को सर्वाधिक व्यापक फीडबैक प्रदान करती है। इस प्रकार यह नियंत्रण स्थापित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। लेखा परीक्षित इकाइयों द्वारा रिपोर्टिंग प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रति-हस्ताक्षरित प्रस्तुत किए जाने-वाले, सुधार प्रमाणपत्रों के माध्यम से अनुपालन की निगरानी की जाती है।

बैंक की जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा के तहत सभी शाखाएं शामिल हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट जोखिम संरचना के अनुरूप जोखिम के स्तर एवं दिशा का आकलन किया जाता है जिससे प्रबंधन को उन उच्च जोखिम क्षेत्रों को निर्धारित करने में सहायता मिलती है, जिन पर अलग से ध्यान दिए जाने की जरूरत है। शाखाओं के जोखिम वर्गीकरण की स्थिति की समीक्षा निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा त्रैमासिक आधार पर की जाती है। वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान आर.बी.आई.ए. के तहत 2769 शाखाओं का निरीक्षण किया गया। लगभग 1893 शाखाएं (68.36%) न्यून जोखिम, 748 शाखाएं (27%), मध्यम जोखिम एवं 128 शाखाएं (4.63%) उच्च जोखिम श्रेणी में थे।

बैंक की शाखाओं के कोर बैंकिंग प्लेटफार्म पर शत प्रतिशत माइग्रेट होने के पश्चात आई.एस. लेखापरीक्षा का कार्य आई.टी. संबंधित जोखिम प्रबंधन प्रणाली एवं प्रक्रियाओं को बैंक की आई.एस. लेखा परीक्षा नीति के अनुसार सुदृढ़ता आई. आपके बैंक का आई.एस. लेखा परीक्षा कक्ष विभिन्न रिपोर्टों के जनरेशन द्वारा अलग से निगरानी करने का कार्य भी करता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुरूप 50.0% के व्यवसाय को कवर करने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान 682 शाखाएं समवर्ती लेखा परीक्षा के अध्यधीन थीं। जिसके तहत कुल 62.0% जमा राशियां तथा 81.0% अग्रिम एवं 70.0% समग्र व्यवसाय आता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार 3708 ऋण खातों की ऋण लेखा परीक्षा की गई। जिसमें रु. 2,32,802 करोड़ की निधि एवं गैर निधि ऋण सीमाएं शामिल थीं। ताकि ऋण मूल्यांकन की गुणवत्ता एवं बड़े ऋण खातों के संबंध में अनुपालन स्तर को बढ़ाया जा सके।

वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान बैंक के स्टाफ कॉलेज एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों तथा बाहरी प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों में जोखिम प्रबंधन संबंधी विषयों पर 2892 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया।

निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति के दिशा-निर्देशों में बैंक के निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा का कार्य किया जाता है एवं यह सुनिश्चित किया जाता है कि बैंक की व्यावसायिक वृद्धि एवं हितों के साथ-साथ लगातार अनुपालन पर फोकस बना रहे।

परिचालन एवं सेवाएं

ग्राहकोन्मुखी प्रयास

उत्कृष्ट ग्राहक सेवा तथा ग्राहक संतुष्टि हमेशा से ही बैंक के रोजमर्रा परिचालन के मूल उद्देश्य रहे हैं। बैंक ग्राहकों की जरूरतों एवं संतुष्टि के प्रति हमेशा से ही अति संवेदनशील रहा है एवं ग्राहकों को सतत आधार पर उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने हेतु प्रौद्योगिकी, प्रक्रियाओं, उत्पादों एवं कर्मचारी कौशल के प्रति निरन्तर प्रतिबद्ध है।

हाल ही में बैंक ने शाखाओं में ग्राहक सेवा में सुधार हेतु अनेक उपाय किए हैं। साथ ही इसमें ग्राहक शिकायतों को तत्काल देर करने हेतु ग्राहक शिकायत निपटान प्रणाली को सुदृढ़ किया है। आपके बैंक ने ऑनलाइन शिकायत ट्रेकिंग मोड्यूल (ओसीएम) क्रियान्वित किया है ताकि ग्राहक अपनी शिकायत के बारे में स्थिति पर भी नजर रख सकें।



कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलें नीचे दी गई हैं :

- अंतर बैंक बचत बैंक खाता पोर्टेबिलिटी सुविधा उपलब्ध कराना.
- बाहरी चेकों/लिखतों की वसूली में हुई देरी के संबंध में क्षतिपूर्ति राशि के स्वतः भुगतान को सिस्टम में अंतर्निहित कर दिया गया है.
- बड़ौदा कनेक्ट द्वारा ऑन-लाईन सावधि जमा सुविधा
- फिनेकल प्रणाली में दर्ज सभी खातों में नामांकन का पंजीकरण. सभी नए खुलनेवाले खातों में नामांकन उपलब्ध कराने चाहिए एवं ग्राहक द्वारा नामांकन करने / अस्वीकार करने को रेकार्ड किया जाना चाहिए. इस आशय हेतु सूचित भी किया गया है.
- उन सभी बचत खाता/चालू खाता तथा ओडी के ग्राहकों के लिए, जिनके मोबाइल नं. बैंक के रेकार्ड (सीबीएस प्रणाली) में दर्ज हैं, रु.50,000 एवं उससे अधिक लेनदेनों के संबंध में एस.एम.एस. एलर्ट सुविधा उपलब्ध कराई गई है.
- शाखाओं को निष्क्रिय खातों वाले ग्राहकों के खातों को पुनः सक्रिय किए जाने हेतु अनुरोध करने के लिए नोटिस भेजने हेतु सूचित किया गया.

शाखाओं के स्तर पर ग्राहक सेवा में सुधार के प्रयास

शाखा स्तरीय ग्राहक सेवा समिति की बैठकों, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों पेशनरों सहित समाज के हरके तबके को आमंत्रित किया जाता है, के माध्यम से ग्राहक सेवा की गुणवत्ता के संबंध में फीड बैक प्रदान किया जाता है. इन बैठकों के दौरान प्राप्त सुझावों/विचारों को समेकित कर शाखा स्तर पर ग्राहक सेवा के सुधार के संबंध में इनके कार्यान्वित किए जाने की व्यवहार्यता की जांच की जाती है.

बैंक सभी डिजीवरी चैनलों के माध्यमों से उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करने पर ध्यान दे रहा है. तथा ग्राहक संतुष्टि स्तर को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी कर अधिकतम इस्तेमाल कर विभिन्न प्रकार के ग्राहकों की विविध जरूरतों के लिए समुचित वैकल्पिक डिजीवरी चैनलों तथा ई-उत्पादों जैसे कि एटीएम/डेबिट कार्ड/पीओएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग इत्यादि. प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं के द्वारा ग्राहकों की संतुष्टि का स्तर बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है. ग्राहकों के विविध हितों तथा आकांक्षाओं का विभिन्न प्रक्रियाओं तथा पद्धतियों में सुधार करके ध्यान रखा जा रहा है.

अनुपालन

बैंक भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) का सदस्य है तथा बैंक ने बीसीएसबीआई द्वारा अगस्त 2009 में संशोधित ग्राहकों के प्रति बचनबद्धता संहिता तथा माइक्रो एवं लघु उद्योगों के प्रति वचनबद्धता संहिता को अंगीकृत कर लिया है. बैंक की वेबसाइट पर संहिता प्रदर्शित की गई है और इसे शाखाओं में ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध कराया गया है.

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने वित्तीय वर्ष 2011 की वार्षिक मौद्रिक एवं ऋणनीति की घोषणा करते समय प्रस्ताव किया था कि सभी बैंकों को ग्राहक सेवा/ग्राहक सरोकारों से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श तथा समीक्षा करने के लिए 6 महीने में एक बार निदेशक मंडल की बैठकों में समय देना चाहिए. इसके अनुपालन में बैंक के निदेशक मंडल ने जनवरी - जून 2011 तथा जुलाई-दिसंबर 2011 में ऐसी दो समीक्षा बैठकें आयोजित

की. ये बैठकें बैंक के बोर्ड की दि. 27 अगस्त 2011 तथा 13 अप्रैल 2012 को हुई बैठकों के दौरान आयोजित की गईं.

निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति

बैंक ने, बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में ग्राहक सेवा के लिए निदेशक मंडल की उपसमिति का गठन किया है. 31 मार्च 2012 को इस समिति में निम्नलिखित सदस्य थे.

1. श्री एम.डी. मल्या, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2. श्री राजीव कुमार बक्षी, कार्यकारी निदेशक
3. श्री एन.एस. श्रीनाथ, कार्यकारी निदेशक
4. डॉ. मशरत शाहिद, निदेशक
5. श्री मौलिन वैष्णव, निदेशक

उप समिति द्वारा नीतियों का निर्माण एवं अनुपालन की समीक्षा की जाती है, जिससे ग्राहक सेवा में सतत सुधार सुनिश्चित होता है. समिति द्वारा जमाकर्ताओं/लॉकर धारकों/सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं के जमाकर्ताओं संबंधी मृतक व्यक्तियों के 15 दिनों की अवधि से अधिक अवधि के निपटान हेतु लंबित दावों की स्थिति की निगरानी भी की जाती है. यह बैंकिंग लोकपाल के निर्णयों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करती है.

ग्राहक सेवा संबंधी स्थायी समिति

बैंक ने ग्राहक सेवा संबंधी प्रक्रिया तथा निष्पादन लेखा परीक्षा की स्थायी समिति गठित की है. इस समिति में बैंक के दोनों कार्यकारी निदेशक, 4 महाप्रबंधकों सहित 3 प्रतिष्ठित व्यक्ति सदस्यों के रूप में शामिल हैं, यह समिति ग्राहक सेवा के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के समय पर प्रभावी कार्यान्वयन के लिए गठित की गई है. साथ ही यह बैंक में प्रचलित व्यवहारों एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा करने एवं निरन्तर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करते रहने का भी कार्य कर रही है.

शाखा स्तर पर ग्राहक सेवा समिति की बैठकों में जो सुझाव आते हैं, उन्हें क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से तिमाही आधार पर प्रधान कार्यालय द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है तथा इन्हें निष्पादक लेखा परीक्षा संबंधी स्थायी समिति के समक्ष रखा जाता है. फिर समिति की बैठकों का फीडबैक निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है.

ग्राहक केन्द्रित उपाय एवं शिकायतों का निपटान

- बैंक ने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ग्राहक शिकायत निवारण पॉलिसी तथा ग्राहक शिकायत निवारण प्रणाली बनाई है. बैंक से संबंधित शिकायतों के लिए प्रधान कार्यालय में महाप्रबंधक - प्रभारी परिचालन एवं सेवाएं विभाग, को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है. अंचल तथा क्षेत्रीय स्तरों पर अंचल प्रमुख तथा क्षेत्रीय प्रमुखों को संबंधित अंचलों तथा क्षेत्रों में नोडल अधिकारी नामित किया गया है. नोडल अधिकारियों के नाम तथा उनके टेलीफोन नम्बर सभी शाखाओं में प्रदर्शित किए गए हैं.

- ग्राहक सेवा तथा शिकायत निवारण प्रणाली के संबंध में समीक्षा नोट प्रत्येक तिमाही में निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाता है, जिसमें क्षेत्रीय कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय स्तर पर प्राप्त शिकायतों की स्थिति तथा ग्राहक सेवा में सुधार के लिए बैंक द्वारा उठाए गए कदमों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जानकारी दी जाती है.

- ग्राहक शिकायतों को पूरी तरह दूर करने तथा बाधा रहित ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों का विश्लेषण किया जाता है तथा समय पर समुचित कार्रवाई की जाती है ताकि भविष्य में इस प्रकार की शिकायतों की पुनरावृत्ति न हो.
- बैंक के पास ग्राहक सेवा के संबंध में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियां हैं तथा इन्हें बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है.

ग्राहकों की सुविधा हेतु परियोजना कार्यालय, बीसीसी, मुंबई के परामर्श में एक इन-हाउस **ऑनलाइन कंप्लेंट टैकिंग मॉड्यूल** विकसित किया गया है. प्रथम चरण में बैंक की सभी शाखाओं, क्षेत्रीय/अंचल कार्यालयों कार्यविभागों के लिए यूजर आईडी एवं पासवर्ड जनरेट करने का कार्य पूर्ण किया गया है. सभी क्षेत्रीय कार्यालय एवं कार्यविभागों ने सफलतापूर्वक शिकायत मॉड्यूल को एक्सेस किया. तदुपरांत बैंक की वेबसाइट के होम-पेज पर ऑनलाइन शिकायत का आयकॉन सक्रिय किया गया ताकि ग्राहक सरलता से इस तक पहुंच सकें.

"ऑनलाइन कंप्लेंट टैकिंग मॉड्यूल" की महत्वपूर्ण विशेषताएं नीचे दी गई हैं.

इससे शिकायतकर्ता साथ ही साथ संबंधित शाखा/क्षेत्र/अंचल तथा प्रधान कार्यालय पूर्णतः/क्षेत्र/अंचल तथा प्रधान कार्यालय के बारे में जानकारी प्राप्त करना संभव होता है.

- इससे सभी स्तरों पर संबंधित एस.एम.एस. रिपोर्टों को जनरेट करने की सुविधा मिलती है.
- इससे संबंधित प्राधिकारियों अर्थात शाखा/क्षेत्र/अंचल को शिकायत शीघ्र संतरित करना संभव होता है जिससे शिकायत के निपटान में लगनेवाले समय में काफी कमी आती है.
- संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि के दौरान कार्रवाई न किए जाने पर शिकायत स्वतः अगले प्राधिकारी को पहुंच जाती है. इसी प्रकार नियंत्रक कार्यालयों को शिकायत के शीघ्र निस्तारण के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करने में मदद मिलती है.
- इस मॉड्यूल के माध्यम से ग्राहक द्वारा सफलतापूर्वक शिकायत दर्ज करने संबंधी पावती संदेश के साथ एक टैकर आईडी जनरेट होता है.

निचले स्तर पर ग्राहक समितियों तथा विभिन्न अध्ययन /सर्वेक्षणों से प्राप्त फीडबैक/सुझावों के आधार पर बैंक ने समीक्षा वर्ष के दौरान शाखाओं में ग्राहक सेवा में सुधार लाने के लिए ग्राहकोन्मुख कदम उठाए तथा पहल की.

केवाईसी-एमएल-सीएफटी

अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड धनशोधन निवारक (एमएल) मानक/आंतंकवाद के वित्तपोषण को रोकना (सीएफटी) तथा पीएमएलए 2002 के अन्तर्गत बैंक का दायित्व

बैंक के पास निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित **केवाईसी-एमएल-सीएफटी** पॉलिसी है. यह नीति बैंक के केवाईसी मानदंडों, एमएल मानकों, सीएफटी उपायों का तथा धनशोधन निवारक अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के अन्तर्गत उपायों का मूल आधार है.

बैंक के **केवाईसी-एमएल-सीएफटी** कार्यान्वयन की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं.

- इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नकदी लेनदेन रिपोर्ट (**सीटीआर**) जनरेट करना और कम्प्यूटर के माध्यम से इन्हें वित्तीय आसूचना इकाई को प्रस्तुत करना.
- प्रणाली आधारित संकेतों (एलर्टस) को जनरेट करने हेतु एमएल सोल्यूशन का संस्थापन/कार्यान्वयन
- संदिग्ध लेनदेन रिपोर्टों (**एसटीआर**) का प्रणाली आधारित तरीके से पता लगाना तथा वित्तीय आसूचना इकाई को प्रस्तुत करना
- बैंक के ग्राहकों के खातों का प्रत्येक छमाही में प्रणाली आधारित जोखिम वर्गीकरण (एमएल के द्वारा) करना
- जाली मुद्रा/रिपोर्टों (**सीसीआर**) को वित्तीय आसूचना इकाई, आईएनडी नई दिल्ली को प्रस्तुत करना
- एफआईयू - आईएनडी को गैर लाभ संगठन लेनदेन रिपोर्ट (**एनटीआर**) प्रस्तुत करना

केवाईसी के पूर्ण अनुपालन से स्टाफ के साथ साथ ग्राहक को भी शिक्षित करने में मदद मिलती है, जिसके लिए बैंक ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं.

- बैंक ने ग्राहकों के लाभार्थ केवाईसी दस्तावेजों की सूची बैंक की वेबसाइट (www.bankofbaroda.com) पर प्रदर्शित की है.
- इसी प्रकार आंतरिक उपयोग के लिए बैंक के इन्ट्रानेट पर केवाईसी-एमएल पेज उपलब्ध कराया गया है जिस पर केवाईसी एमएल सीएफटी शिक्षण से संबंधित शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई गई है.
- बैंक के प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में केवाईसी-एमएल-सीएफटी दिशानिर्देशों से संबंधित नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं.
- भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय बैंक संघ तथा राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान में वरिष्ठ अधिकारियों/कार्यपालकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं.
- बैंक के प्रधान कार्यालय में दक्षता हासिल करने हेतु कार्पोरेट दृष्टिकोण तथा शाखाओं में केवाईसी ऑडिट हेतु सघन प्रयास किए जा रहे हैं.

बैंक ऑफिस परिचालन

रीजनल बैंक ऑफिस तथा सिटी बैंक ऑफिस

आपके बैंक ने दो प्रकार के बैंक ऑफिस - रीजनल बैंक ऑफिस (आरबीओ) तथा सिटी बैंक ऑफिस (सीबीओ) की अवधारणा को अंगीकार किया है. आरबीओ खाता खोलने के फार्मों (एओएफ) की केंद्रीकृत प्रक्रिया और वैयक्तिक चेक बुकों (पीसीबी) को जारी करने की केंद्रीकृत प्रक्रिया का संचालन करते हैं. आपके बैंक के 10 आरबीओ हैं - बड़ौदा, भोपाल, दिल्ली, कोयम्बतूर, मुंबई, लखनऊ, जयपुर, कोलकाता, पुणे, जमशेदपुर में एक-एक आरबीओ. 31 मार्च, 2012 तक 1298 शाखाओं के लिए खाता खोल रहे हैं. आरबीओ ने 11 लाख से अधिक खाते खोले हैं. आरबीओ 2115 शाखाओं के लिए वैयक्तिक चेक बुक जारी करते हैं और अभी तक उन्होंने 36 लाख से अधिक वैयक्तिक चेक बुके जारी की हैं.

सिटी बैंक ऑफिस आवक तथा जावक दोनों प्रकार के समाशोधन संव्यवहारों केन्द्रिकृत अपलोड के साथ-साथ सरकारी कलेक्शन तथा ईसीएस संव्यवहारों का कार्य करता है. आपके बैंक में 21 सीबीओ (सेवा



शाखाएं) हैं जहां प्रत्येक सिटी सेंटर में शाखाओं के लिए समाशोधन तथा आईसीएस को केन्द्रीकृत किया जाता है। 59 मुख्य शाखाओं (जहां स्थानीय शाखाओं के लिए समाशोधन का कार्य किया जाता है) में समाशोधन का केन्द्रीकृत कार्य भी शुरू भी किया गया है।

करेंसी चेस्ट तथा सरकारी कारोबार वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान खोले गये नये कारोबारी क्षेत्र

- आपके बैंक ने देशभर में ई-भुगतान के माध्यम से 116 कस्टम हाऊस लोकेशन पर सीमा शुल्क के भुगतान को क्रियान्वित किया है।
- कस्टम शुल्कों के प्रत्यक्ष भुगतान के लिए प्राधिकृत दो नई शाखाओं को मिलाकर आईसीईएम 1.5 सॉफ्टवेयर के साथ कुल 10 सीमा शुल्क लोकेशन इंटरफेस।
- पीपीएफ / एससीएसएस कारोबार का कार्य करने के लिए 267 अतिरिक्त शाखाएं प्राधिकृत की गईं।
- रेलवे के लिए ई-भाड़ा भुगतान युक्त यूटिलिटी स्थापित की गईं।
- ई-स्टाम्पों की बिक्री के लिए स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (एससीएचआईएल) के साथ करार संपन्न। यह व्यवसाय गुजरात, राजस्थान तथा दिल्ली राज्य में शुरू हो गया है।
- (1) महाराष्ट्र राज्य सरकार तथा (2) राजस्थान राज्य के लिए कार्य चल रहा है।
- वर्ष के दौरान (1) कर्नाटक (2) आंध्रप्रदेश (3) पश्चिम बंगाल (4) दिल्ली तथा (5) बिहार में बिक्री करों के ई-भुगतान का क्रियान्वयन।
- दमन एवं दीव के लिए राज्य करों के ई-भुगतान का प्राधिकार प्राप्त हो गया है।
- मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब तथा हरियाणा राज्य में पेंशन के भुगतान हेतु अतिरिक्त प्राधिकार प्राप्त हो गया है।
- नई पेंशन योजना के तहत स्वावलंबन योजना का क्रियान्वयन।
- आपके बैंक का पेंशन तथा जीवन बीमा निधि हेतु क्रियान्वयन एजेन्सी बैंक के रूप में चयन किया गया है।
- महाराष्ट्र में व्यवसाय कर के ई-भुगतान का कार्य 1 जनवरी, 2012 से शुरू हो गया है।
- आपके बैंक की सेवा शाखा, नई दिल्ली का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के ई-भुगतान हेतु नोडल शाखा के रूप में निर्धारण किया गया है और यह सुविधा मंत्रालय के सभी 11 भुगतान एवं लेखा कार्यालयों के लिए चालू कर दी गई है।
- आपके बैंक की नई दिल्ली की अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय शाखा का विदेश स्थित मिशन / जगहों के बीच विदेशी मुद्रा विप्रेषण हेतु विदेश मंत्रालय के साथ बैंकिंग व्यवस्था के रूप में निधियों के निपटान हेतु नोडल शाखा के रूप में चयन किया गया है।
- राजस्थान राज्य के राज्य सरकारी पेंशन भोगियों को पेंशन की प्रोसेसिंग एवं भुगतान हेतु केन्द्रीकृत पेंशन प्रोसेसिंग केंद्र की स्थापना का कार्य प्रक्रियाधीन है।
- रिलाइबल कॉलेज, गाजियाबाद के स्टाफ के वेतन खाते / छात्र खाते कैनवास किये गये।

- इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन, दिल्ली से अनुमति मिलने के बाद कांडला पोर्ट के साथ सहमति ज्ञापन निष्पादित किया गया।
- पोस्टल बिजनेस संबंधी ई-स्कॉल का क्रियान्वयन।

करेंसी प्रबंधन संबंधी कार्यनीति आयोजना (2011-14)

भुगतान प्रणाली में सुधार करने के लिए ग्राहक केंद्रित नवोन्मेषी कार्य के रूप में आपके बैंक ने करेंसी प्रबंधन 2011-14 संबंधी अपनी कार्य-नीति आयोजना के अंतर्गत नये करेंसी चेस्ट खोलने के लिए 26 नये केंद्रों (नीचे दिए उल्लेखानुसार) का निर्धारण किया है और इस प्रकार करेंसी चेस्टों की कुल संख्या 84 से बढ़कर 110 हो जायेगी।

क्र.	अंचल का नाम	तीन वर्षों में प्रस्तावित नये करेंसी चेस्ट
1.	बिहार, उड़ीसा एवं झारखंड अंचल	3
2.	पूर्वी अंचल	2
3.	बृहद मुंबई अंचल	0
4.	गुजरात परिचालन	1
5.	महाराष्ट्र एवं गोवा अंचल	2
6.	मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ अंचल	4
7.	उत्तरी अंचल	1
8.	राजस्थान अंचल	4
9.	दक्षिणी अंचल	2
10.	उत्तरप्रदेश एवं उत्तराखंड अंचल	7
कुल		26

सतर्कता

आपके बैंक के सतर्कता विभाग का यह प्रयास रहा है कि परिचालन स्तर तथा नियंत्रक कार्यालय स्तर पर कार्यरत स्टाफ को निवारक तथा अन्वेषक उपाय करने में सम्यक सावधानी एवं सतर्कता बरतने के लिए प्रोत्साहित तथा सक्षम बनाया जाये। इससे कार्य-दक्षता बढ़ाने के साथ-साथ ईमानदार स्टाफ के लिए सुरक्षा का माहौल तैयार करने में मदद मिलती है।

घोर लापरवाही के मामलों, जिनमें आपके बैंक की निधियां बचे जा सकनेवाले जोखिम में पड़ गईं और ऐसे मामले, जिनमें व्यवसायिक निर्णयों की वजह से हानि हुई, के बीच सावधानीपूर्वक अंतर किया जाता है। प्रत्येक मामले की आवधिक निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि जांच-पड़ताल तेजी से समाप्त हो और सभी संबंधितों को निष्पक्ष प्रतीत हो। यह सुनिश्चित करने का भी प्रयास किया जाता है कि जहां जरूरी हो, वहां पेनल्टी समय पर तथा उचित हो।

आपके बैंक ने अपने परिचालनों में अनियमितताओं के विनिर्दिष्ट मामलों का पता लगाने के लिए अंचल / कार्य प्राधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करके रखा हुआ है। जनता / ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों और धोखाधड़ी के मामलों एवं दूसरी अनियमितताओं की जांच पड़ताल तेजी से की जाती है और जहां कही जरूरी हो, वहां सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए अनुवर्ती कार्यवाही की जाती है।

मौजूदा प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं में खामियों / विसंगतियों की ओर संकेत करते हुए धोखाधड़ी के क्षेत्रों का अध्ययन सतत आधार पर किया जाता है ताकि परिचालनात्मक प्रक्रियाओं के नियंत्रण तथा उसको अद्यतन करने में सुधार लाया जा सके। ऐसी घटनाओं के घटित होने पर, संबद्ध प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं की विस्तृत जांच-पड़ताल संबंधित कार्य विभाग की सहायता से किए जाते हैं ताकि आपके बैंक के हितों पर संभावित प्रतिकूल असर डालनेवाले कारकों तथा प्रोसेस का उन्मूलन किया जा सके अथवा उसे न्यूनतम किया जा सके।

हमें यह उल्लेख करते हुए खुशी है कि अप्रैल 2011 से मार्च, 2012 तक के दौरान परिचालन स्टाफ द्वारा दिखायी गई जागरूकता, सावधानी तथा सतर्कता के कारण बेइमान लोगों द्वारा किये गये 45 धोखाधड़ी के प्रयास विफल किये गये और इससे आपका बैंक बड़ी वित्तीय क्षति से बचा।

कारोबार निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान व्यवसाय विकास के क्षेत्र में आपके बैंक की प्रमुख उपलब्धियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

संसाधन संग्रहण एवं आस्ति विस्तार

31 मार्च, 2012 को कुल संसाधनों में बैंक की जमा राशियों का अंश 86.04% रहा। कुल जमा राशियां 3,05,439.48 करोड़ रुपये से बढ़कर 3,84,871.11 करोड़ रुपये हो गई जो पिछले वर्ष से 26.01% की वृद्धि दर्शाती है। कम लागतवाली जमा राशियों में महत्वपूर्ण घटक बचत बैंक जमा राशियों में 15.71% की वृद्धि हुई और वह 64,454.04 करोड़ रुपये से बढ़कर 74,579.53 करोड़ रुपये हो गई। कुल जमा राशियों (घरेलू तथा वैश्विक) में कम लागतवाली जमा राशियों (चालू+जमा) का अंश 26.90% रहा है और घरेलू जमा राशियों में यह अंश 33.18% रहा।

वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान आपके बैंक के कुल अग्रिम में 25.67% की वृद्धि हुई जो कि घरेलू अग्रिमों में 19.28% और विदेशी अग्रिमों में 43.92% की वृद्धि के रूप में दिखाई दी।

निधियों की संरचना - वैश्विक

विवरण	मार्च 2011 को समाप्त रु. करोड़	मार्च 2012 को समाप्त रु. करोड़	वृद्धि %
जमा राशियां	3,05,439.48	3,84,871.11	26.01
- घरेलू	2,33,323.30	2,80,135.26	20.06
- विदेशी	72,116.18	1,04,735.85	45.23
उधार	22,307.85	23,573.05	5.67

वैश्विक अग्रिम

विवरण	मार्च 2011 को समाप्त	मार्च 2012 को समाप्त	वृद्धि %
अग्रिम	2,28,676.36	2,87,377.29	25.67
- घरेलू	1,69,407.86	2,02,075.39	19.28
- विदेशी	59,268.50	85,301.90	43.92

होलसेल बैंकिंग

सशक्त कार्पोरेट ऋण संस्कृति तथा ऋण में बैंकिंग उद्योग के औसत से अधिक वृद्धि पिछले चार वर्षों से बैंक ऑफ़ बड़ौदा के निरंतरक विभेदक कारक रहे हैं।

वस्तुतः आपके बैंक का होलसेल बैंकिंग प्रभाग सभी प्रकार के ऋण उत्पादों एवं सेवाओं यथा मीयादी ऋण, अल्पावधि ऋण, मांग ऋण, कार्यशील पूंजी सुविधाएं, व्यापार वित्त उत्पाद, ट्रेजरी उत्पाद, पूरक ऋण, सामूहिक ऋण, संरचनात्मक ऋण, विदेशी मुद्रा / ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ऋण, भावी किराया प्राप्तियों के पेटे ऋण तथा और भी कई प्रकार के ऋण अपने बड़े एवं मध्यम कार्पोरेट ग्राहकों को उनकी जरूरतों के अनुसार प्रदान कर रहा है। ऋण उत्पाद एवं सेवाएं लचीली हैं और ग्राहक की जोखिम प्रोफाइल तथा विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उपयुक्त रूप से निर्मित की गई हैं।

बेहतर उत्पाद डिलीवरी, उत्साहपूर्ण सेवा उन्मुख व्यवहार, ग्राहकोन्मुख दृष्टिकोण के साथ समय से व तत्काल मंजूरी प्रदान करने के आधार पर आपके बैंक ने अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों, घरेलू व्यापारिक घरानों तथा प्रमुख सार्वजनिक कंपनियों को होलसेल बैंकिंग उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान करके उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की हैं।

विभाग ने ऋण प्रशासन में सक्षम चैनलों के माध्यम तथा बेहतर पद्धतियों को अपनाते हुए तेजी से डिलीवरी पर ध्यान केंद्रित किया। वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान इसका भी प्रयास किया गया कि निर्णयों की गुणवत्ता से समझौता किये बिना त्वरित निर्णय लिये जायें।

वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान, भारतीय बैंकिंग उद्योग में गैर खाद्य ऋण वृद्धि सामान्यतः धीमी रही। तथापि, इस स्थिति के दौरान भी आपके बैंक के होलसेल प्रभाग ने अपनी फास्ट ट्रेक डेस्क के माध्यम से 130 नये संबंध बनाए विभाग ने देशभर में विद्यमान प्रोजेक्टों / यूनिटों वाले क्षेत्रों / उद्योगों को वर्ष के दौरान 60,955 करोड़ की नई / वर्धित ऋण सुविधाएं मंजूर की।

होलसेल बैंकिंग के तहत कार्पोरेट ग्राहकों को बड़े एवं मध्यम कार्पोरेट के रूप में निर्धारित किया जाता है। 150 करोड़ रुपये से 500 करोड़ तक की वार्षिक बिक्री टर्न ओवर वाली कंपनियों को मिड कार्पोरेट और 500 करोड़ रुपये से अधिक की वार्षिक बिक्री टर्न ओवर वाली कंपनियों को बड़े कार्पोरेट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

मिड कार्पोरेट सेगमेंट की संभावनाओं पर ध्यान देने और उसको सेवा प्रदान करने की जरूरत को समझकर आपके बैंक ने देशभर में विभिन्न संभाव्य केंद्रों में विशेषीकृत मिड कार्पोरेट शाखाएं खोलने का महत्वपूर्ण नवोन्मेषी कार्य किया। इन शाखाओं में अनुभवी तथा पेशवर सक्षम स्टाफ है। इस सेगमेंट को अधिक महत्व देते हुए आपके बैंक ने एक अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन परामर्शदायी फर्म के माध्यम से इन विशेषीकृत शाखाओं के लिए अपने स्टाफ का निर्धारण करने हेतु सुविधाजनक दक्षता तथा विशेषज्ञ क्षेत्र में ज्ञान हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की।

आपके बैंक ने एक और विशेषीकृत सीएफएस (कार्पोरेट वित्तीय सेवा) शाखा भी खोली है और इस प्रकार सीएफएस शाखाओं की कुल संख्या 11 हो गई है।



आपके बैंक के होलसेल बैंकिंग विभाग में सक्षम "प्रोजेक्ट वित्त प्रभाग" भी है। प्रोजेक्ट वित्त प्रभाग में विभिन्न क्षेत्रों के पेशावर लोग हैं और वे आपके बैंक तथा दूसरे बैंकों के ग्राहकों के लिए तकनीकी मूल्यांकन एवं व्यवहार्यता (टीईवी) का अध्ययन करते हैं। विभाग में ग्राहकों के सामूहिक घरेलू वित्तपोषण आवश्यकताओं के लिए सिडीकेशन डेस्क भी है। विभाग टीईवी अध्ययनों प्रोजेक्टों की पुनरीक्षा तथा सिडीकेशन डीलों के माध्यम से पर्याप्त शुल्क आधारित आय अर्जित करता है।

आपका बैंक सभी स्तरों पर ऋण प्रस्तावों के मूल्यांकन की गुणवत्ता तथा दक्ष प्रोसेसिंग को काफी महत्व देता है ताकि आस्ति गुणवत्ता को बनाये रखने के साथ-साथ इसको हासिल करने में कुशल तथा उत्साही कर्मचारियों के महत्व को रेखांकित किया जा सके। इस बात को ध्यान में रखकर आपके बैंक ने ऋण तथा फोरेक्स अधिकारियों के नियमित विकास पर निरंतर जोर दिया। आपके बैंक ने कैम्पस से विशेषज्ञ अधिकारियों की भर्ती के साथ-साथ पेशावर अनुभवी स्टाफ की भर्ती भी निरंतर जारी रखी।

रिटेल व्यवसाय

पूर्व की भांति वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान रिटेल व्यवसाय बैंक के समग्र व्यवसाय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा। वर्ष के दौरान रिटेल बैंकिंग के क्षेत्र में आपके बैंक के रिटेल कारोबार की विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

रिटेल ऋण के अंतर्गत वृद्धि

आपके बैंक की रिटेल ऋण बही में पांच प्रमुख उत्पाद शामिल हैं (जिनके नाम हैं होम लोन, आटो लोन, शिक्षा ऋण, ट्रेडर्स लोन और मोर्टगेज लोन) जो एक साथ मिलकर कुल रिटेल ऋण में 74.0% की हिस्सेदारी निभाते हैं और अन्य उत्पादों ने, जिनके नाम लाबोड/ओडीबीओडी हैं, वर्ष 2012 के दौरान कुल रिटेल ऋणों में 21.00 की हिस्सेदारी निभाई। इसके अतिरिक्त उत्पादों जैसे बडौदा पर्सनल लोन और विविध उत्पादों, जैसे डाक्टरों को ऋण, सरकारी प्रतिभूतियों के पेटे ऋण ने कुल रिटेल ऋणों में लगभग 5.0% का योगदान किया।

31 मार्च 2012 को कुल बकाया रिटेल ऋण 35,668 करोड़ रु. रहा, जबकि 31 मार्च 2011 को ये 32,435 करोड़ रु. के स्तर पर थे। वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान कुल रिटेल ऋणों के तहत 3233 करोड़ रुपए (9.97%) की वृद्धि दर्ज की गई जबकि वित्तीय वर्ष 2011 के दौरान यह वृद्धि 33.76% (8187 करोड़ रुपए) थी। वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान आपके बैंक के रिटेल व्यवसाय की वृद्धि, भारतीय बैंकिंग उद्योग में व्याप्त समग्र व्यवसाय क्षेत्र प्रवृत्ति के अनुरूप रही।

प्रमुख रिटेल उत्पादों के तहत वृद्धि

वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान पांच प्रमुख उत्पादों ने कुल रिटेल ऋणों में 74.0% का योगदान दिया और 3102 करोड़ रुपए (13.43%) की कुल वृद्धि दर्ज की जबकि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान यह 4095 करोड़ रुपए (21.56%) थी।

होम लोन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान 1594 करोड़ रुपए (12.71%) की कुल वृद्धि दर्ज हुई जबकि पिछले वर्ष यह 2227 करोड़ रुपए (21.59%) थी।

वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान आटो ऋण के तहत 384 करोड़ रुपए (18.76%) की कुल वृद्धि दर्ज हुई जबकि वित्तीय वर्ष 2011 के दौरान यह वृद्धि 612 करोड़ रुपए (42.58 %) थी।

वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान ट्रेडर्स ऋण के तहत 876 करोड़ रुपए (18.63%) की कुल वृद्धि दर्ज हुई जबकि वित्तीय वर्ष 2011 के दौरान यह 852 करोड़ रुपए थी (22.15%) थी।

वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान बडौदा मोर्टगेज ऋणों के तहत 97 करोड़ रुपए (4.68%) की कुल वृद्धि दर्ज की गई जबकि वित्तीय वर्ष 2011 के दौरान यह 176 करोड़ रुपए (9.40%) थी।

वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान शिक्षा ऋणों के तहत 150 करोड़ रुपए (8.72%) की वृद्धि दर्ज हुई जबकि वित्तीय वर्ष 2011 के दौरान यह 226 करोड़ रुपए (15.11%) थी।

लाबोड/ओडीबीओडी के तहत 2307 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई। बडौदा व्यक्तिगत ऋणों के तहत बयाना जमा हेतु ऋण की चुकौती के कारण 31 मार्च 2011 के स्तर के मुकाबले 2183 करोड़ रुपए की नकारात्मक वृद्धि दर्ज दी गई थी। विचाराधीन वर्ष के दौरान अल्पावधि ऋणों की चुकौती के कारण कुल रिटेल ऋणों के तहत कम वृद्धि हुई।

रिटेल ऋण के तहत एनपीए

31 मार्च 2012 को बैंक के रिटेल ऋणों के अंतर्गत गैर निष्पादक आस्तियों की राशि 682 करोड़ रुपए (1.91%) रही जबकि यह 31 दिसंबर 2011 को 662 करोड़ रुपए (2.13%) और 30 सितंबर 2011 को 649 करोड़ रुपए थी। 31 मार्च 2011 को एनपीए 580 करोड़ रुपए (1.79%) के स्तर पर था।

बचत बैंक जमाएं

31.3.2012 को आपके बैंक की समग्र बचत जमाएं 9611 करोड़ रु. (15.27%) की वृद्धि के साथ 72,570 करोड़ रुपए के स्तर पर रहीं जबकि 31.3.2011 को 62,959 करोड़ रु. थी। 31.3.2010 के स्तर के मुकाबले ये पिछले वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान 22.87% की वृद्धि के साथ 11,717 करोड़ रुपए थी।

रिटेल मीयादी जमाएं

31 मार्च 2011 के 95,325 करोड़ रुपए के स्तर के मुकाबले 31 मार्च 2012 को आपके बैंक की रिटेल मीयादी जमाएं 1,18,727 करोड़ रुपए के स्तर पर रही। इस प्रकार पिछले वित्तीय वर्ष के 12,295 करोड़ रुपए अर्थात 14.80% के मुकाबले 23,402 करोड़ रुपए अर्थात 24.55% की वृद्धि दर्ज हुई।

समग्र रिटेल जमाओं अर्थात बचत जमाओं के साथ रिटेल मीयादी जमाओं के तहत वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान 33013 करोड़ रुपए अर्थात 20.85% की कुल वृद्धि दर्ज की गई जबकि यह वित्तीय वर्ष 2011 में 24012 करोड़ रुपए अर्थात 17.88% थी।

वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान रिटेल बैंकिंग में नवोन्मेषी कार्य नये उत्पादों का शुभारंभ

बडौदा फर्स्ट वेल्थ पैक, जो दो उत्पादों का मिश्रण है जिसका नाम बडौदा फर्स्ट सेविंग बैंक और बडौदा फर्स्ट रेगुलर डिपॉजिट है, यूलिप और टर्म इन्श्यूरेंस प्लान नामक दो बीमा उत्पादों के साथ संयुक्त रूप से दिनांक 2 जनवरी 2012 को शुरू किया गया। मार्च 2012 की समाप्ति तक आपके बैंक द्वारा 53,516 पैक बेचे गए।



श्री एम. डी. मल्या, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा बड़ौदा फर्स्ट वैल्य पैक का शुभारंभ

- दिनांक 6 मार्च 2012 को बड़ौदा समृद्धि तिमाही आवर्ती जमा एवं बड़ौदा समृद्धि छमाही आवर्ती जमा योजना का शुभारंभ किया गया जिनका मुख्य उद्देश्य कृषि, स्व नियोजित एवं प्रोफेशनल आदि की सहायता करना है।
- व्यवसाय लीड प्राप्त करने और बिक्री व सेवा संस्कृति विकसित करने के लिए 163 बड़ौदा नवनिर्माण शाखाओं में बिक्री परिचालन मॉडल का शुभारंभ किया गया।

उत्पाद संशोधन

- वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान सभी मेट्रो एवं शहरी केन्द्रों पर निवासी भारतीयों और एनआरआई/पीआईओं को बड़ौदा आवास ऋण के तहत अधिकतम सीमा को मौजूदा 100 लाख रुपए से बढ़ाकर 300 लाख रुपए के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।
- आवास ऋण खातों के समयपूर्व समापन हेतु चुकौती प्रभारों को 15 दिसंबर 2011 से पूर्णतः माफ कर दिया गया।

व्यवसाय संबंधी पहलें

- **बचत बैंक जमा अभियान:** कम लागत जमा राशियों के संग्रहण के लिए 1 जून 2011 से दो माह के लिए बचत बैंक जमा अभियान की शुरुआत की गई। बढ़ती ब्याज दरों के परिदृश्य में बचत बैंक जमा संग्रहण की चुनौतियों को भांपते हुए इस अभियान की अवधि को 31 अगस्त 2011 तक बढ़ा दिया गया। बचत बैंक अभियान को गतिशील करने की दृष्टि से बचत बैंक अभियान को 2 जनवरी 2012 से



श्री एम. डी. मल्या, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पुणे में आयोजित "एक शाम सी.एम.डी के साथ" समारोह में पुरस्कार प्रदान करते हुए

31 मार्च 2012 तक पुनः चलाया गया। इसके अलावा विजेता शाखाओं और क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए "इवनिंग विथ सीएमडी" और "पिकनिक विथ स्टाफ" नामक विशेष प्रोत्साहन योजनाओं की शुरुआत की गई।

- **रिटेल ऋण अभियान:** आवास ऋणों और कार ऋणों पर विशेष ध्यान के साथ त्योहारों मौसम की संभावनाओं के दोहन और अनुकूल परिस्थितियों वाले वर्ष का लाभ उठाने की दृष्टि से 26 सितंबर से 30 नवंबर 2011 के दौरान एक रिटेल ऋण उत्सव अभियान का शुभारंभ किया गया। रिटेल ऋण अभियान की सफलता से प्रोत्साहित होकर इसे आटो ऋणों में आरओआई रियायतों को 0.25% से बढ़ाकर 0.50% करने के साथ 31 मार्च 2012 तक आगे बढ़ा दिया गया। बचत बैंक जमा अभियान और रिटेल ऋण अभियान दोनों के काफी अच्छे परिणाम रहे।
- **नए सिटी सेल्स ऑफिस खोलना:** वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान हल्द्वानी, रायबरेली, फैजाबाद, रायपुर, भोपाल, इंदौर, बेंगलूरु, गाजियाबाद और राजकोट में नौ सिटी सेल्स ऑफिस खोले गए।
- **नई रिटेल लोन फैक्ट्रियां खोलना:** वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान, हल्द्वानी, देहरादून और नासिक में तीन नई रिटेल लोन फैक्ट्रियां खोली गईं।
- **रियायतों के लिए अतिरिक्त विवेकाधीन शक्तियों का प्रत्यायोजन:** वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान नया व्यवसाय संगृहीत करने और रिटेल ऋण बही का विस्तार करने के लिए आपके बैंक के सभी अंचल प्रमुखों को बड़ौदा ट्रेडर्स ऋण पर लागू ब्याज दर में 100 बीपीएस की सीमा तक रियायत देने पर विचार करने हेतु अधिकार प्रदान किए गए।
- **समूह जीवन बीमा कवर उपलब्ध कराना:** वर्तमान में आवास ऋणों और शिक्षा ऋणों पर उपलब्ध सुविधा के अतिरिक्त आटो ऋणों और व्यक्तिगत ऋण उधारकर्ताओं के लिए समूह ऋण जीवन बीमा कवर अनुमोदित किया गया। वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान बीमाकर्ताओं द्वारा कुल 18 मृत्यु दावों का निपटान किया गया।
- **धोखाधड़ी निवारण के लिए अपनाई गई रणनीति:** रिटेल ऋणों के अंतर्गत धोखाधड़ी रोकथाम हेतु एक जांच सूची के जरिए शाखाओं द्वारा 3 नए विभिन्न उपायों के अलावा सत्यापन की पद्धति की भी शुरुआत की गई।
- **आवास ऋण सुरक्षा बीमा योजना:** (नेशनल इन्श्योरेंस कं.लि. के साथ टाई-अप व्यवस्था) के तहत विचाराधीन वर्ष के दौरान बीमाकर्ताओं द्वारा कुल दस दुर्घटना मृत्यु दावों का निपटान किया गया।

धन संपदा प्रबन्धन सेवाएं

अपने ग्राहकोन्मुखी प्रयासों के एक भाग के रूप में, आपका बैंक वर्ष 2004 से ही अपने एचएनआई एवं मूल्यवान ग्राहकों के लिए धन संपदा प्रबंधन सेवाएं उपलब्ध कराता रहा है। वर्तमान में आपका बैंक विभिन्न साझीदारों के साथ टाई अप व्यवस्था के तहत स्वास्थ्य बीमा को शामिल करते हुए, म्यूचुअल फंड और इक्विटी ट्रेडिंग जीवन बीमा, गैर जीवन बीमा में विभिन्न



अन्य पक्षीय उत्पाद उपलब्ध करा रहा है। इस क्षेत्र में और अधिक आगे बढ़ते हुए आपके बैंक ने म्यूचुअल फंड और जीवन बीमा में अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों के साथ दो संयुक्त उद्यम स्थापित किए हैं।

बडौदा पायोनियर असेट मैनेजमेंट कं.लि., इटली की पायोनियर इनवेस्टमेंट कं. के साथ म्यूचुअल फंड में आपके बैंक का संयुक्त उद्यम और आंध्र बैंक तथा यूके की एल एंड जी के साथ जीवन बीमा में एक संयुक्त उद्यम, इंडिया फर्स्ट लाइफ ने भारतीय बाजार में अपने को सफलतापूर्वक स्थापित किया और अपनी स्थापना से लेकर अपने कार्य निष्पादन में निरंतर सुधार किया।

वित्तीय वर्ष 2012 भारतीय इक्विटी के लिए अस्थिर रहा और व्यापक उतार चढ़ावों ने निवेशकों की समग्र भावनाओं को प्रभावित किया। परीक्षा की इस घड़ी में आपके बैंक ने अपनी कार्यनीतियां बदलीं और बाजार में आए आकस्मिक उतार-चढ़ावों से ग्राहकों को सुरक्षित करने की दृष्टि से एसआईपी रूट के माध्यम से म्यूचुअल फंड निवेशकों पर ध्यान केंद्रित किया। कार्यनीतियां सफल रहीं और इससे बड़ी संख्या में ग्राहक लाभान्वित हुए। आपके बैंक ने ग्राहकों में अनुशासित बचत/निवेश की आदत विकसित की और साथ ही अपने व्यवसाय में भी वृद्धि की। पिछले दो वर्षों के दौरान आपके बैंक ने एएसबीए(एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लाकड अमाउंट) के क्षेत्र को व्यापक करने और इसे चयनित शाखाओं तक विस्तारित करने और अपने नेट बैंकिंग ग्राहकों के लिए आन-लाइन सुविधा मुहैया कराने का प्रयास किया। वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान आपके बैंक ने उन ग्राहकों के लिए समूह असबा (ASBA) सुविधा का शुभारंभ किया जो ब्रोकर्स जैसे अन्य मध्यस्थों के माध्यम से आईपीओ/एफपीओ/एनएफओ आवेदन करना चाहते हैं।

यह उल्लेखनीय है कि धन संपदा प्रबंधन क्षेत्र के तहत आपके बैंक के प्रयास उत्साहवर्धक रहे हैं और इसने बैंक की समग्र ब्याज इतर आय में योगदान दिया है।

एमएसएमई व्यवसाय

माइक्रो, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण घटक है। यह व्यवसाय भारत के विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में कुल औद्योगिक उत्पादन का 40.0%, औद्योगिक इकाइयों का 95.0% तथा कुल रोजगार में 35.0% का योगदान देता है। एसएमई क्षेत्र में सेवा क्षेत्र - विशेषकर आईटी संबंधी सेवाएं, स्वागत सत्कार संबंधी सेवाएं, पर्यटन, कूरियर सेवाएं, परिवहन आदि का योगदान काफी महत्वपूर्ण है।



बृहत मुंबई अंचल द्वारा आयोजित एस एम ई ग्राहक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कार्यकारी निदेशक श्री एन. एस. श्रीनाथ

भारत में उभरती एसएमई पर पर्याप्त ध्यान केन्द्रित करते हुए आपका बैंक 150 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली अन्य वाणिज्यिक इकाइयों को एसएमई के समतुल्य मानते हुए इन पर विचार करता रहा है। एसएमई सेक्टर के विकास के लिए बैंक ने एक विशिष्ट एवं नूतन डिलीवरी मॉडल जैसे एसएमई लोन फैक्टरी शुरू की है जो वर्तमान में बैंक के 46 केन्द्रों पर संचालित है तथा इसे बाजार का समर्थन भी मिल रहा है। एसएमई लोन फैक्टरी, एसएमई ऋण प्रस्तावों को समय पर स्वीकृत करने हेतु प्रक्रिया को सरल बनाने का एक नवोन्मेषी मॉडल है। यह मॉडल केन्द्रीय प्रक्रिया कक्ष से युक्त है जो ऋण प्रस्तावों का नियत समयावधि में शीघ्र मूल्यांकन और इनकी स्वीकृतियों का कार्य देखता है। शाखाओं द्वारा जनरेट किए गए लीड्स पर सेल्स टीम अनुवर्ती कार्रवाई करती है। इसकी सफलता से प्रोत्साहित होकर आपका बैंक आगामी वर्ष में इस प्रकार की और अधिक लोन फैक्ट्रियां खोलने की योजना बना रहा है। बैंक की देश भर में सभी प्रमुख व्यावसायिक केन्द्रों, यथा आगरा, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बंगलूरु, बरेली, बडौदा, भीलवाड़ा, भुवनेश्वर, बलसाड़, भरूच, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बतूर तथा देहरादून, दिल्ली में दो, एर्नाकुलम, गांधीधाम, गोरखपुर, हैदराबाद, हल्द्वानी, इन्दौर, जयपुर, जमशेदपुर, जामनगर, जोधपुर, कानपुर, कोल्हापुर, कोलकाता, लखनऊ, लुधियाना, मुंबई में 3, मेरठ, मेहसाणा, नागपुर, नासिक, पुणे, पटना, राजकोट, रायपुर, सूरत, शाहजहांपुर, वाराणसी और विशाखापटनम पर एसएमई लोन फैक्ट्रियां हैं। इन एसएमई लोन फैक्ट्रियों ने गत वर्ष रुपए 14,530/- करोड़ की स्वीकृति की तुलना में वित्तीय वर्ष 2012 में कुल 18,619/- करोड़ रुपए की ऋण स्वीकृति प्रदान की है।

व्यवसाय में वृद्धि

31 मार्च 2012 को एमएसएमई क्षेत्र के अंतर्गत कुल बकाया राशि 34,512 करोड़ रुपए रही। गत तीन वर्षों में एमएसएमई क्षेत्र के तहत ऋणों में बढ़ोतरी निम्नलिखित तालिका में दर्शाई गई है।

वर्ष	वृद्धि (% वर्ष-दर-वर्ष)
2009-10	43.98%
2010-11	29.63%
2011-12	26.11%

वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान एमएसएमई ऋण के तहत अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि दर्ज की गई क्योंकि सितंबर 2009 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसरण में इस वर्ष खुदरा व्यापार के लिए स्वीकृत ₹ 20.00 लाख तक के अग्रिमों को पहली बार सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्रों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया।

वित्तीय वर्ष 2012 की प्रमुख उपलब्धियां



वर्ष 2010-11 में सेंट्रल जोन में पीएमईजीपी योजना के उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए श्री वीरभद्र सिंह, केन्द्रीय एमएसएमई मंत्री, भारत सरकार से पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री आर. के. बक्षी, कार्यकारी निदेशक

- गत वर्ष में ₹ 27,365 करोड़ के एस एम ई ऋण स्वीकृत किए गए थे जिसमें (26.11%) की दर से ₹ 7,147 करोड़ की वृद्धि हुई और यह आंकड़ा मार्च 2012 तक ₹ 34,512 करोड़ पहुंच गया।
- वित्तीय वर्ष 2012 में एस एम ई क्षेत्र को स्वीकृत ₹ 28,047 करोड़ की कुल अग्रिम राशि में सूक्ष्म उद्यमों को स्वीकृत ₹ 15,455 करोड़ की ऋण राशि, 55.10% रही है जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अनिवार्य लक्ष्य के अनुरूप है।
- एस एम ई अग्रिमों ने 31 मार्च 2012 तक आपके बैंक के सकल घरेलू अग्रिमों में 16.8% का योगदान किया है।
- मार्च 2012 की समाप्ति पर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को अग्रिम के संबंध में ₹ 27000 करोड़ के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में यह स्तर ₹ 28,047 करोड़ रहा।
- वित्तीय वर्ष 2012 की समाप्ति पर आपके बैंक ने 10 नई एस एम ई लोन फैक्ट्रियां तथा 08 नई एसएमई विशेषीकृत शाखाएं खोलीं।
- आपके बैंक ने अपने एमएसएमई व्यवसाय को गति देने के लिए वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान बड़ौदा चैनल फायनेंसिंग जैसे एक नए उत्पाद को पायलट आधार पर शुभारंभ किया है।
- आपके बैंक ने लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों के लिए बड़ौदा उद्यमी पुरस्कार का शुभारंभ किया है।

वर्ष 2012 के दौरान एमएसएमई वित्तपोषण संबंधी पहलें

1. आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान स्थानीय ग्राहकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पांच ग्राहक केन्द्रित एवं क्षेत्र विशिष्ट उत्पाद आरंभ किए हैं, जबकि विद्यमान 10 ग्राहक केन्द्रित एवं क्षेत्र विशिष्ट उत्पादों को नवीकृत किया।
2. आपके बैंक ने हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर में एआईएमए के सहयोग से उद्यमियों के लिए "मैनेजमेंट स्किल्स टू सोर्स फोइनेंसिंग एण्ड मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी बाइ एसएमई" पर कार्यशालाएं आयोजित कीं।
3. आपके बैंक ने 'प्रोटैक' (एसएमई क्रेडिट प्रस्तावों के लिए एक ई-ट्रैकिंग सिस्टम) की शुरुआत की है ताकि टर्नअराउंड समय पर उचित नियंत्रण रखा जा सके।
4. एसएमई अग्रिमों को बढ़ावा देने के लिए आपके बैंक ने दिनांक 01 जनवरी 2012 से 31 मार्च 2012 तक एसएमई त्यौहार मनाया। इस अवधि के दौरान स्वीकृत ऋणों के लिए ब्याज दर तथा सेवा प्रभारों में कुछ छूट की भी घोषणा की गई।
5. आपके बैंक ने सीजीटीएसएमई द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बैंक ऋण तथा क्रेडिट गारंटी की भूमिका पर आयोजित कार्यशालाओं में भाग लिया।
6. आपके बैंक ने विशेष अभियान के माध्यम से सीजीटीएसएमई के तहत कोलैटरल फ्री ऋण पर जोर दिया।
7. संवर्धित क्रॉस सेलिंग के माध्यम से समग्र ग्राहक संबंध की स्थिति हासिल करने के लिए विभिन्न स्थानों पर अनेक बैठकें आयोजित की गईं तथा राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न व्यापार संगठनों को संलग्न किया गया।

8. आपके बैंक ने प्रशिक्षण केन्द्रों और स्टाफ कॉलेज के माध्यम से बाह्य प्रशिक्षण तथा विशेष पाठ्यक्रमों के जरिए एसएमई लोन फैक्ट्रियों में कार्यरत प्रोसेसिंग/मार्केटिंग अधिकारियों को दक्ष बनाने एवं ज्ञान संवर्धन के लिए लगातार कार्यक्रम आयोजित किए।
9. आपके बैंक ने सभी को अवगत कराने तथा सर्वोत्तम एसएमई लोन फैक्ट्री को छमाही/वार्षिक आधार पर सम्मानित/पुरस्कृत करने के उद्देश्य से एसएमई लोन फैक्ट्रियों के कार्यनिष्पादन की मासिक आधार पर रैंकिंग प्रदान करने की शुरुआत की।
10. एमएसएमई उधारकर्ताओं के आवेदनों के संग्रहण हेतु आपके बैंक ने एमएसआईसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।



श्री एम. डी. मल्या, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा एस एम ई बुकलेट का विमोचन. साथ में हैं श्री एन. एस. श्रीनाथ, कार्यकारी निदेशक एवं श्री जे. रमेश, महाप्रबंधक (एसएमई एवं धन संपदा प्रबंधन सेवाएँ).

11. आपके बैंक ने अपने एसएमई उत्पादों तथा सीजीटीएसएमई योजना की जानकारी देकर उद्यमियों की सहायता करने हेतु एक प्रायोगिक मार्गदर्शिका तैयार की।
12. एसएमई खातों की रेटिंग के लिए आपके बैंक ने चार क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के साथ समझौता करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

ग्रामीण एवं कृषि बैंकिंग

आप जानते ही हैं कि आपका बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एवं कृषि ऋणों के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी रहा है। बैंक ने अपने 1,270 ग्रामीण शाखाओं तथा 1,045 अर्धशहरी शाखाओं के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण बाजार की विस्तृत संभावनाओं का निरंतर दोहन करता रहा है।

आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान भी ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में 314 नई शाखाएं खोली हैं।

आपके बैंक को उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान राज्यों में **राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी)** के संयोजक होने का गौरव प्राप्त है। आपका बैंक गुजरात (12), राजस्थान (12), उत्तर प्रदेश (15), उत्तरांचल (2), मध्य प्रदेश (2), एवं बिहार (2) राज्यों में 45 जिलों में अग्रणी बैंक की भूमिका निभा रहा है।

आपके बैंक ने विविध राज्यों में 1,300 शाखाओं के नेटवर्क और मार्च 2012 के अंत में रु.21,700 करोड़ के कुल व्यवसाय सहित पांच **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी)** को प्रायोजित किया है।

वर्ष 2012 में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋणों में कार्यनिष्पादन

बैंक के प्राथमिकता प्राप्त अग्रिम मार्च 2011 के अंत में रु. 57,364 करोड़ से बढ़ कर मार्च 2012 के अंत में रु. 68,527 करोड़ हो गए जो समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (एनबीसी) का 43.37% है, जबकि अनिवार्य लक्ष्य 40.00% है।

कृषि अग्रिम: आपके बैंक के प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम वर्ष के दौरान रु.4,266 करोड़ की समग्र वृद्धि एवं गत वर्ष की तुलना में 24.86% की बढ़त के साथ रु.21,423 करोड़ हो गए। आपके बैंक के कुल कृषि अग्रिमों में गतवर्ष की तुलना में 18.38% की वृद्धि हुयी और ये मार्च 2012 के अंत में रु.29,036 करोड़ हो गए। आपके बैंक के प्रत्यक्ष कृषि ऋण मार्च 2012 के अंत में समायोजित शुद्ध बैंक ऋणों (एनबीसी) का 13.56% रहे, जबकि अनिवार्य लक्ष्य 13.50% का है। इतना ही नहीं, कुल कृषि अग्रिम भी 18.00% के अनिवार्य लक्ष्य की तुलना में एनबीसी का 18.06% रहे।

आपके बैंक ने कृषकों को ऋण प्रदान करने हेतु अपने कृषि ऋण उत्पाद बड़ौदा किसान क्रेडिट कार्ड के तहत वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान 3,09,685 क्रेडिट कार्ड जारी किए। वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान आपके बैंक ने 3,73,283 नये किसानों को ऋण प्रदान किए। अपने माइक्रो वित्तपोषण के नवोन्मेषी प्रयासों के एक भाग के रूप में आपके बैंक ने 19,455 स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान रु. 214 करोड़ की राशि प्रदान की, जिसके फलस्वरूप स्वयं सहायता समूह ऋण सहबद्धता की कुल संख्या 1,54,397 एवं राशि रु. 1,171 करोड़ हो गयी।



अजमेर राजस्थान में बड़ौदा किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण - समारोह में श्री एच. आर. खान, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक एवं श्री एन. एस. श्रीनाथ, कार्यकारी निदेशक उपस्थित थे

व्यवसाय और सामाजिक पहलें

आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान ग्रामीण एवं कृषि ऋणों हेतु उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के प्रयोजन से अनेक नवोन्मेषी पहलों की शुरुआत की। इनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है :

1. कृषि अग्रिमों को बढ़ाने के लिए बैंक ने विशेष अभियान अर्थात फसली ऋणों के लिए खरीफ एवं रबी अभियान चलाये, जिनमें क्रमशः 3,676 करोड़ रु. तथा 2,013 करोड़ रु. की राशि संवितरित की गयी। निवेश क्रेडिट के लिए एक अन्य अभियान भी चलाया गया जिसके तहत 1,178 करोड़ रु. की राशि संवितरित की गयी।
2. आपके बैंक ने 5,944 ग्राम्य स्तरीय ऋण शिविर आयोजित किये और वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान 2,84,062 उधारकर्ताओं को रु.3,169 करोड़ की राशि संवितरित की।
3. बैंक ने पूरे देश में 450 थ्रस्ट शाखाओं का चयन किया है, जिसका

उद्देश्य कृषि ऋणों को बढ़ाना है। इन शाखाओं ने मार्च 2012 के अंत तक कुल कृषि ऋणों में 33% का योगदान किया है।

4. राइस मिल, कोल्ड स्टोरेज, कॉटन गिनिंग यूनिट, पोल्ट्री इकाइयों इत्यादि जैसे उद्योगों के संकेन्द्रण वाले क्षेत्रों हेतु आपके बैंक ने क्षेत्र विशिष्ट योजनाएं बनाई हैं, जो कि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल हैं। ब्याज दर प्रभार इत्यादि के संबंध में इन योजनाओं के तहत विशेष छूट प्रदान की गई ताकि अधिकतम व्यवसाय प्राप्त किया जा सके।

बड़ौदा ग्रामीण परामर्श केन्द्र (बीजीपीके) आपके बैंक के नवोन्मेषी प्रयासों में से एक है जिसके माध्यम से बैंक ग्रामीण समुदाय को ऋण के संबंध में सलाह, वित्तीय शिक्षा तथा अन्य सेवाएं जैसे कि कृषि उत्पादों की वैज्ञानिक ढंग से खेती इत्यादि कीमतों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। बैंक 31 मार्च 2012 तक 52 बड़ौदा ग्रामीण परामर्श केन्द्र स्थापित कर चुका है।

इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त 10 बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान, बड़ौदा आर-सेटी केन्द्र खोले गए। इसके साथ ही बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थानों की संख्या बढ़ कर 46 हो गयी है। इस प्रकार अब आपके बैंक के प्रत्येक अग्रणी जिले में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार आर-सेटी है। इनमें से अजमेर में खोला गया बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान पूर्णतः महिला उद्यमियों के लिए है। बीएसवीएस मूलतः ऐसे संस्थान हैं जिनका प्रयोजन स्वरोजगार उद्यम शुरु करने के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करना और अपेक्षित कौशल के संबंध में ज्ञान प्रदान करना है। वर्ष 2012 के दौरान लगभग 42,786 युवा लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया। इनमें से 25,791 युवाओं ने स्व-रोजगार उद्यम स्थापित कर लिये हैं। यह उल्लेखनीय है कि इन केन्द्रों द्वारा प्रशिक्षित किए गए कुल 1,22,228 लाभार्थियों में से अब तक 75,050 लाभार्थियों ने अपने स्वरोजगार उद्यम स्थापित कर लिए हैं।

वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केन्द्र (एफएलसीसी) - "सारथी"

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर बैंक ने 39 एफएलसीसी जिन्हें 'सारथी' नाम दिया गया है, जरूरतमंद लोगों को वित्तीय साक्षरता तथा ऋण परामर्श सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किए ताकि वे बैंकिंग प्रणाली से बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा सकें और साथ ही ऋण के बोझ तले वित्तीय संकट में जूझते लोगों को परामर्श दिया जा सके। आपके बैंक ने अपने बीएसवीएस ट्रस्ट के तहत इन केन्द्रों को खोला है एवं इनमें संबंधित लोगों को निःशुल्क परामर्श सेवाएं दी जा रही हैं। आपके बैंक ने वर्ष 2012 के दौरान 21 नये एफएलसीसी खोले जिन्हें मिलाकर मार्च 2012 के अंत तक एफएलसीसी की कुल संख्या बढ़ कर 39 हो गयी है। आपका बैंक यथासमय अपने अग्रणी जिलों में एफएलसीसी खोलेंगा।

व्यवसाय सुलभकर्ता मॉडल

यह मॉडल वित्तीय समावेशन की प्रक्रियाओं को तेज करने और बैंक के कृषि ऋण में बढोत्तरी के लिए पूरे देश में क्रियान्वित किया गया है। व्यवसाय सुलभकर्ता, आपके बैंक के लिए ऋण आवेदनपत्र कैनवास करेंगे और इसके लिए बैंक उन्हें मेहनताने का भुगतान करेगा। सेवा निवृत्त बैंकरों तथा सरकारी कर्मचारियों, एनजीओ, कृषक-क्लब तथा स्वयं सहायता समूहों से जुड़े व्यक्तियों को एजेण्टों के रूप में लगाया जाता है ताकि ग्रामीण तथा अर्धशहरी क्षेत्रों में बैंक की पहुंच बढ़ सके।

माइक्रो लोन फैक्टरी

आपके बैंक ने उत्तर प्रदेश में रायबरेली तथा सुलतानपुर में माइक्रो लोन

फैक्टरी खोली है। माइक्रो फाईनेन्स लोन फैक्टरी के पास मोबाइल वैन है जिसमें स्वयं सहायता समूह वित्तपोषण संबंधी समस्त स्टेशनरी, दस्तावेज एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसमें ऐसे अधिकारी होते हैं, जो स्वयं सहायता समूहों को यथास्थान तथा उनके पास जाकर उन्हें 25,000 रु. तक के ऋण स्वीकृत एवं वितरित करने के लिए अधिकृत हैं।

बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्यनिष्पादन

बैंक ने निम्नलिखित 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजित किए हैं:

- बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय, रायबरेली
- बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय, अजमेर
- बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय, भरुच
- नैनीताल अलमोडा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय, हल्द्वानी
- झाबुआ-धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय, झाबुआ.

इन पांचों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कुल व्यवसाय 15.37% की वृद्धि के साथ मार्च 2011 के अंत के 18,803 करोड़ रु. से बढ़ कर मार्च 2012 के अंत में 21,693 करोड़ रु. हो गया।

इन पांचों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वर्ष 2012 के दौरान 120 करोड़ रु. का शुद्ध लाभ अर्जित किया जबकि वर्ष 2011 के दौरान 117 करोड़ रु. का शुद्ध लाभ अर्जित किया था।

इन पांचों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समग्र शुद्ध मालियत मार्च 2011 के अंत में 730 करोड़ रु. से बढ़ कर मार्च 2012 के अंत में 883 करोड़ रु. हो गयी और आरक्षित निधियां तथा अधिशेष मार्च 2011 के अंत के 453 करोड़ रु. से बढ़ कर मार्च 2012 के अंत में 566 करोड़ रु. हो गए।

वित्तीय समावेशन के लिए बैंक के प्रयास

लक्ष्यगत गांव एवं अपनाए गए मॉडल

- जनवरी 2010 में भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त मूल पत्र के अनुसार आपके बैंक ने वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक की तीन वर्षों की अवधि हेतु वित्तीय समावेशन के अंतर्गत 20,000 गांव को कवर करने की वित्तीय समावेशन (एफ आई) योजना तैयार की।
- हालांकि, वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 11 के संघ के बजट के अपने वक्तव्य में 2,000 से अधिक जन-संख्या वाले गांवों को 2012 तक वित्तीय समावेशन के अंतर्गत कवर करने पर जोर दिया।
- तदनुसार, मार्च 2012 तक मूलभूत बैंकिंग सुविधाओं के प्रावधानों के लिए एसएलबीसी के माध्यम से आपके बैंक को 2864 गांव आबंटित किए गए।
- उपरोक्त में से वित्तीय वर्ष 11 में 12,000 गांवों को और शेष को वित्तीय वर्ष 2012 में कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
- आपके बैंक ने आबंटित गांवों को कवर करने के लिए आईसीटी आधारित व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल एवं मोबाइल बैंकिंग वैन मॉडल अपनाए हैं। जहां कहीं व्यवहार्य हो, नयी शाखाएं भी खोली जा रही हैं।

सेवा आपूर्तिकर्ता

- आपके बैंक ने बीसी मॉडल के लिए एंड टू एंड सोल्यूशन के लिए सेवा आपूर्तिकर्ता के रूप में मेसर्स टीसीएस एवं मेसर्स एचसीएल का चयन किया है। इन सेवा आपूर्तिकर्ताओं को सेवा क्षेत्र आबंटित कर दिए गए हैं।
- एसएलबीसी द्वारा आपके बैंक को आबंटित 2864 गांव में से टीसीएस को 1979 गांव और एचसीएल को 85 गांव आबंटित किए गए हैं।

प्रौद्योगिकी एवं डेटा सुरक्षा

- एफआई डेटा एवं संव्यवहारों को एफआई सर्वर / सेवा आपूर्तिकर्ताओं के गेट-वे के माध्यम से आपके बैंक के सीबीएस (कोर बैंकिंग सोल्यूशन) में एकीकृत किया जाता है। एफआई सर्वर आपके बैंक के डेटा सेंटर में रखा गया है, जिस तक वेन्डर को केवल रखरखाव के प्रयोजन से एप्लीकेशन साफ्टवेयर तक सीमित पहुंच ही होगी। डेटा आपके बैंक के नियंत्रण के अंतर्गत होगा। इस प्रकार डेटा की सुरक्षा की पर्याप्त सावधानी रखी गयी है।
- सीबीएस में खातों को अपलोड करने तथा लिंक शाखाओं द्वारा केवायसी सत्यापन के बाद ग्राहक को स्मार्ट कार्ड जारी किए जाते हैं।

व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी)

- सेवा आपूर्तिकर्ताओं ने राज्य / अंचल स्तर पर कार्पोरेट बीसी नियुक्त किए हैं। निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित बीसी चयन पॉलिसी का अनुसरण करते हुए आपके बैंक को लिंक शाखाओं के परामर्श से फील्ड स्तर पर व्यवसाय एजेंटों का चयन किया जाता है।
- जब बीसी की नियुक्ति की जाती है, उन्हें सेवा आपूर्तिकर्ता द्वारा तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। आपके बैंक के आर-सेटी, प्रशिक्षण केन्द्र एवं बड़ौदा ग्रामीण परामर्श केन्द्र (बीजीपीके) बैंकिंग उत्पाद तथा ग्राहक सेवा संबंधी प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहे हैं। बीसी को भी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों के माध्यम से आईआईबीएफ (भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान, मुंबई) के बीसी प्रमाणपत्र कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आपके बैंक के सभी बीएसवीएस केन्द्रों को आईआईबीएफ द्वारा इस प्रयोजन से मान्यता दी गयी है।

वित्तीय समावेशन के बारे में आपके बैंक के स्टाफ का प्रशिक्षण

- वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान आपके बैंक के प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से वित्तीय समावेशन से सम्बद्ध लगभग 1,079 शाखा प्रबंधकों को प्रशिक्षण दिया गया। आपके बैंक ने अपने अधिकारियों के लिए वित्तीय समावेशन पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने एवं आयोजित करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी) हैदराबाद के साथ टाइ-अप व्यवस्था की है।
- आपके बैंक ने स्टाफ को शिक्षित करने हेतु अपने इन्ट्रानेट पर एफआई ई-लर्निंग माड्यूल भी प्रारंभ किये हैं।

वित्तीय समावेशन के अंतर्गत अनुपालन का मॉनीटरिंग

- आपके बैंक के पास वित्तीय समावेशन के अनुपालन एवं मॉनीटरिंग के लिए एक सुस्पष्ट संरचना है।
- बीसी के प्रभावी पर्यवेक्षण की दृष्टि से प्रत्येक 10-15 बीसी एजेंटों

के समूहों के लिए बीसी पर्यवेक्षकों के रूप में सेवानिवृत्त बैंक अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।

- आपके बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक एवं कार्पोरेट कार्यालय के महाप्रबंधक विविध राज्यों में गांव के दौरे कर रहे हैं।
- साथ ही, सभी क्षेत्रीय प्रमुख एवं अंचल प्रमुख भी अपने-अपने क्षेत्र/अंचल के गांव का दौरा करते हैं एवं नियमित रूप से गतिविधियों का मानीटरिंग करते हैं।
- आपके बैंक का निदेशक मण्डल भी वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सूचित किए गए विविध पैरामीटर पर प्रति माह आपके बैंक में वित्तीय समावेशन के अनुपालन की समीक्षा करता है।

प्रचार

- वित्तीय समावेशन के विभिन्न चरणों में आपके बैंक के अंचलों/क्षेत्रों/शाखाओं द्वारा विशेष रूप से तैयार करवाये गये बैनरों/पोस्टरों/पर्चों का उपयोग किया जा रहा है।
- पर्चे/पोस्टर क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार करवाए गए हैं एवं गांव में बांटे गये हैं।
- प्रचार सामग्री के उपयोग ने लोगों को एफआई की अवधारणा की अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने में सहायता की है तथा वे एफआई नामांकन की तारीख, स्थान आदि के बारे में भी जानकारी रखते हैं।
- आपके बैंक के स्वाभिमान 'लोगो' का गांव के साइनबोर्ड, बीसी के पहचानपत्र, टी शर्ट, कैप में उपयोग किया जा रहा है।

वित्तीय साक्षरता संबंधी प्रयास

- आपके बैंक ने अपने 45 अग्रणी जिलों में 39 वित्तीय साक्षरता एवं परामर्श केन्द्र (एफएलसीसी) खोले हैं।
- आपके बैंक ने 46 आर-सेटी (बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान) भी स्थापित किए हैं, जिनमें से 42 अग्रणी जिलों में हैं, जो वित्तीय साक्षरता के प्रयासों को सुविधाजनक बनाएंगे।
- आपके बैंक द्वारा सभी विनिर्दिष्ट गांव में बैंकिंग उत्पादों एवं सेवाओं के बारे में जागरूकता लाने हेतु ग्राम्य स्तर की बैठकें आयोजित की गयी हैं।
- नाम दर्ज करते समय गांव में शिविरों का आयोजन भी किया गया।

मोबाइल बैंकिंग वैन

- वित्तीय समावेशन की गति को बढ़ाने हेतु आपके बैंक ने मोबाइल बैंकिंग वैन का प्रारंभ किया है।
- इन वैन में सीडीएमए प्रौद्योगिकी के माध्यम से सीबीएस के साथ कनेक्टिविटी होगी और ये निर्धारित तारीख एवं समय पर गांव का दौरा करेंगे। ये सेवाएं आपके बैंक के अपने स्टाफ सदस्यों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है।
- ऐसे पांच वैन को संचालित किया गया है और ये लगभग 4 गांव को कवर करेंगे। (गुजरात में 1, उत्तर प्रदेश में 2, बिहार में 1, एवं गोवा में 1)।

कार्यनिष्पादन

- आपके बैंक ने वित्तीय समावेशन के अंतर्गत आर्बिटिट किए गए 100 प्रतिशत गांवों को कवर करने का कार्य अंतिम तारीख मार्च 2012 के अंत तक - से काफी समय पूर्व पूरा कर लिया। इन गांवों में 7.10 लाख के लक्ष्य की तुलना में 7.61 लाख वित्तीय समावेशन खाते खोले गए हैं।

लघु बैंकिंग सेवा शाखा (यूएसबी)

प्रौद्योगिकी आधारित बीसी मॉडल एक नयी अवधारणा है एवं इस मॉडल के माध्यम से वित्तीय समावेशन के अनुपालन में आपके बैंक के समक्ष विभिन्न मुद्दे सामने आए। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय समावेशन को ओर अधिक प्रभावी बनाने के लिए समय-समय पर विभिन्न दिशा निर्देश जारी कर रहे थे। वित्त मंत्रालय द्वारा वित्तीय समावेशन पर अक्टूबर 2011 में जारी की गई कार्य-योजना एवं दिशानिर्देशों में ऐसा एक सुझाव दिया गया था कि बैंकिंग सुविधाओं से वंचित जिलों में बड़ी जगहों में ब्रिक एंड मोटार शाखाएं खोली जाएं। यद्यपि ऐसे गांव में ब्रिक एंड मोटार शाखाएं खोलने की व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वित्तीय समावेशन के लिए आर्बिटिट किए गए सभी गांव में छोटे स्ट्रक्चर वाली लघु बैंकिंग सेवा शाखाएं खोलने के विषय में दिशानिर्देश जारी किए।

लघु बैंकिंग-सेवा केंद्र बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक

अब की बैंकिंग, सब की बैंकिंग

उपलब्ध सेवाएं :

- खाता खोलना
- नकदी जमा करना
- बड़ौदा किसान क्रेडिट कार्ड
- नकदी निकालना
- ऋण के लिए आवेदन
- पैसा भेजना
- पासबुक में एंट्री करना

सूक्ष्म लघु शाखा - वित्तीय समावेशन पहल

बैंक द्वारा अपनाया गया यूएसबी मॉडल

- गांव में एक बीसी की नियुक्ति की जाती है, जिसके पास यूएसबी के माध्यम से गांव में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु पीओएस मशीन/हाथ में रखा जाने वाला टर्मिनल होता है।

- गांव में यूएसबी के लिए जगह यथा-संभव ग्राम पंचायत या सामान्य सेवा केन्द्र में निर्धारित की जाती है।
- प्रत्येक यूएसबी के अन्दर आपके बैंक के द्वारा यूएसबी में उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं को दर्शाने वाला बोर्ड प्रदर्शित किया जाता है। वहां एक ऐसा बोर्ड भी होता है, जिस पर ग्राम्यजनों की सुविधा हेतु बीसी का ब्यौरा, उसका फोन नम्बर, नाम/लिक शाखा का सम्पर्क नम्बर, अधिकारी के दौरे के लिए निर्धारित तारीख एवं समय आदि ब्यौरा प्रदर्शित किया जाता है।
- व्यवसाय प्रतिनिधि एक सीमा तक नकद राशि जमा करने, भुगतान, धन प्रेषण, शेष राशि की पूछताछ, छोटा विवरण आदि उपलब्ध कराता है।
- वित्त मंत्रालय द्वारा दर्शाये गये अनुसार गांव में वित्तीय समावेशन संबंधी गतिविधियों के संबंध में लिक शाखा से एक अधिकारी सप्ताह में एक बार, पूर्व-निर्धारित दिन एवं समय पर यूएसबी का दौरा करता है।
- लघु बैंकिंग सेवा केन्द्र में न्यूनतम फर्नीचर, जैसे कि एक टेबल, तीन-चार कुर्सियां आदि उपलब्ध कराई जाती है।

यूएसबी की प्रभावोत्पादकता संबंधी उपाय

- ग्राम्यजनों में जागरूकता लाने हेतु ग्राम पंचायत तथा कुछ मामलों में ब्लॉक विकास अधिकारी की सहायता से ग्राम्य स्तर के प्रचार अभियान चलाए गए।
- गांव में प्रमुख स्थान पर बीसी तथा लिक शाखा का ब्यौरा एवं कामकाज के घंटों के ब्यौरे के साथ स्वाभिमान 'लोगो' सहित के साइन बोर्ड प्रदर्शित किये जाते हैं।
- बीसी को गांव की जन संख्या, गांव में मकान धारकों की संख्या, सम्बद्ध गांव में जारी किए गए केसीसी/जीसीसी की संख्या सहित गांव का संक्षिप्त ब्यौरा दिया जाता है, जिससे कि वे गांव की आवश्यकताओं के अनुरूप बेहतर ढंग से कार्य कर सकें।
- सभी यूएसबी में संबंधित लिक शाखा के अधिकारियों का दौरा किया जाना निर्धारित किया गया है। हमने क्षेत्रीय कार्यालयों तथा कार्पोरेट कार्यालय द्वारा किए जानेवाले ऐसे दौरों की मानीटरिंग हेतु एक समुचित रिपोर्टिंग सिस्टम बनाया है।
- सभी गांव में सभी बीसी को एक समान टी-शर्ट, कैप एवं पहचान-पत्र प्रदान किए गए हैं।
- यूएसबी में प्रदर्शित करने हेतु वहां उपलब्ध सेवाओं के विषय में भी एक समान पोस्टर सभी अंचलों एवं क्षेत्रों में स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराये गये हैं।
- कर्मियों को दूर करने एवं अधिकारी संवर्ग के जन-बल की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु हम वित्त मंत्रालय के सुझाव के अनुसार अन्य संवर्ग के स्टाफ सदस्यों को भी उतने ही उत्साह से अधिकारियों के कार्यदायित्वों का निर्वाह करने हेतु, उनके लिए क्षमता-निर्माण कार्यक्रम शुरु करने जा रहे हैं। इसमें यथा संभव स्थानीय स्टाफ सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि वे स्थानीय

भाषा से परिचित हो और वे ग्राम्यजनों से समुचित रूप से जुड़ सकें। इससे आपके बैंक, भारत सरकार के वित्तीय समावेशन के नवोन्मेषी प्रयासों के विषय में ग्राम्यजनों में विश्वास की भावना पनपेगी। ऐसे क्षमता-निर्माण कार्यक्रम के पायलट प्रोजेक्ट का प्रारंभ गुजरात में किया जाएगा एवं इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद अन्य राज्यों में भी इसे लागू किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति समुदायों को अग्रिम

बैंक द्वारा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लोगों को दिये जाने वाले अग्रिमों में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हो रही है। यह बात इस तथ्य से स्पष्ट है कि इन समुदायों के लाभार्थियों को मंजूर किये गये अग्रिमों की राशि मार्च, 2011 के अंत तक के 3,760 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च, 2012 के अंत में 4,336.02 करोड़ रुपये हो गई। वस्तुतः समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कमजोर वर्ग के लोगों को मंजूर किये गये कुल अग्रिमों में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति को दिये गये अग्रिमों का अंश 27% है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने विभिन्न सरकारी प्रायोजित योजनाओं यथा स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) इत्यादि के तहत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लोगों के वित्त पोषण पर विशेष ध्यान दिया है।

यह उल्लेखनीय है बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान प्रशिक्षार्थियों का चयन करते समय अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से जुड़े लोगों को वरीयता दे रहे हैं। अभी तक इन केन्द्रों ने अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति श्रेणी के 55,761 युवाओं को प्रशिक्षित किया है।

अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय

दुनिया भर में अनेक देशों द्वारा तत्पर कार्रवाई किए जाने के बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था 2008 के आर्थिक संकट से पूरी तरह उबर नहीं पाई है। इस चुनौतीपूर्ण परिदृश्य में आपके बैंक के अंतरराष्ट्रीय परिचालन ने वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान शानदार परिणाम हासिल किए तथा वैश्विक संकटों को सफलतापूर्वक सामना करने की बैंक की क्षमता को उजागर किया।

निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आर्थिक एवं बैंकिंग परिवेश को निरंतर समझना एवं उससे सीख लेते हुए व्यावसायिक दृष्टिकोण एवं कार्रवाई में जरूरी परिवर्तन लाना आवश्यक है। आपके बैंक ने वैश्विक हलचलों के कारण अपने परिचालन देशों के आर्थिक / वित्तीय क्षेत्र में उभरने वाली प्रवृत्तियों पर निरंतर ध्यान बनाए रखा।

आपका बैंक विदेशी शाखाओं के बड़े नेटवर्क तथा वर्षों के दौरान बने ग्राहक आधार के कारण बेहतर स्थिति में है। आपके बैंक ने व्यवसाय के एक बड़े हिस्से को प्राप्त करने के लिए विदेशी केन्द्रों पर विभिन्न प्रौद्योगिकी एवं अन्य पहलें की हैं।

वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान शानदार कार्यनिष्पादन बैंक द्वारा अपनी क्षमताओं को विस्तृत एवं बेहतर करने के संबंध में किए गए निरंतर प्रयासों तथा इसके हितधारकों से प्राप्त निरंतर समर्थन के कारण संभव हो सका।

आपके बैंक के अंतरराष्ट्रीय परिचालन ने वैश्विक स्तर पर निरंतर अत्यधिक

प्रतिस्पर्द्धी बने रहने के लिए बदलते परिवेश के साथ तालमेल बनाए रखा है एवं लाभप्रदता के साथ उच्चतर वृद्धि का लक्ष्य सामने रखा है।



श्री अरुण श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक, बैंक आफ बडौदा (केन्या) लि., सुश्री जुने गधोनी, निदेशक, मेपल मैनेजमेंट ईस्ट इंडिया लि. से "द मोस्ट इफीशिएट बैंक अवार्ड" प्राप्त करते हुए

व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाने के लिए शाखा विस्तार योजना को जारी रखा गया। वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान 5 नई शाखाएं / कार्यालय खोले गए जिसमें अनुषंगियों की 4 शाखाएं शामिल हैं। आपके बैंक ने उभरने वाले नए केन्द्रों पर मौजूद अवसरों का लाभ उठाने तथा परिचालन देश में अपना बाजार हिस्सा बढ़ाने के लिए उन देशों में अपने नेटवर्क को विस्तारित करने पर ध्यान केन्द्रित किया, जहां वह पहले से मौजूद है।

व्यवसाय तथा लाभ कार्य-निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान बैंक की विदेशी शाखाओं ने कुल व्यवसाय (जमाराशियां+अग्रिम) में 44.64% की वृद्धि दर्ज की। ग्राहक जमाराशियों में 40.41% की बढ़ोतरी हुई। कुल जमाराशियों में 45.23% तथा अग्रिमों में 43.92% की वृद्धि हुई। मार्च 2011 की समाप्ति से मार्च 2012 की समाप्ति की अवधि के दौरान रुपये में 14.11% के मूल्यहास के कारण वृद्धि दर ज्यादा मजबूत दिखी।

वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान बैंक के वैश्विक कारोबार में अंतरराष्ट्रीय परिचालन का 28.27% का उल्लेखनीय योगदान रहा।

कुल आस्तियां

आपके बैंक के अंतरराष्ट्रीय परिचालन की कुल आस्तियां मार्च 2011 को समाप्त अवधि की राशि रुपये 91,273 करोड़ से बढ़कर मार्च 2012 में रुपये 1,28,398 करोड़ हो गई है। इस प्रकार वर्ष के दौरान 40.67% वृद्धि रही।

लाभ

वित्तीय वर्ष 2012 में सकल लाभ में पिछले वर्ष की तुलना में 48.51% की उल्लेखनीय वृद्धि रही। वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ में भी 45.19% की प्रशंसनीय

वृद्धि रही। आपका बैंक ब्याज आय में सुधार कर सका तथा अन्य आय में भी अच्छी वृद्धि रही।

आपके बैंक के वैश्विक शुद्ध लाभ में अंतरराष्ट्रीय परिचालन का योगदान 23.35% रहा।

आस्ति की गुणवत्ता

आर्थिक मंदी एवं अनिश्चितता के वर्तमान परिदृश्य में आपके बैंक के हितों की रक्षा हेतु बैंक के उच्च प्रबंधन द्वारा आस्तियों की कठोर निगरानी की जा रही है। आपके बैंक ने एक अतिप्रभावी ऋण प्रक्रिया, ऋण लेखा परीक्षा एवं ऋण मॉनिटरिंग पद्धति प्रचलित की है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी की प्रवृत्ति के कारण / परियोजनाओं में नियंत्रण से परे कारणों से, जिन ऋणकर्ताओं के खातों में तरलता सम्बन्धी विसंगति/कमी अनुभव की जा रही थी, उनके खातों को भविष्य के रोकड़ प्रवाह एवं भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान रि-स्ट्रक्चर किया गया। इन खातों एवं पिछले वर्ष रि-स्ट्रक्चर किए गए खातों की नियमित मॉनिटरिंग की गई ताकि परिसम्पत्तियों की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सके और किसी भी स्लिप बैंक को टाला जा सके।

वर्ष के दौरान सकल अग्रिम मार्च 11 के स्तर से 43.73% बढ़ गए अर्थात् आपके बैंक ने चुनौतिपूर्ण समय के दौरान भी उल्लेखनीय वृद्धि की प्रवृत्ति को बनाए रखा। स्लीपेज अत्यंत कम रहा एवं आपके बैंक के सकल एन.पी.ए. में कुल अग्रिमों के प्रतिशत में मार्च 11 की 0.62% की तुलना में मार्च 12 में अल्पवृद्धि 0.68% ही हुई।

अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति

न्यूजीलैण्ड में परिचालन की शुरुआत के साथ बैंक की विदेशी उपस्थिति अब 24 देशों में 89 शाखाओं / कार्यालयों में हो गई है -

बैंक ओवरसीज शाखाएं / कार्यालय	55
बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय	2
बैंक की विदेशी अनुषंगियों की शाखाएं	32
कुल	89

उपर्युक्त के अतिरिक्त ज़ाम्बिया में आपके सहयोगी बैंक की 14 शाखाएं हैं

विदेशी विस्तार

वित्त वर्ष 2012 के दौरान आपके बैंक ने पांच नई शाखाएं / कार्यालय (अनुषंगियों को शामिल करते हुए) खोले हैं। हमरीया फ्री जोन, शारजाह (यूएई) में एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विस यूनिट (ईबीएसयू) तथा अनुषंगियों की चार शाखाएं ओवीनो मार्केट (यूगांडा), काकामेगा (केन्या), न्याली (केन्या) तथा मॉन रेपोस (गुयाना) में खोली गईं।


केनिया में ककमेगा शाखा का उद्घाटन

गुयाना में मान रिपोज शाखा का उद्घाटन

विदेशी व्यवसाय संबंधी भविष्य की योजना

वित्त वर्ष 2012 के दौरान आपके बैंक ने नया कारोबार प्राप्त करने और लाभप्रदता बढ़ाने के अवसरों को भुनाने हेतु अपने विदेशी नेटवर्क को विस्तृत करने के अनेक कदम उठाये हैं. यू.ए.ई., ओमान, मॉरिशस, युगांडा, न्यूजीलैंड, तनजानिया, बोत्सवाना एवं घाना में नेटवर्क के विस्तार हेतु और आवश्यक आधारभूत संरचना स्थापित की जा रही है.

आपके बैंक के आस्ट्रेलिया स्थित प्रतिनिधि कार्यालय को शाखा के रूप में अपग्रेड करने की सैद्धांतिक अनुमति प्राप्त हो गई है. यू.के. में दो नई अतिरिक्त शाखाएं खोलने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है. जिन देशों में आपका बैंक पहले से ही कार्यरत है, नये केन्द्रों की पहचान की जा रही है एवं शाखा नेटवर्क बढ़ाने हेतु भी नये कार्य क्षेत्रों की तलाश जारी है.

सिंडीकेशन सेंटर

आपके बैंक के लंदन एवं दुबई में ग्लोबल सिंडीकेशन सेंटर स्थित है, जहां अंतर्राष्ट्रीय बाजार के सिंडीकेशन ऋणों पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है. सिंगापुर में कार्यरत ऑफशोर बैंकिंग इकाई को और अधिक सशक्त बनाया जा रहा है ताकि वह कारोबार बढ़ाने में अधिक सक्रिय भूमिका का निर्वाह कर सके. बैंक के कारपोरेट कार्यालय, मुंबई स्थित अंतर्राष्ट्रीय मर्चेन्ट बैंकिंग कक्ष, क्षेत्रीय सिंडीकेशन केन्द्र भी सहयोगी की भूमिका निभा

रहा है और पर्याप्त कारोबार भी प्राप्त कर रहा है क्योंकि विदेशी मुद्रा संसाधनों के लिए भारतीय कार्पोरेट्स की मांग बढ़ती जा रही है.

ऋण प्रस्ताव प्राप्त करने में बैंक के अंतर्राष्ट्रीय मर्चेन्ट बैंकिंग कक्ष की सक्रिय भूमिका भी रहती है.

उत्पाद एवं सेवाएं

आपके बैंक ने परिचालन के क्षेत्र में ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पाद एवं सेवाएं आरम्भ करने के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग हेतु अनेक कदम उठाये हैं. आपके बैंक के उत्पाद एवं सेवाएं बहुराष्ट्रीय बैंकों एवं स्थानीय बैंकों की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक हैं. इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया में विपणन अभियानों के माध्यम से इन्हें लोकप्रिय बनाया जा रहा है.

प्रौद्योगिकी

- 31 मार्च, 2012 को समाप्त अवधि में विदेशी कार्यालयों एवं अनुषंगियों में ए.टी.एम. की संख्या बढ़कर 76 हो गई है (45 ऑनसाइट एवं 31 ऑफसाइट) जो 31 मार्च, 2011 को 68 (42 ऑनसाइट एवं 26 ऑफसाइट) थी.
- यू.के., यू.ए.ई., बहामाज, बहरिन, हांगकांग, सिंगापुर एवं बेल्जियम में ग्लोबल ट्रेजरी सोल्यूशन को कार्यान्वित किया गया है.
- केन्द्रीकृत स्विफ्ट गतिविधि आपके बैंक के डेटा सेंटर से परिचालित की जा रही है.
- यू.के. एवं यू.एस.ए. के अलावा सभी क्षेत्र/ अनुषंगिया उनके स्विफ्ट परिचालन स्विफ्ट कक्ष, डेटा सेंटर के माध्यम से कर रही है.
- कार्यान्वित की गई भुगतान संदेश पद्धति कोर बैंकिंग सोल्यूशन (फिनाकल) एवं स्विफ्ट के मध्य की कड़ी है जो आने वाले एवं जाने वाले स्विफ्ट संदेशों को एन्टी मनी लाँड्रिंग जांच के साथ सीधे प्रोसेसिंग में मदद करती है. इससे यू.के. एवं यू.एस.ए. के अलावा सभी क्षेत्रों/ अनुषंगियों में कार्यान्वित किया गया है.
- आपके बैंक में बेल्जियम एवं यू.एस.ए. को छोड़कर एन्टी मनी लाँड्रिंग ईरेज (बैच मोड) सभी विदेशी केन्द्रों पर कार्यान्वित किया गया है.
- यू.एस.ए. को छोड़कर सभी विदेशी केन्द्रों पर एन्टी मनी लाँड्रिंग ऑनलाइन लिस्ट मैचिंग सोल्यूशन को कार्यान्वित किया गया है.

विदेशी परिचालन में ई-बैंकिंग

आपका बैंक सभी विदेशी केन्द्रों पर धीरे - धीरे ई-बैंकिंग सेवाओं को कार्यान्वित कर लोकप्रिय बना रहा है. लेन देन आधारित ई-बैंकिंग को यू.ए.ई., यू.के., मॉरिशस, फिजी, सेसेल्स, युगांडा, केन्या, बोत्सवाना और न्यूजीलैंड में कार्यान्वित किया गया है. यह ओमान एवं तंजानिया में भी कार्यान्वित होने की प्रक्रिया में है (वर्तमान में इन दोनों केन्द्रों पर दृश्य आधारित ई-बैंकिंग उपलब्ध है).

त्रिनिदाद एवं टोबेगो, गयाना एवं दक्षिण अफ्रिका में भी अगले फेज में इसे शीघ्र शुरु किया जाएगा.

विदेशी केन्द्रों पर लेनदेन आधारित ई-बैंकिंग को उनके खुदरा आधार एवं लागत प्रभाव को ध्यान में रखते हुए धीरे-धीरे कार्यान्वित किया जा रहा है.



विदेशी परिचालनों में जोखिम प्रबंधन

आपके बैंक ने 31 मार्च, 2008 से अपने सभी विदेशी क्षेत्रों पर बासेल II दिशानिर्देशों को कार्यान्वित किया है और ऋण जोखिम हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण, बाजार जोखिम हेतु मानकीकृत आवधिक पद्धति एवं परिचालनगत जोखिम हेतु बेसिक इंडिकेटर एप्रोच को पहले ही अपना लिया है।

जोखिम प्रबंधन पद्धति और उसके कार्यान्वयन को लगातार सशक्त किया जा रहा है। सभी केन्द्रों पर ऋण, बाजार एवं परिचालनगत जोखिम के प्रभावी व्यवहार हेतु एक पृथक जोखिम प्रबंधन विभाग स्थापित किया गया है। आपके बैंक के सभी विदेशी क्षेत्रों एवं अनुषंगियों पर जोखिम प्रबंधकों को पदस्थ किया गया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सभी विदेशी केन्द्रों पर अग्रिम खातों एवं उनके मूल्यांकन सम्बन्धी विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु बॉब रैम मॉडल कार्यान्वित किया गया।

आपके बैंक के विदेशी केन्द्रों पर परिसम्पत्ति वर्गीकरण एवं ऋण मॉनिटरिंग के कार्यान्वयन हेतु एक एस्काम मॉडल भी तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।

विनियामक अनुपालन

आपका बैंक विनियामक अनुपालन करने के लिए जाना जाता है एवं सम्बन्धित देश के विनियमों का सावधानी से पालन करता है।

आपके बैंक के पास सभी प्रकार के व्यवसायों एवं परिचालनों में विनियमों के अनुपालनों को सुनिश्चित करने हेतु प्रमुख विदेशी केन्द्रों पर समर्पित अनुपालन टीम है। वे विनियामक अनुपालन दृष्टिकोण से सम्बन्धित पहचान एवं कर निर्धारण तथा अनुपालन सम्बन्धित मामलों, मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग हेतु उत्तरदायी होते हैं।

सभी विदेशी केन्द्रों पर स्थानीय विनियामक आवश्यकताओं के अनुरूप विवेकसम्मत नीतियां बनायी गई हैं। ये क्षेत्र / अनुषंगियां सुनिश्चित करती हैं कि इनकी आवधिक समीक्षा - किये जा रहे कारोबार, बदलते परिदृश्य एवं विनियामक दिशानिर्देशों में यदि कोई संशोधन हुआ हो, को ध्यान में रखते हुए की जाती है।

ट्रेजरी परिचालन

आपके बैंक में बड़ौदा सन टॉवर कार्पोरेट कार्यालय, मुम्बई में अति आधुनिक डीलिंग रूम कार्यरत है। इस डीलिंग रूम के माध्यम से आपका बैंक ट्रेजरी परिचालन को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ट्रेजरी घरेलू परिचालन का कार्य संचालित करता है तथा विभिन्न मार्केट में कार्य कलापों जैसे, विदेशी मुद्रा, ब्याज दरें, सावधि आय, डेरीवेटिव्स, इक्विटी और अन्य वैकल्पिक आस्ति क्लासेज का कार्य देखना है। आपका बैंक अपने ग्राहकों को कई वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए अति आधुनिक टैक्नॉलोजी प्लेटफार्म का उपयोग करता है। इन सेवाओं में ब्याज दर स्वैप, मुद्रा स्वैप, वायदा एवं आप्शन शामिल हैं।

आपके बैंक ने अति आधुनिक स्वचालित डीलिंग प्रणाली स्थापित की है। जिससे रीयल टाइम आटो जनरेटेड विदेशी मुद्रा दरें पूरे देश में फैली प्राधिकृत शाखाओं के माध्यम से अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाती हैं। ग्राहकोन्मुखी कदम के रूप में वित्त वर्ष 2012 में ग्लोबल "ट्रेजरी सॉल्यूशन" में संवर्धन किया गया जिससे विदेशी प्रतिनिधियों के माध्यम

से ग्राहकों के पक्ष में आपके बैंक को प्राप्त जमाओं के बारे में तत्काल सूचनाओं का आदान-प्रदान देता है।

बिजनेस प्रोसेस री-इन्जीनियरिंग के तहत आपके बैंक ने ग्लोबल ट्रेजरी साल्यूशन को सभी बड़े वित्तीय केन्द्रों पर सफलतापूर्वक पूरा किया है ग्लोबल ट्रेजरी प्लेटफार्म सरलता से मुम्बई, लन्दन, बहामास, ब्रुशेल्स, दुबई, बहरीन, सिंगापुर, हांगकांग और न्यूयार्क में कार्य कर रहा है।

वित्त वर्ष 2012 के दौरान वृद्धि एवं मूल्य स्थिरता बनाये रखना चुनौती के रूप में सामने आये। ये चुनौतियां सख्त मौद्रिक नीति और धीमी आर्थिक विकास के प्रभाव में और गंभीर हो गईं। अर्थव्यवस्था के अग्रिम अनुमानों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2012 में वृद्धि दर अनुमानतः 6.9% रहेगी। इसके पूर्ववर्ती दो वर्षों में यह वृद्धि दर 8.4% थी। इससे आर्थिक मंदी के केवल पिछले दो वर्षों में ही नहीं बल्कि 2003 से 2011 (वित्त वर्ष 2009 ग्लोबल वित्तीय संकट को छोड़कर) के दौरान होने का पता चलता है। वित्त वर्ष 2012 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्याज दरों में 125 आधार बिंदुओं की वृद्धि की जिससे रिपो रेट 8.50% हो गया। इसके पूर्व में दिसम्बर 2011 में थोड़े ठहराव के संकेत थे। आर्थिक प्रणाली में तरलता लाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने सी.आर.आर. (प्रारक्षित नकदी अनुपात) में वर्ष 2012 की अंतिम तिमाही में संचित 125 आधार बिंदु की कमी कर दी तथा रु. 1,29,252 करोड़ का ओपन मार्केट परिचालन किया।

आपके बैंक की ट्रेजरी अपने वर्तमान उत्पादों जैसे आई आर एस, सी.आई. आर.एस. फारवर्ड एवं आपश्ंस के आधार पर ब्याज दरों और विदेशी मुद्रा जोखिमों को कम करने के लिए अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार समाधान प्रदान करता है। वर्ष 2012 में आपके ट्रेजरी डिवीजन ने विभिन्न बाजारों में उपलब्ध अर्बिट्रिज अवसरों, आस्ति वर्ग; जिसमें मुद्रा बाजार, सीबीएलओ, काल मार्केट रिपो, सरकारी प्रतिभूतियां शामिल हैं, तथा फोरेक्स मार्केट में अवसरों का लाभ उठाया। ट्रेजरी ने बाजार में उतार चढ़ाव का फायदा उठाया तथा ओवर नाइट इन्डेक्स्ड स्वैप, आइ.एन.बी.एम के स्वैप को उपलब्ध हेजिंग, और ट्रेडिंग अवसरों के लिए उपयोग किया।

सख्त मौद्रिक नीति और उसके साथ घोषित उच्च ऋण कार्यक्रमों के फलस्वरूप 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों का बेचमार्क नवम्बर 2011 में 9% के उच्चस्तर तक पहुँच गया। इस पृष्ठभूमि में ट्रेजरी ने पोर्टफोलियो की समुचित अवधि को बनाये रखने पर ध्यान केन्द्रित किया जिससे मूल्यांकन पर कम से कम प्रतिकूल प्रभाव पड़े तथा निवेश पोर्टफोलियो पर बेहतर औसत लाभ प्राप्त हो। घरेलू एस.एल.आर. निवेश पर औसत आय 7.87% रही। वित्त वर्ष 12 में ट्रेजरी ने 6,032 करोड़ की आय, ब्याज / बट्टे में अर्जित की। जबकि निवेश की बिक्री से लाभ तथा विदेशी मुद्रा से लाभ क्रमशः रु.622 करोड़ तथा रु.412 करोड़ रहा।

वित्त वर्ष 2012 के दौरान भारतीय इक्विटी बाजार मंदा रहा। ऐसा अमेरिकन अर्थव्यवस्था में धीमी प्रगति, यूरोपियन साबरेन डेट क्राइसिस और एफ.आई.आई. के भारत सहित उभरते बाजारों में धीमे अंतर्प्रवाह के समन्वित प्रभाव के कारण हुआ। विदेशी निवेशकों से राशियों का आगमन वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में बढ़ा और इस कारण बाजार ने तेजी पकड़ी। ट्रेजरी के इक्विटी डेस्क ने अपने पोर्टफोलियो को सक्रियता से प्रबंधित किया तथा नियमित अंतरालों पर लाभ बुक किया।

यूरोजोन संकट के सामने आने के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता की स्थिति बन गयी जिसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। फलस्वरूप वृद्धि दर में गिरावट, उच्च चालू खाता घाटा (कैड) और पूंजी

आगमन में कमी आयी। वर्ष 2008 में संकट का आगमन मुख्यतः बैलेन्स ऑफ पेमेन्ट (बी.ओ.पी) चैनल के द्वारा हुआ था। वित्त वर्ष 2012 की तीसरी तिमाही में निर्यात की दर में कमी रही, जबकि आयात उच्च दरों पर बना रहा। इसका कारण तेल की अंतर्राष्ट्रीय ऊंची कीमतें थीं। इसके साथ ही, विदेशी संस्थागत निवेशों में कमी आयी जिसका प्रभाव पूंजी खाते तथा एक्सचेंज रेट पर पड़ा रहा, जो पूर्ववर्ती सभी दरों से आगे रु.54.23 प्रति यू.एस डालर दिनांक 15 दिसंबर 2011 को पहुंच गया।

ट्रेजरी की विदेशी मुद्रा डेस्क ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में फारेक्स डेस्क में अपनी शीर्ष स्थिति को बनाये रखा। प्रोप्राइटी ट्रेडिंग डेस्क ने उपलब्ध आर्विट्रेज बाजार के उतार चढ़ाव का लाभ उठा कर, सख्त तरलता की स्थिति में भारतीय बाजारों पर पड़ रहे प्रभाव का लाभ उठाकर संसाधन जुटाये आपके बैंक की ट्रेजरी के विदेशी मुद्रा डेस्क का टर्न ओवर वर्ष दर वर्ष आधार पर वर्ष 2012 में लगभग 14.0% बढ़ा।

आपके बैंक का ट्रेजरी मिड आफिस बाजार एक्सपोजर निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित सीमा को रीयल टाइम के आधार पर मानीटर करता है। जोखिम प्रबंधन पैरामीटर्स जिसमें वैल्यू एटरिस्क (वीएआर) को सभी पोर्टफोलियो पर बाजार जोखिम को नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इन उपायों को जोखिम नम्बरों पर बैंक टेस्टिंग के साथ नापा जाता है और करेंसी पोर्टफोलियो में विभिन्न निवेशों की स्ट्रेस टेस्टिंग की जाती है।

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व

एक जिम्मेदार कार्पोरेट नागरिक की तरह आपके बैंक की सदैव यह सोच रही है कि कमजोर व पिछड़े वर्गों के आर्थिक - सामाजिक विकास के माध्यम से समुदायों को सक्षम बनाया जाये। बैंक के अपने सतत प्रयासों से समाज में कुल मिलाकर परिवर्तन हुआ है एवं वर्ष 2012 में इस दिशा में प्रयास और तेज किये हैं।

आपका बैंक बेरोजगार युवकों को, बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान (आर.सेटी) के माध्यम से लाभदायक स्वरोजगार प्राप्त करने एवं उद्यमिता एवं कौशल विकास करने के लिए, जिससे उनका एवं उनके परिवार का आर्थिक स्तर बढ़े एवं और इन स्थानों पर विभिन्न क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को विकास मिले, निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहा है। आपके बैंक के सभी अग्रणी जिलों में आर.सेटी. स्थापित किए गए हैं। आपके बैंक में इस प्रकार के 46 संस्थान स्थापित किए हैं जिसमें 1,22,000 युवकों को प्रशिक्षित किया गया है। इसमें से 75,000 युवकों ने लाभदायक स्वरोजगार प्राप्त किया है।



श्री एन. एस. श्रीनाथ कार्यकारी निदेशक बीएसवीएस सूरत में एक प्रतिभागी को प्रमाणपत्र प्रदान करते हुए

आपके बैंक ने 52 बड़ौदा ग्रामीण परामर्श केन्द्र स्थापित किए हैं जिसमें ज्ञान विनिमय, समस्या समाधान और पूरे देश में ग्रामीण-जनों को ऋण सलाह

दी जाती है। ग्रामीण जनों में विभिन्न वित्तीय और बैंकिंग सेवाओं के बारे में जागरूकता लाने के लिए और वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु आपके बैंक ने 21 वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श केन्द्र (एफएलसीसी) की स्थापना वित्त वर्ष 2012 में की है। इस प्रकार यह संख्या 39 हो गई है।

आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन

वित्त वर्ष 2012 में बैंकिंग उद्योग के लिए आस्ति गुणवत्ता को बनाकर रखना, दबावपूर्ण आर्थिक वातावरण के कारण चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। तथापि आपके बैंक ने गंभीर मानीटरिंग और एन.पी.ए. पोर्टफोलियो में वसूली को जारी रखा। इसके अलावा स्लिपेज को कम से कम स्तर पर रखने की बचाव प्रणाली को व्यवहार में बनाये रखा। आपके बैंक ने भारतीय बैंकिंग सेक्टर में एन.पी.ए. प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी अग्रणी स्थिति को बनाये रखा।

वर्ष 2012 में भारतीय बैंकों ने सामान्य रूप से स्लिपेज की बड़ी घटनाएं देखीं। ऐसा भारत में तथा बाहर वित्तीय बाजार में भारी उतार-चढ़ाव की स्थिति तथा वर्ष 2012 में पूरे वर्ष उच्च मुद्रास्फीति तथा उच्च ब्याज दरों के कारण हुआ। भारतीय बैंकों पर प्रतिकूल प्रभाव डालनेवाले विभिन्न निराशावादी आर्थिक पैरामीटर्स के बावजूद, वर्ष के दौरान नये स्लिपेज को 1.44% के स्तर पर आपके बैंक के प्रारंभिक शेष की तुलना में बनाये रखा गया। उच्च स्लिपेज की पृष्ठभूमि में सफल अग्रियों की तुलना में 31 मार्च 2012 को सकल एन.पी.ए. 1.53% रहें। फलस्वरूप शुद्ध अग्रियों की तुलना में शुद्ध एन.पी.ए. का अनुपात थोड़ा बढ़कर 0.54% तक मार्च 2012 के अंत में पहुंच गया।

आपके बैंक ने वर्ष 2011 में ऋण हानि प्रावधान अनुपात को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अनिवार्य स्तर से उच्च स्तर पर बनाये रखा। हमारा ऋण हानि प्रावधान अनुपात 31 मार्च 2012 को विवेकपूर्ण तकनीक बड़े खाते डाले गये अग्रियों को शामिल करने पर 80.05% रहा।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके बैंक ने शाखा, क्षेत्र, अंचल और कार्पोरेट स्तर पर विस्तृत वसूली ढांचे एवं ऋण अनुप्रवर्तन ढांचे की रूपरेखा निर्धारित की। इसके अलावा प्रत्येक डी.आर.टी. सेन्टर में एक नोडल अधिकारी को विविध मामले की अनुवर्ती कार्यवाही के लिए लगाया गया जिससे कि डिक्ली लेने में लगने वाले समय को कम से कम किया जा सके तथा वसूली को बढ़ाया जा सके। इसके अतिरिक्त लोक अदालतें, ऋण वसूली कैम्प, ग्राम चौपालों का आयोजन नियमित रूप से शाखाओं द्वारा किया गया। जिससे लम्बी अवधि से पड़े मामलों की संख्या कम की जा सके तथा छोटे खातों में वसूली बढ़ायी जा सके।

आपके बैंक ने एन.पी.ए. खातों में वसूली की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अनुवर्ती कार्यवाही प्रणाली पर जोर जारी रखा। बड़ी राशि वाले एन.पी.ए. खाते जैसे 25 लाख और उससे अधिक के खातों की कार्पोरेट कार्यालय से सीधे अनुप्रवर्तन करने की प्रणाली से शाखाओं ने वकीलों, रिकवरी एजेंटों के माध्यम से सघन कार्यवाही सुनिश्चित की। अतः वित्त वर्ष 2012 में एन.पी.ए. खातों में नकद वसूली रु.580 करोड़ रही। यह वर्ष 2011 की वसूली राशि 455 की तुलना में काफी अधिक है। अपप्रोडेशन वित्त वर्ष 2012 के दौरान वर्ष 2011 के रु. 189 करोड़ की तुलना में रु.336 करोड़ रहा।

वित्त वर्ष 2012 के दौरान आपके बैंक ने गांव / कस्बा स्तर पर वसूली कैम्प लगाकर तथा लोक अदालतों के माध्यम से छोटे खातों की वसूली पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया। बैंक ने प्रोत्साहन पर आधारित "संकल्प-IV"



वसूली योजना चलायी, जिससे सभी स्टाफ सदस्यों का छोटे खातों में वसूली बढ़ाने का सार्थक प्रयास / सहयोग मिल सके. ऐसे खातों जिनमें रु. 15 लाख तक की राशि बकाया है, योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2012 के दौरान रु. 191 करोड़ की नकद वसूली की गई.

आपके बैंक के अग्रिम पोर्टफोलियो का आस्ति वर्गीकरणवार ब्रेकअप इस प्रकार है.

(रु. करोड़ में)

आस्ति श्रेणी (सकल)	31 मार्च 2012	31 मार्च 2011
मानक	2,86,542.59	2,28,173.03
सकल एन.पी.ए.	4,464.75	3,152.50
कुल	2,91,007.34	2,31,325.53
सकल एन.पी.ए. में शामिल है:		
अवमानक	2,661.82	1,097.23
संदेहास्पद	1,318.71	1,336.64
हानिगत	484.22	718.63
कुल एन.पी.ए.	4464.75	3152.50

सूचना प्रौद्योगिकी

आपके बैंक ने बैंक के घरेलू परिचालनों, विदेशी परिचालनों और अनुषंगी परिचालनों को ध्यान में रखते हुए एन्ड टू एन्ड बिजनेस एवं आई.टी. स्ट्रेटेजी प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं.

- आपके बैंक ने सर्वोत्तम टेक्नॉलोजी इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाया है. उसके लिए अति आधुनिक डाटा सेंटर कार्यान्वित किया है. जिसमें अप टाइम इन्स्टीट्यूट टीयर 3 के मानदण्डों को पूरा किया गया तथा डिजास्टर रिकवरी साइट को कार्यान्वित किया गया. विभिन्न भूकम्प खण्डों को ध्यान में रखा गया है जिसमें प्रत्येक असफलता बिन्दु का गहन विश्लेषण किया गया जिससे कि ग्राहकों को अबाध बैंकिंग सेवाएं मिलती रहें. पिछले वर्ष बैंक के डाटा सेंटर का अपने भवन में सफलतापूर्वक न्यू डाटा सेंटर के रूप में माइग्रेशन के बाद आपके बैंक ने डिजास्टर रिकवरी सेंटर का विस्तार वर्ष के दौरान किया जिससे कि कारोबार विकास और टेक्नॉलोजी विस्तार का लाभ मिल सके.
- आपके बैंक ने कई अन्य टेक्नॉलोजी इनीसिएटिव जैसे विन्डो सर्वर वर्चुअलाइजेशन, डेस्क टॉप वर्चुअलाइजेशन, और बैंक ड्रॉप कन्सालीडेशन शुरू किए हैं. इन्हें पर्यावरण उन्मुखी कदम के रूप में उठाया गया है इनसे डाटा सेंटर की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी. बैंक के विस्तृत नेट वर्क को अपटाइम और डिमांड अपग्रेड को पूरा करने के लिए नई टेक्नॉलोजी आधारित एम.पी.एल.एस. में माइग्रेट किया गया है, इन्टरप्राइज मैनेजमेंट सिस्टम को अपग्रेड तथा प्रभावी ढंग से चलाने के लिए नये माड्यूल में शिफ्ट किया गया. बैंक के बढ़ते हुए आई.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर का अनुप्रवर्तन करने के लिए ऐसा किया गया.
- कोर बैंकिंग प्रणाली को संवर्धित गुणों के साथ उच्च संस्करण में शिफ्ट किया गया है. कई नये माड्यूल जैसे स्थायी आस्ति का

रखरखाव, सेल्स ट्रेक्टर माड्यूल, केन्द्रीकृत सेवा कर, इ.बी.आर. सी. (बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट), माड्यूल, खाता संख्या पोर्टेबिलिटी, वर्कफ्लो ऑटोमेशन फॉर न्यू पेंशन स्कीम - स्वावलंबन को वर्ष के दौरान कार्यान्वित किया गया.

- इन्टरनेट बैंकिंग में विश्वास एवं सुरक्षा बढ़ाने के विचार से आपके बैंक में फ्राइड मैनेजमेंट साल्यूशन को अपनाकर संबंधित सुरक्षा फीचर बढ़ा दिए हैं, उसमें दो फैक्टर अधिप्रमाणन भी शामिल हैं. आपके बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग चैनल में कुछ और अधिक सुविधाएं बढ़ा दी हैं. इंटरनेट बैंकिंग, अर्थात बड़ौदा कनेक्ट अब तेजी से एवं सुरक्षापूर्वक निधियों का अंतरण करता है. यह अन्य पक्ष को (बॉब के अंतर्गत), स्वयं को तथा इंटरबैंक सुविधा देता है. उपलब्ध अन्य सुविधाओं में सावधि जमा का शुभारंभ, रेलवे भाड़ा भुगतान सुविधा, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करों का आन लाइन भुगतान तथा कुछ राज्य सरकारों के करों का भुगतान, यूटीलिटी बिल्स, रेल टिकट, आन लाइन शॉपिंग, मंदिरों को दान और संस्थानों को शुल्क का भुगतान शामिल है. कापोरेट्स को सीधे वेतन भुगतान की सुविधा एवं ट्रेड फाइनेंस भी उपलब्ध है. वर्ष के दौरान विभिन्न राज्य करों के भुगतान को सक्षम बनाया गया एस.एम.एस. चेतावनी, आर.टी.जी.एस / निफ्ट लेन-देन को भी इन्टरनेट बैंकिंग पोर्टल में शामिल किया गया. एस्बा (ब्लॉक एकाउंट आवेदन) को बड़ौदा कनेक्ट में आनलाइन आवेदन-इनीशियल पब्लिक ऑफर तथा फोलोअप ऑफर हेतु तथा इक्विटी शेयर्स के आवेदन के लिए उपलब्ध कराया गया. लेन-देन आधारित इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को यूगांडा, बोत्सवाना, न्यूजीलैंड, यू.ए.ई., केन्या, मारीशस, सिसैल्स, फीजी और यू.के. में कार्यान्वित किया गया है जिससे निधि अंतरण स्वयं एवं अन्य पक्ष को बिलों का भुगतान, कार्पोरेट सैलरी अपलोड तथा आनलाइन शॉपिंग की सुविधा दी गयी है. ओमान एवं तन्जानिया में न्यू आधारित इंटरनेट बैंकिंग सुविधा दी गयी है.
- मोबाइल बैंकिंग-बड़ौदा एम.कनेक्ट के रूप में एक और वैश्विक डिलीवरी चैनल का शुभारंभ किया गया जिसमें ग्राहकों को विभिन्न खाता शेष की जानकारी, मिनी स्टेटमेंट, कई खातों को एक साथ जोड़ना, निधि अंतरण, बैंक को अनुरोध, बिलों का भुगतान, टिकट बुकिंग, शापिंग, फीडबैक / शिकायतें आदि शामिल हैं. मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से इंटर बैंक फंड ट्रांसफर के लिए आई.एम.पी.एस. को भी इनेबल किया गया.
- ए.टी.एम. में बढ़ते हुए लेन-देनों की संख्या को देखते हुए ए.टी.एम. स्विच को अपग्रेड किया गया. ए.टी.एम. स्विच भारत, यू.ए.ई. ओमान, मॉरीशस, फीजी, तन्जानिया, बोत्सवाना, टी एण्ड टी और न्यूजीलैंड में कार्यरत हैं. ए.टी.एम. स्वीच को 7 इन्टर चेंजेज के साथ जैसे नेशनल स्विच, एन.एफ.एस. (एन.पी.सी.आई) वीजा मास्टर कार्ड, सीवीयूई (यूई) सीवीओ मैन (ओमान), लिंक (टी एंड टी) पे मार्क (न्यूजीलैंड) के साथ क्वर्ड ए.टी.एम. के माध्यम से डिलीवरी पाइन्ट बढ़ाकर ग्राहकों को अधिक सुविधाएं देने हेतु जोड़ दिया गया है. ग्राहकोन्मुखी कदम के रूप में बैंक ने सेल्फ लिंक्ड निधि अंतरण, संस्थागत फीस भुगतान, मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन, मोबाइल नम्बर अपडेशन, बायो मेट्रिक अधिप्रमाणित युक्त ए.टी.एम., टैक्स भुगतान, एक ए.टी.एम. डेबिट कार्ड के साथ कई खातों को जोड़ना, वीजा द्वारा सत्यापित, सी वी2, वीसा प्लेटिनम, मास्टर डेबिट कार्ड, बायो मेट्रिक कार्ड, पिन परिवर्तन, मिनी स्टेटमेंट आदि को अन्य बैंकों के ए.टी.एम. जैसी सुविधाएं देने हेतु उक्त कदम उठाए हैं. अहमदाबाद, पुणे,



लखनऊ और नई दिल्ली में मोबाइल ए.टी.एम. शुरू किए गए हैं। कुछ मूल्य संवर्धित सुविधाएं जैसे आनलाइन नकदी जमा और चेक जमा, चेक बुक अनुरोध, खाता विवरण अनुरोध लिफाफे में नकदी एवं चेक जमा जैसी सुविधाएं यू.ए.ई. में प्रारंभ की गई हैं।

- डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड के लिए इंटरनेट भुगतान गेटवे सेवाएं व्यापारियों को और इंटरनेट खरीददारों को आनलाइन खरीदारी हेतु सुरक्षित एवं संरक्षित चैनल के रूप में दी जाती रही हैं।
- आपके बैंक के सभी ग्राहकों को सुविधाएं देने हेतु एस.एम.एस. अलर्ट डिलीवरी गेटवे को उन्नत किया गया।
- वर्ष के दौरान ग्राहकों को एक और सर्विस डिलीवरी चैनल उपलब्ध कराया गया, इसके लिए लखनऊ और बड़ौदा में संपर्क केन्द्रों का शुभारंभ किया गया।
- आपके बैंक के ग्राहकों को रिटेल डिपोजिटरी सेवाएं उपलब्ध करायी गईं। एक केन्द्रीकृत डिपोजिटरी आवेदन के साथ ही शाखाएं एन.एस.डी.एल और सी.एस.डी.एल दोनों सेवाएं देने के लिए सज्जित हैं। आन लाइन ट्रेडिंग प्रणाली से आपका बैंक आन लाइन सेवाओं की पूरी श्रृंखला ग्राहकों को दे सकेगा, जिससे कि वे इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, बांड्स एवं प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आई.पी.ओ) में भाग ले सकेंगे।
- नकदी प्रबंधन प्रणाली पूरी तरह वेब आधारित नकदी प्रबंधन प्रणाली है जिसे आपके ग्राहकों को प्रदान किया जा रहा है, जिसमें प्राप्ति प्रबंधन (संग्रहण) भुगतान प्रबंधन और इनवाइस मैनेजमेंट (प्राप्तियां एवं देय प्रबंधन) शामिल हैं।
- क्रेडिट कार्ड प्रबंधन की नयी प्रणाली प्रारंभ की गयी है जिससे आपके बैंक के क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड परिचालन को व्यापक प्रबंधन उपलब्ध होगा।
- सभी सीबीएस शाखाएं आर.टी.जी.एस. और नेफ्ट के माध्यम से इंटरबैंक धन प्रेषण के लिए सक्षम हैं। आर.टी.जी.एस. और नेफ्ट को हमारे बैंक के इंटरनेट और बैंकिंग पोर्टल के साथ जोड़ दिया गया है। नेफ्ट की स्टेट थ्रू प्रोसेसिंग के माध्यम से बैंक और बैंक के साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आवक संदेशों के साथ जोड़ दिया गया है।
- पूरे विश्व में अंतर बैंक वित्तीय संदेशों के लिए स्विफ्ट की सुविधा भारत में विदेशी मुद्रा के लिए प्राधिकृत सभी शाखाओं और विदेशी शाखाओं में उपलब्ध करायी गयी है।
- भुगतान संदेश साल्यूशन (पी.एम.एस) को 20 विदेशी टैरीटरीज और भारत की सभी प्राधिकृत शाखाओं में कार्यान्वित कराया गया है; पी.एम.एस सुविधा के द्वारा स्विफ्ट संदेशों को फार्मेट करने तथा उनका प्रमाण करने में सहायता मिलती है। इन्हें स्विफ्ट मानकों के अनुरूप सीबीएस से जनरेट किया जाता है और यह ए.एम.एल. चेक से होकर प्राप्त होते हैं।
- वर्ष के दौरान, ग्रिड आधारित चेक ट्रंक्शन प्रणाली (सी.टी.एस) को चेन्नै, कोयम्बतूर एवं बंगलूर में कार्यान्वित किया गया।
- आपके बैंक की सेवा सुपुर्दमी में सुधार लाने हेतु बैंक ऑफिस कार्यों को सिटी बैंक ऑफिस एवं रीजनल बैंक ऑफिस पर केन्द्रीकृत कर दिया गया है। वर्ष के दौरान आपके बैंक ने 5 नये रीजनल बैंक ऑफिस प्रारंभ किये। अब आपके बैंक में 70 सिटी बैंक ऑफिस एवं 10 रीजनल बैंक ऑफिस कार्यरत हैं। व्यक्तिगत चेक बुक जारी करने का कार्य भी केन्द्रीकृत कर दिया गया है। आपके बैंक ने केन्द्रीकृत एफ.सी.एन.आर परिचालन प्रारंभ किये हैं।
- मुम्बई में आटोमेटेड चेक प्रोसेसिंग केन्द्र (आवक एवं जावक) का शुभारंभ किया गया था। आपके बैंक ने प्रोजेक्ट नवनिर्माण के अन्तर्गत

बिजनेस प्रोसेस रिइंजीनियरिंग के एक भाग के रूप में सूरत एवं अहमदाबाद में भी इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया है।

- परिचालनगत लागत कम करने एवं बेहतर निधि प्रबंधन हेतु यू.के. यू.ए.ई., बहामाज, बहरिन, हॉंगकॉंग, सिंगापुर, बेल्जियम एवं भारत में एकीकृत ग्लोबल ट्रेजरी सोल्यूशन को कार्यान्वित किया गया है।
- विनियामक अनुपालन हेतु भारत एवं 20 विदेशी केन्द्रों पर एन्टी मनीलॉन्ड्रिंग (ए.एम.एल) को कार्यान्वित किया गया है। आपके बैंक ने जोखिम प्रबंधन साल्यूशन कार्यान्वित किया है।
- उद्यम अनुसार जी.एल.सॉल्यूशन को कार्यान्वित किया गया है। यह सुविधा आपके बैंक को कारोबार विकास में कार्यनीतिक निर्णय लेने में मददगार साबित होती है और उद्यमों की समेकित रिपोर्ट भी उपलब्ध कराती है।
- भारत में आपके बैंक के सभी कार्यालयों में केन्द्रीकृत पे-रोल, वेतन मॉड्यूल, ई-टीडीएस मॉड्यूल एवं अवकाश मॉड्यूल कार्यान्वित किये गए हैं।
- बैंक कर्मचारियों का सेंट्रल डेटा बेस तैयार करने के उद्देश्य से कर्मचारी सेवा मानव संसाधन नेटवर्किंग को कार्यान्वित किया गया है ताकि इससे संबंधित तुरन्त निर्णय, पदोन्नति एवं चयन प्रक्रिया के साथ ही मानव संसाधन प्रक्रिया को स्वचालित बनाया जा सके।
- आपके बैंक ने व्यावसायिक रणनीति की एक पहल के रूप में लचीली एवं कार्यनीतिक सूचनाओं का इंटरएक्टिव स्रोत प्रदान करने के लिए डेटा वेअर हाऊस, ग्राहकों को बेहतर तरीके से समझने के लिए ग्राहक संबंध प्रबंधन एवं यूनिफार्म कस्टमर व्यू एक्रॉस चैनल प्रारंभ किए हैं।
- वित्तीय समावेशन को सफल बनाने हेतु बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट के माध्यम से ऑन लाइन एवं ऑफ लाइन, दोनों माध्यमों से खाता खोलने की प्रक्रिया एवं लेन-देन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाएं विकसित की गई हैं। वित्तीय समावेशन हेतु बैंक की नवीन पहल के रूप में गुजरात, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में पायलट आधार पर मोबाइल वाहन द्वारा बैंकिंग सेवा प्रारंभ की गई है।
- वर्ष के दौरान बैंक के ग्रामीण ग्राहकों को अबाधित बैंकिंग सेवाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कुछ और ग्रामीण शाखाओं में सौर उर्जा जनरेशन सिस्टम (एसपीजीएस) कार्यान्वित किया गया। सौर उर्जा जनरेशन सिस्टम के माध्यम से उन शाखाओं को यू.पी.एस से वैकल्पिक उर्जा मिलेगी जहां बिजली की बहुत कमी है अथवा अधिक लोडशेडिंग रहती है।
- वर्ष के दौरान प्रौद्योगिकी की सुरक्षा पर आक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए एक सुदृढ़ सूचना सुरक्षा प्रबंधन पद्धति को लागू किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी की भावी योजनाएं

- वित्तीय समावेश के अन्तर्गत, आधार समर्थित भुगतान पद्धति (ए ई पी एस) आधार भुगतान ब्रिज (ए पी बी) अल्ट्रा स्माल शाखाएं आदि जैसी विभिन्न पहल की जा रही हैं।
- एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, रुपे कार्ड के माध्यम से इंटर बैंक मोबाइल पेमेंट सेवा (आईएमपीएस), एटीएम व प्वाइंट ऑफ सेल कार्यान्वयन, यूरोपियन मास्टर वीसा कार्यान्वयन (इएमवी), चिप आधारित कार्ड, इंटरैक्टिव वॉयस रिकग्निशन सिस्टम (आईवीआरएम) के माध्यम से और अधिक सुविधाएं, एटीएम के माध्यम से एनईएफटी, एटीएम के माध्यम से यूटिलिटी बिल भुगतान आदि जैसी कुछ और ग्राहक केन्द्रित पहलों की शुरुआत प्रस्तावित है।
- ग्राहक संबंध प्रबंधन और डाटा वेयर हाऊस के अगले दौर की योजना भी बनाई जा रही है।

- आपके बैंक की एक्सचेंज, ई-बिजनेस जैसी मौजूदा उन्नत विशेषताओं वाले अनुप्रयोगों को प्रोन्नत करने की योजना है।
- बैंक में व्यवसाय विश्लेषण, कर्मचारी कार्यनिष्पादन प्रबंधन पद्धति, कर्मचारी प्रोत्साहन व मानवशक्ति आयोजना के कार्यान्वयन भी प्रस्तावित है।
- बैंक में सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा परिचालन केन्द्र को कार्यान्वित करना भी प्रस्तावित है।
- बैंक ने इसमें सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे के अनुकूलतम उपयोग, आर्कीवल प्रोजेक्ट, आईपीवी 6 का कार्यान्वयन, आंतरिक प्रयोक्ताओं के लिए बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन, विकास हेतु सूचना प्रौद्योगिकी ढांचा आदि जैसी प्रौद्योगिकी परियोजनाएं बनाई हैं।

ई- बिजनेस

आपके बैंक का ई- बिजनेस विभाग विभिन्न प्रकार के वैकल्पिक डिलीवरी चैनलों जैसे एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग (बड़ौदा कनेक्ट) आरटीजीएस/ एनईएफटी, फोन बैंकिंग, इंटरनेट पेमेंट गेटवे आईपीपी आदि जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त आपके बैंक का ई- बैंकिंग विभाग डिपोजिटरी सेवाएं, नकदी प्रबंधन सेवाएं व सोने के सिक्कों की बिक्री का कार्य भी देखता है। इस वर्ष बैंक ने लखनऊ व बड़ौदा में कान्टेक्ट सेंटर, मोबाइल बैंकिंग व प्रीपेड गिफ्ट कार्ड आदि की सफलतापूर्वक शुरुआत की। वित्त वर्ष -12 के दौरान ई- व्यवसाय गतिविधियों के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों का कार्यनिष्पादन निम्नानुसार रहा -

एटीएम/डेबिट कार्ड परिचालन

विवरण	31.03.2011	31.03.2012
परिचालित एटीएम की संख्या	1,561	2,012
जारी डेबिट कार्डों की संख्या	62.71 लाख	80.44 लाख



बैंक के 104वें स्थापना दिवस पर 104 नए एटीएम का उद्घाटन करते हुए श्री एम. डी. मल्या, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, साथ में हैं श्री एन. एस. श्रीनाथ, कार्यकारी निदेशक एवं श्री. पी. डी. सिंह, महाप्रबंधक (ई-बिजनेस)

वित्त वर्ष 2012 के दौरान आपके बैंक को एटीएम परिचालन हेतु नेशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) से बेस्ट बैंक इन पब्लिक सेक्टर कैटेगरी का पुरस्कार प्राप्त हुआ।

बड़ौदा कनेक्ट (इंटरनेट बैंकिंग)

विवरण	31.03.2011	31.03.2012
प्रयोक्ताओं की संख्या	5,73,575	8,10,430
सम्बद्ध खातों की संख्या	21,90,700	32,49,216

वित्त वर्ष 2012 की नई पहलें

- क) बैंकिंग पद्धति को सुरक्षित बनाने के लिए अगस्त 2011 में फ्रॉड मैनेजमेंट सोल्यूशन (एफएमएस) कार्यान्वित की गई। पिछले दो महीनों में लेनदेनों में किसी भी कपटपूर्ण लेन-देन की रिपोर्ट नहीं मिली।
- ख) जनवरी 2012 में बड़ौदा कनेक्ट के माध्यम से ऑनलाइन एफडीआर की शुरुआत की गई।

बड़ौदा आरटीजीएस/ एनईएफटी

विवरण	2010-11		वित्त वर्ष 2012	
	आरटीजीएस	एनईएफटी	आरटीजीएस	एनईएफटी
आवक लेनदेनों की संख्या	13,98,612	34,24,515	16,62,070	61,37,139
जावक लेनदेनों की संख्या	19,25,969	14,88,661	21,47,527	29,48,252
औसत लेनदेन प्रतिदिन (आवक)	5,793	17,035	7,720	28,376
औसत लेनदेन प्रतिदिन (जावक)	7,235	8,015	9,338	13,211

बड़ौदा नकदी प्रबंधन सेवाएं

- वित्त वर्ष 2012 के दौरान बीसीएमएस के कुल लेन-देन 14.19 लाख थे, इसका कुल टर्न ओवर रु.10,355 करोड़ रहा। इसने रु.1.39 करोड़ का लाभ अर्जित किया।
- ग्राहकों की संख्या जो 31 मार्च 2011 को 92 थी जो 31 मार्च 2012 को बढ़कर 206 हो गई।
- यह प्रस्ताव है कि इन सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से 100 और केन्द्रों तक बढ़ा दिया जाए।

बड़ौदा ई-गेटवे पेमेंट (इंटरनेट पेमेंट गेटवे)

- 31 मार्च 2011 तक इसके अंतर्गत 52 मर्चेट का पंजीकरण किया गया था, 31 मार्च 2012 को यह पंजीकरण बढ़कर 124 हो गया और वित्त वर्ष 2012 के दौरान इसका कुल टर्न ओवर रु. 26.49 करोड़ रहा। वित्त वर्ष 2012 के दौरान इसने रु. 27.94 लाख का लाभ अर्जित किया।

सोने के सिक्कों की बिक्री

- आपके बैंक ने सोने के सिक्कों की बिक्री अक्टूबर, 2007 से शुरू की।
- वर्तमान में 2 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 8 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम और 50 ग्राम मूल्यवर्ग के सिक्के बेचे जा रहे हैं। वित्त वर्ष 2012 के दौरान 80,958 सिक्के बेचे गए, जिनका कुल वजन 668.45 किलो ग्राम था।
- वित्त वर्ष 2012 के दौरान इस गतिविधि से रु. 11.20 करोड़ का लाभ अर्जित हुआ।

वित्त वर्ष 2012 के दौरान आरंभ किए गए नए उत्पाद

1) मोबाइल बैंकिंग



वैकल्पिक डिलीवरी चैनल : मोबाइल बैंकिंग

2) प्री- पेड कार्ड



श्री. एम. डी. मल्या, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा बड़ौदा गिफ्टकार्ड का शुभारंभ. साथ में हैं श्री एन. एस. श्रीनाथ, कार्यकारी निदेशक एवं श्री पी. डी. सिंह, महाप्रबंधक (ई-बिजनेस)

3) लखनऊ और बड़ौदा में कांटेक्ट सेंटर



श्री. एम. डी. मल्या, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा बड़ौदा कांटेक्ट सेंटर का उद्घाटन

4) अलग-अलग तरह के विभिन्न डेबिट कार्ड

- क) विज्ञा प्लेटिनम डेबिट कार्ड
- ख) मास्टर कार्ड 'काम्बी' गोल्ड डेबिट कार्ड

5) मैस्ट्रो पिन डेबिट कार्ड



बैंक द्वारा जारी विभिन्न क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड

शीघ्र प्रारंभ किए जानेवाले नए उत्पाद

- 1) विदेशी मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कार्ड की शुरुआत.
- 2) मल्टीपल डिलीवरी चैनलों जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम वेबसाइट आदि के माध्यम से टॉप-अप, डीटीएच रिचार्ज, यूटिलिटी पेमेंट, टिकटिंग आदि जैसी मूल्य संवर्धित सेवाओं की शुरुआत.
- 3) ई- उत्पादों/ सेवाओं के माध्यम से नया/ अतिरिक्त व्यवसाय लाने हेतु वेब आधारित नकदी प्रबंधन, ई कॉमर्शियल पोर्टल अपने स्टाफ आदि के प्रतिभूति/पेरोल आदि सहित कार्पोरेट बिजनेस सोल्यूशन की शुरुआत.
- 4) डेबिट कार्ड के उपयोग व इससे संबद्ध आय को बढ़ाने के लिए स्थापित निष्ठा एवं पुरस्कार कार्यक्रमों का आयोजन.

मानव संसाधन

हमारे बैंक के व्यवसाय रूपांतरण एवं इसकी परिचालन इकाईयों के कार्यनिष्पादन को बढ़ाने के समग्र प्रयासों में मानव संसाधन कार्यनीति की प्रमुख भूमिका रही है. मानव संसाधन कार्य का प्रमुख उद्देश्य ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने हेतु कर्मचारियों की सक्षमता का उपयोग करना है. आपके बैंक के पास लगभग 42,175 सक्षम एवं अत्यधिक प्रोत्साहित स्टाफ सदस्य हैं, जो आपके बैंक के विशाल व्यवसाय परिचालन को बखूबी संभालें हुए हैं.

आपके बैंक ने प्रमुख अग्रणी बैंकों में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए वित्त वर्ष 2012 के दौरान कुछ प्रमुख मानव संसाधनों की पहल की है. इनमें से कुछ पहले, जैसा कि नीचे उल्लिखित है, अपने आप में विशिष्ट और सम्पूर्ण बैंकिंग क्षेत्र के लिए एकदम नई है.

'बड़ौदा मनिपाल स्कूल ऑफ बैंकिंग' की शुरुआत

Baroda MANIPAL School of Banking

KNOWLEDGE YOU CAN BANK UPON

Joint Initiative of
Bank of Baroda **MANIPAL
EDUCATION**

आपके बैंक ने इस नवोन्मेषी संसाधन चैनल की शुरुआत 'मनिपाल ग्लोबल एज्यूकेशन सर्विसेज' के साथ समझौता कर, वित्त वर्ष 2012 में की. 'बड़ौदा मनिपाल स्कूल ऑफ बैंकिंग' सितम्बर 2012 से और इसके बाद प्रत्येक तिमाही में लगभग 180 पूर्णतः प्रशिक्षित अधिकारियों का बैच उपलब्ध करवाया, जिन्हें आपके बैंक की आवश्यकतानुसार अधिकारियों के विशिष्ट कार्यभार के अनुसार पदस्थापित किया जाएगा. ऐसे विद्यार्थियों को बैंक ऑफ बड़ौदा की आवश्यकतानुरूप बैंक में लगाने से पूर्व बड़ौदा मनिपाल स्कूल ऑफ बैंकिंग में एक वर्षीय बैंकिंग एवं वित्त के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पूर्णकालिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है. ऐसे विद्यार्थी बैंक में पहले दिन, पहले घंटे में ही उत्पादकता के साथ प्रवेश करेंगे. यही इसका प्रमुख उद्देश्य है.



बड़ौदा मणिपाल स्कूल के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए डा. के. सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

मानव संसाधन रूपांतरण प्रोजेक्ट - 'स्पर्श' की शुरुआत



इस परियोजना की शुरुआत इस वर्ष के दौरान प्रौद्योगिकी एवं आपके बैंक के व्यवसाय रूपांतरण को सहयोग करने की दृष्टि से वर्तमान एच. आर. प्रक्रियाओं, संरचना एवं नीतियों को नया स्वरूप देने के लिए की गई. इस परियोजना के अंतर्गत प्रतिभा प्रबंधन, उत्तराधिकार आयोजना, वैज्ञानिक स्टाफिंग मॉडल एवं मानव शक्ति आयोजना और विकास एवं सक्षमता निर्माण, कार्यनिष्पादन प्रबंधन इत्यादि जैसी विभिन्न नवोन्मेषी पहलें की गईं.

एच. आर. प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन

आपके बैंक ने एक विस्तृत प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म तैयार किया है, जिसमें मानव संसाधन प्रबंधन, प्रशिक्षित कर्मचारियों की सेवाओं हेतु मानव संसाधन नेटवर्क पेरोल एवं लीव मोडयूल्स सम्मिलित हैं यह प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म विभिन्न एच. आर. कार्यों के स्वतन्त्र निष्पादन में सक्षम है और इस वर्ष के दौरान इस पद्धति के अंतर्गत विभिन्न मोडयूल्स के कार्यान्वयन पर कार्य जारी रहा.

सक्षमता निर्माण संबंधी एचआर पहलें

वित्त वर्ष 2012 के दौरान पर्याप्त प्रशिक्षित एवं विकास की गतिविधियां जारी रही- जिनमें 'सॉफ्ट स्किल' कार्यक्रमों के अलावा ऋण, फोरेक्स, डीलिंग्स, शाखा प्रबंधन, आयोजना, जोखिम प्रबंधन आदि के क्षेत्र में विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्मिलित हैं. नए कार्य ग्रहण करनेवाले युवा अधिकारियों के छः माह के प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से उनका समग्र विकास व प्रशिक्षित होना भी सुनिश्चित किया गया.

आपके बैंक ने (देश भर में कार्यरत 12 प्रशिक्षण केन्द्रों, एवं सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र व अहमदाबाद में स्थित शीर्ष प्रशिक्षण महाविद्यालय) इस वर्ष 2,334 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और इसमें 48,090 लोगों को प्रशिक्षित किया इसके अलावा आपके बैंक ने देश व विदेश के प्रतिष्ठित विभिन्न बाहरी प्रशिक्षण संस्थानों में भी 1,221 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलवाया. आपके बैंक के सभी महाप्रबंधकों व उप महाप्रबंधकों को भारत के एक उत्कृष्ट बी- स्कूल अर्थात आईएसवी, हैदराबाद में आयोजित उच्च प्रबंधन कार्यक्रम में प्रतिनियुक्त किया, जबकि एक अन्य पहल के अंतर्गत आपके बैंक ने संपूर्ण बैंक के 400 से अधिक लोगों को विशेष रूप से निर्धारण कर, नए भर्ती अधिकारियों के लिए 'मैटर' के रूप में कार्य करने हेतु 'विशेष मैटरिंग कार्यक्रम' में प्रशिक्षण दिलवाया.

नेतृत्व विकास

लोगों में नेतृत्व क्षमता का निर्माण करने की अति आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आपके बैंक ने एक व्यापक नेतृत्व विकास कार्यक्रम 'प्रोजेक्ट उड़ान' की शुरुआत की है, जिसमें सभी शहरी व महानगरी शाखाओं के शाखा प्रबंधकों तथा सहायक महाप्रबंधक एवं उप महाप्रबंधक सम्मिलित किए गए. इसका उद्देश्य भविष्य के 'लीडर्स' को तैयार करना है. इतना बड़ा व व्यापक नेतृत्व विकास प्रयास बैंकिंग उद्योग के लिए अतुलनीय व भारतीय बैंक में अपने आप में पहला प्रयास है.



यह कार्यक्रम नेतृत्व के तीन मोडयूल्स 'लीडिंग सेल्फ', 'लीडिंग अदर्स' और 'लीडिंग बिजनेस' के आधार पर तैयार किया गया है और इनमें से प्रत्येक मोडयूल्स ऑफ साइट इवेंट्स व कोचिंग क्लिनिक के समन्वय के जरिए सम्बोधित किया जा रहा है. इस कार्यक्रम में वित्त वर्ष 2012 के दौरान आपके बैंक के सात अंचलों के सात समूहों में 960 प्रतिभागियों को सम्मिलित किया गया व अगले वर्ष तीन समूहों में लगभग 460 से अधिक प्रतिभागियों को सम्मिलित किया जाएगा.

भर्ती अभियान

आपके बैंक ने सेवानिवृत्ति की पूर्ति, व्यवसाय विकास को बनाए रखने व

तीव्र शाखा विस्तार के लिए वर्ष दर वर्ष आधार पर निरंतर प्रयास किए हैं। वर्ष के दौरान आपके बैंक की श्रम शक्ति की आवश्यकता की समस्या को दूर करने के लिए भर्ती के लिए विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन किया गया। वर्ष के दौरान आपके बैंक की दोनों ही तरह की जरूरतों - सामान्य रूप से नौकरी छोड़कर जानेवालों की जगह भरने व व्यवसाय विकास की जरूरतों को पूरा करने की दृष्टि से भारी संख्या में विशेषज्ञ अधिकारियों, परिवीक्षाधीन अधिकारियों, प्रतिष्ठित व्यावसायिक स्कूलों से सीधे कैम्पस भर्ती के माध्यम से युवा एमबीए अधिकारियों की भर्ती की शुरुआत की। आपके बैंक ने विभिन्न श्रेणियों / वेतनमानों में 1726 अधिकारी (सामान्य और विशेषज्ञ श्रेणी दोनों) 1395 लिपिक और 629 अधीनस्थ संवर्ग के स्टाफ सदस्यों की भर्ती की। अन्य 125 नए कार्मिक कार्यक्रमों की प्रक्रिया में हैं। इस तरह से बैंक ने वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान कुल 3875 नए कर्मचारी भर्ती किए। भर्ती की यह प्रक्रिया वर्ष 2012-13 के दौरान भी जारी है, और साथ ही अधिकारियों ने लगभग 1000 पदों और लिपिकों के 2000 पदों को भरने की भर्ती प्रक्रिया चल रही है।

कैरियर विकास हेतु रूप-रेखा

तीव्र कैरियर विकास हेतु कर्मचारियों की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विशेष प्रयास किए गए जिनके द्वारा कर्मचारियों को उच्च उत्पादकता हेतु प्रोत्साहित किया गया। अपने श्रेष्ठ कार्यनिष्पादन करनेवाले कर्मियों को पुरस्कृत करने और बड़ी जिम्मेदारियों के प्रति आकर्षित करने हेतु आपका बैंक प्रतिवर्ष बिना किसी रुकावट के सभी श्रेणियों/वेतनमानों में लोगों को नियमित रूप से पदोन्नत कर रहा है। इस प्रवृत्ति को बनाये रखते हुए वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान भी बड़े पैमाने पर पदोन्नति प्रक्रिया शुरू की गई जिनके परिणाम नीचे दिये गये हैं।

सब स्टाफ से लिपिक	207
लिपिक से अधिकारी	450
क.प्र.श्रे - I से म.प्र.श्रे - II (अधिकारी से प्रबंधक)	600 रिक्तियां भरने का कार्य प्रगति पर हैं।
म.प्र.श्रे - II से म.प्र.श्रे - III (प्रबंधक से वरिष्ठ प्रबंधक)	500 रिक्तियां भरने का कार्य प्रगति पर हैं।
म.प्र.श्रे - III से व.प्र.श्रे - IV (वरिष्ठ प्रबंधक से मुख्य प्रबंधक)	275 रिक्तियां भरने का कार्य प्रगति पर हैं।
व.प्र.श्रे - IV से व.प्र.श्रे - V (मुख्य प्रबंधक से स. महाप्रबंधक)	85
व.प्र.श्रे - V से सर्वोच्च का. प्र. श्रे - VI (स. महाप्रबंधक से उप महाप्रबंधक)	28
सर्वोच्च का. प्र. श्रे - VI से सर्वोच्च व. प्र. श्रे - VII (उप महाप्रबंधक से महाप्रबंधक)	11

अनु. जाति./ अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया।

आपका बैंक अनु. जाति./ अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के विकास और कल्याण के लिए संवैधानिक हितों और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। आपका बैंक संपूर्ण बैंकिंग उद्योग में उन बैंकों

में से एक है, जिसमें सबसे अधिक संख्या में अनु. जाति./ अनु. जनजाति के लोग कार्यरत हैं, जो इनके विकास एवं कल्याण के प्रति बैंक की वचनबद्धता प्रदर्शित करता है। अनु. जाति./ अनु. जनजाति के लोगों के विकास और उनके कल्याण के लिए बैंक द्वारा किए गए कुछेक प्रयासों की जानकारी नीचे दी गई है:-

अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के विकास पर विशेष बल

बैंक समाज के एससी/एसटी एवं अन्य पिछड़े वर्गों से जुड़े व्यक्तियों के विकास एवं कल्याण संबंधी संवैधानिक उपबंधों एवं सामाजिक उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा बैंक पूरे बैंकिंग उद्योग में उन चुनिंदा बैंकों में से एक है जिसके पास एससी एवं एसटी संवर्ग से जुड़े अधिकतम कर्मचारी हैं, जिससे बैंक की इस वर्ग के विकास एवं उत्थान के प्रति प्रतिबद्धता का पता चलता है। बैंक द्वारा एससी एवं एसटी लोगों के विकास एवं कल्याण के संबंध में किए गए प्रयासों का संक्षिप्त उल्लेख नीचे किया गया है।

नौकरियों में आरक्षण

बैंक अपनी अखिल भारतीय एवं स्थानीय भर्ती योजनाओं में भारत सरकार द्वारा नौकरियों में आरक्षण के संबंध में निर्धारित सभी दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है। अखिल भारतीय नियुक्तियों में 15% पद अनुसूचित जातियों के लिए तथा 7.5% पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाते हैं। क्षेत्रीय आधार पर की गई अन्य भर्तियों में विभिन्न राज्यों के लिए निर्धारित उपयुक्त प्रतिशत का अनुपालन किया जा रहा है।

बैंक में भर्ती के संबंध में एससी/एसटी आवेदकों के लिए भर्ती पूर्व ओरिएंटेशन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। आयु सीमा एवं योग्यता में उपयुक्त रियायत प्रदान की जाती है। एससी/एसटी अभ्यर्थियों के साक्षात्कार में भी रियायत बरती जाती है ताकि आरक्षित पदों पर नियुक्ति हो सके। भर्ती हेतु समीक्षा पैनल में अनिवार्य रूप से एक एससी/एसटी सदस्य शामिल किया जाता है। साक्षात्कार हेतु बुलाए गए एससी/एसटी अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है। नौकरी में आरक्षण देने के अलावा बैंक विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुरूप एससी/एसटी कर्मचारियों के कैरियर विकास एवं पदोन्नति के संबंध में आरक्षण एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करता है। पदोन्नति प्रक्रिया में भाग लेने के पूर्व पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। बैंक के उपलब्ध आवासों में एससी/एसटी के लिए 10% का आरक्षण किया गया है।

31 मार्च 2012 को स्टाफ शक्ति एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार रहा:

कैडर	कुल	एससी	एससी %	एसटी	एसटी %
अधिकारी	16,953	2,936	14.76	1,159	6.84
लिपिक	16,448	2,428	17.32	1,070	6.51
सब स्टाफ	8,046	2,845	35.36	733	9.11
कुल	41,447	8,209	19.81	2,962	7.15

अनुसूचित जाति/जनजाति कक्ष

बैंक में आरक्षण तथा एससी/एसटी कर्मचारियों के लिए अन्य सम्बद्ध प्रावधानों की निगरानी के लिए एक विशेष एससी/एसटी कक्ष कार्यरत है। महाप्रबंधक स्तर का एक कार्यपालक एससी/एसटी के लिए मुख्य संपर्क अधिकारी है जो एससी/एसटी कर्मचारियों से संबंधित विविध दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। बैंक के प्रत्येक अंचल में एससी/एसटी हेतु एक संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है जो अंचल के एससी/एसटी कर्मचारियों के सभी मामलों एवं शिकायतों के निपटारे की स्थिति की देखरेख करता है।

अनुसूचित जाति/ जनजाति कल्याण संघ के साथ बैठक

बैंक अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण संघ के प्रतिनिधियों के साथ तिमाही आधार पर बैठकें आयोजित करता है ताकि उनके साथ सीधा संवाद स्थापित किया जा सके एवं एससी/एसटी संबंधी आरक्षण तथा अन्य प्रावधानों की समीक्षा की जा सके। इन बैठकों में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा वरिष्ठ कार्यपालक जिसमें एससी/एसटी हेतु मुख्य संपर्क अधिकारी शामिल हैं, भाग लेते हैं।

भारतरत्न डॉ. बाबा साहब अंबेडकर मैमोरियल ट्रस्ट

बैंक ने 1991 में भारत रत्न डॉ. बाबा साहब अंबेडकर मैमोरियल ट्रस्ट की स्थापना की जिससे कि एससी/एसटी कर्मचारियों एवं उनके परिवार जनों के लाभ हेतु कल्याणकारी गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके। एससी/एसटी कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के अलावा देश के महत्वपूर्ण केन्द्रों पर ट्रस्ट द्वारा एससी/एसटी समुदाय के जरूरतमंद छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

अनुसूचित जाति/जनजाति राष्ट्रीय आयोग का दौरा

अनुसूचित जाति/जनजाति राष्ट्रीय आयोग ने वर्ष के दौरान विभिन्न स्थानों अर्थात - अहमदाबाद (09-09-2011), राजकोट (16.09.2011), सूरत (08.10.2011), आणंद (09.11.2011), बलसाड़ (11.11.2011) जामनगर (23.12.2011), भरुच (05.12.2011), उदयपुर (29.12.2011), मेहसाणा (27.01.2012), गोधरा (17.03.2012), कोलकाता (21.02.2012) तथा जोधपुर (29.03.2012) में बैंक का दौरा किया एवं नीतियों तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन स्तर पर विचार विमर्श एवं उसकी समीक्षा की। बैंक में आयोग के सुझाव एवं दिशा निर्देशों का सावधानी पूर्वक अनुपालन किया जा रहा है।

मार्केटिंग


वर्ष 2011 के दौरान बैंक ने मार्केटिंग सम्प्रेषण के लिए रेखा चित्र प्रतिबिम्ब "स्टिकमैन" की नायाब तरीके से खोज की जिससे बैंक की ब्रांड वैल्यू में वृद्धि हुई तथा विभिन्न ब्रांडिंग पहलों को गति मिली। ब्रांड विकास यात्रा को आगे बढ़ाते हुए बैंक ने 20 जुलाई 2011 को स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर "सिगनेचर ट्यून्" को लॉन्च कर ब्रांड की सोनिक मीडियम में शुरुआत की। बैंक के मार्केटिंग संवाद का मुख्य ध्येय ब्रांड वैल्यू में वृद्धि लाना तथा फील्ड स्टाफ को संपूर्ण संबल प्रदान करना था।

उत्पादन समर्थन

वर्ष 2011-12 के दौरान रिटेल ऋण, चालू जमाराशियां, बचत जमा राशियां, एसएमई उत्पाद, एनआरआई उत्पाद और स्वर्णमुद्राओं की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए अनेक उत्पाद संवर्धन अभियान आयोजित किए गए। फील्ड में काम करने वाली इकाइयों के बिक्री के प्रयासों को समर्थन देने के लिए सभी माध्यमों (प्रिंट, इलैक्ट्रॉनिक और आउट ऑफ होम माध्यम) का मिला-

जुला उपयोग किया गया। शाखा के भीतर बैनर, पोस्टर, लीफलेट्स प्रदर्शित कर विस्तृत शाखा नेटवर्क के माध्यम से उनके प्रयासों को समर्थन दिया गया।

मार्केटिंग पहलें



बैंक के वर्ष 2012 के कलेण्डर का लोकार्पण

- बैंक ने 20 जुलाई 2011 को स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर "सिगनेचर ट्यून्" को लॉच कर सोनिक मीडियम में ब्रांड की शुरुआत की।
- कॉर्पोरेट ब्रांडिंग पहलों जैसे; सिगनेचर ट्यून् लॉच करना, बैंक के वित्तीय परिणामों तथा पुरस्कारों के विज्ञापन और विभिन्न उत्पाद अभियानों के माध्यम से निम्नलिखित संवर्धन हुआ।
- वर्ष 2012 में बैंक की ब्रांड वैल्यू बढ़कर \$ 675 मिलियन हो गई जो वर्ष 2011 में \$ 585 मिलियन थी।
- वर्ष 2012 में बैंक की ब्राण्ड रैंकिंग सुधर कर 166 हो गई जो वर्ष 2011 में 214 थी। (स्रोत - ब्रांड फाइनेंस- टॉप ब्रांड बैंकिंग 500, 2012 सर्वे)

सिगनेचर ट्यून्

वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान बैंक ने सिगनेचर ट्यून् लॉच की। सिगनेचर ट्यून् एक ऑडियो पीस है जो ब्रांड पर्सनलिटी (धुन) को दर्शाता है, बैंक के लोगो को श्रव्य माध्यम में संवर्धन करता है तथा प्रभावी बनाता है ताकि बैंक की ब्रांडिंग इसके ग्राहकों तथा कर्मचारियों से मजबूती के साथ जुड़ सके। यह भी उल्लेखनीय है कि सिगनेचर ट्यून् बैंक को वाइब्रंट (जीवंतता पूर्ण), उत्साही, युवा संगठन के रूप में प्रदर्शित करेगी तथा इसकी शुरुआत

नए ब्रान्ड युग की शुरुआत प्रदर्शित करेगी जो बैंक की ब्रांड वैल्यू को 360 डिग्री रिकॉल वैल्यू देगा.



श्री एम. डी. मल्या, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सिगनेचर ट्यून जारी करते हुए. साथ में हैं श्री एन. एस. श्रीनाथ, कार्यकारी निदेशक एवं श्री उल्हास सांगेकर, महाप्रबंधक (मासंप्र एवं मार्केटिंग)

मार्केटिंग के अन्य प्रयास



मुंबई मैराथन, 2012 में बैंक की सहभागिता

विभिन्न प्रयासों की वजह से बैंक की बेहतर उपस्थिति, छवि, प्रतिष्ठा और साख में पर्याप्त वृद्धि हुई. बैंक ने अनेक संवर्धनकारी आयोजन किये और इनमें भाग लिया. बैंक के ब्रांड के विस्तार में कुछ प्रमुख आयोजन जहां बैंक की ब्रांडिंग का संवर्धन हुआ- बड़ौदा मैराथन 2012, प्रेसीडेंट फ्लीट रिव्यू नाइट 2012, मिट एन्युअल बैंकिंग कॉन्क्लेव 2012, अपर्च्यूनटी एन्ड चैलेंज, 10वाँ प्रवासी भारतीय दिवस 2012, जयपुर; मुंबई मैराथन 2012, फिक्की- आईबीए बैंकिंग कॉन्फ्रेंस 2011, 28वाँ स्कांच समित ऑन

फाइनेंसियल इन्क्लूजन तथा द बड़ौदा कप पोलो टूर्नामेंट. ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ओ ओ एच मीडिया भी प्रभावी रहा.

बैंक ऑफ बड़ौदा को पुरस्कार व उद्योग जगत में मान्यता

बैंक के निरंतर उत्कृष्ट और सर्वांगीण कार्यनिष्पादन (व्यवसाय व वित्तीय दोनों) श्रेष्ठ प्रबंधन, उत्कृष्टता के प्रति निष्ठा तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं वित्तीय समावेशन में योगदान के लिए वर्ष 2011-12 में बैंक को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया. वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक को प्राप्त कुछ प्रमुख पुरस्कारों का विवरण आगे दिया जा रहा है-

- टी ए पई मैमोरियल "बेस्ट बैंक अवार्ड"
- मोस्ट एफीशिएंट बैंक इन केन्या.
- बेस्ट इनीशिएटिव इन इंकलूशिव बैंकिंग- एफआईबीएसी बैंकिंग अवार्ड.
- इन एंड ब्रॉडस्ट्रीट (डी एंड बी) लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक इन "ग्लोबल बिजनेस डेवलपमेंट" कैटेगरी.
- नेशनल अवार्ड फोर परफॉरमेंस अंडर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएमडीजीपी स्कीम.
- इंडिया बेस्ट बैंक एंड फाइनेंसियल इंस्टीट्यूशन अवार्डस- एमसीएक्स एंड सीएनबीसी- टीवी-18
 - क) बेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक
 - ख) श्री एम डी मल्या को "आउटस्टैंडिंग फाइनेंसियल प्रोफेशनल" के रूप में चुना गया.
- उत्कृष्टता प्रमाण पत्र-राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय
- एमटी इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल नई दिल्ली द्वारा बेस्ट इंटेलेक्चुअल ह्यूमन रिसोर्स यूटिलाइजेशन प्रैक्टिस के लिए एचआर एक्सीलेंस अवार्ड.
- गोल्डन पीकाक अवार्ड-एक्सीलेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस
- श्री एम डी मल्या को दैनिक भास्कर इंडिया प्राइड अवार्ड- लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड.
- एबीसीआई अवार्ड 2011-
 - गोल्डन ट्रॉफी इन इंडियन लैंग्वेज पब्लिकेशन- अक्षय्यम्
 - ब्रॉज ट्रॉफी इन न्यू पब्लिकेशन (नव निर्माण)
 - ब्रॉज ट्रॉफी इन स्पेशल कॉलम (अपनी बात)
 - गोल्डन ट्रॉफी इन वेब कम्यूनिकेशन ऑन लाइन - रिटेल प्रोडक्ट कैम्पेन
- बिजनेस वर्ल्ड बेस्ट बैंक 2011 अवार्ड
 - फास्टस्ट ग्राइंग बैंक - लाज
 - बैंकर ऑफ द ईयर - श्री एम डी मल्या, सीएमडी को
- बेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक अवार्ड बाई स्टेट फोरम ऑफ बैंकर्स क्लब केरल
- आईसीए आई अवार्डस फॉर एक्सीलेंस इन फाइनेंसियल रिपोर्टिंग
- बेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बाई एनडीटीवी प्रोफिट
- माई एफएम स्टार्स ऑफ द इंडस्ट्री - लीडरशिप ब्रांड अवार्ड

परिसर रि-इंजीनियरिंग और आकर्षक परिवेश

बैंक ने 27 जून 2011 को "महाराजा सयाजीराव नगर गृह" ऑडिटोरियम प्रतीकात्मक रूप में वडोदरा म्यूनिसिपल कार्पोरेशन को समारोह पूर्वक सौंप दिया. इसमें 1008 सीटें हैं यह बड़ौदा शहर को शताब्दी वर्ष उपहार के रूप में है.



सयाजीराव नगर गृह बड़ौदा



श्री एम. डी. मल्या, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सयाजी नगर गृह की चाबियाँ बड़ौदा शहर की मेयर डा. ज्योति पंड्या को भेंट करते हुए

महामहिम महाराजा सर सयाजीराव गायकवाड़-III के वारिस श्री महाराजा रंजीत सिंह गायकवाड़ तथा अन्य पदाधिकारियों ने बैंक की उदारता की मुक्तकंठ से प्रशंसा की. इस स्टेट ऑफ द आर्ट भवन में नगर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उकेरा गया है. जिसमें स्थानीय कलाकारों तथा कारीगरों को शामिल किया गया है. यह सुंदर भवन अब बड़ौदा शहर का लैंडमार्क बन गया है. अब यहां बड़ौदा शहर के प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.

घुड़ दौड़ रोड सूरत में प्रशासनिक कार्यालय- सह - आवासीय परिसर का निर्माण अब पूरा हो चुका है. यह बिल्डिंग अति आधुनिक उपकरणों तथा उर्जा दक्ष पद्धतियों, वर्षा जल संग्रहण प्रणालियों तथा पर्यावरण के अनुकूल सामग्री से सुसज्जित है. डायमंड शहर में इस भवन की सर्वत्र प्रशंसा की जा रही है.



क्षेत्रीय कार्यालय सूरत का नया परिसर



क्षेत्रीय कार्यालय सूरत का उद्घाटन करते हुए श्री एम. डी. मल्या, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सम्पदा प्रबंधन में अन्य पहलें

- वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप आपके बैंक ने अपने कॉर्पोरेट कार्यालय को सभी अंचल एवं क्षेत्रीय कार्यालयों को एमजीएमएस कनेक्टिविटी के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली के माध्यम से परस्पर जोड़ दिया है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यालय प्रमुखों में परस्पर बातचीत से शीघ्र एवं कुशलतापूर्वक निर्णय लेने में मदद मिली है तथा इससे लागत में भी कमी आई है.
- आपका बैंक ई टेंडरिंग तथा ई खरीदों के रूप में प्रोद्योगिकी युक्त पहलों/ सेवाओं की दिशा में आगे बढ़ रहा है.
- सभी विक्रेताओं को तत्काल सकल भुगतान आरटीजीएस/राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण एनईएफटी के माध्य से भुगतान किए जा रहे हैं अथवा राशि लाभार्थी के खाते में जमा की जा रही है.
- शाखाओं से सम्बद्ध सभी आस्तियों तथा इन पर मूल्य हास की गणना को परियोजना एवं सूचना प्रोद्योगिकी विभाग के सहयोग से सीबीएस प्लेटफॉर्म में माइग्रेट कर दिया गया है.
- बदले हुए परिवेश तथा उपलब्ध डिलीवरी चैनलों के मद्देनजर विभिन्न केन्द्रों पर इन हाउस रीजनल बैंक ऑफिस, सिटी बैंक ऑफिस तथा सम्पर्क केन्द्र स्थापित किए गए हैं, ताकि प्रभावी एवं कुशल ग्राहक सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें.

- बैंक के प्रशासनिक कार्यालय बैंक के अपने परिसरों में रखने संबंधी आपके बैंक की नीति को ध्यान में रखते हुए बैंक ने व्यावसायिक भवनों के निर्माण हेतु बेंगलूर(कर्नाटक), हैदराबाद(आन्ध्र प्रदेश), इन्दौर(मध्य प्रदेश), उदयपुर, कोटा, जयपुर(राजस्थान) तथा नया रायपुर (छत्तीसगढ़) में भूखण्ड खरीदे हैं.
- वर्ष के दौरान आपके बैंक ने शाखाओं/ कार्यालयों का लगभग 30000 वर्गफुट आधिक्य/अप्रयुक्त क्षेत्र सरेंडर कर दिया है, जिससे किराए की बचत हुई है.
- किरायों में हो रही निरंतर वृद्धि के मद्देनजर उपलब्ध परिसरों के पूर्ण उपयोग की आवश्यकता महसूस की जा रही है; तदनुसार शाखाओं/ कार्यालयों के नवीकरण तथा फर्निशिंग करते समय पर्यावरण के अनुकूल फर्नीचर उपयोग की शुरुआत की गई है.
- पूरे भारत में प्रक्रिया और प्रणाली में एकरूपता की दृष्टि से परिसर नीति दिशानिर्देश, निर्माण मैनुअल, साजसज्जा मैनुअल तैयार किए गए हैं.

निर्माणाधीन परियोजनाएं

- मइलापुर, चेन्नै में अंचल कार्यालय शाखा तथा करंसी चेस्ट हेतु व्यावसायिक परिसर के निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है तथा इसके जून 2012 के अंत तक पूरा होने की सम्भावना है.
- सेनोटॉप रोड चेन्नै में कार्यपालकों तथा अति महत्वपूर्ण अतिथियों के आवास/निवास हेतु आवासीय परिसर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है, तथा जून 2012 के अंत तक परिसर अधिग्रहण कर लिए जाने की सम्भावना है.
- ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली में आवासीय परिसर का कार्य पूरा होने के अंतिम चरण में है.
- टाटा नगर जमशेदपुर में क्षेत्रीय कार्यालय, रीजनल बैंक आफिस, प्रशिक्षण केन्द्र तथा 25 फ्लैट्स वाले वाणिज्यिक एवं आवासीय परिसर के निर्माण का कार्य पूरा होने के अंतिम चरण में है.

सम्पदा प्रबन्धन संबंधी भावी योजनाएं

- बैंक के संसद मार्ग, नई दिल्ली स्थित भवन को सुन्दर एवं आकर्षक बनाना.
- कोयंबतूर स्थित रामनगर परिसर के जीर्णोद्धार का कार्य ताकि शाखा/अधिकारियों के फ्लैटों के लिए उपलब्ध स्थान का अधिकतम उपयोग किया जा सके.
- हैदराबाद में डिजास्टर रिकवरी साइट के लिए बैंक के अपने भवन का निर्माण कार्य.
- बेंगलूरु में प्रशिक्षण केन्द्र तथा जयपुर में अंचल कार्यालय भवन का निर्माण
- बैंक ऑफ बड़ौदा सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर (गुजरात) का नवीकरण
- मुम्बई में स्थानांतरित अधिकारियों /कार्यपालकों के लिए 138 आवासीय फ्लैटों के भांडुप स्टाफ क्वार्टर्स भवन का जीर्णोद्धार.

- इन्दौर (मध्यप्रदेश) में आवासीय एवं व्यावसायिक परिसर का निर्माण.
- भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप भारतवर्ष में फैले विभिन्न केन्द्रों पर बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थानों का निर्माण.

शाखा नेटवर्क

31 मार्च 2012 को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने-वाले परम्परागत चैनलों का विवरण नीचे दिया गया है .ये चैनल (केन्द्र) शहरी टेक्नो सेवी लोगों द्वारा सामान्यतः अपनाए जाने-वाले ई-बैंकिंग चैनलों की तुलना में सामान्य ग्राहकों को व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान कर रहे हैं.

क्षेत्रीय वर्गीकरण (भारत)	शाखाओं की संख्या	कुल शाखाओं में % हिस्सेदारी
महानगर	871	22.31
शहरी	718	18.39
अर्ध- शहरी	1045	26.77
ग्रामीण	1270	32.53
कुल	3904	100.00
विदेशी	55	-

घरेलू अनुषंगियां और सहयोगी कंपनियां

वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा की अनुषंगियों संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों का कार्यनिष्पादन संतोषजनक और अपेक्षा के अनुरूप रहा. बॉब कार्ड्स लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2011 में गुणात्मक सुधार दर्ज करते हुए वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान लाभ कमाया. कंपनी ने व्यवसाय विकास के सभी गुणात्मक पहलुओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया, परिणामस्वरूप लाभप्रदता गुणवत्तापरक कार्ड आधार एवं सदस्य संस्थान आधार में सुधार दर्ज किया गया.

बॉब कैपिटल मार्केट लिमिटेड को एक व्यावसायिक सीईओ की नियुक्ति और व्यावसायिक टीम की भर्ती द्वारा सुदृढ़ किया गया है. मुख्य ध्यान ऋण समूहन, निजी इक्विटी समूहन और मार्केटिंग क्रियाकलापों पर होगा. कंपनी ने अक्तूबर 2009 में संस्थागत ब्रोकिंग व्यवसाय शुरू किया था और अब यह शीघ्र ही रिटेल ब्रोकिंग व्यवसाय करेगी.

बड़ौदा पायोनियर एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड अपने परिचालन के चौथे वर्ष में है, कंपनी ने सिस्टेमेटिक इनवेस्टमेंट प्लान (एसआयपी) पर ध्यान केंद्रित किया. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने आपके बैंक के नेटवर्क के माध्यम से सफल एसआईपी अभियान चलाया तथा एसआईपी राशि में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की.

इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एक संयुक्त उद्यमी कंपनी जिसने 16 नवंबर 2009 को अपना कारोबार शुरू किया और इसे देश भर में आपके बैंक के ग्राहकों से उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिला. इंडिया फर्स्ट ने 40 प्रतिशत की अधिकतम वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर दर्ज करते हुए श्रेष्ठ कार्यनिष्पादन किया. वित्तीय वर्ष 2010 में 22 वीं कंपनी के रूप में प्रवेश करते हुए यह कंपनी 31 मार्च 2012 को निजी कंपनियों में 10 वें स्थान पर आ गई. इंडिया फर्स्ट ने बड़ौदा फर्स्ट तथा अभय फर्स्ट जैसे संबंधित उत्पादों की शुरुआत की.



(रु.लाख में)

संस्था (पंजीकरण की तारीख के साथ)	देश	स्वाधिकृत निधियां	कुल आस्तियां	शुद्ध लाभ	कार्यालय	स्टाफ
बॉब कैपिटल मार्केट लि., 11 मार्च, 1996	भारत	12994.38	14141.87	737.04	1	36
बॉबकार्स लि., 29 सितंबर, 1994	भारत	12623.72	14002.31	1280.07	34	124
बड़ौदा पायोनियर एसेट मैनेजमेंट कंपनी लि., 5 नवंबर, 1992	भारत	36688.15	396009.32	6118.34	104	851
इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि., 19 जून, 2008	भारत	3621.44	4096.21	-1312.36	1	69
नैनीताल बैंक लि., 31 जुलाई, 1922	भारत	41580.81	253516.84	-7257.78	15	1457

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

समीक्षा अवधि के दौरान आपके बैंक ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में उल्लेखनीय प्रगति की है। बैंक ने राजभाषा अधिनियम /राजभाषा नियमों की विभिन्न संवैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया। बैंक ने भारत सरकार द्वारा वार्षिक कार्यान्वयन कार्यक्रम के तहत निर्धारित सभी प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त किया तथा संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासनों को पूरा किया।

बैंक के उल्लेखनीय कार्यनिष्पादन के फलस्वरूप बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता के अंतर्गत भाषिक क्षेत्र 'क' में प्रथम तथा भाषिक क्षेत्र 'ख' तथा 'ग' में द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। आपके बैंक की गृहपत्रिका 'बॉबमैत्री' को भारतीय रिजर्व बैंक से चौथा पुरस्कार प्राप्त हुआ। जयपुर तथा बड़ौदा में आपके बैंक के संयोजन में कार्यरत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के उल्लेखनीय कार्य निष्पादन के लिए भारत सरकार, राजभाषा विभाग द्वारा क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुए। आपके बैंक की गृहपत्रिका अक्षय्यम् को 'ए बी सी आई' द्वारा भारतीय भाषा प्रकाशन संवर्ग में 'गोल्ड प्राइज', अपनी बात को विशिष्ट कालम (भाषा) संवर्ग में 'ब्रांज प्राइज', 'नवनिर्माण न्यूज लेटर' को नए प्रकाशन संवर्ग में 'ब्रांज प्राइज' तथा बैंक की वेबसाइट को वेबसाइट संवर्ग में 'सिल्वर प्राइज' प्रदान किए गए।



महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से राजभाषा शील्ड प्राप्त करते हुए श्री बी. बी. गर्ग, महाप्रबंधक

आपके बैंक के संयोजन में कार्यरत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों ने अपने उत्तरदायित्वों को बखूबी निभाया है। वर्ष के दौरान आपके बैंक के संयोजन में सूरत, राजकोट तथा जोधपुर में तीन नई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की गईं।

बैंक ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए 28 नए विशेषज्ञ हिन्दी अधिकारियों की भर्ती की है।

संसदीय राजभाषा समिति की तृतीय उपसमिति ने आपके बैंक की मनाली शाखा का दौरा किया तथा राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में बैंक द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की।

आपके बैंक ने अपनी सभी शाखाओं (जो कि सी बी एस में आ चुकी हैं) के फिनाकल सिस्टम में 'स्क्रिप्ट मैजिक' साफ्टवेयर की शुरुआत की है तथा 'क' तथा 'ख' क्षेत्र में पासबुक /खातों की विवरणियां तथा अन्य रिपोर्ट हिन्दी में जनरेट एवं प्रिंट करना प्रारंभ कर दिया है। हिन्दी में ई-बुलेटिन 'बड़ौदा हिन्दी डॉट कॉम' का प्रकाशन तकनीक /प्रौद्योगिकी के माध्यम से हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने का कार्य कर रहा है।

निदेशक मंडल

श्री सुदर्शन सेन को केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 30-05-2011 से बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3) (सी) के अंतर्गत आगामी आदेशों तक निदेशक के रूप में नामित किया गया।

श्री विनिल कुमार सक्सेना को केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 25-07-2011 से बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(ई) के अंतर्गत तीन वर्ष की अवधि अथवा उनके बैंक ऑफ बड़ौदा में वर्कमेन कर्मचारी बने रहने अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो वर्कमेन कर्मचारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

श्री मौलिन अरविन्द वैष्णव दिनांक 23-12-2011 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (i) के तहत 24-12-2011 से 23-12-2014 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए बैंक के केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में पुनर्निर्वाचित हुए।

श्री सुरेन्द्र सिंह भंडारी दिनांक 23-12-2011 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (i) के तहत 24-12-2011 से 23-12-2014 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए बैंक के केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में निर्वाचित हुए।

श्री राजीव शेखर साहू दिनांक 23-12-2011 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (i) के तहत 24-12-2011 से 23-12-2014 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए बैंक के केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में निर्वाचित हुए।

श्री आर. गांधी, जो केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 30-07-2010 से आगामी आदेशों तक बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (सी) के तहत निदेशक नामित किए गए थे, उनके स्थान पर श्री सुदर्शन सेन का निदेशक के रूप में नामांकन होने के पश्चात वे 30.05.2011 से निदेशक के पद पर नहीं रहे।

डा. धर्मेन्द्र भंडारी, जो बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (i) के तहत 24-12-2008 से 23-12-2011 तक की तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्र सरकार के अलावा शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में निर्वाचित हुए थे, अपना कार्यकाल पूरा होने के पश्चात वे 24-12-2011 से निदेशक के पद पर नहीं रहे.

डा. दीपक बी. फाटक, जो बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (i) के तहत 24-12-2008 से 23-12-2011 तक की तीन वर्ष की अवधि के लिए बैंक के केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में निर्वाचित हुए थे, अपना कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात वे 24-12-2011 से निदेशक के पद पर नहीं रहे.

निदेशकों का दायित्व संबंधी अभिकथन

निदेशक गण, इस आशय की पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करते समय

- महत्वपूर्ण विसंगतियों, यदि कोई हो के समुचित स्पष्टीकरण सहित लेखा मानकों का पूर्णतः पालन किया गया है.
- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार तैयार की गई लेखा नीतियों का निरंतर पालन किया गया है.

- वित्त वर्ष की समाप्ति पर बैंक के कार्यपालकों की स्थिति तथा 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ की वास्तविक एवं सुस्पष्ट स्थिति प्रस्तुत करने की दृष्टि से तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निर्णय एवं आकलन किए गए हैं.
- भारत में बैंकों पर लागू नियमों संबंधी प्रावधानों के अनुरूप उचित लेखांकन रिकार्ड तैयार रखने के लिए समुचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है तथा,
- लेखों को उत्तरोत्तर जीवंत (कंसर्न) आधार पर तैयार किया गया है.

आभार

निदेशकगण, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, अन्य विनिमायक प्राधिकारियों, विभिन्न वित्तीय संस्थानों, बैंकों तथा विदेशों एवं भारत स्थित प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं. निदेशकगण, आपके बैंक के देश-विदेश स्थित समस्त हित धारकों यथा ग्राहकों, शेयरधारकों एवं शुभचिंतकों के द्वारा प्रदत्त सहायता एवं सहयोग की सराहना करते हैं. निदेशकगण, विभिन्न स्तरों पर कार्यरत स्टाफ सदस्यों की प्रतिबद्धता एवं कड़ी मेहनत की सराहना करते हैं जिसके कारण बैंक को आर्थिक चुनौतियों के बावजूद वर्ष-दर-वर्ष उच्च गुणवत्तापूर्ण व्यवसाय अर्जित करने में सफलता हासिल हुई और बैंक ने देश के अग्रणी बैंक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया.

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से.

एम. डी. मल्या

एम.डी. मल्या
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



DIRECTORS' REPORT

Your Directors have pleasure in presenting the One Hundred and Fourth Annual Report of Your Bank with the audited Balance Sheet, Profit & Loss Account and the Report on Business and Operations for the year ended March 31, 2012 (FY12).

Performance Highlights

- **Total Business** (Deposit+Advances) increased to **Rs 6,72,248 crore** reflecting a growth of **25.86%**.
- **Gross Profit and Net Profit** were **Rs 8,580.62 crore** and **Rs 5,006.96 crore** respectively. Net Profit registered a growth of **18.04 %** over previous year.
- **Credit-Deposit Ratio** stood at **86.86%** as against 86.77% last year.
- **Retail Credit** posted a growth of **9.97%** constituting **17.36%** of your Bank's Gross Domestic Credit in FY12.
- **Net Interest Margin (NIM)** as per cent of interest earning assets in global operations was at the level of **2.97%** and in domestic operations at **3.51%**.
- **Net NPAs to Net Advances** stood at **0.54%** this year against 0.35% last year.
- **Capital Adequacy Ratio (CAR)** as per Basel II stood at **14.67%**.
- **Net Worth** improved to **Rs 26,203.67 crore** registering a rise of **32.67%**.
- **Book Value** improved from Rs 504.43 to **Rs 637.37** on year.
- **Business per Employee** moved up from Rs 1,229 lakh to **Rs 1,466 lakh** on year.

Segment-Wise Performance

The Segment Results for the year FY12 reveal that the contribution of Treasury Operations was **Rs 887.72 crore**, that of Corporate/Wholesale Banking was **Rs 965.87 crore**, that of Retail Banking was **Rs 2,782.37 crore**, and of Other Banking Operations was **Rs 2,959.73 crore**. Your Bank earned

a Profit after Tax (PAT) of **Rs 5,006.96 crore** after deducting **Rs 1,569.89 crore** of unallocated expenditure and **Rs 1,018.84 crore** towards provision for tax.

Dividend

Your Bank's Directors have proposed a dividend of **Rs 17 per share** (on the face value of Rs 10/-per share) for the year ended March 31st, 2012. The total outgo in the form of dividend, including taxes, will be **Rs 812.29 crore**.

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Your Bank's Capital Adequacy Ratio (CAR) was comfortable at **14.67%** under **Basel II** as on 31st March 2012.

Your Bank's Net Worth as at 31st March 2012 was **Rs 26,203.67 crore** comprising paid-up equity capital of **Rs 412.38 crore** and reserves (excluding revaluation reserves) of **Rs 25,791.29 crore**. An amount of **Rs 4,194.67 crore** was transferred to reserves from the profits earned.

Provisions towards Retirement and Other Benefits

During the year FY12, your Bank made provision towards contribution to **gratuity (Rs 145.63 crore)**, **pension funds (Rs 671.88 crore)**, **leave encashment (Rs 93.46 crore)** and **additional retirement benefits (Rs 80.97 crore)** on actuarial basis. Total provisions under these four categories amounted to **Rs 991.94 crore** during the year FY12, against Rs 1,160.42 crore during FY11. Total corpus available with your Bank at the end of March 2012 under these heads was: **Rs 1,416.85 crore (gratuity)**, **Rs 5,935.62 crore (pension funds)**, **Rs 566.01 crore (leave encashment)**, and **Rs 446.62 crore (additional retirement benefits)**.

Key Financial Ratios

Particulars	FY12	FY11
Return on Average Assets (ROAA) (%)	1.24	1.33
Average Cost of Funds (%)	5.64	4.67
Average Yield (%)	8.55	7.76
Average Interest Earning Assets (Rs crore)	3,47,223.21	2,82,109.79
Average Interest Bearing Liabilities (Rs crore)	3,43,397.26	2,80,098.94
Net Interest Margin (%)	2.97	3.12
Cost-Income Ratio (%)	37.55	39.87
Book Value per Share (Rs)	637.37	504.43
EPS (Rs)	127.84	116.37



Management Discussion and Analysis

Economic Scene in FY12 and Outlook for FY13

The Central Statistical Organisation, Government of India has placed India's economic growth during FY12 at 6.9% much lower than the growth of 8.4% witnessed during the previous two fiscal years. During FY12, while the economy could draw support from relatively robust agriculture and services, the slowdown was quite acute in industrial sector. The growth in industrial production significantly decelerated from 8.2% in FY11 to 2.8% in FY12. Within the industrial sector, maximum stresses were seen in mining, capital goods & intermediate goods sectors, which posted negative growth rates during the year FY12. Factors like sustained input cost pressures, shortages of important intermediates like coal and iron ore, uncertainty in land acquisition and environment clearances, sharp depreciation in rupee of 19.0% against the US dollar between end-Dec, 2010 and end-Dec, 2011 substantially depressed the investment sentiment during FY12.

Both investment and savings rates declined significantly between FY10 and FY12. As per the International Monetary Fund's (IMF) calculation, India's savings rate declined from 33.5% in FY10 to 31.3% in FY12 and investment rate from 36.3% in FY10 to 34.0% in FY12. According to RBI, the deceleration in capital formation is apparent in the sharp moderation in the number/outlay of projects sanctioned by major banks and financial institutions during FY12. The decline in financial assistance was particularly acute for 'metal & metal products' and power industries.

Inflationary risks persisted throughout FY12 with headline (WPI) inflation averaging around 8.8% for the full year. Headline inflation, which was at 10.0% in Sept, 2011, however eased to 6.69% in Mar, 2012 on account of a seasonal decline in certain food prices and favourable base effect. After raising the policy rate by 375 bps during Mar, 2010 to Oct, 2011 to contain inflation and anchor inflation expectations, the RBI paused in its policy review in Dec, 2011. The emerging growth-inflation dynamics prompted the central bank to indicate that no further tightening was required and that future actions would be towards lowering the rates.

India's balance of payments (BoP) came under stress during FY12 due to deterioration of the trade balance and moderation in capital inflows. While exports grew at the modest pace of 21.0% (y-o-y) to US\$ 304 billion in FY12, imports grew by 32.2% to US\$ 489 billion, widening India's trade deficit from US\$ 119 billion in FY11 to US\$ 185 billion in FY12. Notwithstanding the rupee depreciation, the trade deficit increased in FY12 primarily due to a slowdown in global demand, inadequate passthrough of higher global oil prices and the relatively price inelastic nature of some of India's imports like gold and silver. India's current account deficit is expected to touch 4.0% of GDP in FY12. After the boom in FII inflows in FY11, rising global risk aversion and domestic policy concerns reduced the FII inflows by 43.0%

(y-o-y) in FY12 to US\$ 16.8 billion. This was the lowest FII investment in the last three years. Investment in Indian ADRs and GDRs too declined in FY12 to US\$ 597 million.

Foreign Direct Investment (FDI) in India, however, spiked 34.0% (y-o-y) in FY12 to a record US\$ 46.8 billion thanks to a spate of some big ticket deals like Vedanta or British BP, etc.

In nominal terms, India's rupee depreciated by 18.3% against the US dollar from the last week of Aug, 2011 to mid-Dec, 2011 after being largely range-bound during the first four months of FY12. Subsequently, the exchange rate stabilized in response to the measures taken by the RBI and the Government aimed at improving dollar supply in the foreign exchange market as also to curb speculation.

Lower tax revenues, poor disinvestment receipts and higher spending on subsidies pushed up the central government's fiscal deficit to 5.9% of GDP in FY12 as against the target of 4.6%.

Going forward into FY13, assuming a normal monsoon, the baseline GDP growth is projected at 7.3% by the RBI in its Annual Monetary Policy Statement for FY13 on the back of marginally improved global outlook and expected revival in domestic investment sentiment. Inflation, however, is forecast to remain above the RBI's comfort zone and placed at 6.5%. The fiscal correction, as indicated in the Union Budget for FY13, along with other policy measures to address supply-side bottlenecks in agriculture, energy and transport sectors, are expected to create conditions for revival of investment activity in India during FY13.

Performance of Indian Banking Sector in FY12 and Outlook for FY13

Credit growth of Indian commercial banks had been showing a decelerating trend from Dec, 2010 on the back of elevated inflation, interest rates and intensification of supply-side constraints. The year FY12 ended with bank credit growth of 19.3% and aggregate deposit growth of 17.4%. Even though the divergence between credit and deposit growth rates had narrowed during the first three quarters of FY12, it widened during the fourth quarter due to a sharper deceleration in deposit growth in Q4, FY12. This resulted in increased dependence of commercial banks on non-deposit sources of finance (i.e., borrowings) during Q4, FY12.

While the deceleration in bank credit growth was contributed by all the sectors, i.e., agriculture, industry, services and personal loans, the RBI data showed that the deceleration was particularly sharp in agriculture, real estate, hotels & restaurants, professional services, telecommunication, power, cement, textiles, iron & steel and personal vehicle loans.

Increasing stress in the corporate sector was reflected in the quantum jump in the corporate debt that came up for restructuring before the Corporate Debt Restructuring Cell



during FY12. According to RBI, the Indian banking sector, in general became risk averse during FY12 to avoid the possibility of adverse selection in the given economic environment. As per the RBI's report, the Gross NPA ratio of the Indian banking industry worsened by 59 basis points (bps) between end-Mar, 2011 to end-Dec, 2011 due to continued economic stresses and capital to risk-weighted asset ratio (CRAR) of Banking industry deteriorated by 91 bps during the said period. These factors appear to have negatively impacted the Banking sector's capacity to extend credit during FY12. As a result, there was a compositional shift in Banks' asset portfolio in favour of investments in government securities.

Liquidity conditions remained in a deficit mode throughout FY12. However, beginning Nov, 2011, the liquidity deficit went beyond the comfort level of (+)/(-) one per cent of net demand and time liabilities (NDTL) of banks. As a result, the RBI took steps to inject primary liquidity of a more durable nature in the form of open market operations and the aggressive cuts in the cash reserve ratio (by 125 bps during Jan - Mar, 2012), which helped ease the liquidity tightness to a great extent.

Going forward into FY13, the RBI has projected aggregate deposits of commercial banks to grow by 16.0% and non-food credit by 17.0% in line with the overall GDP growth of 7.3% and broad money supply growth of 15.0%. Banks with good capital strength, a balanced loan-mix, stable net interest margins (NIMs) and lower incremental delinquency ratios are likely to see decent earnings growth in FY13 also, despite subdued economic environment.

Risk Management

Risk is an exposure to a transaction which may result in a loss with some probability. In financial institutions, risk results from variations and fluctuations in assets, liabilities, incomes and outflows & inflows of cash etc. While the types and degree of risks an organization may be exposed to, depend upon a number of factors, it is believed that generally Banks face Credit, Market, Liquidity, Operational, Compliance, Legal, Regulatory and Reputation risks.

Your Bank has set up a sound Risk Management architecture wherein the risks are assumed within the risk appetites defined by your Bank's Board.

Risk Management Structure

The Board of Directors of your Bank has the authority and responsibility to implement Risk Management Architecture of your Bank. Risk Management Committee of Executives and Risk Management Committee of the Board are looking after the implementation of integrated risk management systems in your Bank.

The Sub Committee of the Board on ALM (Asset Liability Management) and Risk Management Division assist the Board

on financial risk related issues. Your Bank has a full-fledged Risk Management Department headed by a General Manager and consisting of a team of qualified, trained and experienced employees. Your Bank has set up separate committees, of Top Executives of your Bank to supervise the respective risk management functions as under.

Asset Liability Management Committee (ALCO) is a decision making unit responsible for balance sheet planning from a risk-return perspective including the strategic management of interest rate and liquidity risks. The business issues that an ALCO would consider, inter alia, typically include product pricing for both deposits and advances, desired maturity profiles of the incremental assets and liabilities, etc. It also plans out strategies to meet asset-liability mismatches.

Credit Policy Committee (CPC) has the responsibility to formulate and implement various enterprise-wide credit risk strategies including lending policies and also to monitor your Bank's credit risk management functions on a regular basis.

Operational Risk Management Committee (ORMC) has the responsibility of evaluating and taking necessary steps for mitigation of operational risk by designing and maintaining an explicit operational risk management process. It also ensures that the norms, policies and guidelines laid down in **Operational Risk Management Policy** are strictly adhered to.

Risk Management Policy

Your Bank has Board-approved policies and procedures in place to measure, manage and mitigate various risks that it is exposed to. In order to provide ready reference and guidance to various functionaries of the Risk Management System in your Bank, it has in place Asset Liability Management and Group Risk Policy, Domestic Loan Policy, Mid Office Policy, Off Balance Sheet Exposure Policy (domestic), Business Continuity Planning Policy, Pillar III Disclosure Policy, Operational Risk Management Policy, Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP), Stress Test, Credit Risk Mitigation and Collateral Management Policy duly approved by its Board.

Risk Management – Implementation and Monitoring System

The monitoring mechanism of major risks like Liquidity Risk, Credit Risk, Market Risk and Operational Risk are as under.

Liquidity Risk

Liquidity risk is the current and prospective risk to earnings or capital arising from a bank's inability to meet its obligations when they become due without incurring unacceptable losses. Liquidity risk includes the inability to manage unplanned decreases or changes in funding sources. Liquidity risk also arises from the failure to recognize or address changes in market conditions that affect the ability to liquidate assets quickly and with minimal loss in value.



During the year under review, Indian banking system exhibited a stiff systemic liquidity position with some adjustments done by the central monetary authority to balance credit growth and control inflation. In your Bank, the liquidity risk is measured by its flow approach on a daily basis through Structural Liquidity Gap reports and on a dynamic basis by Dynamic Gap reports prepared every fortnight for the subsequent three months. Under Stock Approach, your Bank has established a series of caps on activities such as daily call lending, daily call borrowings, net short term borrowings and net credit to customer deposit ratio and prime asset ratio, etc. The Asset Liability Management (ALM) Cell, working in the Risk Management Department reviews the liquidity position on a daily basis to ensure that the negative liquidity gap does not exceed the tolerance limit in the respective time buckets. Your Bank's specialized Integrated Treasury Branch, Mumbai assesses the domestic liquidity in respect of all foreign currency exposures. In respect of overseas operations, each territory assesses its currency wise liquidity position at prescribed intervals. The funding requirements in case of contingencies are also examined at regular intervals to prepare your Bank to meet any exigencies of a shortfall in funds' position. Your Bank has managed its liquidity by prudent diversification of the overall deposit base, control on the level of bulk deposits, and ready access to wholesale funds under normal market conditions. Your Bank has significant level of marketable securities, which can be sold, used for repo borrowings or as collaterals, if required.

Credit Risk

Credit risk is defined as the possibility of losses associated with decrease in the credit quality of the borrower or the counter parties. In any bank's portfolio, losses stem from outside defaults due to inability or unwillingness of the customer or the counter party to meet their commitments. Losses may also result from reduction in the portfolio value arising from actual or perceived deterioration in credit quality. In general, credit risk management processes involve identification, measurement, monitoring and control of credit exposures.

In your Bank, the Credit Risk management ensures that your Bank's risk identification and reporting controls in credit processes are adequate and functional. Top management regularly gauges your Bank's economic standing and loss-prevention strategy by reviewing risk controls.

Your Bank has various policies in place such as Domestic Loan Policy, Investment Policy, Off-Balance Sheet Exposure Policy, etc to guide its operating units. It has specified various prudential caps for credit risk exposures. Your Bank also conducts industry studies to assess the risk prevalent in industries where your Bank has sizable exposure and also for identification of sunrise industries. The industry reports are communicated to the operating functionaries to consider the same while lending to these industries.

Your Bank has adopted various credit rating models to measure the level of credit risk in a specific loan transaction. Your Bank uses a robust rating model developed to measure credit risk for majority of the business loans.

Apart from estimating PD (probability of defaults), the credit rating model would also help your Bank in several other ways as under.

- To migrate to internal rating based approaches (advanced approaches) of computation of Risk Weighted Assets.
- To price a specific credit facility considering the inherent credit risk.
- To measure and assess the overall credit risk and to evolve a desired profile of credit risk.

Apart from assessing credit risk at the counterparty level, your Bank has appropriate processes and systems to assess credit risk at the portfolio level. Your Bank undertakes portfolio reviews at regular intervals to improve the quality of the portfolio or to mitigate the adverse impact of concentration of exposures to certain borrowers, sectors or industries.

Market Risk

Market risk implies possibility of loss arising out of adverse movements of market determined rates and prices. The objective of market risk management is to avoid excessive exposure of your Bank's earnings and equity to such losses and to reduce your Bank's exposure to the volatility inherent in financial instruments such as securities, foreign exchange contracts, equity and derivative instruments, as well as balance sheet or structural positions. The primary risk that arises for your Bank as a financial intermediary is interest rate risk due to your Bank's asset-liability management activities.

Other market related risks to which any bank is exposed are foreign exchange risk on foreign currency positions, liquidity, or funding risk, and price risk on trading portfolios.

Your Bank has clearly articulated policies to control and monitor its treasury functions. These policies comprise management practices, procedures, prudential risk limits, review mechanisms and reporting systems. These policies are revised regularly at fixed intervals in line with changes in financial and market conditions.

The Interest rate risk in your Bank is measured through interest rate sensitivity gap reports and Earning at Risk. Furthermore, your Bank calculates duration, modified duration, Value at Risk for its investment portfolio consisting of fixed income securities, equities and forex positions on monthly basis. It monitors the short-term Interest rate risk by NII (Net Interest Income) perspective and long-term interest rate risk by EVE (Economic Value of Equity) perspective. The Value at Risk for the treasury positions is calculated for ten days holding period at 99.0% confidence level. The stress testing of fixed interest investment portfolio through sensitivity analysis and equities through scenario analysis is regularly conducted. Based on the RBI directions, your Bank is also estimating the Economic Value of Equity impact on a quarterly basis.



Operational Risk

Operational risk is the risk of loss on account of inadequate or failed internal process, people and systems or external factors. As stated above, your Bank's Operational Risk Management Committee (ORMC) has the responsibility of monitoring the operational risk of your Bank. Your Bank monitors operational risk by reviewing whether its internal systems and procedures are duly complied with. It collects and analyses loss and near miss data on operational risk based on different parameters on a half yearly basis and, wherever necessary, corrective steps are taken without much loss of time.

Bank's Compliance with Basel II

Your Bank, with a very large overseas presence amongst the Indian banks has implemented the Basel-II Guidelines effective 31st March 2008. In keeping with the guidelines of the RBI, your Bank has adopted Standardized Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized Duration Approach for Market Risk for computing its Capital Adequacy Ratio. Your Bank has been computing the Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) on parallel basis under Basel-I and Basel-II Guidelines. Your Bank is also providing additional capital towards Operational Risk under the Basel II guidelines.

The CRAR of your Bank is summarized as follows.

Date	Basel I	Basel II
31.03.2010	12.84%	14.36%
31.03.2011	13.02%	14.52%
31.03.2012	12.95%	14.67%

In compliance with the Pillar-II guidelines of the RBI under Basel II framework, your Bank has formulated a Policy of Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to assess internal capital in relation to various risks that it is exposed to. Stress Testing and scenario analysis are used to assess the financial and management capability of your Bank to continue to operate effectively under exceptional but plausible conditions. Your Bank has a Board-approved Stress Testing Policy describing various techniques used to gauge their potential vulnerability and its capacity to sustain such vulnerability. Your Bank has been conducting its ICAAP tests on quarterly basis along with stress tests as per its ICAAP Policy.

The Pillar 3 of Basel II, (i.e. market discipline) aims to encourage market discipline by developing a set of disclosure requirements which will allow market participants to assess key pieces of information on the scope of application, capital, risk exposures, risk assessment processes, and hence the capital adequacy of your Bank.

The Pillar-3 Disclosures are published on quarterly and half yearly basis on your Bank's website plus a year-end disclosure as on March of every year. The year-end exposure is also published in your Bank's Annual report apart from being available on your Bank's website.

Preparedness for Basel III

The RBI has issued final Guidelines on Basel III on May 2, 2011. A comparison of minimum capital requirement, under Basel-II vis-à-vis Basel- III, is given below.

Parameter	Basel - II	Basel - III
Common Equity Capital	NA	5.5%
Tier I Capital	6%	7%
Total Capital	9%	9%
Capital Conservation Buffer (a buffer of capital that can be used to absorb losses during periods of financial and economic stress.) (in the form of Common Equity)	NA	2.5%

Basel III guidelines of RBI have also introduced (i) a minimum **Leverage Ratio** of 4.5% as an additional standard of riskiness of a banks' balance sheet. (ii) Liquidity standards by way of two liquidity ratios namely Liquidity Coverage Ratio (**LCR**) and Net Stable Funding Ratio (**NSFR**).

During the parallel run between January, 2013 and January, 2017, banks will strive to maintain a minimum Leverage Ratio of 4.5%. The regulatory leverage ratio requirements would be prescribed by RBI after a parallel becomes effective from Jan 1, 2018.

The **LCR** requires a bank to hold sufficient high-quality liquid assets to cover its total stressed net cash outflows over 30 days. The **NSFR** requires a bank to hold available amount of stable funding to exceed the required amount of stable funding over a one-year period of extended stress.

With the quantum and quality of capital that your Bank is having in its books, with common equity constituting 93.05% of Tier I Capital as on March 2012, it is hoped that your Bank's transition to Basel III regime would be met without much difficulty up to FY14. But moving ahead your Bank may have to supplement capital funds, especially common equity funds, for FY15 and onwards.

Credit Monitoring Function

A continuous monitoring of credit is one of the most important tools for ensuring the quality of advances assets for any bank. Your Bank too has a well-established system of monthly monitoring of its advances accounts at various levels to prevent asset quality slippages and to take timely corrective steps to improve the quality of its overall loan-book.



In your Bank, a separate department for **Credit Monitoring** function at the Corporate level, headed by a General Manager, and one at the Regional/Zonal level, has been functional since September 2008. The Slippage Prevention Task Force formed at all Zonal/Regional offices in terms of your Bank's Domestic Loan Policy was activated for the purpose of arresting slippages and also for initiating necessary restructuring in potentially sick accounts at an early stage in conformity with the laid down norms and guidelines. Your Bank has placed special focus on sharpening of the credit monitoring process for improving the asset quality, identifying the areas of concern and the branches requiring special attention. It has also worked out strategies to ensure implementation in a time-bound manner.

The primary **objectives** of your Bank's **Credit Monitoring Department** at the Corporate level are fixed as under:

- Identification of weakness/Potential default/incipient sickness in the account at an early stage;
- Initiation of suitable and timely corrective actions for preventing impairment in credit quality, whenever signals are noticed in any account, e.g. decline in credit rating, delay in meeting liabilities in LC/Guarantee and delay in servicing of interest/ installments etc;
- Prevention of slippage in the Asset Classification and relegation in Credit Ratings through a vigorous follow up;
- Identification of suitable cases for restructuring/ rescheduling/ rephasing as well as further financing in deserving and genuine cases with matching contribution from the borrower; Liaison with CDR Cell and Zonal/ Regional Offices.

- Taking necessary steps/regular follow up, for review of accounts and compliance of terms and conditions, thereby improving the quality of your Bank's credit portfolio;
- Endeavoring for upward migration of Credit Ratings.
- Monitoring progress of accounts under BIFR.

Restructuring of Advances Accounts

As a part of an on-going business strategy to improve upon the quality of assets, your Bank has reaffirmed the need to look into the advance portfolio on a continuous basis, industry-wise as well as borrower-wise, to analyze the present position and the problems foreseen in near future and to identify weaknesses/potential default/incipient sickness in the advance accounts at an early stage so as to initiate suitable and timely corrective measures for preventing impairment in credit quality.

Your Bank's Credit Monitoring department at Corporate Office has taken several initiatives in identifying the incipient sickness/potential default/weaknesses in the advance accounts for taking corrective actions including restructuring in deserving cases, for prevention of slippage and maintaining asset quality. The department had called for suggestions from Zonal and Regional Offices for modification of Monthly Monitoring Report (MMR) format. The MMR was modified, incorporating suggestions of these operational units to make it more effective.

Your Bank has also initiated follow up actions for ensuring expeditious review of accounts, compliance of terms and conditions, up-gradation in credit rating etc. in high value advance accounts for improving the asset quality of its credit portfolio.

Total Outstanding of the accounts restructured during the course of FY12 was as follows as on 31st Mar, 2012

Outstanding of Restructured Loans in FY12 (Domestic) (Position as on 31st March, 2012)

(₹ crore)

Particulars		CDR Mechanism	SME Restructuring	Others	Total
Standard Advances Restructured	No. of Borrowers	16	274	9,596	9,886
	Amt. Outstanding	1,534.03	435.31	6,276.61	8,245.95
Sub-standard Advances Restructured	No. of Borrowers	0	5	2,042	2,047
	Amount Outstanding	0	10.38	5.09	15.47
Doubtful Advances Restructured	No. of Borrowers	0	2	40	42
	Amount Outstanding	0	1.93	2.06	3.99
Total	No. of Borrowers	16	281	11,678	11,975
	Amount Outstanding	1,534.03	447.62	6,283.76	8,265.41

Besides the domestic restructuring given above, your Bank restructured in its international operations during FY12 the accounts involving an outstanding balance of Rs 613.78 crore (as on 31st Mar, 2012).

Your Bank also initiated major follow-up actions for ensuring expeditious review of accounts, compliance of terms and conditions, up-gradation in credit rating etc. in high value advance accounts for improving the asset quality of its credit portfolio.



Economic Intelligence Unit

At the Corporate Office of your Bank, a specialized Economic Intelligence Unit (EIU) supports the Top Management in several critical areas like Macroeconomic Forecasting, Business Strategy Formulation, Investor Relations, Asset-Liability Management and in discussions/deliberations with the Regulators (both domestic & international) and Rating Agencies. The Unit regularly provides the Top Management as well as various operational units a periodic outlook on key macro variables like industrial and infrastructural growth, inflation, interest rates, stocks' movement, credit deployment & resource mobilization of Banking industry, liquidity conditions and exchange rates.

By providing better understanding of macroeconomic aspects, corporate sector health and banking sector policies, the EIU of Bank of Baroda supports Bank's efforts in tapping business opportunities and swiftly responding to market dynamics.

The EIU brings out a weekly e-publication on macro-economic, policy and regulatory developments to share its perspective with Bankers, investors, regulators and other industry leaders. The division works as an intellectual arm of your Bank in comprehending developments that eventually helps develop rightly aligned strategies.

Internal Control Systems

Your Bank has continued to register excellent business results year after year and maintained the record of doubling its business in three years without compromising on asset quality.

It may be noted that your Bank's Central Inspection & Audit Division has played an important role in protecting the standards of control and compliance for your Bank without hurting its business growth.

Your Bank's Central Inspection & Audit Division located at its Head Office in Baroda functions with extended arms of ten zonal Inspection Centres at Zonal Head Quarters and oversees the internal control system through Risk Based Internal Audit of all the branches. The Information Systems Audit (I.S. Audit), Concurrent Audit, Credit Audit and Management Audit keep a check that quality compliance is maintained by the operating units.

The Regular Branch Inspection Report is the most comprehensive feed-back to the Management about the degree of compliance of your Bank's systems and procedures and guidelines at the operational level and hence, the most important tool for exercising control. The compliance is monitored through submission of Rectification Certificate by the auditee units duly countersigned by the Reporting Authorities.

All the branches are covered under your Bank's Risk Based Internal Audit (RBIA). The assessment of the level of risk and its direction is as per the Risk Matrix prescribed by the RBI, which helps the Management in identifying areas of high risk requiring attention on priority basis. The position of the risk categorization

of the branches is reviewed by Audit Committee of the Board on quarterly basis. During the year FY12, 2,769 branches were inspected under RBIA. Around 1,893 branches (68.36%) were in the Low Risk, 748 branches (27%) were in the Medium Risk and 128 branches (4.63%) were in the High Risk category.

With 100.0% migration of your Bank's branches to Core Banking platform, the I.S. Audits are being conducted to ensure that IT related Risk Management Systems and processes are strengthened as per the I.S. Audit policy of your Bank. The I.S. Audit cell of your Bank also undertakes offsite surveillance through generations of various reports.

As against the RBI's requirement of coverage of 50.0% of business, 682 branches were subjected to Concurrent Audit during the year FY12 covering Total Deposits of 62.0% and Advances of 81.0%, and Overall Business of 70.0%.

As per the RBI directives, Credit Audit was conducted in 3,708 accounts covering total exposure of Fund & Non-fund based facilities of Rs.2,33,802 crore to improve the quality of credit assessment and compliance level of large loans.

During the year FY12, about 2,892 staff members were imparted training at your Bank's Staff College, Regional Training Centres and other external training institutes of repute on the matters relating to Risk Management.

The Inspections and Audits are carried out in your Bank under the supervision and guidance of the Audit Committee of Board and it is ensured that compliance is in focus all the time along with your Bank's business growth and interest.

Operations and Services Customer-Centric Initiatives

As always, efficient customer service and customer satisfaction are the primary objectives of your Bank in its day to day operations. Your Bank is highly responsive to the needs and satisfaction of its customers, and is committed to the belief that all technology, processes, products and skills of its people must be leveraged for delivering superior banking experience to its customers without fail.

Recently, your Bank has taken several measures to improve customer service at the branches and at the same time, strengthened the customer complaint redressal machinery for fast disposal of customer complaints. Your Bank has implemented Online Complaint Tracking Module (OCTM) so that the customers may also have a view on the status of their complaint.

Some of the other major initiatives are as under:

- Implemented Intra- Bank Saving Bank Account Portability
- The automatic payment of compensation for delay in collection of outstation cheques/instruments has been configured in the system
- Creation of On line Fixed Deposit account through Baroda Connect.



- Registration of nomination in all the existing accounts in Finacle system. It has also been advised that nomination should be offered in all new accounts to be opened and to record the nomination made / denied by the customer
- The SMS alert facility in respect of transactions where the amount is greater than or equal to Rs. 50,000 has been enabled to all resident SB/CA and OD customers of your Bank whose mobile numbers are registered in your Bank's record (CBS system)
- Branches were advised to send notices to customers having inoperative accounts requesting them to reactivate the account

Efforts to Improve Customer Service at Branches

The feedback on quality of customer service at branches is obtained through the **Branch Level Customer Service Committee** meetings that are held every month in which customers from various cross sections of the society are invited including Senior Citizens and Pensioners. The suggestions/ views generated during the meeting are collated and appropriate follow up action is taken to examine the feasibility to implement the suggestions for improving the quality of customer service rendered at the branches.

Your Bank is focused towards providing excellent customer service through all delivery channels and has been making continuous efforts for enhancing the level of customers' satisfaction by leveraging technology to provide e-products and alternative delivery channels e.g. ATM / DEBIT CARD, POS, Internet Banking, Mobile Banking, etc., best suited to the diverse needs of different customers. The varied interests and expectations of customers are taken care of by improving upon various processes and procedures.

Compliance

Your Bank is a member of Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) and has adopted the Code of Commitment to the Customers prescribed by the BCSBI in August 2009 and also, Code of Bank's Commitment to MICRO and Small Enterprises. The Code has been placed on your Bank's website and also made available to customers at the branches.

While announcing the Annual Monetary & Credit Policy for the year FY11, the Governor, RBI had proposed that banks should devote exclusive time in their Board Meetings once in every six months to review and deliberate on issues concerning customer service/customer care. To comply with this, two such six monthly reviews were undertaken by your Bank's Board for the sub-periods January-June 2011 and July-December 2011, in meetings dated 27th August 2011 and 13th April 2012, respectively.

Customer Service Committee of the Board

Your Bank has a Sub-Committee of Board for Customer Service which is headed by your Bank's Chairman and Managing Director with the following members as on 31st March 2012.

1. Shri M. D. Mallya – Chairman and Managing Director
2. Shri Rajiv Kumar Bakshi – Executive Director
3. Shri N. S. Srinath – Executive Director
4. Dr Masarrat Shahid – Director
5. Shri Maulin Vaishnav – Director

This Sub-Committee addresses the issues relating to the formulation of policies and assessment of its compliances which brings about consistent improvement in the quality of customer service. It also monitors the status of the number of deceased claims pending for settlement beyond 15 days pertaining to Depositors/Locker Hirers/Depositors of safe custody articles, and reviews the status of implementation of Awards passed by Banking Ombudsman.

Standing Committee on Customer Service

Your Bank has also set up a **Standing Committee on Procedures and Performance Audit on Customer Services**, comprising of three eminent public personalities as members along with both the Executive Directors and four General Managers of your Bank. This Committee oversees timely and effective compliance of the RBI instructions on Customer Service and also reviews the practices and procedures prevalent in your Bank and takes necessary corrective steps on an on-going basis.

The suggestions emanating in the Branch Level Customer Service Committee meetings are obtained by the Head Office on quarterly basis from Regional Offices and placed before the Standing Committee on Procedure and Performance Audit on Customer Services. The feedback of the Committee meetings is then put up to the Customer Service Committee of the Board of Directors.

Customer-Centric Initiatives and Redressal of Complaints

- Your Bank has put in place a Customer Grievance Redressal Policy, approved by the Board, and a well structured Customer Grievance Redressal Mechanism. The General Manager in charge of Operations & Services is designated as Nodal Officer for customer complaints regarding your Bank. At Zonal and Regional levels, Zonal Heads and Regional Heads are designated as Nodal Officers for their respective Zones and Regions. The names of all Nodal Officers along with their contact numbers are displayed in all the branches.
- A note on Review of Customer Services & Grievances Redressal Machinery is placed before the Board of Directors every quarter giving position of customers complaints received at your Bank's Regional Offices and Head office and the follow up measures with important initiatives taken by your Bank for improving the quality of customer service.
- To eradicate customer complaints fully and to ensure hassle free customer service, a regular analysis is done on the complaints received from the customers



and a suitable action is taken on time so that there is no repetition of such complaints in future.

- Your Bank has Board-approved policies on customer services and the same are placed on your Bank's website.

To facilitate customers, an in-house “**Online Complaint Tracking Module**” has been developed in consultation with Project Office, BCC, Mumbai. In Phase-I, the user-id and password generation for all the branches and your Bank's regional/zonal offices plus functional departments was completed. All the regional offices and functional departments were able to access the complaint Module successfully. The online complaint icon was then activated on the home page of your Bank's web site for quick access to the customer.

The salient features of “Online Complaint Tracking Module” are as follows.

- It allows tracking of the complaint both by the complainant as well as the concerned Branch/ Region/ Zone and Head Office concurrently
- It provides for generation of relevant MIS reports at all levels
- It provides for quicker transmission of complaint to the respective authority i.e. Branch /Region/Zone, thus increasing the time efficiency in redressal of a complaint.
- It provides for automatic escalation of the complaint in case action is not taken within the stipulated period by the respective authority, thus facilitating the controlling offices to follow up with the concerned branch for early resolution of the grievances.
- The module provides for generation of instantaneous “Tracker ID” along with an acknowledgement message of successful registration of complaint to the customer.

Based on the feedback and suggestions from the grass root level customer committees and various studies/surveys, a slew of customer centric initiatives and measures were taken by your Bank during the year under review to improve customer service at its branches.

KYC-AML-CFT

Know Your Customer (KYC) norms/Anti-Money Laundering (AML) standards/ Combating of Financing of Terrorism (CFT) measures and obligation of Bank under PMLA, 2002.

Your Bank has Board approved KYC-AML-CFT Policy in place. The said Policy is the foundation on which your Bank's implementation of KYC norms, AML standards, CFT measures and obligation of your Bank under Prevention of Money Laundering Act (PMLA) 2002 is based.

The major highlights of KYC-AML-CFT implementation across your Bank are as under.

- Generation of Cash Transaction Reports (**CTRs**) electronically for submission to Financial Intelligence Unit (FIU), through the electronic medium.
- Installation / Implementation of “AML Solution” for generating System based alerts.
- System-based detection and submission of Suspicious Transaction Reports (**STRs**) to the Financial Intelligence Unit (FIU)
- System based Risk Categorization (from AML Measure) of Bank's customers' accounts every half year.
- Filing of Counterfeit Currency Reports (**CCRs**) to FIU-IND, New Delhi.
- Filing of Non Profit Organizations Transaction Reports (**NTRs**) to FIU-IND

The full KYC compliance entails staff education as well as customer education for which the following measures have been taken by your Bank.

- A comprehensive list of KYC documents is uploaded on your Bank's website (www.bankofbaroda.com) for the benefit of customers.
- Similarly for internal usage, a KYC-AML page is created at your Bank's INTRANET for posting reference material on KYC-AML-CFT education.
- Regular Training Sessions are conducted on KYC-AML-CFT Guidelines at your Bank's Training establishments.
- Training is being arranged for your Bank's Senior Officials / Executives at RBI, IBA and National Institute of Bank Management (NIBM).
- Sustained efforts are made to create expertise at your Bank's Head Office for corporate oversight and also KYC Audit of branches.

Back Office Operations

Regional Back Offices and City Back Offices

Two types of Back Offices have been conceptualized by your Bank – Regional Back Office (RBO) and City Back Office (CBO). The RBO deals with centralized processing of account opening forms (AOF) and centralized processing of issuance of Personalized Cheque Books (PCB). Your Bank has ten RBOs -one each at Baroda, Bhopal, Delhi, Coimbatore, Mumbai, Lucknow, Jaipur, Kolkata, Pune, Jamshedpur. The RBOs are opening accounts for 1,298 branches. Up to 31st Mar, 2012, the RBOs have opened more than 11 lakh accounts. The RBOs issue PCBs for 2,115 branches and have so far issued more than 36 lakh PCBs.

The CBOs deal with centralized upload of clearing transactions – both inward and outward – as well as government collections and ECS transactions. Your Bank has 21 CBOs (Service



branches) where clearing and ECS are centralized for branches in each city centre. The centralization of clearing has also been introduced in 59 main branches (which handles clearing for local branches). The CBO concept has so far covered 1,308 branches.

Currency Chest and Government Business

New Business Avenues opened during the year FY12

- Your Bank has implemented payment of Custom Duties at 116 Custom House locations through e-payment across the country
- Two new branches authorised for physical payment of Custom Duties taking the total toten custom locations interfaced with ICES 1.5 Software
- Additional 267 branches have been authorized for undertaking PPF/SCSS Business
- Utility for enabling e-freight payment for Railways has been commissioned
- Conclusion of Agreement with Stock Holding Corporation of India (SCHIL) for sale of e-stamps. This business has been commenced in the state of Gujarat, Rajasthan and Delhi
- Development under way for (i) Maharashtra State Government (ii) Rajasthan State Government
- Implementation of e-payment of State Taxes during the year at (1) Karnataka, (2) Andhra Pradesh (3) West Bengal, (4) Delhi & (5) Bihar
- Authorization of e-payment of State Taxes obtained for Daman & Diu
- Additional authority for the payment of pension in the state of Madhya Pradesh, Chhatisgarh, Punjab and Haryana has been obtained
- Implementation of Swavalamban Scheme under New Pension Scheme
- Your Bank is selected as Implementing Agency Bank for Pension & Life Insurance Fund
- E-payment of Professional Tax in Maharashtra started with effect from 1st Jan, 2012
- Your Bank has identified its Service branch, New Delhi as Nodal Branch for e-payment of Ministry of Health & Family Welfare and the facility has been made operational for all the 11 Pay & Accounts Offices of the Ministry
- Your Bank has identified its International Business Branch in New Delhi as a Nodal branch for settlement of funds in respect of Banking arrangement with Ministry of External Affairs for Foreign Exchange Remittances between Mission/ Posts abroad
- Establishment of Centralised Pension Processing Centre for processing and payment of pension to the State Government Pensioners of Rajasthan state is under process
- Salary accounts of staff/student accounts of Reliable college, Ghaziabad canvassed
- A MOU with Kandla Port executed after permission from Indian Ports Association, Delhi
- Implementation of e-scroll on Postal Business

Strategic Plan on Currency Management (2011-14)

As a customer-centric initiative to improve payment system, your Bank has identified 26 new centers (given below) for opening New Currency Chests under its Strategic Plan on Currency Management 2011-14, thereby increasing the total number of Currency Chests from 84, at present, to 110.

Sr. No.	Name of the Zone	New Currency Chest Proposed over three years
1	Bihar Orissa & Jharkhand Zone	3
2	Eastern Zone	2
3	Greater Mumbai Zone	0
4	Gujarat Operations	1
5	Maharashtra & Goa Zone	2
6	MP & Chhatisgarh Zone	4
7	Northern Zone	1
8	Rajasthan Zone	4
9	Southern Zone	2
10	UP & Uttarakhand Zone	7
TOTAL		26

Vigilance

It has been the endeavour of Vigilance department of your Bank to encourage and enable the operating level staff as also those at controlling offices to exercise due care and caution to take preventive and detective measures. This helps in increasing the efficiency and creating an environment of security for the honest work force.

A careful distinction is made between the cases of gross negligence which put your Bank's funds into avoidable jeopardy and the cases where business decisions have gone awry. Periodical monitoring of individual cases is carried out to ensure that inquiries are quickly concluded and are perceived as fair by all concerned. The endeavour is made towards ensuring that penalties, where necessary, are timely and just.

Coordination is maintained with the zones/functional authorities of your Bank to locate specific cases of irregularities in your Bank's operations. The complaints from the public/customers as also the cases of frauds and other irregularities are investigated promptly and followed up for corrective action, wherever necessary.

A study of fraud prone areas indicating loopholes/ obsolescence of the systems and procedures in vogue, is undertaken on an on-going basis to improve the controls and update operational procedures. On occurrence of such instances, detailed examination of the associated systems and procedures is carried out with the help of respective functional departments with a view to eliminate or minimise factors and processes likely to adversely affect your Bank's interest.



We are pleased to note that with the awareness, alertness and diligence exhibited by the operating staff, during the year April 2011 to March 2012, 45 fraudulent attempts by unscrupulous elements were thwarted that saved your Bank from substantial financial loss.

Business Performance

Given below are the details of your Bank's major achievements on business front during the year FY12.

Resource Mobilisation and Asset Expansion

The share of Bank's Deposits in total resources stood at 86.04% as of 31st March 2012. The Total Deposits grew from Rs 3,05,439.48 crore to Rs 3,84,871.11 crore, reflecting a growth of 26.01% over the previous year. Of this, Savings Bank Deposits – an important constituent of low cost deposits - grew by 15.71% from Rs 64,454.04 crore to Rs 74,579.53 crore. The share of low cost deposits (Current + Savings) in Total Deposits was at 26.90% and in Domestic Deposits at 33.18%.

Your Bank's Total Advances expanded by 25.67% during FY12 led by 19.28% expansion in Domestic Advances and 43.92% expansion in Overseas Advances.

Composition of Funds – Global

Particulars	End March 2011 (Rs crore)	End March 2012 (Rs crore)	Growth (%)
Deposits	3,05,439.48	3,84,871.11	26.01
- Domestic	2,33,323.30	2,80,135.26	20.06
- Overseas	72,116.18	1,04,735.85	45.23
Borrowings	22,307.85	23,573.05	5.67

Global Advances

Particulars	End March 2011 (Rs crore)	End March 2012 (Rs crore)	Growth (%)
Advances	2,28,676.36	2,87,377.29	25.67
- Domestic	1,69,407.86	2,02,075.39	19.28
- Overseas	59,268.50	85,301.90	43.92

Wholesale Banking

A strong corporate credit culture and healthy growth in credit – moderately above Banking industry average have been the consistent differentiators of Bank of Baroda for the past four years.

In fact, your Bank's Wholesale Banking Division offers a full range of loan products and services such as Term Loans, Short-Term Loans, Demand Loans, Working Capital Facilities, Trade Finance Products, Treasury Products, Bridge Loans, Syndicated Loans, Infrastructure Loans, Cross Currency/ Interest Rate Swaps, Foreign Currency Loans, Loan Against Future Rent Receivables and many more to its large and mid corporate clients depending upon their needs. The product offerings are flexible and suitably structured taking into account the customers' risk profiles and specific needs.

Based on the superior product delivery, passionate service orientation, timely and speedier sanctions with a customer-centric approach, your Bank has made significant achievements in providing an array of Wholesale Banking products and services to several multinationals, domestic business houses and prime public sector companies.

The Department places major thrust on faster delivery through efficient channels and adoption of better practices in credit administration. During FY12, the efforts were also made to improve the speed of decision making without compromising the quality of decision.

During FY12, the non-food credit growth, in general, remained low in the Indian banking industry. However, even during this phase, your Bank's Wholesale Banking Division created 130 new relationships through its Fast Track Desk. The department sanctioned fresh/increased credit facilities to the tune of Rs 60,955 crore during the year to various sectors /industries with projects /units spread across the country.

Under Wholesale Banking, the corporate customers are identified as large and mid corporates. Those having annual sales turnover of between Rs 150 crore to Rs 500 crore are classified as mid-corporates, and those with sales turnover over Rs 500 crore are classified as large corporates.

Sensing the need to focus and serve the potential mid corporate segment, your Bank took an important initiative of opening specialized Mid Corporate Branches in various potential locations throughout the country. These branches are equipped with mix of experienced and professionally qualified staff. Attaching high importance to the segment, your Bank arranged for training in soft skills plus domain-expertise knowledge for its staff identified for these specialized branches through an International Management Consultancy firm.

Your Bank also opened one more specialized CFS (Corporate Financial Services) Branch taking total number of CFS Branches to eleven.

Your Bank's Wholesale Banking Department also has a full-fledged 'Project Finance Division' (PFD). The PFD is well equipped with professionals from various disciplines and undertakes TEV (i.e. Technical Evaluation & Viability) studies for clients of your Bank as well as that of other banks. The Department is also equipped with Syndication Desk to syndicate domestic funding requirement of the clients. The Department earns significant fee-based income by carrying out TEV studies, vetting of projects and through syndication deals.

Your Bank attaches higher degree of importance to the quality of appraisal and efficient processing of credit proposals at all levels to maintain the asset quality and realizes the importance of skilled and motivated employees to achieve the same. Keeping this in view, your Bank continued its thrust on regular grooming of Credit and Forex Officers. Your Bank also continued to recruit specialized officers from campuses and lateral recruitment of professionals cum experienced staff.

Retail Business

As in the past, Retail Business continued to be one of the important segments of overall business during FY12. Your Bank's performance under its Retail Banking Segment during the year under consideration is as under.

Growth under Retail Lending

Your Bank's Retail Loan Book consisted of five key products (namely Home Loan, Auto Loan, Education Loan, Traders Loan and Mortgage Loan) which together constituted 74.0% of total retail loans and other products namely LABOD/ ODBOD that constituted 21.0% of total retail loans during FY12. Besides, the products like Baroda Personal Loan and other miscellaneous product viz. Doctors Loan, Loan against Government securities etc contributed around 5.0% to total retail loans.

Total Retail Loan outstanding as on 31st Mar, 2012 was Rs 35,668 crore as against the level of Rs 32,435 crore as on 31st Mar, 2011. A growth of Rs 3,233 crore (9.97%) was registered under total retail loans during FY12 as against a growth of 33.76% (Rs 8,187 crore) registered during FY11. The growth in retail business of your Bank during FY12 was in line with the overall segmental business trend witnessed by the Indian banking industry.

Growth under Five Key Retail Products

Under five key products which constituted 74.0% of total retail loans, an absolute growth of Rs 3,102 crore (13.43%) was registered during the year FY12 as against a growth of Rs 4,095 crore (21.56%) during the previous financial year.

Under Home Loans, an absolute growth of Rs 1,594 crore (12.71%) was registered during the year FY12 as against a growth of Rs 2,227 crore (21.59%) during the previous year.

Under Auto Loans, an absolute growth of Rs 384 crore (18.76%) was registered in FY12 as against a growth of Rs 612 crore (42.58%) during FY11.

Under Baroda Traders Loans, an absolute growth of Rs 876 crore (18.63 %) was registered in FY12 as against a growth of Rs 852 crore (22.15%) during FY11.

Under Baroda Mortgage Loans, an absolute growth of only Rs 97 crore (4.68%) was registered during FY12 as against a growth of Rs 176 crore (9.40%) during FY11.

Under Education Loans, an absolute growth of Rs 150 crore (8.72%) was registered during FY12 versus a growth of Rs 226 crore (15.11%) during FY11.

Under LABOD /ODBOD, a growth of Rs 2,307 crore was registered. Under Baroda Personal Loans, a negative growth of Rs 2,183 crore was posted over the level of 31st Mar, 2011 due to repayment of Loan for Earnest Money Deposits during the year FY12. The repayments of short term loans primarily led to low growth under the total retail loans during the year under consideration.

NPA under the Retail Loan

The amount of Non Performing Assets as on 31st Mar, 2012 under Retail Loan was Rs 682 crore (1.91%) versus the level of

Rs. 662 crore (2.13%) as on 31st Dec, 2011 and Rs 649 crore (2.17%) as on 30th Sept, 2011. As on 31st Mar, 2011, the NPA was at the level of Rs 580 crore (1.79%).

Savings Bank Deposits

Your Bank's overall **Saving Deposits** stood at a level of Rs 72,570 crore as on 31.03.2012 registering a growth of Rs 9,611 crore (15.27%) over the level of Rs 62,959 crore as on 31.03.11. During the last FY 2010-11, a growth of Rs11,717 crore i.e. 22.87% was registered over the level of 31.03.2010.

Retail Term Deposits

Retail Term Deposit of your Bank stood at the level of Rs 1,18,727 crore as on 31st Mar, 2012 as against the level of Rs 95,325 crore as on 31st Mar, 2011 registering a growth of Rs 23,402 crore i.e. 24.55% versus the growth of Rs 12,295 crore i.e. 14.80% registered during the last financial year.

Under Total Retail Deposits i.e. Retail Term Deposit plus Savings Deposits, an absolute growth of Rs 33,013 crore i.e. 20.85% was posted during FY12 as against the growth of Rs 24,012 crore i.e. 17.88% registered during FY11.

Initiatives in Retail Banking during FY12

New Products Launched

- **BarodaFirst Wealth Pack**, a combo of two products namely BarodaFirst Savings Bank and BarodaFirst Regular Deposit jointly with two Insurance Products namely ULIP & Term Insurance Plan was launched on 2nd Jan, 2012. Until end-Mar, 2012, a total of 53,516 Packs were sold by your Bank.



Launch of BarodaFirst Wealth Pack by Shri M.D. Mallya, CMD

- **Baroda Samridhhi Quarterly Recurring Deposit & Baroda Samridhhi Half yearly Recurring Deposit Schemes** were launched on 6th March 2012 primarily to facilitate Agriculturists, Self Employed & Professionals etc.
- **Sales Operating Model** was launched at 163 Baroda Navnirman Branches for developing Sales & Service culture to generate Business Leads.

Product Modification

- During FY12, a proposal was approved for increasing the maximum limit under Baroda Home Loan to Resident Indians and NRIs/PIOs at all Metro and Urban Centers from the existing Rs100 lakh to Rs300 lakh.

- Prepayment charges for foreclosure of Home Loan Accounts were completely waived with effect from 15th Dec, 2011.

Business Initiatives

- **Savings Bank Deposit Campaigns:** For mobilizing low cost deposits, a Savings Bank Deposit Campaign was launched on 1st Jun, 2011 for two months. The period of this campaign was later extended upto 31st Aug, 2011 foreseeing the challenge of mobilizing savings bank deposits in a rising interest rate scenario. To accelerate the pace of Savings Bank accretion, Savings Bank campaign was reintroduced during 2nd Jan, 2012 to 31st Mar, 2012, besides the launch of a special incentive scheme i.e. "Evening with CMD & Picnic with staff" for the award winning branches & regional offices.



Shri M.D. Mallya, CMD, giving away award at function 'Evening with CMD' at Pune

- **Retail Loan campaign:** With a view to harness the potential of ongoing festive season and to augment your Bank's Retail Loan Book with a special focus on Home Loans and Car Loans, a Retail Loan Festival Campaign was launched during 26th Sept to 30th Nov, 2011. Going by the success of Retail Loan Campaign, it was further extended till 31st Mar, 2012, with a modification by increasing ROI concession from 0.25% to 0.50% in Auto Loans. Both the SB Deposit Campaign and the Retail Loan Campaigns yielded good results.
- **Opening of New City Sales Offices:** Nine City Sales Offices were opened at Haldwani, Raebareilly, Faizabad, Raipur, Bhopal, Indore, Bengaluru, Ghaziabad & Rajkot during FY12.
- **Opening of New Retail Loan factories:** Three new Retail Loan factories were opened at Haldwani, Dehradun and Nasik during FY12.
- **Delegation of Additional Discretionary Powers for Concessions:** All Zonal Heads of your Bank were delegated with powers for considering concession to the extent of 100bps in the applicable interest rate on Baroda Trader Loan for mobilizing fresh business & to augment Retail Loan Book during FY12.
- **Providing Group Life Insurance Cover:** The Facility of Group Credit Life Insurance cover was approved for Auto

Loans and Personal Loan Borrowers, in addition to facility presently available for Home Loans & Education Loans. During FY12, a total of 18 death claims were settled by the insurers.

- **Strategies adopted for Prevention of Frauds:** A system of verification of various steps undertaken by the branches for fraud prevention under Retail Loans through a checklist was also introduced.
- **Under the Home Loan Suraksha Beema Scheme** (A Tie-up Arrangement with National Insurance Co. Ltd) a total of ten Accidental Death Insurance claims were settled by the insurer during the year under consideration.

Wealth Management Services

As a part of its customer centric measures, your Bank has been providing **Wealth Management Services** for its HNI & affluent customers since June 2004. At present, your Bank provides various 3rd party products in Life Insurance, Non Life Insurance including Health Insurance, Mutual Funds & Equity Trading under tie-up arrangements with different partners. Moving ahead further in the segment, your Bank also formed two joint ventures with leading international brands in Mutual Fund and Life Insurance.

The Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd., your Bank's joint venture in mutual fund in association with Pioneer Investments of Italy and the IndiaFirst Life Insurance Co., a joint venture in life insurance with Andhra Bank and L&G of U.K. have successfully positioned themselves in the Indian marketplace with consistently improving performance since their inception.

The year FY12 was destabilizing for Indian equities with wild fluctuations impacting the overall sentiment of investors. In these testing times, your Bank changed its strategies by focusing on mutual fund investments through a SIP route to safeguard the customers from the unpredicted movement in the market. The strategies were successful with a large number of customers yielding benefits and your Bank's business performance in the format being intact while nurturing a disciplined saving/investing habit amongst its customers. During the last two years, your Bank has been endeavoring to widen the scope of ASBA (application supported by Blocked Amount) facility by extending it to a number of designated branches and enabling an on-line ASBA Facility for its net banking customers. During FY12, your Bank introduced Syndicate ASBA Facility for those customers who wish to make IPO/FPO/NFO application through other intermediaries such as brokers.

It is heartening to note that the initiatives of your Bank under its Wealth Management segment have been encouragingly contributing to its overall non-interest income.

MSME Business

The Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) segment is a vital component of Indian economy. This sector accounts for around 40.0% of the nation's total industrial production, 34.0% of industrial exports, 95.0% of industrial units and 35.0% of total employment in manufacturing and services sectors. The contribution of Services Sector within the SME segment is quite significant; especially the IT enabled services, hospitality services, tourism, couriering, transportation, etc.



Shri N.S. Srinath, ED, addressing the SME Customers' Meet organized by Greater Mumbai Zone

To give a focused attention to emerging SMEs in India, your Bank has been considering other commercial units with a turnover up to Rs 150 crore at par with the SMEs. To promote the growth of SME Sector, your Bank has launched a special and novel delivery model, viz. SME Loan Factory, which at present, is operational in 46 centres of your Bank and well accepted in the market place. The SME Loan Factory is an innovative model for streamlining processes and for timely sanctions of SME loan proposals. The model comprises of the Central Processing Cell for speedy appraisal and sanctioning of proposals within the stipulated deadline and a sales team to follow up on leads generated by branches. Given its success, your Bank has plans to open more such loan factories in the ensuing year. Your Bank has SME Loan Factories at all major business centres across the country, viz. Agra, Ahmedabad, Allahabad, Bangalore, Bareilly, Baroda, Bhilwara, Bhubhaneshwar, Bulsar, Bharuch, Chandigarh, Chennai, Coimbatore, Dehradun, two Factories in Delhi, Ernakulam, Gandhidham, Gorakhpur Hyderabad, Haldwani, Indore, Jaipur, Jamshedpur, Jamnagar, Jodhpur, Kanpur, Kolhapur, Kolkata, Lucknow, Ludhiana, 3 Factories in Mumbai, Meerut, Mehsana, Nagpur, Nashik, Pune, Patna, Rajkot, Raipur, Surat, Shahajahanpur, Varanasi and Vishakhapatnam. These SME Loan Factories sanctioned loans aggregating Rs 18,619 crore during FY12 as against Rs 14,530 crore in the previous year.

Growth of Business

The total outstanding in MSME Sector works out to Rs 34,512 crore as on 31st March 2012. The growth in lending to MSME Sector during the last three years is given in the table below.

Year	Growth (% , YoY)
2009-10	43.98%
2010-11	29.63%
2011-12	26.11%

The percentage growth of MSME credit during FY10 was relatively high as the advances up to Rs 20 lakh to Retail Trade were classified for the first time under the "Micro & Small Enterprises Sector" during this year in line with the RBI's revised guidelines issued during September, 2009. The growth rate was normalized during the year FY11.

Major Achievements in FY12



Shri R.K. Bakshi, ED receiving the National Award for Bank's excellent performance in implementation of PMEGP scheme during 2010-11 in Central Zone from Shri Virbhadra Singh, Minister for MSMEs, Government of India.

The Bank took the following initiatives in its SME business segment during the year under review.

- The SME advances of Rs 34,512 crore as of end-Mar 2012 reflected a growth of Rs 7,147 crore (26.11%) over the SME advances of Rs 27,365 crore in the previous year.
- The advances of Rs 15,455 crore to Micro Enterprises in total credit of Rs 28,047 crore to MSE sector stood at 55.10% in FY12 comfortably reaching the mandatory target fixed by the RBI.
- The SME advances as on 31st Mar, 2012 contributed 16.8% to the gross domestic advances of your Bank.
- The advances to Micro & Small enterprises reached the level of Rs 28,047 crore as against the government set mandatory target of Rs 27,000 crore by end-Mar, 2012.
- In FY12, your Bank opened ten New SME Loan Factories and eight New SME Specialized Branches.
- Your Bank introduced a New Product named as "Baroda Channel Financing" on pilot basis during FY12 to further promote its MSME business.
- Your Bank also introduced "Baroda Entrepreneur Awards" for Micro & Small Enterprises

Initiatives in MSME Financing During FY12

1. Your Bank introduced five new customer-centric area-specific products to suit the local cluster needs during FY12 while renewing the existing ten customer-centric area specific products.
2. Your Bank sponsored a Workshop on "Management Skills to source financing and Management of Technology by SMEs" for entrepreneurs arranged by AIMA at Hyderabad, Ahmedabad, Jaipur.



3. Your Bank introduced “Protrack” {an e-tracking system for SME credit proposals} with a view to have a firm control over turnaround time.
4. Your Bank celebrated SME Festival from 1st January 2012 to 31st March, 2012 in order to give boost to SME advances. Some concessions in rate of interest and service charges were also announced for loans sanctioned during the festival period.
5. Your Bank participated in the Workshops arranged by the CGTMSE on Bank Credit to Micro & Small Enterprises and the Role of Credit Guarantee.
6. Your Bank focused on collateral free credit under the CGTMSE scheme through special campaign.
7. To achieve total customer relationship through enhanced cross selling, several meetings at different locations were conducted and various trade bodies were involved at the national and the state level.
8. Your Bank undertook continuous knowledge updating and skill building of processing/ marketing officers attached to its SME factories through external training and special courses at the training centers and staff college.
9. Your Bank introduced monthly performance ranking to share performance of SME Loan Factories amongst all and to recognize/ felicitate/ award the best performing SME Loan Factory on Half yearly/ annual basis.
10. The MOU was entered by your Bank with the NSIC for sourcing applications of MSME borrowers from it.
11. Your Bank released a booklet called Practical Guide to help entrepreneurs by giving them information on Your Bank’s SME products and also on the CGTMSE scheme.



Shri M.D. Mallya, CMD, releasing the SME booklet along with Shri N.S. Srinath, ED and Shri J. Ramesh, GM(SME & WMS)

12. Your Bank also signed a MOU with four credit rating agencies for rating of the SME accounts.

Rural and Agricultural Lending

As you all are aware, your Bank has always been a frontrunner in the area of Priority Sector and Agriculture lending. It has been harnessing the vast potential of the rural market through

its wide network of 1,270 rural branches and 1,045 semi-urban branches.

Even during FY12, your Banks opened 314 new branches in rural and semi-urban areas.

Your Bank is the proud Convener of **State Level Banker’s Committee (SLBC)** in the states of Uttar Pradesh and Rajasthan. Your Bank shoulders the Lead Bank Responsibility in 45 districts in the states of Gujarat (12), Rajasthan (12), Uttar Pradesh (15), Uttaranchal (2), Madhya Pradesh (2) and Bihar (2).

Your Bank has also sponsored five **Regional Rural Banks (RRBs)** in various states with a network of 1,300 branches and total business of Rs 21,700 crore as of end-March, 2012.

Performance of Priority Sector Lending in FY12

Priority Sector Advances of your Bank surged from Rs 57,364 crore as at the end-March 2011 to Rs 68,527 crore as at the end-March 2012 and formed 43.37% of the Adjusted Net Bank Credit (ANBC) against the mandated target of 40.00%.

Agriculture Advances: The Direct Agriculture advances of your Bank rose to Rs 21,423 crore with a rise of 24.86% over the previous year with an absolute growth of Rs 4,266 crore during the year. The total agriculture advances of your Bank recorded a growth of 18.38% over the previous year and rose to Rs 29,036 crore as at end-March 2012. Your Bank’s Direct Agricultural advances formed 13.56% of ANBC as at end-March 2012 against the mandated target of 13.50%. Even the Total Agricultural Advances were at 18.06% of ANBC against the mandated target of 18.00%.

Under its flagship agriculture loan product “Baroda Kisan Credit Card”, your Bank issued as many as 3,09,685 Credit Cards during FY12 to provide credit to farmers. Your Bank financed as many as 3,73,283 new farmers during FY12. As a part of its microfinance initiatives, your Bank credit linked 19,455 Self Help Groups with an amount of Rs 214 crore during FY12 thereby taking the total number of SHGs credit linked to 1,54,397 amounting to Rs1,171 crore.



Distribution of Baroda Kisan Credit Card in the presence of Shri H R Khan, Dy. Governor, RBI and Shri N.S. Srinath, ED at Ajmer, Rajasthan.



Business and Social Initiatives

Your Bank introduced various initiatives/strategies during FY12 to harness the emerging opportunities for rural and agriculture lending. Some of them are mentioned below.

1. To augment the Agriculture advances, your Bank conducted special campaigns viz. Kharif and Rabi campaign for crop loans under which the disbursements of Rs 3,676 crore and Rs 2,013 crore were made respectively. Another Campaign for Investment Credit was also launched under which disbursements of Rs 1,178 crore were made.
2. Your Bank organized 5,944 Village Level Credit Camps and disbursed Rs 3,338 crore to 2,84,062 borrowers during FY12.
3. Your Bank identified 450 Thrust Branches across India to enhance Agriculture lending which constituted 33% of total Agriculture lending as at end-March 2012.
4. Your Bank formulated various area-specific schemes tailor made to the needs of local requirements, particularly where there is a concentration of industries like Rice Mills, Cold storages, cotton ginning units, Poultry units, etc. Suitable concessions in rate of interest, charges, etc. were allowed under these schemes to garner maximum possible business. As many as 22 area specific schemes were formulated to increase your Bank's agricultural lending.

Baroda Grameen Paramarsh Kendra (BGPK) is another initiative undertaken by your Bank to help the rural community by providing credit counseling, financial literacy and other services like information on the prices of agricultural produces, scientific farming, etc. Your Bank had 52 BGPKs as on 31st March, 2012.

About ten more Baroda Swarojgar Vikas Sansthan (BSVS), Baroda R-SETI Centers were opened during FY12. With this, the total number of BSVS has gone up to 46. Thus, each of your Bank's Lead Districts now has a R-SETI as per the GOI guidelines. Ajmer BSVS centre is exclusively for women entrepreneurs. The BSVS are primarily the institutes for training the youth and imparting knowledge and skills required for taking up self-employment ventures. During FY12, 42,786 youth beneficiaries were trained out of which 25,791 have established self-employment ventures. Out of the total 1,22,228 beneficiaries trained by these centers so far, 75,050 have established their self employment ventures.

Financial Literacy and Credit Counseling Centres (FLCC)-"SARATHEE"

Based on the guidelines issued by the RBI, your Bank has established 39 FLCCs, christened as "SARATHEE" to impart financial literacy and credit counseling services to the needy to help them avail financial services from Banking system and also to provide counseling services to those who are under financial distress due to debt burden.

Your Bank has opened these centers under its BSVS trust and counseling services are provided to the concerned free of cost.

Your Bank has opened 21 new FLCCs during FY 12, taking the total number of FLCCs to 39 by end-Mar, 2012. Your Bank will be opening FLCCs in each of its lead district in due course.

Business Facilitators Model

This model has been implemented across the country to accelerate Financial Inclusion of the excluded segment as well as to augment agriculture portfolio. Business Facilitators will mainly canvass loan applications for your Bank for which Bank will pay them compensation. Individuals including retired Bank and Government staff, NGOs, Farmers clubs and SHGs are engaged as agents to greatly improve your Bank's outreach in the rural/semi-urban areas.

Micro Loan Factory

Your Bank has opened Micro Loan Factory at Rae Bareilly and Sultanpur in U.P. The Micro Finance Loan Factory has a mobile van with facilities and all related stationeries/ documents on SHG financing. It is manned by officers who are duly authorised to sanction and disburse loans upto Rs 25,000 to SHGs on the spot and at their door steps.

Performance of RRBs Sponsored by the Bank

Your Bank has sponsored five RRBs as under.

- Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank, Head Office: Raebareli.
- Baroda Rajasthan Gramin Bank, Head Office: Ajmer.
- Baroda Gujarat Gramin Bank, Head Office: Bharuch.
- Nainital-Almora Kshetriya Gramin Bank, Head Office: Haldwani.
- Jhabua-Dhar Kshetriya Gramin Bank, Head Office: Jhabua.

The aggregate business of these five RRBs rose to Rs 21,693 crore as of March, 2012 from Rs 18,803 crore as at end-March, 2011, registering a growth of 15.37%.

The five RRBs together posted a Net Profit of Rs 120 crore during FY12 as against Rs 117 crore earned during FY11.

The "Net Worth" and the "Reserves and Surplus" of all these RRBs put together improved from Rs 730 crore at end-March, 2011 to Rs 883 crore at end-March, 2012 and from Rs 453 crore at end-March, 2011 to Rs 566 crore at end-March, 2012, respectively.

Bank's Efforts towards Financial Inclusion (FI) Targeted villages and models adopted

- As per the original communication received from RBI in January 2010, your Bank prepared a Financial Inclusion (FI) plan to cover 20,000 villages under Financial Inclusion within a span of three years commencing from 2010-11 to 2013-14.



- However, the Finance Minister in his speech on Union Budget for FY11 gave emphasis on the coverage of villages having population of more than 2,000 under FI by March 2012.
- Accordingly, 2,864 villages having population of more than 2,000 were allocated to your Bank through SLBCs for provision of basic banking services by March 2012.
- Out of the above, 1,200 villages were targeted to be covered in FY11 and the rest in FY12.
- Your Bank has adopted ICT based Business Correspondent (BC) model and Mobile Banking van model for coverage of the allotted villages. Wherever feasible, new branches are also being opened.

Service Providers

- Your Bank has selected M/s TCS and M/s HCL Info systems as the service providers for end to end solution under the BC model. The service area has been allocated to these service providers.
- Out of 2,864 villages allocated to your Bank by SLBCs, 1,979 villages are allotted to M/s TCS and 885 villages to M/s HCL.

Technology and Data Security

- The FI data and transactions are integrated to your Bank's CBS (Core Banking Solution) through an FI server/ Gateway of the service provider. The FI server is kept in the Data Centre of your Bank for which the vendor will have only limited access to the application software for the purpose of maintenance. The data will be under the control of your Bank. Hence the data security is well taken care of.
- Smart cards are issued to the customers after uploading the accounts in CBS and KYC verification by the link branches.

Business Correspondents (BC)

- The service provider has appointed corporate BCs at the state/zonal level. The field level business agents are selected in consultation with your Bank's link branches following the BC selection policy approved by the Board.
- The technical training to BCs is provided by the service provider as and when BCs are appointed. Your Bank's R-SETI, Training Centres and Baroda Grameen Paramarsh Kendras (BGPK) have been providing training on banking products and customer service. The BCs are also encouraged to take up the BC certificate programme of IIBF {Indian Institute of Banking & Finance, Mumbai} through accredited training establishments. All your Bank's BSVS centres are accredited by IIBF for this purpose.

Training of Your Bank Staff in Financial Inclusion

- Training to about 1,079 Branch Managers involved in FI activity was completed by Your Bank's training centres during FY12.
- Your Bank has tied-up with National Institute of Rural Development (NIRD), Hyderabad for designing and conducting special training programme for its officers on FI.
- Your Bank has also introduced e-learning module on FI on your Bank's intranet portal for educating the staff.

Monitoring the Implementation under Financial Inclusion

- Your Bank has a clear structure for implementation and monitoring of Financial Inclusion.
- In order to have an effective supervision of the BCs, retired bank officials are appointed as BC supervisors for every 10-15 BC agents.

- Your Bank's Chairman & Managing Director (CMD), Executive Directors (EDs) and General Managers (GMs) at the Corporate Office are visiting villages in different states.
- Besides, all the regional heads and zonal heads are also visiting the villages in their respective regions/ zones and monitoring the activities regularly.
- Your Bank's Board reviews the implementation of Financial Inclusion in your Bank every month on various parameters suggested by the Ministry of Finance, Government of India.

Publicity

- Specially designed banners/posters/leaflets are being used by your Bank's Zones/Regions/Branches at various stages of FI.
- Leaflets/posters have been prepared in regional languages and distributed in the villages.
- Usage of publicity material has helped to keep the people updated with the FI concept and also to remain informed about the FI enrolment dates, venue etc.
- Your Bank's Swabhiman logo is being used in village sign boards, BC ID cards, T- shirts, Caps etc.

Financial Literacy Efforts

- Your Bank has opened 39 Financial Literacy and counseling Centres (FLCC) out of 45 lead districts of the Bank.
- Your Bank has also established 46 R-SETIs (Baroda Swarojgar Vikas Sansthan) of which 42 are in its lead districts which will also facilitate financial literacy efforts.
- Village level meetings are organized by your Bank in all the identified villages to create awareness on the banking products and services.
- Camps are also organized in the villages at the time of enrolment.

Mobile Banking Vans

- Your Bank has introduced Mobile Banking vans for increasing the pace of Financial Inclusion.
- These vans will have connectivity to CBS through CDMA technology and they visit the villages on specified dates and time. The services are provided by your Bank's own staff travelling in the van.
- Five such Vans have been made operational and they cover around 41 villages. (One in Gujarat, two in UP, one in Bihar and one in Goa.)

Performance

- Your Bank has completed coverage of 100% villages allotted under financial inclusion well before the dead line of end-Mar, 2012. More than 7.61 lakh FI accounts have been opened in these villages as against the target of 7.10 lakh.

Ultra Small Branches (USBs)

The technology based BC model is an evolving concept and various issues were encountered by your Bank in implementation of FI through this model. The Ministry of Finance, Government of India as well as the RBI were issuing various guidelines from time to time to make implementation of financial inclusion more effective. In the strategy and guidelines on financial inclusion issued by Ministry of Finance in Oct, 2011, there was a suggestion to open brick and mortar branches in larger habitations with population of 5,000 and above in the under-banked districts. However, keeping the viability of brick and mortar branches in such villages, they further issued guidelines on opening of thin structures called Ultra Small Branches in all the villages allotted for financial inclusion.

लघु बैंकिंग-सेवा केंद्र

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda
भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक

अब की बैंकिंग, सब की बैंकिंग

उपलब्ध सेवाएं :

- खाता खोलना
- नकदी जमा करना
- बड़ौदा किसान क्रेडिट कार्ड
- नकदी निकालना
- ऋण के लिए आवेदन
- पैसा भेजना
- पासबुक में एंट्री करना

Ultra Small Branch - Financial Inclusion Initiative.

USB Model Adopted by the Bank

- A BC is appointed in a village and provided with POS machine/ hand held terminal to provide banking services in the village through USB.
- The place for USB is identified preferably in Gram Panchayat or Common Service Centre in village.
- The board is displayed inside each USB indicating various banking services being provided by your Bank at USB. There is also a board giving details of BC, his contact number, name/contact number of link branch, fixed day/ time of visit by officer etc. for the convenience of villagers.
- The business correspondent is providing services like cash deposits, payments up to certain limit, remittances, account balance enquiry, mini-statement etc.
- A bank officer from the link branch visits the USB once in week at pre-fixed time and day for financial inclusion activities in village, as specified by the Ministry of Finance.
- Minimum furniture such as table, three to four chairs etc. have been provided in an ultra small branch.

Initiatives Taken for Effectiveness of USBs

- The village level publicity campaign has been conducted to create awareness amongst the villagers, with the help of Gram Panchayats as well as in some cases block development offices.
- The signboard along with swabhimaan logo is displayed at a prominent place in the village indicating details of the BC and link branch along with working hours.

- The BCs are provided with a brief profile of the villages including population of village, number of households in village, number of KCCs/ GCCs issued in respective village and other details, so that they can perform with better focus on village needs.
- All USBs are mapped for weekly visits by the officers of respective link branch. We have also devised a proper reporting system for monitoring these visits by the respective regional offices and corporate office.
- All the BCs are provided with the uniform T-Shirts, Caps and Identity cards in all the villages.
- The uniform posters about the services available at USBs are provided to all the zones and regions in local languages for displaying at the USBs.
- In order to overcome shortages and cater to the requirement of manpower in officer cadre, we are starting capacity building programmes to train other cadres to perform the job role of officers in the same spirit as desired by the MoF from visiting officer. The preference would be given to local staff as far as possible so that they can converse in the local language and get appropriately connected with villagers. This will also facilitate a confidence building amongst the villagers about the FI initiatives of your Bank/ Govt. of India. The pilot project of such capacity building initiative would be started in Gujarat and rolled out in other states upon success of said pilot project.

Advances to SC/ST Communities during FY12

The outstanding advances granted by your Bank to SC/ST communities have been growing year after year. This is evident from the fact that the outstanding advances granted to these beneficiaries went up from Rs 3,760 crore as at end-March, 2011 to Rs 4,336.02 crore as at end-March, 2012. In fact, the SC/ST communities accounted for a share of 27.0% in the total advances granted to weaker sections by the Bank during the year under review. Furthermore, a special thrust is laid by your Bank in financing SC/ST under various government sponsored schemes namely Swaranjayanti Gram Swarojgar Yojana (SGSY), Swarna Jayanti Shahari Rojgar Yojana (SJSRY), Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP), etc. Baroda Swarojgar Vikas Sansthan (BSVS) have been giving due preference to SC/ST communities while selecting the trainees. It is heartening to indicate that so far, these centres have trained 55,761 youths under the SC/ST category.

International Business

The global economy has not fully come out of the turmoil witnessed following the global financial crisis in 2008 in spite of the prompt measures taken by several countries around the world. Even in such challenging scenario, the International Operations of your Bank could achieve excellent results during FY12 and again proved the Bank's resilience to global shocks.

In order to achieve the stated goals, it was necessary to continuously understand the economic and banking environment in which your Bank operates, take lessons and make suitable changes in the business approach and actions. Your Bank kept a continuous watch on the trends emerging in the economic/financial sectors of the countries of its operation by factoring in the impact of global events.

Your Bank is in an advantageous position having large network of overseas branches and strong customer base built over the years. Your Bank has taken various technological and other initiatives at its overseas centres to garner a larger share of the business.

The excellent performance was possible during FY12 due to the Bank's focused attention and persistent efforts to stretch and improve upon its own capabilities and the support that it received from all its stakeholders.

The International Operations of your Bank are keeping pace with the fast changing environment to become increasingly more competitive in global terms and aiming for higher growth with profitability



Shri Arun Shrivastava, MD, Bank of Baroda (Kenya) Ltd., receiving the "The Most Efficient Bank " award from Ms June Gathoni, Director, Maple Management East Africa Limited.

The Branch Expansion plan was continued during the year to take advantage of the business opportunities. During the year FY12, five new branches/offices were opened, including four branches of the subsidiaries. Your Bank primarily concentrated on expanding the network in countries where it is already present to tap the opportunities offered by the upcoming centres and enhance the market share in the country of operation.

Business and Profit Performance

During FY12, the total business (Deposits + Advances) of your Bank's overseas branches registered a growth of 44.64%. The Customer Deposits increased by 40.41%, Total Deposits by 45.23 % and Advances by 43.92%. The growth numbers look slightly aggressive because of the depreciation of rupee to the tune of 14.11% between end-March, 2011 and end-March, 2012.

During FY12, the International Operations contributed a sizeable 28.27% to the Bank's global business in line with its business aspirations.

Total Assets

Total Assets of your Bank's International Operations increased from Rs 91,273 crore as of March 2011 to Rs 1,28,398 crore as on March 2012 registering a growth of 40.67% during the year.

Profit

The Gross Profit for the year FY12 registered a healthy growth of 48.51% over the level of previous year. The Net Profit too recorded commensurate growth of 45.19% during the year. Your Bank was able to improve the spreads and also show good increase in Other Income.

Contribution of international operations to your Bank's global Net Profit is 23.35%.

Asset Quality

In the current scenario of economic downturn and uncertainties, there was a stringent monitoring of assets by the Bank's Top Management to safeguard your Bank's interest. Your Bank has put in place an efficient loan processing, credit audit and credit monitoring mechanism.

Borrowal accounts experiencing liquidity mismatch/crunch due to recessionary trends prevailing in the global economy/delay in projects for reasons beyond their control were restructured during the year FY12 based on their future cash flows and keeping the RBI guidelines in the matter in focus. These accounts as well as the accounts restructured in previous years were monitored regularly to maintain the asset quality and avoid any slip back.

Gross Advances during the year increased by 43.73% over the level of Mar'11, which means your Bank could maintain the healthy growth trend even during the challenging times. There were a few slippages and the Gross NPAs of your Bank as percentage to Total Advances marginally increased from 0.62% as of Mar'11 to 0.68% as on Mar'12.

International Presence

Your Bank's international presence covered 24 countries through its 89 offices during FY12 as under.

Bank's Overseas Branches/Offices	55
Bank's Representative Offices	2
Branches of Bank's Overseas Subsidiaries	32
Total	89

In addition to the above, your Bank's associate in Zambia has 14 branches.

Overseas Expansion

During the year FY12, your Bank opened five new branches/offices (including that of the subsidiaries). An Electronic Banking Service Unit (EBSU) was opened at Hamriya Free Zone, Sharjah (UAE) and four branches of the subsidiaries were opened at Ovino Market (Uganda), Kakamega (Kenya), Nyalii (Kenya) and Mon Repos (Guyana). The Representative Office in Malaysia was closed during the year as the Joint Venture Bank, namely, 'India International Bank (Malaysia) Bhd.' is expected to commence operations during the year FY13.



Inauguration of Kakamega Branch in Kenya.



Inauguration of Mon Repos Branch in Guyana.

Future Plans in Overseas Business

Your Bank has initiated steps for further expanding its overseas network to tap the opportunities for canvassing business and enhancing the profitability. Necessary infrastructure is being created for further expanding the network in UAE, Oman, Mauritius, Uganda, New Zealand, Tanzania, Botswana and Ghana.

Your Bank has received 'In Principle' approval for upgradation of its Representative Office in Australia to a branch. An approval of RBI is awaited for opening of two additional branches in U.K. New centres are being identified in countries where your Bank is already present and also in new territories for further expanding the branch network.

Syndication Centre

Your Bank has Global Syndication Centres at London and Dubai which focus on the business of Syndication Loans in International Market. The Offshore Banking Unit in Singapore has been further strengthened to play a more active role in canvassing the business. The International Merchant Banking Cell (IMBC) set up at the Bank's Corporate Office, Mumbai plays a supportive role to the Regional Syndication Centres and also canvasses substantial business as there was increased demand from Indian Corporates for Foreign Currency resources.

The Bank's IMBC also actively participates in loan origination.

Products and Services

Your Bank has taken several steps to leverage the technology for introduction of products and services to meet the requirements of customers in the area of operation.

Your Bank's products and services are compatible with those offered by multi-national banks and local banks. These are being popularized through marketing campaigns in electronic and print media.

Technology

- The number of ATMs at overseas territories and subsidiaries increased to 76 (45 onsite and 31 offsite) as on 31st March, 2012 from 68 (42 onsite and 26 offsite) as on 31st March, 2011.
- The Global Treasury Solution is implemented by your Bank at UK, UAE, Bahamas, Bahrain, Hong Kong, Singapore and Belgium.
- The Centralized SWIFT activity is operating from the Data Centre of your Bank.
- All Territories/Subsidiaries except UK and USA are routing their Swift operations through SWIFT Cell, Data Centre.
- The Payment Messaging System implemented is a middleware between Core Banking Solution (Finacle) and SWIFT, which help in "Straight Through Processing of Incoming and Outgoing SWIFT Messages" with Anti Money Laundering check. It is implemented in all Territories/Subsidiaries, except in UK and USA.
- The Anti Money laundering Erase (Batch mode) is implemented in all the overseas centres of your Bank except in Belgium and USA.
- An "Anti Money Laundering Online List Matching Solution" is also implemented in all the overseas centres with the exception of USA.

E-Banking in Overseas Operations

Your Bank is gradually implementing and popularizing the e-banking services at its overseas centres.

Transaction based e-banking has been implemented in UAE, UK, Mauritius, Fiji, Seychelles, Uganda, Kenya, Botswana and New Zealand. It is in the process of being implemented in Oman and Tanzania. (At present, a view based e-banking is available at both these centres).

In T&T, Guyana and South Africa, it will be introduced in the next phase which will start shortly.

The transaction based e-banking is being implemented gradually at the Overseas Centres looking to their retail base and the cost effectiveness.

Risk Management in Overseas Operations

Your Bank implemented Basel II guidelines at all its overseas territories with effect from 31st March 2008 and has already adopted Standardised Approach for Credit Risk, Standardised Duration Method for Market Risk and Basic Indicator Approach for Operational Risk.



The Risk Management Systems and their implementation are being continuously strengthened. A separate Risk Management Department has been set up at all centres to effectively deal with the credit, market and operational risk. Risk Managers are posted at all the overseas territories and subsidiaries of your Bank.

During the year under review, *BOB RAM Model* was implemented at all the overseas centres for capturing vital information related to advances accounts and their pricing.

An ASCROM Model for Asset Classification and Credit Monitoring is also in the advanced stage for implementation at your Bank's overseas centres.

Regulatory Compliance

Your Bank is well known for its regulatory compliance and has always followed home country regulations rigorously.

Your Bank has a dedicated compliance team at major overseas centres for ensuring regulatory compliance across all the businesses and operations. They are responsible for identification and assessment and compliance related matters from a regulatory compliance perspective and monitoring and reporting.

All the overseas centres have prudential policies in place as per the local regulatory requirements. The territories/subsidiaries ensure that these are periodically reviewed in line with the type of business undertaken, changing scenario and taking into account modifications if any in the regulatory guidelines.

Treasury Operations

Your Bank operates a State of the Art Dealing Room at Baroda Sun Tower at its Corporate Office in Mumbai. Through this dealing room your Bank is well positioned to scale up its Treasury Operations. The Treasury handles your Bank's domestic treasury operations and covers activities in various markets i.e. Foreign Exchange, Interest Rates, Fixed Income, Derivatives, Equity and other alternative asset classes. The advanced technology platforms are used by your Bank to offer a basket of financial products to its clients including Interest rate swaps, currency swaps, forwards and options.

Your Bank has also put in place a sophisticated Automated Dealing system to offer auto generated real time foreign exchange rates to the clients of its authorised branches spread across the country. As a customer friendly initiative, during the year FY12, enhancements were made in the "Global Treasury Solution" facilitating instant flow of information about credits received by your Bank in favour of its customers through its foreign correspondents.

Under the Business Process Re-engineering, your Bank has successfully implemented Global Treasury solution across major financial centres. The Global Treasury Platform is running smoothly in Mumbai, London, Bahamas, Brussels, Dubai, Bahrain, Singapore, Hongkong and New York.

During the year FY12, managing growth and price stability emerged as the key challenges against the backdrop of a slowing economy weighed down by the impact of tight monetary policy and slower economic growth. The advance estimates of Indian economy suggest a growth of approximately 6.9% in

FY12, after having grown at the rate of 8.4% in each of the two preceding years. This indicates a slowdown compared not just to the previous two years but 2003 to 2011 (except FY09 a year of global financial crisis). During FY12, the RBI hiked interest rates by 125 bps taking repo rate to 8.50% before signaling a pause in Dec, 2011. To infuse liquidity into the system, the RBI reduced CRR [Cash Reserve Ratio] by a cumulative 125 bps in the last quarter of FY12 and conducted open market operations to the extent of Rs 1,29,252 crore.

Your Bank's Treasury offers customized solutions using available products viz IRS, CIRS, Forwards and Options to meet the Interest rate and Foreign Exchange risk mitigation requirements of the corporate clients. During FY12, your Bank's Treasury Division was active in taking benefit of the arbitrage opportunities available between various Treasury market asset classes including Money Market CBLO, Call, Market Repo, Government Securities and Forex markets. The Treasury actively utilised the market movements and used Overnight Indexed swaps, INBMK swaps for harnessing available hedging and trading opportunities.

Tight monetary policy coupled with a higher than announced borrowing program resulted in the benchmark 10 year Government security touching a high level of 9.0% in Nov, 2011. Against this backdrop, the Treasury focused on maintaining appropriate duration of portfolio, keeping minimal adverse impact on valuation and maintaining a good average yield on investment portfolio. The average yield on Domestic SLR investments was 7.87%. During FY12, the Treasury earned Rs 6,032 crore as Interest/Discount earnings, while the Profit on Sale of Investment and Exchange Earnings were Rs 622 and 412 crore, respectively.

The Indian Equity markets were subdued for most part of FY12. This was due to the cumulative impact of weaker recovery of the US economy, European sovereign debt crisis and muted FII inflows into the emerging markets including India. The FII inflows picked up during the last quarter resulting in the market moving to higher levels. The Equity Desk of the Treasury actively churned its portfolio and booked profits at regular intervals whenever an opportunity emerged in the markets.

The unfolding of the euro zone crisis and uncertainty surrounding the global economy have impacted the Indian economy causing drop in growth, higher current account deficit (CAD) and declining capital inflows. As in 2008, the transmission of the crisis has been mainly through the Balance-of-payments (BoP) channel. Export growth too decelerated in the third quarter of FY12, while imports remained high, primarily because of very high international oil prices. At the same time, foreign institutional investment flows declined, straining the capital account and the rupee exchange rate that touched an all-time low of Rs 54.23 per US dollar on 15 December 2011 during intra-day trading

The Foreign exchange desk of the Treasury retained its position as one of the premier market players in the Forex desks of the Public Sector Banks. The Proprietary trading desk was active in cashing in of available arbitrages, using volatility in the markets and mobilised resources in a tight liquidity position impacting the Indian markets. The turnover of the Foreign Exchange desk of your Bank's Treasury increased by nearly 14.0% on y-o-y basis during FY12.

Your Bank's Treasury Mid-Office monitors market exposures and limits fixed by the Board of Directors, on a real time basis. The Risk Management parameters, including Value-at-risk (VaR) are used to measure Market Risk on all portfolios. These measures are backed up by the Back Testing on risk numbers and Stress Testing of various investment and currency portfolios.

Corporate Social Responsibility (CSR)

As a responsible corporate citizen, it has been the vision of your Bank to empower the community through socio-economic development of underprivileged and weaker sections. In its continued efforts to make a difference to the society at large, your Bank intensified its efforts further in this direction in FY12.

Your Bank has established **Baroda Swarozgar Vikas Sansthan (Baroda R-SETI)** for imparting training to unemployed youth, free of cost for gainful self employment and entrepreneurship skill development which help them improve their family economic status and also gives a boost to various regional economies within these locations. All the Lead Districts of your Bank have R-SETI each. About 46 such Sansthans have been established by your Bank in which more than 1,22,000 youth have been trained and around 75,000 have been gainfully self employed.



Shri N.S. Srinath, ED giving certificate to one of the participant of BSVS, Surat.

Your Bank has established 52 Baroda Gramin Paramarsh Kendra for knowledge sharing, problem solving and credit counseling for rural masses across the country. In order to spread awareness among the rural mass on various financial and banking services and to speed up the process of financial inclusion, your Bank has also established 21 Financial Literacy and Credit counseling Centres (FLCC) during FY12 making the total number of FLCCs to 39.

Asset Quality Management

The year FY12 has been a challenging year for the banking industry to maintain the Asset Quality due to a fragile economic environment. However, your Bank has continued its practice of rigorous monitoring and recovery of the NPA portfolio besides preventive mechanism for restricting slippages at the minimum level. Your Bank has continued its leadership position in the NPA management area in the Indian banking sector.

Indian banks, in general, witnessed heavy incidence of slippages in FY12 due to volatile financial markets both within and outside India, higher inflation and higher interest rate regime throughout the year FY12. In spite of various depressed economic parameters impacting the Bank, fresh slippages, during the year, were kept under control at 1.44% of the opening Standard Advances of your Bank. Against the backdrop of high slippages, the ratio of Gross NPA to Gross Advances was at 1.53% as on 31st Mar, 2012. Consequently, the ratio of Net NPA to Net Advances marginally increased to 0.54% by end-Mar, 2012.

Your Bank continued to maintain the Loan Loss Provisioning ratio at higher level than the mandated norms set by the RBI during FY11. Its Loan Loss Provisioning ratio was higher at 80.05% as on 31st Mar, 2012 after taking into account the Prudential/ Technically Written-off advances.

During the year under review, your Bank laid down a comprehensive structure of recovery and credit monitoring function at the Branch, Region, Zone and Corporate levels. Besides this, the Nodal officers at each DRT centre were assigned the role of a follow-up of legal cases on day to day basis so as to minimize the delay in obtaining decrees and execution thereof in order to expedite and maximize recoveries. Additionally, Lok Adalats, Recovery Camps and Village Chaupal Meets were regularly conducted by your Bank's branches to reduce long pending cases and expedite recoveries in small accounts.

Your Bank continued its emphasis on follow-up mechanism to explore recovery prospects of NPA accounts. The system of monitoring of large value NPA accounts of say Rs 25 lakh and above directly from the corporate office has ensured proactive action by branches, advocates, recovery agents, etc. Therefore, the cash recovery in NPA accounts during FY12 was Rs 580 crore, much higher than the cash recovery of Rs 455 crore during FY11. The upgradation was substantially higher at Rs 336 crore during FY12 compared to Rs 189 crore during FY11.

During the year FY12, your Bank laid specific focus on recovery of small accounts by organizing Lok Adalats and Recovery Camps at village/town level. Your Bank also launched an incentive-linked recovery scheme called "Sankalp – IV" to enlist personalized attention of each and every staff member in pursuing recovery efforts of small value accounts with an outstanding up to Rs 15 lakh. The cash recovery made during the year FY12 under the scheme was very impressive at Rs 191 crore.

The asset classification wise breakup of advances portfolio of your Bank is as under.

(₹ crore)

Asset Category (Gross)	31 st March 2012	31 st March 2011
Standard	2,86,542.59	2,28,173.03
Gross NPA	4,464.75	3,152.50
Total	2,91,007.34	2,31,325.53
Gross NPA is comprising of:		
Sub-standard	2,661.82	1,097.23
Doubtful	1,318.71	1,336.64
Loss	484.22	718.63
Total Gross NPA	4,464.75	3,152.50



Information Technology

Your Bank has undertaken a total end-to-end business and IT strategy project covering your Bank's domestic, overseas and subsidiary operations.

- Your Bank has built the best of technology infrastructure by implementing a state-of-the-art Data Centre conforming to Uptime Institute Tier-3 standard and also a Disaster Recovery Site in different seismic zone with redundancy built in every single point of failure to ensure uninterrupted banking service delivery to customers. After successfully migrating Data Centre to new Data Centre in the Bank's own premises during previous financial year, your Bank had undertaken Disaster Recovery Centre expansion during the year to support its business growth and technology expansion.
- Your Bank has also undertaken various other technology initiatives like windows server virtualization, desktop virtualisation and backup consolidation as green initiatives and also to improve Data Centre operational efficiency. Bank wide network was migrated to new technology based on MPLS for improving uptime and on demand upgrade. Enterprise Management System was upgraded and new modules deployed to effectively manage and monitor Bank's growing IT infrastructure.
- The Core Banking System was migrated to higher version with enhanced features. Various new modules like Fixed Assets maintenance, sales tracker module, centralized service tax, eBRC (Bank Realisation Certificate) module, account number portability, workflow automation for New Pension Scheme – Swavalamban were implemented during the year.
- In order to enhance security and confidence in Internet Banking, your Bank introduced enhanced security features by deploying Fraud Management Solution, including two factor authentications. Your Bank continued to add more facilities under its Internet Banking channels. Internet Banking, viz., Baroda Connect, now provides speedy and secured facility to transfer funds to self, third party (within BOB) and inter-bank. Other facilities available are online opening of Fixed Deposits, Railways Freight Payment, online payment of Direct and Indirect Taxes and certain State Government Taxes, utility bills, rail tickets, online shopping, donation to temples and institutional fee payment. Corporates also have the facility of direct salary uploads, trade finance. Various State Tax payments have been enabled during the year. The SMS Alerts, RTGS/NEFT transactions are also provided in internet banking portal. ASBA (Application Supported by Blocked Amount) functionality has been provided in Baroda Connect for Online subscription to Initial Public Offers and Follow-on Public Offers for applying for Equity Shares. Transaction based Internet Banking has also been implemented in Uganda, Botswana, New Zealand, UAE, Kenya, Mauritius, Seychelles, Fiji and UK providing facilities such as fund transfer to self and third party, bill payments, corporate salary upload and online shopping. View based internet banking has been implemented overseas in Oman and Tanzania.
- Mobile Banking – BARODA M-CONNECT – one more alternate delivery channel was added to provide various facilities to customers, viz., Balance Enquiry, Mini Statement, Linking of Multiple Accounts, Fund Transfer, Request to the Bank, Bill Payments, Ticket Booking, Shopping, Feedback/ Complaints etc. The IMPS was also enabled through Mobile Banking for interbank fund transfer.
- The ATM Switch was upgraded during the year to support increasing volume of transactions and ATMs. The ATM switch is operational in India, UAE, Oman, Mauritius, Fiji, Tanzania, Botswana, T&T and New Zealand. ATM switch is integrated with seven interchanges viz. National Switch NFS(NPCI), Visa, MasterCard, CBUAE (UAE), CBOMAN (Oman), Link (T&T), Paymark (New Zealand) to provide convenience to customers by increasing delivery points through ATMs covered under these switches. As a customer centric initiative, Bank has implemented self-linked fund transfer, Institution fees payment, mobile banking registration, mobile number updation, biometric authentication enabled ATMs, tax payment, multiple accounts being linked to a single Debit Card, Verified by VISA, CVV2, Visa Platinum, Maestro Debit Card, Biometric Card, PIN change and mini statement through other Bank ATMs. Mobile ATMs have been launched in Ahmedabad, Pune, Lucknow and New Delhi. Some value added features like online cash deposit and cheque deposit, cheque book request, statement request, envelope cash and cheque deposits services are introduced in UAE.
- Internet Payment Gateway services for debit cards/credit cards are increasingly offered to merchants and internet shopper as a safe and secure channel for online purchases.
- The SMS Alerts delivery gateway was upgraded to extend the facility to all customers of your Bank.
- During the year, customers are provided with one more service delivery channels with the launch of Contact Centres in Lucknow and Baroda.
- The Retail Depository Services are made available to your Bank's customers. With a centralized depository application, branches are equipped to provide depository services for both NSDL as well as CDSL. With Online Trading System, your Bank will be able to provide complete suite of online services to the customers for trading in instruments like equities, mutual funds, bonds and initial public offering (IPOs).
- Cash Management System is a full-function web enabled cash management solution offered to your Bank's customers, covering services like Receipt Management (Collections), Payment Management and Invoice Management (Receivable and Payable Management).
- New Credit Card Management System has been implemented to provide comprehensive management and support for your Bank's Credit Card operations.
- All CBS branches are enabled for interbank remittances through RTGS and NEFT. RTGS and NEFT have also been interfaced with our internet banking portal. The Straight Through Processing (STP) of NEFT Inward Messages have been implemented for the Bank as well as RRBs.
- The SWIFT facility for worldwide inter-bank financial communication is provided at Foreign Exchange Authorised Branches in India as also in overseas territories.
- The Payment Messaging Solution (PMS) is implemented in 20 overseas territories & all authorised branches in India. PMS facilitates validation and formatting of SWIFT messages generated from CBS as per SWIFT standards, and also goes through AML check.

- During the year, a grid based Cheque Truncation System (CTS) was implemented in Chennai, Coimbatore and Bangalore.
- For improving your Bank's service delivery, the Back Office functions have been centralised at City Back Offices and Regional Back Offices. During the year, your Bank added five more Regional Back Offices. Your Bank now has 70 City Back Offices and 10 Regional Bank Offices. The personalised cheque books issuance has been centralized. Your Bank has also started centralised FCNR operations.
- Automated Cheque Processing Centre (Inward & Outward) was implemented in Mumbai. Your Bank has also initiated the process of implementation in Surat, Ahmedabad, as a part of Business Process Re-engineering under its Project Navnirmaan.
- The Integrated Global Treasury Solution has been implemented in UK, UAE, Bahamas, Bahrain, Hongkong, Singapore, Belgium and in India, reducing the cost of operations and better fund management.
- For regulatory compliance, the Anti Money Laundering (AML) has been implemented in India and 20 overseas territories. Your Bank has also implemented Risk Management solution.
- Enterprise wide GL Solution has been implemented. This provides variety of inputs to your Bank for strategic decision making in business development and also generates enterprise wide consolidated reports.
- The Centralised Payroll, Salary module, e-TDS module and Leave Module have been implemented for all your Bank's offices in India.
- The Human Resource Networking for Employees Service has been implemented with the objective of creating a central database of the Bank employees for facilitating decision-making, promotion and selection exercise as also for automating other HR process.
- Your Bank had also undertaken as a part of its business strategy, Data Warehouse for providing flexible and interactive source of strategic information, Customer Relationship Management for better customer insight and uniform customer view across channels.
- The IT setup has been developed for account opening process and transactions, both online and offline, to be carried out through Business Correspondent thus enabling Financial Inclusion. The Mobile Van Banking is launched in Gujarat, UP & Bihar on a pilot basis as the Bank's Financial Inclusion initiative.
- The Solar Power Generation System (SPGS) was implemented during the year in additional rural branches to ensure uninterrupted banking services to the Bank's rural customers. The SPGS will provide an alternate source of energy through UPS at branches that face acute power shortage or have large load shedding.
- A robust Information Security Management System was put in place during the year under review to protect the technology against security threat.

Future Plans in IT

- Various IT initiatives under Financial Inclusion are being proposed like – Aadhaar Enabled Payment System (AEPS), Aadhaar Payment Bridge (APB), Ultra Small branches, etc.

- Some more Customer Centric initiatives are proposed like Interbank Mobile Payment Service (IMPS) through ATM, Internet Banking, RuPay Card – ATM & Point of Sale (POS) implementation, European Master Visa (EMV) implementation, Chipbased card, more facilities through Interactive Voice Response System (IVRS), NEFT through ATM, utility bill payment through ATM, etc.
- The advanced phases of Customer Relationship Management and Data Warehouse are also being planned.
- Your Bank has plans to upgrade existing applications like Exchange, eBusiness suite with enhanced features.
- It also proposes implementation of Business Analytics, Employee Performance Management System, Employee Incentives and Manpower Planning.
- It further proposes implementation of Security Operation Centre for enhanced IT security.
- It has planned technology projects like optimal utilization of IT infrastructure, archival project, IPV6 implementation, Biometric authentication for internal users, IT infrastructure for growth, etc.

E-business

Your Bank's e-business department provides different types of Alternate Delivery Channels (ADC) such as ATMs, Internet Banking (Baroda Connect), RTGS/NEFT, Phone Banking, Internet Payment Gateway (IPG) etc. In addition to this, the e-banking department of your Bank looks after Depository Services, Cash Management Services & Sale of Gold Coins. This year, the Bank successfully launched Contact Centers from Lucknow & Baroda, mobile banking and pre-paid gift card etc. Given below is the performance of various segments under the e-Business activity, during FY12.

ATM/DEBIT Card Operations

Particulars	31/03/2011	31/03/2012
No. of ATMs operationalised	1,561	2,012
No. of Debit Cards Issued	62.71 lakh	80.44 lakh



Shri M D Mallya, CMD inaugurating 104 new ATMs on Bank's 104th Foundation Day. Shri N S Srinath, ED and Shri P D Singh GM (E-Business) are also seen

During FY12, your Bank received NFS Operational Excellence Award for ATMs from National Payments Corporation of India (NPCI) – **Best Bank in Public Sector category.**



Baroda Connect (Internet Banking)

Particulars	31/03/2011	31/03/2012
No. of Users	5,73,575	8,10,430
No. of A/cs. Linked	21,90,700	32,49,216

New Initiatives in FY12

- Fraud Management Solution (FMS) was implemented in August 2011 to make internet banking system foolproof/ secured. No Phishing induced transactions were reported in the previous two months.
- Online FDR through Baroda Connect was launched in January 2012.

Baroda RTGS/NEFT

Particulars	2010-11		2011-12	
	RTGS	NEFT	RTGS	NEFT
No. of Inward Transactions	13,98,612	34,24,515	16,62,070	61,37,139
No. of Outward Transactions	19,25,969	14,88,661	21,47,527	29,48,252
Avg. Transactions per day (Inward)	5,793	17,035	7,720	28,376
Avg. Transactions per day (Outward)	7,235	8,015	9,338	13,211

Baroda Cash Management Services

- During financial year FY12, the total number of transactions in BCMS was 14.19 lakh with total turnover of Rs 10,355 crore. A profit of Rs1.39 crore was earned.
- The number of customers has increased from 92 as on 31st March 2011 to 206 as on 31st March 2012.
- It is proposed to extend these services to 100 more centers in a phased manner.

Baroda e-Gateway (Internet Payment Gateway)

- As on 31st March 2012, 124 Merchants were registered as against 52 as on 31st March 2011 and total turnover during FY12 was Rs 26.49 crore. A Profit of Rs 27.94 lakh was earned during FY12.

Sale of Gold Coins

- Your Bank started selling the gold coins since October 2007.
- At present, gold coins in denomination of 2gm, 4gm, 5gm, 8gm, 10gm, 20gm and 50gm are sold. During the year FY12, 80,958 gold coins weighing 668.45kg were sold.
- A profit of Rs11.20 crore was earned from this activity during the year FY12.

New Products Launched during FY12

1. Mobile Banking



Alternate Delivery Channel : Mobile Banking

2. Pre-paid Cards



Launch of Baroda Gift Card by Shri M D Mallya, CMD along with Shri N S Srinath ED and Shri P D Singh, GM (E-Business)

3. Contact Centres at Lucknow & Baroda



Inauguration of Baroda Contact Centre by Shri M D Mallya, CMD.

4. Different variants of Debit Cards:

- Visa Platinum Debit Card
- Mastercard "Combi" Gold Debit Card



5. Maestro PIN Debit Card



Various Credit and Debit Cards issued by the Bank.

New Products to be Launched Shortly

1. Launch of Foreign currency international travel card.
2. Value added services like top-up, DTH recharge, utility payment, ticketing etc. through multiple delivery channels like internet banking, mobile banking, ATM, website etc.
3. Introduction of corporate business solutions including web based Cash Management, e-commerce portal, reimbursement/payroll for their staff etc. to garner new/additional business through e-products/services.
4. Structured loyalty and rewards program to increase debit card usage and associated earnings.

Human Resources

Human Resource strategies have been a key component of your Bank's overall efforts for business transformation and augmenting performance of its operational units. The prime objective of the HR function is to harness the employee potential for serving the customers better. Your Bank is endowed with a competent and highly motivated employee base of around 42,175 people who are engaged in handling the mammoth business operations of your Bank.

Your Bank took some major HR initiatives during the year FY12 in order to cement its position in the top league of banks. Some of these initiatives, as described below, are unique and path-breaking for the entire Public banking sector as a whole.

Opening of "Baroda Manipal School of Banking"



Your Bank initiated this innovative resourcing channel during the year FY12, in tie-up with Manipal Global Education Services. The Baroda Manipal School of Banking will provide a batch of around 180 fully trained officers per quarter with effect from Sept, 2012 onwards who shall be deployed against your Bank's requirement of specific profiles of officers. The students undergo a focused grooming which is tailored to BOB's requirements, while undertaking a one-year full-time PG course in Banking

& Finance in Baroda Manipal School of Banking, before being absorbed in your Bank with first-day, first hour productivity as the main objective.



Dr. K C Chakrabarty, Dy. Governor, RBI, addressing the students of Baroda Manipal School

Launch of HR transformation project – 'SPARSH'



This focused project was initiated by your Bank during this year to revamp its existing HR processes, structures and policies in order to support the technology and business transformation of your Bank. Various initiatives like Talent management, Succession planning, creating a scientific staffing model & manpower planning, development and capability building, performance management, etc. were started under this project.

Implementation of HR Technology

Your Bank has created a very comprehensive HR technology platform covering HRM, Training, Payroll & Leave modules christened the Human Resources Network for Employee Services (HRNes). This technology platform has enabled automation of various HR functionalities and various modules under this system were continued to be implemented during the year.

HR Initiatives in Capability Building

Substantial training and developmental activities were carried out during FY12, which included comprehensive grooming programmes in the area of Credit, Forex, Dealings, Branch Management, Planning, Risk Management, etc. besides soft skills programmes and ensuring all-round development and grooming of young officers and new recruits through a structured six-month long new joinee induction programme.

Your Bank conducted 2,334 training programmes in-house (through its network of 12 Training Centres across the country, one IT training center and an Apex Training College at Ahmedabad) and thereby trained 48,090 people during the year. Besides, your Bank also sent around 1,221 employees for undergoing training in various reputed external training institutes



of the country and even abroad. All General Managers and Dy. General Managers of your Bank were sent to undergo a Top Management programme at one of India's best B-Schools viz. ISB, Hyderabad whereas in another initiative, your Bank trained more than 400 especially identified people across your Bank to undergo a focused Mentoring programme in order to act as 'mentors' to newly recruited officers.

Leadership Development

Taking into account the critical need for building leadership competencies in people, your Bank has launched a comprehensive leadership development program 'Project UDAAN' covering Branch Heads of all Urban and Metro Branches and all the Assistant General Managers and Deputy General Managers with the objective of creating leaders for the future. Such a massive and comprehensive leadership development effort is unparalleled in the industry and first of its kind for an Indian state-owned Bank.



The programme has been structured around three modules of leadership viz. 'Leading Self', 'Leading Others' and 'Leading Business' and each of the three modules are being addressed through a combination of off-site Forum events and Coaching clinics. The programme covered around 960 participants in seven batches (waves) across seven zones of your Bank during the year FY12 and around 460 more participants shall be covered in another three batches in the next year.

Recruitment Drive

Your Bank has been undertaking focused hiring efforts on a sustained basis year on year, to cater to superannuation, sustained business growth and rapid Branch expansion. Various recruitment exercises were undertaken during the year to address the emerging manpower requirements in your Bank. Recruitment of Specialist officers, probationary officers, recruitment of young MBAs directly from the campuses of renowned Business Schools were initiated in large numbers to meet the needs of your Bank, both in terms of replacements for normal attrition and factoring in the business growth needs. Your Bank recruited 1,726 Officers in various Grades/Scales (both Generalists & Specialists), 1,395 Clerks and 629 Subordinate staff members. With another 125 new hires in the process of joining, your Bank has thereby inducted a total of 3,875 new employees during the period FY12. The recruitment process is continued in the year 2012-13 also with various recruitment projects underway for filling up almost 1,000 posts of officers and 2,000 posts of clerks.

Framework for Career Progression

Special efforts were made during the year under review to fulfill the growing aspirations of the employees for faster

career progression, thereby, motivating employees for higher productivity. Your Bank has been regularly promoting people in all grades / scales, year after year, without a break, in order to keep on continuously rewarding its top performers and make them assume higher responsibilities faster. In keeping with this trend, a large number of promotion exercises were undertaken during the year FY12 also, the results of which are given below.

Sub-Staff to Clerk	207
Clerk to Officer	450
JM-I to MM-II (Officer to Manager)	In progress for filling up 600 vacancies
MM-II to MM-III (Manager to Sr Manager)	In progress for filling up 500 vacancies
MM-III to SM-IV (Sr. Manager to Chief Manager)	In progress for filling up 275 vacancies
SM-IV to SM-V (Chief Manager to Asstt. Gen. Manager)	85
SM-V to TEG-VI (Asstt. Gen. Manager to Dy. Gen. Manager)	28
TEG-VI to TEG-VII (Dy. Gen. Manager to General Manager)	11

Special Thrust on Development of SC/ST/Other Backward Communities

Your Bank is committed to the constitutional safeguards and social objectives for development and welfare of persons belonging to SCs, STs and other backward classes in society. Your Bank is one of those banks in the entire banking industry that have the highest number of employees belonging to SCs and STs, which itself shows the commitment of the Bank towards their development and upliftment. Some of the highlights of your Bank's efforts for development and welfare of people belonging to SCs and STs are enumerated as under.

Reservation in Employment

Your Bank observes all guidelines stipulated by the Government of India for reservation of posts in employment in All India recruitment and local recruitment. Around 15.0% posts are reserved for SCs and 7.5% posts are reserved for STs in all India recruitments. For other recruitments made on regional basis, appropriate percentage prescribed for various States is being observed.

Special efforts are made like offering pre-recruitment orientation training to SC/ST applicants for recruitment in your Bank. Relaxation in age limit and qualifications are given and interviews of SC/ST candidates are taken on relaxed standards in order to ensure that appointment of candidates to the reserved posts happens. In the Interview Panel for recruitment, a member belonging to SC/ST is invariably associated. Candidates belonging to SC/ST, who are called for interview, are reimbursed traveling expenses. In addition to providing reservation in employment, your Bank is also providing reservation and other enabling mechanisms in career growth and promotions for SC and ST employees as per the guidelines in vogue. Pre-promotion training before participating in promotion exercises is also provided. Around 10.0% of the available residential accommodation of your Bank is also reserved for SC/ST candidates.

The staff strength and representation of SCs and STs as of 31st March 2012 is as under.

Cadre	Total	SC	SC %	ST	ST%
Officers	16,953	2,936	14.76	1,159	6.84
Clerks	16,448	2,428	17.32	1,070	6.51
Substaff	8,046	2,845	35.36	733	9.11
Total	41,447	8,209	19.81	2,962	7.15

SC/ST Cell

An exclusive SC/ST Cell in your Bank has been set up to monitor the reservation and other enabling provisions for SC/ST employees. An executive in the rank of General Manager is appointed as Chief Liaison Officer for SC/ST employees who ensures compliance of various guidelines pertaining to the SC/ST employees. A Liaison Officer for SC/ST has been appointed in each Zone of the Bank who takes care of all matters and grievance redressal of SC/ST employees of that Zone.

Meeting with SC/ST Welfare Association

With a view to have direct dialogue and review of reservation and other special provisions for SC and ST, your Bank holds quarterly meetings with the representatives of SC/ST Welfare Association of the Bank. Your Bank's Chairman and Managing Director and Senior Executives including the Chief Liaison Officer for SC/ST participate in the meeting.

Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar Memorial Trust

Your Bank has established the "Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar Memorial Trust" in 1991 for promoting welfare activities for the benefit of SC/ST employees and their family members. Apart from scholarships to children of employees belonging to SC/ST, the Trust also provides scholarship to needy students belonging to SC/ST community, in general, in major centres of the country.

Visit of National Commission for Scheduled Castes

The National Commission for Scheduled Castes visited your Bank at various places during the year viz. at Ahmedabad (09.09.2011), Rajkot (16.09.2011), Surat (08.10.2011), Anand (09.11.2011), Bular (11.11.2011), Jamnagar (23.12.2011), Bharuch (05.12.2011), Udaipur (29.12.2011), Mehsana (27.01.2012), Godhra (17.03.2012), Kolkata (21.02.2012) and Jodhpur (29.03.2012) to review the implementation of the reservation policy of the Government of India for SCs in your Bank, had discussions and interactions and examined the level of implementation of the policies and programmes. It may be noted that the suggestions and guidance of the Commission are being scrupulously observed by your Bank.

Marketing


The breakthrough marketing communication path with the introduction of the animated mascot "Stickman" by Bank in the year FY11 had enhanced the Bank's branding and set the pace for different branding initiatives.

Taking forward this brand rejuvenation journey, the Bank had introduced the brand in Sonic Medium by launching its "Signature Tune" on the occasion of its Foundation Day on 20th July, 2011. Your Bank's marketing communication continued to focus on enhancing the recall value of the brand and thereby providing absolute support to the field staff.

Product Support

During FY12, a number of product promotion campaigns were conducted to promote Retail Loans, Current Deposits, Saving Deposits, SME products, NRI products and sale of gold coins. A combination of all media vehicles [print, electronic and OOH media] was used to support the sales effort of field level units. Their efforts were also aided by suitable in-branch publicity through display of banners, posters and leaflets and general promotional events through the expanding branch network.

Marketing Initiatives



Launch of Bank's Calendar for the year 2012

- Your Bank introduced the brand in Sonic Medium by launching its "Signature Tune" on the occasion of Bank's Foundation Day on 20th July, 2011.
- Corporate branding initiatives like launch of signature tune, advertisements about financial results and awards and various product campaign promotions have aided
- Increase of Bank's Brand Value to \$ 675 Million in 2012 from \$ 585 Million in 2011.
- Improvement in Bank's Brand Ranking to 166 in 2012 from 214 in 2011.

(Source: Brand Finance-Top Brands Banking 500, 2012 survey)

Signature Tune

The year FY12 saw the launch of the 'Signature Tune' of your Bank. The signature tune is an audio piece which articulates brand personality, enhancing and impressing the visual form of Bank's logo to create a strong association of the Bank's brand with its customer and employees. It has been envisaged that this signature tune will articulate the spirit of the Bank as a vibrant, energetic, young organization complementing the Logo and its introduction signifies the commencement of a new brand era which will give a 360 degree recall value to the Bank's brand.



Shri M D Mallya, CMD, releasing the signature tune CD. Shri N S Srinath, ED and Shri Ulhas Sangekar, GM (HR & Marketing) are also seen in the photograph

Other Marketing Endeavours



Bank's participation in Mumbai Marathon 2012

Various on-ground activities helped to broaden your Bank's competitive edge by improving visibility, image, prestige and credibility by supporting events where your Bank could capture attention of prospective customers and generate business. Your Bank organized and participated in many such events. Some of the major events where your Bank's branding was enhanced included viz. Vadodara Marathon - 2012, President Fleet Review Nite - 2012, Mint Annual Banking Conclave -2012 - "Opportunities and Challenges", 10th Pravasi Bhartiya Divas - 2012, Jaipur, Mumbai Marathon - 2012, FICCI Series of Seminars on MSME Financing - 2011, FICCI-IBA Banking Conference 2011, 28th Skoch Summit on Financial Inclusion and The Baroda Cup Polo Tournament. The Out-of-Home media was also well leveraged to ensure customer recall.

Awards and Industry Recognition for Bank of Baroda

Your Bank received several awards during FY12, for its consistent outstanding and all-round performance (both business and financial), superior management, dedication to excellence and contribution to rural economy and financial inclusion.

Given below are a few select awards won by Bank during the year FY12:

- T A Pai Memorial "Best Banker" award.
- Most Efficient Bank in Kenya
- Best Initiatives in Inclusive Banking - FIBAC Banking Awards
- Dun & Bradstreet (D&B) Leading Public Sector Bank in 'Global Business Development' category
- National Award for performance under implementation of PMEGP scheme.
- India Best Banks and Financial Institutions Awards: MCX and CNBC-TV18, -
 - a. Best Public Sector Bank
 - b. Outstanding Financial Professional - 2010 was conferred upon Shri M D Mallya
- Commendation Certificate: Department of Official Language - Ministry of Home Affairs.
- HR Excellence Award for Best Intellectual Human Resource Utilization Practices" by Amity International Business School, New Delhi.
- Golden Peacock Award for Excellence in Corporate Governance.
- "Dainik Bhaskar India Pride Awards - Lifetime Achievement Award to M D Mallya
- ABCI Awards 2011.
 - a. Gold Trophy in Indian Language Publication- Akshayam
 - b. Bronze Trophy in New Publication- Navnirmaan
 - c. Bronze Trophy in Special Column - Apni Baat
 - d. Gold Trophy in Web Communication online - Retail Product Campaign
- Business World Best Bank 2011 Awards
 - a. Fastest Growing Bank- Large
 - b. Banker of the Year to Shri M D Mallya, CMD

- Best Public Sector Bank Award by State Forum of Bankers Club, Kerala.
- ICAI awards for Excellence in Financial Reporting
- Best Public Sector Bank by NDTV Profit
- My FM Stars of the Industry Brand Leadership Award

Premises Re-Engineering and Ambience Enhancement

Your Bank, in a ceremony held at Baroda on 27th June, 2011 symbolically handed an Auditorium “Sir Sayajirao Nagar Gruh” having 1,008 seats, to the Vadodara Municipal Corporation, as a Centenary Year Gift to the city of Baroda.




Sayajirao Nagar Gruh at Vadodara



Shri M D Mallya, CMD handing over the keys of Sayajirao Nagar Gruh to Dr. Jyoti Pandya, Mayor, Vadodara City.

Maharaja Ranjitsinh ji Gaekwad, the heir of H.H. Sir Sayajirao Gaekwad III and other dignitaries greatly appreciated your Bank’s gesture. The State-of-the-Art building depicts all the rich cultural heritage of the town using the talents of local artisans and artists. The beautiful building has since become a landmark of Baroda City. Major Cultural events of the city are since held there.

The administrative office cum residential complex at Ghod Dod Road Surat is since completed. It is equipped with ultra modern gadgets and systems with energy efficient equipments, rain water harvesting system, eco friendly materials. Bank’s presence by this building in the Diamond City is admired by one and all.



New Premises of Regional Office, Surat



Inauguration of new premises of Regional office Surat, by Shri M D Mallya, CMD.

Other Initiatives in Estate Management

- As per the directives from Ministry of Finance, your Bank linked its Corporate Office and all Zonal and Regional offices through State-of-the-Art Video Conferencing Systems with MPLS connectivity. Interaction of functional heads through VC has expedited the decision making process in more efficient and cost effective manner.
- Your Bank is also marching towards technology based initiatives in the form of e-tendering, e-procurement, etc.
- All payments to vendors are being made through RTGS / NEFT or credited to beneficiary account.
- Migrated all the assets, located at branches and calculation of depreciation thereon, to CBS platform with the assistance of Projects & IT Department
- Looking to the changed scenario and available delivery channels, furnishing of RBO, CBO, and Contact Center have been carried out in-house, at various locations, to ensure efficient customer services.
- In tune with your Bank’s policy to have its administrative offices in owned premises, your Bank has purchased land at Bangalore (Karnataka), Hyderabad (A.P), Faizabad (U.P), Indore (MP), Udaipur, Kota, Jaipur (Rajasthan) and New Raipur (Chhatisgarh) for construction of commercial building.



- During the year, your Bank surrendered surplus/unutilised area of approximately 30,000 sqft of branches/ offices thereby saving the rental outgo.
- Looking to the ever increasing rentals, need is being felt to use every nook and corner of the available premises. Layouts are being revisited while renovation and furnishing of branches / offices is being done by introducing eco friendly and ergonomically designed sleek furniture items.
- To have uniformity in systems and procedures pan-India, Premises Policy Guidelines, Constructions Manual, Refurbishment Manual have been formulated.

Projects under Implementation

- Construction of commercial complex at Mylapore, Chennai is in the final stage of completion to house Zonal Office, Branch and Currency Chest and is expected to be occupied by the end of June 2012
- Construction of residential complex at Cenotaph Road, Chennai is nearing completion, to house the executives and VIP guests and is expected to be occupied by the end of June 2012
- Residential complex at East of Kailash, New Delhi is in the advanced stage of completion.
- Construction of commercial cum residential complex at (Tata Nagar) Jamshedpur is also nearing completion to house the RO, RBO, TC and 23 flats.

Future Plans for Estate Management

- Face lifting of Bank's building at Parliament Street New Delhi
- Redevelopment of Ram Nagar Premises at Coimbatore, to have optimum utilisation of available space for Branch / officers flats
- Construction of own building for Disaster Recovery Site at Hyderabad
- Construction of training centre at Bangalore and Zonal Office building at Jaipur.
- Renovation of Bank of Baroda Institute of Information Technology at Gandhinagar (Gujarat)
- Redevelopment of Bhandup Staff Quarters building, Mumbai, thereby to construct about 138 residential flats for transferee Officers/ Executives.
- Redevelopment of Jogeshwari Staff Quarters, Mumbai, to construct a building for residential and commercial use.
- Construction of residential cum commercial complex at Indore (MP)
- Construction of BSVS at various centers across India as per the directives from the Gov. of India

Branch Network

Given below is the information on your Bank's brick and mortar distribution channels as on 31st March, 2012, which are observed to be closer to common customers as compared to the E-Banking channels, which are generally preferred by the tech savvy urban masses.

Area Classification (India)	Number of Branches	% Share in Total
Metro	871	22.31
Urban	718	18.39
Semi-urban	1045	26.77
Rural	1270	32.53
Total	3904	100.00
Overseas	55	--

Domestic Subsidiaries and Associates

The performance of "Subsidiaries, Joint Venture & Associates" of Bank of Baroda was satisfactory during FY12. The BOBCARDS Limited turned around during FY11 and has made profit during FY12. The Company has focused on all qualitative aspects of business development, which has resulted in better profitability, quality card base and ME base.

The BOB Capital Markets Ltd. has been activated by appointing a professional CEO and recruiting a professional team. The focus is on Debt Syndication, Private Equity Syndication and Capital Market activities. The Company commenced Institutional Broking business in October 2009 and will be commencing retail broking shortly.

The Baroda Pioneer Asset Management Company Ltd. is in its fourth year of operation. The Company focused on Systematic Investment Plans (SIPs). During the year under review, the Company launched successful SIP campaigns in your Bank's network and has raised significant SIPs.

IndiaFirst Life Insurance Company Ltd., a joint venture company, commenced its business operations on 16th November 2009 and has received an overwhelming response from Your Bank's customers across the country. IndiaFirst has outperformed the industry by having maximum y-o-y growth of 40%. From 22nd entrant in FY10, the Company has become the 10th player among private players by 31st March, 2012. IndiaFirst has launched embedded products like BarodaFirst and Abhaya First, one of its kind in the industry.

(₹ lakh)

Entity (with date of registration)	Country	Owned Funds	Total Assets	Net Profit	Offices	Staff
BOB Capital Markets Ltd., 11 Mar, 1996	India	12,994.38	14,141.87	737.04	1	36
BOBCARDS Ltd., 29 Sept, 1994	India	12,623.72	14,002.31	1,280.07	34	124
Baroda Pioneer Asset Mgmt Co. Ltd., 5 Nov, 1992	India	36,688.15	3,96,009.32	6,118.34	104	851
IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd., 19 June, 2008	India	3,621.44	4,096.21	-1,312.36	1	69
Nainital Bank Ltd., 31 July, 1922	India	41,580.81	2,53,516.84	-7,257.78	15	1,457

Implementation of Official Language (OL) Policy

During the period under review, your Bank made significant progress with regard to implementation of Official Language Policy and ensured compliance of various statutory requirements of Official Language Act/Official Language Rules. Your Bank could achieve all major targets set by the Government of India under its Annual Implementation Programme and fulfilled the assurance given to the committee of Parliament on Official Language.

In recognition of your Bank's outstanding performance, the Bank was awarded 1st prize in Linguistic Region 'A', 11th prize in Linguistic Region 'B' & 'C' under RBI Rajbhasha Shield Competition. Your Bank's in-House magazine BOBMAITRI also got 4th prize from RBI. The Town Official Language Implementation Committees functioning at Jaipur and Baroda under our convensorship were awarded 1st & 2nd prizes respectively for their outstanding performance by Dept. of O.L., Government of India. Your Bank's Zonal Office, Ahmedabad & Zonal Office Jaipur got 1st & 2nd Prizes respectively from Regional O.L. Implementation office of Government of India.



Shri B B Garg, GM, receiving Rajbhasha Shield by Smt. Pratibha Devi Singh Patil, Her Excellency, President of India.

Your Bank's in House Hindi Magazine 'Akshayam' was awarded by the 'ABCI' with 'Gold Prize' under Indian Language Publication category, 'Apni Baat' awarded with 'Bronz prize' under special column (Language) category, 'Navnirman News letter' awarded with 'Bronz prize' under new publication category and your Bank's website got 'Silver prize' under the website category by ABCI.

The Town Official Language Implementation Committees functioning at Jaipur & Baroda under the convensorship of your Bank discharged their responsibilities excellently. During the year, three newly constituted Town Official Language Implementation Committees started functioning at Surat, Rajkot & Jodhpur under your Bank's Convensorship and now the Bank is the Convener of a total of five Town Official Language Implementation Committees.

Your Bank recruited 28 new specialist Hindi Officers at Regional Offices for effective Implementation of Official Language Policy of Government of India.

The Third Sub-Committee of Parliament on Official Language visited your Bank's Manali Branch and appreciated the efforts undertaken by the Bank in the area of Official Language Implementation.

Your Bank introduced bilingual software namely 'Script Magic' in the finacle system across all its branches (which are already on the CBS) and started generating and printing of Passbooks/ Account Statements and other reports in Hindi in Region 'A' & 'B'. The publication of e-bulletin in Hindi namely 'Baroda Hindi. Com' is promoting the use of Hindi through technology.

Board of Directors

Shri Sudarshan Sen was nominated as a Director w.e.f. 30.05.2011 by the Central Government u/s 9 (3) (c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 to hold the post until further orders.

Shri Vinil Kumar Saxena was appointed as a Workmen Employee Director w.e.f. 25.07.2011 by the Central Government u/s 9 (3) (e) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of three years or till he ceases to be workmen employee of Bank of Baroda or until further orders, whichever is earlier.

Shri Maulin Arvind Vaishnav was re-elected as a Director by shareholders of the Bank other than the Central Government u/s 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Extra Ordinary General Meeting held on 23.12.2011 for a period of three years from 24.12.2011 to 23.12.2014.

Shri Surendra Singh Bhandari was elected as a Director by shareholders of the Bank other than the Central Government u/s 9 ((3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Extra Ordinary General Meeting held on 23.12.2011 for a period of three years from 24.12.2011 to 23.12.2014.

Shri Rajib Sekhar Sahoo was elected as a Director by shareholders of the Bank other than the Central Government u/s 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Extra Ordinary General Meeting held on 23.12.2011 for a period of three years from 24.12.2011 to 23.12.2014.

Shri R. Gandhi, who was nominated as a Director w.e.f. 30.07.2010 by the Central Government u/s 9 (3) (c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold the post until further orders, ceased to be a Director w.e.f. 30.05.2011 upon nomination of Shri Sudarshan Sen in his place.

Dr. Dharmendra Bhandari, elected as a Director by shareholders of the Bank other than the Central Government u/s 9 ((3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of three years from 24.12.2008 to 23.12.2011, ceased to be a Director w.e.f. 24.12.2011 on completion of his tenure.

Dr. Deepak B. Phatak elected as a Director by shareholders of the Bank other than the Central Government u/s 9 ((3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of three years from 24.12.2008 to 23.12.2011, ceased to be Director w.e.f. 24.12.2011 on completion of his tenure.



Directors' Responsibility Statement

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2012:

- The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any;
- The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the RBI, were consistently applied.
- Reasonable and prudent judgment and estimates were made so as to give true and fair view of the state of affairs of your Bank at the end of financial year and of the profit of your Bank for the year ended on March 31, 2012;
- Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the applicable laws governing Banks in India; and
- The accounts have been prepared on a going concern basis.

Acknowledgement

The Directors express their sincere thanks to the Government of India, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India, other regulatory authorities, various financial institutions, banks and correspondents in India and abroad for their valuable guidance and support.

The Directors acknowledge with appreciation the assistance and cooperation extended by all stakeholders of your Bank like customers, shareholders and well wishers in India and abroad.

The Directors place on record deep appreciation for the hard work and dedication of the members of your Bank's staff at different levels, which enabled your Bank to record high quality, consistent growth year after year despite economic challenges and consolidate its position as one of the premier banks in the country.

For and on behalf of the Board of Directors,

M. D. Mallya

Chairman and Managing Director



कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट 2011-12 Report on Corporate Governance 2011-12

1. गवर्नेंस संहिता के बारे में बैंक का दर्शन

बैंक, उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु संसाधनों के इष्टतम उपयोग के साथ अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करने तथा सभी स्तरों पर कार्यनिष्पादन सुनिश्चित करते हुए, शेयरधारकों के हितों की रक्षा करते हुए तथा उनके मूल्यों में अभिवृद्धि के लिए अपने सतत प्रयास जारी रखेगा. बैंक न केवल सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा बल्कि स्वेच्छापूर्वक कड़ी कार्पोरेट गवर्नेंस पद्धतियों को निष्पादित करते हुए उनका पालन भी करेगा. बैंक प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता हांसिल करने के लिए नैतिक मूल्यों के उच्च मानकों, पारदर्शिता तथा, अनुशासित दृष्टिकोण अपनाने में विश्वास रखता है. बैंक उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों के अनुपालन के प्रति भी प्रतिबद्ध है. बैंक अपने सभी साझेदारों, जिसमें शेयरधारक, ग्राहक, सरकार और व्यापक तौर पर जनता भी शामिल है, को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए सघन प्रयास करता रहेगा.

बैंक एक सूचीबद्ध निकाय है, जो एक कम्पनी नहीं है, अपितु बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 अर्थात् बैंककारी कंपनी अर्जन अधिनियम के तहत निकाय कार्पोरेट है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित होता है. अतः स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीयन करार के संशोधित उपखण्ड 49 के प्रावधानों का उस सीमा तक पालन करेगा, जहां तक बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं होता है.

2. निदेशक मंडल

2.1 निदेशक मंडल का स्वरूप

बैंक के निदेशक मंडल का गठन बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 यथा संशोधित तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 यथा संशोधित के प्रावधानों द्वारा शासित होता है.

31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुरूप निदेशक मंडल का स्वरूप निम्नानुसार है.

1. Bank's Philosophy on Code of Governance

The Bank shall continue its endeavour to enhance its shareholders' value by protecting their interest by ensuring performance at all levels, and maximizing returns with optimal use of resources in its pursuit of excellence. The Bank shall comply with not only the statutory requirements, but also voluntarily formulate and adhere to a set of strong Corporate Governance practices. The Bank believes in setting high standards of ethical values, transparency and a disciplined approach to achieve excellence in all its sphere of activities. The Bank is also committed to follow the best international practices. The Bank shall strive hard to best serve the interests of its stakeholders comprising shareholders, customers, Government and society at large.

The Bank is a listed entity, which is not a company but body corporate under The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and is regulated by Reserve Bank of India. Therefore the Bank shall comply with the provisions of Clause 49 of the Listing Agreement entered into with Stock Exchanges to the extent it does not violate the provisions of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Guidelines issued by Reserve Bank of India in this regard.

2. Board of Directors

2.1 Composition of the Board

The composition of Board of Directors of the Bank is governed by the provisions of The Banking Regulation Act, 1949, The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, as amended and The Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, as amended.

The composition of Board of Directors of the Bank as on 31st March, 2012 is as under:

क्रम सं. No.	नाम Name	पदनाम Position Held	31.3.2012 को बैंक ऑफ़ बडौदा के धारित शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2012	बैंक की उप-समितियों की सदस्यता की संख्या No. of membership in Sub Committees of the Bank	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों में निदेशक के रूप में सेवाएं संख्या No. of Directorship held in other Companies i.e. Other than the Bank	अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप-समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता की संख्या No. of Membership/Chairmanship held in Sub Committees of the Board in other Companies	टिप्पणियां (बैंक एवं अन्य कंपनियों, जिनमें वे सदस्य हैं, में नियुक्ति का स्वरूप (31.03.2012 को) Remarks (Nature of appointment in the Bank / other Companies) (As on 31.03.2012)
1	श्री एम.डी.मल्या Shri M. D. Mallya	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman and Managing Director	शून्य NIL	7	10	6	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 07.05.2008 से बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त. वे 30.11.2012 तक अर्थात् अपनी अधिवर्षिता की तारीख तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपने पद पर रहेंगे. वे निम्नलिखित निदेशक मंडलों में भी निदेशक हैं- (i) भारतीय निर्यात आयात बैंक (ii) कृषि वित्त निगम लिमिटेड



क्रम सं. No.	नाम Name	पदनाम Position Held	31.3.2012 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के धारित शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2012	बैंक की उप-समितियों की सदस्यता की संख्या No. of membership in Sub Committees of the Bank	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों में निदेशक के रूप में सेवाएं संख्या No. of Director-ship held in other Companies i.e. Other than the Bank	अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप-समितियों में सदस्यता/ अध्यक्षता की संख्या No. of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of the Board in other Companies	टिप्पणियां (बैंक एवं अन्य कंपनियों, जिनमें वे सदस्य हैं, में नियुक्ति का स्वरूप (31.03.2012 को) Remarks (Nature of appointment in the Bank / other Companies) (As on 31.03.2012)
							<p>(iii) बड़ौदा पायोनियर आस्टि प्रबंधन कं. लि. (iv) इंडिया फर्स्टलाइफ इश्योरेंस कं. लि. - (अध्यक्ष) (v) बॉबकार्ड्स लि. (vi) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बोत्स्वाना) लि. (vii) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लि. - (अध्यक्ष) (viii) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूगांडा) लि. (ix) इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी (09.11.2011 से) (x) द न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि.</p> <p>वे निदेशक मंडल की लेखा समिति तथा प्रबंधन समिति के भी सदस्य हैं. वे भारतीय निर्यात-आयात बैंक की पारिश्रमिक समिति के सदस्य हैं. वे दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि. की लेखा परीक्षा समिति, निवेश समिति तथा पारिश्रमिक समिति के भी सदस्य हैं. वे निम्नलिखित गर्वनिंग काउन्सिल के भी सदस्य हैं -</p> <p>(i) राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम) (ii) बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) (iii) भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (iv) सेबी - सदस्य सेकण्डरी मार्केट (एसएमएसई) अन्य</p> <p>(1) भारतीय बैंक संघ (आईबीए) - अध्यक्ष (2) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु ऋण गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)-सदस्य न्यास बोर्ड</p> <p>Appointed as the Chairman and Managing Director of the Bank w.e.f. 07.05.2008 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 to hold the office till 30.11.2012 i.e. his date of superannuation or until further orders, whichever is earlier. He is also Director on the Board of :</p> <p>(i) Export Import Bank of India (ii) Agricultural Finance Corpn. Ltd. (iii) Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd. (iv) IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd. - (Chairman) (v) BOBCARDS Ltd. (vi) Bank of Baroda (Botswana) Ltd. (vii) Bank of Baroda (New Zealand) Ltd.- (Chairman) (viii) Bank of Baroda (Uganda) Ltd. (ix) India International Bank (Malaysia) BHD (w.e.f. 09.11.2011). (x) The New India Assurance Co. Ltd. He is also a member of the Audit Committee and Management Committee of the Board, Remuneration Committee of Export-Import Bank of India. He is also a member of Audit Committee, Investment Committee and Remuneration Committee of The New India Assurance Co. Ltd. He is also a member of the Governing Council of :</p> <p>(i) National Institute of Bank Management (NIBM) (ii) Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) (iii) Indian Institute of Banking & Finance (iv) SEBI – Member Secondary Market (SMAC)</p> <p>Others: (i) Indian Banks' Association (IBA) – Chairman (ii) Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) - Member - Board of Trustees.</p>



क्रम सं. No.	नाम Name	पदनाम Position Held	31.3.2012 को बैंक ऑफ बड़ौदा के धारित शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2012	बैंक की उप-समितियों की सदस्यता की संख्या No. of membership in Sub Committees of the Bank	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों में निदेशक के रूप में सेवाएं संख्या No. of Director-ship held in other Companies i.e. Other than the Bank	अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप-समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता की संख्या No. of Membership/Chairmanship held in Sub Committees of the Board in other Companies	टिप्पणियां (बैंक एवं अन्य कंपनियों, जिनमें वे सदस्य हैं, में नियुक्ति का स्वरूप (31.03.2012 को) Remarks (Nature of appointment in the Bank / other Companies) (As on 31.03.2012)
2	श्री राजीव कुमार बक्षी Shri Rajiv Kumar Bakshi	कार्यकारी निदेशक (कार्यपालक) Executive Director (Executive)	50	8	6	4	<p>बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 06.11.2008 से पूर्णकालिक निदेशक (कार्यकारी निदेशक के रूप में नामित) के रूप में नियुक्त. वे 31.10.2012 तक अर्थात् अपनी अधिवर्षिता की तारीख तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपने पद पर रहेंगे.</p> <p>वे निम्नलिखित निदेशक मंडलों में भी निदेशक हैं-</p> <p>(i) बैंक ऑफ बड़ौदा (तंजानिया) लि. - (अध्यक्ष)</p> <p>(ii) इंडो जाम्बिया बैंक</p> <p>(iii) बैंक ऑफ बड़ौदा (केन्या) लि. - (अध्यक्ष)</p> <p>(iv) इंडिया फर्स्ट लाइफ इश्योरंस कं. लि.</p> <p>(v) बॉब कैपिटल मार्केट लि. - (अध्यक्ष)</p> <p>(vi) नेशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया</p> <p>वे बैंक ऑफ बड़ौदा (तंजानिया) लि. की लेखा परीक्षा समिति के भी सदस्य हैं.</p> <p>वे इंडो जाम्बिया बैंक लि. की ऋण समीक्षा समिति तथा लेखा परीक्षा समिति के भी सदस्य हैं.</p> <p>वे इंडिया फर्स्ट लाइफ इश्योरंस कं. लि. की पॉलिसी धारक संरक्षण समिति के अध्यक्ष हैं.</p> <p>Appointed as a Whole Time Director (designated as Executive Director) w.e.f. 06.11.2008 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold office up to 31.10.2012 i.e. the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.</p> <p>He is also a Director on the Board of :</p> <p>(i) Bank of Baroda (Tanzania) Ltd.- (Chairman)</p> <p>(ii) Indo Zambia Bank Ltd.</p> <p>(iii) Bank of Baroda (Kenya) Ltd. – (Chairman)</p> <p>(iv) IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd.</p> <p>(v) BOB Capital Markets Ltd. – (Chairman)</p> <p>(vi) National Payments Corporation of India.</p> <p>He is also member of Audit Committee of Bank of Baroda (Tanzania) Ltd.</p> <p>He is also a member of Loan Review Committee and Audit Committee of Indo Zambia Bank Ltd.</p> <p>He is Chairman of Policy Holders protection Committee of IndiaFirst Life Insurance Co. Ltd.</p>
3	श्री एन.एस.श्रीनाथ Shri N. S. Srinath	कार्यकारी निदेशक (कार्यपालक) Executive Director (Executive)	NIL शून्य	8	3	2	<p>बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 07.12.2009 से पूर्णकालिक निदेशक (कार्यकारी निदेशक) के रूप में नियुक्त. वे 31.05.2012 तक अर्थात् अपनी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के माह की अंतिम तारीख तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपने पद पर रहेंगे.</p> <p>वे निम्नलिखित निदेशक मंडलों में भी निदेशक हैं -</p> <p>(i) बैंक ऑफ बड़ौदा (त्रिनिदाद एवं टोबागो) लि. - (अध्यक्ष)</p> <p>(ii) बैंक ऑफ बड़ौदा (घाना) लि. - (अध्यक्ष)</p> <p>(iii) वित्तीय आस्ति का प्रतिभूतीकरण और पुनर्संरचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सीईआरएसआई) के तहत केन्द्रीय पंजीकरण</p>



क्रम सं. No.	नाम Name	पदनाम Position Held	31.3.2012 को बैंक ऑफ बड़ौदा के धारित शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2012	बैंक की उप-समितियों की सदस्यता की संख्या No. of membership in Sub Committees of the Bank	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों में निदेशक के रूप में सेवाएं संख्या No. of Directorship held in other Companies i.e. Other than the Bank	अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप-समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता की संख्या No. of Membership/Chairmanship held in Sub Committees of the Board in other Companies	टिप्पणियां (बैंक एवं अन्य कंपनियों, जिनमें वे सदस्य हैं, में नियुक्ति का स्वरूप (31.03.2012 को) Remarks (Nature of appointment in the Bank / other Companies) (As on 31.03.2012)
							<p>वे बैंक ऑफ बड़ौदा (त्रिनिदाद एवं टोबागो) लि. की नामांकन समिति के अध्यक्ष हैं.</p> <p>वे बैंक ऑफ बड़ौदा (घाना) लि. की लेखा परीक्षा समिति के भी अध्यक्ष हैं.</p> <p>वे आईबीए की कार्मिक समिति के भी सदस्य हैं.</p> <p>Appointed as a Whole Time Director (designated as Executive Director) w.e.f. 07.12.2009 by the Central Government u/s 9 (3) (a) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 to hold the post up to 31.05.2012 i.e. the last day of the month in which he would attain the age of superannuation or until further orders, whichever is earlier.</p> <p>He is also a Director on the Board of :</p> <p>(i) Bank of Baroda (Trinidad & Tobago) Ltd. -Chairman</p> <p>(ii) Bank of Baroda (Ghana) Ltd. – (Chairman)</p> <p>(iii) Central Registry under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act 2002 (CERSAI)</p> <p>He is Chairman of Nomination Committee of Bank of Baroda (Trinidad & Tobago) Ltd.</p> <p>He is also member of Audit Committee of Bank of Baroda (Ghana) Ltd.</p> <p>He is also a Member of:</p> <p>(i) Personnel Committee of IBA.</p>
4	श्री आलोक निगम, आईएएस Shri Alok Nigam, IAS	निदेशक (गैर कार्यपालक) केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि Director (Non- Executive) Representing Central Government	शून्य NIL	6	1	शून्य NIL	<p>बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(बी) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 09.12.2009 से निदेशक के रूप में नामित. वे आगामी आदेशों तक अपने पद पर रहेंगे.</p> <p>वे निम्नलिखित निदेशक मंडलों में भी निदेशक हैं -</p> <p>(i) वित्तीय आस्ति का प्रतिभूतीकरण और पुनर्संरचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सीईआरएसएआई) के तहत केन्द्रीय पंजीकरण</p> <p>Nominated as a Director w.e.f. 09.12.2009 by The Central Government u/s 9 (3) (b) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 to hold the post until further orders.</p> <p>He is also a Director on the Board of :</p> <p>(i) Central Registry under The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act 2002 (CERSAI)</p>



क्रम सं. No.	नाम Name	पदनाम Position Held	31.3.2012 को बैंक ऑफ बडौदा के धारित शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2012	बैंक की उप-समितियों की सदस्यता की संख्या No. of membership in Sub Committees of the Bank	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों में निदेशक के रूप में सेवाएं संख्या No. of Director- ship held in other Companies i.e. Other than the Bank	अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप-समितियों में सदस्यता/ अध्यक्षता की संख्या No. of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of the Board in other Companies	टिप्पणियां (बैंक एवं अन्य कंपनियों, जिनमें वे सदस्य हैं, में नियुक्ति का स्वरूप (31.03.2012 को) Remarks (Nature of appointment in the Bank / other Companies) (As on 31.03.2012)
5	श्री सुदर्शन सेन Shri Sudarshan Sen	निदेशक (गैर कार्यपालक) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संस्तुत Director (Non Executive) Recommended by RBI	शून्य NIL	5	शून्य NIL	शून्य NIL	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(सी) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 30.05.2011 से निदेशक के रूप में नामित. वे आगामी आदेशों तक अपने पद पर रहेंगे. Nominated as a Director w.e.f. 30.05.2011 by the Central Government u/s 9 (3) (c) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 to hold the post until further orders.
6	श्री विनिल कुमार सक्सेना Shri Vinil Kumar Saxena	निदेशक (गैर कार्यपालक) कर्मचारियों के प्रतिनिधि Director (Non Executive) Representing Workmen	620	1	शून्य NIL	शून्य NIL	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ई) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 25.07.2011 से वर्कमेन कर्मचारी निदेशक के रूप में नियुक्त. वे तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा बैंक ऑफ बडौदा में वर्कमेन कर्मचारी रहने अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपने पद पर रहेंगे. Appointed as a Workmen Employee Director w.e.f. 25.07.2011 by the Central Government u/s 9 (3) (e) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of three years or till he ceases to be workmen employee of Bank of Baroda or until further orders, whichever is earlier.
7	श्री वी.बी. चव्हाण Shri V. B. Chavan	निदेशक (गैर कार्यपालक) अधिकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधि Director (Non Executive) Representing Officer Employees	490	शून्य NIL	शून्य NIL	शून्य NIL	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एफ) के तहत भारत सरकार द्वारा 11.03.2011 से अधिकारी कर्मचारी निदेशक के रूप में नामित. वे तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा बैंक ऑफ बडौदा में अधिकारी रहने अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपने पद पर रहेंगे. Nominated as Officer Employee Director w.e.f. 11.03.2011 by the Central Government u/s 9 (3) (f) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of three years or till he ceases to be officer of Bank of Baroda or until further orders, whichever is earlier.
8	श्री अजय माथुर Shri Ajay Mathur	निदेशक (गैर कार्यपालक) Director (Non Executive)	200	6	शून्य NIL	शून्य NIL	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(जी) के तहत भारत सरकार द्वारा 05.05.2010 से तीन वर्षों की अवधि अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, अंशकालिक अशासकीय निदेशक के रूप में नामित. वे जी.एस.माथुर एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार, नई दिल्ली में प्रबंध भागीदार भी हैं. Nominated as a part time non- official director w.e.f. 05.05.2010 by the Government of India u/s 9 (3) (g) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of three years or until further orders, whichever is earlier. He is Managing Partner in G.S. Mathur & Co., Chartered Accountants, New Delhi.



क्रम सं. No.	नाम Name	पदनाम Position Held	31.3.2012 को बैंक ऑफ बडौदा के धारित शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2012	बैंक की उप-समितियों की सदस्यता की संख्या No. of membership in Sub Committees of the Bank	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों में निदेशक के रूप में सेवाएं संख्या No. of Director- ship held in other Companies i.e. Other than the Bank	अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप-समितियों में सदस्यता/ अध्यक्षता की संख्या No. of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of the Board in other Companies	टिप्पणियां (बैंक एवं अन्य कंपनियों, जिनमें वे सदस्य हैं, में नियुक्ति का स्वरूप (31.03.2012 को) Remarks (Nature of appointment in the Bank / other Companies) (As on 31.03.2012)
9	डॉ.(श्रीमती) मसरत शाहिद Dr.(Smt.) Masarrat Shahid	निदेशक (गैर कार्यपालक) Director (Non Executive)	शून्य NIL	2	शून्य NIL	शून्य NIL	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के तहत भारत सरकार द्वारा 29.10.2009 से दूसरी बार तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, अंश कालिक अशासकीय निदेशक के रूप में नामित. वे इससे पहले 15.09.2005 से 14.09.2008 तक भी इसी पद पर रही. Nominated as a part time non- official director w.e.f. 29.10.2009 by the Government of India u/s 9 (3) (h) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a second term of three years or until further orders, whichever is earlier. She held the same position earlier also w.e.f. 15.09.2005 to 14.09.2008.
10	श्री सत्य देव त्रिपाठी Shri Satya Dev Tripathi	निदेशक (गैर कार्यपालक) Director (Non Executive)	शून्य NIL	2	शून्य NIL	शून्य NIL	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) व (3-ए) के तहत भारत सरकार द्वारा 31.08.2010 से अंशकालिक अशासकीय निदेशक के रूप में नामित. वे तीन वर्षों की अवधि अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपने पद पर रहेंगे. Nominated as a part time non- official director w.e.f. 31.08.2010 by the Government of India u/s 9 (3) (h) & (3-A) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.
11	श्री मौलिन अरविंद वैष्णव Shri Maulin Arvind Vaishnav	निदेशक (गैर कार्यपालक) केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से निर्वाचित Director (Non Executive) Elected from amongst Shareholders, other than Central Government	125	3	शून्य NIL	शून्य NIL	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (आई) के तहत 23.12.2011 को आयोजित ईजीएम में बैंक के केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों द्वारा 24.12.2011 से 23.12.2014 तक 3 वर्ष के लिए पुनः निर्वाचित. निर्वाचित होने से पहले 24.12.2008 से 23.12.2011 तक वे बैंक के शेयरधारक निदेशक भी थे. Re-Elected as a Director by shareholders of the Bank other than the Central Government u/s 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Extra Ordinary General Meeting held on 23.12.2011 for a period of 3 years from 24.12.2011 to 23.12.2014. Prior to his re-election, he was also a shareholder director of the Bank from 24.12.2008 to 23.12.2011.



क्रम सं. No.	नाम Name	पदनाम Position Held	31.3.2012 को बैंक ऑफ बडौदा के धारित शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2012	बैंक की उप-समितियों की सदस्यता की संख्या No. of membership in Sub Committees of the Bank	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों में निदेशक के रूप में सेवाएं संख्या No. of Director- ship held in other Companies i.e. Other than the Bank	अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप-समितियों में सदस्यता/ अध्यक्षता की संख्या No. of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of the Board in other Companies	टिप्पणियां (बैंक एवं अन्य कंपनियों, जिनमें वे सदस्य हैं, में नियुक्ति का स्वरूप (31.03.2012 को) Remarks (Nature of appointment in the Bank / other Companies) (As on 31.03.2012)
12	श्री सुरेन्द्र सिंह भंडारी Shri Surendra Singh Bhandari	निदेशक (गैर कार्यपालक) केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से निर्वाचित Director (Non Executive) Elected from amongst Shareholders, other than Central Government	200	4	3	8	<p>बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (आई) के तहत 23.12.2011 को आयोजित ईजीएम में बैंक के केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों द्वारा 24.12.2011 से 23.12.2014 तक 3 वर्ष के लिए निर्वाचित।</p> <p>वे निम्नलिखित निदेशक मंडलों में भी निदेशक हैं -</p> <p>(i) वैभव जेम्स लि. (ii) एशियन होटल्स (वेस्ट) लि. (iii) एशियन होटल्स (ईस्ट) लि.</p> <p>वे वैभव जेम्स लि. की लेखा परीक्षा समिति, पारिश्रमिक समिति, क्षतिपूर्ति समिति और शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत निवारण समिति के भी सदस्य हैं।</p> <p>वे एशियन होटल्स (वेस्ट) लि. की लेखा परीक्षा समिति और पारिश्रमिक समिति के भी सदस्य हैं।</p> <p>वे एशियन होटल्स (ईस्ट) लि. की लेखा परीक्षा समिति और पारिश्रमिक समिति के भी सदस्य हैं।</p> <p>वरिष्ठ साझेदार: मे.एस.भंडारी एण्ड कं., सनदी लेखाकार, जयपुर</p> <p>Elected as a Director by shareholders of the Bank other than the Central Government u/s 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Extra Ordinary General Meeting held on 23.12.2011 for a period of 3 years from 24.12.2011 to 23.12.2014.</p> <p>He is also a Director on the Board of</p> <p>(i) Vaibhav Gems Ltd (ii) Asian Hotels (West) Ltd. (iii) Asian Hotels (East) Ltd.</p> <p>He is also member of Audit Committee, Remuneration Committee, Compensation Committee and Shareholders/Investor Grievances Committee of Vaibhav Gems Ltd.</p> <p>He is also member of Audit Committee and Remuneration Committee of Asian Hotels (West) Ltd.</p> <p>He is also member of Audit Committee and Remuneration Committee of Asian Hotels (East) Ltd.</p> <p>Senior Partner: M/s. S. Bhandari & Co., Chartered Accountants, Jaipur.</p>



क्रम सं. No.	नाम Name	पदनाम Position Held	31.3.2012 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के धारित शेयरों की संख्या No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2012	बैंक की उप-समितियों की सदस्यता की संख्या No. of membership in Sub Committees of the Bank	बैंक के अलावा अन्य कंपनियों में निदेशक के रूप में सेवाएं संख्या No. of Director- ship held in other Companies i.e. Other than the Bank	अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप-समितियों में सदस्यता/ अध्यक्षता की संख्या No. of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of the Board in other Companies	टिप्पणियां (बैंक एवं अन्य कंपनियों, जिनमें वे सदस्य हैं, में नियुक्ति का स्वरूप (31.03.2012 को) Remarks (Nature of appointment in the Bank / other Companies) (As on 31.03.2012)
13	श्री राजीव सेखर साहू Shri Rajib Sekhar Sahoo	निदेशक (गैर कार्यपालक) केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से निर्वाचित Director (Non Executive) Elected from amongst Shareholders, other than Central Government	200	4	3	3	<p>बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (आई) के तहत 23.12.2011 को आयोजित ईजीएम में बैंक के केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों द्वारा 24.12.2011 से 23.12.2014 तक 3 वर्ष के लिए निर्वाचित। वे निम्नलिखित निदेशक मंडलों में भी निदेशक हैं -</p> <p>(i) एनटीपीसी लि. (ii) टिहरी हायड्रो डेवलपमेंट कार्पोरेशन इंडिया लि. (टीएचडीसी) (iii) हिन्दुस्तान जिंक लि.</p> <p>वे एनटीपीसी लि. की लेखा परीक्षा समिति के भी सदस्य हैं। वे टीएचडीसी इंडिया लि. की लेखा परीक्षा समिति और पारिश्रमिक समिति के भी सदस्य हैं।</p> <p>साझेदार: मे.एसआरबी एण्ड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, भुवनेश्वर Elected as a Director by shareholders of the Bank other than the Central Government u/s 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Extra Ordinary General Meeting held on 23.12.2011 for a period of 3 years from 24.12.2011 to 23.12.2014. He is also a Director on the Board of (i) NTPC Ltd. (ii) Tehri Hydro. Development Corporation India Ltd. (THDC) (iii) Hindustan Zinc Ltd. He is also member of Audit Committee of NTPC Ltd. He is also member of Audit Committee and Remuneration Committee of THDC India Ltd. Partner: M/s. SRB & Associates, Chartered Accountants, Bhubaneswar.</p>



2.2 वर्ष के दौरान निदेशकों की नियुक्ति / कार्यसमाप्ति

श्री सुदर्शन सेन को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(सी) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 30.05.2011 से आगामी आदेशों तक निदेशक के रूप में नामित किया गया है।

श्री विनिल कुमार सक्सेना को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(ई) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 25.07.2011 से 3 वर्षों की अवधि अथवा बैंक ऑफ़ बड़ौदा के वर्कमेन कर्मचारी रहने तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, वर्कमेन कर्मचारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री मौलिन अरविंद वैष्णव को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3) (आई) के तहत बैंक के केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों द्वारा 23.12.2011 को आयोजित ईजीएम में 24.12.2011 से 23.12.2014 तक 3 वर्ष के लिए निदेशक के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया है।

श्री सुरेन्द्र सिंह भंडारी को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3) (आई) के तहत बैंक के केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों द्वारा 23.12.2011 को आयोजित ईजीएम में 24.12.2011 से 23.12.2014 तक 3 वर्ष के लिए निदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया है।

श्री राजीब शेखर साहू को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3) (आई) के तहत बैंक के केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों द्वारा 23.12.2011 को आयोजित ईजीएम में 24.12.2011 से 23.12.2014 तक 3 वर्ष के लिए निदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया है।

श्री आर.गांधी, जिन्हें बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3) (सी) के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा 30.07.2010 से आगामी आदेशों तक निदेशक के रूप में नामित किया गया था। 30.05.2011 से बैंक के निदेशक नहीं रहे। उनके स्थान पर श्री सुदर्शन सेन का नामांकन हुआ है।

डॉ. धर्मेंद्र भंडारी, जिन्हें बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3) (आई) के तहत केंद्रीय सरकार द्वारा बैंक के केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों द्वारा 24.12.2008 से 23.12.2011 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए निदेशक के रूप में चयनित किया गया था, अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद 24.12.2011 से बैंक के निदेशक नहीं रहे हैं।

डॉ. दीपक बी. फाटक, जिन्हें बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3) (आई) के तहत बैंक के केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों द्वारा 24.12.2008 से 23.12.2011 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए निदेशक के रूप में चयनित किया गया था। अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद 24.12.2011 से बैंक के निदेशक नहीं रहे हैं।

2.3 निदेशक मंडल की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2011-12, के दौरान निदेशक मंडल की -17 - बैठकें निम्नानुसार आयोजित की गईं, जबकि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के खंड 12 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम 6 बैठकें आयोजित करना अनिवार्य है।

27.04.2011	28.04.2011	27.05.2011	04.07.2011	20.07.2011
27.07.2011	27.08.2011	29.09.2011	21.10.2011	31.10.2011
12.11.2011	22.12.2011	29.12.2011	24.01.2012	25.01.2012
27.02.2012	19.03.2012			

2.2 Appointment / Cessation of Directors During The Year

Shri Sudarshan Sen was nominated as a Director w.e.f. 30.05.2011 by the Central Government u/s 9 (3) (c) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 to hold the post until further orders.

Shri Vinil Kumar Saxena was appointed as a Workmen Employee Director w.e.f. 25.07.2011 by the Central Government u/s 9 (3) (e) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of three years or till he ceases to be workmen employee of Bank of Baroda or until further orders, whichever is earlier.

Shri Maulin Arvind Vaishnav was re-elected as a Director by shareholders of the Bank other than the Central Government u/s 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Extra Ordinary General Meeting held on 23.12.2011 for a period of 3 years from 24.12.2011 to 23.12.2014.

Shri Surendra Singh Bhandari was elected as a Director by shareholders of the Bank other than the Central Government u/s 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Extra Ordinary General Meeting held on 23.12.2011 for a period of 3 years from 24.12.2011 to 23.12.2014.

Shri Rajib Sekhar Sahoo was elected as a Director by shareholders of the Bank other than the Central Government u/s 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Extra Ordinary General Meeting held on 23.12.2011 for a period of 3 years from 24.12.2011 to 23.12.2014.

Shri R. Gandhi, who was nominated as a director w.e.f. 30.07.2010 by the Central Government u/s 9 (3) (c) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, to hold the post until further orders, ceased to be a Director w.e.f. 30.05.2011 upon nomination of Shri Sudarshan Sen, in his place.

Dr. Dharmendra Bhandari, elected as a Director by shareholders of the Bank other than the Central Government u/s 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of 3 years from 24.12.2008 to 23.12.2011, ceased to be a Director w.e.f. 24.12.2011 on completion of his tenure.

Dr. Deepak B. Phatak elected as a Director by shareholders of the Bank other than the Central Government u/s 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of 3 years from 24.12.2008 to 23.12.2011, ceased to be Director w.e.f. 24.12.2011 on completion of his tenure.

2.3 Board Meetings

During the Financial Year 2011-12, total -17 - Board Meetings were held on the following dates as against minimum of -6- meetings prescribed under Clause 12 of The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.



निदेशक मंडल की उपर्युक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है, जो उनके कार्यकाल से संबद्ध है:

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Board Meetings held during their respective tenure are as under:

निदेशक का नाम	Name of the Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings attended
डॉ. एम. डी. मल्या	Shri M. D. Mallya	01.04.2011 to 31.03.2012	17	17
श्री राजीव कुमार बक्षी	Shri Rajiv Kumar Bakshi	01.04.2011 to 31.03.2012	17	16
श्री एन. एस. श्रीनाथ	Shri N. S. Srinath	01.04.2011 to 31.03.2012	17	17
श्री आलोक निगम	Shri Alok Nigam	01.04.2011 to 31.03.2012	17	6
श्री सुदर्शन सेन	Shri Sudarshan Sen	30.05.2011 to 31.03.2012	14	13
श्री विनिल कुमार सक्सेना	Shri Vinil Kumar Saxena	25.07.2011 to 31.03.2012	12	12
श्री वी.बी. चव्हाण	Shri V. B. Chavan	01.04.2011 to 31.03.2012	17	17
श्री अजय माथुर	Shri Ajay Mathur	01.04.2011 to 31.03.2012	17	17
डॉ. (श्रीमती) मसररत शाहिद	Dr. (Smt.) Masarrat Shahid	01.04.2011 to 31.03.2012	17	12
श्री सत्य देव त्रिपाठी	Shri Satya Dev Tripathi	01.04.2011 to 31.03.2012	17	14
श्री. मौलिन अरविंद वैष्णव	Shri Maulin Arvind Vaishnav	01.04.2011 to 23.12.2011	12	12
श्री. मौलिन अरविंद वैष्णव	Shri Maulin Arvind Vaishnav	24.12.2011 to 31.03.2012	5	5
श्री सुरेन्द्र एस. भंडारी	Shri Surendra S. Bhandari	24.12.2011 to 31.03.2012	5	5
श्री राजीव एस. साहू	Shri Rajib S. Sahoo	24.12.2011 to 31.03.2012	5	4
श्री आर. गांधी	Shri R. Gandhi	01.04.2011 to 29.05.2011	3	2
डॉ. धर्मन्द्र भंडारी	Dr. Dharmendra Bhandari	01.04.2011 to 23.12.2011	12	7
डॉ. दीपक बी. फाटक	Dr. Deepak B. Phatak	01.04.2011 to 23.12.2011	12	10

2.4 आचार संहिता

निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक अर्थात् कोर प्रबंधन टीम, जिसमें सभी महाप्रबंधक तथा विभाग प्रमुख शामिल हैं, के लिए स्टाक एक्सचेंजों के साथ में सूचीबद्धता करार के खण्ड 49 की अनुपालना में, आचार संहिता निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कर दी गई है. उक्त आचार संहिता बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.com पर भी देखी जा सकती है. निदेशक मंडल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने आचार संहिता के प्रति सहमति व्यक्त कर दी है.

3. वार्षिक सामान्य बैठक

बैंक के शेयर धारकों की वार्षिक सामान्य बैठक वड़ोदरा में सोमवार, 4 जुलाई, 2011 को हुई थी, जिसमें निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे.

2.4 Code of Conduct:

The Code of Conduct for Board of Directors and Senior Management Personnel i.e. Core Management Team comprising all General Managers and Departmental Heads, has been approved by the Board of Directors in compliance of Clause 49 of the Listing Agreement with Stock Exchanges. The said Code of Conduct is posted on Bank's website www.bankofbaroda.com. All the Board Members and Senior Management Personnel have since affirmed the compliance of the Code.

3 Annual General Meeting

The Annual General Meeting of the shareholders of the Bank was held on Monday, 4th July, 2011 at Vadodara, where the following Directors were present.

1	श्री एम.डी. मल्या	Shri M. D. Mallya	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	Chairman and Managing Director
2	श्री राजीव कुमार बक्षी	Shri Rajiv Kumar Bakshi	कार्यकारी निदेशक	Executive Director
3	श्री एन.एस. श्रीनाथ	Shri N. S. Srinath	कार्यकारी निदेशक	Executive Director
4	श्री सुदर्शन सेन	Shri Sudarshan Sen	निदेशक	Director
5	श्री वी.बी. चव्हाण	Shri V B Chavan	निदेशक	Director
6	श्री अजय माथुर	Shri Ajay Mathur	निदेशक (अध्यक्ष - एसीबी)	Director (Chairman – ACB)
7	श्री सत्य देव त्रिपाठी	Shri Satya Dev Tripathi	निदेशक	Director
8	डॉ. दीपक बी. फाटक	Dr. Deepak B. Phatak	निदेशक - शेयर धारकों के प्रतिनिधि	Director - Representing Shareholders
9	श्री मौलिन अरविंद वैष्णव	Shri Maulin Arvind Vaishnav	निदेशक - शेयर धारकों के प्रतिनिधि	Director - Representing Shareholders



4. निदेशकों/कार्यपालकों की समिति

बैंक के निदेशक मंडल ने कार्पोरेट गवर्नेंस तथा जोखिम प्रबंधन प्रणाली पर भारतीय रिज़र्व बैंक /सेबी/भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार निम्नानुसार कार्यनीति के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर निगरानी रखने हेतु निदेशकों और/या कार्यपालकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है. निदेशक मंडल द्वारा गठित महत्वपूर्ण समितियां निम्नानुसार हैं-

- निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति (एमसीबी)
- निदेशक मंडल की ऋण अनुमोदन समिति (सीएसीबी)
- बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)
- शेयरधारकों /निवेशकों की शिकायत निवारण समिति (सीएसीबी)
- शेयर अंतरण समिति
- बोर्ड की आस्ति देयता प्रबंधन एवं जोखिम प्रबंधन उप समिति
- ग्राहक सेवा समिति
- पारिश्रामिक समिति
- नामांकन समिति
- निदेशकों की समिति
- बड़ी राशि की धोखाधड़ी संबंधी समिति
- निदेशक मंडल की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति
- निदेशक मंडल की मानव संसाधन संबंधी संचालन समिति

4.1 निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति (एमसीबी)

बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (यथा संशोधित) के खंड-13 के अनुसरण में किया गया है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण कारोबारी मामले तथा अधिक राशि के ऋण प्रस्ताव मंजूर करने, समझौता/बट्टा खाता प्रस्ताव, पूंजीगत एवं राजस्व व्यय की स्वीकृति, परिसर, निवेश, दान आदि पर विचार करती है.

समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक (गण) और धारा 9(3) सी एवं 9(3) (जी) के तहत भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) की उपधारा (ई) (एफ) (एच) व (आई) के तहत नियुक्त निदेशकों में से तीन निदेशकों का समावेश है.

31 मार्च 2012 को समिति की संरचना इस प्रकार है.

- (i) श्री एम.डी. मल्ल्या
- (ii) श्री राजीव कुमार बक्षी
- (iii) श्री एन. एस. श्रीनाथ
- (iv) श्री सुदर्शन सेन
- (v) श्री अजय माथुर
- (vi) श्री विनिल कुमार सक्सेना
- (vii) डॉ (श्रीमती.) मसररत शाहिद
- (viii) श्री राजीव शेखर साहू

4. COMMITTEE / SUB-COMMITTEE OF DIRECTORS / EXECUTIVES

The Board of Directors of the Bank has constituted various Committees of Directors and / or Executives to look into different areas of strategic importance in terms of Reserve Bank of India/SEBI/Government of India guidelines on Corporate Governance and Risk Management. The important Committees are as under:

- Management Committee of the Board (MCB)
- Credit Approval Committee of the Board (CACB)
- Audit Committee of the Board (ACB)
- Shareholders' / Investors' Grievances Committee
- Share Transfer Committee
- Sub committee of the Board on ALM & Risk Management
- Customer Service Committee
- Remuneration Committee
- Nomination Committee
- Committee of Directors
- Committee on High Value Frauds
- IT Strategy Committee of the Board
- Steering Committee of the Board on HR

4.1 Management Committee of the Board (MCB)

In pursuance of Clause 13 of The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended) read with the amendments made by the Ministry of Finance, Government of India, a Management Committee of the Board has been constituted to consider various business matters of material significance like sanction of high value credit proposals, compromise / write-off proposals, sanction of capital and revenue expenditure, premises, investments, donations etc.

The Committee consists of Chairman and Managing Director, Executive Director (s) and Directors nominated by Government of India under Section 9 (3) (c) and 9 (3) (g) and three Directors from amongst those appointed under sub section (e) (f) (h) and (i) of section 9(3) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

The composition of the Committee as on 31st March 2012 is as under:

- (i) Shri M. D. Mallya
- (ii) Shri Rajiv Kumar Bakshi
- (iii) Shri N. S. Srinath
- (iv) Shri Sudarshan Sen
- (v) Shri Ajay Mathur
- (vi) Shri Vinil Kumar Saxena
- (vii) Dr. (Smt.) Masarrat Shahid
- (viii) Shri Rajib Sekhar Sahoo



वित्तीय वर्ष 2011-2012 के दौरान बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमबीबी) की निम्नांकित तारीखों को 29 बैठकें आयोजित हुईं-

During the Financial Year 2011-12, the Management Committee of the Board (MCB) met on - 29 - occasions on the following dates:

11.04.2011	27.04.2011	10.05.2011	27.05.2011	08.06.2011	18.06.2011
04.07.2011	25.07.2011	05.08.2011	22.08.2011	27.08.2011	06.09.2011
16.09.2011	29.09.2011	11.10.2011	21.10.2011	31.10.2011	12.11.2011
21.11.2011	05.12.2011	22.12.2011	29.12.2011	16.01.2012	24.01.2012
09.02.2012	27.02.2012	09.03.2012	19.03.2012	27.03.2012	

निदेशकों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण निम्नानुसार है :

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

निदेशक का नाम	Name of the Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings attended
श्री एम. डी. मल्या	Shri M. D. Mallya	01.04.2011 to 31.03.2012	29	29
श्री राजीव कुमार बक्षी	Shri Rajiv Kumar Bakshi	01.04.2011 to 31.03.2012	29	29
श्री एन. एस. श्रीनाथ	Shri N. S. Srinath	01.04.2011 to 31.03.2012	29	29
श्री सुदर्शन सेन	Shri Sudarshan Sen	30.05.2011 To 31.03.2012	25	21
श्री विनिल कुमार सक्सेना	Shri Vinil Kumar Saxena	01.11.2011 to 31.03.2012	12	12
श्री वी. बी. चव्हाण	Shri V. B. Chavan	01.05.2011 to 31.10.2011	15	14
श्री अजय माथुर	Shri Ajay Mathur	01.04.2011 to 31.03.2012	29	26
डॉ (श्रीमती) मसरत शाहिद	Dr.(Smt.) Masarrat Shahid	01.04.2011 to 31.07.2011	8	3
डॉ (श्रीमती) मसरत शाहिद	Dr.(Smt.) Masarrat Shahid	01.12.2011 to 31.03.2012	10	9
श्री सत्यदेव त्रिपाठी	Shri Satya Dev Tripathi	01.04.2011 to 30.04.2011	2	2
श्री सत्यदेव त्रिपाठी	Shri Satya Dev Tripathi	01.08.2011 to 31.01.2012	16	14
श्री मौलिन अरविंद वैष्णव	Shri Maulin Arvind Vaishnav	01.06.2011 to 30.11.2011	15	15
श्री राजीव सेखर साहू	Shri Rajib Sekhar Sahoo	01.02.2012 to 31.03.2012	5	3
श्री आर. गांधी	Shri R. Gandhi	01.04.2011 to 29.05.2011	4	3
डॉ. धर्मेन्द्र भंडारी	Dr Dharmendra Bhandari	01.04.2011 to 31.05.2011	4	--

4.2 बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (सीएसीबी)

भारत सरकार की गजट अधिसूचना क्र.13/1/2006 दि. 5 दिसंबर, 2011 की शर्तों के अनुरूप बैंक ने 27 फरवरी, 2012 को बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति (सीएसीबी) का गठन किया है. यह समिति रु.400 करोड़ तक की राशि के ऋण अनुमोदनों के संबंध में बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करेगी. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को प्रदत्त अधिकारों से अधिक राशि के ऋण प्रस्तावों, जिन पर अब तक बोर्ड की प्रबंधन समिति द्वारा विचार किया जाता है, के संबंध में अब बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति (सीएसीबी) द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाएगी. 31 मार्च, 2012 को इस समिति की संरचना इस प्रकार है:-

- (i) श्री एम.डी.मल्या अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- (ii) श्री राजीव कुमार बक्षी कार्यकारी निदेशक

4.2 Credit Approval Committee of the Board (CACB)

In terms of Government of India Gazette Notification No.13/1/2006 dated 5th December, 2011, the Bank has constituted a Credit Approval Committee of the Board (CACB) on 27th February, 2012. The Committee shall exercise the powers of the Board with regard to credit proposals upto Rs. 400 crores. The credit proposals which exceed the powers delegated to Chairman and Managing Director and which were hitherto considered by the Management Committee of the Board, will now be sanctioned by the CACB. The composition of the Committee as on 31st March, 2012 is as under:

- i. Shri M.D. Mallya – Chairman and Managing Director
- ii. Shri Rajiv Kumar Bakshi – Executive Director



- | | | |
|--------------------------|--|--|
| (iii) श्री एन.एस.श्रीनाथ | कार्यकारी निदेशक | iii. Shri N.S. Srinath– Executive Director |
| (iv) श्री वी.के.गुप्ता | महाप्रबंधक (कार्पो.खाते, कराधान एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी) | iv. Shri V.K. Gupta – General Manager (Corp. A/cs, Taxation & Chief Financial Officer) |
| (v) श्री राजेश महाजन | महाप्रबंधक (जोखिम प्रबंधन) | v. Shri Rajesh Mahajan – General Manager (Risk Management) |
| (vi) महाप्रबंधक गण | ऋण/ट्रेजरी कार्यों से सम्बद्ध | vi. General Managers – dealing with respective credit / treasury functions |

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति (सीएसीबी) की निम्नलिखित तारीखों पर दो बार बैठकें हुई-

During the Financial Year 2011-12, the Credit Approval Committee of the Board (CACB) met two times on the following dates:

19.3.2012		30.3.2012		
19 मार्च, 2012 से 31 मार्च, 2012 के दौरान उपस्थिति इस प्रकार रही:-		Details of attendance during 19th March, 2012 to 31 st March, 2012 are as under:		
निदेशक / कार्यपालक का नाम	Name of the Director / Executive	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings attended
श्री. एम. डी. मल्या	Shri M. D. Mallya	27.02.2012 To 31.03.2012	2	2
श्री. राजीव कुमारी बक्षी	Shri Rajiv Kumar Bakshi	27.02.2012 To 31.03.2012	2	2
श्री. एन. एस. श्रीनाथ	Shri N. S. Srinath	27.02.2012 To 31.03.2012	2	2
श्री. वी. के. गुप्ता	Shri V. K. Gupta	27.02.2012 To 31.03.2012	2	2
श्री. राजेश महाजन	Shri Rajesh Mahajan	27.02.2012 To 31.03.2012	2	2
श्री. एन. रमणी	Shri N. Ramani	27.02.2012 To 31.03.2012	2	2
श्री. जे. रमेश	Shri J. Ramesh	27.02.2012 To 31.03.2012	2	1
श्री. वि. एच. थत्ते	Shri V. H. Thatte	27.02.2012 To 31.03.2012	2	2
श्री. आर. एस. सेतिया	Shri R. S. Setia	27.02.2012 To 31.03.2012	2	2

4.3 बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)

बैंक ने कार्पोरेट गवर्नेंस के मूल सिद्धांतों के अनुरूप और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति गठित की है जिसमें 6 निदेशक हैं. एक गैर कार्यकारी निदेशक, जो कि सनदी लेखाकार हैं, समिति के अध्यक्ष हैं.

31 मार्च, 2012 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| (i) श्री अजय माथुर | समिति के अध्यक्ष |
| (ii) श्री राजीव कुमार बक्षी | सदस्य |
| (iii) श्री एन.एस.श्रीनाथ | सदस्य |
| (iv) श्री आलोक निगम | सदस्य |
| (v) श्री सुदर्शन सेन | सदस्य |
| (vi) श्री मौलिन अरविंद वैष्णव | सदस्य |

30.05.2011 से श्री आर.गांधी, निदेशक एसीबी के सदस्य नहीं रहे.

4.3 Audit Committee of the Board (ACB)

The Bank, in consonance with the fundamentals of Corporate Governance and in pursuance of directives of the Reserve Bank of India, has constituted an Audit Committee of the Board comprising of Six Directors. A Non-Executive Director, who is a Chartered Accountant, is the Chairman of the Committee.

The composition of the Committee as on 31st March, 2012 is as under:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| (i) Shri Ajay Mathur | Chairman of the Committee |
| (ii) Shri Rajiv Kumar Bakshi | Member |
| (iii) Shri N. S. Srinath | Member |
| (iv) Shri Alok Nigam | Member |
| (v) Shri Sudarsan Sen | Member |
| (vi) Shri Maulin Arvind Vaishnav | Member |

Shri R. Gandhi, Director ceased to be a member of ACB w.e.f. 30.05.2011.



वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) की 11 बैठकें निम्नलिखित तारीखों पर आयोजित की गईं -

During the Financial Year 2011-12, the Audit Committee of the Board (ACB) met on - 11 - occasions on the dates given below:

28.04.2011	27.05.2011	25.07.2011	27.07.2011	29.09.2011	11.10.2011
31.10.2011	20.01.2012	25.01.2012	13.03.2012	19.03.2012	

निदेशकों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उपस्थिति संबंधी विवरण निम्नानुसार हैं:

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

निदेशक का नाम	Name of the Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings attended
श्री अजय माथुर	Shri Ajay Mathur	01.04.2011 to 31.03.2012	11	11
श्री राजीव कुमार बक्षी	Shri Rajiv Kumar Bakshi	01.04.2011 to 31.03.2012	11	11
श्री एन.एस.श्रीनाथ	Shri N. S. Srinath	01.04.2011 to 31.03.2012	11	10
श्री आलोक निगम	Shri Alok Nigam	01.04.2011 to 31.03.2012	11	5
श्री सुदर्शन सेन	Shri Sudarshan Sen	30.05.2011 to 31.03.2012	9	9
श्री मौलिन अरविंद वैष्णव	Shri Maulin Arvind Vaishnav	01.04.2011 to 23.12.2011	7	7
श्री मौलिन अरविंद वैष्णव	Shri Maulin Arvind Vaishnav	01.01.2012 to 31.03.2012	4	3
श्री आर.गांधी	Shri R. Gandhi	01.04.2011 to 29.05.2011	2	1

लेखा परीक्षा समिति का, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रमुख कार्य बैंक की वित्तीय सूचना प्रणाली की समीक्षा और आकलन करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरणियां सही, उपयुक्त और विश्वसनीय हैं। यह समिति बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही / वार्षिक वित्तीय विवरणियों की समीक्षा और प्रबंधन को तत्संबंधी संस्तुति करती है।

The main functions of Audit Committee, inter-alia, include assessing and reviewing the financial reporting system of the Bank to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible. It reviews and recommends to the Management the quarterly / annual financial statements before their submission to the Board.

यह लेखा परीक्षा समिति दिशा-निर्देश देती है तथा बैंक के समग्र लेखा परीक्षा कार्यों की समीक्षा करती है जिसमें संगठन परिचालन तथा आंतरिक लेखा परीक्षा की गुणवत्ता नियंत्रण, कार्य आंतरिक नियंत्रण कमियां और बैंक की आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था, बैंक की सांविधिक / बाह्य लेखा परीक्षा संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण शामिल हैं।

The Audit Committee provides directions and oversees the operations of total audit functions of the Bank including the organization, operation and quality control of internal audit, internal control weaknesses and inspection within the Bank and follow-up of the suggestions of Statutory/External audit of the Bank and RBI inspections.

समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की संरचना, इसकी स्टाफ संरचना की समीक्षा भी करती है और किसी महत्वपूर्ण खोज के संबंध में आंतरिक लेखा परीक्षकों / निरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श तथा उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है। यह बैंक की वित्तीय व जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा भी करती है।

The Committee also reviews the adequacy of internal control systems, structure of internal audit department, its staffing pattern and hold discussions with the internal auditors / inspectors on any significant finding and follow-up action thereon. It further reviews the financial and risk management policies of the Bank.

सांविधिक लेखा परीक्षा के संदर्भ में लेखा परीक्षा समिति, वार्षिक / तिमाही वित्तीय खातों एवं रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पूर्व केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करती है। यह समिति लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (एलईएआर) की विभिन्न मदों पर अनुवर्ती कार्रवाई भी करती है।

As for Statutory Audit, the Audit Committee interacts with the Statutory Central Auditors before finalization of Quarterly / Year to date / Annual Financial Results and Reports. It also maintains follow up on various issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).

4.4 शेयरधारकों / निवेशकों की शिकायत निवारण समिति

4.4 Shareholders' / Investors' Grievances Committee

बैंक ने शेयरधारकों तथा निवेशकों की शिकायतों, यदि कोई हों, के निवारण हेतु शेयरधारक / निवेशक शिकायत निवारण समिति का गठन किया है।

The Shareholders' / Investors' Grievances Committee has been constituted by the Bank to redress shareholders



इस समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं,

- (i) कार्यकारी निदेशक गण एवं
- (ii) तीन अन्य गैर कार्यकारी निदेशक इसके सदस्य और एक गैर-कार्यकारी निदेशक इसके अध्यक्ष हैं.

31 मार्च, 2012 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| (i) श्री सुरेंद्र सिंह भंडारी | समिति के अध्यक्ष |
| (ii) श्री राजीव कुमार बक्षी | सदस्य |
| (iii) श्री एन.एस.श्रीनाथ | सदस्य |
| (iv) श्री सत्य देव त्रिपाठी | सदस्य |
| (v) श्री राजीव सेखर साहू | सदस्य |

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान समिति की निम्नलिखित तारीखों पर 04 बैठकें आयोजित की गईं:

27.05.2011	27.08.2011	22.12.2011	09.02.2012
------------	------------	------------	------------

समिति की उपरोक्त बैठकों में निदेशकों की उनके कार्यकाल के दौरान उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है-

निदेशक का नाम	Name of the Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings attended
श्री मौलिन ए. वैष्णव समिति के अध्यक्ष	Shri Maulin Arvind Vaishnav Chairman of the Committee	01.04.2011 to 23.12.2011	3	3
श्री राजीव कुमार बक्षी	Shri Rajiv Kumar Bakshi	01.04.2011 to 31.03.2012	4	4
श्री एन. एस. श्रीनाथ	Shri N. S. Srinath	01.04.2011 to 31.03.2012	4	4
श्री सत्य देव त्रिपाठी	Shri Satya Dev Tripathi	01.04.2011 to 31.03.2012	4	3
श्री सुरेंद्र सिंह भंडारी समिति के अध्यक्ष	Shri Surendra Singh Bhandari Chairman of the Committee	24.01.2012 to 31.03.2012	1	--
श्री राजीव सेखर साहू	Shri Rajib Sekhar Sahoo	24.01.2012 to 31.03.2012	1	1
डॉ धर्मेंद्र भंडारी	Dr Dharmendra Bhandari	01.04.2011 to 23.12.2011	3	1
श्री दीपक बी. फाटक	Dr. Deepak B. Phatak	01.04.2011 to 23.12.2011	3	3

समिति इस आशय की मॉनिटरिंग करती है कि अंतरण, उप विभाजन, समेकन, नवीकरण, विनिमय अथवा मांग/ आबंटन राशि के परांकन की प्रस्तुति-तारीख से एक माह के भीतर सभी प्रमाण-पत्र जारी कर दिए जाएं. समिति निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए समयबद्ध रूप से निगरानी भी करती है.

वर्ष के दौरान प्राप्त एवं निवारण की गई शिकायतों /निवेदनों की संख्या का सारांश नीचे दिया गया है-

01.04.2011 को बकाया Pending as on 01.04.2011	वर्ष के दौरान प्राप्त Received during the year	वर्ष के दौरान निवारण Resolved during the year	31.03.2012 को बकाया Pending as on 31.03.2012
28	8430	8426	32

वर्ष के दौरान बकाया सभी आवेदन डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी करने से संबंधित अनुरोध पत्र थे तथा इनके संबंध में अपेक्षित औपचारिकताएं प्रक्रिया

and investors complaints, if any.

The Committee includes following members:

- (i) Executive Director (s) and
- (ii) Three Non-Executive Directors as its members with a Non-Executive Director as its Chairman.

The composition of the Committee as on 31st March 2012 is as under:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| (i) Shri Surendra Singh Bhandari | Chairman of the Committee |
| (ii) Shri Rajiv Kumar Bakshi | Member |
| (iii) Shri N. S. Srinath | Member |
| (iv) Shri Satya Dev Tripathi | Member |
| (v) Shri Rajib Sekhar Sahoo | Member |

The Committee met - 4 - times during the Financial Year 2011-12 on the following dates.

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

The Committee monitors the issuance of share certificates within a period of one month of the date of lodgment for transfer, sub-division, consolidation, renewal, exchange or endorsement of calls / allotment money. The Committee further monitors the redressal of investors' complaints in a time bound manner.

The summary of number of requests/complaints received and resolved during the year are as under:

All the pending cases as at the end of the year were pertaining to the request for issue of duplicate share certificates, in respect



अधीन हैं /कार्रवाई की जा रही है।

श्री विनय ए.शाह, सहायक महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव को स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण अनुबंध के खंड 47 (ए) के तहत बैंक के अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

4.5 शेयर /बांड अंतरण समिति

शेयरधारकों /निवेशकों की शिकायत निवारण से संबंधित समिति के अतिरिक्त, बैंक ने कार्यपालकों की एक शेयर अंतरण समिति गठित की है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक गण, 2 महाप्रबंधक तथा उप महाप्रबंधक/सहायक महाप्रबंधक (विधि) इसके सदस्य हैं। 15 दिन में समिति की कम से कम एक बैठक आयोजित होती है जिसका प्रयोजन शेयरों /बांडों के अंतरण की प्रक्रिया को तेज करना होता है। वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान समिति की 56 बैठकें हुई जिसका विवरण निम्नानुसार है-

06.04.2011	07.04.2011	09.04.2011	20.04.2011	25.04.2011	29.04.2011
04.05.2011	14.05.2011	20.05.2011	21.05.2011	27.05.2011	07.06.2011
09.06.2011	14.06.2011	25.06.2011	01.07.2011	08.07.2011	12.07.2011
22.07.2011	27.07.2011	02.08.2011	11.08.2011	18.08.2011	26.08.2011
09.09.2011	14.09.2011	15.09.2011	23.09.2011	30.09.2011	03.10.2011
14.10.2011	17.10.2011	28.10.2011	04.11.2011	11.11.2011	11.11.2011
19.11.2011	26.11.2011	03.12.2011	14.12.2011	24.12.2011	27.12.2011
02.01.2012	11.01.2012	14.01.2012	23.01.2012	03.02.2012	04.02.2012
06.02.2012	15.02.2012	22.02.2012	01.03.2012	06.03.2012	09.03.2012
19.03.2012	24.03.2012				

4.6 आस्ति देयता प्रबंधन एवं जोखिम प्रबंधन पर निदेशक मंडल की उप समिति :

बैंक ने एक निदेशक मंडल स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है जो आस्ति देयता प्रबंधन एवं जोखिम प्रबंधन पर निदेशक मंडल की उपसमिति के रूप में जानी जाती है तथा बैंक द्वारा पूर्वानुमानित संपूर्ण जोखिम की समीक्षा एवं मूल्यांकन करती है।

समिति की अध्यक्षता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक करते हैं तथा 31 मार्च, 2012 को समिति की संरचना इस प्रकार है-

(i)	श्री एम.डी.मल्या	अध्यक्ष
(ii)	श्री राजीव कुमार बक्षी	सदस्य
(iii)	श्री एन.एस.श्रीनाथ	सदस्य
(iv)	श्री सुरेंद्र सिंह भंडारी	सदस्य

वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की निम्नलिखित तारीखों को - 4 - बैठकें हुईं:

07.06.2011	27.08.2011	14.12.2011	27.02.2012
------------	------------	------------	------------

of which the necessary formalities were in process.

Shri Vinay A. Shah, Assistant General Manager & Company Secretary has been designated as the "Compliance Officer" of the Bank under Clause 47 (a) of the Listing Agreement with Stock Exchanges.

4.5 Share/Bond Transfer Committee

Besides the Shareholders' / Investors' Grievances Committee, the Bank has constituted a Share Transfer Committee comprising of Chairman and Managing Director, Executive Directors, -2- General Managers and Deputy/Assistant General Manager (Legal) as members. The Committee meets at least once in 15 days to effect transfer of Shares / Bonds. The Committee met on -56- occasions during the Financial Year 2011-12, on the following dates:

4.6 Sub Committee of the Board on ALM and Risk Management

The Bank has constituted a Board level Risk Management Committee known as 'Sub Committee of the Board on ALM and Risk Management' to review and evaluate the overall risks assumed by the Bank.

The Committee is headed by Chairman and Managing Director and its composition as on 31st March, 2012 is as under:

(i)	Shri M. D. Mallya	Chairman
(ii)	Shri Rajiv Kumar Bakshi	Member
(iii)	Shri N. S. Srinath	Member
(iv)	Shri. Surendra Singh Bhandari	Member

The Committee met - 4 - times during the Financial Year on the following dates:



समिति की उपरोक्त बैठकों में निदेशकों की उनके कार्यकाल के दौरान उपस्थिति इस प्रकार रही:

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

निदेशक का नाम	Name of the Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings attended
श्री एम.डी.मल्या	Shri M. D. Mallya	01.04.2011 to 31.03.2012	4	4
श्री राजीव कुमार बक्षी	Shri Rajiv Kumar Bakshi	01.04.2011 to 31.03.2012	4	4
श्री एन.एस.श्रीनाथ	Shri N. S. Srinath	01.04.2011 to 31.03.2012	4	4
श्री सुरेंद्र एस. भंडारी	Shri Surendra S. Bhandari	24.01.2012 to 31.03.2012	1	1
डॉ धर्मेंद्र भंडारी	Dr Dharmendra Bhandari	01.04.2011 to 23.12.2011	3	3

बैंक ने विभिन्न जोखिमों यथा क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालनगत जोखिम का पता लगाने, प्रबंधन, अनुप्रवर्तन तथा नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए बैंक में समुचित जोखिम प्रबंधन ढांचा तैयार किया है जिसमें जोखिम संरचनात्मक ढांचा, जोखिम सिद्धांत, जोखिम प्रक्रिया, जोखिम नियंत्रण तथा जोखिम लेखा परीक्षा शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बैंक के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों को निरंतर बेहतर एवं कार्यकुशल बनाना है और बैंक की सुरक्षा पर ध्यान देना है।

The Bank has set up an appropriate risk management architecture, comprising Risk Management Organizational Structure, Risk Principles, Risk Processes, Risk Control and Risk Audit, all with a view to ideally identify, manage, monitor and control various categories of risks, viz. Credit Risk, Market Risk and Operational Risk, etc. The underlying objective is to ensure continued stability and efficiency in the operations of the Bank, nationally and internationally and to look after the safety of the Bank.

4.7 ग्राहक सेवा समितियां

(क) निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति

बैंक ने निदेशक मंडल की एक उपसमिति का गठन किया है जो 'ग्राहक सेवा समिति' के नाम से जानी जाती है। 31 मार्च, 2012 को समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं:-

(i)	श्री एम.डी.मल्या	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(ii)	श्री राजीव कुमार बक्षी	कार्यकारी निदेशक
(iii)	श्री एन.एस.श्रीनाथ	कार्यकारी निदेशक
(iv)	डॉ (श्रीमती.) मसरत शाहिद	निदेशक
(v)	श्री मौलिन अरविंद वैष्णव	निदेशक

समिति के कार्यों में ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सुझाव तथा नवोन्मेषी उपायों के लिए प्लेटफार्म का सृजन करना तथा सभी संवर्ग के ग्राहकों के लिए संतुष्टि के स्तर में सुधार करना शामिल है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का समावेश है:

- सार्वजनिक सेवाओं की प्रक्रिया एवं कार्यनिष्पादन लेखा परीक्षा संबंधी स्थायी समिति के कार्यों की देखरेख करना तथा ग्राहक सेवाओं की स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुपालन को सुनिश्चित करना.
- अधिनिर्णय की तारीख से तीन महीने से अधिक अवधि बीत जाने पर भी लागू न किए गए बकाया अधिनिर्णयों तथा बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में पाई गई कमियों की स्थिति की समीक्षा करना.
- मृत जमाकर्ताओं /लॉकर किरायेदारों /सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई वस्तुओं के जमाकर्ताओं से संबंधित निपटान हेतु 15 दिनों की अवधि से

4.7 Customer Service Committees

(a) Customer Service Committee of the Board

The Bank has constituted a sub-committee of Board known as 'Customer Service Committee'. The Committee has the following members as on 31st March 2012:-

(i)	Shri M. D. Mallya	Chairman & Managing Director
(ii)	Shri Rajiv Kumar Bakshi	Executive Director
(iii)	Shri N. S. Srinath	Executive Director
(iv)	Dr. (Smt.) Masarrat Shahid	Director
(v)	Shri Maulin Arvind Vaishnav	Director

The functions of the Committee include creating a platform for making suggestions and innovative measures for enhancing the quality of customer services and improving the level of satisfaction for all categories of clientele at all times, which inter-alia comprises the following:

- Oversee the functioning of the Standing Committee on Procedure and Performance Audit on Public Services and also compliance with the recommendation of the Standing Committee on Customer Services.
- Review the status of the Awards remaining unimplemented for more than 3 months from the date of Awards and also deficiencies in providing Banking services as observed by the Banking Ombudsman.
- Review the status of the number of deceased claims



अधिक के बकाया दावों की संख्या की स्थिति संबंधी समीक्षा करना.

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान समिति की निम्नलिखित तारीखों को चार बैठकें हुईं:-

remaining pending / outstanding for settlement beyond 15 days pertaining to deceased depositors / locker hirers / depositor of safe custody articles.

During the Financial Year 2011-12, the Committee met -4- times on the following dates:-

26.05.2011	27.08.2011	05.12.2011	09.02.2012
------------	------------	------------	------------

निदेशकों की उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

The details of attendance of the Directors are as under:

निदेशक का नाम	Name of the Director	अवधि Period	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	बैठकें जिनमें भाग लिया Meetings attended
श्री एम.डी. मल्ल्या	Shri M. D. Mallya	01.04.2011 to 31.03.2012	4	4
श्री राजीव कुमार बक्षी	Shri Rajiv Kumar Bakshi	01.04.2011 to 31.03.2012	4	4
श्री एन.एस. श्रीनाथ	Shri N. S. Srinath	01.04.2011 to 31.03.2012	4	4
डॉ. (श्रीमती.) मसररत शाहिद	Dr. (Smt.) Masarrat Shahid	01.04.2011 to 31.03.2012	4	2
श्री मौलिन अरविंद वैष्णव	Shri Maulin Arvind Vaishnav	01.04.2011 to 31.03.2012	4	4

(ख) ग्राहक सेवा संबंधी स्थायी समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक के निदेशकों की गठित उपसमिति के अतिरिक्त बैंक ने ग्राहक सेवाओं पर प्रक्रियाओं तथा कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा पर एक स्थायी समिति का भी गठन किया है जिसमें बैंक के दोनों कार्यकारी निदेशक, 4 महाप्रबंधक तथा 3 अन्य प्रतिष्ठित सार्वजनिक व्यक्ति सदस्य के रूप में शामिल हैं.

इस समिति का गठन विशेष रूप से जनसामान्य को उपलब्ध बैंकिंग सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करने तथा (i) सेवा के मौजूदा स्तर के बेंचमार्क, (ii) आवधिक प्रगति की समीक्षा, (iii) समयबद्धता एवं गुणवत्ता को बढ़ाने, (iv) प्रौद्योगिकी उन्नयन के मद्देनजर प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने, तथा (v) परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप समुचित प्रोत्साहन हेतु सुझाव देने की आवश्यकता पर ध्यान देने हेतु किया गया है.

(b) Standing Committee on Customer Service

Besides, the Sub-Committee of the Board as aforesaid, the Bank has also set up a Standing Committee on Procedures and Performance Audit on Customer Services having three other eminent public personalities as members alongwith both the Executive Directors and four General Managers of the Bank, as per the guidelines of Reserve Bank of India.

This Committee has been set up to focus on the banking services available to the public at large and focusing on the need to (i) benchmark the current level of service, (ii) review the progress periodically, (iii) enhance the timelines and quality, (iv) rationalize the processes taking into account technological developments, and (v) suggest appropriate initiatives to facilitate change on an ongoing basis.

4.8 पारिश्रमिक समिति

भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना सं.एफ नं..20/1/2005-बीओ.आई दिनांक 9 मार्च, 2007 के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों के लिए कार्यनिष्पादन सहबद्ध प्रोत्साहन की घोषणा की. यह प्रोत्साहन विगत वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न अनुपालना रिपोर्टों पर आधारित लक्ष्यों एवं बेंचमार्क के अनुरूप कार्यनिष्पादन मूल्यांकन, जिसमें गुणवत्ता और मात्रा दोनों का समावेश है, पर आधारित है. उक्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन में वर्ष के दौरान कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन तथा देय/अवाई की जाने वाली प्रोत्साहन राशि हेतु निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया.

समिति की 31 मार्च, 2012 को संरचना इस प्रकार है-

- (i) श्री आलोक निगम
- (ii) श्री सुदर्शन सेन
- (iii) श्री अजय माथुर
- (iv) श्री सुरेंद्र एस. भंडारी

4.8 Remuneration Committee

Government of India announced Performance Linked Incentives for Whole Time Directors of Public Sector Banks vide Notification No.F No.20/1/2005-BO.I dated 9th March, 2007. The incentive is based on certain qualitative as well as quantitative parameters fixed for Performance Evaluation Matrix on the basis of the statement of intent on goals and benchmarks based on various compliance reports during the previous financial year. In compliance of the said directives, a Remuneration Committee of the Board was constituted for evaluation of the performance and incentive amount to be awarded/ paid during the year.

The composition of the Committee as on 31 st March 2012 is as under

- (i) Shri Alok Nigam
- (ii) Shri Sudarshan Sen
- (iii) Shri Ajay Mathur
- (iv) Shri Surendra S. Bhandari



वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान समिति की 28 अप्रैल, 2011 को एक बैठक हुई जिसमें सभी सदस्य उपस्थित थे. ऊपर उल्लिखित अधिसूचना की शर्तों के अनुरूप समिति ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निम्नलिखित पूर्ण कालिक निदेशकों को प्रोत्साहन राशि के भुगतान करने का निर्णय लिया.

During the Financial Year 2011-12, the Committee met once on 28th April, 2011 wherein all members were present. In terms of the aforesaid notification, the Committee decided to pay incentives to the following Whole-time Directors as per details given below:

क्र. सं Sr. No	नाम / Name	पद / Designation	वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए कार्यनिष्पादन संबंध, प्रोत्साहन (₹) Performance Linked Incentives for the Financial Year 2010-11 (₹)
1	श्री एम.डी.मल्या Shri M. D. Mallya	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman and Managing Director	800000
2	श्री राजीव कुमार बक्षी Shri Rajiv Kumar Bakshi	कार्यकारी निदेशक Executive Director	650000
3	श्री एन.एस.श्रीनाथ Shri N. S. Srinath	कार्यकारी निदेशक Executive Director	650000

4.9 नामांकन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/80 की धारा 9(3)(आई) के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में चयन हेतु यथोचित 'फिट एण्ड प्रॉपर' मानदंड निर्धारित किए हैं. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप नामांकन समिति गठित करना अपेक्षित है जिसमें निदेशक मंडल में से कम से कम तीन निदेशक (सभी स्वतंत्र/ गैर कार्यपालक निदेशक) शामिल हों. उक्त दिशा-निर्देशों की अनुपालना में एक 'नामांकन समिति' का गठन किया गया है.

31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुरूप समिति की संरचना इस प्रकार है:

- श्री आलोक निगम (कार्यकाल 18.03.12 को समाप्त हुआ तथा 13.04.12 से पुनः नामित हुए)
- श्री अजय माथुर
- श्री सत्य देव त्रिपाठी
- डॉ.(श्रीमती) मसररत शाहिद (कार्यकाल 18.03.12 को समाप्त हुआ तथा 13.04.12 से पुनः नामित हुईं)

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान समिति की दि.27 अप्रैल, 2011 तथा 12 दिसंबर, 2011 को दो बैठकें हुईं. समिति ने 27 अप्रैल, 2011 को आयोजित बैठक में तत्कालीन शेयरधारक निदेशकों के समुचित अर्थात् "फिट एण्ड प्रॉपर" स्टेटस की संवीक्षा की. दि.12.12.2011 को बैठक का आयोजन शेयरधारक निदेशकों के चुनाव के लिए अभ्यर्थियों के भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुरूप समुचित अर्थात् फिट एण्ड प्रॉपर स्टेटस की संवीक्षा करने के उद्देश्य से किया गया था. समिति ने उन सभी को "फिट एण्ड प्रॉपर" पाया.

4.10 निदेशकों की समिति

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशकों की एक समिति का गठन वरिष्ठ स्तर के पदोन्नति संबंधी कार्यों के उद्देश्य से किया गया है. यह समिति सतर्कता संबंधी अनुशासनिक मामलों और विभागीय जांचों की समीक्षा का कार्य भी करती है.

4.9 Nomination Committee

Reserve Bank of India has laid down "Fit and Proper" criteria to be fulfilled by persons to be elected as directors on the Boards of the Nationalized Banks under the provisions of Section 9(3)(i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/80. In terms of the guidelines issued by Reserve Bank of India, a Nomination Committee is required to be constituted consisting of a minimum of three directors (all independent/ non executive directors) from amongst the Board of Directors. In compliance of the said directives, a "Nomination Committee" has been constituted.

The composition of the Committee as on 31st March, 2012 is as under:

- Shri Alok Nigam (term ended on 18.03.12 & re-nominated w.e.f.13.04.12)
- Shri Ajay Mathur
- Shri Satya Dev Tripathi
- Dr.(Smt.) Masarrat Shahid (term ended on 18.03.12 & re-nominated w.e.f.13.04.12)

During the Financial Year 2011-12, the Committee met twice on 27th April, 2011 and 12th December, 2011. The Committee at its meeting held on 27th April 2011 ascertained the "Fit & Proper" status of the then Shareholder Directors. The meeting held on 12.12.2011 was convened to ascertain "Fit and Proper" status of the candidates for election of Shareholder Directors as per RBI guidelines. The Committee found all of them "Fit and Proper".

4.10 Committee of Directors

A Committee of Directors consisting of Chairman and Managing Director and the nominee Directors of Government of India and Reserve Bank of India has been formed for dealing with the promotions at senior level. This Committee also deals with review of vigilance disciplinary cases and departmental enquiries.



31 मार्च, 2012 तक समिति की संरचना इस प्रकार है:

- (i) श्री एम.डी.मल्या
- (ii) श्री आलोक निगम
- (iii) श्री सुदर्शन सेन

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान समिति की निम्नलिखित विवरण अनुसार - 6 - बैठकें हुई :

06.05.2011	07.05.2011	25.07.2011	27.08.2011	12.11.2011	24.01.2012
------------	------------	------------	------------	------------	------------

निदेशकों की उपस्थिति संबंधी विवरण इस प्रकार है:

सदस्य का नाम	Name	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या Meetings held during their tenure	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया Meetings Attended
श्री एम.डी.मल्या	Shri M. D. Mallya	6	6
श्री आलोक निगम	Shri Alok Nigam	6	4
श्री सुदर्शन सेन	Shri Sudarshan Sen	4	4
श्री आर. गांधी	Shri R. Gandhi	2	2

The composition of the Committee as on 31st March, 2012 is as under:

- (i) Shri M. D. Mallya
- (ii) Shri Alok Nigam
- (iii) Shri Sudarshan Sen

The Committee met - 6 - times during the Financial Year 2011-12 on the following dates:

The details of attendance of directors are as under:

4.11 बड़ी राशि की धोखाधड़ी के बारे में समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रांक आरबीआई/2004.15/डीबीएस.एफजीवी(एफ)नं.1004/23.04.01ए/2003-04 दिनांक 14 जनवरी, 2004 के निर्देशानुसार हमारे बैंक में रु.1/- करोड़ और उससे अधिक की राशि के धोखाधड़ी संबंधी मामलों की मॉनीटरिंग के लिए निदेशक मंडल की विशेष समिति का गठन किया गया गया है.

समिति के मुख्य कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ 1.00 करोड़ रु. और उससे ऊपर की राशि की धोखाधड़ी की निगरानी तथा समीक्षा शामिल है ताकि: (क) धोखाधड़ी के आपराधिक कृत्य में प्रणालीगत खामियों का पता लगाने और उन पर नियंत्रण करने के लिए उपाय किए जा सकें (ख) धोखाधड़ी के पता लगाने में विलंब के कारणों की पहचान तथा बैंक तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के उच्च प्रबंधकों को उसकी रिपोर्टिंग, (ग) सीबीआई/पुलिस जांच-पड़ताल की प्रगति तथा वसूली की स्थिति, (घ) यह सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में सभी स्तरों पर स्टाफ उत्तरदायित्व का परीक्षण हो और स्टाफ पर कार्रवाई, यदि अपेक्षित हो, अविलंब हो (च) धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति के निवारण के लिए की गई सुधारात्मक कार्रवाई की प्रभावोत्पादकता की समीक्षा यथा आंतरिक नियंत्रण को सशक्त करना और (छ) धोखाधड़ी के खिलाफ निवारक उपायों को सशक्त करने के लिए यथावश्यक अन्य उपाय करना.

निदेशक मंडल के 5 सदस्यों की गठित विशेष समिति में: (क) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (ख) एसीबी के दो सदस्य (ग) भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित के अलावा निदेशक मंडल के 2 अन्य सदस्यों का समावेश है.

31 मार्च, 2012 को समिति की संरचना निम्नानुसार है.

- (i) श्री एम.डी.मल्या
- (ii) श्री आलोक निगम
- (iii) श्री मौलिन अरविंद वैष्णव
- (iv) श्री सुरेंद्र सिंह भंडारी
- (v) श्री राजीब सेखर साहू

4.11 Committee on High Value Frauds

As per RBI circular no.RBI/2004.15/.DBS.FGV(F) No.1004/23.04.01A/2003-04 dated 14th January, 2004 a Special Committee of the Board for monitoring high value frauds of Rs.1.00 crore and above has been formed in our Bank.

The major functions of the Committee, inter-alia, include monitoring and review of all the frauds of Rs.1.00 crore and above so as to: (a) identify the systemic lacunae if any that facilitated perpetration of the fraud and put in place measures to plug the same (b) identify the reasons for delay in detection, if any, reporting to top management of the Bank and RBI (c) monitor progress of CBI/Police investigation and recovery position (d) ensure that staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds and staff side action, if required, is completed quickly without loss of time (e) review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls and (f) put in place other measures as may be considered relevant to strengthen preventive measures against frauds.

The Committee consists of -5- members of the Board of Directors: (a) Chairman and Managing Director (b) Two members from ACB and (c) Two other members from the Board excluding RBI Nominee.

The composition of the Committee as on 31st March, 2012 is as under:

- (i) Shri M. D. Mallya
- (ii) Shri Alok Nigam
- (iii) Shri Maulin Arvind Vaishnav
- (iv) Shri Surendra Singh Bhandari
- (v) Shri Rajib Sekhar Sahoo



वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान समिति की 3 बैठकें आयोजित की गईं।
विवरण इस प्रकार है:

The Committee met -3- times during the Financial Year
2011-2012 as per the details below :

20.07.2011	22.12.2011	27.02.2012
------------	------------	------------

निदेशकों की उपस्थिति संबंधी विवरण निम्नानुसार है :

The details of attendance of directors are as under:

नाम	Name	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या Meetings held during their tenure	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया Meetings Attended
श्री एम.डी. मल्ल्या	Shri M. D. Mallya	3	3
श्री आलोक निगम	Shri Alok Nigam	3	1
श्री मौलिन ए. वैष्णव	Shri Maulin Arvind Vaishnav	3	3
श्री सुरेंद्र एस. भंडारी	Shri Surendra S. Bhandari	1	1
श्री राजीव एस. साहू	Shri Rajib S. Sahoo	1	1
डॉ धर्मेश्वर भंडारी	Dr. Dharmendra Bhandari	2	1
डॉ. दीपक बी. फाटक	Dr. Deepak B. Phatak	2	1

4.12 बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी नीति

भारतीय रिज़र्व बैंक की सूचना सुरक्षा /इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, टेक्नालॉजी जोखिम प्रबंधन तथा साइबर फ्रॉड पर वर्किंग ग्रुप की सिफारिशों के अनुरूप बैंक ने 27 फरवरी, 2012 को आयोजित बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी नीति समिति का गठन किया जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं,

- श्री राजीव एस. साहू - समिति के अध्यक्ष
- श्री अजय माथुर - निदेशक
- श्री आर.के. बक्षी - कार्यकारी निदेशक
- श्री एन.एस. श्रीनाथ - कार्यकारी निदेशक
- डॉ दीपक बी. फाटक - बाह्य सू. प्रौ. विशेषज्ञ
- श्री आर. कोटीश्वरन - महाप्रबंधक (सूप्रौ एवं परियोजना) बैठक के संयोजक

इस समिति के संख्यात्मक स्वरूप (कोरम) में 3 सदस्य, जिनमें 2 सदस्य निदेशक मंडल (इनमें से एक कार्यकारी निदेशक होंगे) से तथा एक बाह्य सूप्रौ एक्सपर्ट शामिल होंगे.

यह समिति अन्य बोर्ड समिति तथा वरिष्ठ प्रबंधन के साथ कार्य करते हुए बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी संचालन समिति के कार्यों की संवीक्षा करेगी ताकि कार्पोरेट तथा सूचना प्रौद्योगिकी नीतियों में परस्पर तालमेल तथा तदनुसार संवीक्षा एवं सुधार किया जा सके.

4.13 मानव संसाधन पर बोर्ड की संचालन समिति

खंडेलवाल समिति, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की सिफारिशों के अनुरूप 21 अक्टूबर, 2011 को संप्रेषित संदेश में जानकारी दी गई कि मानव संसाधन मामलों पर बोर्ड की एक संचालन समिति का गठन किया जाए जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशकों के अलावा सरकार की ओर से निदेशक तथा दो प्रबुद्ध मानव संसाधन से जुड़े पेशेवर व्यक्ति शामिल होंगे. तदनुसार बैंक ने दि. 27 फरवरी, 2012 को आयोजित अपनी बोर्ड मीटिंग में मानव संसाधन पर एक संचालन समिति का गठन किया है जो कि मानव संसाधन से जुड़े मसलों का समाधान करेगी. इस समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:-

4.12 IT Strategy Committee of the Bank

In accordance with the recommendations of Reserve Bank of India Working Group on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management & Cyber Frauds, the Bank at its Board meeting held on 27th February, 2012, constituted an IT Strategy Committee, comprising the following members:

i.	Shri Rajib S. Sahoo	Chairman of the Committee
ii.	Shri Ajay Mathur	Director
iii.	Shri R. K. Bakshi	Executive Director
iv.	Shri N. S. Srinath	Executive Director
v.	Dr. Deepak B. Phatak	External IT Expert
vi.	Shri R. Koteeswaran	General Manager (IT & Projects) – Convenor of the meeting.

The quorum of the Committee is -3- members comprising two members from Board of Directors (one of which should be Executive Director) and external IT expert.

The Committee shall oversee the functions of IT Steering committee of the Bank, besides working in partnership with other Board Committee and Senior Management to provide input, review and amend the aligned corporate and IT strategies.

4.13 Steering Committee of the Board on HR

As per the recommendations of the Khandelwal Committee, Ministry of Finance, Government of India, vide its communication dated 21st October, 2011, conveyed that a Steering Committee of the Board on HR issues to be constituted with Government Director and two outstanding HR professionals, apart from Chairman and Managing Director and Executive Directors. Accordingly, the Bank at its Board meeting held on 27th February, 2012, has constituted a Steering Committee of the Board on HR to deal with the matters related to Human Resources. The Committee comprises the following members:



1.	श्री एम.डी.मल्या	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री आर.के.बक्षी	कार्यकारी निदेशक
3.	श्री एन.एस.श्रीनाथ	कार्यकारी निदेशक
4.	श्री आलोक निगम	सरकार द्वारा नामित निदेशक
5.	डॉ दीपक फाटक	प्रोफेसर, आईआईटी, मुंबई
6.	डॉ आशा भंडारकर	प्रोफेसर, एमडीआई, गुडगांव

5. निदेशकों का पारिश्रमिक

गैर कार्यकारी निदेशकों की यात्रा तथा ठहरने पर होने वाले व्यय सहित पारिश्रमिक का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970(यथा संशोधित) की धारा 17 में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से यथानिर्धारित मानकों के अनुरूप किया जा रहा है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक को पारिश्रमिक का भुगतान वेतन के रूप में भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप किया जाता है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक तथा कार्यनिष्पादन सहबद्ध प्रोत्साहन का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क. वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान वेतन का भुगतान:

क्र. सं. Sr. No	नाम / Name	पदनाम / Designation	Amount (₹)
1	श्री एम.डी.मल्या Shri M. D. Mallya	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman and Managing Director	17,37,459.00
2	श्री राजीव कुमार बक्षी Shri Rajiv Kumar Bakshi	कार्यकारी निदेशक Executive Director	15,47,317.00
3	श्री एन. एस. श्रीनाथ Shri N. S. Srinath	कार्यकारी निदेशक Executive Director	14,72,495.00

ख. वर्ष 2011-12 के लिए दौरान कार्यनिष्पादन सहबद्ध प्रोत्साहन का भुगतान:

क्र. सं. Sr. No	नाम / Name	पदनाम / Designation	Amount (₹)
1	श्री एम.डी.मल्या Shri M. D. Mallya	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman and Managing Director	8,00,000.00
2	श्री राजीव कुमार बक्षी Shri Rajiv Kumar Bakshi	कार्यकारी निदेशक Executive Director	6,50,000.00
3	श्री एन. एस. श्रीनाथ Shri N. S. Srinath	कार्यकारी निदेशक Executive Director	6,50,000.00

5. Remuneration of Directors

The remuneration including travelling and halting expenses to Non-Executive Directors which are being paid as stipulated by the Central Government in consultation with Reserve Bank of India from time to time in terms of Clause 17 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended).

The Chairman and Managing Director and Executive Directors (Three whole time directors) are being paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Government of India. The details of remuneration and Performance Linked Incentives paid to Chairman and Managing Director and Executive Director/s is detailed below:

A. Salary paid during the Financial Year 2011-12:

B. Performance Linked Incentives paid during 2011-12:



वर्ष 2011-12 के दौरान गैर-कार्यकारी निदेशकों को दिया गया बैठक The Sitting Fee paid to the Non-Executive Directors during the सहभागिता शुल्क विवरण निम्नलिखित अनुसार है (पूर्णकालिक निदेशकों Year 2011-12 is as under: (No sitting fee is payable to whole तथा भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक को time directors and director representing Government of India किसी प्रकार का बैठक सहभागिता शुल्क देय नहीं है) & RBI):

क्र. सं. Sr. No.	निदेशक का नाम	Name of the Director	भुगतान की गई राशि (रु.) Amount Paid in ₹
1	श्री विनिल कुमार सक्सेना	Shri Vinil Kumar Saxena	1,65,000.00
2	श्री वी.बी. चव्हाण	Shri V. B. Chavan	1,70,000.00
3	श्री अजय माथुर	Shri Ajay Mathur	2,87,500.00
4	डॉ (श्रीमती) मसरत शाहिद	Dr. (Smt.) Masarrat Shahid	1,72,500.00
5	श्री सत्य देव त्रिपाठी	Shri Satya Dev Tripathi	1,77,500.00
6	श्री मौलिन अरविंद वैष्णव	Shri Maulin Arvind Vaishnav	2.50,000.00
7	श्री सुरेंद्र सिंह भंडारी	Shri Surendra Singh Bhandari	60,000.00
8	श्री राजीव सेखर साहू	Shri Rajib Sekhar Sahoo	65,000.00
9	डॉ धर्मेन्द्र भंडारी	Dr. Dharmendra Bhandari	62,500.00
10	डॉ दीपक बी. फाटक	Dr. Deepak B. Phatak	97,500.00

6. सामान्य सभा की बैठकें

सामान्य सभा की गत तीन वर्षों के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण निम्नानुसार है :

6. General Body Meetings

The details of General Body Meetings held during the last three years are given below:

बैठक का स्वरूप Nature of Meeting	दिनांक एवं समय Date & Time	स्थान Venue	प्रयोजन Purpose
13वीं वार्षिक सामान्य बैठक 13th Annual General Meeting	2 जुलाई, 2009 प्रातः 10.30 बजे 2nd July, 2009 At 10.30 a.m.	प्रो सी.सी. मेहता. ऑडिटोरियम, जनरल एज्युकेशन सेंटर, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ़ बड़ौदा , वडोदरा 390 002 Prof. C.C. Mehta Auditorium, General Education Centre, Maharaja Sayajirao University of Baroda Vadodara 390 002	बैंक के 31 मार्च, 2009 को समाप्त अवधि के तुलनपत्र, 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि खाते, बैंक कार्यों एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलनपत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, इसका अनुमोदन एवं स्वीकार करना तथा वर्ष 2008-09 के लिए लाभांश घोषित करना. To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March, 2009, Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2009, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts and to declare Dividend for the year 2008- 09.
14वीं वार्षिक सामान्य बैठक 14th Annual General Meeting	5 जुलाई, 2010 प्रातः 10.30 बजे 5th July, 2010 At 10.30 a.m.	प्रो सी.सी. मेहता. ऑडिटोरियम, जनरल एज्युकेशन सेंटर, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ़ बड़ौदा , वडोदरा 390 002 Prof. C.C. Mehta Auditorium, General Education Centre, Maharaja Sayajirao University of Baroda Vadodara 390 002	बैंक के 31 मार्च, 2010 को समाप्त अवधि के तुलनपत्र, 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि खाते, बैंक कार्यों एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलनपत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, इसका अनुमोदन एवं स्वीकार करना तथा वर्ष 2009-10 के लिए लाभांश घोषित करना. To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March, 2010, Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2010, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts and to declare Dividend for the year 2009- 10.
असाधारण सामान्य बैठक Extra Ordinary General Meeting	29 मार्च, 2011 प्रातः 10.30 बजे 29th March, 2011 at 10.30 a.m.	प्रो सी.सी. मेहता. ऑडिटोरियम, जनरल एज्युकेशन सेंटर, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ़ बड़ौदा , वडोदरा 390 002 Prof. C.C. Mehta Auditorium, General Education Centre, Maharaja Sayajirao University of Baroda Vadodara 390 002	सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, 2009 के अनुसार अधिमानी आधार पर भारत सरकार को 2,72,79,579 इक्विटी शेयर जारी करने और आबटित करने के लिए शेयर धारकों का अनुमोदन लेना. To seek approval of the shareholders for issuing and allotting 2,72,79,579 equity shares to Government of India on preferential basis in terms of SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009.



बैठक का स्वरूप Nature of Meeting	दिनांक एवं समय Date & Time	स्थान Venue	प्रयोजन Purpose
15 वी वार्षिक सामान्य बैठक 15th Annual General Meeting	04 जुलाई, 2011 प्रातः 10.30 बजे 04th July, 2011 at 10.30 a.m	सर सयाजीराव नगरगृह, वडोदरा महानगर सेवा सदन, बैंक ऑफ बड़ौदा शताब्दी वर्ष (2007-2008) टी.पी-1, एफ.पी. 549/1, जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, अकोटा, वडोदरा - 390 020 Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodra Mahanagar Seva Sadan, Bank of Baroda Centenary Year (2007-2008) T.P.-1, F.P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara – 390 020	बैंक के 31 मार्च, 2011 को समाप्त अवधि के तुलनपत्र, 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि खाते, बैंक कार्यों एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलनपत्र एवं लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, इसका अनुमोदन एवं स्वीकार करना तथा वर्ष 2010-11 के लिए लाभांश घोषित करना. To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2011, Profit and Loss Account for the year ended 31st March 2011 the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts and to declare dividend for the year 2010-11.
असाधारण सामान्य बैठक Extra Ordinary General Meeting	23 दिसंबर, 2011 प्रातः 10.00 बजे 23rd December, 2011 at 10.00 a.m	सर सयाजीराव नगरगृह, वडोदरा महानगर सेवा सदन, बैंक ऑफ बड़ौदा शताब्दी वर्ष (2007-2008) टी.पी-1, एफ.पी. 549/1, जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, अकोटा, वडोदरा - 390 020 Sir Sayaji Rao Nagargriha, Vadodra Mahanagar Seva Sadan, Bank of Baroda Centenary Year (2007-2008) T.P.-1, F.P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Vadodara-390020	सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, 2009 के अनुसार अधिमानी आधार पर भारत सरकार को 775 करोड़ रु. के इक्विटी शेयर/वारंट जारी करने और आबंटित करने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन लेना तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (आई) एवं बैंक ऑफ बड़ौदा सामान्य (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 1998 की अनुपालना में केंद्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से तीन शेयरधारक निदेशकों का निर्वाचन करना To seek approval of the shareholders for issuing and to allot equity shares/warrants, aggregating to Rs.775 crores to Government of India on preferential basis in terms of SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 and to elect THREE Shareholder Directors of the Bank amongst shareholders, other than the Central Government, in terms of Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and Bank of Baroda General (Shares and Meetings) Regulations, 1998.
असाधारण सामान्य बैठक Extra Ordinary General Meeting	27मार्च, 2012 प्रातः 10.00 बजे 27th March, 2012 at 10.00 a.m	सर सयाजीराव नगरगृह, वडोदरा महानगर सेवा सदन, बैंक ऑफ बड़ौदा शताब्दी वर्ष (2007-2008) टी.पी-1, एफ.पी. 549/1, जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, अकोटा, वडोदरा - 390 020 Sir Sayaji Rao Nagargriha, Vadodra Mahanagar Seva Sadan, Bank of Baroda Centenary Year (2007-2008) T.P.-1, F.P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Vadodara-390020	सेबी पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकता विनियमन, 2009 के अनुसार अधिमानी आधार पर भारतीय जीवन बीमा निगम को तथा/ अथवा भारतीय जीवन बीमा निगम की विभिन्न योजनाओं/म्युचुअल फंडों के लिए 1,95,77,304 इक्विटी शेयर जारी करने और आबंटित करने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करना. To seek approval of the shareholders for issuing and to allot upto 1,95,77,304 equity shares to Life Insurance Corporation of India and/or various Schemes of Life Insurance Corporation of India (LIC)/ Mutual Funds on preferential basis in terms of SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009.

7. प्रकटीकरण

- (क) संबद्ध पार्टी संव्यवहारों का प्रकटीकरण खातों पर टिप्पणियां शीर्ष के अंतर्गत किया गया है.
- (ख) बैंक पर पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से सम्बद्ध किसी भी मामले में किसी भी विनियामक प्राधिकारी अर्थात् स्टॉक एक्सचेंज और/अथवा सेबी द्वारा किसी नियम, निर्देशों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए न तो कोई दंड लगाया गया है और न ही किसी प्रकार की भर्त्सना की गई है.

7. Disclosures

- a) The Related Party Transactions are disclosed in the Notes on Accounts.
- b) No penalties and strictures have been imposed on the Bank by the Stock Exchange and /or SEBI for non-compliance of any law, guidelines and directives, on any matters related to capital markets, during the last three years.



(ग) निदेशकों ने सूचित किया है कि 31 मार्च, 2012 को निदेशकों के बीच किसी प्रकार का पारस्परिक संबंध नहीं है।

c) Directors have disclosed that they have no relationship between directors inter se as on 31st March 2012.

8. अनिवार्य और गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं

बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ किए गए सूचीयन करार के संशोधित खंड 49 में यथा उपबंधित सभी लागू अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

8. Mandatory and Non-Mandatory Requirements

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in Revised Clause 49 of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges where Bank's shares are listed.

गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति निम्नानुसार है :

The extent of implementation of non-mandatory requirements is as under:

क्रम सं. Sr. No.	गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं Non-mandatory requirements	कार्यान्वयन की स्थिति Status of Implementation
1	अध्यक्ष के कार्यालय का रख-रखाव, गैर कार्यपालक अध्यक्ष, कंपनी के खर्च पर करेगे. Non-executive Chairman to maintain Chairman's Office at company's expense.	लागू नहीं, क्योंकि अध्यक्ष का पद कार्यपालक का पद है. Not Applicable, since the Chairman's position is Executive.
2	निदेशक मंडल एक पारिश्रमिक समिति गठित करेगा जो कार्यकारी निदेशकों के लिए विशिष्ट पारिश्रमिक पैकेज संबंधी कंपनी की पारिश्रमिक नीति तैयार करेगी. Board to set-up a Remuneration Committee to formulate company's remuneration policy on specific remuneration package for Executive Directors.	लागू नहीं, कार्यपालक निदेशक, भारत सरकार द्वारा नियत वेतन प्राप्त करते हैं. तथापि, केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यनिष्पादन सहबद्ध प्रोत्साहन पर विचार करने के लिए एक पारिश्रमिक समिति कार्यरत है. Not applicable, as Executive Directors draw salary as fixed by the Government of India. However a Remuneration Committee is in operation to consider Performance Linked Incentive in terms of guidelines issued by the Central Government.
3	गत 6 माह के दौरान महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्य-निष्पादन की छमाही घोषणा Half-yearly declaration of financial performance including summary of significant events in last six months to be sent to shareholders.	30.09.2011 को समाप्त छमाही के लिए बैंक ने गत 6 माह के दौरान महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्य-निष्पादन का छमाही परिणाम प्रत्येक शेयरधारक को भेज दिया है. इसके अतिरिक्त बैंक के वित्तीय परिणाम बैंक की वेबसाइट पर डाले जाते हैं. The Bank has sent half-yearly financial results for the half year ended 30.09.2011 including summary of significant developments during last six months to each shareholder. Besides the financial results are posted on Bank's website.
4	कंपनी को अनक्वालिफाइड वित्तीय विवरणियों की व्यवस्था को अपनाना चाहिए. Company may move towards regime of unqualified financial statements.	बैंक ने अनक्वालिफाइड वित्तीय विवरणियों की ओर अग्रसर होने के लिए कई कदम उठाए हैं. The Bank has initiated steps for moving towards achieving unqualified financial statements.
5	कंपनी निदेशक मंडल के सदस्यों को निदेशक के रूप में जिम्मेदारी वहन और उनका सर्वोत्तम ढंग से निर्वहन करने के लिए कंपनी के व्यावसायिक मॉडल में प्रशिक्षित करने के साथ-साथ कंपनी के व्यावसायिक मानदंडों की जोखिम प्रोफाइल के बारे में प्रशिक्षित करें. Company may train Board Members in the Business Model of the Company as well as risk profile of the business parameters of the company, the responsibilities as Director and the best way to discharge them.	निदेशक मंडल द्वारा अपनाए गए व्यावसायिक मॉडल और जोखिम प्रोफाइल के साथ-साथ आचार संहिता की संपूर्ण जानकारी बोर्ड के प्रत्येक सदस्य को संप्रेषित की गई है. बैंक एडवांस्ड फाइनेंशियल लर्निंग हेतु निदेशकों को भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई केंद्र पर प्रशिक्षण हेतु नामित करना है. A complete overview of the Business Model and risk profile along with Code of Conduct adopted by the Board of Directors has been communicated to each member of the Board. The Bank nominates Directors for training at Centre for Advanced Financial Learning of RBI, Mumbai.
6	निदेशक मंडल के अन्य सदस्यों द्वारा गैर-कार्यपालक निदेशकों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन और गैर-कार्यपालक निदेशकों के निदेशक पद पर बने रहने या अन्यथा निर्णय लेना.	भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप एक नामांकन समिति का गठन किया गया है तथा चयनित /नामित निदेशकों पर बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (आई) के अधीन फिट एण्ड प्रॉपर दिशा-निर्देश लागू होते हैं.



क्रम सं. Sr. No.	गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं Non-mandatory requirements	कार्यान्वयन की स्थिति Status of Implementation
	The evaluation of performance of non-executive Directors by other members of the Board and to decide to continue or otherwise of the Directorship of the non-executive Directors.	A Nomination Committee has been constituted in terms of Reserve Bank of India Guidelines and the elected directors under clause 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 are subject to determination of fit & proper status.
7	कंपनी अनैतिक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदेहास्पद धोखा-धड़ी आदि के संदर्भ में प्रबंधन की चिंताओं के बारे में रिपोर्ट करने के लिए पूर्व संकेत देने वाली (बिसल ब्लोअर) नीति बनाए. The Company to establish the Whistle Blower Policy for reporting management concerns about unethical behaviors, actual or suspected fraud, etc.	बैंक को अभी आंतरिक बिसल ब्लोअर पॉलिसी स्थापित करनी है. Bank is yet to establish the internal Whistle Blower Policy.

9. संप्रेषण के साधन

बैंक, मौजूदा विकसित सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार के साधनों के माध्यम से अपने सदस्यों और हितधारकों को उनके हितों से संबद्ध जानकारीयों के बारे में सूचित करने की आवश्यकता समझता है।

बैंक के वित्तीय परिणामों को निदेशक मंडल की बैठक में उनके अनुमोदन के पश्चात बैठक की समाप्ति पर तत्काल उन स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया जाता है जहां पर बैंक की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं। ये परिणाम दो या अधिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करवाए जाते हैं जिनमें से एक ऐसा समाचार पत्र होता है जिसका प्रसार पूरे भारत में हो और दूसरा समाचार पत्र ऐसा होता है जिसका प्रसार गुजरात राज्य में हो, जहां बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है। बैंक छाहरी आधार पर अपने शेयरधारकों को परिणामों की प्रति प्रेषित करता है। बैंक अपने वित्तीय परिणामों तथा भावी योजनाओं की घोषणा करने के लिए एनेलिस्ट बैठकें, प्रेस कांफ्रेंस इत्यादि भी आयोजित करता है।

बैंक के तिमाही/इयर टू डेट/वार्षिक वित्तीय परिणामों के साथ-साथ एनेलिस्ट को दिए गए प्रेजेंटेशन की प्रति तथा अन्य आधिकारिक समाचार बैंक की वेबसाइट <http://www.bankofbaroda.com> पर उपलब्ध रहते हैं। एनेलिस्ट बैठक में की गई प्रस्तुति के वेबकास्ट (सीधा प्रसारण और संगृहीत) का देखने हेतु वेबसाइट में लिंक उपलब्ध कराया जाता है।

कार्पोरेट गवर्नेंस के तहत पर्यावरण उपाय

क. सभी शेयरधारकों जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं, से अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल आईडी हमारे पास या हमारे रजिस्ट्रार के पास जिसका पता इस रिपोर्ट अन्तर्गत दिया गया है, के पास पंजीकृत करवा दें ताकि हम दस्तावेज, नोटिस, संप्रेषण, वार्षिक रिपोर्ट आदि ई-मेल के माध्यम से भेज सकें।

ख. वे शेयरधारक जिनके पास शेयर अभौतिक रूप में हैं, उनसे अनुरोध है कि वे उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपने ई-मेल आईडी संबंधित डिपोजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत करवा दें।

10. पारदर्शिता और अनुपालन अधिकारी

निम्नलिखित अतिरिक्त कार्य हमारे बैंक के कार्पोरेट मेकेनिज्म के अंतर्गत अधिक से अधिक प्रकटीकरण एवं अनुपालन के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को और भी व्यापक बनाते हैं:

10.1 पारदर्शिता अधिकारी

केन्द्रीय सूचना आयुक्त (सीआईसी) के निदेशों के अनुसार बैंक ने फरवरी 2011 से अपने एक वरिष्ठ अधिकारी को पारदर्शिता अधिकारी के रूप में

9. Means of Communication

The Bank recognizes the need for keeping its members and stakeholders informed of the events of their interests through present advanced information technology and means of communication.

The financial results of the Bank are submitted to the stock exchanges, where the securities of the Bank are listed, immediately after the conclusion of the Board Meeting approving the same. The results are also published in minimum two or more newspapers, one circulating in the whole or substantially the whole of India and the other circulating in the state of Gujarat where the Head Office of the Bank is situated. The Bank furnishes results to the Shareholders on Half Yearly basis. The Bank also organizes analysts'-meets, press conferences, etc. for announcing Bank's financial results and its future plans.

The Quarterly / Year to Date / Annual Financial Results of the Bank as well as the copy of presentation made to Analysts and other official news are posted on the Bank's Website – <http://www.bankofbaroda.com>. The web cast (live and archived) of presentation made to Analysts' Meet is made accessible from links uploaded in the website.

Green Initiative under Corporate Governance.

- the shareholders having shares in physical form are requested to register their e-mail ids with us or our Registrars, at the address given elsewhere in this report, to enable us to serve any document, notice, communication, annual reports etc. through e-mail.
- the shareholders holding shares in Demat form are requested to register their e-mail ID with their respective Depository Participant for the above purpose.

10. Transparency & Compliance Officer

Further following additional functions also enhance Bank's commitment to more & more disclosures and compliance under corporate Governance mechanism of our Bank.

10.1 Transparency Officer

As per the directions of Central Information Commissioner (CIC), Bank has appointed one of the Senior Officer as



नियुक्त किया है. यह पारदर्शिता अधिकारी निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा:

- लोक प्राधिकारियों के ब्यौरे से संबद्ध सूचना अधिकार (आरटीआई) अधिनियम की धारा 4 के अनुपालन की स्थिति की संवीक्षा करना और उसमें हुई प्रगति से उच्च प्रबंधन को अवगत कराना.
- आरटीआई अधिनियम के अनुपालन में प्रगति के विषय में सीआईसी के लिए इंटरफेस के रूप में कार्य करना.
- केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ), केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) द्वारा किए गए आरटीआई अनुरोधों के संबंध में सकारात्मक और समय पर उत्तर देने हेतु अनुकूल परिस्थितियां निर्मित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए सहयोग प्रदान करना.
- आरटीआई से संबद्ध सभी मामलों में जनता के लिए एक संपर्क बिंदु बनना.

बैंक ने निदेशानुसार निर्धारित प्रारूप में समस्त जानकारी वेब साइट पर अप-लोड की गई है और यह जानकारी समय-समय पर अद्यतन की जाती है.

10.2 अनुपालन संबंधी कार्य

भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार 2007 से अनुपालन विभाग की स्थापना की गई है. यह विभाग विभिन्न विधायी संस्थाओं जैसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, धन शोधन निवारण अधिनियम आदि में उल्लिखित विविध सांविधिक प्रावधानों का कड़ा अनुपालन सुनिश्चित करता है, साथ ही, समय समय पर जारी किए गए अन्य नियंत्रक दिशानिर्देशों, भारतीय बैंकिंग संहिता एवं मानक बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए मानकों एवं संहिताओं, भारतीय बैंक संघ, भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेदाई), फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट डेरीइवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमडीए). केवायसी मानदंडों/दशानिर्देशों का तथा प्रत्येक बैंक की आंतरिक नीतियों एवं उचित व्यवहार संहिता का भी अनुपालन सुनिश्चित करता है. अनुपालन कानूनों, नियमों एवं मानकों में सामान्यतया बाज़ार व्यवहारों के समुचित मानकों का अनुपालन, परस्पर मतभेदों को सुलझाते हुए हितों की सुरक्षा, ग्राहकों से समुचित व्यवहार करना एवं ग्राहक परामर्श की समुचितता सुनिश्चित करने जैसे मामलों का समावेश होता है.

11. शेयरधारकों से संबद्ध सूचना

बैंक के शेयर भारत में निम्नलिखित प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं-

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड
फिरोज जीजीभाई टावर्स, 25वां तल,
दलाल स्ट्रीट, फोर्ट,
मुंबई 400 001
बीएसई कोड : 532134

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.
"एक्सचेंज प्लाजा"
बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा (पूर्व),
मुंबई - 400 051
एनएसई कोड : BANKBARODA

एक्सचेंजों में सूचीबद्ध सभी प्रतिभूतियों के संबंध में अब तक के वार्षिक सूचीयन शुल्क का भुगतान कर दिया गया है.

Transparency Officer since February 2011. The Transparency Officer is responsible for the following.

- to oversee the implementation of the Section 4 of Right To information (RTI) Act detailing obligation by public authorities, and to apprise the top management of its progress.
- To be the interface for the CIC regarding the progress in implementation of RTI Act.
- Help promote congenial conditions for positive and timely response to RTI-request by Central Public Information Officers (CPIOs), deemed-CPIOs.
- To be a contact point for the public in all RTI-related matters.

The bank has uploaded all the information as directed in the specified format on website and this information is updated from time to time.

10.2 Compliance Function

The compliance department is set up since 2007 as per RBI directions. The department is ensuring strict observance of all statutory provisions contained in various legislations such as Banking Regulation Act, Reserve Bank of India Act, Foreign Exchange Management Act, Prevention of Money Laundering Act etc. as well as to ensure observance of other regulatory guidelines issued from time to time; standards and codes prescribed by Banking Codes & Standards Board of India, IBA, Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI), Fixed Income Money Market Derivatives Association of India (FIMMDA), KYC Norms/ Guidelines and also each bank's internal policies and fair practices code. Compliance laws, rules and standards generally cover matters such as observing proper standards of market conduct, managing conflicts of interest, treating customers fairly, and ensuring the suitability of customer advice.

11. SHAREHOLDERS' INFORMATION

The Bank's shares are listed on the following major Stock Exchanges in India:

Bombay Stock Exchange Ltd.,
Phiroze Jeejeebhoy Towers
25th Floor, Dalal Street
Fort, Mumbai - 400 001
BSE CODE : 532134

National Stock Exchange of India Ltd.,
"Exchange Plaza"
Bandra Kurla Complex,
Bandra, (East),
Mumbai - 400 051
NSE CODE : BANKBARODA

The annual listing fees in respect of all the securities listed with the exchange(s) have been paid till date.



11.1. प्रतिभूतियों का अ-भौतिकीकरण

बैंक के शेयर सेबी की अनिवार्य अभौतिक सूची के अंतर्गत आते हैं और बैंक ने अपने शेयरों के अभौतिकीकरण के लिए नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लि. (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि.(सीडीएसएल) के साथ करार किया है. शेयरधारक एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल के पास अपने शेयरों को अभौतिकीकृत करवा सकते हैं.

31 मार्च, 2012 को बैंक के पास इक्विटी शेयर निम्नानुसार प्रत्यक्ष एवं अ-भौतिक रूप में धारित हैं, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है -

धारिता का स्वरूप	Nature of Holding	मामले / Cases	शेयर / Shares	प्रतिशत / Percentage
भौतिक	Physical	51955	27735894	6.75
एनएसडील (अभौतिकीकृत)	NSDL (Dematerialized)	88622	154952366	37.69
सीडीएसएल (अभौतिकीकृत)	CDSL (Dematerialized)	34287	228435123	55.56
कुल	Total	174864	411123383	100.00

बैंक द्वारा वर्ष 2003 में 27,38,300 इक्विटी शेयर जब्त किए गए जिनमें से 31 मार्च, 2012 तक 4,800 इक्विटी शेयर (एन्यूल्लड) अभिशून्य किए गए.

11.2: इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (ईसीएस)

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (ईसीएस) भुगतान का एक आधुनिक तरीका है जिसमें लाभांश /ब्याज इत्यादि की राशियां संबंधित निवेशकों के बैंक खाते में सीधे ही जमा कर दी जाती हैं. बैंक ने अपने शेयरधारकों को भारतीय रिजर्व बैंक की नेशनल ईसीएस/ईसीएस सुविधा के तहत कवर सभी केंद्रों पर उपलब्ध इस सुविधा का इस्तेमाल करने के विकल्प के साथ सेवाएं पेश की हैं.

ईसीएस मेंडेट प्रपत्र वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है.

11.3: शेयर अंतरण प्रणाली तथा निवेशकों की शिकायतों का निवारण

बैंक सुनिश्चित करता है कि शेयरों का अंतरण संबंधी समस्त कार्य उनकी प्रस्तुति की तारीख से एक माह के भीतर विधिवत् रूप से संपन्न हो जाए. बोर्ड ने शेयरों और बांडों के अंतरण तथा अन्य संबद्ध मामलों पर विचार करने के लिए शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति और शेयर अंतरण समिति गठित की है. ये समितियां नियमित अंतराल पर बैठक आयोजित करती हैं और निवेशक-शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करती हैं.

बैंक ने म. कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि.को अपने रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट के रूप में नियुक्त किया है जिसका कार्य शेयर /बांड अंतरण, लाभांश/ब्याज भुगतान को प्रॉसेस करना, शेयरधारकों के अनुरोध दर्ज करना, निवेशकों की शिकायतों का समाधान तथा शेयर/बांड जारी करने संबंधी अन्य गतिविधियों /कार्यों को सुनिश्चित करना है. निवेशक अपने अंतरण विलेख/अनुरोध/शिकायतें निम्न पते पर रजिस्ट्रार को भिजवा सकते हैं.

मै. कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि. (यूनिट: बैंक ऑफ़ बड़ौदा)
प्लॉट नं.17 से 24, इमेज अस्पताल के पास
विठ्ठलराव नगर, माधापुर
हैदराबाद - 500 081

11.1: Dematerialization of Securities

The shares of the Bank are under compulsory demat list of SEBI and the Bank has entered in to Agreements with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL.

As on March 31, 2012 the Bank has following number of Equity Shares in physical and dematerialized form, as per the detail given below.

The Bank had forfeited 27,38,300 equity share in the year 2003 and out of the same 4800 equity shares were annulled up to 31st March 2012.

11.2: Electronic Clearing Services (ECS)

Electronic Clearing Services (ECS) is a modern method of payment where the amounts of dividend/interest etc., are directly credited to the bank accounts of the Investors concerned. The Bank has offered the services to the shareholders with an option to avail the facility at all the centers covered by Reserve Bank of India under its National ECS/ ECS facility.

The ECS mandate form is appended with the Annual Report.

11.3 Share Transfer System and Redressal of Investors' Grievances

The Bank ensures that all transfers of Shares are duly affected within a period of one month from the date of their lodgment. The Board has constituted Shareholders'/ Investors' Grievances Committee to monitor and review the progress in redressal of general shareholders' and investors' grievances and Shares Transfer Committee to consider transfer of Shares and Bonds and other related matters. The Committees meet at regular intervals and review the status of Investors' Grievances.

The Bank has appointed M/s. Karvy Computershare Private Limited as its Registrars and Transfer Agent with a mandate to process transfer of Shares / Bonds, dividend / interest payments, recording of Shareholders' requests, solution of investors' grievances amongst other activities connected with the issue of Shares / Bonds. The Investors may lodge their transfer deeds / requests / complaints with the Registrars at following address:

M/S Karvy Computershare Private Limited
(Unit: Bank of Baroda)
Plot No.17 to 24, Near Image Hospital
Vittalrao Nagar, Madhapur
Hyderabad - 500 081



फोन: (040) 23420815 से 820, फैक्स: (040) 23420814
ई-मेल : einward.ris@karvy.com

बैंक ने निवेशक सेवाएं विभाग की स्थापना कार्पोरेट कार्यालय, मुंबई में भी की है, जिसके प्रभारी कंपनी सचिव हैं. जहां शेयरधारक अपने अनुरोधों / शिकायतों को समाधान हेतु निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं. वे अपनी शिकायतें / अनुरोध प्रधान कार्यालय, वडोदरा को निम्नलिखित पते पर भी भेज सकते हैं-

<p>बैंक ऑफ बड़ौदा निवेशक, सेवा विभाग प्रथम तल, बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर सी-26, जी-ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 टेलीफोन : (022) 66985000, 6698 5846 फैक्स : (022) 2652 6660 ई-मेल : investorservices@ bankofbaroda.com (उक्त ई-मेल आईडी विशेष रूप से स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्ध होने के कारण के खंड 47(एफ) के अनुसरण में निवेशकों की शिकायतों हेतु बनाया गया है)</p>	<p>बैंक ऑफ बड़ौदा मुख्य प्रबंधक ग्राहक सेवा आठवां तल, सूरज प्लाजा - I, सयाजीगंज, वडोदरा 390 005 टेलीफोन : 0265 - 2361724 फैक्स नं. : 0265 - 2361824 ई-मेल: customerservice@ bankofbaroda.com</p>
---	--

Phone: (040) 23420815 to 820, Fax: (040) 23420814
E Mail: einward.ris@karvy.com

The Bank has also established Investors' Services Department, headed by the Company Secretary at Corporate Office, Mumbai wherein shareholders can mail their requests / complaints for resolution at the address given below. They can also send their complaints/ requests at the address given below at Head Office, Vadodara:

<p>Bank of Baroda Investors' Services Department 1st Floor, Baroda Corporate Centre C-26, G-Block, Bandra-Kurla Complex Bandra (East), Mumbai - 400 051 Telephone : (022) 66985000, 6698 5846 Fax : (022) 2652 6660 E - mail : investorservices@ bankofbaroda.com (The aforesaid e-mail ID is exclusively designated for investors' complaints pursuant to Clause 47(F) of the listing agreement with Stock Exchanges)</p>	<p>Bank of Baroda Chief Manager, Customer Service, 8th Floor, Suraj Plaza - I, Sayajiganj, Vadodara 390 005 Telephone : 0265 - 2361724 Fax No. : 0265 - 2361824 E-mail: customerservice@ bankofbaroda.com</p>
--	---

12. कार्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग

बैंक ऑफ बड़ौदा पहला ऐसा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिसे रेटिंग एजेंसी, आईसीआरए लि. द्वारा बैंक की कार्पोरेट गवर्नेंस कार्य पद्धति को रेटिंग प्रदान की गई है. आईसीआरए द्वारा पहली बार जुलाई, 2004 में 'सीजीआर 2' रेटिंग प्रदान की गई. बैंक को यही रेटिंग अर्थात सीजीआर 2 रेटिंग पुनः फरवरी, 2006, सितंबर, 2007 तथा अप्रैल, 2010 एवं मार्च, 2011 में भी प्रदान की गई. उक्त रेटिंग स्केल सीजीआर 1 से सीजीआर 6 में सीजीआर 1 सर्वोच्च रेटिंग कहलाती है. सीजीआर 2 रेटिंग से अभिप्राय है कि रेटिंग एजेंसी आईसीआरए की राय में बैंक ने उन पद्धतियों, परंपराओं एवं संहिताओं को अपनाया है तथा उनका पालन कर रहा है जो बैंक के हितधारकों एवं जमाकर्ताओं को गुणवत्तापूर्ण कार्पोरेट गवर्नेंस का आश्वासन प्रदान करता है. यह रेटिंग बैंक की पारदर्शी स्वामित्व संरचना, सुव्यवस्थित कार्यपालक प्रबंधन संरचना, संतोषजनक जोखिम प्रबंधन पद्धतियों, बोर्ड एवं वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्तियों में पारदर्शिता, विस्तृत एवं परिष्कृत लेखा कार्यविधि, जो कि निरीक्षण प्रभाग तथा स्वतंत्र लेखा फर्मों द्वारा अपनायी जाती है, को दर्शाती है.

13. वित्तीय कैलेंडर

वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012

खातों (एकल) एवं लाभांश संबंधी सिफारिशों पर विचार-विमर्श करने हेतु निदेशक मंडल की बैठक	04.05.2012	Board Meeting for considering of Accounts (Standalone) and recommendation of dividend.	04.05.2012
खातों (समेकित) पर विचार-विमर्श करने हेतु निदेशक मंडल की बैठक	15.05.2012	Board Meeting for considering of Accounts (Consolidated).	15.05.2012
भारतीय रिज़र्व बैंक को खातों की लेखा परीक्षित विवरणी की प्रस्तुति	24.05.2012	Submission of audited statement of accounts to RBI.	24.05.2012

12. CORPORATE GOVERNANCE RATING

Bank of Baroda is the first Public Sector Bank having been assigned a rating to its Corporate Governance Practices by ICRA Limited. The ICRA had assigned the rating of 'CGR2' (pronounced as CGR 2) in July 2004, which has been reaffirmed in February 2006, September 2007, April 2010 and March 2011 respectively. On a rating scale of CGR1 to CGR6 where CGR1 denotes the highest rating. The CGR2 rating implies that in ICRA's current opinion, the Bank has adopted and follows such practices, convention and codes as would provide its financial stakeholders including the depositors, a high level of assurance on the quality of Corporate Governance. The rating reflects Bank's transparent ownership structure, well-defined executive management structure, satisfactory risk management practices, transparency in appointment and functioning of the Board and Senior Management and an elaborate audit function, carried out both by its Inspection Division and independent audit firms.

13. Financial Calendar

Financial Year 1st April, 2011 to 31st March, 2012



16वीं वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख, समय एवं स्थान	28.06.2012 प्रातः 10.30 बजे सर सयाजीराव नगरगृह, वडोदरा महानगर सेवा सदन, बैंक ऑफ़ बड़ौदा शताब्दी वर्ष (2007-2008) टी.पी.-1, एफ.पी. 549/1, जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, अकोटा, वडोदरा - 390 020	Date, Time & Venue of the 16th AGM	28.06.2012 At 10.30 a.m. Sir Sayaji Rao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, Bank of Baroda Centenary Year (2007-2008), T. P. – 1, F. P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Vadodara – 390 020
बहियां बंद करने की तारीख	16.06.2012 से 28.06.2012	Book Closure dates	16.06.2012 to 28.06.2012
प्रॉक्सी फार्म प्राप्त करने की अंतिम तारीख	23.06.2012	Last Date for receipt of Proxy Forms	23.06.2012
लाभांश के लिए वारंट प्रेषित करने की संभावित तारीख	09.07.2012 से पहले	Probable date of dispatch of warrants for Dividend	before 09.07.2012
लाभांश भुगतान की तारीख	09.07.2012	Payment date - Dividend	09.07.2012

14. 31 मार्च 2012 को शेयरधारिता पैटर्न

14. Shareholding Pattern as on 31st March 2012

क्रम सं. Sr. No.	विवरण	Description	शेयरधारकों की संख्या No. of Share Holders	शेयर Shares	इक्विटी का प्रतिशत % to Equity
1	भारत सरकार (प्रवर्तक)	Govt. of India (Promoters)	1	223279579	54.31
2	म्यूच्युअल फंड/यूटीआई	Mutual Funds / UTI	183	30891062	7.51
3	वित्तीय संस्थाएं / बैंक	Financial Institutions / Banks	71	10011281	2.44
4	बीमा कंपनियां	Insurance Companies	08	43393871	10.55
5	विदेशी संस्थागत निवेशक	Foreign Institutional Investors	311	55666571	13.54
6	निगमित निकाय	Bodies Corporate	1701	25634066	6.24
7	निवासी वैयक्तिक	Resident Individuals	169542	19599360	4.77
8	अ-निवासी भारतीय	Non Resident Indians	2847	1935862	0.47
9	विदेशी कार्पोरेट निकाय	Overseas Corporate Bodies	3	22000	0.01
10	न्यास	Trusts	20	53056	0.01
11	समाशोधन सदस्य	Clearing Members	177	636675	0.15
	कुल	Total	174864	411123383	100.00



15. 31 मार्च, 2012 को एस्करो/उचंत खातों में पड़े हुए शेयरों की स्थिति
15.क. उचंत खाते में पड़े हुए शेयरों की स्थिति (प्रत्यक्ष शेयर डिलीवरी न हो सकने के कारण वापस किए गए)

15. Status of Shares Lying In Escrow/Suspense Account as on 31st March 2012

- 15.a. Status of Shares lying in Suspense A/c (Physical Shares - returned undelivered)

01.04.2011 को प्रारंभिक शेष Opening Balance as on 01.04.2011		वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान प्राप्त अनुरोधों की संख्या No. of requests received during the Financial Year 2011-12	वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान क्रेडिट किए गए शेयर Shares credited during the Financial Year 2011-12		31 मार्च, 2012 को अंतिम शेष Closing Balance as on 31st March 2012	
मामले / Cases	शेयर / Shares	मामले / Cases	मामले / Cases	शेयर / Shares	मामले / Cases	शेयर / Shares
शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	76	18300

- 15.ख. एस्करो/उचंत खाते में पड़े हुए शेयरों की स्थिति (अभौतिकीकृत शेयर डिलीवरी न हो सकने के कारण वापस हुए)

- 15.b. Status of Shares lying in Escrow / Suspense A/c (Demat Shares - returned undelivered)

01.04.2011 को प्रारंभिक शेष Opening Balance as on 01.04.2011		वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान प्राप्त अनुरोधों की संख्या No. of requests received during the Financial Year 2011-12	वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान क्रेडिट किए गए शेयर Shares credited during the Financial Year 2011-12		31 मार्च 2012 को अंतिम शेष Closing Balance as on 31st March 2012	
मामले / Cases	शेयर / Shares	मामले / Cases	मामले / Cases	शेयर / Shares	मामले / Cases	शेयर / Shares
196	22628	30	18	1798	178	20830

16. 31 मार्च, 2012 को शेयर धारकों का आबंटन संबंधी श्रेणी-वार विवरण

16. DISTRIBUTION OF SHAREHOLDERS - CATEGORY WISE AS ON 31ST MARCH, 2012

श्रेणी Category	मामलों की संख्या No. of Cases	मामलों का % % of Cases	राशि (₹) Amount ₹.	राशि का % % of Amount
1 - 5000	171129	97.86	171940820.00	4.18
5001 - 10000	2081	1.19	16638480.00	0.40
10001 - 20000	657	0.38	10086140.00	0.25
20001 - 30000	192	0.11	5005030.00	0.12
30001 - 40000	97	0.06	3494610.00	0.09
40001 - 50000	74	0.04	3496220.00	0.09
50001 - 100000	144	0.08	11001250.00	0.27
100001 & Above	490	0.28	3889571280.00	94.31
Total	174864	100.00	4111233830.00	100.00



17. 31 मार्च, 2012 को शेयरधारकों का भौगोलिक दृष्टि से आबंटन संबंधी
(राज्य-वार) विवरण

17. GEOGRAPHICAL (STATE WISE) DISTRIBUTION OF
SHAREHOLDERS AS AT 31ST MARCH, 2012

क्रम सं. Sr. No.	राज्य	State	मामले Cases	शेयर Shares
1	आंध्र प्रदेश	ANDHRA PRADESH	6580	879591
2	अरुणाचल प्रदेश	ARUNACHAL PRADESH	14	1658
3	असम	ASSAM	507	56172
4	बिहार	BIHAR	2695	278372
5	चंडीगढ़	CHANDIGARH	459	58936
6	दिल्ली	DELHI	7707	224524907
7	गोवा	GOA	1426	200871
8	गुजरात	GUJARAT	41500	5166802
9	हरियाणा	HARYANA	2079	227814
10	हिमाचल प्रदेश	HIMACHAL PRADESH	242	23382
11	जम्मू एवं कश्मीर	JAMMU & KASHMIR	199	26437
12	कर्नाटक	KARNATAKA	7946	798033
13	केरल	KERALA	3219	413227
14	मध्यप्रदेश	MADHYA PRADESH	4925	650276
15	महाराष्ट्र	MAHARASHTRA	48405	169893549
16	मेघालय	MEGHALAYA	91	12022
17	नागालैंड	NAGALAND	98	21965
18	उड़ीसा	ORISSA	1074	101619
19	अन्य	OTHERS	2990	1450783
20	पंजाब	PUNJAB	1557	194670
21	राजस्थान	RAJASTHAN	10395	1219732
22	तमिलनाडू	TAMIL NADU	11868	2149050
23	त्रिपुरा	TRIPURA	120	16260
24	उत्तर प्रदेश	UTTAR PRADESH	12603	1548576
25	पश्चिम बंगाल	WEST BENGAL	6165	1208679
	कुल	Total	174864	411123383



18. स्टॉक एक्सचेंजों में शेयरों के सौदों की मात्रा तथा शेयर मूल्य और इंडेक्स डाटा

18.क स्टॉक एक्सचेंजों में शेयरों के सौदों की मात्रा तथा शेयर मूल्य (01.04.2011 से 31.03.2012)

18. SHARE PRICE, VOLUME OF SHARES TRADED IN STOCK EXCHANGES AND INDEX DATA

18. a Share Price, Volume of Shares Traded in Stock Exchanges (From 01.04.2011 to 31.03.2012)

माह	Month	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) National Stock Exchange of India Limited (NSE)			बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि. (बीएसई) Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE)		
		उच्चतम (रु.) Highest (₹)	न्यूनतम (रु.) Lowest (₹)	सौदों की मात्रा (संख्या) Volume Traded (Nos.)	उच्चतम (रु.) Highest (₹)	न्यूनतम (रु.) Lowest (₹)	सौदों की मात्रा (संख्या) Volume Traded (Nos.)
अप्रैल 2011	APR 2011	1006.65	905.10	5861776	1006.50	905.20	1206239
मई 2011	MAY 2011	917.95	802.5	10524139	920.00	802.40	1799141
जून 2011	JUN 2011	895.05	830.10	4743525	910.00	838.50	699553
जुलाई 2011	JUL 2011	948.45	858.00	7267925	919.25	858.40	1260047
अगस्त 2011	AUG 2011	897.95	681.30	10700376	893.75	681.05	1182276
सितंबर 2011	SEP 2011	814.90	711.10	6167706	815.45	712.40	907674
अक्टूबर 2011	OCT 2011	781.90	704.85	8671492	833.00	703.75	1076476
नवंबर 2011	NOV 2011	833.60	675.65	10929016	833.40	675.10	2020633
दिसंबर 2011	DEC 2011	748.00	631.00	10584352	747.50	630.35	1440876
जनवरी 2012	JAN 2012	830.00	653.35	10948422	829.70	653.60	1667090
फरवरी 2012	FEB 2012	881.00	740.10	11489826	881.00	738.00	1904643
मार्च 2012	MAR 2012	860.00	758.20	12545272	869.00	759.05	1393697

18.ख अप्रैल, 2011 से मार्च, 2012 तक इंडेक्स डाटा (मासिक समापन मूल्य)

18.b Index Data from April 2011 to March 2012 (Monthly Closing Values)

तारीख	Date	एस एंड पी सीएनएक्स निफ्टी S&P CNX NIFTY	बैंक निफ्टी BANK NIFTY	बॉब एनएसई BOB NSE	बीएसई सेन्सेक्स BSE SENSEX	बैंकेक्स BANKEY	बॉब बीएसई BOB BSE
29-अप्रैल-11	29-Apr-11	5749.50	11483.75	911.90	19135.96	13076.97	912.15
31-मई-11	31-May-11	5560.15	11020.85	863.95	18503.28	12543.00	863.40
30-जून-11	30-Jun-11	5647.40	11244.65	873.35	18845.87	12821.05	871.90
29-जुलाई-11	29-Jul-11	5482.00	10893.65	878.75	18197.20	12447.83	878.30
30-अगस्त-11	30-Aug-11	5001.00	9533.40	736.30	16676.75	10904.24	736.60
30-सितंबर-11	30-Sep-11	4943.25	9468.30	762.30	16453.76	10850.73	763.85
31-अक्टूबर-11	31-Oct-11	5326.60	9989.65	771.15	17705.01	11454.03	771.50
30-नवंबर-11	30-Nov-11	4832.05	8564.10	700.10	16123.46	9850.43	700.60
30-दिसंबर-11	30-Dec-11	4624.30	7968.65	665.35	15454.92	9153.39	660.85
31-जनवरी-12	31-Jan-12	5199.25	9919.45	753.75	17193.55	11390.70	753.45
29-फरवरी-12	29-Feb-12	5385.20	10414.20	804.40	17752.68	11974.16	803.80
30-मार्च-12	30-Mar-12	5295.55	10212.75	796.15	17404.20	11751.18	793.65



19. वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान नियुक्त निदेशकों का परिचय

19.1 श्री सुदर्शन सेन

19. PROFILE OF DIRECTORS APPOINTED DURING THE FINANCIAL YEAR 2011 –12

19.1 Shri Sudarshan Sen

नाम	श्री सुदर्शन सेन	Name	Shri Sudarshan Sen
पता	क्षेत्रीय निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, पो.बॉ. नं. 1. आश्रम रोड, अहमदाबाद - 380 014	Address	Regional Director, Reserve Bank of India, Central Office, P. B. No. 1, Ashram Road, Ahmedabad – 380 014.
जन्मतिथि	21.01.1959	Date of Birth	21.01.1959
आयु	53 वर्ष	Age	53 Years
योग्यता	1. बी.एससी. (गणित) 2. एम.एससी. (गणित) 3. एमबीए (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग एवं वित्त)	Qualifications	1) B. Sc. (Mathematics) 2) M. Sc. (Mathematics) 3) M.B.A. (International Banking And Finance)
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	केन्द्रीय सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (सी) के तहत दिनांक 30.05.2011 से अगले अनुदेशों तक निदेशक के रूप में नामित.	Nature of appointment as Director	Nominated as a Director w.e.f. 30.05.2011 by the Central Government u/s 9 (3) (c) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 to hold the post until further orders.
अनुभव	उन्होंने वर्ष 1982 में भारतीय रिज़र्व बैंक में कार्यग्रहण किया तथा उन्हें 30 वर्षों से अधिक का केन्द्रीय बैंकिंग परिचालनों और बैंकिंग पर्यवेक्षण का दीर्घकालीन अनुभव प्राप्त है जिसमें बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र का गहन अनुभव शामिल है. उन्होंने भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है.	Experience	He joined the Reserve Bank of India (RBI) in the year 1982 and has over thirty years of varied experience in Central Banking Operations and Bank Supervision, involving extensive exposure to the banking and financial services sector. He has held key positions in various departments of RBI.
अन्य कंपनियों में निदेशक अथवा समिति पदों पर कार्य	शून्य	Directorship or Committee Positions held in other Companies	NIL
बैंक ऑफ़ बड़ौदा में धारित शेयरों की संख्या	शून्य	No. of Shares held in Bank of Baroda	NIL



19.2 श्री विनिल कुमार सक्सेना

19.2 Shri Vinil Kumar Saxena

नाम	श्री विनिल कुमार सक्सेना	Name	Shri Vinil Kumar Saxena
पता	द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा सी-39, हरि मार्ग, कर्धनी शॉपिंग सेंटर के सामने, मालवीय नगर, जयपुर - 302 017	Address	C/o Bank of Baroda, C-39, Hari Marg, Opp. Kardhani Shopping Centre, Malviya Nagar, Jaipur – 302 017.
जन्मतिथि	20.12.1957	Date of Birth	20.12.1957
आयु	54 वर्ष	Age	54 Years
योग्यता	<ol style="list-style-type: none"> 1. एम. कॉम. (एकाउन्टेंन्सी एंड बिज़नेस स्टेटिस्टिक) 2. एम. कॉम. (बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन) 3. पी.जी. डिप्लोमा इन कोस्ट एंड वर्क्स एकाउन्टेंन्सी 4. पी.जी. डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस 5. पी.जी. डिप्लोमा इन कॉ-ऑपरेशन 	Qualifications	<ol style="list-style-type: none"> 1) M.Com. (Accountancy & Business Statistics) 2) M.Com. (Business Administration) 3) P.G. Diploma in Cost & Works Accountancy 4) P.G. Diploma in Banking Finance 5) P.G. Diploma in Co-operation
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	केन्द्रीय सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (ई) के तहत दिनांक 25.07.2011 से तीन वर्षों की अवधि या बैंक ऑफ बड़ौदा में वर्कमेन कर्मचारी बने रहने या अगले आदेश मिलने तक, जो भी पहले हो, वर्कमेन कर्मचारी निदेशक के रूप में नियुक्त.	Nature of appointment as Director	Appointed as a Workmen Employee Director w.e.f. 25.07.2011 by the Central Government u/s 9 (3) (e) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 for a period of three years or till he ceases to be workmen employee of Bank of Baroda or until further orders, whichever is earlier
अनुभव	उन्होंने बैंक में वर्ष 1978 में कार्य-ग्रहण किया. उन्हें बैंकिंग का 33 वर्षों का अनुभव है. वे ट्रेड यूनियन गतिविधियों से सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं और इस समय वे ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा एम्प्लॉइज फेडरेशन के अध्यक्ष, नेशनल कोफेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉइज के संयुक्त सचिव, बैंक ऑफ बड़ौदा कर्मचारी यूनियन, राजस्थान राज्य के महासचिव तथा नेशनल कनफेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉइज राजस्थान के अध्यक्ष हैं.	Experience	He joined the Bank in the year 1978. He has thirty-three years of experience in Banking. He is actively associated with Trade Union movement and is currently the President, All India Bank of Baroda Employees Federation; Joint Secretary, National Confederation of Bank Employees; General Secretary, The Bank of Baroda Karamchari Union Rajasthan State and President, National Confederation of Bank Employees Rajasthan.
अन्य कंपनियों में निदेशक अथवा अन्य समिति पदों पर कार्य	शून्य	Directorship or Committee Positions held in other Companies	NIL
बैंक ऑफ बड़ौदा में धारित शेयरों की संख्या	620	No. of Shares held in Bank of Baroda	620



19.3 श्री मौलिन अरविंद वैष्णव

19.3 Shri Maulin Arvind Vaishnav

नाम	श्री मौलिन अरविंद वैष्णव	Name	Shri Maulin Arvind Vaishnav
पता	8-आनंदनगर सोसायटी, जेटलपुर रोड, वडोदरा - 390 007	Address	8 – Anand Nagar Society, Jetalpur Road, Vadodara - 390 007.
जन्मतिथि	12.12.1950	Date of Birth	12.12.1950
आयु	61वर्ष	Age	61 Years
योग्यता	डिप्लोमा इन फायर प्रिवेन्शन	Qualifications	Diploma in Fire Prevention
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (आई) के तहत दिनांक 23.12.2011 को हुई असाधारण सामान्य सभा में बैंक के केंद्रीय सरकार से भिन्न शेयरधारकों द्वारा दिनांक 24.12.2011 से 23.12.2014 तक की तीन वर्षों की अवधि के लिए निदेशक के रूप में पुनः निर्वाचित.	Nature of appointment as Director	Re-Elected as a Director by shareholders of the Bank other than the Central Government u/s 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Extra Ordinary General Meeting held on 23.12.2011 for a period of 3 years from 24.12.2011 to 23.12.2014.
अनुभव	<p>वे एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता हैं. उन्होंने पूर्व में गुजरात मरीटाइम बोर्ड के अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षण बोर्ड, बड़ौदा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है. वे इंडियन जेसीज के राष्ट्रीय निदेशक भी रहे.</p> <p>वे इससे पूर्व बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (आई) के तहत दिनांक 23.12.2008 को हुई असाधारण सामान्य सभा में भी बैंक के केंद्रीय सरकार से भिन्न शेयरधारकों द्वारा दिनांक 24.12.2008 से 23.12.2011 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए एक निदेशक के रूप में निर्वाचित हुए थे.</p> <p>अपने निर्वाचन से पहले वे केन्द्र सरकार द्वारा बैंककारी कंपनी उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण, अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (एच) के तहत नामित निदेशक के पद पर कार्यरत थे. उन्होंने त्यागपत्र दिए जाने के कारण दिनांक 28.11.2008 को यह पद छोड़ दिया था.</p>	Experience	<p>He is an accomplished Social Worker. He held several important positions in the past such as Chairman of the Gujarat Maritime Board, Chairman of the Primary Schools Board, Baroda Municipal Corporation. He was also a National Director, Indian Jaycees.</p> <p>He was, earlier, elected as a Director by shareholders of the Bank other than the Central Government u/s 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Extra Ordinary General Meeting held on 23.12.2008 for a period of 3 years from 24.12.2008 to 23.12.2011.</p> <p>Prior to his election, he was holding the position as a Director nominated by the Central Government under section 9 (3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, which he ceased to hold w.e.f. 28.11.2008 consequent upon his resignation.</p>
अन्य कंपनियों में निदेशक अथवा अन्य समिति पदों पर कार्य	कोई नहीं	Directorship or Committee Positions held in other Companies	NIL
बैंक ऑफ़ बड़ौदा में धारित शेयरों की संख्या	125	No. of Shares held in Bank of Baroda	125



19.4 श्री सुरेन्द्र सिंह भंडारी

19.4 Shri Surendra Singh Bhandari

नाम	श्री सुरेन्द्र सिंह भंडारी	Name	Shri Surendra Singh Bhandari
पता	पी-7, तिलक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर - 302 005	Address	P – 7 , Tilak Marg, C – Scheme, Jaipur - 302 005.
जन्मतिथि	20.01.1948	Date of Birth	20.01.1948
आयु	64 वर्ष	Age	64 years
योग्यता	1) बी. कॉम. 2) एफ.सी.ए.	Qualifications	1) B. Com. 2) F.C.A.
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (आई) के तहत दिनांक 23.12.2011 को हुई असाधारण सामान्य सभा में बैंक के केंद्रीय सरकार से भिन्न शोयरधारकों द्वारा दिनांक 24.12.2011 से 23.12.2014 तक की तीन वर्षों की अवधि के लिए निदेशक के रूप में निर्वाचित.	Nature of appointment as Director	Elected as a Director by shareholders of the Bank other than the Central Government u/s 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Extra Ordinary General Meeting held on 23.12.2011 for a period of 3 years from 24.12.2011 to 23.12.2014.
अनुभव	वे एक सनदी लेखाकार हैं तथा मै. एस. भंडारी एंड कं में वर्ष 1970 से वरिष्ठ साझेदार हैं. उन्होंने विभिन्न वित्तीय संस्थानों से विभिन्न नीति नियामक पदों पर कार्य किया है. उन्हें बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र में चार दशकों का व्यापक अनुभव है. वे 1991-1996 तक बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड के निदेशक मंडल में वे राजस्थान सरकार के निदेशक के पद पर कर कार्यरत रहे और वर्ष 2001-2004 के दौरान सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में गैर-कार्यपालक निदेशक के रूप में भी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं. वे राजस्थान सरकार के वाणिज्यिक कर शिकायत निवारण कक्ष के सदस्य भी हैं, वे इंडियन काउन्सिल ऑफ आर्बिट्रेशन (राजस्थान चैप्टर) के सदस्य, राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के एसोसिएटेड मेंबर तथा मदर टेरेसा हॉम फोर डारिंग एंड डेस्टिट्यूट, जयपुर के सदस्य तथा स्थानीय सलाहकार हैं.	Experience	He is a practicing Chartered Accountant and a senior partner in M/s S. Bhandari & Co., since 1970. He has held various strategic positions in various financial organizations. He has rich experience of Banking and Finance of more than four decades. He was a Director on the Board of Bank of Rajasthan Limited during 1991 – 1996 and had also served as Non-executive Director on the Board of Central Bank of India during 2001 – 2004. He is also a member in Grievance Redressal Cell of Commercial Taxes, Government of Rajasthan, Member of the Arbitration Tribunal of Indian Council of Arbitration (Rajasthan Chapter), Associated Member – Rajasthan Chamber of Commerce & Industry and Member & Local Advisor, Mother Teresa Home for Dying & Destitute, Jaipur.
अन्य कंपनियों में निदेशक अथवा अन्य समिति पदों पर कार्य	वे निम्नलिखित के निदेशक मंडलों में निदेशक भी हैं- (i) एशियन होटल्स (वेस्ट) लि. (ii) एशियन होटल्स (ईस्ट) लि. (iii) वैभव जेम्स लिमिटेड.	Directorship or Committee Positions held in other Companies	He is also a Director on the Board of (i) Asian Hotels (West) Ltd. (ii) Asian Hotels (East) Ltd. (iii) Vaibhav Gems Ltd.
बैंक ऑफ बड़ौदा में धारित शेयरों की संख्या	200	No. of Shares held in Bank of Baroda	200



19.05 श्री राजीब सेखर साहू

19.5 Shri Rajib Sekhar Sahoo

नाम	श्री राजीब सेखर साहू	Name	Shri Rajib Sekhar Sahoo
पता	ए/42, नीलकंठ नगर देव रॉय कॉलोनी के पास नयापल्ली, भुवनेश्वर - 751 012	Address	A / 42, Nilkantha Nagar, Near Dev Roy College, Nayapalli, Bhubaneswar – 751 012.
जन्मतिथि	01.07.1962	Date of Birth	01.07.1962
आयु	49 वर्ष	Age	49 years
योग्यता	1) बी. कॉम. 2) एफ.सी.ए.	Qualifications	1) B. Com. 2) F.C.A.
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (आई) के तहत दिनांक 23.12.2011 को हुई असाधारण सामान्य सभा में बैंक के केंद्रीय सरकार से भिन्न शेयरधारकों द्वारा दिनांक 24.12.2011 से 23.12.2014 तक की तीन वर्षों की अवधि के लिए निदेशक के रूप में निर्वाचित.	Nature of appointment as Director	Elected as a Director by shareholders of the Bank other than the Central Government u/s 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Extra Ordinary General Meeting held on 23.12.2011 for a period of 3 years from 24.12.2011 to 23.12.2014.
अनुभव	वे भुवनेश्वर की एक सनदी लेखाकर कंसल्टेंसी फर्म में मै.एसआरबी एंड एसोसिएटस के एक प्रवर्तक एवं प्रमुख साझेदार हैं. उन्हें बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र का व्यापक अनुभव है एवं उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के कई बड़े उपक्रमों, बैंकों व निजी कंपनियों की लेखा परीक्षा की है. वे आंध्र बैंक में वर्ष 2008-2011 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए गैर-कार्यपालक निदेशक थे. उन्हें कई महत्वपूर्ण पदों जैसे 2012-13 के लिए एमओयू संबंधी पब्लिक एंटरप्राइज़ टास्क फोर्स के सदस्य के रूप में, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के निदेशक मंडल के निदेशक के रूप में, मै.तेहरी हायड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लि. एवं एनटीपी लि. के निदेशक के रूप में कार्य करने का अनुभव प्राप्त है. वे विविध सरकारी एवं प्रबंधन संस्थानों जिनमें जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भुवनेश्वर भी शामिल है. विजिटिंग संकाय सदस्य के रूप में सेवाएं देते रहे हैं.	Experience	He is one of the Promoters and Principal Partner of M/s. SRB & Associates, a Chartered Accountants consultancy firm based at Bhubaneswar. He has vast experience in Banking and Finance and has audited large Public Sector Undertakings, Banks and Private Companies. He was a non-executive Director on the Board of Andhra Bank for a period of 3 years during 2008 – 2011. He has the experience of holding several key positions such as Member of Department of Public Enterprise Task Force on MOU for 2012 – 13, as Director on the Boards of M/s. Hindustan Zinc Limited, M/s. Tehri Hydro Development Corporation India Limited, and NTPC Limited. He has also been a visiting faculty to various Government and Management Institutes including Xavier Institute of Management, Bhubaneswar.
अन्य कंपनियों में निदेशक अथवा अन्य समिति पदों पर कार्य	वे निम्नलिखित के निदेशक मंडल में निदेशक भी हैं- (i) एनटीपीसी लिमि. (ii) हिन्दुस्थान जिंक लिमि. (iii) टेहरी हायड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड .	Directorship or Committee Positions held in other Companies	He is also a Director on the Board of (i) NTPC Ltd. (ii) Hindustan Zinc Ltd. (iii) Tehri Hydro. Development Corporation India Ltd. (THDC)
बैंक ऑफ़ बड़ौदा में धारित शेयरों की संख्या	200	No. of Shares held in Bank of Baroda	200



घोषणा-पत्र

स्टाक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के खंड 49 (1) (डी) के अनुसरण में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की घोषणा.

यह घोषित किया जाता है कि बैंक के बोर्ड के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्यपालकों ने स्ट्राक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीकरण करार के खंड 49 (1) (डी) के अनुसार 31 मार्च, 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष की आचार संहिता के अनुपालन के बारे में प्रतिबद्धता दोहराई है. यह आचार संहिता बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है.

कृते बैंक ऑफ बड़ौदा

एम. डी. मल्ल्या

एम. डी. मल्ल्या
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मुंबई
दिनांक : 08, मई, 2012

DECLARATION

Declaration of the Chairman and Managing Director pursuant to clause 49 (I) (D) of Listing Agreement with Stock Exchanges.

It is to declare that all the Board Members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance of the Code of Conduct for the Financial Year Ended on 31st March, 2012 in accordance with clause 49 (I) (D) of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges. The said Code of conduct has been posted on the Bank's website.

For Bank of Baroda

M. D. Mallya
Chairman and Managing Director

Place : Mumbai
Date : 08th May, 2012



कार्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन से संबंधित लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र Auditors' Certificate on Compliance of Conditions of Corporate Governance

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के सदस्यों के लिए

हमने बैंक ऑफ़ बड़ौदा के, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्ध करने संबंधी करार के खंड 49 में विनिर्दिष्ट कार्पोरेट गवर्नेंस शर्तों के संदर्भ में बैंक द्वारा 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए कार्पोरेट गवर्नेंस संबंधी अनुपालन स्थिति की जांच की है।

कार्पोरेट गवर्नेंस संबंधी शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है। हमारी जांच, कार्पोरेट गवर्नेंस संबंधी बाध्यताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनायी गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही बैंक की वित्तीय विवरणियों के बारे में हमारा अभिमत है।

हम अपनी राय तथा सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए स्पष्टीकरणों के आधार पर प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपरोक्त सूचीबद्ध करार में विनिर्दिष्ट कार्पोरेट गवर्नेंस संबंधी बाध्यताओं का अनुपालन किया है।

हमारा यह भी अभिकथन है कि उक्त अनुपालन का अभिप्राय बैंक की भविष्य की सक्षमता के प्रति यह कोई आश्वासन नहीं है और न ही यह बैंक के कार्यकलापों के संचालन में प्रबंधन की कुशलता एवं प्रभावपूर्णता के बारे में आश्वासन है।

To: The Members of Bank of Baroda,

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Bank of Baroda, for the year ended 31st March 2012, as stipulated in Clause-49 of the Listing Agreement of the Bank with Stock Exchanges.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement.

We state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

कृते खिमजी कुंवरजी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 105146 डब्ल्यू
(गौतम शाह)
भागीदार
एम. नं.: 117348

For Khimji Kunverji & Co
Chartered Accountants
FRN: 105146W
(Gautam V. Shah)
Partner
M No.117348

कृते एस के. मित्तल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 001135 एन
(कृष्ण सरूप)
भागीदार
एम. नं.: 010633

For S. K. Mittal & Co.
Chartered Accountants
FRN: 001135N
(Krishan Sarup)
Partner
M. No. 010633

कृते ब्रह्मय्या एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000511 एस
(के. जितेंद्र कुमार)
भागीदार
एम. नं.: 201825

For Brahmayya & Co.
Chartered Accountants
FRN: 000511S
(K. Jitendra Kumar)
Partner
M No.201825

कृते एन.बी.एस. एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 110100 डब्ल्यू
(प्रदीप जे शेटी)
भागीदार
एम. नं.: 46940

For N. B. S. & Co.
Chartered Accountants
FRN: 110100W
(Pradeep J. Shetty)
Partner
M No.46940

कृते रे एण्ड रे
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 301072 ई
(ए. एन. येन्नेमादी)
भागीदार
एम. नं.: 031004

For Ray & Ray
Chartered Accountants
FRN: 301072E
(A. N. Yennemadi)
Partner
M. No. 031004

कृते लक्ष्मीनिवास नीथ एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002460 एस
(दयानिवास शर्मा)
भागीदार
एम. नं.: 216244

For Laxminiwas Neeth & Co.
Chartered Accountants
FRN: 002460S
(Dayaniwas Sharma)
Partner
M No.216244

स्थान / Place: मुंबई / Mumbai
दिनांक / Date: 15th May, 2012



हरित पहल - शेयर धारकों से अपील

ई-मेल के माध्यम से नोटिस/वार्षिक रिपोर्टें तथा अन्य पत्राचार प्राप्त करना.

डिमेंट खातों में शेयर रखनेवाले शेयर धारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिमेंट खाते में ई-मेल आईडी दर्ज करें.

भौतिक रूप से शेयर रखनेवाले शेयर धारकों से अनुरोध है कि -

इस पत्र के नीचे दिये गये भाग को भरकर तथा उस पर हस्ताक्षर करके उसे हमारे रजिस्ट्रार के पास नीचे लिखे पते पर भिजवा दें -

मै. कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लि. (यूनिट : बैंक ऑफ़ बड़ौदा)
प्लॉट नं. 17 से 24, इमेज हॉस्पिटल के पास,
विठ्ठलराव नगर, माधापुर, हैदराबाद - 500 081
फोन नं. 040-2342 0815 से 820, फ़ैक्स नं. 040-2342 0814
ई मेल : einward.ris@karvy.com

GREEN INITIATIVE-APPEAL TO SHAREHOLDERS

TO GET NOTICES / ANNUAL REPORTS & OTHER COMMUNICATION THROUGH E-MAIL

Shareholders holding Shares in Demat accounts are requested to: register an email ID in their Demat A/cs.

Shareholders holding Shares in Physical form are requested to:

send their consent by filling up and signing the perforated portion of this communication to our Registrars at their address given hereunder :

M/S Karvy Computershare Private Ltd., (Unit: Bank of Baroda),
Plot No.17 to 24, Near Image Hospital,
Vittalrao Nagar, Madhapur,
Hyderabad - 500 081,
Phone No. 040 – 2342 0815 to 820
Fax No. 040 – 2342 0814
E-mail : einward.ris@karvy.com



बैंक ऑफ़ बड़ौदा की हरित पहल

दिनांक

मै. कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लि.
(यूनिट : बैंक ऑफ़ बड़ौदा)
प्लॉट नं. 17 से 24, इमेज हॉस्पिटल के पास,
विठ्ठलराव नगर, माधापुर,
हैदराबाद - 500 081

प्रिय महोदय,

मैं / हम _____
बैंक ऑफ़ बड़ौदा कार्पोरेट गवर्नेंस के पर्यावरण सुरक्षा (हरित परिवेश) उपायों के एक प्रयास के रूप में बैंक ऑफ़ बड़ौदा से सभी संदेश अपने नीचे दिए गए ई मेल आईडी के माध्यम से प्राप्त करना चाहता हूँ / चाहते हैं. मेरे / हमारे पास बैंक के शेयर भौतिक रूप में हैं.

फोलियोनम्बर: _____ ईमेलआईडी: _____

मैं / हम इस आशय का वचन देता हूँ / देते हैं कि मेरे / हमारे ई मेल के माध्यम से प्राप्त संदेश को सही, विधिक तथा बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा हमें भेजे गए दस्तावेजों की समुचित एवं पर्याप्त सुपुर्दगी माना जाएगा. मैं / हम यह भी वचन देता हूँ / देते हैं कि यदि किसी तकनीकी / अन्य कारणों से मेरा / हमारा ई मेल हमें सही रूप में प्राप्त न होने के कारण संदेश प्राप्त नहीं हो पाता है तो हम बैंक ऑफ़ बड़ौदा, इसके किसी कर्मचारी, रजिस्ट्रार अथवा इसके कर्मचारियों को उत्तरदायी नहीं ठहरायेंगे.

प्रथम धारक के हस्ताक्षर

GREEN INITIATIVE OF BANK OF BARODA

Date:

M/S Karvy Computershare Private Ltd.,
(Unit: Bank of Baroda),
Plot No.17 to 24, Near Image Hospital,
Vittalrao Nagar, Madhapur,
Hyderabad - 500 081

Dear Sir,

I/ We _____ holding _____ shares of Bank of Baroda in physical form, intend to receive all communication from Bank of Baroda through our email ID given hereunder, as a part of Green Initiative under Corporate Governance of Bank of Baroda.

Folio Number: _____ Email ID: _____

I/ We also undertake that the communication received through my/ our email ID will be treated as proper, legal and sufficient delivery of documents sent to us by Bank of Baroda. I/ We further undertake that we would not hold Bank of Baroda, any of its employees, Registrars or its employees, responsible in case the communication is not properly received at my/ our email ID due to any technical/ other failures.

Signature of First Holder



बासेल II पिलर 3 प्रकटीकरण Basel II Pillar 3 disclosures

दिनांक 31.3.2012 को भारतीय रिज़र्व बैंक के नये पूंजी पर पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बासेल II) के अंतर्गत प्रकटीकरण (सोलो आधार पर)

Disclosures (on solo basis) under Pillar 3 in terms of New Capital Adequacy Framework (Basel II) of Reserve Bank of India as on 31.03.2012

I. अनुप्रयोग का क्षेत्र

- क. प्रकटीकरण का फ्रेमवर्क बैंक ऑफ बड़ौदा पर सोलो आधार पर लागू होता है, जो कि समूह में सर्वोच्च बैंक है।
- ख. बैंक की निम्नलिखित घरेलू तथा विदेशी दोनों प्रकार की अनुषंगियां, सहायक इकाइयां तथा संयुक्त उद्यम हैं :

I. Scope of application

- a. The framework of disclosures applies to Bank of Baroda, on solo basis, which is the top bank in the group.
- b. The Bank has following Subsidiaries, Associates and Joint ventures -- both domestic and foreign:

क्रम संख्या Sr. No.	अनुषंगी का नाम	Name of the subsidiary	स्वामित्व की सीमा Extent of ownership
	अनुषंगी (घरेलू)	SUBSIDIARY (DOMESTIC)	
i	नैनीताल बैंक लिमिटेड	Nainital Bank Limited	98.57%
ii.	बॉबकार्ड्स लिमिटेड	BOBCARDS Limited	100.00%
iii.	बॉब कैपिटल मार्केट लिमिटेड	BOB Capital Market Limited	100.00%
	अनुषंगी (विदेशी)	SUBSIDIARY (FOREIGN)	
iv.	बैंक ऑफ बड़ौदा (यू.के.) लिमिटेड	Bank of Baroda (U.K.) Ltd	100.00%
v.	बैंक ऑफ बड़ौदा (यूगान्डा) लिमिटेड	Bank of Baroda (Uganda) Ltd.	80.00%
vi.	बैंक ऑफ बड़ौदा (केन्या) लिमिटेड	Bank of Baroda (Kenya) Ltd.	86.70%
vii.	बैंक ऑफ बड़ौदा (गुयाना) इंक.	Bank of Baroda (Guyana) Inc.	100.00%
viii.	बैंक ऑफ बड़ौदा (बोत्स्वाना) लिमिटेड	Bank of Baroda (Botswana) Ltd.	100.00%
ix.	बैंक ऑफ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड	Bank of Baroda (Tanzania) Ltd.	100.00%
x.	बैंक ऑफ बड़ौदा (त्रिनिदाद एण्ड टोबेगो) लिमिटेड	Bank of Baroda (Trinidad & Tobago) Ltd.	100.00%
xi.	बैंक ऑफ बड़ौदा (घाना) लिमिटेड	Bank of Baroda (Ghana) Ltd	100.00%
xii.	बैंक ऑफ बड़ौदा (न्यूज़ीलैंड) लिमिटेड	Bank of Baroda (New Zealand) Ltd.	100.00%

बैंक की निम्नलिखित घरेलू तथा विदेशी सहायक इकाइयां भी हैं.

The Bank also has following Associates both domestic and foreign:

क्रम संख्या Sr. No.	सहायक इकाई का नाम	Name of the associate	स्वामित्व की सीमा Extent of ownership
	सहायक इकाइयां (घरेलू)	ASSOCIATES (DOMESTIC)	
i	बड़ौदा पायोनियर एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	Baroda Pioneer Asset Management Company Limited	49.00%
ii	झाबुआ धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	Jhabua Dhar K G Bank	35.00%
iii	नैनीताल अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	Nainital Almora K G Bank	35.00%
iv	बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक	Baroda Gujarat Gramin Bank	35.00%
v	बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक	Baroda Rajasthan Gramin Bank	35.00%
vi	बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक	Baroda U P Gramin Bank	35.00%
	सहायक इकाइयां (विदेशी)	ASSOCIATE (FOREIGN)	
vii	इंडो ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड	Indo Zambia Bank Limited	20.00%

बैंक के निम्नलिखित घरेलू संयुक्त उद्यम हैं.

The Bank has following domestic Joint Venture.

क्रम संख्या Sr. No.	संयुक्त उद्यम का नाम	Name of the Joint Venture	स्वामित्व की सीमा Extent of ownership
	संयुक्त उद्यम (घरेलू)	Joint Venture (DOMESTIC)	
i	इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	IndiaFirst Life Insurance Company Ltd.	44.00%
	संयुक्त उद्यम (विदेशी)	Joint Venture (FOREIGN)	
i	इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी.	India International Bank (Malaysia) Bhd.	40.00%

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के लेखा मानदंड 21, 23 तथा 27 के अनुसार समेकित खाता विवरणी में क्रमशः अनुबंधियों, सहायक इकाइयों तथा संयुक्त उद्यमों को पूर्णतः समेकित किया गया है।

- ग. किसी अनुबंधी के मामले में पूंजी की कोई कमी नहीं है।
- घ. बैंक का बीमा संस्थान में निम्न विवरणानुसार हित शामिल है।
- I. बीमा संस्थान में बैंक के कुल हित का विद्यमान बही मूल्य - ₹182.88 करोड़.
 - II. नाम- इण्डिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड.
 - III. निगमित देश - भारत.
 - IV. स्वामित्व के हित का अनुपात - 44%.

बैंक ने अपनी पूंजी में से ₹182.88 करोड़ आहरित कर अपनी शेयर धारिता के रूप में इण्डिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लि. में निवेश किए हैं।

II. पूंजीगत ढांचा

- क. बैंक की टियर - I पूंजी में शेयर पूंजी, नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखत तथा विभिन्न प्रकार की प्रारक्षित निधियां शामिल हैं। टियर - II पूंजी में पुनर्मूल्यांकन निधियां (भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रावधानों के अनुसार डिस्काउण्टेड), सामान्य हानि निधि, मानक अस्तियों पर प्रावधान, उच्च टियर - II तथा निम्न टियर - II पूंजी शामिल हैं। उच्च टियर II पूंजी में विदेशी बाजार में जारी एमटीएन बॉण्ड भी शामिल हैं। बेजमानती प्रतिदेय ऋणों की अवधि इस प्रकार है :

उच्च टियर 2 पूंजी :

शृंखला	Series	ब्याजदर Interest Rate (%)	परिपक्वता की तारीख Date of maturity	राशि करोड़ रु. में Amount in ₹ Crs.
शृंखला VII	Series VII	9.30	28.12.2022	500.00
शृंखला VIII	Series VIII	9.30	04.01.2023	1000.00
शृंखला IX	Series IX	9.15	04.03.2024	1000.00
शृंखला XI	Series XI	8.38	08.06.2024	500.00
शृंखला XII	Series XII	8.54	08.07.2024	500.00
शृंखला XIII	Series XIII	8.48	31.05.2025	500.00
शृंखला XIV	Series XIV	8.48	30.06.2025	500.00
शृंखला XV	Series XV	8.52	10.08.2025	500.00
एमटीएन टियर II बॉण्ड (विदेशी)	MTN Tier II Bonds (Overseas)	6.625	25.05.2022 (25.5.2017 को कॉल ऑप्शन के साथ with call option on 25.05.2017)	1526.25
कुल TOTAL				6526.25

निम्न टियर 2 पूंजी

Lower Tier 2 Capital:

शृंखला	Series	ब्याजदर Interest Rate (%)	परिपक्वता की तारीख Date of maturity	राशि करोड़ रु. में Amount in ₹ Cr
शृंखला IV	Series IV	5.85	02.07.2014	300.00
शृंखला V	Series V	7.45	28.04.2015	770.00
शृंखला VI	Series VI	8.95	15.05.2016	920.00
शृंखला X	Series X	8.95	12.04.2018	500.00
कुल TOTAL				2490.00

The Subsidiaries, Associates and Joint Ventures are consolidated in the Consolidated Statement of Accounts as per Accounting Standard 21, 23 and 27 respectively of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

- c. There is no deficiency of capital in respect of any subsidiary.
- d. The Bank has interest in the Insurance entity as per the details given below.
- I. The current Book value of Bank's total interest in the insurance entity – Rs.182.88 crores.
 - II. Name – IndiaFirst Life Insurance Company Limited.
 - III. Country of Incorporation – India
 - IV. The proportion of ownership interest – 44%

The bank has deducted the investment of Rs.182.88 crores from its capital in respect of its equity holding in IndiaFirst Life Insurance Company Limited.

II . Capital structure

- a. The Tier-I capital of the Bank consists of equity capital, Innovative Perpetual Debt Instrument (IPDI) and various types of reserves. The Tier-II capital consists of Revaluation Reserves (discounted as per provisions of RBI), General Loss Reserve and Provisions on Standard Assets, Upper Tier II Capital and Lower Tier II capital. Upper Tier II capital also consists of MTN Bonds issued in overseas market. The terms of unsecured redeemable debts are as under:

Upper Tier 2 Capital:



ख. बैंक की टियर - I पूंजी इस प्रकार है :

b. The Tier 1 capital of the bank is as under:

(राशि करोड़ रु. में Amount in ₹ Crore)

i	कुल टियर - I पूंजी जिसमें से	i	Total Tier I Capital Out of which:	28214.87
ii	प्रदत्त शेयर पूंजी	ii	Paid up share capital	412.38
iii	पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधियों के अलावा प्रारक्षित निधियां	iii	Reserves excluding revaluation reserves	25890.79
iv	नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत	iv	Innovative Perpetual Debt Instrument	1911.70
v	कटौतियां	v	Deductions	716.96
vi	पात्र टियर I पूंजी	vi	Eligible Tier I Capital	27497.91

ग. बैंक की कुल टियर 2 पूंजी (टियर 2 पूंजी में से शुद्ध कटौती) 9731.16 करोड़ रुपए है.

c. The Total amount of Tier 2 capital of the bank (net of deduction from tier 2 capital) is Rs. 9731.16 Crore.

घ. उच्च टियर 2 पूंजी में समावेशन के लिए पात्र ऋण पूंजी लिखतें इस प्रकार हैं:

d. The debt capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier 2 capital are:

(करोड़ रु. में Rs. in Crores)

बकाया कुल राशि	Total amount outstanding	6526.25
जिसमें से चालू वर्ष के दौरान वर्धित राशि	Of which amount raised during the current year	0.00
पूंजीगत निधियों के रूप में गणना की जाने वाली पात्र राशि	Amount eligible to be reckoned as capital funds	6526.25

ङ. निम्न टियर 2 पूंजी में समावेशन के लिए पात्र गौण ऋण पूंजी लिखतें इस प्रकार हैं :

e. Subordinated debt capital instruments eligible for inclusion in Lower Tier 2 capital are:

(करोड़ रु. में Rs. in Crores)

बकाया कुल राशि	Total amount outstanding	2490.00
जिसमें से चालू वर्ष के दौरान वर्धित राशि	Of which amount raised during the current year	0.00
पूंजीगत निधियों के रूप में गणना की जाने वाली पात्र राशि	Amount eligible to be reckoned as capital funds	1818.00

च. पूंजी पर्याप्तता की गणना के लिए टियर I और टियर II पूंजी में से निम्नानुसार कटौती की गई है.

f. For computation of Capital Adequacy, deductions as under have been done from Tier I and Tier II capital:

(करोड़ रु. में Rs. in Crores)

क्रम संख्या Sr. No.	कटौती का स्वरूप	Nature of Deduction	टियर I से कटौती Deduction from Tier I	टियर II से कटौती Deduction from Tier II
1.	अन्य अगोचर आस्तियां (मेमन को-ऑपरेटिव बैंक की आस्ति एवं देयताओं को टेक ओवर करने पर घाटा)	Other intangible Assets (Deficit on account of take over of assets & liabilities-Memon Co-Operative Bank Ltd.)	99.49	0.00
2.	अनुषंगियों/संयुक्त उद्यम/सहयोगी इकाइयों में निवेश	Investment in subsidiaries/ JV / Associates	617.47	617.47
3.	कुल	Total	716.96	617.47



छ. कुल पात्र पूंजी में निम्नलिखित शामिल हैं :

g. The total eligible capital comprises of:

(करोड़ रु. में Rs. in Crores)

टियर - I पूंजी	Tier – I Capital	27497.91
टियर - II पूंजी	Tier – II Capital	9731.16
कुल	TOTAL	37229.07

III. पूंजी पर्याप्तता

क. बैंक जमाकर्ताओं तथा सामान्य ऋणदाताओं को अप्रत्याशित हानियों से सुरक्षित रखने के लिए एक्सपोजरों, व्यवसाय इत्यादि के मूल्य में हानि के जोखिम से बचाव के लिए पूंजी की व्यवस्था रखता है, बैंक के पास नियामक तथा आर्थिक पूंजी दोनों के लिए एकीकृत जोखिम / पूंजी मॉडल तैयार करने हेतु एक सुपरिभाषित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति है ताकि सभी जोखिमों एवं उचित पूंजी आबंटन को व्यापक रूप से मूल्यांकित किया जा सके.

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने अग्रिम जोखिम, परिचालन जोखिम के लिए आधारभूत संकेतक पद्धति तथा सीआरएआर की गणना के लिए बाजार जोखिम हेतु मानकीकृत आवधिक पद्धति अपनायी है.

पूंजीगत आवश्यकता आर्थिक परिवेश, नियामक ज़रूरतों तथा बैंक की गतिविधियों से होने वाले जोखिम से प्रभावित होती है. बैंक की पूंजीगत आयोजना का उद्देश्य आर्थिक परिस्थितियों के परिवर्तन के समय, यहां तक कि आर्थिक मंदी के दौर में भी, पूंजी पर्याप्तता को सुनिश्चित करना है. पूंजीगत आयोजना की प्रक्रिया में बैंक निम्नलिखित की समीक्षा करता है:

- बैंक की मौजूदा पूंजीगत आवश्यकता.
- कारोबार रणनीति, नीति तथा जोखिम प्रवृत्ति के संदर्भ में लक्षित तथा धारणीय पूंजी
- भविष्य की पूंजीगत आयोजना अगले तीन वर्ष को ध्यान में रखकर की जाती है.

पूंजीगत योजना को वार्षिक आधार पर संशोधित किया जाता है. बैंक की नीति आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन नीति (न्यूनतम 12% पूंजी पर्याप्तता अनुपात या समय-समय पर बैंक के निर्णयानुसार) में निर्धारित पूंजी को बनाए रखना है, इसके साथ ही बैंक की नीति भविष्य में कारोबार वृद्धि के लिए पूंजी को बनाये रखना है ताकि आवश्यक न्यूनतम पूंजी को सतत आधार पर बनाए रखा जा सके. अनुमान के आधार पर बैंक अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से टियर - 1 या टियर - 2 में पूंजी संगृहीत करता है. बैंक के निदेशक मंडल द्वारा तिमाही आधार पर बैंक की पूंजी पर्याप्तता स्थिति की समीक्षा की जाती है और उसे भारतीय रिज़र्व बैंक को भी प्रस्तुत किया जाता है.

ख) 31.03.2012 तक बैंक के जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए), न्यूनतम पूंजीगत आवश्यकता तथा वास्तविक पूंजी पर्याप्तता की स्थिति निम्नानुसार है:

III. Capital Adequacy

a. Bank maintains capital to cushion the risk of loss in value of exposure, businesses etc. so as to protect the interest of depositors, general creditors and stake holders against any unforeseen losses. Bank has a well defined Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) policy to comprehensively evaluate and document all risks and to provide appropriate capital so as to evolve a fully integrated risk/ capital model for both regulatory and economic capital.

In line with the guidelines of the Reserve Bank of India, the Bank has adopted Standardised Approach for Credit Risk, Basic Indicator Approach for Operational Risk and Standardized Duration Approach for Market Risk for computing CRAR.

The capital requirement is affected by the economic environment, regulatory requirement and by the risk arising from bank's activities. Capital Planning exercise of the bank is carried out every year to ensure the adequacy of capital at the times of changing economic conditions, even at the time of economic recession. In capital planning process the bank reviews:

- Current capital requirement of the bank
- The targeted and sustainable capital in terms of business strategy, policy and risk appetite.
- The future capital planning is done on a three-year outlook.

The capital plan is revised on an annual basis. The policy of the bank is to maintain capital as prescribed in the ICAAP Policy (minimum 12% Capital Adequacy Ratio or as decided by the Bank from time to time). At the same time, Bank has a policy to maintain capital to take care of the future growth in business so that the minimum capital required is maintained on continuous basis. On the basis of the estimation bank raises capital in Tier-1 or Tier-2 with due approval of its Board of Directors. The Capital Adequacy position of the bank is reviewed by the Board of the Bank on quarterly basis and the same is submitted to RBI also.

b. The position of Bank's Risk Weighted Assets (RWA), Minimum Capital requirement and Actual Capital Adequacy as on 31.03.2012 are as under:



(i) ऋण जोखिम :	(i) credit risk :	आरडब्ल्यूए (बासेल-II)/पूँजी RWA(Basel-II)/Capital (राशि करोड़ ₹ में/ Amount in ₹ Crore)
ऋण जोखिम के संबंध में मानकीकृत पद्धति के अध्यक्षीन संविभाग	Portfolios subject to standardised approach in respect of credit risk	227089.22
प्रतिभूतीकरण एक्पोजर (आर डब्ल्यू ए)	Securitisation exposures (RWA)	44.18
ऋण जोखिम में कुल जोखिम धारित आस्तियां	Total RWAs in Credit Risk	227133.40
आरडब्ल्यूए के 9.00% की दर से ऋण जोखिम के लिए न्यूनतम पूँजीगत आवश्यकता	Minimum Capital Requirement for Credit Risk @9.00% of the RWAs	20442.01
(ii) बाजार जोखिम :	(ii) market risk :	
ब्याज दर जोखिम (आर डब्ल्यू ए)	Interest rate risk (RWA)	6372.91
विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित) (आर डब्ल्यू ए)	Foreign exchange risk (including gold) (RWA)	225.00
इक्विटी जोखिम (आर डब्ल्यू ए)	Equity risk (RWA)	5606.00
बाजार जोखिम के संबंध में कुल आर डब्ल्यू ए	Total RWAs in respect of Market Risk	12203.91
आर डब्ल्यू ए के 9.00% की दर से बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम पूँजीगत आवश्यकता	Minimum Capital Requirement for Market Risk @9.00% of the RWAs	1098.35
(iii) परिचालन जोखिम :	(iii) operational risk :	
आधारभूत संकेतक पद्धति (आर डब्ल्यू ए)	Basic indicator approach (RWA)	14396.44
आर डब्ल्यू ए, के 9.00% की दर से परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूँजीगत आवश्यकता	Minimum Capital Requirement for Operational Risk @9.00% of the RWAs	1295.68
(iv) कुल आर डब्ल्यू ए, पूँजी एवं सीआरएआर	(iv) Total RWA, Capital & CRAR	
ऋण, बाजार तथा परिचालन जोखिम के लिए कुल आर डब्ल्यू ए	Total RWAs in respect of Credit, Market & operational Risk	253733.75
आर डब्ल्यू ए के 9.00% की दर से ऋण, बाजार तथा परिचालन जोखिम के लिए न्यूनतम पूँजीगत आवश्यकता	Minimum Capital Requirement for Credit Market & Operational Risk @9.00% of the RWAs	22836.04
(v) वास्तविक स्थिति	(v) Actual Position	
पात्र टियर I पूँजी	Eligible Tier I Capital	27497.91
पात्र टियर II पूँजी	Eligible Tier II Capital	9731.16
कुल पात्र पूँजी	Total Eligible Capital	37229.07
बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए कुल पूँजीगत अनुपात	Total capital ratio for Bank of Baroda:	
सीआरएआर	CRAR	14.67%
कुल आर डब्ल्यू ए के लिए टियर I पूँजी	Tier I capital to Total RWA	10.83%
कुल आर डब्ल्यू ए के लिए टियर II पूँजी	Tier II capital to Total RWA	3.84%

IV. ऋण जोखिम के संदर्भ में सामान्य प्रकटीकरण

क. बैंक की ऋण आस्तियों को वर्गीकृत करने के लिए बैंक की निम्नलिखित नीति है :

गैर निष्पादक आस्तियां (एनपीए) : गैर निष्पादक आस्तियां (एनपीए) एक ऐसा ऋण या अग्रिम है जहाँ

- i. मीयादी ऋण के संदर्भ में 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए मूलधन का ब्याज तथा / या किस्त. अतिदेय हो जाती है.
- ii. ओवर ड्राफ्ट / नकद उधार (ओ डी / सी सी) के संबंध में खाता अनियमित रहता है.
- iii. खरीदे गए तथा बट्टाकृत बिल 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए बकाया अतिदेय रहते हैं.

IV. General disclosures in respect of Credit Risk

a. The policy of the bank for classifying bank's loan assets is as under:

NON PERFORMING ASSETS (NPA): A non performing asset (NPA) is a loan or an advance where:

- I. Interest and/ or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,
- II. The account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC),
- III. The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,

- iv. अल्पावधि फसलों के लिए दो फसली मौसमों हेतु मूल राशि की किस्त अथवा उस पर बकाया ब्याज अतिदेय हो जाता है.
- v. लम्बी अवधि की फसलों के लिए एक फसली मौसम हेतु मूल राशि की किस्त अथवा उस पर बकाया ब्याज अतिदेय हो जाता है.

किसी भी खाते को 'अनियमित' खाते के रूप में माना जाएगा यदि खाते में स्वीकृत सीमा / आहरण सीमा से अधिक राशि 90 दिन से अधिक बकाया रहती हो. ऐसे मामलों में, जहाँ मूल परिचालनगत खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा / आहरण सीमा से कम रहता हो लेकिन जहाँ तुलन-पत्र की तारीख को निरन्तर रूप से 90 दिनों के लिए अथवा उसी अवधि के दौरान नामे किए गए ब्याज की वसूली हेतु जमा राशि शेष नहीं हो तो ऐसे खातों को 'अनियमित' खाते की श्रेणी में माना जायेगा.

किसी भी ऋण सुविधा के अन्तर्गत बैंक को देय किसी भी ऐसी राशि को 'अतिदेय' माना जायेगा यदि यह बैंक द्वारा निर्धारित की गई देय तारीख को अदा नहीं की जाती है.

गैर निष्पादक निवेश (एन पी आई)

प्रतिभूतियों के संबंध में जहाँ ब्याज/मूलधन बकाया है, बैंक प्रतिभूतियों पर आय की गणना नहीं करता है तथा निवेश के मूल्य में मूल्यहास के लिए समुचित प्रावधान करता है.

गैर निष्पादक निवेश (एनपीआई) जो गैर निष्पादक अग्रिम (एनपीए) के समान ही है, उसे कहते हैं जहाँ:

- (i) ब्याज / किस्त (परिपक्व प्राप्तियों सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक समय तक अदत्त रहता है.
- (ii) यह अधिमान शेयरों पर जहाँ निर्धारित लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है, आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होता है.
- (iii) इक्विटी शेयरों के मामले में, जहाँ किसी कंपनी के शेयरों के निवेश करने पर मूल्य प्रति कंपनी 1/- रुपये किया गया है. भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार अद्यतन तुलन पत्र की अनुपलब्धता के कारण उन इक्विटी शेयरों की गणना भी एनपीआई के रूप में की जाती है.
- (iv) यदि निर्गमकर्ता द्वारा प्राप्त की गई कोई ऋण सुविधा बैंक की बहियों में एनपीए है तो उस निर्गमकर्ता द्वारा जारी की गई किसी भी प्रतिभूति में निवेश को एनपीआई तथा विलोमतः माना जाएगा.
- (v) डिबेंचर / बांड में निवेश जो कि अग्रिम के रूप में माने जाते हैं, निवेश पर लागू होने वाले एनपीआई मानदंड के अधीन हैं.

बैंक की गैर निष्पादक अस्तियों को आगे निम्नलिखित -3- श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है.

● अवमानक अस्तियां

अवमानक अस्ति से अभिप्राय, ऐसी अस्ति से है जो कि 12 महीनों की अवधि से कम अथवा उस के समतुल्य अवधि के लिए गैर निष्पादक अस्ति रही हो.

● संदिग्ध अस्तियां

किसी भी अस्ति को, 12 महीनों के लिए अवमानक श्रेणी में बने रहने की स्थिति में उसे संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा.

● हानि वाली अस्तियां

हानि वाली अस्ति से अभिप्राय ऐसी अस्ति से है जहां हानि बैंक अथवा आंतरिक अथवा बाह्य लेखा परीक्षकों अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण द्वारा पता चली हो. हानि वाली अस्तियों में उपलब्ध प्रतिभूति का वसूली योग्य

- IV. The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,
- V. The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

An OD/CC account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power for more than 90 days. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as 'out of order'.

Any amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank.

Non Performing Investments (NPI)

In respect of securities, where interest/principal is in arrears, the Bank does not reckon income on the securities and makes appropriate provisions for the depreciation in the value of the investment.

A non-performing investment (NPI), similar to a non-performing advance (NPA), is one where:

- (i) Interest/ installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
- (ii) This applies mutatis-mutandis to preference shares where the fixed dividend is not paid.
- (iii) In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at Re.1 per company on account of the non-availability of the latest balance sheet in accordance with the Reserve Bank of India instructions, those equity shares are also reckoned as NPI.
- (iv) If any credit facility availed by the issuer is NPA in the books of the bank, investment in any of the securities issued by the same issuer is treated as NPI and vice versa.
- (v) The investments in debentures / bonds which are deemed to be in the nature of advance are subjected to NPI norms as applicable to investments.

Non Performing Assets of the Bank are further classified in to three categories as under:

● Sub standard Assets

A sub standard asset is one which has remained NPA for a period less than or equal to 12 months.

● Doubtful Assets

An asset would be classified as doubtful if it has remained in the sub standard category for 12 months.

● Loss Assets

A loss asset is one where loss has been identified by the bank or by internal or external auditors or the RBI inspection. In loss assets realizable value of security available is less than 10% of balance outstanding/ dues.



मूल्य, बकाया शेष / देयों का 10% से अधिक नहीं होता है।

ख. कार्यनीति एवं प्रक्रियाएं

बैंक की, ऋण जोखिम प्रबंधन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल करते हुए पूर्ण रूप से परिभाषित ऋण नीति एवं निवेश नीति है, जो कि निम्नानुसार है :

- अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में एक्सपोजर (ऋण) सीमाएं, ऋणियों के विभिन्न प्रकार और उनके ग्रुप एवं उद्योग
- ऋण वितरण में उचित व्यवहार संहिता
- बैंक में विभिन्न स्तरों के प्राधिकारियों के लिए ऋण प्रदान करने संबंधी विवेकाधिकार
- ऋण वितरण प्रक्रिया- स्वीकृति पूर्व निरीक्षण, रद्द करना, मूल्यांकन, स्वीकृति, दस्तावेजीकरण, मानीटरिंग और वसूली आदि के संबंध में प्रक्रियाएं
- मूल्य निर्धारण

ग. बैंक का ऋण जोखिम दर्शन, संरचना और प्रणाली निम्नानुसार है

ऋण जोखिम दर्शन

- जोखिम प्रबंधन इस प्रकार किया जाए कि बैंक के संसाधनों की सुरक्षा, कार्पोरेट वृद्धि एवं समृद्धि सुनिश्चित करने के साथ शेयर धारकों के आर्थिक मूल्य में बढ़ोतरी हो तथा सभी हित धारकों के हित संरक्षित हों।
- बैंक अपने वित्तीय संसाधनों को क्रमिक रूप से सुव्यवस्थित और कारगर बनायें ताकि विभिन्न चैनलों को परस्पर जोड़ा जा सके तथा बैंक के सामान्य लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके।
- अर्थव्यवस्था की विभिन्न राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को योजनाबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए संस्थागत वित्त के अभिनियोजन द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में योजनाबद्ध ढंग से लक्ष्य प्राप्त किए जाएं।
- उद्यमवार ऋण संस्कृति विकसित करना और परिचालन स्टाफ को सहयोग प्रदान करना।
- विभिन्न ऋणी वर्गों को आवश्यकता पर आधारित और समय पर ऋण सुविधा उपलब्ध करवाना।
- स्वीकृतिपूर्व, स्वीकृति उपरांत मानीटरिंग, पर्यवेक्षण और अनुवर्ती कदम उठाते हुए ऋण प्रबंधन कौशल को प्रभावी बनाना ताकि बैंक में कारगर ऋण संस्कृति विकसित की जा सके तथा ऋण संविभाग को गुणवत्ता युक्त बनाया जा सके।
- गुणवत्ता मूल्यांकन एवं तत्परता के साथ विस्तृत मार्गनिर्देशों की पूर्ण अनुपालन अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से करते हुए ऋण प्रस्तावों पर कार्यवाही करना।
- विभिन्न विनियामक आवश्यकताओं विशेष रूप से भारतीय रिजर्व बैंक / अन्य प्राधिकारियों, एक्सपोजर मानदंडों, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के मानदंडों, आय पहचान और आस्ति वर्गीकरण मार्गनिर्देश, पूंजी पर्याप्तता, ऋण जोखिम प्रबंधन मार्गनिर्देशों आदि की अनुपालना करना।

बैंक की संरचना और प्रणालियां

- बैंक में जोखिम प्रबंधन कार्यकलापों की देखरेख तथा समन्वय कार्यों के लिए बोर्ड द्वारा निदेशकों की एक उपसमिति का गठन किया गया है।
- ऋण नीतियों सहित विभिन्न ऋण जोखिम नीतियों को तैयार करने और उन का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, ऋण प्रदान करने संबंधी

b. Strategies and Processes

The bank has a well defined Loan Policy & Investment Policy covering the important areas of credit risk management as under:

- Exposure ceilings to different sectors of the economy, different types of borrowers and their group and industry
- Fair Practice Code in dispensation of credit
- Discretionary Lending Powers for different levels of authority of the bank
- Processes involved in dispensation of credit – pre-sanction inspection, rejection, appraisal, sanction, documentation, monitoring, and recovery.
- Fixation of pricing.

c. The Credit Risk philosophy, architecture and systems of the bank are as under

Credit Risk Philosophy

- To optimize the risk and return envisaged in order to see that the Economic Value Addition to Shareholders is maximized and the interests of all the stakeholders are protected alongside ensuring corporate growth and prosperity with safety of bank's resources.
- To regulate and streamline the financial resources of the bank in an orderly manner to enable the various channels to incline and achieve the common goal and objectives of the Bank.
- To comply with the national priorities in the matter of deployment of institutional finance to facilitate achieving planned growth in various productive sectors of the economy.
- To instill a sense of credit culture enterprise-wide and to assist the operating staff.
- To provide need-based and timely availability of credit to various borrower segments.
- To strengthen the credit management skills namely pre-sanction, post-sanction monitoring, supervision and follow-up measures so as to promote a healthy credit culture and maintain quality credit portfolio in the bank.
- To deal with credit proposals more effectively with quality assessment, speedy delivery, in full compliance with extant guidelines.
- To comply with various regulatory requirements, more particularly on Exposure norms, Priority Sector norms, Income Recognition and Asset Classification guidelines, Capital Adequacy, Credit Risk Management guidelines etc. of RBI/other Authorities.

Architecture and Systems of the Bank:

- A Sub-Committee of Directors has been constituted by the Board to specifically oversee and co-ordinate Risk Management functions in the bank.
- Credit Policy Committee has been set up to formulate and implement various credit risk strategy including lending policies and to monitor Bank's Enterprise-wide Risk Management function on a regular basis.

नीतियों और बैंक की उद्यमवार जोखिम प्रबंधन कार्यों की नियमित देखरेख करने के लिए ऋणनीति समिति का गठन किया गया है।

- ऋण प्रस्तावों के मानकों, वित्तीय प्रसंविदाओं, रेटिंग मानकों तथा बेंचमार्क के संबंध में मानक नीतियां तैयार करना।
- ऋण जोखिम प्रबंधन कक्ष निर्धारित सीमाओं के तहत पहचान, स्तर, देखरेख तथा ऋण जोखिम नियंत्रण संबंधी कार्य देखते हैं।
- बोर्ड / नियामकों आदि द्वारा तैयार किए गए जोखिम मानदंड तथा संभावना सीमाओं को लागू करना तथा उनका अनुपालन सुनिश्चित करना।
- जोखिम मूल्यांकन प्रणालियों को तैयार करना, एम आई एस का विकास करना और ऋण संविभाग की गुणवत्ता की देखरेख, समस्याओं की पहचान, कमी को पूरा करना।
- संविभाग मूल्यांकन करना, अर्थव्यवस्था, उद्योग पर तुलनात्मक विवेचना तैयार करना, ऋण संविभाग पर लचीलेपन का परीक्षण करना।
- तैयार किए गए नियमों और मार्ग निर्देशों की पूर्ण रूप से अनुपालना के लिए ऋण सुपुर्दगी प्रणाली में सुधार लाना।

घ. जोखिम रिपोर्टिंग की संभावनाएं व प्रकृति और/अथवा आकलन पद्धति

बैंक के पास अपने ऋण जोखिम के लिए कड़ी ऋण जोखिम रेटिंग प्रणाली उपलब्ध है। ऋण जोखिमों को कम करने के प्रभावी उपायों में किसी भी आस्ति विशेष में जोखिम की संभावनाओं का पता लगाना, सुदृढ़ आस्ति गुणवत्ता देखरेख, बैंक की समग्र कार्यनीति और ऋणनीति के अनुरूप अपेक्षित जोखिम रिटर्न मानदंडों को पूरा करने के लिए आस्तियों की कीमतों को लचीला बनाना शामिल है।

बैंक की कड़ी ऋण जोखिम रेटिंग प्रणाली अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाये जा रहे स्वरूप और विश्व की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं पर आधारित है और यह बैंक को ऋण आस्तियों में चूक की संभावनाओं का निर्धारण करने तथा चूक की गंभीरता का पता लगाने में सहयोग करती है और इस प्रकार यह प्रणाली बैंक को पद्धति निर्माण तथा आस्ति गुणवत्ता को बरकरार रखने में मदद करती है।

ङ. ऋण जोखिम के संबंध में मात्रात्मक प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

- Formulating policies on standards for credit proposals, financial covenants, rating standards and benchmarks.
- Credit Risk Management cells deal with identification, measurement, monitoring and controlling credit risk within the prescribed limits.
- Enforcement and compliance of the risk parameters and prudential limits set by the Board/regulator etc.,
- Laying down risk assessment systems, developing MIS, monitoring quality of loan portfolio, identification of problems and correction of deficiencies.
- Evaluation of Portfolio, conducting comprehensive studies on economy, industry, test the resilience on the loan portfolio etc.,
- Improving credit delivery system upon full compliance of laid down norms and guidelines.

d. The Scope and Nature of Risk Reporting and / or Measurement System

The Bank has in place a robust credit risk rating system for its credit exposures. An effective way to mitigate credit risks is to identify potential risks in a particular asset, maintain a healthy asset quality and at the same time impart flexibility in pricing assets to meet the required risk-return parameters as per the bank's overall strategy and credit policy.

The bank's robust credit risk rating system is based on internationally adopted frameworks and global best practices and assists the bank in determining the Probability of Default and the severity of default, among its loan assets and thus allows the bank to build systems and initiate measures to maintain its asset quality.

e. The Quantitative Disclosures in respect of Credit Risk are as under:

31.03.2012 को As on 31.03.2012
(शेष राशि करोड़ रु. में Balance Amount in Rs. Crores)

उद्योग	Industry	निधि आधारित Fund based	गैरनिधि आधारित Non Fund Based	कुल Total
(i) कुल सकल ऋण जोखिम बकाया शेष (वैश्विक)	(i) Total gross credit risk outstanding balance (global)	291007.34	51027.99	342035.33
(ii) बकाया शेष का भौगोलिक वितरण	(ii) Geographic distribution of outstanding balance			
1. घरेलू	1. Domestic	205453.59	42047.66	247501.25
2. विदेशी	2. Overseas	85553.75	8980.33	94534.08
(iii) बकाया शेष का उद्योग के रूप में वितरण (घरेलू)	(iii) Industry distribution of outstanding balance (Domestic)			
उद्योग	Industry			
कोयला	COAL	136.16	239.23	375.39
खनन	MINING	890.09	216.79	1106.88
लौह एवं इस्पात	IRON & STEEL	10093.75	3470.47	13564.22
अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	OTHER METALS & METAL PRODUCT	2969.98	986.53	3956.51
सभी इंजीनियरिंग	ALL ENGINEERING	5638.66	4803.88	10442.54



उद्योग	Industry	निधि आधारित Fund based	गैरनिधि आधारित Non Fund Based	कुल Total
जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स	OF WHICH : ELECTRONICS	1215.98	376.91	1592.89
विद्युत (जेनरेशन एवं ट्रांसमिशन)	ELECTRICITY (TRANS. & DISTR.)	6800.47	491.63	7292.10
कॉटन टेक्सटाइल्स	COTTON TEXTILES	3906.07	412.00	4318.07
जूट टेक्सटाइल्स	JUTE TEXTILES	144.43	41.48	185.91
अन्य टेक्सटाइल्स	OTHERS TEXTILES	5654.79	1360.74	7015.53
चीनी	SUGAR	797.64	5.90	803.54
चाय	TEA	25.22	2.99	28.21
फूड प्रोसेसिंग	FOOD PROCESSING	2570.71	209.23	2779.94
वेजिटेबल ऑयल (वनस्पति सहित)	VEGETABLE OILS (INCL.VANASPA	566.15	1807.71	2373.85
तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद	TOBACCO & TOBACCO PRODUCTS	303.38	181.35	484.73
कागज एवं कागज उत्पाद	PAPER & PAPER PRODUCTS	1352.24	303.56	1655.79
रबड़ एवं रबड़ उत्पाद	RUBBER & RUBBER PRODUCTS	572.75	85.31	658.06
केमिकल, डाई पेंट्स एवं फार्मा.	CHEMICALS,DYES,PAINTS & PHAR	6843.36	2823.07	9666.43
जिसमें से	OF WHICH :			
	फर्टिलाइजर्स FERTILIZERS	612.85	1522.92	2135.76
	पेट्रो केमिकल्स PETRO-CHEMICALS	918.73	82.44	1001.18
	ड्रग एवं फार्मास्यूटिकल्स DRUGS & PHARMACEUTICALS	2265.23	452.38	2717.60
सीमेंट	CEMENT	1095.15	262.82	1357.97
लेदर एवं लेदर उत्पाद	LEATHER & LEATHER PRODUCTS	378.04	88.48	466.52
जेम्स एवं ज्वेलरी	GEMS & JEWELLERY	1148.06	114.35	1262.41
निर्माण	CONSTRUCTION	4764.36	912.21	5676.58
पेट्रोलियम	PETROLEUM	3832.23	192.31	4024.54
ट्रक सहित ऑटोमोबाइल	AUTOMOBILES INCLUDING TRUCKS	2012.13	548.44	2560.56
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	COMPUTER SOFTWARE	101.04	667.44	768.48
आधारभूत सुविधाएँ	INFRASTRUCTURE	22451.50	5152.26	27603.76
जिसमें से	OF WHICH:			
	ऊर्जा (उत्पादन) POWER (GENERATION)	7501.22	2643.11	10144.34
	दूर संचार TELECOMMUNICATION	5824.84	689.91	6514.75
	सड़क ROADS	4961.88	1134.84	6096.72
	बंदरगाह PORTS	1658.34	29.56	1687.90
	अन्य आधारभूत सुविधाएं OTHER INFRASTRUCTURE	2505.21	654.84	3160.06
गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियाँ	NBFCs	12705.94	39.72	12745.66
ट्रेडिंग	TRADING	8784.96	5979.73	14764.69
अन्य उद्योग	OTHER INDUSTRIES	5364.97	2204.63	7569.60
जिसमें से :	OF WHICH:			
	पेय पदार्थ BEVERAGES	277.17	3.05	280.22
	लकड़ी WOOD	477.60	127.45	605.05
	ग्लास GLASS	783.93	186.11	970.05
	प्लास्टिक PLASTIC	2148.64	697.20	2845.84
कुल	TOTAL	111904.24	33604.25	145508.49



उद्योगों में ऋण एक्सपोजर, जहां बकाया एक्सपोजर बैंक के कुल घरेलू ऋण एक्सपोजर के 5% से अधिक है, इस प्रकार है,

Credit exposure in industries where out standing exposure is more than 5% of the total domestic credit exposure of the bank are as follows:

क्रम संख्या Sr no	उद्योग Industry	एक्सपोजर राशि (करोड़ रु. में) Exposure amt. (in cr.)	कुल घरेलू एक्सपोजर का % % of Total Domestic Exposure
1	ट्रेडिंग Trading	14764.69	5.97
2	लौह और इस्पात Iron and Steel	13564.22	5.48
3	एनबीएफसी NBFC	12745.66	5.15

च. आस्तियों की अवशिष्ट परिपक्वता का विश्लेषण

31 मार्च 2012 को आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता विश्लेषण -

f. Residual maturity breakdown of assets

Residual contractual maturity breakdown of Assets - As on 31st March 2012

समयावधि	Time bucket	अग्रिम Advances				निवेश Investments			अन्य विदेशी मुद्रा आस्तियां Other Foreign Currency Assets			कुल आस्तियां Total Assets (A+B+C)	प्रतिशत %age
		घरेलू रु. Domestic Rupee	घरेलू विदेशी मुद्रा Domestic Fgn Currency	विदेशी Int'l	कुल (ए) Total (A)	घरेलू Domestic	विदेशी Int'l	कुल (बी) Total (B)	घरेलू Domestic	विदेशी Int'l	कुल (सी) Total (C)		
1 दिन	1 Day	1689.14	57.59	591.48	2338.20	418.32	1.33	419.65	71.43	7939.96	8011.39	10769.24	2.60%
2-7 दिन	2-7 Days	2773.08	120.28	3357.50	6250.86	1186.93	0.00	1186.93	142.56	6795.22	6937.78	14375.57	3.46%
8-14 दिन	8-14 Days	6385.73	456.24	1762.56	8604.54	287.03	3.30	290.33	803.43	3050.53	3853.96	12748.82	3.07%
15-28 दिन	15-28 Days	2392.66	213.29	3782.63	6388.59	702.96	61.55	764.51	1954.66	1878.22	3832.88	10985.98	2.65%
29 दिन-90 दिन	29-90 Days	14454.43	1061.07	21019.83	36535.33	5531.30	206.11	5737.41	2085.88	6985.74	9071.62	51344.37	12.37%
3 महीने-6 महीने	3-6 months	11752.04	2308.70	15856.16	29916.90	765.66	465.83	1231.49	50.87	5822.77	5873.64	37022.03	8.92%
6 महीने-12 महीने	6-12 months	19377.64	378.42	7919.82	27675.88	1393.43	239.67	1633.10	0.00	6293.47	6293.47	35602.45	8.58%
1 वर्ष-3 वर्ष	1-3 years	78154.92	987.66	16357.23	95499.81	12170.52	657.75	12828.27	104.54	79.15	183.69	108511.76	26.15%
3 वर्ष-5 वर्ष	3-5 years	20235.90	0.00	10819.14	31055.04	9320.52	1272.73	10593.25	0.00	30.26	30.26	41678.54	10.05%
5 वर्ष से अधिक	Over 5 years	39276.61	0.00	3835.54	43112.15	47488.34	1036.14	48524.47	0.00	233.75	233.75	91870.37	22.14%
कुल	TOTAL	196492.14	5583.25	85301.90	287377.29	79264.99	3944.41	83209.40	5213.37	39109.07	44322.44	414909.13	100.00%

नोट : इस आंकड़े में हमारी अपनी शाखाओं के पास मौजूद विदेशी मुद्रा निधियां, जोकि तुलनपत्र अंतर कार्यालय समायोजन का भाग होती है, शामिल नहीं हैं.

NOTE: * This figure excludes the foreign currency funds with our own branches which forms a part of Inter Office Adjustment in Balance Sheet

छ. गैर निष्पादक अग्रिमों एवं निवेशों के बारे में प्रकटीकरण

g. Disclosures in respect of Non Performing Advances and Investments

क्रमांक Sr. No.	आस्ति श्रेणी	Asset Category	राशि करोड़ ₹ में Amount in ₹ Crores
i	एनपीए (सकल)	i NPAs (Gross):	4464.75
	अवमानक	Substandard	2661.82
	संदिग्ध 1	Doubtful 1	664.60
	संदिग्ध 2	Doubtful 2	531.01
	संदिग्ध 3	Doubtful 3	123.10
	हानि	Loss	484.22



क्रमांक Sr. No.	आस्ति श्रेणी	Asset Category	राशि करोड़ ₹ में Amount in ₹ Crores
ii	शुद्ध एनपीए	ii Net NPAs	
	कुल	Total	1543.64
iii	एनपीए अनुपात	iii NPA Ratios	
	सकल अग्रिमों में सकल एनपीए	Gross NPAs to gross advances	1.53%
	निवल अग्रिम में निवल एनपीए	Net NPAs to net advances	0.54%
iv	एनपीए (सकल) का मूवमेंट	iv Movement of NPA(Gross)	
	प्रारंभिक शेष	Opening balance	3152.50
	जोड़	Additions	3443.31
	घटाव	Reductions	2131.06
	अन्तिम शेष	Closing balance	4464.75
v	एनपीए के लिए प्रावधान का मूवमेंट	v Movement of provisions for NPAs	
	प्रारंभिक शेष	Opening balance	2361.62
	वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	Provisions made during the year	1836.42
	बढ़े खाते/अधिक प्रावधान का पुनरांकन	Write off/ Write back of excess provision	1276.93
	अन्तिम शेष	Closing balance	2921.11
vi	गैर निष्पादक निवेश	vi Non Performing Investments	
	गैर निष्पादक निवेश की राशि	Amount of Non-Performing Investments	339.55
	गैर निष्पादक निवेश के लिए रखे गये प्रावधान की राशि	Amount of provisions held for non-performing investment	291.34
vii	वर्ष के दौरान निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधानों का मूवमेंट	vii Movement of provisions for depreciation on investments during the year	
	प्रारंभिक शेष	Opening balance	479.53
	अवधि के दौरान किया गया प्रावधान	Provisions made during the period	*364.20
	पुनरांकन	Write-back	141.80
	अन्तिम शेष	Closing balance	701.93

* रु. 21.96 करोड़ के विनिमय उतार-चढ़ाव को अन्तर्राष्ट्रीय एक्सपोजर के लिए समायोजित किया गया है।

*Exchange fluctuation of Rs. 21.96 cr has been adjusted for international exposure.

V. ऋण जोखिम : मानकीकृत पद्धति के तहत पोर्टफोलियो हेतु प्रकटीकरण

मानकीकृत पद्धति के तहत बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित सभी ईसीएआई (बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्थान) यथा सीएआरई, क्रिसिल, फिच (इंडिया), और आइसीआरए की घरेलू ऋण एक्सपोजर हेतु रेटिंग को स्वीकार करता है। विदेशी ऋण एक्सपोजर के लिए बैंक स्टेण्डर्ड एवं पूअर, मूडी, तथा फिच की रेटिंग स्वीकार करता है।

बैंक कार्पोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान के उधारकर्ताओं को ईसीएआई से रेटिंग लेने को प्रोत्साहित करता है और जहाँ कहीं ऐसी रेटिंग उपलब्ध है, वहाँ जोखिम पर आस्तियों की गणना के लिए इन रेटिंगों का उपयोग किया है। निम्नलिखित तीन प्रमुख जोखिम समूहों में मानकीकृत पद्धति (मूल्यांकित और गैर मूल्यांकित) के अनुसार जोखिम कम करने के पश्चात, जोखिम राशियाँ इस प्रकार हैं।

V. Credit risk : Disclosures for portfolios subject to the standardised approach

Under Standardized Approach the bank accepts rating of all RBI approved ECAI (External Credit Assessment Institution) namely CARE, CRISIL, Fitch (India), , ICRA and Brickwork India Pvt Ltd for domestic credit exposures. For overseas credit exposures the bank accepts rating of Standard & Poor, Moody's and Fitch.

The bank encourages Corporate and Public Sector Entity (PSE) borrowers to solicit credit ratings from ECAI and has used these ratings for calculating risk weighted assets wherever such ratings are available. The exposure amounts after risk mitigation subject to Standardized Approach (rated and unrated) in the following three major risk buckets are as under:

जोखिम भार की श्रेणी	Category of Risk Weight	कुल/Total
100% जोखिम भार से कम	Below 100% risk weight	189250.86
100% जोखिम भार	100% risk weight	110400.37
100% जोखिम भार से अधिक	More than 100 % risk weight	18366.75
कुल सीआरएम कटौती	CRM DEDUCTED	24017.35
कुल एक्सपोजर (एफ बी+एन एफ बी)	Total Exposure (FB+NFB)	342035.33

VI. अग्रिम जोखिम न्यूनीकरण

क. बैंक अपने उधारकर्ताओं पर एक्सपोजर (निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित) को संरक्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियाँ (जो कि संपार्श्विक रूप में भी हो सकती हैं) प्राप्त करते हैं। बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार कुछ अग्रिम जोखिम न्यून करने के बारे में एक्सपोजर में कमी की नीति को अपनाया है, जहाँ कहीं कार्पोरेट गारंटी अग्रिम जोखिम न्यून करने के रूप में उपलब्ध है, अग्रिम जोखिम उपलब्ध गारंटी की सीमा तक गारंटीदाताओं को अंतरित किया जाता है। सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार की प्रतिभूतियाँ (मुख्य प्रतिभूतियाँ अथवा संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ) ली जाती हैं।

1. स्टॉक, चल मशीनरी इत्यादि जैसी चल अस्तियाँ।
2. भूमि, बिल्डिंग, प्लांट तथा मशीनरी जैसी अचल अस्तियाँ।
3. अनुमोदित सूची के अनुसार शेयर
4. बैंक की स्वाधिकृत जमाराशियाँ।
5. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र, एलआईसी पॉलिसियाँ, केन्द्रीय/राज्य सरकारों आदि द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियाँ इत्यादि
6. ऋण प्रतिभूतियाँ - कतिपय शर्तों के साथ अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी द्वारा रेटिंग प्राप्त
7. ऋण प्रतिभूतियाँ - कतिपय शर्तों के साथ बैंक द्वारा जारी की गई- गैर-रेटिंग प्राप्त
8. म्यूचुअल फंडों की यूनिटें
9. गैर निधि आधारित सुविधाओं के पेटे नकदी मार्जिन.
10. स्वर्ण एवं स्वर्ण आभूषण

बैंक ने, बैंक को प्रभारित प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के संबंध में बेहतर नीति तैयार की है।

बैंक ने ऊपर क्रम संख्या 4 से 10 पर उल्लिखित प्रतिभूतियों को ऋण जोखिम हेतु मानकीकृत पद्धति बासेल-II के अन्तर्गत ऋण जोखिम कमी कारक के रूप में लिया है।

बैंक के ऋण जोखिम के एवज में गारंटीदाताओं के प्रमुख प्रकार निम्नानुसार हैं:

- वैयक्तिक (व्यक्तिगत गारंटियाँ)
- कार्पोरेट्स
- केन्द्रीय सरकार
- राज्य सरकार
- ईसीजीसी
- सीजीटीएमएसई

सीआरएम संपार्श्विक प्रमुखतः बैंक की स्वयं की जमा-राशियों के पेटे ऋणों में और सरकारी प्रतिभूतियों, एलआईसी पॉलिसियों के पेटे ऋणों में

VI. Credit risk mitigation:

a. Bank obtains various types of securities (which may also be termed as collaterals) to secure the exposures (Fund based as well as Non-Fund based) on its borrowers. Bank has adopted reduction of exposure in respect of certain credit risk mitigant, as per RBI guidelines. Wherever corporate guarantee is available as credit risk mitigant, the credit risk is transferred to the guarantor to the extent of guarantee available. Generally following types of securities (whether as primary securities or collateral securities) are taken:

1. Moveable assets like stocks, moveable machinery etc.
2. Immoveable assets like land, building, plant & machinery.
3. Shares as per approved list
4. Bank's own deposits
5. NSCs, KVPs, LIC policies, Securities issued by Central & State Governments etc.
6. Debt securities - rated by approved credit rating agency- with certain conditions
7. Debt securities- not rated- issued by a bank- with certain conditions
8. Units of Mutual funds
9. Cash Margin against Non-fund based facilities
10. Gold and Gold Jewelry.

The bank has well-laid out policy on valuation of securities charged to the bank.

The securities mentioned at Sr. No. 4 to 10 above are recognized as Credit Risk Mitigants under Basel-II standardized approach for credit risk.

The main types of guarantors against the credit risk of the bank are:

- Individuals (Personal guarantees)
- Corporates
- Central Government
- State Government
- ECGC
- CGTMSE

CRM collaterals available in Loans Against Bank's Own Deposit and Loans against Government Securities, LIC Policies constitute a major percentile of total CRM.

CRM securities are also taken in non fund based facilities like Guarantees and Letters of Credit.



उपलब्ध होते हैं अर्थात ये कुल सीआरएम का प्रमुख भाग होते हैं. सीआरएम प्रतिभूतियां, गैर निधि आधारित सुविधाओं जैसे गारंटियों और ऋण-पत्रों में भी ली जाती हैं.

बैंक के एक्सपोजर्स के संबंध में सीआरएम के रूप में उपलब्ध पात्र गारंटियों (बासेल II के अनुसार) में केन्द्रीय/राज्य सरकार, ईसीजीसी, सीजीटीएसआई, काउंटेंट पार्टी की अपेक्षा कम जोखिम भार वाले बैंक व प्राथमिक डीलर तथा अन्य संस्थाएं (मुख्यतः पेरेंट, अनुषंगी तथा संबद्ध कंपनियां) जिन्हें एए (-) या बेहतर रेटिंग दी गई है, शामिल हैं.

ख. प्रत्येक ऋण जोखिम संविभाग के लिए कुल एक्सपोजर, जो कि पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा कवर किया गया है, मार्जिन को लगाने के पश्चात निम्नानुसार है:

Eligible guarantors (as per Basel-II) available as CRM in respect of Bank's exposures are mainly Central/ State Government, ECGC, CGTMSE, Banks & Primary Dealers with a lower risk weight than the counter party AND other entities (mainly parent, subsidiary and affiliate companies) rated AA(-) or better.

b. For each credit risk portfolio, total exposure that is covered by eligible financial collateral, after application of haircut is as under:

राशि करोड़ रुपये में Amount in Cr.

ऋण जोखिम संविभाग	Credit Risk Portfolio	वित्तीय संपार्श्विक (मार्जिन पश्चात्) Financial Collateral (post haircut)
देशी गारंटी	Domestic Sovereign	0.26
विदेशी गारंटी	Foreign Sovereign	0.00
सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयां	Public Sector Entities	2419.09
बैंकों पर दावे	Claims on Banks	186.57
प्राथमिक डीलर	Primary Dealers	0.00
कॉर्पोरेट	Corporates	12892.30
क्षेत्रीय रिटेल संविभाग	Reg Retail Portfolio	7858.32
आवासीय संपत्ति	Residential Property	209.46
वाणिज्यिक रियल इस्टेट	Commercial Real Estate	50.76
विशिष्ट श्रेणियां	Specified Categories	374.35
अन्य आस्तियां	Other Assets	26.24
कुल	TOTAL	24017.35

ग. एक्सपोजरों का विवरण, जोकि गारंटियों द्वारा कवर किए गए हैं, (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत)

c. Details of exposures that are covered by Guarantees (permitted by RBI)

राशि करोड़ रुपये में Amount in Cr.

आस्ति श्रेणी	Asset category	ईसीजीसी ECGC	सीजीटीएसआई CGTMSE	एए रेटेड तथा अधिक Rated AA and above	राज्य सरकार गारंटी Guarantee by State Govt	केन्द्रीय सरकार गारंटी Guarantee by Central Govt
देशी गारंटियां	Domestic Sovereigns	0.00	0.00	0.00	0.00	0
सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां	Public Sector Entity	0.00	0.13	33.27	7660.80	50.01
बैंकों पर दावे	Claims on Banks	0.00	0.00	0.00	0.00	0
कॉर्पोरेट	Corporates	1724.02	3.12	8.91	0.00	0
विनियामक रिटेल संविभाग	Regulatory Retail Portfolio	103.62	757.36	0.00	0.00	0
आवासीय संपत्ति	Residential Property	0.00	0.09	0.00	0.00	0
वाणिज्यिक रियल इस्टेट	Comm. Real Estate	0.00	0.00	0.00	0.00	0
विशिष्ट श्रेणियां	Specified Categories	0.00	0.00	0.00	0.00	0
अन्य आस्तियां	Other Assets	0.00	0.00	0.00	0.00	0
कुल	TOTAL	1827.64	760.70	42.18	7660.80	50.01

VII. प्रतिभूतीकरण

क. बैंक की प्रतिभूति नीति है जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। नीति के अनुसार प्रतिभूत किये जाने वाले संविभाग की प्रकृति रिटेल ऋण (आवास ऋण, ऑटो ऋण, परिसंपत्तियों के पेटे अग्रिम, वैयक्तिक ऋण तथा क्रेडिट कार्ड्स) एसएसआई एवं आधारभूत परियोजना ऋण हैं।

दिनांक 31 मार्च, 2012 को बैंक के पास अपनी आस्तियों को प्रतिभूत करने का कोई मामला नहीं है।

ख. प्रतिभूतीकरण के संबंध में प्रतिधारित एक्सपोजर का कोई मामला नहीं है।

बैंक द्वारा खरीदे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर की राशि निम्नानुसार है:

विदेशी ऋण रेटिंग के अनुसार जोखिम भार श्रेणी	Risk weight category as per external credit rating	बही मूल्य Book value	बैंकिंग बुक के अन्तर्गत रखी गयी राशि Amt held under banking book	जोखिम भार % RW %	जोखिम समायोजित मूल्य Risk adjusted value
एए - क्रिसिल	AAA – CRISIL	44.18	44.18	100	44.18
कुल	Total	44.18	44.18	100	44.18

राशि करोड़ रुपये में Amount in Cr.

ग. बैंक की वर्ष 2012-13 के दौरान अपनी किसी भी मानक आस्तियों का प्रतिभूतिकरण करने की कोई योजना नहीं है।

VIII. व्यापार बही में बाजार जोखिम

बैंक बाजार जोखिम को ऐसी संभाव्य हानि में वर्गीकृत करता है जो बाजार मूल्यों में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण हो सकती है। व्यापार बही में बाजार जोखिम के तहत निम्नलिखित जोखिम प्रबंधित किए जाते हैं:

- ब्याज दर जोखिम
- करेंसी जोखिम
- मूल्य जोखिम

जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक के निदेशक मंडल ने विभिन्न सीमाएं निर्धारित की हैं जैसे सकल निपटान सीमाएं, क्षति रोध सीमाएं, और मूल्य जोखिम सीमा मूल्य आदि। जोखिम सीमाएं, खुली बाजारगत स्थितियों से उत्पन्न जोखिमों को नियंत्रित करती हैं। क्षति रोध हानि सीमा, वसूलीकृत और अवसूलीकृत हानियों में ली जाती है।

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यवसाय संविभाग पर बाजार जोखिम से संबंधित पूंजी प्रभार की गणना करने के लिए एक समुचित पद्धति तैयार की है अर्थात् मानकीकृत अवधि पद्धति। इस प्रकार आकलित पूंजी प्रभार को जोखिम भारित आस्तियों में रूपांतरित किया गया है। ऋण जोखिम के लिए सकल जोखिम भारित आस्तियों, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम को बासेल-II के अन्तर्गत बैंक के सीआरएआर निर्धारण करने के लिए हिसाब में लिया जाता है।

VII. Securitisation

a. The Bank has a Securitization Policy duly approved by its Board. As per the Policy the nature of portfolio to be securitized are retail loans (housing loans, auto loans, and advance against properties, personal loans and credit cards) SSI and Infrastructure projects loans.

The Bank does not have any case of its assets securitised as on 31st March, 2012.

b. There is no case of retained exposure in respect of securitization.

Amount of securitization exposure purchased by the bank is as under:-

c. The bank does not presently plan to securitise any of its standard assets during the year 2012-13.

VIII. Market risk in trading book

The Bank defines market risk as potential loss that the Bank may incur due to adverse developments in market prices. The following risks are managed under Market Risk in trading book:

- Interest Rate Risk
- Currency Risk
- Price risk

To manage risk, Bank's Board has laid down various limits such as Aggregate Settlement limits, Stop loss limits and Value at Risk limits. The risk limits help to check the risks arising from open market positions. The stop loss limit takes in to account realized and unrealized losses.

Bank has put in place a proper system for calculating capital charge on Market Risk on Trading Portfolio as per RBI Guidelines, viz., Standardised Duration Approach. The capital charge thus calculated is converted into Risk Weighted Assets. The aggregate Risk Weighted Assets for credit risk, market risk and operational risk are taken into consideration for calculating the Bank's CRAR under Basel-II.



दिनांक 31 मार्च 2012 को बाजार जोखिम (मानकीकृत अवधि पद्धति के अनुसार) संबंधी पूंजी प्रभार तथा जोखिम वाली आस्तियां निम्नानुसार हैं.

Risk Weighted Assets and Capital Charge on Market Risk (as per Standardised Duration Approach) as on 31st March, 2012 are as under:-

(रु. करोड़ में Rs. in Cr.)

	जोखिम भार आस्तियां RWAs	9% पर न्यूनतम पूंजी प्रभार Minimum Capital Charge at 9%
ब्याज दर जोखिम	Interest Rate Risk	6372.91
इक्विटी स्थिति जोखिम	Equity Position Risk	5606.00
विदेशी मुद्रा जोखिम	Foreign Exchange Risk	225.00
कुल पूंजी प्रभार	Total Capital Charge	12203.91

IX. परिचालन जोखिम

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक ने परिचालन जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए आधारभूत सूचक पद्धति अपनायी है. मूल पद्धति के अन्तर्गत गत 3 वर्षों की औसत आय को जोखिम भारित आस्ति तक लाने को ध्यान में रखा गया है.

X. बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

ब्याज दर जोखिम को दो पद्धतियों के माध्यम से निर्धारित व मानीटर किया जाता है.

(i) जोखिम पर आय (पारंपरिक अन्तर विश्लेषण) (अल्पावधि)
इस पद्धति के तहत ब्याज दरों में परिवर्तनों का बैंक की शुद्ध ब्याज आय पर पड़ने वाले तत्काल प्रभाव का विश्लेषण किया गया है. जोखिम पर आय को विभिन्न परिदृश्यों में निम्नानुसार विश्लेषित किया गया है.

1. आय रेखा जोखिम : आस्तियों और देयताओं के लिए 1% समानांतर परिवर्तन का अनुमान लगाया गया है.
2. आस्तियों के लिए श्रेणी-वार भिन्न आय परिवर्तनों का अनुमान लगाया गया है और ये देयताओं पर भी लागू होते हैं.
3. ऐतिहासिक प्रवृत्ति के अनुसार आधार जोखिम एवं समाहित विकल्प जोखिम का अनुमान लगाया गया है.

(ii) इक्विटी का आर्थिक मूल्य (अवधि अन्तर विश्लेषण) (दीर्घावधि)
यह कार्य आस्तियों एवं देयताओं की संशोधित अवधि की गणना करके किया जाता है ताकि इक्विटी की संशोधित अवधि का निर्धारण किया जा सके.

- इस पद्धति को आय में दिए परिवर्तन हेतु आय रेखा में समान्तर शिफ्ट माना जाता है.
- इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव को जैसा भारतीय रिजर्व बैंक ने विश्लेषित किया है, नियमित अंतरालों पर 200 आधार अंकीय दर हेतु विश्लेषित किया जाता है.
- संबंधित परिपक्वता के लिए बाजार सहबद्ध आय को संशोधित अवधि की गणना में प्रयुक्त किया जाता है.

बैंकिंग बहियों में बैंक के ब्याज दर जोखिम का विश्लेषण दोनों घरेलू तथा विदेशी परिचालनों के लिए किया जाता है. घरेलू परिचालनों के लिए इक्विटी के आर्थिक मूल्य का आकलन तथा निगरानी तिमाही आधार पर की जाती है.

ख. ब्याज-दरों में 100 आधार अंकीय मूवमेंट के पेटे बैंक की शुद्ध ब्याज आय पर शुद्ध प्रभाव घरेलू परिचालकों के लिए रु. 185.22 करोड़ है (रुपया संसाधन एवं परियोजन) जबकि अन्तर्राष्ट्रीय परिचालनों के लिए यह 92.66 करोड़ रुपए है.

IX. Operational risk

In line with RBI guidelines, Bank has adopted the Basic Indicator Approach to compute the capital requirements for Operational Risk. Under Basic Indicator Approach, average income of last 3 years is taken into consideration for arriving at Risk Weighted Assets.

X. Interest rate risk in the banking book (IRRBB)

a. The interest rate risk is measured and monitored through two approaches:

(i) Earning at Risk (Traditional Gap Analysis) (Short Term):

The immediate impact of the changes in the interest rates on net interest income of the bank is analysed under this approach.

The Earning at Risk is analysed under different scenarios:

1. Yield curve risk: A parallel shift of 1% is assumed for assets as well as liabilities.
2. Bucket wise different yield changes are assumed for the assets and the same are applied to the liabilities as well.
3. Basis risk and embedded option risk are assumed as per historical trend

(ii) Economic Value of Equity (Duration Gap Analysis) (Long term)

Modified duration of assets and liabilities is computed separately to finally arrive at the modified duration of equity.

- This approach assumes parallel shift in the yield curve for a given change in the yield.
- Impact on the Economic Value of Equity is also analysed for a 200 bps rate shock as required by RBI.
- Market linked yields for respective maturities are used in the calculation of the Modified Duration.

The analysis of bank's Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB) is done for both the Domestic as well as Overseas Operations. The Economic value of equity for Domestic Operations is measured and monitored on a quarterly basis.

b. The net impact on Net Interest Income (NII) of the bank against 100 bps change in interest rates is Rs 185.22 Crore in the Domestic Operations (Rupee resources and deployment) and Rs. 92.66 Crore in International Operations.



महत्वपूर्ण वित्तीय सूचक Key Financial Indicators

क्र.सं. S.No.	विवरण Particulars	प्रतिशत में (In Percentage)	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2012
1	ब्याज आय / औसत कार्यशील निधियां (एडब्ल्यूएफ) Interest Income / Average Working Funds (AWF)		7.78%	6.86%	6.97%	7.58%
2	ब्याज व्यय / एडब्ल्यूएफ Interest expenses / AWF		5.14%	4.42%	4.16%	4.95%
3	शुद्ध ब्याज मार्जिन Net Interest Margin (NIM)		2.91%	2.74%	3.12%	2.97%
4	ब्याज विस्तार / एडब्ल्यूएफ Interest spread / AWF		2.64%	2.44%	2.80%	2.64%
5	गैर-ब्याज आय / एडब्ल्यूएफ Non-Interest Income / AWF		1.42%	1.15%	0.89%	0.87%
6	परिचालन व्यय / एडब्ल्यूएफ Operating expenses / AWF		1.84%	1.56%	1.47%	1.32%
7	लागत-आय अनुपात Cost Income Ratio		45.38%	43.57%	39.87%	37.55%
8	सकल (परिचालन) लाभ / एडब्ल्यूएफ Gross (Operating) profit / AWF		2.22%	2.03%	2.22%	2.19%
9	शुद्ध लाभ / एडब्ल्यूएफ Net profit / AWF		1.15%	1.26%	1.35%	1.28%
10	शुद्ध मालियत पर प्रतिलाभ Return on Net Worth		19.48%	22.19%	21.42%	19.11%
11	आस्तियों पर प्रतिलाभ Return on Assets		0.98%	1.10%	1.18%	1.12%
12	औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ Return on Average Assets		1.10%	1.21%	1.33%	1.24%
13	अग्रिमों पर प्रतिफल Yield on Advances		9.50%	8.55%	8.48%	9.39%
14	जमा राशियों की लागत Cost of Deposits		5.71%	4.90%	4.56%	5.62%
15	लाभांश भुगतान अनुपात (कारपोरेट लाभांश कर सहित) Dividend payout Ratio (including Corporate Dividend Tax)		17.22%	20.90%	17.76%	16.22%
16	ऋण - जमा अनुपात Credit -- Deposit Ratio		81.94%	84.47%	86.77%	86.86%
17	ऋण + गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश (अनुषंगी इकाइयों में निवेश को छोड़कर) - जमा अनुपात Credit + Non SLR Investment (excluding Investments in Subsidiaries) -- Deposit Ratio		87.44%	88.74%	90.29%	90.36%
18	पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बासेल I) Capital Adequacy Ratio (BASEL I)		12.88%	12.84%	13.02%	12.95%
	टीयर Tier - I		7.79%	8.22%	8.96%	9.56%
	टीयर Tier - II		5.09%	4.62%	4.06%	3.39%
19	पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बासेल II) Capital Adequacy Ratio (BASEL II)		14.05%	14.36%	14.52%	14.67%
	टीयर Tier - I		8.49%	9.20%	9.99%	10.83%
	टीयर Tier - II		5.56%	5.16%	4.53%	3.84%



क्र.सं. S.No.	विवरण Particulars	प्रतिशत में (In Percentage)	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2011	31.03.2012
1	कर्मचारी (संख्या) Employees (number)		36838	38960	40046	42175
2	शाखाएं (संख्या) Branches (number)		2974	3148	3418	3959
3	प्रति कर्मचारी व्यवसाय (रु.करोड़ में) Business per employee (Rs. in crore)		8.63	9.81	12.29	14.66
4	प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय (रु.करोड़ में) Average Business per employee (Rs in crore)		7.57	8.94	11.26	13.15
5	प्रति कर्मचारी सकल लाभ (रु.लाखों में) Gross Profit per employee (Rs. in lakhs)		11.69	12.67	17.43	20.35
6	प्रति कर्मचारी निवल लाभ (रु. लाखों में) Net Profit per employee (Rs. in lakhs)		6.05	7.85	10.59	11.87
7	प्रति शाखा व्यवसाय (रु.करोड़ में) Business per branch (Rs. in crore)		112.86	132.24	156.27	169.80
8	प्रति शाखा सकल लाभ (रु.करोड़ में) Gross Profit per branch (Rs. in crore)		1.45	1.57	2.04	2.17
9	प्रति शाखा शुद्ध लाभ (रु.करोड़ में) Net Profit per branch (Rs. in crore)		0.75	0.97	1.24	1.26
10	प्रति शेयर आय (रुपयों में) Earnings per share (Rupees)		61.14	83.96	116.37	127.84
11	प्रति शेयर बहीमूल्य (रुपयों में) Book Value per share (Rupees)		313.82	378.44	505.71	637.37

स्रोत: विभिन्न वर्षों की वार्षिक रिपोर्टें (जहां उचित लगा, पिछले वर्षों के आंकड़ों को पुनर्समूहीकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है)

Source: Annual Reports of various years. (previous year's figures are regrouped and reclassified, where appropriate)



परिभाषाएं / Definitions

औसत कार्यशील निधियां (एडब्ल्यूएफ)	: कुल आस्तियों का पाक्षिक औसत;	Average Working Funds (AWF)	: Fortnightly Average of Total Assets
औसत जमाराशियां	: कुल जमाराशियों का पाक्षिक औसत;	Average Deposits	: Fortnightly Average of Total Deposits
औसत अग्रिम	: कुल अग्रिमों का पाक्षिक औसत;	Average Advances	: Fortnightly Average of Total Advances
औसत व्यवसाय	: औसत जमाराशियों और औसत अग्रिमों का योग;	Average Business	: Total of Average Deposits Plus Average Advances
औसत निवेश	: कुल निवेश का पाक्षिक औसत;	Average Investments	: Fortnightly Average of Total Investments
ब्याज आय/(एडब्ल्यूएफ)	: कुल ब्याज आय का औसत कार्यशील निधियों से विभाजन;	Interest Income/AWF	: Total Interest Income Divided by AWF
ब्याज व्यय/एडब्ल्यूएफ	: कुल ब्याज व्यय भाग दें एडब्ल्यूएफ;	Interest expenses/AWF	: Total Interest Expenses Divided by AWF
ब्याज विस्तार/एडब्ल्यूएफ	: (कुल ब्याज आय घटाएं : कुल ब्याज व्यय) एडब्ल्यूएफ से विभाजित करें;	Interest Spread/AWF	: (Total Interest Income minus Total Interest Expenses) Divided by AWF
गैरब्याज आय/एडब्ल्यूएफ	: कुल गैर ब्याज आय विभाजित करें औसत कार्य निधि से;	Non-Interest Income/AWF	: Total Non-Interest Income Divided by AWF
परिचालन व्यय	: कुल खर्च घटाएं ब्याज खर्च	Operating Expenses	: Total Expenses minus Interest Expenses
परिचालन व्यय/एडब्ल्यूएफ	: कुल परिचालन व्यय विभाजित करें औसत कार्यशील निधि से;	Operating Expenses/AWF	: Operating Expenses Divided by AWF
लागत आय अनुपात	: परिचालन व्यय विभाजित करें (गैरब्याज आय + ब्याज स्प्रेड) से;	Cost Income Ratio	: Operating Expenses Divided by (Non Interest Income plus Interest Spread)
सकल (परिचालन) लाभ/एडब्ल्यूएफ	: परिचालन लाभ विभाजित करें एडब्ल्यूएफ से;	Gross (Operating) Profit/AWF	: Operating Profit divided by AWF
शुद्ध लाभ/एडब्ल्यूएफ	: शुद्ध लाभ विभाजित करें एडब्ल्यूएफ;	Net Profit/AWF	: Net Profit Divided by AWF
शुद्ध मालियत पर प्रतिलाभ	: शुद्ध लाभ विभाजित करें शुद्ध मालियत (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि को छोड़कर);	Return on Net Worth	: Net Profit Divided by Net Worth (excluding Revaluation Reserves)
आस्तियों पर प्रतिलाभ	: शुद्ध लाभ विभाजित करें कुल आस्तियों से;	Return on Assets	: Net Profit Divided by Total Assets
औसत आस्तियों पर प्रतिलाभ	: शुद्ध लाभ विभाजित करें एडब्ल्यूएफ से;	Return on Average Assets	: Net Profit Divided by AWF
अग्रिमों पर प्रतिफल	: अग्रिमों पर अर्जित ब्याज विभाजित करें औसत अग्रिम से;	Yield on Advances	: Interest Earned on Advances Divided by Average Advances
जमाराशियों की लागत	: जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज विभाजित करें औसत जमाराशियों से;	Cost of Deposits	: Interest paid on Deposits Divided by Average Deposits
लाभांश भुगतान अनुपात (कारपोरेट लाभांश कर सहित)	: लाभांश, कारपोरेट लाभांश कर सहित; विभाजित करें शुद्ध लाभ से;	Dividend Payout Ratio (including Corporate Dividend Tax)	: Dividend including Corporate Dividend Tax Divided by Net Profit
ऋण जमा अनुपात	: कुल अग्रिम विभाजित करें ग्राहकों की जमाराशियां (अर्थात कुल जमाराशियां - घटायें अंतर बैंक जमा राशियां)	Credit - Deposit Ratio	: Total Advances Divided by Customer Deposits (i.e., Total Deposits minus Inter Bank Deposits)
ऋण + गैर सांविधिक तरलता अनुपात निवेश (अनुषंगी इकाइयों में निवेश को छोड़कर) जमाराशि - अनुपात;	: (कुल अग्रिम + गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश - घटायें अनुषंगी इकाइयों में निवेश) विभाजित करें ग्राहकों की जमाओं से;	Credit + Non SLR Investments (excluding Investments in Subsidiaries) - Deposit Ratio	: (Total Advances Plus Non-SLR Investments minus Investments in Subsidiaries) Divided by Customer Deposits
प्रति कर्मचारी व्यवसाय	: समय जमाराशियां + कुल अग्रिम विभाजित करें, कुल कर्मचारियों की संख्या से	Business Per Employee	: Aggregate Deposits plus Total Advances Divided by Total No. of Employees
प्रति कर्मचारी औसत व्यवसाय	: औसत जमाराशियां औसत अग्रिम/विभाजित करें कुल कर्मचारी संख्या से	Average Business Per Employee	: Average Deposits plus Average Advances divided by Total No. of Employees
प्रति कर्मचारी सकल लाभ	: सकल लाभ को विभाजित करें, कुल कर्मचारी संख्या से;	Gross Profit Per Employee	: Gross Profit Divided by Total No. of Employees
प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ	: शुद्ध लाभ को विभाजित करें कर्मचारियों की संख्या से;	Net Profit Per Employee	: Net Profit Divided by total No. of Employees
प्रति शाखा कारोबार	: कुल जमाराशियां + कुल अग्रिम को विभाजित करें शाखाओं की संख्या से;	Business Per Branch	: Total Deposits plus Total Advances divided by No. of Branches
प्रति शाखा सकल लाभ	: सकल लाभ को विभाजित करें शाखाओं की संख्या से;	Gross Profit per Branch	: Gross Profit Divided by No. of Branches
प्रति शाखा शुद्ध लाभ	: शुद्ध लाभ विभाजित करें शाखाओं की संख्या से;	Net Profit per Branch	: Net Profit Divided by No. of Branches
प्रति शेयर आय	: शुद्ध लाभ को विभाजित करें इक्विटी से X दस;	Earnings Per Share	: Net Profit divided by Equity Multiplied by Ten
प्रति शेयर बही मूल्य	: शुद्ध मालियत (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित राशि को छोड़कर) को विभाजित करें इक्विटी से X दस.	Book Value Per Share	: Net Worth (excluding Revaluation Reserves) divided by Equity Multiplied by Ten.



31 मार्च 2012 का तुलन-पत्र
Balance Sheet as on 31st March, 2012



31 मार्च, 2012 का तुलन-पत्र
Balance Sheet as on 31st March, 2012

(000's अनंकित omitted)

	अनुसूची SCHEDULE	31 मार्च 2012 को As on 31st Mar, 2012 ₹	31 मार्च 2011 को As on 31st Mar, 2011 ₹	
पूंजी और देयताएं	CAPITAL & LIABILITIES			
पूंजी	Capital	1	412,38,46	392,80,73
प्रारक्षित निधियां और अधिशेष	Reserves and Surplus	2	27064,46,61	20650,72,58
जमाराशियां	Deposits	3	384871,10,59	305439,48,19
उधार ली गई राशियां	Borrowings	4	23573,05,12	22307,85,48
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other Liabilities and Provisions	5	11400,45,92	9606,30,56
जोड़	T O T A L		<u>447321,46,70</u>	<u>358397,17,54</u>
आस्तियां	ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष रकम	Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	21651,45,96	19868,17,89
बैंकों के पास शेष रकम तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice		42517,08,16	30065,88,89
निवेश	Investments	7	83209,40,01	71396,59,21
अग्रिम	Advances	8	287377,29,35	228676,36,09
अचल आस्तियां	Fixed Assets	9	2341,50,20	2299,71,83
अन्य आस्तियां	Other Assets	10	10224,73,02	6090,43,63
जोड़	T O T A L	11	<u>447321,46,70</u>	<u>358397,17,54</u>
आकस्मिक देयताएं	Contingent Liabilities	12	152502,81,31	127163,87,03
वसूली के लिए बिल	Bills for Collection		22766,99,37	18844,71,94
उल्लेखनीय लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies	17		
लेखों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts	18		
ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां तुलन-पत्र का एक अभिन्न भाग हैं। The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.				

श्री एम. डी. मल्या
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री आर. के. बक्षी
कार्यकारी निदेशक
श्री एन. एस. श्रीनाथ
कार्यकारी निदेशक
श्री वी. के. गुप्ता
महाप्रबंधक
(कार्पोरेट खाते एवं कराधान
एवं मुविअ)
श्री बी. इलेगो
सहा. महाप्रबंधक
(कार्पोरेट खाते एवं कराधान)
स्थान : मुंबई,
दिनांक : 04.05.2012

निदेशक

श्री आलोक निगम
श्री विनिल कुमार सक्सेना
श्री अजय माथुर
श्री सत्य देव त्रिपाठी
श्री सुरेंद्र एस भंडारी
श्री सुरेशचन सेन
श्री वी. बी. चव्हाण
डॉ. (श्रीमती) मसरत शाहिद
श्री मौलिन ए. वैष्णव
श्री राजीव एस साहू

लेखा परीक्षक

सम तारीख की हमारी संलग्न पृथक रिपोर्ट के अनुसार

कृते खिमजी कुंवरजी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 105146 डब्ल्यू

(गौतम वी शाह)
भागीदार
एम. नं.: 117348

कृते रे एण्ड रे
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 301072 ई

(ए. एन. येन्नेमादी)
भागीदार
एम. नं.: 031004

कृते ब्रह्मय्या एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 000511 एस

(जितेंद्र कुमार)
भागीदार
एम. नं.: 201825

कृते एनबीएस एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 110100 डब्ल्यू

(एन. बी. शेड्डी)
भागीदार
एम. नं.: 16718

कृते एस के. मित्तल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 001135 एन

(गौरव मित्तल)
भागीदार
एम. नं.: 99387

कृते लक्ष्मीनिवास नीथ एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 002460 एस

(लक्ष्मीनिवास शर्मा)
भागीदार
एम. नं.: 014244



31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष का लाभ व हानि लेखा
Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2012

(000's अनंकित omitted)

	अनुसूची SCHED- ULE	31 मार्च 2012 को Year ended 31st March 2012 ₹	31 मार्च 2011 को Year ended 31st March 2010 ₹
I. आय	INCOME		
अर्जित ब्याज	Interest Earned	13	29673,72,42
अन्य आय	Other Income	14	3422,32,82
जोड़	TOTAL		33096,05,24
II. व्यय	EXPENDITURE		
खर्च किया गया ब्याज	Interest Expended	15	19356,71,23
परिचालन व्यय	Operating Expenses	16	5158,71,73
प्रावधान और आकस्मिक व्यय	Provisions and Contingencies	18 (A-4.1)	3573,66,66
जोड़	TOTAL		28089,09,62
III. लाभ	PROFIT		
वर्ष का शुद्ध लाभ	Net Profit for the year		5006,95,62
विनियोजन हेतु उपलब्ध राशि	Available for Appropriation		5006,95,62
विनियोजन	Appropriations		
निम्नलिखित में अन्तरण :	Transfer to :		
क) सांविधिक प्रारक्षित निधि	a) Statutory Reserve		1251,73,91
ख) पूंजीगत प्रारक्षित निधि	b) Capital Reserve		22,39,86
ग) राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां	c) Revenue and Other Reserves		
I) सामान्य प्रारक्षित निधि	I) General Reserve		2453,86,08
II) धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित	II) Special Reserve u/s 36 (1) (viii)		533,84,66
III) सांविधिक प्रारक्षित निधि (विदेशी)	III) Statutory Reserve (Foreign)		1,55,80
घ) प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर सहित)	d) Proposed Dividend (including Dividend Tax)		812,29,04
ङ) निवेश प्रारक्षित खाता	e) Investment Reserve Account		(68,73,73)
जोड़	TOTAL		5006,95,62
प्रति शेयर मूल एवं न्यून अर्जन (₹)	Basic & Diluted Earnings per Share (₹)	18 (B-5)	127.84
उल्लेखनीय लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies	17	
(सांकेतिक मूल्य प्रति शेयर ₹10)	(Nominal value per share ₹10)		
लेखों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts	18	
ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां लाभ व हानि लेखे का अभिन्न भाग हैं.	The Schedules referred to above form an integral part of the Profit & Loss Account.		

Shri M. D. Mallya
Chairman & Managing Director
Shri R. K. Bakshi
Executive Director
Shri N. S. Srinath
Executive Director
Shri V K Gupta
General Manager
Corp A/cs & Taxation and CFO
Shri B Elango
Asst. General Manager
Corporate A/cs & Taxation

DIRECTORS
Shri Alok Nigam
Shri Vinil Kumar Saxena
Shri Ajay Mathur
Shri Satya Dev Tripathi
Shri Surendra S Bhandari
Shri Sudarshan Sen
Shri V B Chavan
Dr (Smt) Masarrat Shahid
Shri Maulin A Vaishnav
Shri Rajib S Sahoo

AUDITORS
As per our separate report of even date attached
For Khimji Kunverji & Co Chartered Accountants FRN: 105146W
(Gautam V Shah) Partner M No. 117348
For Ray & Ray Chartered Accountants FRN: 301072E
(A. N. Yennemadi) Partner M No. 031004
For Brahmayya & Co Chartered Accountants FRN: 000511S
(Jitendra Kumar) Partner M No. 201825
For For N B S & Co Chartered Accountants FRN: 110100W
(N. B. Shetty) Partner M No. 16718
For S K Mittal & Co Chartered Accountants FRN: 001135N
(Gaurav Mittal) Partner M No. 99387
For Laxminiwas Neeth & Co Chartered Accountants FRN: 002460S
(Laxminiwas Sharma) Partner M No. 014244

Place : Mumbai
Date: 04.05.2012



तुलन-पत्र की अनुसूचियां Schedules to Balance Sheet

(000's अनंकित omitted)

	31 मार्च, 2012 को As on 31 st Mar, 2012		31 मार्च, 2011 को As on 31 st Mar, 2011	
	₹	₹	₹	₹
अनुसूची -1 पूंजी	SCHEDULE - 1 CAPITAL			
प्राधिकृत पूंजी	AUTHORISED CAPITAL			
प्रति ₹ 10/- के 300,00,00,000 शेयर (पिछले वर्ष 300,00,00,000/- प्रति शेयर ₹ 10/- के)	300,00,00,000 Shares of ₹10/- each (previous year 300,00,00,000/- shares of ₹10/- each)		3000,00,00	3000,00,00
निर्गमित तथा अभिदत्त पूंजी	ISSUED AND SUBSCRIBED CAPITAL			
प्रति ₹ 10/- के 41,38,56,883 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 39,42,79,579 इक्विटी शेयर प्रति ₹ 10/- के)	41,38,56,883 Equity Shares of ₹10/- each (previous year 39,42,79,579 equity shares of ₹10/- each)		413,85,69	394,27,96
मांगी गई पूंजी एवं प्रदत्त पूंजी	CALLED-UP & PAID-UP CAPITAL			
प्रति ₹ 10/- के 41,11,23,383 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 39,15,46,079 शेयर) जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा धारित कुल ₹ 223.28 करोड़ राशि के 22,32,79,579 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 22,32,79,579 शेयर) शामिल है.	41,11,23,383 (Previous Year 39,15,46,079) Equity Shares of ₹10 each including 22,32,79,579 Equity Shares (Previous year 22,32,79,579 Shares) amounting to ₹223.28 crores held by Central Government		411,12,34	391,54,61
जोड़ें : जब्त किए गए शेयर	Add : Forfeited Shares		1,26,12	1,26,12
जोड़	Total		412,38,46	392,80,73
अनुसूची-2	SCHEDULE - 2			
प्रारक्षित निधियां और अधिशेष	RESERVES & SURPLUS			
I सांविधिक प्रारक्षित निधियां	I Statutory Reserves			
प्रारम्भिक शेष	Opening Balance		4612,17,42	3551,75,43
अवधि के दौरान परिवर्धन	Additions during the Year		1251,73,91	5863,91,33
II प्रारक्षित पूंजी (₹ 1173.68 करोड़ की पुनर्मूल्यांकित प्रारक्षित निधि सहित (पिछले वर्ष ₹ 1242.49 करोड़))	II Capital Reserves (including Revaluation Reserve of ₹1173.68 crores (previous years ₹1242.49 crores))			
प्रारम्भिक शेष	Opening Balance		2021,30,70	2079,07,35
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year		22,39,86	20,99,56
अन्य समायोजन	Other Adjustments		7,63,41	79,05
			2051,33,97	2100,85,96
कटौतियां :	Deductions:			
लाभ-हानि खाते में अंतरित पुनर्मूल्यांकित अचल आस्तियों पर मूल्य हास	Depreciation on revalued fixed assets transferred to Profit & Loss account		(76,44,38)	1974,89,59
III शेयर प्रीमियम	III Share Premium			
प्रारम्भिक शेष	Opening Balance		4707,60,59	2273,88,56
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year		1625,11,20	6332,71,79
			2433,72,03	4707,60,59



(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2012 को As on 31 st Mar, 2012		31 मार्च, 2011 को As on 31 st Mar, 2011	
		₹	₹	₹	₹
अनुसूची-2 प्रारक्षित निधियां और अधिशेष (जारी)					
SCHEDULE - 2 RESERVES & SURPLUS (Contd.)					
IV	राजस्व और अन्य प्रारक्षित / निधियां	IV	Revenue & Other Reserves		
	क) सांविधिक प्रारक्षित निधियां (विदेशी)	a)	Statutory Reserve (Foreign)		
	प्रारंभिक शेष		Opening Balance	89,21,65	85,55,83
	वर्ष के दौरान परिवर्धन		Additions during the year	1,55,80	2,46,92
	अन्य समायोजन		Other Adjustments	11,84,40	1,18,90
				102,61,85	89,21,65
	ख) आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष प्रारक्षित निधियां	b)	Special Reserve u/s 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961		
	प्रारंभिक शेष		Opening Balance	1025,39,00	690,00,00
	जोड़ें : वर्ष के दौरान परिवर्धन		Add: Additions during the year	533,84,66	335,39,00
				1559,23,66	1025,39,00
	ग. विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियां	c)	Foreign Currency Translation Reserve		
	प्रारंभिक शेष		Opening Balance	49,35,70	(13,43,51)
	वर्ष के दौरान परिवर्धन		Additions during the year	647,22,44	62,79,21
				696,58,14	49,35,70
	घ. प्रारक्षित निवेश खाता	d)	Investment Reserve Account		
	प्रारंभिक शेष		Opening Balance	68,73,73	-
	अन्य प्रारक्षित निधि से अंतरण		Transferred from Other Reserve	-	100,13,99
	लाभ-हानि विनियोजन खाते में अंतरण		Transferred to P&L Appropriation A/c.	(68,73,73)	(31,40,26)
				-	68,73,73
	ड. अन्य प्रारक्षित निधियां	e)	Other Reserves		
	प्रारंभिक शेष		Opening Balance	8076,93,79	6074,01,84
	प्रारक्षित निवेश खाते को अन्तरित		Transferred to Investment Reserve Account	-	(100,13,99)
	वर्ष के दौरान परिवर्धन		Additions during the year	2453,86,08	2100,45,56
	वर्ष के दौरान समायोजन		Adjustments during the year	3,70,38	2,60,38
				10534,50,25	8076,93,79
	जोड़ - IV (क, ख, ग, घ और ड)		TOTAL - IV (a, b, c, d & e)	12892,93,90	9309,63,87
	जोड़ (I से IV)		TOTAL (I to IV)	27064,46,61	20650,72,58



(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2012 को As on 31 st Mar, 2012		31 मार्च, 2011 को As on 31 st Mar, 2011	
		₹	₹	₹	₹
अनुसूची-3 जमाराशियां		SCHEDULE - 3 DEPOSITS			
क. I मांग-जमाराशियां	A. I Demand Deposits				
i) बैंकों से	i) From Banks	1124,43,94		875,98,04	
ii) अन्य से	ii) From Others	27819,92,29	28944,36,23	22258,68,51	23134,66,55
II बचत बैंक जमाराशियां	II Savings Bank Deposits		74579,52,82		64454,03,09
III मीयादी जमाराशियां	III Term Deposits				
i) बैंकों से	i) From Banks	52907,06,49		41032,90,53	
ii) अन्य से	ii) From Others	228440,15,05	281347,21,54	176817,88,02	217850,78,55
जोड़ (I से III)	TOTAL (I to III)		384871,10,59		305439,48,19
ख. I भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां	B. I Deposits of branches in India	280135,25,38		233323,30,01	
II भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां	II Deposits of branches outside India	104735,85,21		72116,18,18	
जोड़ (I और II)	TOTAL (I & II)	384871,10,59		305439,48,19	
अनुसूची - 4 उधार ली गयी राशियां		SCHEDULE - 4 BORROWINGS			
I. भारत में उधार ली गयी राशियां	I. Borrowings in India				
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	i) Reserve Bank of India	-		350,00,00	
ii) अन्य बैंक	ii) Other Banks	168,00,19		114,48,74	
iii) अन्य संस्थान एवं एजेंसियां	iii) Other Institutions and Agencies	410,20,99		471,56,24	
iv) नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आईपीडीआई)	iv) Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	1911,70,00		1911,70,00	
v) बांडों के रूप में जारी हाय ब्रिड ऋण पूंजी	v) Hybrid Debt Capital Instruments issued as bonds	5000,00,00		5000,00,00	
vi) गौण बांड	v) Subordinated Bonds	2490,00,00		2490,00,00	
जोड़ (i to iv)	TOTAL (i to vi)		9979,91,18		10337,74,98
II. भारत के बाहर उधार ली गयी राशियां (₹ 1526.25 करोड़ के एमटीएन बांड सहित) (पिछले वर्ष ₹ 1337.88 करोड़)	II. Borrowings outside India (includes MTN Bonds of ₹1526.25 crs (previous year ₹1337.88 crs))		13593,13,94		11970,10,50
जोड़ - उधार ली गई राशियां (I एवं II)	Total - Borrowings (I & II)		23573,05,12		22307,85,48
उपरोक्त में शामिल जमानती उधार राशियां	Secured Borrowings included in above		523,16,34		71,56,24



(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2012 को As on 31 st Mar, 2012		31 मार्च, 2011 को As on 31 st Mar, 2011	
		₹	₹	₹	₹
अनुसूची - 5	SCHEDULE - 5				
अन्य देयताएं और प्रावधान :	OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS				
I देय बिल	I Bills Payable		1366,84,43		1651,81,07
III उपचित ब्याज	II Interest Accrued		2805,96,51		2138,29,54
IV मानक अग्रिमों की एवज में आकस्मिक प्रावधान	III Contingent Provision against Standard Advances		1390,06,06		911,35,00
V अन्य (प्रावधानों सहित)	IV Others (including provisions)		5837,58,92		4904,84,95
जोड़ (I से V)	TOTAL (I to V)		<u>11400,45,92</u>		<u>9606,30,56</u>
अनुसूची - 6	SCHEDULE - 6				
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष	CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA				
I हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	I Cash in hand (including foreign currency notes)		1200,78,63		1357,06,76
II भारतीय रिज़र्व बैंक के पास चालू खाते में शेष राशि	II Balances with Reserve Bank of India in Current Account		20450,67,33		18511,11,13
जोड़ (I और II)	TOTAL (I & II)		<u>21651,45,96</u>		<u>19868,17,89</u>



(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2012 को As on 31 st Mar, 2012		31 मार्च, 2011 को As on 31 st Mar, 2011	
		₹	₹	₹	₹
अनुसूची -7 बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	SCHEDULE - 7 BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL & SHORT NOTICE				
I भारत में	I In India				
i) बैंकों के पास शेष राशि	i) Balances with Banks				
क) चालू खातों में	a) in Current Accounts	254,43,24		247,67,89	
ख) अन्य जमा खातों में	b) in Other Deposit Accounts	3554,22,95	3808,66,19	1519,88,03	1767,55,92
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	ii) Money at call and short notice with				
क) बैंकों के पास	a) Banks	50,00,00		-	
ख) अन्य संस्थानों के पास	b) Other institutions	-	50,00,00	-	-
जोड़ (i और ii)	TOTAL (i and ii)		3858,66,19		1767,55,92
II भारत से बाहर	II Outside India				
i) चालू खातों में	i) in Current Accounts	7773,20,19		4869,00,14	
ii) अन्य जमा खातों में	ii) in Other Deposit Accounts	15668,49,67		11276,17,90	
iii) बैंकों के पास मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	iii) Money at Call and Short Notice with Banks	15216,72,11		12153,14,93	
जोड़ (i, ii और iii)	TOTAL (i, ii and iii)		38658,41,97		28298,32,97
कुल जोड़ (I और II)	GRAND TOTAL (I and II)		42517,08,16		30065,88,89



(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2012 को As on 31 st Mar, 2012		31 मार्च, 2011 को As on 31 st Mar, 2011	
		₹	₹	₹	₹
अनुसूची-8 निवेश	SCHEDULE - 8 INVESTMENTS				
I भारत में निवेश (सकल)	I Investments in India (Gross)	79818,79,65		68137,29,88	
घटायें : मूल्यहास के लिए प्रावधान	Less: Provision for Depreciation	553,80,22		336,96,44	
भारत में शुद्ध निवेश	Net Investments in India	79264,99,43		67800,33,44	
अलग-अलग विवरण	BREAK - UP				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	i) Government Securities	69188,19,52		59424,88,84	
(क्वियरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया में लॉज किए गए ₹386.90 करोड़ के अंकित मूल्य (पिछले वर्ष ₹90.25 करोड़) के ₹395.00 करोड़ सहित (पिछले वर्ष ₹90.00 करोड़) शामिल है [एमसीएक्स के साथ लॉज किए गए ₹19.70 करोड़ के अंकित मूल्य (पिछले वर्ष ₹15.34) के ₹20.30 करोड़ सहित (पिछले वर्ष ₹15.30)] [एनएसई के पास लॉज किए गए ₹24.27 करोड़ अंकित मूल्य (पिछले वर्ष ₹20.06 करोड़) के ₹25.00 करोड़ (पिछले वर्ष ₹20.00 करोड़)] शामिल है [यूएसई में जमा 14.97 करोड़ अंकित मूल्य (पिछले वर्ष ₹5.27 करोड़) के ₹15.25 करोड़ (पिछले वर्ष ₹5.25 करोड़)] शामिल है [सीसीआईएल, एमसीएक्स, एफडब्ल्यूडी में जमा शून्य (पिछले वर्ष ₹5.02 करोड़) के शून्य (पिछले वर्ष ₹5.00 करोड़) अंकित मूल्य शामिल हैं]	[Includes ₹386.90 crores (Previous year ₹90.25 crores) face value of ₹395.00 crores (Previous year ₹90.00 crores) lodged with Clearing Corporation of India] [includes ₹19.70 crores (Previous year ₹ 15.34 crores) face value of ₹20.30 crores (Previous year ₹ 15.30 crores) lodged with MCX] [includes ₹ 24.27 crores (Previous year ₹20.06 crores) face value of ₹25.00 crores (Previous year ₹20.00 crores) lodged with NSE] [includes ₹14.97 crores (Previous year ₹5.27 crores) face value of ₹15.25 crores (Previous year ₹5.25 crores) lodged with USE] [includes NIL (Previous year ₹5.02 crores) face value of NIL (Previous year ₹5.00 crores) lodged with CCIL MCX FWD]				
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	ii) Other Approved Securities	163,26,00		536,27,94	
iii) शेयर	iii) Shares	1459,93,49		1325,16,67	
iv) डिबेंचर और बांड	iv) Debentures and Bonds	2959,98,37		2356,11,49	
v) अनुषंगी इकाइयां और / या संयुक्त उद्यम [इसमें बैंक का, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अग्रिम के रूप में शेयर पूंजी अंशदान पेंडिंग अलाटमेंट ₹112.82 करोड़] (पिछले वर्ष ₹94.62 करोड़) शामिल हैं.]	v) Subsidiaries and/or Joint Ventures [includes Bank's share of contribution as advance of ₹ 112.82 crores (Previous year ₹ 94.62 crores) towards Share Capital of RRBs pending allotment]	697,59,53		863,42,26	
vi) अन्य निवेश (वाणिज्यिक पत्रों, म्यूचुअल फंड की यूनिटें, पास-थ्रू प्रमाण पत्र आदि)	vi) Other Investments (Commercial Papers, Units of Mutual Funds, Pass Through Certificates etc.)	4796,02,52		3294,46,24	
		79264,99,43		67800,33,44	



(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2012 को As on 31 st Mar, 2012		31 मार्च, 2011 को As on 31 st Mar, 2011	
		₹	₹	₹	₹
अनुसूची-8 निवेश (जारी)					
SCHEDULE - 8 INVESTMENTS (contd.)					
II भारत के बाहर निवेश (सकल)	II Investments Outside India (Gross)	4094,48,61		3739,46,94	
घटायें : मूल्यहास के लिए प्रावधान	Less: Provision for Depreciation	150,08,03		143,21,17	
भारत के बाहर शुद्ध निवेश	Net Investments Outside India		3944,40,58		3596,25,77
अलग-अलग विवरण		BREAK - UP			
i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	i) Government Securities (Including Local Authorities)	1059,64,08		916,44,02	
ii) विदेशों में अनुषंगियां और / या संयुक्त उद्यम	ii) Subsidiaries and/or joint ventures abroad	537,34,74		402,54,39	
iii) अन्य निवेश (डिबेंचर, बांड आदि)	iii) Other Investments (Debentures, Bonds etc.)	2347,41,76		2277,27,36	
		3944,40,58		3596,25,77	
जोड़ (I और II)	TOTAL (I and II)		83209,40,01		71396,59,21
अनुसूची-9 अग्रिम		SCHEDULE - 9 ADVANCES			
क. i) खरीदे और भुनाए गए बिल	A. i) Bills Purchased and Discounted	39117,90,23		29689,90,20	
ii) नकद ऋण, ओवर ड्राफ्ट और मांग पर चुकौती योग्य ऋण	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans Repayable on Demand	121401,49,70		97804,86,18	
iii) मीयादी ऋण	iii) Term Loans	126857,89,42		101181,59,71	
जोड़ क (i से iii)	TOTAL A(i to iii)		287377,29,35		228676,36,09
ख. i) मूर्त आस्तियों से प्रतिभूतित (बही-ऋण की एवज में अग्रिमों सहित)	B. i) Secured by Tangible Assets (includes advances against Book Debts)	190080,43,40		145684,45,22	
ii) बैंक/सरकारी गारंटी से रक्षित	ii) Covered by Bank/Government Guarantees	50360,86,29		33889,56,62	
iii) गैर-जमानती	iii) Unsecured	46935,99,66		49102,34,25	
जोड़ ख (i से iii)	TOTAL B(i to iii)		287377,29,35		228676,36,09
ग. I भारत में अग्रिम	C. I Advances in India				
i प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	i Priority Sector	64909,93,48		54909,27,21	
ii सार्वजनिक क्षेत्र	ii Public Sector	23704,48,27		23053,89,13	
iii बैंक	iii Banks	2095,10,85		520,78,73	
iv अन्य	iv Others	111365,86,96	202075,39,56	90923,91,42	169407,86,49
II भारत से बाहर अग्रिम	II Advances Outside India				
i बैंकों से प्राप्य	i Due from Banks	-		119,49,70	
ii अन्य से प्राप्य	ii Due from Others				
क) खरीदे और भुनाए गए बिल	a) Bills Purchased & Discounted	33315,39,60		25851,45,42	
ख) सिंडिकेट ऋण	b) Syndicated Loans	12068,97,80		9529,92,14	
ग) अन्य	c) Others	39917,52,39	85301,89,79	23767,62,34	59268,49,60
जोड़ ग(I और II)	TOTAL C(I & II)		287377,29,35		228676,36,09



(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2012 को As on 31 st Mar, 2012		31 मार्च, 2011 को As on 31 st Mar, 2011	
		₹	₹	₹	₹
अनुसूची-10 अचल आस्तियां	SCHEDULE - 10 FIXED ASSETS				
I परिसर	I Premises				
पिछले वर्ष के 31 मार्च को लागत/ पुनर्मूल्यांकित राशि पर	At cost/revalued amount as on 31st March of the preceding year	2488,44,27		2442,16,11	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Additions/adjustments during the year	96,96,40		48,22,01	
(पुनर्मूल्यांकित राशि सहित)	(Includes revalued amount)	2585,40,67		2490,38,12	
वर्ष के दौरान कटौतियां/समायोजन	Deductions/adjustments during the year	1,26,78		1,93,85	
		2584,13,89		2488,44,27	
आज की तारीख तक मूल्यहास/ परिशोधन	Less: Depreciation/ Amortisation to date	813,03,56	1771,10,33	712,12,97	1776,31,30
II अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर एवं फिक्सचर को मिलाकर) पिछले वर्ष के 31 मार्च को लागत /पुनर्मूल्यांकित राशि पर	II Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures) At cost/valued amount as on 31st March of the preceding year	2059,71,72		1810,48,05	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/ समायोजन	Additions/adjustments during the year	337,57,40		310,09,44	
		2397,29,12		2120,57,49	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां/समायोजन	Less: Deductions/adjustments during the year	59,84,30		60,85,77	
		2337,44,82		2059,71,72	
घटाएं : आज की तारीख तक मूल्यहास	Less : Depreciation to date	1767,04,95	570,39,87	1536,31,19	523,40,53
III पट्टे पर दी गयी आस्तियां (अनुषंगी इकाई बंद करने पर अधिगृहीत)	III Assets given on Lease (Acquired on winding up of a subsidiary)				
पिछले वर्ष के 31 मार्च की लागत /पुनर्मूल्यांकित राशि पर	At cost/valued amount as on 31st March of the preceding year	-		13,95,89	
घटाएं : आज की तारीख तक मूल्यहास	Less : Depreciation to date	-	-	13,95,89	-
जोड़ (I से III)	TOTAL (I to III)		<u>2341,50,20</u>		<u>2299,71,83</u>



(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2012 को As on 31 st Mar, 2012		31 मार्च, 2011 को As on 31 st Mar, 2011	
		₹	₹	₹	₹
अनुसूची -11	SCHEDULE - 11				
अन्य आस्तियां	OTHER ASSETS				
I अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	I Inter-Office Adjustments (Net)	354,64,99		274,24,46	
II उपचित ब्याज	II Interest Accrued	3515,91,88		2433,59,22	
III अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर कर कटौती (प्रावधानों का निवल)	III Tax paid in advance/tax deducted at source (net of provisions)	1993,11,31		1316,28,35	
IV लेखन सामग्री और स्टाम्प	IV Stationery & Stamps	7,07,33		7,08,28	
V अन्य	V Others	4353,97,51		2059,23,32	
जोड़ (I से V)	TOTAL (I to V)	<u>10224,73,02</u>		<u>6090,43,63</u>	
अनुसूची -12	SCHEDULE - 12				
आकस्मिक देयताएं	CONTINGENT LIABILITIES				
I बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें देनदारी नहीं माना गया	I Claims against the Bank not acknowledged as Debts	64,73,47		232,56,06	
II आंशिक चुकता निवेशों के लिये देयता	II Liability for partly paid Investments	28,00		28,00	
III बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता	III Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts	93031,85,80		78432,99,31	
IV संघटकों की ओर से दी गयी गारंटियां :	IV Guarantees given on behalf of Constituents :				
क) भारत में	a) In India	13765,92,57		11780,04,65	
ख) भारत से बाहर	b) Outside India	<u>9979,65,84</u>		<u>23745,58,41</u>	
V स्वीकृतियां, परांकन एवं अन्य दायित्व	V Acceptances, Endorsements and Other Obligations	17950,28,63		14890,95,28	
VI अन्य मदें, जिनके लिए बैंक की आकस्मिक देयता हैं,	VI Other items for which the Bank is Contingently liable	17710,07,00		14148,87,89	
जोड़ (I से VI)	TOTAL (I to VI)	<u>152502,81,31</u>		<u>127163,87,03</u>	



लाभ हानि लेखे की अनुसूचियां
Schedules to Profit & Loss Account

(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2012 को Year Ended 31 st Mar, 2012		31 मार्च, 2011 को Year Ended 31 st Mar, 2011	
		₹	₹	₹	₹
अनुसूची-13	SCHEDULE - 13				
अर्जित ब्याज	INTEREST EARNED				
I अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	I Interest / Discount on Advances / Bills	22369,40,96		16183,76,26	
II निवेशों पर आय	II Income on Investments	6184,72,95		4774,78,27	
III भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष रकम और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	III Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds	837,43,27		494,49,37	
IV अन्य	IV Others	282,15,24		432,87,66	
जोड़ (I से IV)	TOTAL (I to IV)	<u>29673,72,42</u>		<u>21885,91,56</u>	
अनुसूची -14	SCHEDULE - 14				
अन्य आय	OTHER INCOME				
I कमीशन, विनिमय और दलाली	I Commission, Exchange and Brokerage	1226,08,44		1020,63,83	
II निवेशों के विक्रय पर लाभ	II Profit on sale of Investments	643,15,79		472,95,89	
घटाएं : निवेशों की बिक्री पर हानि	Less: Loss on sale of Investments	<u>36,48,69</u>	<u>606,67,10</u>	<u>29,25,53</u>	<u>443,70,36</u>
III भूमि, इमारतों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ	III Profit on sale of Land, Buildings and Other Assets	2,57,17		1,37,25	
घटाएं : भूमि, इमारतों और अन्य आस्तियों की बिक्री पर हानि	Less: Loss on sale of Land, Buildings and Other Assets	<u>1,76,03</u>	<u>81,14</u>	<u>1,54,68</u>	<u>(17,43)</u>
IV विनिमय लेन-देन पर लाभ	IV Profit on Exchange Transactions	690,77,15		515,14,49	
घटाएं : विनिमय लेन-देन पर हानि	Less: Loss on Exchange Transactions	<u>4,66,14</u>	<u>686,11,01</u>	<u>37,46</u>	<u>514,77,03</u>
V विदेशों/भारत में अनुषंगी इकाइयों कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय	V Income Earned by way of Dividends etc. from Subsidiaries/Companies and/ or Joint Ventures abroad/ in India	25,57,86		28,46,80	
VI विविध आय	VI Miscellaneous Income	877,07,27		801,78,01	
जोड़ (I से VI)	TOTAL (I to VI)	<u>3422,32,82</u>		<u>2809,18,60</u>	



(000's अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2012 को Year Ended 31 st Mar, 2012		31 मार्च, 2011 को Year Ended 31 st Mar, 2011	
		₹	₹	₹	₹
अनुसूची-15 खर्च किया गया ब्याज		SCHEDULE - 15 INTEREST EXPENDED			
I	जमा राशियों पर ब्याज	I	Interest on Deposits	17770,71,70	11862,60,66
II	भारतीय रिज़र्व बैंक/ अंतर बैंक उधार राशियों पर ब्याज	II	Interest on Reserve Bank of India / Inter Bank Borrowings	631,14,76	345,34,80
III	अन्य	III	Others	954,84,77	875,70,31
	जोड़ (I से III)		TOTAL (I to III)	<u>19356,71,23</u>	<u>13083,65,77</u>
अनुसूची-16 परिचालन व्यय		SCHEDULE - 16 OPERATING EXPENSES			
I	कर्मचारियों को भुगतान और तत्संबंधी प्रावधान	I	Payments to and Provisions for Employees	2985,57,91	2916,78,26
II	किराया, कर और बिजली	II	Rent, Taxes and Lighting	415,73,56	357,10,18
III	छपाई और लेखन सामग्री	III	Printing and Stationery	38,80,56	32,46,90
IV	विज्ञापन एवं प्रचार	IV	Advertisement and Publicity	58,15,34	57,51,10
V	बैंक की सम्पत्ति पर मूल्यहास	V	Depreciation on Bank's Property	353,00,90	322,59,36
	घटायें : अचल सम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के कारण प्रारक्षित पूंजी से समायोजित मूल्यहास		Less Depreciation adjusted from capital reserve on account of revaluation of immovable properties	76,44,38	276,56,52
VI	निदेशकों की फीस, भत्ते और खर्च	VI	Directors' Fees, Allowances and Expenses	1,17,59	85,91
VII	लेखा परीक्षकों की फीस और खर्चे (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस एवं खर्चे सहित)	VII	Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors' Fees and Expenses)	39,64,82	38,85,46
VIII	विधि प्रभार	VIII	Law Charges	22,12,49	18,87,90
IX	डाक, तार और टेलीफोन आदि	IX	Postages, Telegrams, Telephones etc.	99,32,85	88,08,74
X	मरम्मत और रखरखाव	X	Repairs and Maintenance	168,90,38	110,44,95
XI	बीमा	XI	Insurance	277,20,30	229,68,16
XII	अन्य खर्चे	XII	Other Expenditure	775,49,41	536,11,83
	जोड़ (I से XII)		TOTAL (I to XII)	<u>5158,71,73</u>	<u>4629,83,49</u>



अनुसूची-17 : 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष की उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां Schedule - 17 : Significant accounting policies for the year ended March 31, 2012

1. तैयारी का आधार

वित्तीय विवरणियां, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो, परम्परागत लागत आधार पर तैयार की गई हैं। ये भारत में सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धांत (जीएएपी)के अनुसार हैं जिनमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/ भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक/मार्गदर्शी नोट्स तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित कार्यप्रणाली समाविष्ट हैं। विदेशी कार्यालयों के संदर्भ में संबंधित देशों के प्रचलित सांविधिक प्रावधानों और कार्यप्रणाली का अनुपालन किया गया है।

2. आकलनों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में वित्तीय विवरण की तारीख को रिपोर्ट की गई आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्ट की गई अवधि की आय एवं व्यय संबंधी राशि को रिपोर्ट करने हेतु प्रबंधन को कतिपय अनुमानों और आकलनों की मदद लेनी पड़ती है। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरण को तैयार करने के लिए प्रयुक्त आकलन विवेकपूर्ण और उचित हैं। भावी परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा अनुमानों में कोई भी परिवर्तन/संशोधन वर्तमान एवं भावी अवधि से मान्य होगा जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

3. निवेश

3.1 वर्गीकरण

बैंक के संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुरूप निम्नानुसार किया गया है, जिसमें

- (क) "परिपक्वता तक धारित" में वे निवेश शामिल हैं जिन्हें परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है।
- (ख) "व्यापार हेतु धारित" में वे निवेश शामिल हैं, जिन्हें व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है।
- (ग) "बिक्री हेतु उपलब्ध" में वे निवेश शामिल हैं, जो उपरोक्त (क) तथा (ख) में शामिल नहीं हैं, अर्थात् जो न तो व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं और न ही परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं।

3.2 अधिग्रहण लागत

निवेश की अधिग्रहण लागत में प्रोत्साहन, प्रारंभिक शुल्क एवं कमीशन राशि सम्मिलित है।

3.3 मूल्यांकन का आधार

"परिपक्वता तक धारित" के रूप में वर्गीकृत निवेशों को भारित औसत अधिग्रहण लागत पर लिया गया है, बशर्ते वह अंकित मूल्य से अधिक हो, इस स्थिति में प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि तक परिशोधित किया गया है।

"परिपक्वता तक धारित" के रूप में वर्गीकृत निवेशों में डिबेंचर/बांड, जिन्हें स्वरूप/प्रकृति की दृष्टि से अग्रिम माना जाता है, शामिल हैं (जिनके लिए आस्ति वर्गीकरण संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड तथा अग्रिमों पर लागू प्रावधान के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर्स, इंदिरा विकास-पत्र, किसान विकास पत्र और जमा प्रमाण-पत्र पर किए गए निवेश शामिल हैं और जिनके मूल्य का निर्धारण रखाव लागत पर किया गया है।

1. BASIS OF PREPARATION

The financial statements have been prepared under the historical cost convention unless otherwise stated. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprises statutory provisions, regulatory/ Reserve Bank of India (RBI) guidelines, Accounting Standards/ guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices, statutory provisions and practices prevailing in respective foreign countries are complied with.

2. USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognised prospectively in the current and future periods unless otherwise stated.

3. INVESTMENTS

3.1 Classification

The Investment portfolio of the Bank is classified, in accordance with the RBI guidelines, into:

- a "Held to Maturity" (HTM) comprising Investments acquired with the intention to hold them till maturity.
- b "Held for Trading" (HFT) comprising Investments acquired with the intention to trade.
- c "Available for Sale" (AFS) comprising Investments not covered by (a) and (b) above i.e. those which are acquired neither for trading purposes nor for being held till maturity.

3.2 Acquisition Cost

Cost of acquisition of Investments is net of incentives, front-end fees and commission.

3.3 Basis of Valuation

Investments classified as HTM are carried at weighted average acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized over the period remaining to maturity.

Investments classified as HTM includes debentures / bonds which are deemed to be in the nature of / treated as advances (for which provision is made by applying the RBI prudential norms of assets classification and provisioning applicable to Advances).

Investments in Regional Rural Banks, Treasury Bills, Commercial Papers and Certificates of Deposit which have been valued at carrying cost.



संयुक्त उद्यमों तथा अनुषंगियों में (भारत तथा विदेश दोनों में), अस्थायी प्रकार के निवेशों को छोड़कर निवेशों का मूल्यांकन, हास मूल्य को घटाकर अधिग्रहण लागत पर किया जाता है।

वीसीएफ इकाइयों में दिनांक 23.08.2006 के बाद किए गए बैंक निवेशों को प्रारंभिक तीन वर्ष की अवधि के लिए 'परिपक्वता तक धारित' संवर्ग में वर्गीकृत किया जाता है और लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। संवितरण के तीन वर्ष पश्चात इसे 'बिक्री के लिए उपलब्ध' में अंतरित कर दिया जाता है और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार 'बाजार' के रूप में चिन्हित किया जाता है।

"व्यापार के लिए धारित" एवं "बिक्री के लिए उपलब्ध" के रूप में वर्गीकृत निवेश, स्क्रिपवार बाजार के रूप में चिन्हित किये जाते हैं और तुलन पत्र में घोषित परिणामी शुद्ध मूल्यहास यदि कोई हो, को "लाभ हानि खाते" के हिसाब में लिया जाता है, जबकि यदि कोई मूल्य वृद्धि हो तो उसे छोड़ दिया जाता है। प्राथमिक डीलर के रूप में बैंक द्वारा व्यापार के लिए धारित संवर्ग के अन्तर्गत ट्रेजरी बिलों में निवेश का मूल्यांकन मूल्यों के अनुसार तिमाही आधार पर किया जाता है।

"व्यापार के लिए धारित" तथा "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणी के निवेशों के मूल्यांकन के लिए, बाजार स्टॉक एक्सचेंज में उद्धृत दरें, प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (पीडीएआई)/फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (एफआईएमएमडीए)/फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (एफडीडीआई) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया गया है।

जिन निवेशों के लिए ऐसी दरें/उद्धृत दरें उपलब्ध नहीं हैं, उनका मूल्यन भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया गया है, जो निम्नानुसार हैं :

- | | |
|---|---|
| क) सरकारी/अनुमोदित प्रतिभूतियां | - "परिपक्वता प्रतिफल" के आधार पर |
| ख) इक्विटी शेयर, पीएसयू और ट्रस्टी शेयर | - अद्यतन तुलन-पत्र (12 माह से अधिक पुराना नहीं) के अनुसार बही मूल्य पर अन्यथा ₹1/- प्रति कंपनी. |
| ग) अधिमानी शेयर | - समुचित क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप के साथ परिपक्वता के प्रतिफल के आधार पर |
| घ) पीएसयू बांड | - समुचित क्रेडिट स्प्रेड मार्क-अप के साथ परिपक्वता के प्रतिफल के आधार पर. |
| ड.) म्यूचुअल फंड की यूनिटें | फंड द्वारा प्रत्येक स्कीम के संबंध में घोषित अद्यतन पुनर्खरीद मूल्य/ एन.ए.वी. पर |
| च) उद्यम पूंजी | लेखापरीक्षित तुलनपत्र, जो कि 18 माह से ज्यादा पुरानी न हो, के अनुसार घोषित एनएवी या अलग-अलग एनएवी. यदि, लगातार 18 माह से अधिक के एनएवी या लेखापरीक्षित वित्तीय आंकड़े उपलब्ध न हो तो प्रति वीसीएफ ₹ 1/- |

3.4 निवेशों का निस्तारण

"परिपक्वता तक धारित" के रूप में वर्गीकृत किए गए निवेशों की बिक्री पर होने वाले लाभ/हानि को, निवेश से संबंधित भारत औसत लागत/बही मूल्य के आधार पर लाभ/हानि लेखे में लिया जाता है

Investments in subsidiaries and joint ventures (both in India and abroad) are valued at acquisition cost less diminution, other than temporary in nature.

Bank's investments in units of VCFs made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of three years and are valued at cost. After period of three years from date of disbursement, it will be shifted to AFS and marked-to-market as per RBI guidelines.

Investments classified as HFT and AFS are marked to market scrip-wise and the resultant net depreciation if any, in each category disclosed in the Balance Sheet is recognized in the Profit and Loss Account, while the net appreciation, if any, is ignored.

Investments made by the Bank as Primary Dealer in Treasury Bills under HFT category have been valued at carrying cost.

For the purpose of valuation of quoted investments in "Held for Trading" and "Available for Sale" categories, the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) / Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA) / Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) are used.

Investments for which such rates / quotes are not available are valued as per norms laid down by RBI, which are as under:

- | | |
|---|--|
| a Government / Approved securities | - on Yield to Maturity basis. |
| b Equity Shares, PSU and Trustee shares | - at book value as per the latest Balance Sheet (not more than 12 months old), otherwise Re.1 per company. |
| c Preference Shares | - on Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up |
| d PSU Bonds | - on Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up. |
| e Units of Mutual Funds | - at the latest repurchase price / NAV declared by the Fund in respect of each scheme. |
| f Venture Capital | - Declared NAV or break up NAV as per audited balance sheet which is not more than 18 months old. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at Re. 1/- per VCF. |

3.4 Disposal of Investments

Profit/ loss on sale of Investments classified as HTM is recognized in the Profit and Loss Account based on



तथा "परिपक्वता तक धारित" वर्गीकरण में निवेश की बिक्री पर समतुल्य लाभ के समान राशि पूंजीगत प्रारक्षित खाते में समायोजित की गई है। 'बिक्री के लिए उपलब्ध' और व्यापार के लिए धारित निवेशों की बिक्री से होने वाले लाभ/हानि को लाभ हानि खातों में प्रभाषित किया जाता है।

- 3.5 निपटान तारीख आधार पर किए गए निवेश के लिए बैंक एकरूप लेखांकन पद्धति अपनाता है।
- 3.6 विदेशी शाखाओं के संबंध में, भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा उस देश के दिशा-निर्देशों को, जो भी ज्यादा सख्त हों, का पालन किया गया है। विदेशों में स्थित उन शाखाओं के मामले में जहां पर दिशा-निर्देश विनिर्दिष्ट नहीं हैं, वहां भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाता है।
- 3.7 इन श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों के अंतरण की गणना, अंतरण की तारीख को उसकी अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य में से जो भी कम हो, पर की जाती है और ऐसे अंतरण के फलस्वरूप आए मूल्यहास, यदि कोई है, के लिए प्रावधान किया जाता है।
- 3.8 गैर-निष्पादित प्रतिभूतियों के संबंध में आय को मान्यता नहीं दी गई है और इन प्रतिभूतियों के मूल्य में मूल्यहास के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार उपयुक्त प्रावधान किया गया है।

3.9 पुनःखरीद/प्रत्यावर्तित पुनः खरीद

बैंक ने पुनः खरीद तथा प्रत्यावर्तित पुनः खरीद लेनदेनों को लेखांकित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बताई गई एक समान लेखा प्रणाली को अपनाया है। (भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत हुए लेनदेनों को छोड़कर)। पुनः खरीद एवं प्रत्यावर्तित पुनः खरीद संव्यवहारों को संपाश्विक उधार/ऋणदान के अंतर्गत माना जाता है जिसमें सहमत शर्तों पर पुनःखरीद का करार किया जाता है। पुनः खरीद के अन्तर्गत बिक्री की प्रतिभूतियों को निवेश के अन्तर्गत दर्शाया जाता है और प्रत्यावर्तित पुनः खरीद प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया जाता। लागत एवं राजस्व को ऋण ब्याज व्यय/आय को यथास्थिति लेखांकित किया जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के पास चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत खरीदी/बेची गई प्रतिभूतियां निवेश खाते में नामे/जमा की जाती हैं और संव्यवहार की परिपक्वता पर प्रत्यावर्तित की जाती हैं। खर्च किये ब्याज/उस पर अर्जित आय को व्यय/राजस्व के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

3.10 डेरिवेटिव्स

बैंक वर्तमान में ब्याज दरों तथा मुद्रा डेरिवेटिव्स में डील करता है। बैंक द्वारा व्यवहारित ब्याज दर डेरिवेटिव्स में रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज-दर स्वैप तथा फारवर्ड रेट एग्रीमेंट्स शामिल हैं। बैंक द्वारा व्यवहार में लाये जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स में ऑप्शन तथा मुद्रा स्वेप्स हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के आधार पर, डेरिवेटिव्स का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है :

व्यवस्था बचाव/गैर व्यवस्था बचाव (मार्केट मेकिंग) संव्यवहार अलग-अलग रिकार्ड किये जाते हैं। व्यवस्था बचाव डेरिवेटिव्स उपचय आधार पर लेखांकित किये जाते हैं। ट्रेडिंग डेरिवेटिव पोजिशनस मार्केट टू मार्केट (एमटीएम) हैं तथा किसी भी प्रकार की हानि, यदि कोई हो लाभ-हानि खाते में दर्ज की जाती है। लाभ, यदि कोई हो, को दर्ज नहीं किया जाता। ब्याज दर स्वैप से संबंधित आय तथा व्यय समझौता तिथि को दर्ज होता है। ट्रेडिंग स्वैप्स की समाप्ति पर लाभ/हानि समाप्ति तिथि पर आय/व्यय के रूप में दर्ज की जाती है।

the weighted average cost / book value of the related Investments and an amount equivalent of profit on sale of Investments in HTM classification is appropriated to Capital Reserve Account.

Profit/ loss on sale of Investment in AFS/ HFT category is recognized in Profit and Loss Account.

- 3.5 The Bank is following uniform methodology of accounting for investments on settlement date basis.
- 3.6 In respect of investments at overseas branches, RBI guidelines or those of the host countries, whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of the RBI are followed.
- 3.7 The transfer of a security between these categories is accounted for at the acquisition cost / book value / market value on the date of transfer, whichever is the least, and the depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.
- 3.8 In respect of non-performing securities, income is not recognised, and provision is made for depreciation in the value of such securities as per RBI guidelines.
- 3.9 REPO / Reverse REPO

The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of market Repo and Reverse Repo transactions [other than the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI]. Repo and Reverse Repo Transactions are treated as Collateralised Borrowing / Lending Operations with an agreement to Repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investments and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investments. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

Securities purchased / sold under LAF with RBI are debited / credited to investment Account and reversed on maturity of the transaction. Interest expended / earned thereon is accounted for as expenditure / revenue.

3.10 Derivatives

The Bank presently deals in interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps and forward rate agreements. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options and Currency swaps.

Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

The hedge/ non-hedge(market making) transactions are recorded separately. Derivative contracts designated as hedges are not marked to market unless their underlying is marked to market. Trading derivative positions are marked-to-market (MTM) and the resulting losses, if any, are recognized in the Profit and Loss Account. Profit, if any, is ignored. Income and Expenditure relating to interest rate swaps are recognized on the settlement date. Gains/ losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/ expenditure.



मूल्यांकन के लिए, कुल स्वैप के वास्तविक मूल्य की गणना तुलन-पत्र की तिथि को स्वैप करारों के कारोबार समाप्ति पर प्रायः या देय राशि के आधार पर की जाती है, संबंधित हानियों, यदि हों, के लिए पूर्णतः प्रावधान किया गया है, जबकि लाभों को छोड़ दिया गया है।

तुलन पत्र की तिथि को 'फेडरै' द्वारा अधिसूचित विनिमय दर के बंद भाव पर विदेशी मुद्रा में डेरिवेटिव संविदाओं को आकस्मिक देयताओं के अर्न्तगत वर्गीकृत किया जाता है।

4. अग्रिम

- 4.1 भारत में अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध या हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा इसके लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया जाता है। विदेशी शाखाओं द्वारा दिए गए अग्रिमों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार अथवा उस देश, जिसमें अग्रिम दिए गए हैं, में विद्यमान मानदंडों में से जो भी कड़े मानदंड हों, के अनुरूप वर्गीकृत किया जाता है।
- 4.2 अग्रिम, विनिर्दिष्ट ऋणों पर हानि के प्रावधानों, उंचत ब्याज, वादग्रस्त विविध जमा एवं प्राप्त दावा राशि का निवल है।
- 4.3 पुनर्निर्धारित/पुनर्गठित खातों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार पुनर्गठित अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान विद्यमान मूल्य शर्तों पर आकलन करते हुए किया जाता है।
- 4.4 आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी) /प्रतिभूतिकरण (सिक्वोरिटाइजेशन) कंपनी (एससी) को बेची गई वित्तीय आस्तियों के मामले में, यदि बिक्री शुद्ध बही मूल्य से कम मूल्य पर की गई हो तो हानि (कमी) को लाभ हानि खाते में नामे किया जाता है। यदि बिक्री मूल्य बही मूल्य से ज्यादा है तो अतिरिक्त प्रावधान राशि को रिवर्स नहीं किया जाता है बल्कि इसे अन्य गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों की बिक्री करने पर कमी/हानि को पूरा करने के लिए उपयोग में लिया जाता है।

5. अचल आस्तियां

- 5.1 परिसर व अन्य अचल आस्तियां पुनर्मूल्यांकित परिसरों को छोड़कर, सामान्यतः परम्परागत मूल्य पर ली गयी हैं। पुनर्मूल्यांकन पर हुई मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, को पूंजीगत प्रारक्षित निधि में जमा किया गया है। तथा इस पर मूल्यहास को इसमें से घटाया जाता है।
- 5.2 परिसरों में भूमि एवं निर्माणाधीन परिसरों को शामिल किया गया है।

6. प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष

राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियों में सम्बद्ध देशों के प्रचलित स्थानीय कानूनों के अनुसार विदेशी शाखाओं द्वारा निर्मित सांविधिक प्रारक्षित निधियों को शामिल किया गया है।

7. राजस्व का निर्धारण

- 7.1 आय को उपचय आधार पर जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न हो, लेखांकित किया गया है। विदेशी कार्यालयों के मामले में आय / व्यय की गणना उस देश के कानून के अनुसार की गई है, जहां पर विदेशी कार्यालय स्थित है।
- 7.2 सरकारी कारोबार, गारंटियों, साख पत्रों, विनिमय, दलाली आदि पर कमीशन, अग्रिम बिलों पर ब्याज तथा कर रिफंड पर अर्जित ब्याज को छोड़कर शुल्क, कमीशन के माध्यम से आय को वसूली आधार पर हिसाब में लिया जाता है। अनुषंगियों, संयुक्त उपक्रमों तथा सहयोगी

For the purpose of valuation, the fair value of the total swap is computed on the basis of the amount that would be receivable or payable on termination of the transactions of the swap agreements as on the Balance Sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for while the profits, if any, are ignored.

Contingent Liabilities on account of derivative contracts denominated in foreign currencies are reported at closing rates of exchange notified by FEDAI at the Balance Sheet date.

4 ADVANCES

- 4.1 Advances in India are classified as Standard, Sub-standard, Doubtful or Loss assets and provision for advances are made as per the Prudential Norms of the RBI. In respect of Advances made in overseas branches, Advances are classified in accordance with Prudential Norms prescribed by the RBI or local laws of the host country in which advances are made, whichever is more stringent.
- 4.2 Advances are net of specific loan loss provisions, interest suspense, amount received and held in suit-filed Sundry Deposits and Claims Received.
- 4.3 In respect of Rescheduled / Restructured accounts, Provision for diminution in fair value of restructured advances is measured in net present value terms as per RBI guidelines.
- 4.4 In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC)/ Securitization Company (SC), if the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. Book value less provisions held) the shortfall is debited to the profit and loss account. If the sale value is higher than the NBV, surplus is carried forward and utilised to meet the shortfall/ loss on account of subsequent sale of non-performing financial assets.

5 FIXED ASSETS

- 5.1 Premises and other Fixed Assets are stated at historical cost except revalued premises which are stated at revalued amount. The appreciation on revaluation is credited to Capital Reserve and the depreciation provided thereon is deducted therefrom.
- 5.2 Premises include land and building under construction.

6 RESERVES AND SURPLUS

Revenue and other Reserves include Statutory Reserves created by foreign branches as per applicable local laws of the respective countries.

7 REVENUE RECOGNITION

- 7.1 Income (other than item referred in Paragraph 7.2)/ expenditure is generally recognised on accrual basis. In case of foreign offices, income/ expenditure is recognised as per the local laws of the country in which the respective foreign office is located.
- 7.2 Income by way of Fees, Commission other than on Government business, Commission on Guarantees, Letter of Credits, Exchange, Brokerage and Interest on Advance Bills are accounted for on realisation



कंपनियों के शेयरों पर डिविडेंड वास्तविक प्राप्ति के आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।

- 7.3 गैर निष्पादित आस्तियों / निवेशों पर आय के संग्रह की अनिश्चितता की दृष्टि से, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ऐसी आय सिर्फ वसूल होने पर ही लेखांकित होती है।
- 7.4 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 19 (पट्टे) के अनुसार लीज शर्त पर लीज भुगतानों को, जिसमें परिचालन लीज पर ली गई आस्तियों की लागत वृद्धि शामिल है, लाभ/हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

8. कर्मचारियों को लाभ

8.1 भविष्य निधि

भविष्य निधि अंशदान योजना की व्याख्या की गई है और बैंक पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। बैंक का दायित्व निश्चित अंशदान तक सीमित है। अंशदान को लाभ/हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

8.2 उपदान

उपदान देयता की व्याख्या लाभ (हित) के रूप में व्याख्या की गई है और वर्ष के अंत में संचित मूल्य आधार पर इसका प्रावधान किया जाता है। बैंक द्वारा इस योजना के लिए राशि उपलब्ध करवायी जाती है और एक पृथक न्यास इसका प्रबंधन करता है।

8.3 पेंशन

8.3.1 पेंशन देयता बाध्यता के रूप में व्याख्या की गई है और वर्ष के अंत में संचित मूल्य आधार इसका प्रावधान किया जाता है। यह उन कर्मचारियों के लिए है, जिन्होंने 31.3.2010 तक बैंक सेवा ग्रहण की है। बैंक द्वारा इस योजना के लिए राशि उपलब्ध करवायी जाती है और एक पृथक न्यास इसका प्रबंधन करता है।

8.3.2 जिन कर्मचारियों ने बैंक सेवा 1.4.2010 को या उसके बाद ग्रहण की है उनके लिए नई पेंशन योजना पारिभाषित अंशदान आधार पर लागू है। बैंक द्वारा पूर्व निर्धारित निश्चित अंशदान का भुगतान किया जाता है। बैंक का दायित्व ऐसे पूर्व निर्धारित अंशदान तक ही सीमित है। अंशदान लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित होता है।

8.4 प्रतिपूरित अनुपस्थिति

संचित प्रतिपूरित अनुपस्थिति यथा उपाजित अवकाश (पीएल) और चिकित्सा अवकाश (अप्रयुक्त आकस्मिक अवकाश सहित) का संचित मूल्य के आधार पर प्रावधान किया जाता है।

8.5 अन्य कर्मचारी लाभ (हित)

अन्य कर्मचारी हित (लाभ) यथा छुट्टी यात्रा रियायत, चिकित्सा लाभ आदि के लिए संचित मूल्य के आधार पर प्रावधान किया जाता है। विदेशी शाखाओं/कार्यालयों के संदर्भ में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों के लिए संबंधित देश में विद्यमान नियमों के अनुसार लाभों का आकलन किया जाता है।

9. मूल्यहास

- 9.1 भारत में अचल आस्तियों के लिए पुनर्मूल्यांकित आस्तियों को छोड़कर (निम्न वर्णित अनुच्छेद 9.3 व 9.4 के अलावा) कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में उल्लिखित मूल्यहासित मूल्य पद्धति के

basis. Dividend on shares in Subsidiaries, joint ventures and associates is accounted on realisation basis.

- 7.3 In view of uncertainty of collection of income in cases of Non-performing Assets/Investments, such income is accounted for only on realisation in terms of the RBI guidelines.
- 7.4 Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognised in the Profit and Loss Account over the lease term in accordance with the AS 19 (Leases) issued by ICAI.

8 EMPLOYEE BENEFITS

8.1 PROVIDENT FUND

Provident fund is a defined contribution as the Bank pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account.

8.2 GRATUITY

Gratuity liability is a defined benefit obligation and is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The gratuity liability is funded by the bank and is managed by a separate trust.

8.3 PENSION

8.3.1 Pension liability is a defined benefit obligation and is provided for on the basis of actuarial valuation made at the end of the financial year, for the employees who have joined Bank up to 31.03.2010 and opted for pension. The pension liability is funded by the bank and is managed by a separate trust.

8.3.2 New Pension Scheme which is applicable to employees who joined bank on or after 01.04.2010 is a defined contribution scheme, Bank pays fixed contribution at pre determined rate, the obligation of the Bank is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

8.4 COMPENSATED ABSENCES

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave and Sick Leave are provided for based on actuarial valuation.

8.5 OTHER EMPLOYEE BENEFITS

Other Employee benefits such as Leave Encashment, Leave Fare Concession and Additional Retirement Benefit on Retirement are provided for based on actuarial valuation.

In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

9. DEPRECIATION

- 9.1 Depreciation on Fixed Assets in India [other than those referred in Paragraph 9.3 and 9.4] is provided



अनुसार प्रावधान किया जाता है। इसमें पुनर्मूल्यांकित आस्तियों की अनुमानित उपयोग अवधि के आधार पर अधिक मूल्यहास का प्रावधान किया जाता है।

- 9.2 भारत से बाहर अचल आस्तियों पर, (नीचे अनुच्छेद 9.3 में वर्णित को छोड़कर) मूल्यहास स्थानीय कानूनों या संबंधित देश में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।
- 9.3 भारत और भारत के बाहर कंप्यूटरों पर मूल्यहास भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्ट्रेट लाइन विधि से 33.33% की दर से प्रदान किया गया है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो कि हार्डवेयर का अनिवार्य अंग नहीं है, का पूर्ण मूल्यहास खरीद वर्ष के दौरान ही कर दिया जाता है।
- 9.4 एटीएम पर मूल्यहास का प्रावधान स्ट्रेट लाइन पद्धति से 20% प्रतिवर्ष की दर से किया जाता है।
- 9.5 परिवर्द्धनों पर मूल्यहास का संपूर्ण वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है जबकि बिक्री/निपटान के वर्ष में मूल्यहास का कोई प्रावधान नहीं किया जाता है।
- 9.6 पट्टे पर धारित जमीन और पट्टे पर धारित जमीन पर किए गए विकास की लागत पट्टा अवधि में चुकता (एमोर्टाईज) की जाती है।

10. आस्तियों का अनर्जन

अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) पर अनर्जक हानियों (यदि कोई हो) को, आस्तियों के अनर्जन के संबंध में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक 28 ("आस्तियों का अनर्जन") के अनुसार किया जाता है तथा इसे लाभ हानि खाते को प्रभारित किया जाता है।

11. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

- 11.1 विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित संव्यवहारों का लेखांकन (विदेशी मुद्रा विनिमय दरों के परिवर्तन का प्रभाव) संबंधित भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखामानक एस 11 के अनुरूप किया गया है।
- 11.2 लेखा मानक - एस-11 के अनुसार बैंक के विदेशी मुद्रा परिचालनों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया गया है।
 - क) एकीकृत परिचालनों एवं
 - ख) पृथक परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सभी विदेशी शाखाओं, ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों, विदेशी अनुषंगियों को पृथक परिचालन एवं विदेशी मुद्रा में घरेलू परिचालनों एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन के रूप में माना जाता है।
- 11.3 एकीकृत परिचालनों के संबंध में अंतरण :
 - (क) संव्यवहारों को प्राथमिक तौर पर फेडाई द्वारा सूचित की गई साप्ताहिक औसत दरों पर रिकार्ड किया जाता है।
 - (ख) विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गई क्लोजिंग स्पॉट दरों पर अंतरित किया जाता है।
 - (ग) परिणामी विनिमय अंतरों की गणना आय अथवा व्यय के रूप में की गई है तथा इन्हें तदनुसार लाभ हानि खाते में लेखांकित किया गया है। विदेशी मुद्रा आस्ति देयताओं संबंधी किसी भी भुगतान अथवा रिवर्सल को पिछले सप्ताह की औसत क्लोजिंग दरों के

on the written down value method in accordance with Schedule XIV to the Companies Act, 1956, except in case of revalued assets, in respect of which higher depreciation is provided on the basis of estimated useful life of these revalued assets.

- 9.2 Depreciation on Fixed Assets outside India [other than those referred to in Para 9.3 below] is provided as per local laws or prevailing practices of the respective territories.
- 9.3 Depreciation on Computers and Software forming an integral part of Computer Hardware, in and outside India is provided on Straight Line Method at the rate of 33.33% p.a., as per the guidelines of RBI. Computer software not forming part of an integral part of hardware is charged directly to Profit and Loss Account.
- 9.4 Depreciation on ATMs is provided on Straight Line Method at the rate of 20% p.a.
- 9.5 Depreciation on additions is provided for full year and no depreciation is provided in the year of sale / disposal.
- 9.6 Cost of leasehold land and leasehold improvements are amortised over the period of lease.

10. IMPAIRMENT OF ASSETS

Impairment losses (if any) on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised in accordance with AS 28 (Impairment of Assets) issued by the ICAI and charged off to Profit and Loss Account.

11. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

- 11.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with AS 11, (The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates), issued by the ICAI.
- 11.2 As stipulated in AS 11, the foreign currency operations of the Bank are classified as
 - a) Integral Operations and
 - b) Non Integral Operations. All Overseas Branches, Offshore Banking Units, Overseas Subsidiaries are treated as Non Integral Operations and domestic operations in foreign exchange and Representative Offices are treated as Integral Operations.
- 11.3 Translation in respect of Integral Operations
 - a. The transactions are initially recorded on weekly average rate as advised by FEDAI.
 - b. Foreign Currency Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.
 - c. The resulting exchange differences are recognized as income or expenses and are accounted through Profit and Loss Account. Any reversals / payment of foreign currency assets and liabilities is done at the weekly



आधार पर किया गया है तथा बकाया राशि एवं उस राशि, जिसके लिए भुगतान किया गया है/रिवर्सल किया गया है, के बीच के अंतर को लाभ हानि खाते में दर्शाया गया है।

- (घ) व्यापार हेतु धारित बकाया विदेशी मुद्रा हाज़िर एवं वायदा संविदाओं के तुलन पत्र की तिथि को 'फेडाई' द्वारा अधिसूचित बंद हाज़िर एवं वायदा बाजार संविदा दरों एवं अन्तरिम परिपक्वता संविदाओं को 'इन्टरपोलेट' दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया जाता है। इसके फलस्वरूप वायदा मूल्यांकन लाभ अथवा हानि को लाभ-हानि खाते में शामिल किया जाता है।

11.4 गैर समाकलित परिचालनों के संबंध में अंतरण :

- (क) आस्तियों एवं देयताओं को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में अधिसूचित की गई क्लोजिंग स्पॉट दरों पर अंतरित किया गया है।
- (ख) तुलनपत्र की तिथि को विदेशी मुद्रा हाज़िर एवं वायदा आकस्मिक देयताओं को 'फेडाई' द्वारा अधिसूचित बंद हाज़िर व वायदा दरों एवं अन्तरिम परिपक्वता संविदाओं को 'इन्टरपोलेटड' दरों पर अंतरित किया जाता है।
- (ग) आमदनी एवं खर्चों को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में अधिसूचित की गई औसत तिमाही दरों पर अंतरित किया गया है।
- (घ) परिणामी विनिमय अंतरों की गणना उस अवधि के लिए आय अथवा व्यय के रूप में नहीं की जाती है तथा इसे सम्बद्ध विदेशी शाखाओं में शुद्ध निवेशों के निस्तारण होने तक अलग से एक खाते "विदेशी मुद्रा अंतरण निधि" में रखा जाता है।

11.5 वायदा विनिमय करार

लेखा मानक एस 11 तथा भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) के दिशानिर्देशों के अनुसार व्यापार हेतु धारित बकाया विदेशी मुद्रा हाज़िर (स्पॉट) एवं वायदा संविदाओं को तुलन पत्र की तिथि को फेडाई द्वारा अधिसूचित बंद हाज़िर एवं वायदा बाजार संविदाओं एवं अन्तरिम परिपक्वता संविदाओं को इन्टरपोलेट दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया जाता है। इसके फलस्वरूप वायदा मूल्यांकन लाभ अथवा हानि को लाभ-हानि खाते में शामिल किया जाता है।

12. आय पर कर

इसमें भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आईसीएआई) के लेखांकन मानदंड 22 (आय पर करों का लेखांकन) के अनुसार निर्धारित (सम्बद्ध अवधि के लिए लेखा आय तथा कर योग्य आय के बीच भिन्नता से करों के प्रभाव को दर्शाते हुए) आयकर के लिए प्रावधान, आस्थगित कर अथवा क्रेडिट शामिल हैं। आस्थगित कर का आकलन आमदनी एवं खर्च की उन मदों के संबंध में, जो किसी एक अवधि में निर्धारित होती है और जो एक अथवा अधिक परवर्ती अवधियों में प्रत्यावर्तन योग्य हैं, को ध्यान में रखकर किया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं पर कर की गणना अधिनियमित कर दरों पर उन वर्षों की अपेक्षित दरों पर की जाती है जिन वर्षों में इनकी प्राप्ति, रिवर्सल अथवा निस्तारण की संभावना होती है। आस्थगित कर देयताओं एवं आस्तियों पर कर की दरों में परिवर्तन के प्रभाव को उस अवधि की आय विवरणी, जिसमें ऐसे परिवर्तन को अधिनियमित किया गया हो, में हिसाब में लिया जाता है।

average closing rate of the preceding week and the difference between the outstanding figure and the amount for which reversal / payment is made, is reflected in Profit and Loss Account.

- d. Foreign exchange spot and forward contracts outstanding as at the balance sheet date and held for trading, are revalued at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities. The resulting forward valuation profit or loss is included in the Profit and Loss Account.

11.4 Translation in respect of Non Integral Operations

- a. Assets and Liabilities are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.
- b. Foreign Exchange Spot and Forward contingent liabilities outstanding as at the balance sheet date are translated at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities.
- c. Income and Expense are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.
- d. The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net investment.

11.5 Forward Exchange Contracts

In accordance with the guidelines of FEDAI and the provisions of AS 11, Foreign exchange spot and forward contracts outstanding as at the balance sheet date and held for trading, are revalued at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities. The resulting forward valuation profit or loss is included in the Profit and Loss Account.

12. TAXES ON INCOME

This comprise of provision for Income tax and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period) as determined in accordance with AS 22 (Accounting for taxes on Income) issued by ICAI. Deferred tax is recognised subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets and liabilities are measured using enacted tax rates expected to apply to taxable income in the years in which the timing differences are expected to be reversed. The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in tax rates is recognised in the income statement in the period of enactment of the change

13. प्रति शेयर अर्जन

बैंक, आधारभूत एवं डाइल्यूटेड प्रति इक्विटी शेयर अर्जन को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक 20 (प्रति शेयर आय) के अनुसार रिपोर्ट करता है। आधारभूत प्रति शेयर अर्जन की गणना शुद्ध आय को उस अवधि के लिए बकाया भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित कर की गई है। डाइल्यूटेड प्रति शेयर अर्जन की गणना शुद्ध आय को उस अवधि के लिए बकाया भारित औसत इक्विटी शेयरों एवं उस अवधि के दौरान डाइल्यूटिव सम्भाव्य इक्विटी शेयरों की संख्या के आधार पर की गई है।

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक 29 (आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान) के अनुसार बैंक द्वारा आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान केवल विगत में हुई किसी घटना के लिए उत्पन्न हुए वर्तमान दायित्व के लिए किया जाता है। यह संभव है कि इस दायित्व के निस्तारण के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता हो और तब दायित्व निर्वहन हेतु ऐसी राशि का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है।

आर्थिक हित युक्त संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना के लगभग न होने की स्थिति तक आकस्मिक देयताओं को प्रकट किया जाता है।

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में प्रभारित नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका परिणाम ऐसी आय के निर्धारण के रूप में निकल सकता है जिसकी कभी वसूली संभव न हो।

13. EARNINGS PER SHARE

The bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the AS 20 (Earnings Per Share) issued by the ICAI. Basic earnings per equity share has been computed by dividing net income by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earnings per equity share has been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

14. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

As per AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) issued by the ICAI, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent Assets are not recognised in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.



अनुसूची-18 लेखों पर टिप्पणियां Schedule -18 Notes on accounts

क. भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षाओं के अनुसार प्रकटीकरण

A. Disclosure in terms of RBI requirements

क-1. पूंजी

A-1. Capital

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
i) सी आर ए आर (%) बासेल-II	CRAR % Basel-II	14.67 %	14.52 %
ii) सी आर ए आर - टियर I पूंजी (%) बासेल-II	CRAR - Tier I Capital (%) Basel-II	10.83 %	9.99 %
iii) सी आर ए आर - टियर II पूंजी (%) बासेल-II	CRAR – Tier II Capital (%) Basel-II	3.84 %	4.53 %
iv) बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	Percentage of the shareholding of the Government of India	54.31 %	57.03 %
v) टियर-II पूंजी के अनुसार सबऑर्डिनेट ऋण की राशि	Amount of subordinated debt raised as Tier-II Capital	-	-
vi) आईपीडीआई निर्गमित कर प्राप्त राशि	Amount raised by issue of IPDI	-	₹ 711.50 Crores
vii) अपर टियर II लिखतों को निर्गमित कर प्राप्त राशि	Amount raised by issue of Upper Tier II instruments	-	₹ 1,500.00 Crores

2. निवेश

A-2. Investments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(1) निवेशों का मूल्य	(1) Value of Investments		
(i) निवेशों का सकल मूल्य	(i) Gross Value of Investments		
(क) भारत में	(a) In India	79,818.80	68,137.30
(ख) भारत से बाहर	(b) Outside India,	4,094.49	3,739.46
(ii) मूल्यहास के लिए प्रावधान	(ii) Provisions for Depreciation		
(क) भारत में	(a) In India	553.80	336.96
(ख) भारत से बाहर	(b) Outside India,	150.08	143.21
(iii) निवेशों का निवल मूल्य	(iii) Net Value of Investments		
(क) भारत में	(a) In India	79,265.00	67,800.34
(ख) भारत से बाहर	(b) Outside India.	3,944.41	3,596.25
(2) निवेशों पर मूल्यहास के लिए धारित प्रावधानों का संचलन	(2) Movement of provisions held towards depreciation on investments		
(i) प्रारम्भिक शेष	(i) Opening balance	480.17	527.80
(ii) जोड़े : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	(ii) Add: Provisions made during the year	343.55	112.08
(iii) घटाए : वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टाकरण/पुनरांकन	(iii) Less: Write-off / write-back of excess provisions during the year	119.84	159.71
(iv) अंतिम शेष	(iv) Closing balance	703.88	480.17



2.1 रिपो संव्यवहार (अंकित मूल्य में)

2.1 (क) भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ रिपो संव्यवहार (एलएएफ)

A-2.1 Repo Transactions (in face value terms)

2.1 a. Repo Transactions (LAF) with RBI

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

		वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया शेष Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया शेष Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया शेष Daily Average outstanding during the year	31 मार्च 2012 को बकाया शेष Outstanding as on March 2012
रिपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां	Securities sold under repo				
(i) सरकारी प्रतिभूतियां	i. Government securities	504.85	8,797.88	2,348.41	7,000.00
(ii) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	ii. Corporate debt securities	-	-	-	-
रिवर्स रिपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां	Securities purchased under reverse repo				
(i) सरकारी प्रतिभूतियां	i. Government securities	304.71	6,690.55	129.58	-
(ii) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	ii. Corporate debt securities	-	-	-	-

क-2.2 गैर - एस एल आर निवेश पोर्टफोलियो

i) गैर - एस एल आर निवेशों के जारीकर्ता घटक

A-2.2 Non-SLR Investment Portfolio

i) Issuer composition of Non SLR investments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

सं. No.	जारीकर्ता	Issuer	राशि Amount	निजी प्लेसमेंट की सीमा Extent of Private Placement	निवेश ग्रेड के नीचे की प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Below Investment Grade' Securities	अनरेटेड प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unrated' Securities	असूचीबद्ध प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
(i)	पीएसयू	PSUs	1,061.36	427.06	-	-	107.08
(ii)	एफआई	FIs	1,024.96	853.58	73.64	-	73.64
(iii)	बैंक	Banks	4,687.40	847.30	408.85	64.06	97.20
(iv)	निजी निगम	Private Corporate	2,339.47	1,146.50	790.66	214.80	159.05
(v)	अनुषंगियां / संयुक्त उद्यम	Subsidiaries/ Joint Ventures	1,234.94	1,234.94	-	-	-
(vi)	अन्य	Others	4,194.55	376.30	955.33	50.88	305.25
(vii)	मूल्यहास हेतु धारित प्रावधान	Provision held towards depreciation	-703.88	-	-	-	-
	कुल	Total	13,838.80	4,885.68	2,228.48	329.74	742.22

ii) अनर्जक गैर-एसएलआर निवेश

ii) Non-performing Non-SLR investments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current year	पिछला वर्ष Previous year
प्रारंभिक शेष	Opening balance	250.70	231.58
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions during the year	88.85	21.71
उपरोक्त अवधि के दौरान कटौतियां	Reductions during the year	-	2.59
अंतिम शेष	Closing balance	339.55	250.70
कुल धारित प्रावधान	Total provisions held	290.98	227.53



क-2.3 डेरीवेटिक्स

A-2.3 Derivatives

क-2.3.1 फारवर्ड दर समझौते / ब्याज दर स्वैप

A-2.3.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current year	पिछला वर्ष Previous year
i) स्वैप समझौते की कल्पित मूल राशि	The notional principal of swap agreements	17,477.59	13,745.00
ii) समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को काउंटर पार्टी द्वारा पूरा न करने पर होने वाली हानि	Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	179.62	142.89
iii) स्वैप में आने पर बैंक के लिए अपेक्षित कोलैटरल	Collateral required by the bank upon entering into swaps	-	-
iv) स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेंद्रण	Concentration of credit risk arising from the swaps	977.85	601.4
v) स्वैप बही का उचित मूल्य	The fair value of the swap book	732.07	256.29

क-2.3.2 एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिक्स :

A-2.3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives:

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

सं. क्र. Sr. No.	विवरण	Particulars	राशि Amount
(i)	वर्ष के दौरान एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिक्स की नोशनल प्रिंसिपल राशि (लिखतवार) A. ब्याज दर फ्यूचर (आईआरएफ)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise) A. Interest Rate Future (IRF)	445.37
(ii)	वर्ष के दौरान एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिक्स की 31 मार्च, 2012 के अनुसार (लिखतवार) बकाया नोशनल प्रिंसिपल राशि	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2012 (instrument-wise)	शून्य NIL
(iii)	नोशनल प्रिंसिपल राशि वर्ष के दौरान एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरीवेटिक्स की बकाया नोशनल प्रिंसिपल राशि "अत्यधिक प्रभावी" नहीं (लिखतवार)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	शून्य NIL
(iv)	एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर की मार्क-टू-मार्केट कीमत डेरीवेटिक्स बकाया और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं (लिखतवार)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	शून्य NIL

क-2.3.3 डेरीवेटिक्स में जोखिम एक्सपोजर का प्रकटीकरण

A-2.3.3 Disclosures on risk exposure in derivatives

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

(i) Qualitative Disclosure

बैंक की ट्रेजरी नीति में डेरीवेटिक्स लेन देनों के कार्य के लिए सभी प्रकार की वित्तीय डेरीवेटिक्स लिखतों के प्रकार, विस्तार एवं उपयोग, अनुमोदन प्रक्रिया तथा ओपन पोजीशन लिमिट, स्टॉप लॉस लिमिट तथा काउंटर पार्टी एक्सपोजर लिमिट

The Treasury Policy of the bank lays down the types of financial derivative instruments, scope of usages, approval procedures and the limits like open position limits, stop loss limits and

जैसी सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

बैंक अपने तुलन पत्र में दर्शाए गए अथवा दर्शाए न गए जोखिमों की हेजिंग के लिए तथा बाजार आधार तैयार करने के लिए वित्तीय डेरीवेटिव्स लेन देनों का उपयोग करता है, मूलतः ये उत्पाद, जोखिम के प्रति बचाव व्यवस्था, लागत कम करने तथा ऐसे लेन देनों में प्रतिफल बढ़ाने के एवं प्रोपराइटरी ट्रेडिंग के लिए उपयोग में लाए जाते हैं।

बैंक को जिन जोखिमों का खतरा रहता है, वे हैं : ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, देशीय जोखिम और परिचालन जोखिम। बैंक की मूल्य जोखिम, जोखिम प्रबंधन नीतियां (बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित) हैं, जो एमटीएम, (वीएआर) तथा पीवी01 के माध्यम से नियमित आधार पर व्यापार बही में लेन देनों की वित्तीय जोखिमों के आकलन तथा उचित जोखिम सीमाएं तय करने के लिए तैयार की गई हैं। इनको बैंक के जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा समय-समय पर विश्वसनीय एवं अद्यतन प्रबंधन सूचना प्रणालियों द्वारा मॉनीटर किया जाता है तथा इस बारे में बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता वाली निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति को अवगत कराया जाता है।

लेनदेनों की काउंटर पार्टियां, बैंक तथा कार्पोरेट प्रतिष्ठान हैं। अनुमोदित एक्सपोजर सीमाओं के अंतर्गत व्यवहार किए जाते हैं। डेरीवेटिव्स उत्पादों पर ऋण जोखिम आकलित करने के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मौजूदा एक्सपोजर पद्धति को अपनाया है, जिसके अनुसार बैंक कुल प्रतिस्थापन लागत का योग, (सभी संविदाओं को सकारात्मक मूल्य सहित मार्क-टु-मार्केट द्वारा प्राप्त करने अर्थात् जब बैंक को काउंटर पार्टी से धन प्राप्त करना है) तथा ऋण जोखिम में भविष्य में होने वाले संभाव्य परिवर्तनों की राशि, जिसकी गणना संविदा की कुल कल्पित मूल राशि शेष परिपक्वता के अनुसार संबंधित ऋण रुपांतरण घटकों के साथ गुणा करके परिकलित की जाती है, निम्नानुसार है :-

कल्पित मूल राशि पर लागू किया जाने वाला रुपांतरण घटक

अवशिष्ट परिपक्वता	Residual Maturity	ब्याज दर संविदा Interest Rate Contract	विनिमय दर संविदा Exchange Rate Contract
एक वर्ष से कम	Less than one year	0.50%	2.00%
एक वर्ष और अधिक	One year and above	1.00%	10.00%
पांच वर्ष से अधिक	Over five years	3.00%	15.00%

हेज तथा गैर-हेज (मार्केट मेकिंग) लेन देनों को अलग से दर्ज किया जाता है। हैजिंग डेरिवेटिव्स उपचय आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं। ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स पोजिशन (एमटीएम) को मार्क की जाती है और परिणामस्वरूप लाभ-हानि खाते में यदि कोई हानि हो, हिसाब में ली जाती है। लाभ, यदि कोई हो, नहीं माना जाता है। ब्याज दर स्वैप्स से संबंधित ब्याज और व्यय निपटान की तारीख पर हिसाब में लिए जाते हैं। ट्रेडिंग स्वैप के समाप्त होने पर लाभ /हानि समाप्ति की तारीख पर आय /व्यय के रूप में दर्ज किए जाते हैं।

counter party exposure limits for undertaking derivative transactions.

The Bank uses financial derivative transactions for hedging, its on or off balance sheet exposures as well as for market making. Basically, these products are used for hedging risk, reducing cost and increasing the yield in such transactions and for proprietary trading.

The types of risk to which the bank is exposed to are credit risk, market risk, country risk and operational risk, The Bank has risk management policies (approved by Board of Directors of the Bank), which is designed to measure the financial risks for transactions in the trading book on a regular basis, by way of MTM, VaR and PV01, and to set appropriate risk limits. These are monitored by means of reliable and up to date Management Information Systems by the Risk Management Department of the Bank from time to time who, in turn, appraises the risk profile to the Risk management Committee of Directors, which is presided over by the Bank's Chairman and Managing Director.

The counter parties to the transactions are banks and corporate entities. The deals are done under approved exposure limits. The bank has adopted the current exposure method prescribed by Reserve Bank of India for measuring Credit Exposure on Derivative products as per which the bank sums the total replacement cost (obtained by mark to market of all its contracts with positive value i.e. when the bank has to receive money from the counter party) and an amount for potential future changes in credit exposure calculated on the basis of the total notional principal amount of the contract multiplied by the relevant credit conversion factors according to the residual maturity as detailed herein under:-

Conversion factor to be applied on notional principal amount

The hedge/non-hedge (market making) transactions are recorded separately. Hedging derivatives are accounted for on an accrual basis. Trading derivative positions are marked-to-market (MTM) and the resulting losses, if any, are recognized in the Profit and Loss Account. Profit, if any is not recognized. Income and Expenditure relating to interest rate swaps are recognized on the settlement date. Gains/losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/expenditure.



(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

(ii) Quantitative Disclosures

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

सं. क्र. Sr. No.	विवरण	Particulars	करेंसी डेरिवेटिव्स Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव्स Interest rate Derivatives
(i)	डेरिवेटिव्स (कल्पित मूल राशि)	Derivatives (Notional Principal Amount)	422.78	17,177.27
	क) हैजिंग के लिए	a) For hedging	300.34	9,228.38
	ख) ट्रेडिंग के लिए	b) For trading	122.44	7,948.89
(ii)	मार्कड टू मार्केट पोजिशन (1)	Marked to Market Positions	22.11	604.84
	क) आस्तियां (+)	a) Asset (+)	26.89	724.9
	ख) देयताएं (-)	b) Liability (-)	-4.78	-120.06
(iii)	ऋण जोखिम (2)	Credit Exposure	32.75	963.43
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत होने वाले परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)	0.44	452.05
	क) हैजिंग डेरिवेटिव्स पर	a) On hedging derivatives	-0.02	275.61
	ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स पर	b) On trading derivatives	0.46	176.44
(v)	वर्ष के दौरान पाए गए न्यूनतम तथा अधिकतम 100*पीवी01	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year	1.61 & 0.46	256.01 & 172.33
	क) हैजिंग पर	a) On hedging	-	100.29 & 53.19
	ख) ट्रेडिंग पर	b) On trading	1.61 & 0.46	189.21 & 122.24

क-2.4 आस्ति गुणवत्ता

A-2.4 Asset Quality

क-2.4.1 गैर निष्पादक आस्तियां

A-2.4.1 Non Performing Assets

क. गैर निष्पादक आस्तियों का संचलन

A. Movement of NPAs

		चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1 अप्रैल, 2011 को सकल एनपीए (प्रारंभिक शेष)	Gross NPAs as on 1st April 2011 (Opening Balance)	3,152.50	2,400.69
वर्ष के दौरान जुड़े (नए एनपीए)	Additions (Fresh NPAs) during the year	3,443.31	1,897.01
उप जोड़ (क)	Sub-Total (A)	6,595.81	4,297.70
घटाएं :	Less : -		
(i) अपग्रेडेशन	(i) Up-gradations	335.55	189.17
(ii) वसूलियां (अपग्रेड किए गए खातों से हुई वसूलियों को छोड़कर)	(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	580.46	455.49
(iii) बड़े खाते डाली गई राशि	(iii) Write-offs	1,215.05	500.54
उप जोड़ (ख)	Sub-total (B)	2,131.06	1,145.20
31 मार्च, 2012 के सकल एनपीए (अंतिम शेष) (क-ख)	Gross NPAs as on 31st March 2012 (closing balance) (A-B)	4,464.75	3,152.50



ख) गैर निष्पादक आस्तियां

B) Non-Performing Assets

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(i) शुद्ध अग्रिमों में शुद्ध एनपीए (%)	Net NPAs to Net Advances (%)	0.54	0.35
(ii) एनपीए का संचलन (सकल)	Movement of NPAs (Gross)		
(क) प्रारंभिक शेष	(a) Opening balance	3,152.50	2,400.69
(ख) वर्ष के दौरान जोड़े गए	(b) Additions during the year	3,443.31	1,897.01
(ग) वर्ष के दौरान घटाए गए	(c) Reductions during the year	2,131.06	1,145.20
(घ) अंतिम शेष	(d) Closing balance	4,464.75	3,152.50
(iii) शुद्ध एनपीए का संचलन	Movement of Net NPAs		
(क) प्रारंभिक शेष	(a) Opening balance	790.88	602.32
(ख) वर्ष के दौरान जोड़े गए	(b) Additions during the year	1,988.72	718.15
(ग) वर्ष के दौरान घटाए गए	(c) Reductions during the year	1,235.96	529.59
(घ) अंतिम शेष	(d) Closing balance	1,543.64	790.88
(iv) एनपीए हेतु प्रावधान का संचलन (मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोड़कर)	Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
(क) प्रारंभिक शेष	(a) Opening balance	2,361.62	1,798.37
(ख) वर्ष के दौरान जोड़े गए	(b) Provisions made during the year	1,836.42	1,178.86
(ग) आधिक्य प्रावधानों को बट्टे खाते डालना/पुनःहिसाब में लेना	(c) Write-off/ write-back of excess provisions	1,276.93	615.61
(घ) अंतिम शेष	(d) Closing balance	2,921.11	2,361.62

ग) क्षेत्रवार एनपीए

C) Sector-wise NPAs

क्रमांक Sl. No.	क्षेत्र	Sector	क्षेत्र में कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत Percentage of NPAs to Total Advances in that sector	
			चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1	कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां	Agriculture & allied activities	3.99	3.47
2	उद्योग (माइक्रो एवं लघु, मध्यम एवं बड़े)	Industry (Micro & small, Medium and Large)	1.12	1.76
3	सेवाएं	Services	2.72	1.22
4	व्यक्तिगत ऋण	Personal Loans	3.66	1.72

घ) विदेशी आस्तियां, एनपीए तथा राजस्व

D) Overseas Assets, NPAs and Revenue

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
कुल आस्तियां	Total Assets	12,7861.71	90,767.70
कुल एन पी ए	Total NPAs	582.92	366.27
कुल राजस्व	Total Revenue	4,032.74	2,951.23



क-2.4.2 पुनर्गठित खातों का विवरण

A- 2.4.2 Particulars of Accounts Restructured.

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

				सीडीआर कार्यप्रणाली CDR Mechanism	एसएमई ऋण पुनर्निर्धारण SME Debt Restructuring	अन्य Others
पुनर्गठित मानक अग्रिम	Standard advances restructured	ऋण कर्ताओं की संख्या	No. of Borrowers	16	277	9,620
				(3)	(203)	(9,786)
		बकाया राशि	Amount outstanding	1,534.03	505.76	6,813.28
				(166.01)	(487.22)	(2,189.38)
		छूट (उचित मूल्य में कमी)	Sacrifice (diminution in the fair value)	262.81	4.27	33.67
				(11.06)	(4.91)	(52.74)
पुनर्गठित अवमानक अग्रिम	Sub standard advances restructured	ऋण कर्ताओं की संख्या	No. of Borrowers	-	6	2042
				(1)	(22)	(129)
		बकाया राशि	Amount outstanding	-	17.04	5.09
				(154.24)	(12.9)	(4.42)
		छूट (उचित मूल्य में कमी)	Sacrifice (diminution in the fair value)	-	0.07	0.19
				(4.5)	(0.16)	(0.1)
पुनर्गठित संदिग्ध अग्रिम	Doubtful advances restructured	ऋण कर्ताओं की संख्या	No. of Borrowers	-	2	40
				(-)	(13)	(109)
		बकाया राशि	Amount outstanding	-	1.93	2.06
				(-)	(0.01)	(11.91)
		छूट (उचित मूल्य में कमी)	Sacrifice (diminution in the fair value)	-	-	0.1
				(-)	(0.01)	(0.12)
जोड़	TOTAL	ऋण कर्ताओं की संख्या	No. of Borrowers	16	285	11702
				(4)	(238)	(10024)
		बकाया राशि	Amount outstanding	1,534.03	524.73	6,820.43
				(320.25)	(500.13)	(2,205.71)
		छूट (उचित मूल्य में कमी)	Sacrifice (diminution in the fair value)	262.81	4.34	33.96
				(15.56)	(5.08)	(52.96)

कोष्ठक में दिये गये आंकड़े पिछले वर्ष के हैं.

* एक पुनर्गठित खाते के मामले में, बैंक संबंधित खाते के उचित मूल्य में हास के संबंध में प्रावधान का परिशोधन करेगा तथा भा.रि.बैंक के 2 अप्रैल, 2012 के पत्र के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012-13 की पहली तिमाही से 8 तिमाहियों की अवधि के लिए खाते का पुनर्गठन करने हेतु अतिरिक्त प्रावधान करेगा.

Figures in bracket denote previous year numbers

* In respect of one restructured account, the bank shall amortize the provision towards diminution in fair value of the said advance and the additional provision required for restructured standard asset over a period of 8 quarters starting from the first quarter of financial year 2012-2013 as per the directives from Reserve Bank of India vide their letter dated 2nd April 2012.



क-2.4.3 प्रतिभूतिकरण/पुनर्गठन कम्पनी अथवा आस्ति पुनर्गठन के लिए बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

A-2.4.3 Details of financial assets sold to Securitization / Reconstruction Company or Asset Reconstruction

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(i) खातों की संख्या	No. of accounts	3	3
(ii) एससी/आरसी को बेचे गए खातों की कुल कीमत (प्रावधानों का नेट)	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC / R C	-	-
(iii) कुल प्रतिफल	Aggregate consideration	6.52	5.05
(iv) आरंभिक वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूला गया अतिरिक्त प्रतिफल	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	-	-
(v) शुद्ध बही कीमत पर कुल लाभ / हानि	Aggregate gain/loss over net book value	6.52	5.05

क-2.4.4 खरीदी गई / बेची गई गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों का विवरण

A-2.4.4 Details of non-performing financial assets purchased/sold

क. खरीदी गई गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण :

A. Details of non-performing financial assets purchased:

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1. क. वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	(a) No. of accounts purchased during the year	-	-
ख. समग्र बकाया	(b) Aggregate outstanding	-	-
2. क. इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों की संख्या	(a) Of these, number of accounts restructured during the year	-	-
ख. सकल बकाया	(b) Aggregate outstanding	-	-

ख. बेची गई गैर निष्पादक वित्तीय आस्तियों का विवरण :

B. Details of non-performing financial assets sold:

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1. बेचे गए खातों की संख्या	No. of accounts sold	3	3
2. समग्र बकाया	Aggregate outstanding	68.33	8.07
3. समग्र प्रतिफल प्राप्ति	Aggregate consideration received	6.52	5.05

क-2.4.5 मानक आस्तियों पर प्रावधान

A-2.4.5 Provisions on Standard Asset

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

मर्दे	Item	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
आरबीआई मानदण्डों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provisions towards Standard Assets as per RBI norms	1,390.06	911.35



क-2.5 व्यावसायिक अनुपात

A.2.5 Business Ratios

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current year	पिछला वर्ष Previous Year
(i) औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	Interest Income as a percentage to Average Working Funds	7.58	6.97
(ii) औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय	Non-interest income as a Percentage to Average Working Funds	0.87	0.89
(iii) औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	Operating Profit as a percentage to Average Working Funds	2.19	2.22
(iv) आस्तियों पर प्रतिफल	Return on Assets	1.24	1.33
(v) प्रति कर्मचारी व्यवसाय (कोर जमा तथा अग्रिम) (₹ करोड़ में)	Business (Core Deposits plus advances) per employee (₹in Crores)	14.66	12.29
(vi) प्रति कर्मचारी लाभ (₹ करोड़ में)	Profit per employee (₹in Crores)	0.12	0.11

क-2.6 आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता स्वरूप (प्रबंधन द्वारा समेकित एवं लेखा परीक्षकों द्वारा व्यक्त विश्वास के अनुरूप)

A. 2.6 Maturity pattern of certain items of assets and liabilities (As compiled by the management and relied upon by the auditors)

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

		1 दिन 1 day	2 से 7 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 28 दिन 15 to 28 days	29 दिन से 3 माह 29 days to 3 months	3 महीनों से ज्यादा तथा 6 महीनों तक Over 3 months & up to 6 months	6 महीनों से ज्यादा तथा 1 वर्ष तक Over 6 months & up to 1 year	1 वर्ष से ज्यादा तथा 3 वर्ष तक Over 1 year & up to 3 years	3 वर्ष से ज्यादा तथा 5 वर्ष तक Over 3 years & up to 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 years	कुल Total
जमा राशियां	Deposits	2925.19 (6810.06)	21239.74 (15685.48)	11003.69 (14159.61)	14329.7 (11574.86)	57524.98 (35087.6)	46899.67 (31880.74)	101186.09 (78769.36)	69782.9 (58293.15)	14480.81 (10417.81)	45498.33 (42760.81)	384871.11 (305439.48)
अग्रिम	Advances	2219.76 (3189.22)	6010.72 (4055.21)	8268.23 (4719.87)	6769.28 (5165.89)	37969.99 (27056.95)	31238.21 (29223.81)	30909.28 (30160.55)	89550.2 (43314.63)	31298.26 (28991.24)	43143.37 (52798.99)	287377.29 (228676.36)
निवेश	Investments	419.65 (308.78)	1186.93 (1021.37)	290.33 (261.94)	764.51 (473.73)	5737.41 (2888.74)	1231.49 (1077.89)	1633.1 (1994.7)	12828.27 (7301.1)	10593.25 (13921.93)	48524.47 (42010.44)	83209.4 (71260.63)
उधार	Borrowings	61.03 (324.42)	508.8 (451.79)	39.32 (71.92)	25.44 (293.75)	1751.06 (1543.06)	2387.02 (2305.3)	2042.77 (46.24)	1399.66 (2739.36)	4729.69 (1862.08)	10628.26 (12669.91)	23573.05 (22307.85)
विदेशी मुद्रा आस्तियां	Foreign Currency assets	8545.19 (9641.29)	10212.72 (5077.95)	4883.32 (2778.3)	6054.54 (5353.27)	29164.67 (23054.09)	23826.91 (16715.24)	15119.83 (16187.12)	18048.4 (10677.74)	12170.83 (10688.62)	5106.43 (6636.2)	133132.84 (106809.82)
विदेशी मुद्रा देयताएं	Foreign Currency liabilities	1737.17 (9591.3)	17556.76 (8928.37)	5960.54 (3231.94)	5852.08 (6057.93)	27105.95 (16073.17)	22690.71 (18028.63)	21937.97 (13464.97)	4997.56 (11483.17)	16567.48 (11853.45)	8926.66 (10247.89)	133332.88 (108960.83)

- कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष की संख्याएं हैं. Figures in bracket denote previous year numbers
- आस्तियों एवं देयताओं का विभाजन 'बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन एवं समूह जोखिम नीति 2011' के अनुसार किया गया है. The distribution of Assets and Liabilities has been done as per the "Asset Liability Management and Group Risk Policy-2011" of the Bank
- कुल अग्रिमों की गणना में प्रावधानों एवं अन्य कटौतियों का विभाजन सकल मानक अग्रिमों के अनुपात में किया गया है. The Distribution of provisions and other deductions, while arriving at the net advances, has been done in proportion to the gross Standard Advances.
- विदेशी मुद्रा की देयताओं का विभाजन मूल देयता विभाजन के अनुपात में किया गया है. Distribution of provision on foreign currency liabilities has been done in proportion to the distribution of the parent liability.



क-2.7 एक्सपोजर

क-2.7.1 रियल एस्टेट क्षेत्र में एक्सपोजर

A-2.7 Exposure

A-2.7.1 Exposure to Real Estate Sector

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

श्रेणी	Category	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
क) प्रत्यक्ष एक्सपोजर	a) Direct exposure		
(i) आवासीय बंधक -	(i) Residential Mortgages -		
आवासीय संपत्ति, जो कर्जदार के स्वामित्व में है / होगी या किराए पर है, को बंधक रखते हुए पूर्ण सुरक्षित कर्ज, इनमें से व्यक्तिगत आवास ऋण प्राथमिकता प्राप्त अग्रिमों में शामिल करने हेतु पात्र हैं.	Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; Of which Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector	15,729 (9,880.57)	13,085.20 (8,074.83)
(ii) वाणिज्यिक रियल एस्टेट	ii) Commercial Real Estate -	5,834.96	6,082.45
वाणिज्यिक रियल एस्टेट पर बंधक द्वारा सुरक्षित कर्ज (कार्यालय भवन, रिटेल स्पेस, मल्टी पर्पस कर्मशियल परिसर, बहुपरिवार आवासीय भवन, बहु किराएदार कर्मशियल परिसर, औद्योगिक या वेयर हाउस स्पेस, होटल, जमीन, अधिग्रहण, विकास तथा निर्माण कार्य आदि) एक्सपोजर में गैर निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं शामिल हो सकती हैं.	Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits;		
(iii) बंधक युक्त प्रतिभूतियों में निवेश (एम बी एस) तथा अन्य प्रतिभूतित एक्सपोजर	(iii) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures -		
क. आवासीय	a. Residential,	0.41	17.84
ख. वाणिज्यिक रियल एस्टेट	b. Commercial Real Estate.	13.13	43.54
ख) अप्रत्यक्ष एक्सपोजर	b) Indirect Exposure		
निधि आधारित तथा गैर निधि आधारित एक्सपोजर	Fund based and non-fund based exposures		
(i) नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) तथा	(i) National Housing Bank (NHB)	83.18	10.00
(ii) आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी)	(ii) Housing Finance Companies (HFCs)	5,496.72	4,618.91
रियल एस्टेट क्षेत्र में कुल एक्सपोजर	Total Exposure to Real Estate Sector	27,157.40	23,857.95



क-2.7.2 पूंजी बाजार में ऋण जोखिम

A- 2.7.2 Exposure to Capital Market

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

मदें	Items	चालू वर्ष Current year	पिछला वर्ष Previous Year	
(i)	इक्विटी शेयर्स, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड की यूनिटों, जिनके कॉरपस कार्पोरेट ऋण में अलग से निवेश नहीं किए गए हों, में प्रत्यक्ष निवेश	(i) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	1,846.09	1,361.79
(ii)	शेयरों/बांडों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों की एवज में अग्रिम अथवा शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी), परिवर्तनशील बांडों, परिवर्तनशील डिबेंचरों तथा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड की यूनिटों में निवेश के लिए व्यक्तियों को निर्बंध आधार पर दिए गए अग्रिम	(ii) Advances against shares/bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	70.60	12.16
(iii)	किन्हीं अन्य ऐसे उद्देश्यों के लिए अग्रिम जहां शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है.	(iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	12.57	4.80
(iv)	किन्हीं अन्य ऐसे उद्देश्यों के लिए उस सीमा तक अग्रिम, जोकि शेयरों, परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड की यूनिटों की संपाश्विक प्रतिभूति से संरक्षित है; अर्थात् जहां कि शेयरों/परिवर्तनीय बांडों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंडों के अलावा ली गयी प्राथमिक प्रतिभूति पूरी तरह से अग्रिमों को कवर नहीं कर पायी है.	(iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds ₹does not fully cover the advances	116.39	5.37
(v)	स्टॉक ब्रोकरों को जमानती तथा गैर जमानती अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों तथा मार्केट मेकर की ओर से जारी गारंटियां	(v) Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers	159.72	206.46
(vi)	कार्पोरेट को शेयरों/बांडों/डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों अथवा अपने संसाधनों के बढ़ने की प्रत्याशा में नयी कंपनियों की इक्विटी को प्रोमोटर के अंशदान के लिए निर्बंध आधार पर स्वीकृत किए गए अग्रिम	(vi) Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	-	123.74
(vii)	संभावित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों की एवज में कंपनियों को पूरक (ब्रिज) ऋण	(vii) Bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	-	0.13
(viii)	शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों/डिबेंचरों अथवा इक्विटी आधारित म्यूचुअल फंड के प्राथमिक मुद्दों के बारे में बैंकों द्वारा की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं	(viii) Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	0.60	-
(ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों को वित्त प्रदान करना	(ix) Financing to stockbrokers for margin trading	1.90	150.11
(x)	वेंचर पूंजी निधियों (पंजीकृत तथा गैर पंजीकृत) का जोखिम	(x) All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	731.52	741.88
पूंजी बाजार में कुल जोखिम		Total Exposure to Capital Market	2,939.39	2,606.44

पूंजी बाजार में ₹ 2,939.39 करोड़ का ऋण कुल ऋण की सीमा राशि ₹ 7,900.25 करोड़ के भीतर है. (अर्थात् 31.03.2011 को बैंक की शुद्ध मालियत ₹19,750.63 करोड़ का 40%). पूंजी बाजार में प्रत्यक्ष एक्सपोजर ₹ 2,663.28 करोड़ है और बैंक की निवल मालियत (₹ 3,950.12 करोड़) 20% के भीतर है.

The exposure to Capital Market of ₹ 2,939.39 Crores is within the limit of ₹ 7,900.25 Crores (i.e. 40% of Bank's Net worth ₹19,750.63 Crores as on 31.03.2011). The direct exposure to Capital Market is ₹ 2,663.28 Crores and is within 20% of the Bank's Net Worth (₹ 3,950.12 Crores).



क-2.7.3 जोखिम श्रेणीवार देशीय एक्सपोजर

A-2.7.3 Risk Category wise Country Exposure

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

श्रेणी	Category	31 मार्च 2012 को एक्सपोजर (नेट) Exposure (net) as at 31st March 2012	31 मार्च 2012 को प्रावधान Provision held as at 31st March 2012	31 मार्च 2011 को एक्सपोजर (नेट) Exposure (net) as at 31st March 2011	31 मार्च 2011 को प्रावधान Provision held as at 31st March 2011
महत्वहीन	Insignificant	16,820.37	8.78	11,525.14	5.19
न्यून	Low	13,082.91	13.85	11,681.36	12.22
मध्य	Moderate	479.44	--	769.28	--
उच्च	High	62.23	--	337.49	--
अधिक उच्च	Very High	1,577.95	--	1,212.04	--
सीमित	Restricted	22.05	--	6.66	--
ऋण से इतर	Off-credit	0.38	--	0.06	--
कुल	Total	32,045.33	22.63	25,532.03	17.41

क-2.7.4 बैंक द्वारा एकल ऋणी सीमा (एसबीएल) समूह ऋणी सीमा (जीबीएल) में आधिक्य

A-2.7.4 Single Borrower Limit (SBL)/ Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the bank.

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

वर्ष Year	ऋणी का नाम Name of the borrower	एकल कर्जदार एक्सपोजर सीमा Single Borrower Exposure Limit	कुल निर्धारित सीमा Total Limit Sanctioned	31.03.2012 को शेष Balance as on 31st March
2011-12	-	-	-	-
2010-11	-	-	-	-

वर्ष Year	ऋणी का नाम Name of the borrower	समूह कर्जदार एक्सपोजर सीमा Group Borrower Exposure Limit	कुल निर्धारित सीमा Total Limit Sanctioned	31.03.2011 को शेष Balance as on 31st March
2011-12	-	-	-	-
2010-11	-	-	-	-

क-2.7.5 गैरजमानती अग्रिम राशि

A-2.7.5 Amount of Unsecured Advances

ऐसे अग्रिमों जिनमें हकदारी, लाइसेंस, प्राधिकार आदि पर प्रभार हेतु अमूर्त प्रतिभूतियां जमानत के रूप में ली गई हैं, की राशि ₹ 1033.30 करोड़ है और उन्हें गैर जमानती अग्रिमों के भाग के रूप में दर्शाया गया है जैसा कि तुलन पत्र की अनुसूची 9 में उल्लिखित है. कुल गैर जमानती अग्रिमों में ऐसे अग्रिमों का अंश 2.20% है.

The amount of advances, for which intangible securities, such as charge over the rights, licenses, authority etc. have been taken as security is ₹ 1033.30 Crores and the same has been classified as unsecured, forming part of unsecured advances as reflected in schedule 9 of the balance sheet. Such advances to total unsecured advances are 2.20 %.

₹ 277.23 करोड़ के गैर जमानती ऋण वाले एक खाते में दिनांक 23.04.2010 की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार अमूर्त संपार्श्विक का मूल्यांकन ₹ 1099.28 करोड़ है. ₹ 756.07 करोड़ की बकाया राशि वाले अन्य खातों के संबंध में अमूर्त प्रतिभूति का आकलित मूल्य नहीं लिया गया है.

One account with unsecured loan of ₹ 277.23 Crores has intangible collateral valued at ₹ 1099.28 Crores as per valuation report dated 23.04.2010. In respect of other accounts for unsecured outstanding of ₹ 756.07 Crores, the estimated value of intangible security is not taken.



क-2.7.6 जमाओं, अग्रिमों, एक्सपोजर तथा एनपीए का केन्द्रीकरण

A-2.7.6 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

2.7.6. क) जमाओं का केन्द्रीकरण

2.7.6. a) Concentration of Deposits

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

		चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाएं	Total Deposits of twenty largest depositors	36,576.98	30,464.99
बैंक की कुल जमाओं में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाओं का प्रतिशत	Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank	9.50	9.97

2.7.6. ख) अग्रिमों का केन्द्रीकरण

2.7.6. b) Concentration of Advances

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

		चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
बीस सबसे बड़े ऋणियों को दिए गए कुल ऋण	Total Advances to twenty largest borrowers	42,897.70	36,312.71
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े ऋणियों को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the bank	10.22	11.19

2.7.6. ग) एक्सपोजर का केन्द्रीकरण

2.7.6. c) Concentration of Exposures

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

		चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
बीस सबसे बड़े ऋणियों / ग्राहकों का कुल एक्सपोजर	Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	44,872.71	38,237.82
बीस सबसे बड़े ऋणियों / ग्राहकों को बैंक के कुल एक्सपोजर का प्रतिशत	Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers	8.99	9.73

2.7.6. घ) एनपीए का केन्द्रीकरण

2.7.6. d) Concentration of NPAs

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

		चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
चार बड़े एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर	Total Exposure to top four NPA accounts	709.92	383.89

2.7.6. ङ) प्रावधान कवरेज अनुपात

2.7.6. e) Provision Coverage Ratio

		चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
सकल एनपीए में प्रावधान कवरेज अनुपात (तकनीकी बट्टाकरण सहित)	PCR to Gross NPA (including technical write-off)	80.05%	85.00%

क-2.8 विविध

A-2.8 Miscellaneous

क-2.8.1 वर्ष के दौरान कराधान हेतु किए गए प्रावधान की राशि

A-2.8.1 Amount of Provisions for Taxation during the year

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

		चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous year
संपत्ति कर एवं आस्थगित कर सहित के करों हेतु प्रावधान	Provision for Tax including Wealth tax & deferred tax	1,443.98	1,652.91
घटाएं - पिछले वर्षों से संबंधित कर प्रावधानों का रिवर्सल	Less reversal of Tax provisions relating to previous years	425.14	244.27
कर के लिए नेट प्रावधान	Net Provision for Tax	1,018.84	1,408.64



क-2.8.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड का प्रकटीकरण

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक पर बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की किसी भी अपेक्षा की अवहेलना अथवा गैर अनुपालना अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट नियमों अथवा शर्तों का पालन न होने के कारण बैंक पर ऐसा कोई दण्ड नहीं लगाया गया है।

क-2.8.3 प्रायोजित एसपीवी ऑफ बैलेंस शीट (जिसे लेखा मानकों के अनुसार समेकित किया जाना है)

A-2.8.2 Disclosure of penalties imposed by RBI

During the financial year 2011-12, the bank has not been subjected to any penalty for contravention or non-compliance with any requirement of the Banking Regulation Act, 1949, or any rules or conditions specified by the Reserve Bank of India in accordance with the said Act.

A-2.8.3 Off-balance sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

प्रायोजित एसपीवी का नाम Name of the SPV sponsored	
घरेलू Domestic	विदेशी Overseas
शून्य / NIL	शून्य / NIL

क-3. एसएलआर निवेश

A-3. SLR Investments:

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

		चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		बही मूल्य Current Year Book Value	मार्केट मूल्य Market Value	बही मूल्य Previous Year Book Value	मार्केट मूल्य Market Value
सरकारी प्रतिभूतियां एसएलआर (सीजी, एसजी व टीबी)*	Govt. sec SLR(CG,SG,&TB) *	69,207.34	69207.34	59404.47	59404.47
अनुमोदित प्रतिभूतियां – एसएलआर	Approved sec-SLR	163.26	163.26	540.70	536.28

*इसमें सीसीआईएल/एमसीएक्स/यूएसई/एनएसई के पास रखी एसएलआर प्रतिभूतियां शामिल हैं. *incl. SLR Securities kept with CCIL/ MCX / USE / NSE

क-4. प्रावधानों व आकस्मिकताओं का ब्रेक अप

A-4. Break up of Provisions and Contingencies

क-4.1 लाभ व हानि खाते में आने वाले प्रावधान व आकस्मिकताओं का विवरण इस प्रकार है:

A-4.1 The break-up of provisions and contingencies appearing in Profit & Loss Account is as under:

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधान	Provision for depreciation on investment	236.33	9.01
बढ़ेखाते डाले गए अशोध्य ऋणों/एनपीए के लिए प्रावधान	Bad debts written off / Provision made towards NPA	1,568.87	1,055.47
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	Provision for standard assets	448.17	223.85
कर हेतु प्रावधान (आस्थगित करों, और संपदा कर सहित)	Provision for taxes (including deferred taxes, and Wealth tax)	1,018.84	1,408.64
अन्य प्रावधान तथा आकस्मिकताएं	Other Provision and Contingencies		
पुनर्गठित मानक व अवमानक खातों में ब्याज के सैक्रिफाइस हेतु प्रावधान	Provision towards sacrifice of interest in restructured standard and sub-standard accounts	296.32	-4.87
देशगत जोखिम प्रबंधन हेतु प्रावधान	Provision for Country Risk Management	5.22	2.06
कर्मचारी कल्याण खर्च हेतु प्रावधान	Provision for staff welfare expenses	25.00	15.00
अन्य	Others	-25.08	30.76
कुल	Total	3,573.67	2,739.92



क-4.2 अस्थायी प्रावधान - व्यापक प्रकटीकरण

A-4.2 Floating Provisions – Comprehensive Disclosures

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
क. अस्थायी प्रावधान खाते में आरम्भिक शेष	a. Opening balance in the floating provisions account	850.35	550.35
ख. लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधान की राशि	b. The quantum of floating provisions made in the accounting year	-	300.00
ग. लेखा वर्ष के दौरान किए गए ड्रा डाउन की राशि	c. Amount of draw down made during the accounting year	-	-
घ. अस्थायी प्रावधान खाते में अंतिम शेष	d. Closing balance in the floating provisions account	850.35	850.35

क- 4.3 आरक्षित निधियों में गिरावट (ड्रा डाउन)

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान आरक्षित निधियों में कोई गिरावट नहीं आई.

A-4.3 Draw Down from Reserves

During the financial year 2011-12, there has been no draw down from Reserves.

क- 5. शिकायतों का प्रकटीकरण

I. ग्राहक शिकायत

A-5. Disclosure of complaints

I. Customer Complaints

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(क) वर्ष के शुरू में लंबित शिकायतों की संख्या	(a) No. of complaints pending at the beginning of the year	160	91
(ख) वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	(b) No. of complaints received during the year	11365	6239
(ग) वर्ष के दौरान निवारित शिकायतों की संख्या	(c) No. of complaints redressed during the year	10889	6170
(घ) वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	(d) No. of complaints pending at the end of the year	636*	160

* इनमें से 525 शिकायतें 30 दिनों से कम पुरानी हैं.

* out of these 525 complaints are pending for less than 30 days.

II. बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए निर्णय

II. Awards passed by the Banking Ombudsman

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(क) वर्ष के शुरू में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या	(a) No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	01	02
(ख) वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए निर्णयों की संख्या	(b) No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	12	21
(ग) वर्ष के दौरान कार्यान्वित निर्णयों की संख्या	(c) No. of Awards implemented during the year	09	22
(घ) वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किए गए निर्णयों की संख्या	(d) No. of unimplemented Awards at the end of the year	04	01



क-6. चुकौती आश्वासन पत्र की स्थिति

- (I) **चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जारी चुकौती आश्वासन पत्र (एलओसी)**
 बैंक ने चालू वर्ष के दौरान विदेशी/देशीय नियामकों द्वारा अपनी अनुषंगियों की स्थापना करने/शाखाओं को खोलने के लिए अपना अनुमोदन प्राप्त करते समय आवश्यकताओं की पूर्ति के संदर्भ में कोई आश्वासन पत्र जारी नहीं किया।
- (II) **31.03.2012 को बकाया चुकौती आश्वासन पत्रों की संचयी स्थिति**
- (i) वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान विदेशी/देशीय विनियामकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अनुषंगियों की स्थापना / शाखाएं खोलने हेतु उनसे अनुमोदन प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड का उस देश में बैंक की अनुषंगी के लिए चुकौती आश्वासन पत्र जारी किया गया था. दि.31.03.2012 के लेखा परीक्षित लेखों के अनुसार अनुषंगी की जमाएं ₹.80.90 करोड़ एवं बाहरी देयताएं ₹.0.46 लाख हैं. बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा जारी किया गया एलओसी ₹.81.36 करोड़ की समस्त राशि अर्थात जमाराशि एवं बाहरी देयताओं को कवर करता है. तथापि इस अनुषंगी की शुद्ध मालियत ₹.170.33 करोड़ है और इसलिए 31 मार्च, 2012 को समाप्त अवधि के लिए इस अनुषंगी के परिचालनों के कारण कोई देयताएं उत्पन्न नहीं हो रही हैं.
- (ii) वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने संयुक्त उद्यम बैंक - इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी (आईआईबीएमबी) में बैंक के 40% शेयरधारिता की सीमा तक बैंक ऑफ नेगारा मलेशिया को आश्वासन पत्र जारी किया है. बैंक को अभी अपना परिचालन आरंभ करना है. अतः बैंक की कोई वित्तीय देयता नहीं है.

A-6. Status of Letters of Comfort

- I Letters of Comfort (LOC's) issued during the Current Financial Year**
 During the current financial year Bank has not issued any Letter of Comfort to meet the requirements of the overseas/domestic regulators while seeking their approval for establishing subsidiaries / opening of branches.
- II Cumulative position of LOC's outstanding on 31.03.2012**
 The Bank has issued the following Letter of Comforts
- (i) During financial year 2008-09 to meet the requirements of the overseas/ domestic regulators while seeking their approval for establishing subsidiaries/ opening of branches, the Letter of Comfort was issued to Reserve Bank of New Zealand for the Bank's subsidiary in that country As per audited accounts as on 31.03.2012, the deposits of the subsidiary are ₹ 80.90 Crores and outside liabilities are ₹0.46 Lacs The LOC issued by Bank of Baroda covers this entire amount of ₹ 81.36 Crores i.e. deposit and outside liabilities. However, the net worth of the subsidiary is ₹ 170.33 Crores and as such there is no liability arising on account of operations of the subsidiary for the period ended 31st March 2012.
- (ii) During financial year 2010-11, the Bank has issued Letter of comfort to the Bank of Negara Malaysia to the extent of the Bank's 40% shareholding in the joint venture Bank – India International Bank (Malaysia) Bhd' (IIBMB)- The Bank is yet to commence operations and therefore no financial liabilities arise to Bank of Baroda.

क-7 तीसरी पार्टी के उत्पादों के विपणन से अर्जित आय

A-7 Income earned for marketing third party products

(₹ in Crores)

विवरण	Nature of Income	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
जीवन बीमा पालिसियों की बिक्री हेतु	For selling life insurance policies	19.30	23.42
गैर जीवन बीमा पालिसियों की बिक्री हेतु	For selling non life insurance policies	11.33	11.50
म्यूच्युअल फंड प्रोजेक्टों की बिक्री हेतु	For selling mutual fund projects	1.73	1.82
इक्विटी ब्रोकिंग उत्पाद	Equity broking product	0.46	0.82
बैंकश्योरेंस व्यवसाय	Bancassurance Business	0.21	2.48

क-8. वर्ष के प्रारंभ में एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेशों के बही-मूल्य के 5% से अतिरिक्त के एचटीएम में रखे गए निवेशों की बिक्री

A-8 Sale of Investment held under Held to Maturity (HTM) Category in excess of 5% of the Book value of the investment held in HTM category at the beginning of the year

निवेश का आरंभिक शेष (एचटीएम) 01.04.2011 Opening Bal. of investment (HTM) 01.04.2011	वर्ष के दौरान बिक्री/ अंतरण Sale/ transfer during the year	परिवर्द्धन Addition	निवेशों का समाप्ति शेष 31.03.2012 Closing Bal. of Investment (HTM) 31.03.12	निवेश (एचटीएम) श्रेणी का बाजार मूल्य 31.03.2012 Market value of investment (HTM) category 31.03.12
-	-	-	-	-

क-9. एसजीएल फार्मों के लौटाए जाने पर लगाए गए दंड का प्रकटीकरण

A-9 Disclosure on imposition of penalty for bouncing of SGL forms

समाप्त वर्ष Year ended	एसजीएल फॉर्म लौटाने की तारीख Date of bouncing SGL form	राशि Amount	टिप्पणी Remarks
2012	-	-	-
2011	-	-	-



ख. इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी एकाउंटिंग स्टैंडर्ड (एएस) के संबंध में प्रकटीकरण

ख-1. कर्मचारी लाभ (ए.एस.-15)

ख-1.1 बैंक ने 07.12.2006 से प्रभावी आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक (ए.एस.-15) को अपनाया है. यह मानक दिनांक 17.12.2007 को संशोधित एवं अधिसूचित किया गया. ए.एस.-15 में दिए गए प्रावधान बैंक को 5 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए अपने लाभ एवं हानि खाते में संक्रमणशील देयता को खर्च राशि के रूप में प्रभावरित करने का विकल्प प्रदान करता है. बैंक ने इस विकल्प को अपनाया है तथा तदनुसार कर्मचारी के हितों जैसे कि पेंशन, ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2007-08 से कुल संक्रमणशील देयताओं के 1/5 भाग तक वृद्धिशील प्रावधान किए हैं, जो कि रुपये 901.00 करोड़ के वास्तविक मूल्य के बराबर हैं. 31 मार्च 2012 को इसे पूर्ण प्रावधानीकृत किया गया है.

ख-1.2 ग्रेच्युटी

बैंक अपने ऐसे कर्मचारियों को, जो कि बैंक सेवा से सेवानिवृत्त अथवा सेवात्याग करते हैं, ग्रेच्युटी का भुगतान करता है. बैंक प्रत्येक वर्ष भुगतान की जाने वाली इस ग्रेच्युटी की फंडिंग के लिए एक आंतरिक न्यास को अंशदान राशि प्रदान करता है. ग्रेच्युटी निधि के नियमों के अनुरूप ब्याज दर, वेतन वृद्धि, मृत्यु दर और सेवा छोड़ने वाले स्टाफ का अनुमान लगाते हुए, परिलक्षित इकाई ऋण बीमाकिक पद्धति के आधार पर ग्रेच्युटी देयता के बीमाकिक मूल्य की गणना की जाती है .

निधियों का निवेश भारत सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार किया जाता है .

भुगतान की जाने वाली ग्रेच्युटी की गणना 3 विभिन्न योजनाओं के तरीके से की जाती है तथा इसके लिए कर्मचारियों के लिए पात्रता जो कर्मचारियों के लिए अधिक लाभकारी हो, उसके आधार पर की जाती है.

ख-1.3 पेंशन

ख-1.3.1 बैंक ऑफ़ बड़ौदा अपने कर्मचारियों, जिन्होंने पेंशन का विकल्प चुना है और ऐसे कर्मचारियों को, जिन्होंने 29.09.1995 को परंतु 01.04.2010 के पूर्व बैंक सेवा में कार्यभार संभाला है, उन्हें विनिर्दिष्ट लाभ तथा सेवा निवृत्ति योजना के अंतर्गत पेंशन का भुगतान करता है. यह योजना कर्मचारियों को मासिक आधार पर बैंक ऑफ़ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 के अधीन उनके बैंक छोड़ने के पश्चात् पेंशन प्रदान करने की सुविधा प्रदान करती है. बैंक ऑफ़ बड़ौदा (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 अंतर्गत शामिल कर्मचारी भविष्य निधि में बैंक के अंशदान के लिए पात्र नहीं है.

ख-1.3.2 नई पेंशन योजना

पेंशन का दुबारा विकल्प देने के बारे में भारतीय बैंक संघ और कर्मचारी संगठनों के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते और संयुक्त नोट दिनांक 27.04.2010 के अनुसार दिनांक 01.04.2010 को या इसके पश्चात् बैंक की सेवा में प्रवेश करने वाले कर्मचारी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिए पात्र हैं जो कि बैंक ने संयुक्त नोट/समझौते दिनांक 27.04.2010 के अनुसार शुरू की है. यह योजना दिनांक 01.01.2004 से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए शुरू की गई तथा समय-समय पर यथासंशोधित नई पेंशन योजना के प्रावधानों से ही नियंत्रित होती है. अतः वे बैंक की भविष्य निधि योजना तथा पेंशन योजना का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं हैं. दिनांक 01.04.2010 को अथवा इसके पश्चात् बैंक सेवाओं में प्रवेश करने वाले बैंक के कर्मचारियों के संबंध में कुल परिलब्धियों से वेतन तथा महंगाई भत्ते की 10% की दर से

B. Disclosure in terms of Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India:

B-1. Employee Benefits (AS-15)

B-1.1 The Bank has adopted the Accounting Standard (AS-15) issued by ICAI, effective from 07.12.2006. The standard has been revised and notified on 17.12.2007. The provisions contained in AS-15 give option to the bank, to charge the transitional liability as an expense in its Profit and Loss Account spread over a period of 5 years. Bank has exercised this option and accordingly made an incremental provision for employee benefits such as pension, gratuity, leave encashment and other retirement benefits to the extent of 1/5th of the total transitional liability commencing from financial year 2007-08, which is crystallized on Actuarial valuation at ₹ 901.00 Crores, which has been fully provided as on March 31, 2012

B-1.2 GRATUITY

The Bank pays gratuity to employees who retire or resign from Bank's service, after initial service period of five years. Accordingly, the Bank makes contributions to an in-house trust, towards funding this gratuity, payable every year. In accordance with the gratuity fund's rules, actuarial valuation of gratuity liability is calculated based on certain assumptions regarding rate of interest, salary growth, mortality and staff attrition as per the projected unit credit actuarial method.

The investment of the funds is made according to investment pattern prescribed by the Government of India.

The gratuity payable is worked out by way of 3 different schemes and the entitlement is based on what is most beneficial to employees.

B-1.3 PENSION

B.1.3.1 Bank of Baroda pays pension, a defined benefit plan covering the employees who have opted for pension and also to the employees joining the bank's service on or after 29.9.1995 but before 01.04.2010. The plan provides for a pension on a monthly basis to these employees on their cessation from Bank's service in terms of Bank of Baroda (Employees') Pension Regulations, 1995. Employees covered under Bank of Baroda (Employees') Pension Regulations, 1995 are not eligible for Bank's contribution to Provident fund.

B.1.3.2 New Pension Scheme

In terms of Bipartite Settlement and Joint Note dated 27.04.2010 between IBA and Employees Organisations' on extending another option for pension, employees joining the services of the Bank on or after 01.04.2010 are eligible for the Defined Contributory Pension Scheme, which is introduced by the Bank in terms of the Joint Note / Settlement dated 27.04.2010, similar to the one governed by the provisions of New Pension Scheme introduced for the employees of Central Government w.e.f. 01.01.2004 and as modified from time to time. Hence they are not eligible for becoming members of Bank's Provident Fund Scheme and Pension Scheme. In respect of the employees of the Bank who have joined the services of the Bank on or after 01.04.2010, deduction towards



नई पेंशन योजना के लिए कटौती और इसके समतुल्य ही बैंक द्वारा अंशदान किया जा रहा है।

ख-1.3.3 विवेकपूर्ण विनियामक पद्धति (पेंशन का विकल्प)

वर्ष 2010-11 के दौरान बैंक ने अपने ऐसे कुछ कर्मचारियों के लिए पेंशन का विकल्प पुनः दिया था, जिन्होंने पूर्व में पेंशन योजना का विकल्प न लिया हो। परिणामस्वरूप इस प्रक्रिया के माध्यम से 18,989 कर्मचारियों ने यह विकल्प चुना, जिससे बैंक के लिए रु. 1829.90 करोड़ की देयताएं उत्पन्न हुईं।

एस-15 कर्मचारी लाभ संबंधी मानक की अपेक्षाओं के अनुसार, ₹1829.90 करोड़ की पूर्ण राशि लाभ-हानि खाते को प्रभारित की जाती है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने दि. 9 फरवरी, 2011 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों को पेंशन विकल्प पुनः प्रदान करने तथा ग्रेज्युटी सीमाओं में वृद्धि विवेकपूर्ण नियामक पद्धति के संबंध में परिपत्र सं. डीबीओडी.बीपीबीसी.80/21.04.018/2010-11 जारी किया था। उक्त परिपत्र के प्रावधानों के अनुरूप, 31 मार्च, 2012 तक बैंक ने ₹ 731.96 करोड़ की राशि (₹1829.90 करोड़ का 2/5) लाभ-हानि खाते को प्रभारित की है। ₹ 1097.94 करोड़ की अनिर्धारित शेष राशि का उक्त परिपत्र में विनिर्दिष्टानुसार शेष अवधि में हिसाब में लिया जाएगा तथा प्रभारित किया जाएगा। इस राशि में विमुक्त / सेवानिवृत्त किसी कर्मचारी की राशि शामिल नहीं है।

ख-1.4 भविष्य निधि

बैंक ऑफ बड़ौदा को अपने कर्मचारियों, जो 31.03.2010 को अथवा उससे पूर्व सेवा में आए हैं, के सेवा निवृत्ति लाभों के एक भाग के रूप में भविष्य निधि की देखरेख सांविधिक आवश्यकता है। इस निधि का प्रबंधन आंतरिक न्यासियों द्वारा किया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी द्वारा उसके मूल वेतन एवं पात्र भत्तों का 10% अंशदान किया जाता है और बैंक ऑफ बड़ौदा उस राशि के बराबर राशि इस निधि में अंशदान करता है। इस निधि का निवेश भारत सरकार द्वारा निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार किया जाता है।

ख-1.5 छुट्टी का नकदीकरण

कोई भी कर्मचारी अपनी अधिवर्षिता /स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति /मृत्यु की तारीख पर उसके खाते में जमा हुई छुट्टियों में से अधिकतम 240 दिनों तक की अर्जित छुट्टियों का नकदीकरण प्राप्त करने का हकदार है।

तथापि, सेवा त्याग की स्थिति में, कर्मचारी जमा अर्जित छुट्टियों में अधिकतम 120 दिनों तक छुट्टियों की 50% राशि का नकदीकरण प्राप्त करने का हकदार है।

ख-1.6 अतिरिक्त सेवानिवृत्ति लाभ

अतिरिक्त सेवा निवृत्ति लाभ के लिए योजना के अंतर्गत कोई अधिकारी अपनी सेवानिवृत्ति /स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति /मृत्यु पर अतिरिक्त सेवा निवृत्ति लाभ पाने का हकदार होगा बशर्ते कि उसने बैंक में 25 वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो।

ठीक इसी तरह, अवार्ड स्टॉफ सदस्य सेवा निवृत्ति /स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति/ मृत्यु होने पर अतिरिक्त सेवा निवृत्ति लाभ पाने के लिए हकदार होंगे बशर्ते उसने बैंक सेवा में 30 वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो।

तथापि, बर्खास्तगी, सेवा मुक्ति, सेवा समाप्ति, अनिवार्य सेवा निवृत्ति और सेवा त्याग की स्थिति में सेवा काल के वर्षों की संख्या पर ध्यान न रखते हुए अतिरिक्त सेवा निवृत्ति लाभ का भुगतान नहीं किया जाएगा।

New Pension Scheme at the rate of 10% of the pay and Dearness Allowance from the salary with a matching contribution by Bank is being made.

B-1.3 Prudential Regulatory treatment (reopening of Pension)

During the year 2010-11, the Bank had reopened the pension option for such of its employees who had not opted for the pension scheme earlier. As a result of exercise of which by 18,989 employees, the Bank had incurred a liability of ₹1829.90 Crores.

In terms of the requirements of AS 15 - Employee Benefits, the entire amount of ₹1829.90 Crores was required to be charged to the Profit and Loss Account. However, the RBI had issued a circular no. DBOD. BP.BC.80/21.04.018/2010-11 on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits – Prudential Regulatory Treatment, dated February 9, 2011. In accordance with the provisions of the said Circular, the Bank has charged an amount of ₹731.96 Crores (representing two-fifth of ₹1829.90 Crores) upto March 31, 2012. The unrecognised balance amount of ₹1097.94 Crores shall be accounted for and charged off over the balance period stipulated in the said circular. This amount does not include any employees relating to separated/ retired employees.

B-1.4 PROVIDENT FUND

The Bank is statutorily required to maintain a provident fund as a part of its retirement benefits to its employees who joined Bank's service on or before 31.03.2010. This fund is administered by a Bank managed trust. Each employee contributes 10% of their basic salary and eligible allowances and the Bank contributes an equal amount to the fund. The investment of the fund is made according to investment pattern prescribed by the Government of India.

B-1.5 LEAVE ENCASHMENT

An employee is entitled to encash privilege leave standing to his/her credit subject to a maximum of 240 days on the date of superannuation/Voluntary Retirement/death.

However, on resignation, an employee is entitled to get encashment to the tune of 50% of the privilege leave standing to the credit subject to a maximum of 120 days.

B-1.6 ADDITIONAL RETIREMENT BENEFIT

The scheme for additional retirement benefit provides that an officer on his Retirement/ Voluntary retirement/ Death shall be eligible for additional retirement benefit, provided he had completed-25-years of service in Bank.

In the same manner, award staff member on Retirement/ Voluntary Retirement/ Death shall be eligible for additional retirement benefit, provided he had completed – 30-years of service in Bank.

However, in case of dismissal, discharge, termination, compulsory retirement and resignation additional retirement benefit shall not be payable, irrespective of any number of years of service



ख-1.7 प्रकटीकरण

मूल बीमांकिक अवधारणाएं (वैटज औसत के रूप में अभिव्यक्त)

B- 1.7 Disclosures

Principal Actuarial Assumptions [Expressed as Weighted Averages]

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

	योजना का स्वरूप TYPE OF PLAN	अवकाश नकदीकरण PENSION LEAVE ENCASHMENT			
		पेंशन PENSION	अवकाश नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	ग्रेच्युटी GRATUITY	अति. सेवा लाभ ARB
डिस्काउंट दर	Discount rate	8.75%	8.50%	8.50%	8.50%
वेतन वृद्धि दर	Salary Escalation Rate	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%
हास दर	Attrition Rate	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
योजनागत आस्तियों पर संभावित रिटर्न रेट	Expected Rate of Return on plan Assets	8.00%	-	8.00%	-

देयताओं के आरंभिक और अंतिम शेष का समाधान

Reconciliation of opening and closing balance of liability

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

	योजना का स्वरूप TYPE OF PLAN	अवकाश नकदीकरण PENSION LEAVE ENCASHMENT			
		पेंशन PENSION	अवकाश नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	ग्रेच्युटी GRATUITY	अति. सेवा लाभ ARB
क) 1/4/2010 को पीवीओ	a) PVO as at 01.04.2011	6654.04	559.91	1327.35	441.52
ख) जोड़ें: ब्याज की लागत	b) Add- Interest Cost	563.82	48.43	111.95	37.28
ग) जोड़ें: चालू सेवा लागत	c) Add- Current Service Cost	146.39	33.9	53.96	12.25
घ) घटाएँ: लाभ भुगतान	d) Less- Benefits Paid	334.44	48.16	128.45	30.47
ङ) जोड़ें: पिछली सेवा लागत (निहित लाभ)	e) Add- Actuarial loss/gain(-) on obligation	3.74	-28.07	52.04	-13.96
घ) 31.03.2012 को पीवीओ	f) PVO as at 31.03.2012	7033.55	566.01	1416.85	446.62

योजना आस्तियों के उचित मूल्य के आरंभिक शेष एवं अंतिम शेष का समाधान

Reconciliation of opening & closing balance of fair value of plan assets

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

	योजना का स्वरूप TYPE OF PLAN	पेंशन PENSION		ग्रेच्युटी Gratuity
		पेंशन PENSION	ग्रेच्युटी Gratuity	ग्रेच्युटी Gratuity
क) 01-04-2011 को योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	a) Fair Value of plan assets as on 01-04-2011	4388.57	906.86	
ख) जोड़ें: योजनागत आस्तियों पर संभावित रिटर्न	b) Add- Expected Return on Plan Assets	431.11	101.05	
ग) जोड़ें: अंशदान	c) Ad- Contributions	1167.53	420.5	
घ) जोड़ें: अन्य न्यास एवं सदस्यों से अंतरित	d) Add- transfer from other trust and members	97.58	-	
ङ) घटाएँ: प्रदत्त लाभ	e) Less- Benefits Paid	334.44	128.45	
च) जोड़ें: बीमांकिक लाभ / (-) हानि	f) Add- Actuarial gain/(-)loss	-10.06	8.88	
छ) 31.03.2012 को योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	g) Fair Value of Plan Assets as on 31.03.2012	5740.29	1308.84	



तुलन-पत्र में मान्य राशि

Amount recognized in the Balance Sheet

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

	योजना का स्वरूप TYPE OF PLAN				
		पेंशन PENSION	अवकाश नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	ग्रेच्युटी GRATUITY	अति. सेवा लाभ ARB
क) दायित्व का पीवी	a) PV of obligation	7033.55	566.01	1416.85	446.62
ख) योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	b) Fair value of plan assets	5740.29	-	1308.84	-
ग) अन्तर	c) Difference	1293.26	566.01	108.01	446.62
घ) अनिर्धारित संक्रमणशील देयता	d) Unrecognised transitional liability	1097.94	-	-	-
ङ) तुलनपत्र में मान्य देयता	e) Liability Recognised in the BS	195.32	566.01	108.01	446.62

लाभ-हानि खाते में निर्धारित राशि

Amount recognized in the P & L Account

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

	योजना का स्वरूप TYPE OF PLAN				
		पेंशन PENSION	अवकाश नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	ग्रेच्युटी GRATUITY	अति. सेवा लाभ ARB
क) चालू सेवा लागत	a) Current Service Cost	146.39	33.90	53.96	12.25
ख) ब्याज लागत	b) Interest Cost	563.82	48.43	111.95	37.28
ग) योजनागत आस्ति पर संभावित रिटर्न	c) Expected Return on Plan Assets	-431.11	-	-101.05	-
घ) निर्धारित पिछली सेवा लागत (-)	d) Net Actuarial Loss/gain(-)	13.80	-28.07	43.17	-13.96
ङ) वर्ष के दौरान संक्रमणीय देयता	e) Transitional liability recognized in the year	378.98	39.20	37.60	45.40
च) लाभ हानि खाते में निर्धारित खर्च	Expenses Recognised in P&L	671.88	93.46	145.63	80.97

अगली अवधि (2012-13) के लिए संभावित अंशदान

Expected contribution for next period (2012-13)

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	पेंशन / Pension	ग्रेच्युटी / Gratuity
संभावित अंशदान	Expected contribution	401.57	136.01

निवेश पैटर्न

Investment Pattern

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	Pension	Gratuity
केन्द्रीय सरकार प्रतिभूतियां	Central Government Securities	23.91 %	20.33 %
राज्य सरकार प्रतिभूतियां	State Government Securities	20.74 %	21.56 %
कार्पोरेट (पीएसयू)	Corporate (PSU)	34.69 %	29.41 %
कार्पोरेट (प्राइवेट)	Corporate (Private)	3.05 %	2.12 %
अन्य	Others	17.61 %	26.58 %
कुल	Total	100.00 %	100.00 %



ख-2. सेगमेंट रिपोर्टिंग (ए.एस.-17) :
भाग - क : कारोबार खंड

B.2. Segment Reporting (AS-17)
Part A – Business Segments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

Business Segment	Particulars	ट्रेजरी Treasury		कार्पोरेट/होलसेल बैंकिंग Corporate / Wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		कुल Total	
		चालू वर्ष Current Yr	पिछला वर्ष Prev Year	चालू वर्ष Current Yr	पिछला वर्ष Prev Year	चालू वर्ष Current Yr	पिछला वर्ष Prev Year	चालू वर्ष Current Yr	पिछला वर्ष Prev Year	चालू वर्ष Current Yr	पिछला वर्ष Prev Year
राजस्व	Revenue	7325.07	5597.84	13132.6	9840.82	8488.31	5983.4	4150.07	3273.04	33096.05	24695.1
परिणाम	Result	887.72	882.51	965.87	1702.31	2782.37	1341.07	2959.73	2750.61	7595.69	6676.5
अनाबंटित खर्च	Unallocated Expense									1569.89	1026.18
परिचालनगत लाभ	Operating Profit									6025.80	5650.32
आयकर	Income taxes									1018.84	1408.64
विशिष्ट लाभ/हानि	Extra-ordinary Profit/loss									-	-
शुद्ध लाभ	Net Profit									5006.96	4241.68
अन्य सूचना	Other Information									-	-
सेगमेंट आस्तियां	Segment Assets	103694.34	85948.22	140207.90	116375.42	63161.52	53954.06	135618.27	99218.99	442682.03	355496.69
अनाबंटित आस्तियां	Unallocated Assets									4639.44	2900.49
कुल आस्तियां	Total Assets									447321.47	358397.18
सेगमेंट देयताएं	Segment Liabilities	97324.89	80901.71	131595.59	109542.36	59281.81	50786.11	127287.87	93393.28	415490.16	334623.46
अनाबंटित देयताएं	Unallocated Liabilities									4354.46	2730.18
कुल देयताएं	Total Liabilities									419844.62	337353.64
नियोजित पूंजी	Capital employed	6369.46	5046.51	8612.31	6833.07	3879.71	3167.95	8330.39	5825.71	27191.87	20873.24
अनाबंटित कुल पूंजी	Unallocated Total Capital									284.98	170.3
										27476.85	21043.54

भाग - ख : भौगोलिक खंड :

Part B – Geographic Segments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

सेगमेंट → विवरण ↓	Segments → Particulars ↓	घरेलू Domestic		अंतर्राष्ट्रीय International		कुल Total	
		चालू वर्ष Current Yr	पिछला वर्ष Prev. Yr	चालू वर्ष Current Yr	पिछला वर्ष Prev. Yr	चालू वर्ष Current Yr	पिछला वर्ष Prev. Yr
राजस्व	Revenue	29,063.31	21,743.87	4,032.74	2,951.23	33,096.05	24,695.10
आस्तियां	Assets	3,19,459.76	2,67,629.48	1,27,861.71	90,767.70	4,47,321.47	3,58,397.18



सेगमेंट रिपोर्टिंग पर टिप्पणी

- आईसीएआई द्वारा सेगमेंट रिपोर्टिंग पर जारी लेखा मानक ए.एस.-17 की अनुपालना हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी सेगमेंट रिपोर्टिंग पर ए.एस.-17 के साथ अनुपालना के उद्देश्य के लिए ट्रेजरी परिचालन, थोक, खुदरा और अन्य बैंकिंग परिचालनों को प्राथमिक बिजनेस सेगमेंट के रूप में तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय को द्वितीय/भौगोलिक सेगमेंट के रूप में अपनाया है।
- सेगमेंट राजस्व बाह्य ग्राहकों से प्राप्त राजस्व का प्रतिनिधित्व करता है।
- सेगमेंट परिणाम तय करते समय, बैंक ने निधि अंतरण मूल्य निर्धारण प्रणाली को अपनाया है।
- प्रत्येक सेगमेंट के लिए लगायी गयी पूंजी सेगमेंट की आस्तियों को अनुपातिक आधार पर आबंटित कर दी गयी है।
- अन्य बैंकिंग परिचालनों में परिणाम राजस्व तथा लगायी गयी पूंजी में अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों से संबंधित आंकड़े भी शामिल हैं।

ख-3. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (एएस-18)

संबंधित पार्टियों के नाम एवं बैंक के साथ उनके संबंध

क) अनुषंगियां

- बॉब कैपिटल मार्केट लिमिटेड
- बॉब कार्ड्स लिमिटेड
- नैनीताल बैंक लिमिटेड
- बैंक ऑफ बड़ौदा (बोत्सवाना) लिमिटेड
- बैंक ऑफ बड़ौदा (केनिया) लिमिटेड
- बैंक ऑफ बड़ौदा (यूगांडा) लिमिटेड
- बैंक ऑफ बड़ौदा (गुयाना) आईएनसी.
- बैंक ऑफ बड़ौदा (यूके) लिमिटेड
- बैंक ऑफ बड़ौदा (तंजानिया) लिमिटेड
- बड़ौदा केपिटल मार्केट्स (यूगांडा) लिमिटेड (बैंक ऑफ बड़ौदा यूगांडा लिमिटेड की अनुषंगी)
- बॉब त्रिनिदाद व टोबागो लि.
- बैंक ऑफ बड़ौदा (घाना) लि.
- बैंक ऑफ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लि.

(ख) सहयोगी इकाइयां

- बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक
- नैनीताल - अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक
- बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक
- झाबुआ-धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- बड़ौदा पायोनियर एसेट मैनेजमेंट कं. लि.
- इंडो जाम्बिया बैंक लिमिटेड

(ग) संयुक्त उपक्रम

- इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.
- इंडिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी

Notes on Segment Reporting

- As per guidelines of RBI on compliance with Accounting Standards AS-17, The Bank has adopted "Treasury Operations", Wholesale, Retail and "Other Banking Operations" as Primary business segments and "Domestic" and "International" as secondary / geographic segments for the purpose of compliance with AS-17 on segment Reporting issued by ICAI.
- Segment revenue represents revenue from external customers.
- In determining the segment results, the funds transfer price mechanism followed by the bank has been used.
- Capital employed for each segment has been allocated proportionate to the assets of the segment.
- Results, Revenue and Capital Employed of International operations is included in other banking operations.

B-3. Related Party Disclosures (AS – 18)

Names of the Related Parties and their relationship with the Bank:

(a) Subsidiaries

- BOB Capital Markets Limited
- BOB Cards Limited
- The Nainital Bank Limited
- Bank of Baroda (Botswana) Limited
- Bank of Baroda (Kenya) Limited
- Bank of Baroda (Uganda) Limited
- Bank of Baroda (Guyana) Inc.
- Bank of Baroda (UK) Limited
- Bank of Baroda (Tanzania) Limited
- Baroda Capital Markets (Uganda) Limited. (Subsidiary of Bank of Baroda Uganda Ltd.)
- BOB Trinidad & Tobago Ltd.
- Bank of Baroda (Ghana) Ltd.
- Bank of Baroda (New Zealand) Ltd.

(b) Associates

- Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank
- Nainital-Almora Kshetriya Gramin Bank
- Baroda Rajasthan Gramin Bank
- Baroda Gujarat Gramin Bank
- Jhabua-Dhar Kshetriya Gramin Bank
- Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd.
- Indo Zambia Bank Limited

(c) Joint Ventures

- India First Life Insurance Company Ltd.
- India International Bank (Malaysia) Bhd.



(घ) प्रमुख प्रबंधन अधिकारी

(D) Key Management Personnel:

S.No	नाम Name	पदनाम Designation	पारिश्रमिक Remuneration	
			चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1	श्री. एम. डी मल्या Shri M.D.Mallya	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director	25,37,459	21,87,200
3	श्री राजीव कुमार बक्षी Shri Rajiv Kumar Bakshi	कार्यकारी निदेशक Executive Director	21,97,317	18,37,145
4	श्री एन. एस. श्रीनाथ Shri N.S.Srinath	कार्यकारी निदेशक Executive Director	21,22,495	13,57,347

* इसमें छठे वेतन-आयोग की बकाया राशि तथा प्रोत्साहन राशि शामिल है।

* Amount includes arrears on account of VI pay commission and incentives.

संबंधित पार्टी डिस्क्लोजर के ए एस-18 के पैरा 9 के मद्देनजर अनुषंगियों और सहयोगी बैंकों के साथ संव्यवहार का प्रकटीकरण नहीं किया गया है, जो राज्य नियंत्रित उपक्रमों को अन्य संबंधित पार्टियों के साथ अपने लेन-देनों से संबंधित किसी प्रकार का प्रकटीकरण करने से रोकता है, जो भी राज्य नियंत्रित है।

The transactions with the Subsidiaries and Associate Banks have not been disclosed in view of para 9 of the (AS) – 18 Related Parties Disclosure, which exempts state controlled enterprises from making any disclosure pertaining to their transactions with other related parties which are also state controlled.

ख-4. प्रति शेयर अर्जन (एस-20)

B-4. Earning Per Share (AS-20)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
कर के बाद शुद्ध लाभ (रु. करोड़ में)	Net profit after tax (₹ In Crores)	5006.96	4241.68
शेयरों की संख्या (वेटेड)	Number of Shares (weighted)	39,16,53,059	36,44,90,716
प्रति शेयर बुनियादी व डायल्यूटेड अर्जन	Basic & diluted earning per share	127.84	116.37
प्रति शेयर अंकित कीमत	Nominal value per share	₹10.00	₹10.00

ख-5. आय कर की गणना (एस-22)

B-5. Accounting for Taxes on Income (AS-22)

आईसीएआई द्वारा जारी आय पर कर की गणना हेतु एस-22 की जरूरतों का बैंक ने पालन किया है तथा तदनुसार आस्थगित कर आस्तियां तथा देयताएं निर्धारित की गई हैं। 31 मार्च, 2012 को आस्थगित कर देयताओं का नेट बैलेंस ₹255.97 करोड़ है, जो इस प्रकार है :-

The Bank has complied with the requirements of AS 22 on Accounting for Taxes on Income issued by ICAI and accordingly deferred tax assets and liabilities are recognized. The net balance of deferred tax liabilities as on 31st March 2012 amounting to ₹ 255.97 Crores consists of the following:

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

		31.03.2012		31.03.2011	
		आस्तियां Asset	देयता Liability	आस्ति Asset	देयता Liability
अचल आस्तियों पर आयकर अधिनियम के तहत बही मूल्यहास तथा मूल्यहास में अंतर	Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act on fixed assets	-	89.93	-	52.29
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अन्तर्गत कटौती	Deduction under section 36 (1) (viii) of the Income-Tax Act, 1961	-	-	-	-
परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम) प्रतिभूतियों पर मूल्यहास	Depreciation on HTM Securities	-	426.45	-	216.56
आयकर अधिनियम की धारा 40 (ए) (आईए) के अन्तर्गत गैर अनुमत राशि	Amount disallowed U/S 40 (a) (ia) of the IT Act	9.84	-	9.70	-
अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	Provision for leave encashment	174.43	-	158.86	-
संदिग्ध ऋणों तथा अग्रिमों (विदेशी) के लिए प्रावधान	Provision for doubtful debts and advances (foreign)	76.14	-	-	-
जोड़	Total:	260.41	516.38	168.56	268.85
शुद्ध आस्थगित कर देयताएं	Net Deferred Tax Liability		255.97	-	100.29



ख-6. परिचालन बंद करना (एस 24)

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने अपनी किसी भी शाखा को बंद करने संबंधी कार्यवाही नहीं की है, जिससे कि देयताओं को कम करके आस्तियों की वसूली की जा सके और संपूर्ण बैंक स्तर पर अपने परिचालन में किसी कार्यवाही की समाप्ति, जिससे उपरोक्त प्रभाव पड़े, संबंधी निर्णय नहीं लिया गया है।

ख-7. आस्तियों का अनर्जक बनना (एस-28)

लेखा मानक-28 "आस्तियों का इंपेयरमेंट" के खंड 5 से खंड 13 - के अंतर्गत कोई महत्वपूर्ण उल्लेख न होने के फलस्वरूप चालू वित्तीय वर्ष में अचल संपत्ति का कोई भी इंपेयरमेंट जरूरी नहीं है।

ख-8. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियां (एस-29)

ख-8.1 देयताओं के लिए प्रावधानों का संचलन (अन्य के लिए प्रावधानों को छोड़कर)

B-6. Discontinuing operations (AS 24)

During the financial year 2011-12 the bank has not discontinued the operations of any of its branches, which resulted in shedding of liability and realization of the assets and no decision has been finalized to discontinue an operation in its entirety, which will have the above effect.

B-7. Impairment of Assets (AS-28)

In view of the absence of indication of material impairment within the meaning of clause 5 to clause 13 of AS 28 Impairment of Assets, no impairment of fixed assets is required in respect of current financial year.

B-8. Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (AS-29)

B-8.1 Movement of provisions for Liabilities (excluding provisions for others)

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण मुकदमें / आकस्मिक खर्च	Particulars Legal Cases / contingencies	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1 अप्रैल 2011 को शेष	Balance as on 1st April 2011	8.70	4.75
वर्ष के दौरान प्रदत्त	Provided during the year	1.31	3.95
31 मार्च 2012 को शेष	Balance as on 31st March 2012	10.01	8.70
आउटफ्लो/अनिश्चितताओं का समय	Timing of outflow / uncertainties	सेटलमेंट / क्रिस्टलाइजेशन पर आउटफ्लो Outflow on settlement/crystallization	

बैंक ने एक नीति निर्धारित की है जिसके अनुसार बैंक के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है।

The Bank has provided for claims against the bank which have not been acknowledge as debt as per the policy framed by it.

ख-8.2 आकस्मिक देयताएं

तुलनपत्र के शेड्यूल 12 के क्र.सं.(i) से (iv) में उद्धृत ऐसी देयताएं अदालत के निर्णय, पंच फैसले, अदालत के बाह्य निस्तारण, अपील का निपटारा, मांगी गई राशि, अनुबंधन दायित्वों के संबंध में, क्रमशः संबंधित पार्टियों द्वारा की गई मांगों पर निर्भर करती हैं। ऐसे मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

B-8.2 Contingent Liabilities

Such liabilities as mentioned at Serial No (I) to (VI) of Schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon, the outcome of court, arbitration, out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, development and raising of demand by concerned parties respectively. No reimbursement is expected in such cases.

ग. लेखों पर अन्य टिप्पणियां

C. Other Notes to Accounts

ग-1. बहियों का मिलान एवं समाधान

अंतर कार्यालय समायोजन के अंतर्गत लेखों के विभिन्न शीर्षों में नामे एवं जमा की बकाया प्रविष्टियों के प्रारंभिक मिलान का कार्य समाधान के प्रयोजन हेतु 31.03.2012 तक कर लिया गया है। इसमें उचित समाधान का कार्य प्रगति पर है।

C-1. Balancing of Books and Reconciliation

Initial matching of debit and credit outstanding entries in various heads of accounts included in Inter office Adjustments has been completed upto 31.03.2012, the reconciliation of which is in progress.

ग-2. पूंजी

वर्ष के दौरान, बैंक ने निदेशक मंडल के अनुमोदन से सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियम 76(1) के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रिफरेंशियल आधार पर रु. 10/- प्रत्येक के 1,95,77,304 इक्विटी शेयरों को रु.830.10 प्रति शेयर के प्रीमियम पर आबंटित किए हैं। इसके फलस्वरूप, बैंक को रु.1644.69 करोड़ की कुल राशि पूंजी के रूप में प्राप्त हुई।

C-2. Capital

During the year, the Bank has allotted 1,95,77,304 equity shares of ₹ 10/- each at a premium of ₹ 830.10 per share to Life Insurance Corporation of India as determined by the Board in accordance with regulation 76 (1) of SEBI Issue of Capital and Disclosures Requirements Regulation on preferential basis. The total amount of capital received by the Bank on this account is ₹1644.69 Crores.



ग-3. पूंजीगत प्रारक्षित निधि

पूंजीगत प्रारक्षित निधि में अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप होने वाली मूल्यवृद्धि तथा लघु / मध्यम उद्योगों के लिए निर्यात विकास परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक की योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार की अंशदान राशि शामिल है.

ग-4. निवेश

ग-4.1 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक ने 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी में विद्यमान सरकारी प्रतिभूतियों (एसएलआर) के एक भाग को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में अंतरित कर दिया है. 49.01 करोड़ रुपए (गत वर्ष 75.80 करोड़ रुपए) के परिणामी मूल्यहास को लाभ एवं हानि लेखे में प्रभारित कर दिया गया है.

ग-4.2 "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के तहत रखे गये निवेश की बिक्री पर लाभ राशि ₹44.20 करोड़ को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है और उसके बाद ₹ 22.40 करोड़ को पूंजीगत प्रारक्षित निधि में करों को शुद्ध में समायोजित किया गया है तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 17 के अंतर्गत सांविधिक प्रारक्षित निधि को अंतरित किया गया है.

ग-5. करों के लिए प्रावधान

ग-5.1 करों हेतु प्रावधान, अपीलीय प्राधिकारियों के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए व अधिवक्ता के परामर्श से किया गया है.

ग-5.2 "अन्य आस्तियां" शीर्षक के अंतर्गत दर्शायी अग्रिम कर अदायगी स्रोत पर कर की कटौती राशि में विवादास्पद कर मांगों के संबंध में बैंक द्वारा भुगतान की गई / विभाग द्वारा समायोजित राशि ₹1993.11 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1316.28 करोड़) शामिल है. आयकर की विवादास्पद मांगों के लिए न्यायिक निर्णयों और / या कानूनी परामर्श अधिकारी की राय को ध्यान में रखते हुए इस मद के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किये गये परिवर्तन / मनाही बनाये रखने लायक नहीं है.

ग-5.3 बैंक ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(बैंक ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत पात्र व्यवसाय के संबंध में, जो उक्त धारा में विनिर्दिष्ट है, कटौती हेतु दावा किया है. तदनुसार ₹ 533.85 करोड़ विशेष प्रारक्षित निधि खाते में अन्तरित कर दिए हैं. तथा इसे अन्य प्रारक्षित निधि के अंतर्गत रिपोर्ट दिया जाता है.

ग-6. परिसर

ग-6.1 बैंक की कुल ₹ 78.37 करोड़ (मूल लागत) - (पिछले वर्ष ₹ 88.63 करोड़) की कुछ संपत्तियों के संबंध में हस्तांतरण विलेख का निष्पादन होना बाकी है.

ग-6.2 बैंक की कुछ संपत्तियों की पुनर्मूल्यांकित राशि का उल्लेख किया गया है. वर्ष के अंत में परिसर शीर्षक के अंतर्गत कुल ₹ 1777.43 करोड़ (विदेशी कार्यालयों की ₹ 30.55 करोड़ की राशि सहित) पुनर्मूल्यांकित राशि को शामिल किया गया है. शुद्ध मूल्यहास के संबंध में पुनर्मूल्यांकित राशि ₹ 1173.68 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1242.49 करोड़) है.

ग-6.3 परिसर के अंतर्गत निर्माणाधीन / कब्जे में ली जानेवाली ₹ 51.87 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 43.77 करोड़) की संपत्तियां शामिल हैं.

ग-7. बॉब फिसकल सर्विसेज लिमिटेड (बॉब एफएसएल), पूर्व में पूर्ण रूप से बैंक ऑफ़ बड़ौदा की अनुषंगी द्वारा 24.09.1990 को कंपनी को स्वैच्छिक रूप से समाप्त करने का विशेष संकल्प पारित किया गया और उसके लिए एक परिसमापक की नियुक्ति कर दी गयी.

बॉब एफएसएल ने बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ एक समझौता किया जिसके तहत दिनांक 28.02.1991 से बॉब एफएसएल की संपूर्ण आस्तियां एवं देयताएं

C-3. Capital Reserves

Capital Reserve includes appreciation arising on revaluation of immovable properties and amount subscribed by Government of India under the World Bank's Scheme for Export Development Projects for small / medium scale industries.

C-4. Investments

C4.1 In terms of RBI Guidelines, during the year, the bank has transferred a portion of Government Securities (SLR) kept in "Available for Sale" category to "Held to Maturity" category. The resultant depreciation of ₹49.01 Crores (previous year ₹75.80 Crores) has been charged to the Profit & Loss Account.

C4.2 Profit on sale of investments held under "Held to maturity" category amounting to ₹ 44.20 Crores has been taken to the Profit and Loss Account and thereafter an amount of ₹.22.40 Crores has been appropriated to the Capital Reserve, net of taxes and amount transferred to Statutory Reserve under section 17 of the Banking Regulation Act, 1949.

C-5 Provision for Taxes

C5.1 Provision for Taxes has been arrived at after due consideration of decisions of the appellate authorities and advice of counsels.

C5.2 Tax paid in advance /tax deducted at source appearing under "Other Assets" amounting to ₹1993.11 Crores (previous year ₹1316.28 Crores) represents amounts adjusted by the department / paid by the Bank in respect of disputed tax demands for various assessment years. No provision is considered necessary in respect of the said demands, as in the bank's view, duly supported by counsels opinion and / or judicial pronouncements, additions / disallowances made by the Assessing Officer are not sustainable.

C5.3 The Bank has claimed deduction under section 36(1) (viii) of the Income-tax Act, 1961 in respect of the eligible business as specified in the said section and has accordingly transferred a sum of ₹ 533.85 Crores to the corresponding Special Reserve account and reported under Other Reserve.

C-6. Premises

C-6.1 Execution of conveyance deeds is pending in respect of certain properties at ₹ 78.37 Crores (Previous Year ₹.88.63 Crores) – (Original Cost).

C6.2 Certain properties of the Bank are stated at revalued amounts. The gross amount of the revaluation included in premises as at the year ₹1777.43 Crores (including ₹30.55 Crores at overseas offices) and net of depreciation the revaluation amounts to ₹1173.68 Crores (Previous Year ₹1242.49 Crores).

C-6.3 Premises include assets under construction/acquisition amounting to ₹ 51.87 Crores (Previous Year ₹ 43.77 Crores).

C-7. BOB Fiscal Services Limited (BOBFSL), erstwhile wholly owned subsidiary of Bank of Baroda, had passed a special resolution for voluntary winding up of the company on 24.09.1990 and the liquidator was appointed for the same. BOBFSL entered into an agreement with Bank of Baroda pursuant to which entire assets and liabilities of BOBFSL



उसके पूर्ण व्यवसाय के समापन के फलस्वरूप एक गोइंग कंसर्न/बिक्री के रूप में बैंक ऑफ़ बड़ौदा को स्थानांतरित कर दिए गए। चूंकि कंपनी विचाराधीन कानूनी मामले के कारण पूर्ण रूप से परिसमाप्त नहीं की जा सकती थी अतः दिनांक 30 मार्च 2007 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा की वार्षिक सामान्य बैठक में बैंक ऑफ़ बड़ौदा को बैंक ऑफ़ बड़ौदा में शामिल करने का निर्णय लिया गया।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के साथ मैसर्स बैंक फिसकल सर्विसेस लि. के समामेलन को बैंक की दिनांक 28.01.2009 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया और उच्च न्यायालय के सम्मुख बैंक के साथ बैंक ऑफ़ बड़ौदा समामेलन हेतु आवश्यक याचिका दर्ज करने के लिए बैंक को प्राधिकृत किया।

ग-8 बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र सं. यूबीडी.सीओ.एमईआरआईआर नं. 7814/09.16.901/2010.11 दि. 4 मार्च, 2011 में दिए गए अनुमोदन के अनुसार मेमन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की विनिर्दिष्ट आस्तियों एवं देयताओं का अधिग्रहण दिनांक 18.04.2011 को किया। उक्त अधिग्रहण के परिणामस्वरूप ₹ 149.25 करोड़ के हुए घाटे में से बैंक ने 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 49.75 करोड़ की राशि लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित की है। भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र सं. डीबीओडी.सं.बीपी. 1311/21.01.048/2012-11 दि. 25 जुलाई, 2011 में दिए गए अनुमोदन के अनुसार ₹ 99.50 करोड़ की शेष राशि वित्तीय वर्ष 2013-14 तक की शेष अवधि के दौरान आनुपातिक रूप से प्रभारित की जाएगी।

ग-9 बैंक ने जमानती अवमानक अग्रिमों पर 15% की विनियामक आवश्यकता की तुलना में 20% का प्रावधान किया है।

इसके अतिरिक्त बैंक ने कुछ अनर्जक घरेलू अग्रिम खातों में 31 मार्च 2012 को ₹ 342.79 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 320.08 करोड़) का अतिरिक्त तदर्थ प्रावधान किया है।

ग-10 निदेशक मंडल ने 17 रुपये प्रति शेयर (₹10 के अंकित मूल्य पर) लाभांश प्रस्तावित किया है जो कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 15 के अनुपालन और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 53 के तहत भारत सरकार द्वारा इस आशय की जारी की जाने वाली परवर्ती अधिसूचना और शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

ग-11 मौजूदा अवधि / वर्ष के वर्गीकरण के तदनुरूप, जहां कहीं आवश्यक है, पिछली अवधि / वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत / पुनः व्यवस्थित किया गया है।

were transferred to BOB as a going concern / as sale in liquidation of the entire business w.e.f. 28.2.1991. As the company could not be liquidated due to pending legal cases; a decision to merge BOBFSL with Bank of Baroda was taken in the Annual General Meeting of BOBFSL held on 30th March 2007.

The Bank has approved the merger of BOBFSL with Bank of Baroda in its Board meeting on 28.01.2009 and authorized Bank to file necessary petition for merger of BOBFSL with BOB before the High Court.

C-8. The Bank has taken over specified Assets & Liabilities of The Memon Co-operative Bank Ltd on 18th April, 2011 as per approval granted by RBI vide letter no. UBD.CO.MEROER No. 7814/09.16.901/2010.11 dated 04th March, 2011. Out of the deficit of ₹ 149.25 Crores on account of the said take over, the Bank has proportionately charged ₹ 49.75 Crores of the said deficit to the Profit and Loss Account during the year ended March 31, 2012. The balance amount of ₹ 99.50 Crores will be charged proportionately during the remaining period till Financial Year 2013-14, as approved by RBI vide letter no. DBOD.No.BP.1311/21.04.048/2010-11 dated 25th July, 2011.

C-9. The Bank has made provision @ 20% on the Secured Sub-standard Advance as against the Regulatory requirement of 15%.

Further the Bank has made an additional ad-hoc provision of ₹ 342.79. Crores for the year ended March 31, 2012 (previous year ₹ 320.08 Crores) in certain non performing domestic advance accounts.

C-10. The Board of Directors has proposed dividend of ₹17/- per share (on face value of ₹10/-) which is subject to compliance of Section 15 of Banking Regulation Act, 1949 and consequential notification to be issued to this effect by the Government of India under Section 53 of Banking Regulation Act, 1949 and approval of the shareholders.

C-11. Previous Year figures have been regrouped/ rearranged wherever considered necessary to conform current year presentation.



31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण
Statement of Cash Flow for the year ended 31st March, 2012

(₹ in 000's अनंकित omitted)

		31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2012	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011
क. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह :	A. Cash flow from operating activities:		
कर से पूर्व शुद्ध लाभ	Net Profit before taxes	6025,79,75	5650,32,10
निम्नलिखित के लिए समायोजन :	Adjustments for:		
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	Depreciation on fixed assets	276,56,52	243,04,10
निवेशों पर मूल्य हास (परिपक्व ऋणपत्रों सहित)	Depreciation on investments (including on Matured debentures)	236,32,83	9,01,27
बड़े खाते डाले गए अशोध्य ऋण / गैर निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान	Bad debts written-off/Provision in respect of non-performing assets	1865,19,16	1050,59,74
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provision for Standard Assets	448,16,58	223,85,32
अन्य मदों के लिए प्रावधान (निवल)	Provision for Other items (Net)	5,13,96	47,82,47
अचल आस्तियों की बिक्री से लाभ/(हानि) (निवल)	Profit/(loss) on sale of fixed assets (Net)	-8114	17,43
गौण ऋणों पर ब्याज हेतु भुगतान/प्रावधान, (अलग से लिया गया)	Payment/provision for interest on subordinated debt (treated separately)	914,36,03	846,16,11
अनुषंगी इकाइयों/अन्य से प्राप्त लाभांश (अलग से लिया गया)	Dividend received from subsidiaries/ others (treated separately)	(25,57,86)	(28,46,80)
उप-जोड़	Sub total	9745,15,83	8042,51,74
निम्नलिखित के लिए समायोजन :	Adjustments for:		
निवेशों में (वृद्धि) /कमी	(Increase)/Decrease in investments	(12216,12,13)	(9906,76,24)
अग्रिमों में (वृद्धि) /कमी	(Increase)/Decrease in advances	(60566,12,42)	(54691,67,24)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) /कमी	(increase)/Decrease in other assets	(3321,50,31)	(1856,38,43)
उधार राशियों में वृद्धि /(कमी)	Increase/(Decrease)in borrowings	1076,82,45	6755,39,20
जमा राशियों में वृद्धि / (कमी)	Increase/(Decrease) in deposits	79431,62,40	64177,55,67
अन्य देयताओं तथा प्रावधानों में वृद्धि /(कमी)	Increase/(Decrease) in other liabilities and provisions	1952,31,61	689,60,16
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड की निवल राशि)	Direct taxes paid (Net of Refund)	(1695,67,09)	(1431,43,54)
परिचालन कार्यकलापों से शुद्ध नकदी (क)	Net cash from operating activities (A)	14406,50,34	11778,81,32



(₹ in 000's अनंकित omitted)

		31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2012	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011
ख. निवेश संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्रवाह	B. Cash flow from investing activities:		
अचल आस्तियों की खरीद / अंतरण	Purchase/ Transfer in of fixed assets	(434,53,80)	(358,31,45)
अचल आस्तियों की बिक्री / अंतरण	Sales/ Transfer out of fixed assets	40,55,67	20,59,31
व्यापार संबंधी निवेशों में परिवर्तन (अनुषंगी एवं अन्य)	Changes in Trade related investments (Subsidiaries & others)	31,02,38	(180,50,58)
अनुषंगी इकाइयों/अन्यों से प्राप्त लाभांश	Dividend received from subsidiaries/ others	25,57,86	28,46,80
निवेश संबंधी कार्यकलापों से शुद्ध नकदी (ख)	Net cash used in investing activities (B)	(337,37,89)	(489,75,92)
ग. वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह :	C. Cash flow from financing activities:		
शेयर पूँजी	Share Capital	19,57,73	27,27,96
शेयर प्रीमियम	Share premium	1625,11,20	2433,72,03
गैर जमानती गौण बांड	Unsecured Subordinated Bonds	188,37,19	2202,37,78
लाभांश कर सहित प्रदत्त लाभांश	Dividend paid including dividend tax	(753,35,20)	(639,26,04)
गैर जमानती गौण बांडों पर प्रदत्त / देय ब्याज	Interest paid / payable on unsecured subordinated bonds	(914,36,03)	(846,16,11)
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकदी (ग)	Net cash from financing activities (C)	165,34,89	3177,95,62
नकदी एवं नकदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि (क)+(ख)+(ग)	Net increase in cash & cash equivalents (A)+(B)+(C)	14234,47,34	14467,01,02
वर्ष के प्रारंभ में नकदी व नकदी समतुल्य	Cash and cash equivalents as at the beginning of the year	49934,06,78	35467,05,76
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी समतुल्य	Cash and cash equivalents as at the end of the year	64168,54,12	49934,06,78
टिप्पणी:	Notes:		
1. नकदी तथा नकदी समतुल्य में हाथ में नकदी, भारतीय रिज़र्व बैंक एवं अन्य बैंक के पास बैलेन्स और मांग एवं अल्प सूचना पर धन समाविष्ट है.	1. Cash & Cash equivalents includes Cash on hand, Balance with RBI & Other banks and Money at call and Short Notice.		
2. नकदी तथा नकदी समतुल्य के घटक	2. Components of Cash & Cash Equivalents	31/3/2012	31/3/2011
नकदी एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बैलेन्स	Cash & Balance with RBI	216514596	198681789
बैंकों के पास बैलेन्स और मांग एवं अल्प सूचना पर धन	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	425170816	300658889
कुल	Total	641685412	499340678



वित्तीय विवरणियों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट Auditors' Report on the Financial Statements

सेवा में,

बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारक

- हमने बैंक ऑफ़ बड़ौदा की 31 मार्च 2012 की वित्तीय विवरणियां जिनमें 31 मार्च 2012 का तुलन-पत्र तथा उसके साथ संलग्न उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखे नकद प्रवाह विवरण और उल्लेखनीय लेखांकन नीतियों का सारांश शामिल हैं, की लेखा परीक्षा की है जिसमें हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित 20 शाखाएं, अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित 2746 शाखाएं और स्थानीय लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित 45 विदेशी शाखाओं की विवरणियां शामिल हैं। हमारे द्वारा और अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षा की गई शाखाओं का चुनाव बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया है। तुलन पत्र तथा लाभ-हानि खाते में 1138 शाखाओं की विवरणियां भी शामिल की गई हैं, जिनकी लेखा-परीक्षा नहीं की गयी है। ये अ-लेखापरीक्षित शाखाएं 1.36 प्रतिशत अग्रिम, 3.96 प्रतिशत जमाराशियां, 1.14 प्रतिशत ब्याज-आय और 3.60 प्रतिशत ब्याज-व्यय से संबंधित हैं।

वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन का दायित्व

- भारत में स्वीकार्य : सामान्य लेखा परीक्षा मानदण्डों के अनुरूप इन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए प्रबंधन जिम्मेदार है। इस दायित्व में वित्तीय विवरणियों को तैयार करने हेतु आंतरिक नियंत्रण, कार्यान्वयन एवं रूपरेखा सम्मिलित है और इनमें, जालसाजी या भूल की वजह से कोई उल्लेखनीय गलती नहीं है।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

- हमारा दायित्व अपनी लेखा परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणियों पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। इन मानकों की अपेक्षा है कि हम नैतिकता का निर्वाह करते हुए लेखा परीक्षा कार्य सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित रूप में इस प्रकार सम्पन्न करें कि हमें यह तार्किक आश्वासन मिले कि ये वित्तीय विवरणियां किसी भी प्रकार की उल्लेखनीय / प्रमुख गलतियों से मुक्त हैं।
- लेखा परीक्षा में राशियों के साक्ष्यों एवं प्रकटीकरण की जांच हेतु वित्तीय विवरणियों में दी गई निष्पादन प्रक्रिया के अनुरूप कार्यवाही शामिल है। चयनित प्रक्रिया (विधि) लेखा परीक्षक के विवेक पर निर्भर है, इसमें वित्तीय विवरणियों में उल्लेखनीय गलतियों के जोखिम भले ही वह जालसाजी या भूल की वजह से हों, का मूल्यांकन / आकलन करना शामिल है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करते समय लेखा परीक्षक इन वित्तीय विवरणियों की उपयुक्त प्रस्तुति हेतु बैंक के सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रणों का अवलोकन करता है ताकि परिस्थिति अनुसार उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रिया निर्धारित की जा सके। लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमान तथा प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुति का आकलन सम्मिलित है।
- हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किया है, वह हमारी लेखा परीक्षा राय प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त एवं पर्याप्त है।

राय

- अपनी राय देने से पहले हम निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:
 - वित्तीय विवरण का नोट क्रमांक ख-1.3.3 जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि.बैंक) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के कर्मचारियों के लिए पुनः पेंशन विकल्प शीर्षक के तहत इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी परिपत्रांक डीबीओडी.बीपी बीसी/80 /21.04.018/2010-11 दिनांक 9 फरवरी, 2011 के अनुरूप लेखांकन मानक 15 (संशोधित) के प्रावधानों ने इसके अंतर्गत 31 मार्च ₹ 1097.94 करोड़ की राशि आस्थगित की है।
 - वित्तीय विवरण की नोट संख्या ग-8 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें उल्लेख किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र क्र. डीबीओडी/संख्या/बीपी.1311/21.04.048/2010-11 दिनांक 25 जुलाई द्वारा प्राप्त अनुमोदन के तहत को-ऑपरेटिव बैंक लि. की विशिष्ट संपत्ति और

To

The Shareholders of Bank of Baroda

- We have audited the accompanying financial statements of Bank of Baroda as at March 31, 2012, which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2012, and Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches audited by us, 45 foreign branches audited by local auditors and 2,746 branches audited by branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account are the returns from 1,138 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 1.36 per cent of advances, 3.96 per cent of deposits, 1.14 per cent of interest income and 3.60 per cent of interest expenses.

Management's Responsibility for the Financial Statements

- Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with accounting standards generally accepted in India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

- Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements.
- An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
- We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

- Without qualifying our report, we draw attention to:
 - Note No B-1.3.3 of financial statements, which describes deferment of pension liability of the Bank to the extent of ₹1,097.94 crores as on March 31, 2012 pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India ('RBI') to the public sector banks from application of the provisions of Accounting Standard 15 (revised), Employee Benefits issued by the Institute of Chartered Accountants of India, vide its circular no. DBOD.BP.BC/80/21.04.018/2010-11 dated February 9, 2011, on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks; and
 - Note No C-8 of financial statement, which describes that the unrecognized deficit aggregating ₹99.50 crores as on March



देयताओं को टेक ओवर करने से 31.03.12 को हुए गैर मान्यता प्राप्त घाटे की कुल 99.50 करोड़ की राशि को वर्ष 2013-14 तक आनुपातिक आधार पर हटाया जाये.

7. हमारी राय में, बैंक की बहियों में दर्शाए गए अनुसार तथा हमारी अधिकतम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार :
- नोट के साथ पठित यह तुलन-पत्र पूर्ण और सही है, जिसमें आवश्यक विवरण दिए गए हैं और इसे यथोचित ढंग से बनाया गया है, जिससे कि, भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के समरूप नोट के साथ पठित बैंक के 31 मार्च, 2012 के क्रियाकलापों का सही एवं यथायोग्य चित्र सामने आ सके.
 - लाभ-हानि लेखा, दी गई टिप्पणियों के साथ पठित भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के समरूप तथा खाते के वर्ष के लिए बैंक के सही लाभ शेष को दर्शाता है.
 - नकदी प्रवाह-विवरण उस तारीख को समाप्त वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह का सही एवं स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करता है.

अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाएं

- तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा, बैंककारी कंपनी अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची के क्रमशः फार्म 'ए' और 'बी' में बनाए गए हैं.
- उपरोक्त अनुच्छेद 1 से 5 में वर्णित लेखा परीक्षा सीमाओं और बैंककारी (कंपनी उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) 1970/1980 और इनके अन्तर्गत प्रकटीकरण की सीमाओं के अध्यक्षीन, हम सूचित करते हैं कि :
 - हमने अपने अधिकतम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार लेखा-परीक्षा हेतु आवश्यक सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं तथा उन्हें संतोषजनक पाया है.
 - बैंक के संयवहारों की जो जानकारी हमारे सामने आयी है, वे बैंक के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही हैं.
 - बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियां लेखा-परीक्षा हेतु सामान्यतः पर्याप्त पायी गयीं.
- हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ/हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरणी मान्य लेखा मानकों के अनुरूप है.

31, 2012, arising out of the take-over of specified assets and liabilities from the Memon Co-operative Bank Limited to be charged off proportionately till financial year 2013-14 as per approval received from RBI vide Letter No. DBOD. No.BP.1311/21.04.048/2010-11 dated July 25, 2011.

- 7 In our opinion, as shown by books of bank, and to the best of our information and according to the explanations given to us:
- The Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at March 31, 2012 in conformity with accounting principles generally accepted in India;
 - The Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and
 - The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

- The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.
- Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/ 1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that;
 - We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
 - The transactions of the Bank, which have come to our notice have been within the powers of the Bank; and
 - The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
- In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

कृते खिमजी कुंवरजी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 105146 डब्ल्यू
(गौतम वी शाह)
भागीदार
एम. नं.: 117348

For Khimji Kunverji & Co
Chartered Accountants
FRN: 105146W
(Gautam V. Shah)
Partner
M No.117348

कृते एस के. मित्तल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 001135 एन
(गौरव मित्तल)
भागीदार
एम. नं.: 099387

For S. K. Mittal & Co.
Chartered Accountants
FRN: 001135N
(Gaurav Mittal)
Partner
M. No. 099387

कृते ब्रह्मय्या एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000511 एस
(जितेंद्र कुमार)
भागीदार
एम. नं.: 201825

For Brahmayya & Co.
Chartered Accountants
FRN: 000511S
(Jitendra Kumar)
Partner
M No.201825

कृते एन.बी.एस. एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 110100 डब्ल्यू
(एन. बी. शेट्टी)
भागीदार
एम. नं.: 016718

For N. B. S. & Co.
Chartered Accountants
FRN: 110100W
(N. B. Shetty)
Partner
M No.016718

कृते रे एण्ड रे
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 301072 ई
(ए. एन. येन्नेमादी)
भागीदार
एम. नं.: 031004

For Ray & Ray
Chartered Accountants
FRN: 301072E
(A. N. Yennemadi)
Partner
M. No. 031004

कृते लक्ष्मीनिवास नीथ एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002460 एस
(लक्ष्मीनिवास शर्मा)
भागीदार
एम. नं.: 014244

For Laxminiwas Neeth & Co.
Chartered Accountants
FRN: 002460S
(Laxminiwas Sharma)
Partner
M No.014244



**31 मार्च 2012 का
समेकित तुलन-पत्र**

**Consolidated Balance Sheet
as on 31st March 2012**



31 मार्च 2012 का समेकित तुलन-पत्र Consolidated Balance Sheet as on 31st March 2012

(000' अनंकित omitted)

	अनुसूची SCHEDULE	31 मार्च 2012 को As on 31st Mar, 2012 ₹	31 मार्च 2011 को As on 31st Mar, 2011 ₹
पूंजी और देयताएं	CAPITAL & LIABILITIES		
पूंजी	Capital	1	412,38,46
प्रारक्षित निधियां और अधिशेष	Reserves & Surplus	2	28103,91,87
मायनोरिटी इन्टरेस्ट	Minority Interest	2A	91,18,16
जमाराशियां	Deposits	3	392615,94,50
उधार ली गई राशियां	Borrowings	4	23598,05,84
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other Liabilities & Provisions	5	12590,51,75
जोड़	TOTAL		<u>457412,00,58</u>
आस्तियां	ASSETS		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी और शेष रकम	Cash and balances with Reserve Bank of India	6	22268,34,40
बैंकों के पास शेष रकम तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	43542,00,27
निवेश	Investments	8	86697,00,36
ऋण एवं अग्रिम	Loans & Advances	9	292077,13,69
अचल आस्तियां	Fixed Assets	10	2428,19,01
अन्य आस्तियां	Other Assets	11	10399,32,85
जोड़	TOTAL		<u>457412,00,58</u>
आकस्मिक देयताएं	Contingent Liabilities	12	153154,98,92
वसूली के लिए बिल	Bills for Collection		22862,48,49
महत्वपूर्ण लेखा-नीतियां	Significant Accounting Policies	18	
लेखों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts	19	
ऊपर दर्शायी गयी अनुसूचियां तुलन-पत्र का एक अभिन्न भाग हैं। The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.			

श्री एम. डी. मल्या
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री आर. के. बक्षी
कार्यकारी निदेशक
श्री एन. एस. श्रीनाथ
कार्यकारी निदेशक
श्री वी. के. गुप्ता
महाप्रबंधक
(कार्पोरेट खाते एवं कराधान
एवं मुविआ)
श्री बी. इलंगो
सहा महा प्रबंधक
(कार्पोरेट खाते एवं कराधान)
स्थान : मुंबई,
दिनांक : 04.05.2012

निदेशक

श्री आलोक निगम
श्री विनिल कुमार सक्सेना
श्री अजय माथुर
श्री सत्य देव त्रिपाठी
श्री सुरेंद्र एस भंडारी
श्री सुर्देशन सेन
श्री वी. बी. चव्हाण
डॉ. (श्रीमती) मसरत शाहिद
श्री मौलिन ए. वैष्णव
श्री राजीव एस साहू

लेखा परीक्षक

सम तारीख की हमारी संलग्न पृथक रिपोर्ट के अनुसार

कृते खिमजी कुंवरजी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 105146 डब्ल्यू
(गौतम वी शाह)
भागीदार
एम. नं.: 117348
कृते एस. के. मित्तल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 001135 एन
(कृशन स्वरूप)
भागीदार
एम. नं.: 010633

कृते ब्रह्मय्या एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 000511 एस
(जितेंद्र कुमार)
भागीदार
एम. नं.: 201825
कृते एनबीएस एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 110100 डब्ल्यू
(प्रदीप जे शेठ्टी)
भागीदार
एम. नं.: 046940

कृते रे एण्ड रे
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 301072 ई
(ए. एन. येन्नेमादी)
भागीदार
एम. नं.: 031004
कृते लक्ष्मीनिवास नीथ एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन : 002460 एस
(दयानिवास शर्मा)
भागीदार
एम. नं.: 014244



31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष का समेकित लाभ व हानि लेखा

Consolidated Profit & Loss Account for the year ended 31st March 2012

(000' अनंकित omitted)

		अनुसूची SCHEDULE	31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए Year ended 31st Mar 2012 ₹	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए Year ended 31st Mar 2011 ₹
I. आय	I. INCOME			
अर्जित ब्याज	Interest Earned	13	30488,49,36	22513,30,54
अन्य आय	Other Income	14	4100,41,66	3287,10,02
जोड़	TOTAL		34588,91,02	25800,40,56
II. व्यय	II. EXPENDITURE			
ब्याज व्यय	Interest Expended	15	19724,34,35	13349,59,66
परिचालन व्यय	Operating Expenses	16	5455,54,49	4850,58,58
प्रावधान और आकस्मिक व्यय	Provisions and Contingencies	19 (8)	4192,73,51	3181,02,18
जोड़	TOTAL		29372,62,35	21381,20,42
माइनोरिटी ब्याज से पूर्व समेकित लाभ और सहयोगी इकाइयों में आय का अंश	Consolidated Profit before Minority Interest and share of earning in Associates		5216,28,67	4419,20,14
सहयोगी इकाइयों में आय का अंश	Share of earnings in Associates	17	53,12,40	34,71,81
माइनोरिटी ब्याज काटने से पूर्व वर्ष के लिए समेकित शुद्ध लाभ	Consolidated Net Profit for the year before deducting Minority interest		5269,41,07	4453,91,95
घटाएं : माइनोरिटी ब्याज	Less : Minority Interest		20,83,69	20,21,24
वर्ष के लिए समूह का समेकित लाभ	Consolidated Profit for the year attributable to the group		5248,57,38	4433,70,71
आगे लाई गई लाभ एवं हानि खाते में शेष राशि	Balance in Profit and Loss A/c brought forward		138,66,20	82,20,34
विनियोग हेतु उपलब्ध राशि	Amount available for appropriation		5387,23,58	4515,91,05
III. विनियोग	III. APPROPRIATIONS			
सांविधिक प्रारक्षित निधि में अन्तरण	Transfer to Statutory Reserve		1272,75,29	1072,74,87
पूंजी प्रारक्षित निधियों में अन्तरण	Transfer to Capital Reserve		47,72,04	209,956
धारा 36(1) (viii) के तहत विशेष आरक्षित निधि में अन्तरण	Transfer to Special Reserve u/s 36 (1) (viii)		537,15,33	3,403,987
राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियों में अन्तरण	Transfer to Revenue & Other Reserves		2607,32,89	2221,15,61
प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर सहित)	Proposed Dividend (Including Dividend Tax)		812,29,04	7,533,520
समेकित बैलेंसशीट में आगे ले जाया गया शेष	Balance carried over to consolidated Balance Sheet		178,72,72	138,66,20
निवेश रिज़र्व खाता	Investment Reserve Account		(68,73,73)	(31,40,26)
जोड़	TOTAL		5387,23,58	4515,91,05
महत्वपूर्ण लेखा-नीतियां	Significant Accounting Policies	18		
लेखों पर टिप्पणियां	Notes on Accounts	19		
प्रतिशेयर आय (बेसिक व डायल्यूटेड) (सांकेतिक मूल्य प्रति शेयर ₹10)	Earnings per Share (Basic & Diluted) (₹.) (Nominal value per share ₹10)	19 (12)	134.01	121.64

ऊपर दर्शाई गई अनुसूचियां लाभ एवं हानि लेखे का ही एक भाग हैं

The Schedules referred to above form an integral part of the Profit & Loss Account.

Shri M. D. Mallya
Chairman & Managing Director
Shri R. K. Bakshi
Executive Director
Shri N. S. Srinath
Executive Director
Shri V K Gupta
General Manager
Corp A/cs & Taxation and CFO
Shri B Elango
Asst. General Manager
Corporate A/cs & Taxation

DIRECTORS
Shri Alok Nigam
Shri Vinil Kumar Saxena
Shri Ajay Mathur
Shri Satya Dev Tripathi
Shri Surendra S Bhandari
Shri Sudarshan Sen
Shri V B Chavan
Dr (Smt) Masarrat Shahid
Shri Maulin A Vaishnav
Shri Rajib S Sahoo

AUDITORS
As per our separate report of even date attached
For Khimji Kunverji & Co Chartered Accountants FRN: 105146W
(Gautam V Shah) Partner M No. 117348
For S K Mittal & Co Chartered Accountants FRN: 001135N
(Krishan Sarup) Partner M No. 010633
For Brahmaya & Co Chartered Accountants FRN: 000511S
(Jitendra Kumar) Partner M No. 201825
For For N B S & Co Chartered Accountants FRN: 110100W
(Pradeep J. Shetty) Partner M No. 046940
For Ray & Ray Chartered Accountants FRN: 301072E
(A. N. Yennemadi) Partner M No. 031004
For Laxminiwas Neeth & Co Chartered Accountants FRN: 002460S
(Dayaniwas Sharma) Partner M No. 014244

Place : Mumbai
Date: 04.05.2012



समेकित तुलन-पत्र की अनुसूचियां Schedules to Consolidated Balance Sheet

(000' अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2012 को As on 31st March 2012		31 मार्च, 2011 को As on 31st March 2011	
		₹	₹	₹	₹
अनुसूची - 1 पूंजी	SCHEDULE - 1 CAPITAL				
प्राधिकृत पूंजी (प्रत्येक ₹10/- के 300,00,00,000 इक्विटी शेयर) (पिछले वर्ष प्रत्येक ₹10/- के 300,00,00,000/- शेयर)	AUTHORISED CAPITAL (300,00,00,000 Shares of ₹.10/- each) (previous year 300,00,00,000 - shares of ₹.10/- each)		3000,00,00		3000,00,00
जारी की गयी तथा अभिदत्त पूंजी प्रत्येक ₹10/- के 41,38,56,883 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष प्रत्येक ₹10 के 39,42,79,579 इक्विटी शेयर) -	ISSUED & SUBSCRIBED CAPITAL (41,38,56,883 Equity Shares of ₹10/- each(Previous Year 39,42,79,579 Equity shares of ₹10each)		413,85,69		394,27,96
मांगी गई पूंजी प्रत्येक ₹10/- के 41,11,23,383 (पिछले वर्ष 39,15,79,579) इक्विटी शेयर) जिसमें प्रत्येक ₹10/- के 22,32,79,579 शेयर (पिछले वर्ष 22,32,79,579 शेयर) शामिल हैं, जिसकी कुल राशि ₹223.28 करोड़ केन्द्र सरकार द्वारा धारित है.	CALLED UP CAPITAL 41,11,23,383 (previous year 39,15,79,579) Equity shares of ₹10/- each including 22,32,79,579 shares (previous year 22,32,79,579 shares) of ₹10/- each amounting to ₹223.28 crores held by Central Government		411,12,34		3915461
जोड़ें : जब्त शेयर	Add: Forfeited Shares		1,26,12		12612
जोड़ें	TOTAL		<u>412,38,46</u>		<u>392,80,73</u>
अनुसूची - 2	SCHEDULE - 2				
प्रारक्षित निधियां और अधिशेष	RESERVES & SURPLUS				
i सांविधिक प्रारक्षित निधियां	i Statutory Reserves				
आरंभिक शेष	Opening Balance	4680,52,76		3609,50,54	
जोड़ें/(घटाएं) : लाभ एवं हानि खाते से अंतरित	Add: Transfer from P&L Accounts	1272,75,29		1072,74,87	
जोड़ें/(घटाएं) : वर्ष के दौरान समायोजन	Add/(Less): Adjustments during the year	86,269	5961,90,74	(1,72,65)	4680,52,76
ii क) पूंजीगत प्रारक्षित निधियां (पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व सहित)	ii a) Capital Reserves (Including Revaluation reserve)				
आरंभिक शेष	Opening Balance	2087,59,50		2106,90,80	
जोड़ें/(घटाएं) : लाभ एवं हानि खाते से अंतरित	Add/(Less): Transfer from P&L Accounts	47,72,04		20,99,56	
जोड़ें/(घटाएं) : वर्ष के दौरान समायोजन	Add/(Less): Adjustments during the year	(141,15,75)	1994,15,79	(40,30,86)	2087,59,50
ख) समेकन पर पूंजीगत प्रारक्षित निधियां	b) Capital Reserve on Consolidation				
आरंभिक शेष	Opening Balance	55,21,69		44,81,60	
जोड़ें : वर्ष के दौरान समायोजन	Add: Adjustments during the year	12,69,15	67,90,84	10,40,09	55,21,69
iii शेयर प्रीमियम	iii Share Premium				
आरंभिक शेष	Opening Balance	4764,80,59		2331,08,56	



(000' अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2012 को		31 मार्च, 2011 को	
		As on 31st March 2012	As on 31st March 2011	As on 31st March 2011	As on 31st March 2011
		₹	₹	₹	₹
जोड़ें/(घटाएं) : वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	Add/(Less): Adjustments during the year	1625,11,20	6389,91,79	2433,72,03	4764,80,59
iv राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियां	iv Revenue & Other Reserves				
क. धारा 36 (1) (viii) के तहत विशेष प्रारक्षित निधियां	a. Special Reserves u/s 36 (1) (viii)				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	1030,39,87		690,00,00	
जोड़ें/(घटाएं) : लाभ एवं हानि खाते से अंतरण	Add/(Less): Transfer from P&L Account	537,15,33	1567,55,20	340,39,87	1030,39,87
ख. रूपांतरण प्रारक्षित निधियां	b. Translation Reserves		758,98,33		12,17,84
ग. निवेश रिज़र्व खाता	c. Investment Reserve Account				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	68,73,73			
अन्य रिज़र्व से अंतरित	Transferred from Other Reserves			100,13,99	
लाभ एवं हानि विनियोजन खाते में अंतरित	Transferred to P&L Appropriation A/c	(68,73,73)	-	(31,40,26)	68,73,73
ग. राजस्व प्रारक्षित निधियां	c. Revenue Reserves				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	8595,64,29		6501,35,62	
निवेश रिज़र्व खाते में अंतरित	Transferred to Investment Reserve Account			(100,13,99)	
जोड़े : लाभ और हानि खाते से अंतरण	Add: Transfer from P&L Accounts	2607,32,89		2221,15,61	
जोड़ें/(घटाएं): वर्ष के दौरान किए गए समायोजन	Add/(Less): Adjustments during the year	(18,20,72)	11184,76,46	(26,72,95)	8595,64,29
v लाभ/हानि खाते में शेष	v Balance in Profit & Loss Account		178,72,72		138,66,20
कुल प्रारक्षित निधियां और अधिशेष (i से v)	Total Reserves & Surplus (I to v)		28103,91,87		21433,76,47
अनुसूची - 2 ए- माइनोरिटी ब्याज	SCHEDULE - 2A- Minority Interest				
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	72,90,64		59,42,00	
जोड़ें / (घटाएं): वर्ष के दौरान किए गए समायोजन	Add/(Less): Adjustments during the year	18,27,52	91,18,16	13,48,64	72,90,64
कुल माइनोरिटी ब्याज	Total Minorities Interest		91,18,16		72,90,64
अनुसूची - 3 जमा राशियां	SCHEDULE - 3 DEPOSITS				
क. I मांग जमा राशियां	A. I Demand Deposits				
i) बैंकों से	i) From Banks	1052,06,30		804,90,86	
ii) अन्यो से	ii) From Others	28460,40,59	29512,46,89	22892,11,07	23697,01,93
II बचत बैंक जमा राशियां	II Savings Bank Deposits		76429,30,62		66096,09,52
III मीयादी जमा राशियां	III Term Deposits				
i) बैंकों से	i) From Banks	53301,53,18		41191,23,59	
ii) अन्यो से	ii) From Others	233372,63,81	286674,16,99	180618,89,85	221810,13,44
जोड़ (I, II एवं III)	TOTAL (I,II and III)		392615,94,50		311603,24,89
ख. I भारत में शाखाओं की जमा राशियां	B. I Deposits of branches in India	283253,58,77		235899,75,53	
II भारत से बाहर शाखाओं की जमा राशियां	II Deposits of branches outside India	109362,35,73		75703,49,36	
जोड़ (I एवं II)	TOTAL (I & II)	311603,24,89		245951,14,55	



(000' अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2012 को As on 31st March 2012		31 मार्च, 2011 को As on 31st March 2011	
		₹	₹	₹	₹
अनुसूची - 4 उधार राशियां	SCHEDULE - 4 BORROWINGS				
I भारत में उधार राशियां	I Borrowings in India				
i) भारतीय रिजर्व बैंक	i) Reserve Bank of India	-		350,00,00	
ii) अन्य बैंक	ii) Other Banks	168,00,86		135,58,87	
iii) अन्य संस्थान और एजेंसियां	iii) Other Institutions and Agencies	377,06,24		432,30,75	
iv) आईपीडीआई	iv) IPDI	1911,70,00		1911,70,00	
v) बांडों के रूप में जारी हाईब्रिड ऋण पूंजी लिखतें	v) Hybrid Debt Capital Instruments issued as bonds	5000,00,00		5000,00,00	
vi) गौण ऋण	vi) Subordinate debt	2490,00,00	9946,77,10	2490,00,00	10319,59,62
II भारत से बाहर उधार राशियां (इसमें ₹1526.25 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1337.88 करोड़) के एमटीएन बाण्ड शामिल हैं)	II Borrowings outside India (includes MTN Bonds of ₹1526.25 crs (previous year ₹1337.88 crs))		13651,28,74		12058,73,34
जोड़ (I एवं II)	TOTAL (I & II)		23598,05,84		22378,32,96
ऊपर I एवं II में शामिल जमानती उधार राशियां	Secured Borrowings included in I & II above		523,16,34		71,56,24
अनुसूची - 5	SCHEDULE - 5				
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS				
I देय बिल	I Bills Payable		1390,73,66		1684,10,55
II उपचित ब्याज	II Interest Accrued		2837,26,46		2144,85,88
III आस्थगित कर देयता	III Deferred Tax Liabilities		256,73,26		102,19,24
IV मानक अग्रिमों के पेटे आकस्मिक प्रावधान	IV Contingent Provision against Standard Advances		1402,80,16		921,76,92
V अन्य (प्रावधानों सहित)	V Others (including provisions)		6702,98,21		5479,78,29
जोड़ (I एवं V)	Total (I to V)		12590,51,75		10332,70,88
अनुसूची - 6	SCHEDULE - 6				
नकदी तथा भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष	CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA				
I हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	I Cash in hand (including foreign currency notes)		1267,80,21		1411,28,67
II भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष	II Balances with Reserve Bank of India :				
i) चालू खाते में	i) in Current Account	20901,20,65		18870,42,81	
ii) अन्य खातों में	ii) in Other Accounts	99,33,54	21000,54,19	112,70,13	18983,12,94
जोड़ (I एवं II)	Total (I & II)		22268,34,40		20394,41,61
अनुसूची - 7	SCHEDULE - 7				
बैंक के पास शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE				
I भारत में	I In India				
i) बैंकों के पास शेष रकम	i) Balances with Banks				
(क) चालू खातों में	a) in Current Accounts	330,76,38		325,09,18	
(ख) अन्य जमा खातों में	b) in Other Deposit Accounts	4105,69,13	4436,45,51	2178,74,98	2503,84,16



(000' अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2012 को As on 31st March 2012		31 मार्च, 2011 को As on 31st March 2011	
		₹	₹	₹	₹
ii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय	ii) Money at call and short notice				
(क) बैंकों के पास	a) with Banks	60,00,00		-	
(ख) अन्य संस्थानों के पास	b) with Other Institutions	-	60,00,00	-	-
जोड़ (i एवं ii)	Total (i and ii)		4496,45,51		2503,84,16
II भारत से बाहर	II Outside India				
i) चालू खातों में	i) in Current Accounts	7968,12,23		4971,43,05	
ii) अन्य जमा-राशि खातों में	ii) in Other Deposit Accounts	15829,53,01		11309,85,74	
iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	iii) Money at Call and Short Notice	15247,89,52		12244,18,16	
जोड़ (i, ii एवं iii)	Total (i, ii and iii)		39045,54,76		28525,46,95
कुल जोड़ (I एवं II)	Grand Total (I and II)		43542,00,27		31029,31,11
अनुसूची - 8 निवेश	SCHEDULE - 8 INVESTMENTS				
I भारत में निम्न में निवेश	I Investments in India in				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	i) Govt Securities	70043,86,02		60092,29,43	
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	ii) Other Approved Securities	354,75,58		629,66,51	
iii) शेयर	iii) Shares	1868,03,03		1532,77,66	
iv) डिबेंचर एवं बांड	iv) Debentures and Bonds	3292,91,03		2576,93,08	
v) सहयोगी इकाइयों में निवेश [इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शेयर पूंजी के रूप में बैंक का अग्रिम अंशदान ₹112.82 करोड़. (पिछले वर्ष ₹94.62 करोड़) शामिल है जो आबंटन हेतु लम्बित हैं.]	v) Investment in Associates [includes Bank's share of contribution as advance of ₹112.82 crores (Previous Year ₹94.62 crores) towards Share Capital of RRBs pending allotment]	324,61,23		279,65,93	
vi) अन्य	vi) Others	5084,31,81		3667,93,24	
जोड़ (i से vi)	Total (i to vi)		80968,48,70		68779,25,85
II भारत से बाहर निवेश	II Investments Outside India in				
i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	i) Govt Securities (incl. Local authorities)	3313,60,80		3039,45,12	
ii) सहयोगी इकाइयों में निवेश	ii) Investment in Associates	45,71,39		37,61,68	
iii) अन्य	iii) Others	2369,19,47		2298,09,22	
जोड़ (i से iii)	Total (i to iii)		5728,51,66		5375,16,02
कुल जोड़ (I एवं II)	Grand Total (I & II)		86697,00,36		74154,41,87
III भारत में निवेश	III Investments in India				
निवेशों का सकल मूल्य	Gross value of Investments	81529,17,41		69120,68,65	
घटाएं: मूल्यहास हेतु प्रावधानों का जोड़	Less: Aggregate of Provisions for Depreciation	560,68,71		341,42,80	
शुद्ध निवेश	Net Investments	80968,48,70		68779,25,85	
IV भारत से बाहर निवेश	IV Investments outside India				
निवेशों का सकल मूल्य	Gross value of Investments	5878,59,69		5518,37,19	
घटाएं: मूल्यहास हेतु प्रावधानों का जोड़	Less: Aggregate of Provisions for Depreciation	150,08,03		143,21,17	
शुद्ध निवेश	Net Investments	5728,51,66	86697,00,36	5375,16,02	74154,41,87



(000' अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2012 को As on 31st March 2012		31 मार्च, 2011 को As on 31st March 2011	
		₹	₹	₹	₹
अनुसूची - 9 अग्रिम	SCHEDULE - 9 ADVANCES				
क. i) खरीदे और भुनाए गए बिल	A. i) Bills Purchased and Discounted		39163,13,03		29699,84,56
ii) नकदी ऋण, ओवर ड्राफ्ट और मांग पर चुकौती योग्य ऋण	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans Repayable on Demand		123765,58,53		99592,12,58
iii) मीयादी ऋण	iii) Term Loans		129148,42,13		102793,13,98
जोड़ (i से iii)	Total (i to iii)		<u>292077,13,69</u>		<u>232085,11,12</u>
ख. i) मूर्त आस्तियों द्वारा संरक्षित (बही ऋण की एवज में अग्रिमों सहित)	B. i) Secured by Tangible Assets(Includes advances against book debts)	194479,76,82		148950,49,26	
ii) बैंकों/सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित	ii) Covered by Bank/ Government Guarantees	50443,30,96		33917,86,55	
iii) गैर-जमानती	iii) Unsecured	47154,05,91		49216,75,31	
जोड़ (i से iii)	Total (i to iii)		<u>292077,13,69</u>		<u>232085,11,12</u>
ग. I भारत में अग्रिम	C. I Advances in India				
i प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	i Priority Sector	65858,35,26		55715,64,27	
ii सार्वजनिक क्षेत्र	ii Public Sector	23704,68,11		22996,88,61	
iii बैंक	iii Banks	2112,62,71		561,97,67	
iv अन्य	iv Others	112365,62,87	204041,28,95	91754,54,20	171029,04,75
II भारत से बाहर अग्रिम	II Advances Outside India				
i बैंकों से प्राप्य	i Due from Banks	-		52,85,86	
ii अन्यो से प्राप्य	ii Due from Others				
क. खरीदे गए और भुनाए गए बिल	a) Bills purchased & Discounted	33344,02,10		25859,61,44	
ख. समूह ऋण	b) Syndicated Loans	12087,44,47		9532,22,74	
ग. अन्य	c) Others	42604,38,17	88035,84,74	25611,36,33	61056,06,37
जोड़ (ग I + ग II)	Total (C.I +C.II)		<u>292077,13,69</u>		<u>232085,11,12</u>
अनुसूची-10	SCHEDULE - 10				
अचल आस्तियां	FIXED ASSETS				
I परिसर	I Premises				
विगत वर्ष के 31 मार्च की लागत पर (पुनर्मूल्यित राशि सहित)	At cost as on 31st March of the preceding year (includes revalued amount)	2530,11,73		2486,69,96	
वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	Additions/Adjustments during the year	99,94,90		45,56,20	
		2630,06,63		2532,26,16	
घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियां	Less : Deductions during the year	1,26,78		2,14,43	
		2628,79,85		2530,11,73	
अद्यतन तारीख को मूल्यहास	Depreciation to date	825,27,92	1803,51,93	722,78,38	1807,33,35
II अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर एवं फिक्सचर सहित)	II Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures) :				
विगत वर्ष के 31 मार्च की लागत पर	At cost as on 31st March of the preceding year	2167,11,20		1907,87,23	



(000' अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2012 को As on 31st March 2012		31 मार्च, 2011 को As on 31st March 2011	
		₹	₹	₹	₹
वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	Additions/Adjustments during the year	352,91,50		327,62,69	
		2520,02,70		2235,49,92	
वर्ष के दौरान कटौतियां	Deductions during the year	60,69,97		68,38,72	
		2459,32,73		2167,11,20	
अद्यतन तारीख तक मूल्यहास	Depreciation to date	1841,74,57	617,58,16	1596,03,73	571,07,47
II क. पट्टे पर दी गई आस्तियां	II A Leased Assets				
लागत पर	At cost	19,34,17		17,73,91	
वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन	Additions/Adjustments during the year	3,27,77		2,87,72	
		22,61,94		20,61,63	
वर्ष के दौरान कटौतियां प्रावधानों सहित.	Deductions during the year incl. Provisions	13,95,89		1,27,46	
		8,66,05		19,34,17	
तुलन-पत्र की तारीख तक मूल्यहास	Depreciation to date	1,57,13	7,08,92	14,55,04	4,79,13
जोड़ (I, II एवं II क)	Total (I, II and IIA)		2428,19,01		2383,19,95
अनुसूची - 11	SCHEDULE - 11				
अन्य आस्तियां	OTHER ASSETS				
I अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	I Inter-Office Adjustments (Net)		392,47,97		233,13,53
I उपचित ब्याज	I Interest Accrued		3530,54,00		2471,06,84
II अग्रिम कर भुगतान/स्रोत पर कर कटौती (प्रावधानों का निवल)	II Tax paid in advance/tax deducted at source (net of Provisions)		2017,81,20		1330,79,71
III स्टेशनरी एवं स्टैम्प	III Stationery and Stamps		7,18,28		7,45,91
IV आस्थगित कर आस्तियां	IV Deferred Tax assets		11,90,31		6,24,49
V अन्य	V Others		4439,41,09		2118,60,43
जोड़ (I से V)	Total (I to V)		10399,32,85		6167,30,91
अनुसूची - 12	SCHEDULE - 12				
आकस्मिक देयताएं	CONTINGENT LIABILITIES				
I दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया	I Claims not acknowledged as debts		78,60,61		238,22,64
II आंशिक चुकता निवेशों के लिए देयता	II Liability for partly paid Investments		28,00		28,00
III बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता	III Liability on account of outstanding forward exchange contracts		93060,59,01		78454,09,29
IV संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां	IV Guarantees given on behalf of constituents :				
क) भारत में	a) In India	13791,49,63		11798,07,99	
ख) भारत से बाहर	b) Outside India	10331,24,44	24122,74,07	7904,98,74	19703,06,73
V स्वीकृतियां, परांक्रन और अन्य दायित्व	V Acceptances, Endorsements and Other Obligations		18165,81,55		15017,44,01
VI आकस्मिक देयता की अन्य मदें	VI Other items of contingent liability		17726,95,68		14149,25,13
जोड़ (I से VI)	Total (I to VI)		153154,98,92		127562,35,80



समेकित लाभ व हानि लेखे की अनुसूचियां Schedules to Consolidated Profit & Loss Account

(000' अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2012 को As on 31st March 2012		31 मार्च, 2011 को As on 31st March 2011	
		₹	₹	₹	₹
अनुसूची - 13 अर्जित ब्याज एवं लाभांश	SCHEDULE - 13 INTEREST AND DIVIDENDS EARNED				
I अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/ बट्टा	I Interest/Discount on Advances/Bills		22866,00,82		16550,75,75
II निवेश पर आय	II Income on Investments		6435,99,52		5006,87,91
III भारतीय रिजर्व बैंक शेष और अन्य अन्तर बैंक निधियों के शेष पर ब्याज	III Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds		901,69,34		519,54,44
IV अन्य	IV Others		284,79,68		436,12,44
जोड़ (I से IV)	TOTAL Total (I to IV)		<u>30488,49,36</u>		<u>22513,30,54</u>
अनुसूची - 14 अन्य आय	SCHEDULE - 14 OTHER INCOME				
I कमीशन, विनिमय एवं दलाली	I Commission, Exchange and Brokerage		1274,15,11		1063,56,69
II भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ/(हानि) (शुद्ध)	II Profit / (Loss) on sale of Land, Buildings and Other Assets (Net)		79,87		(12,67)
III विनिमय लेन-देन पर लाभ (शुद्ध)	III Profit on Exchange Transactions (Net)		702,63,74		530,23,17
IV निवेश की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)	IV Profit on sale of Investments (Net)		609,46,61		475,16,82
V निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/(हानि) (शुद्ध)	V Profit / (Loss) on revaluation of Investments (Net)		52,17		2,43,55
VI अर्जित प्रीमियम	VI Premium earned		569,52,83		351,03,78
VII विविध आय	VII Miscellaneous Income		943,31,33		864,78,68
जोड़ (I से V)	TOTAL Total (I to VII)		<u>4100,41,66</u>		<u>3287,10,02</u>
अनुसूची - 15 ब्याज व्यय	SCHEDULE - 15 INTEREST EXPENDED				
I जमा राशियों पर ब्याज	I Interest on Deposits		18146,99,74		12161,40,49
II भारतीय रिजर्व बैंक/ अन्तर बैंक उधार राशियों पर ब्याज	II Interest on Reserve Bank of India/Inter-Bank Borrowings		641,92,27		348,15,21
III अन्य	III Others		935,42,34		840,03,96
जोड़ (I से III)	TOTAL Total (I to III)		<u>19724,34,35</u>		<u>13349,59,66</u>



(000' अनंकित omitted)

		31 मार्च, 2012 को As on 31st March 2012		31 मार्च, 2011 को As on 31st March 2011	
		₹	₹	₹	₹
अनुसूची - 16	SCHEDULE - 16				
परिचालन व्यय	OPERATING EXPENSES				
I कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान	I Payments to and Provisions for Employees	3117,26,75		3018,45,77	
II किराया, कर एवं विद्युत	II Rent, Taxes and Lighting	439,41,97		379,52,50	
III मुद्रण एवं स्टेशनरी	III Printing and Stationery	42,01,31		36,12,76	
IV विज्ञापन एवं प्रचार	IV Advertisement and Publicity	75,21,34		71,22,40	
V क) पट्टाकृत आस्तियों के अलावा बैंक की संपत्तियों पर मूल्यहास	V a) Depreciation on Bank's Property other than Leased Assets	294,47,07		259,16,14	
ख) पट्टाकृत आस्तियों पर मूल्यहास	b) Depreciation on Leased Assets	1,01,09	295,48,16	54,24	259,70,38
VI निदेशकों की फीस, भत्ते एवं व्यय	VI Directors' Fees, Allowances and Expenses	2,49,19		1,62,57	
VII लेखा परीक्षकों की फीस एवं व्यय (शाखा लेखा-परीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित)	VII Auditors' Fees and Expenses (including Branch Auditors' Fees and Expenses)	41,11,14		40,31,62	
VIII विधि प्रभार	VIII Law Charges	24,03,73		21,05,36	
IX डाक व्यय, तार एवं दूरभाष आदि	IX Postages, Telegrams, Telephones etc.	103,65,53		93,00,71	
X मरम्मत एवं रख रखाव	X Repairs and Maintenance	174,32,70		116,26,99	
XI बीमा	XI Insurance	284,13,69		235,88,94	
XII अन्य व्यय	XII Other Expenditure	856,38,98		577,38,58	
जोड़ (I से XII)	TOTAL (I to XII)	<u>5455,54,49</u>		<u>4850,58,58</u>	
अनुसूची - 17	SCHEDULE - 17				
सहयोगी इकाइयों में आय का अंश	SHARE OF EARNINGS IN ASSOCIATES				
I आरआरबी	I RRB's	51,38,36		39,28,41	
II अन्य	II Others	1,74,04		(4,56,60)	
जोड़ (I और II)	Total (I & II)	<u>53,12,40</u>		<u>34,71,81</u>	

अनुसूची 18: 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणियों की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां Schedule 18 : Significant Accounting Policies on the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March 2012

1. समेकित वित्तीय विवरणियां तैयार करने का आधार

1.1 तैयारी करने का आधार

बैंक (मूल), इसकी अनुषंगियों संयुक्त उद्यमों और सहयोगी इकाइयों की समेकित वित्तीय विवरणियां (सीएफएस) परम्परागत लागत के आधार पर बनाई गई हैं और सभी वास्तविक पहलुओं के संदर्भ में, भारत की शाखाओं/कार्यालयों के विषय में भारत में और विदेशी शाखाओं/कार्यालयों के विषय में संबद्ध देश में प्रचालित सांविधिक प्रावधानों एवं विधाओं के अनुरूप, जब तक कि कोई अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, बनाई गई हैं।

1.2 अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में वित्तीय विवरण की तारीख को रिपोर्ट की गई आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) तथा रिपोर्ट की गई अवधि हेतु आय एवं व्यय संबंधी राशि को रिपोर्ट करने हेतु प्रबंधन को कुछ अनुमानों और आकलनों को आधार बनाना पड़ता है। प्रबंधन का विश्वास है कि वित्तीय विवरण को तैयार करने के लिए प्रयुक्त आकलन विवेकपूर्ण और उचित है।

2. समेकन प्रक्रिया

2.1 समूह (12 अनुषंगियां, 7 सहयोगी इकाइयों तथा 2 संयुक्त उद्यम) की समेकित वित्तीय विवरणियां निम्नलिखित के आधार पर तैयार की गई हैं :

- बैंक ऑफ बड़ौदा (मूल) के लेखा-परीक्षित खाते
- अनुषंगियों की आस्ति/देयता/आय/व्यय की प्रत्येक मद का मूल संस्था की संबंधित मद के साथ लाइन-टू-लाइन एकत्रीकरण तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एस-21) के अनुसार सभी इन्द्रा ग्रुप शेर्षों/संव्यवहारों और वसूल न किए गए लाभ/हानि को कम करते हुए।
- सहयोगी संस्थाओं में निवेश का लेखांकन लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणियों के आधार पर आईसीएआई द्वारा जारी "अकाउंटिंग फॉर इनवेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इन कनसालिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स" ए एस 23 इक्विटी प्रणाली के अनुरूप किया गया है।
- संयुक्त उद्यमों में निवेश, आईसीएआई द्वारा जारी एस-27 (फायनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इन्टरेस्ट इन ज्वाइंट वेंचर) में निर्धारित "समानुपातिक आधार" पर समेकित किया गया है।

2.2 लेखांकन नीतियों में अन्तर होने की स्थिति में अनुषंगियों, संयुक्त उद्यम एवं सहयोगी इकाइयों की वित्तीय विवरणियों को, जहां कहीं आवश्यक तथा व्यवहारिक हो, मूल की लेखा-नीतियों के अनुरूप समायोजित किया गया है।

2.3 समेकित वित्तीय विवरणियों के माइनोरिटी इन्टरेस्ट में अनुषंगियों की शुद्ध इक्विटी/लाभ में माइनोरिटी शेयरधारकों के अंश समाहित है।

1. BASIS OF PREPARATION OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

1.1 BASIS OF PREPARATION:

Consolidated Financial Statements (CFS) of the Bank (Parent), its subsidiaries, joint ventures and associates are drawn up on historical cost basis and conform in all material aspects to statutory provisions and practices prevailing in India in respect of Indian offices / branches and respective foreign countries in respect of foreign offices / branches, unless otherwise stated.

1.2 USE OF ESTIMATES:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

2. CONSOLIDATION PROCEDURE:

2.1 CFS of the group (comprising of -12- Subsidiaries, -7- Associates and -2- Joint Ventures) have been prepared on the basis of :

- Audited accounts of Bank of Baroda (Parent).
- Line by line aggregation of each item of asset/liability/income/expense of the subsidiaries with the respective item of the Parent, and after eliminating all material intra-group balances / transactions, unrealised profit/loss as per AS 21 (Consolidated Financial Statements) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).
- Investments in Associates are accounted for under the Equity Method as per AS 23 (Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements) issued by ICAI based on the audited Financial Statements of the associates.
- Interests in Joint Ventures are consolidated on 'Proportionate consolidation method' as prescribed in AS 27 (Financial Reporting of Interests in Joint Ventures) issued by ICAI.

2.2 In case of difference in Accounting Policies, the Financial Statements of Subsidiaries, Joint ventures and Associates are adjusted, wherever necessary and practicable, to conform to the Accounting Policies of the Parent.

2.3 Minority interest in the CFS consists of the share of the minority shareholders in the net equity / profit of the subsidiaries.



2.4 मूल संस्था द्वारा इसकी अनुषंगियों में किए गए निवेश की लागत और अनुषंगियों में इक्विटी में मूल संस्था के हिस्से की लागत अंतर को गुडविल/ प्रारक्षित पूंजी, जैसा भी मामला हो, के रूप में माना गया है।

3. निवेश

3.1 वर्गीकरण

मूल संस्था तथा इसकी घरेलू अनुषंगियों के निवेश पोर्टफोलियो को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :

- (क) "परिपक्वता तक धारित" निवेश राशियों में परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त निवेश शामिल हैं।
- (ख) "व्यापार हेतु धारित" में वे निवेश शामिल हैं जिन्हें व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किया गया है।
- (ग) "बिक्री हेतु उपलब्ध" में वे निवेश शामिल हैं जो उपरोक्त "क" तथा "ख" में शामिल नहीं हैं अर्थात् जो न तो व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं और न ही परिपक्वता तक रखने के उद्देश्य से प्राप्त किए गए हैं।

3.2 अधिग्रहण लागत

निवेशों के अधिग्रहण की लागत-प्रोत्साहनों, फ्रंट एण्ड फीस एवं कमीशन का कुल योग है।

3.3 मूल्यांकन का आधार

"परिपक्वता तक धारित" के रूप में वर्गीकृत निवेशों को भारित औसत अर्जित लागत पर लिया गया है, यदि वह अंकित मूल्य से अधिक नहीं है। विपरीत स्थिति में प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि तक परिशोधित किया गया है।

"परिपक्वता तक धारित" के रूप में वर्गीकृत निवेशों में ऐसे डिबेंचर/बांड्स शामिल हैं जिन्हें स्वरूप/प्रकृति की दृष्टि से अग्रिम माना जाता है (जिनके लिए अग्रिमों पर लागू आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंड लागू करते हुए प्रावधान किया गया है।) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में, ट्रेजरी बिलों, कमर्शियल पेपर्स, इंदिरा विकास-पत्र, किसान विकास पत्र और जमा प्रमाण पत्र में किए गए निवेशों को रखाव लागत आधार पर मूल्यांकन किया गया है।

23.08.2006 के पश्चात् मूल द्वारा वीसीएफ की ईकाइयों में किए गए निवेश को आरम्भिक तीन वर्षों के लिए परिपक्वता तक धारित श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है तथा कीमत के आधार पर मूल्यांकन किया गया है। संवितरण के तीन वर्षों के पश्चात् इन्हें एफएएस में अंतरिम का दिया जाएगा तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार चिन्हित रखा जाएगा।

"व्यापार के लिए धारित" एवं "बिक्री के लिए उपलब्ध" के रूप में वर्गीकृत निवेश बाजार स्क्रिपवार चिह्नित किया गया है तथा तुलन पत्र में प्रत्येक श्रेणी में दर्शाए गए परिणामी शुद्ध मूल्यहास यदि कोई है, को लाभ हानि खाते में स्थान दिया गया है। जब कि शुद्ध मूल्यवृद्धि यदि कोई हो, को छोड़ दिया गया है।

व्यापार के लिए धारित श्रेणी के तहत ट्रेजरी बिलों में प्राथमिक डीलर के रूप में मूल बैंक द्वारा किये गये निवेश का रख-रखाव लागत पर मूल्यांकन किया गया है।

"व्यापार के लिए धारित" तथा "बिक्री के लिए उपलब्ध" श्रेणी के निवेशों के मूल्यांकन के लिए बाजार स्टॉक एक्सचेंज में उद्धृत दरें प्राइमरी डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (पीडीआई) फिक्स्ड इन्कम मनी मार्केट एण्ड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (एफआईएमएमडी) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया गया है।

जिन निवेशों के लिए ऐसी दरें / उद्धृत दरें उपलब्ध नहीं हैं, उनका मूल्यांकन

2.4 The difference between cost to the Parent of its initial investment in the subsidiaries and the Parent's portion of the equity of the subsidiaries is recognized as goodwill/ capital reserve as the case may be.

3. INVESTMENTS:

3.1 Classification

The Investment portfolio of the Parent and its domestic subsidiaries is classified in accordance with Reserve Bank of India guidelines into:

- (a) "Held to Maturity" (HTM) comprising investments acquired with the intention to hold them till maturity.
- (b) "Held for Trading" (HFT) comprising investments acquired with the intention to trade.
- (c) "Available for Sale" (AFS) comprising investments not covered by (a) and (b) above i.e. those which are acquired neither for trading purposes nor for being held till maturity.

3.2 Acquisition Cost

Cost of Acquisition of Investments is net of incentives, front-end fees and commission.

3.3 Basis of Valuation

Investments classified as HTM are carried at weighted average acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized over the period remaining to maturity.

Investments classified as HTM includes debentures / bonds which are deemed to be in the nature of / treated as advances (for which provision is made by applying the RBI prudential norms of assets classification and provisioning applicable to advances).

Investments in Regional Rural Banks, Treasury Bills, Commercial Papers and Certificates of Deposit which have been valued at carrying cost.

Parent's investment in units of VCFs made after 23.08.2006 are classified under HTM category for initial period of three years and are valued at cost. After period of three years from date of disbursement, it will be shifted to AFS and marked-to-market as per RBI guidelines.

Investments classified as HFT and AFS are marked to market, scrip-wise and the resultant net depreciation if any in each category disclosed in the Balance Sheet is recognized in the Profit and Loss Account, while the net appreciation, if any, is ignored.

Investments made by the Parent as Primary Dealer in Treasury Bills under HFT category have been valued at carrying cost.

For the purpose of valuation of quoted investments in HFT and AFS categories, the market rates/quotes on the Stock exchanges, the rates declared by Primary Dealers Association of India (PDAI)/ Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA)/ Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) are used.

Investments for which such rates / quotes are not



भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया गया है जो निम्नानुसार हैं :-

क. सरकारी/अनुमोदित प्रतिभूतियां	- परिपक्वता प्रतिफल के आधार पर
ख. इक्विटी शेयर, पीएसयू एवं ट्रस्टी शेयर	- अद्यतन तुलनपत्र (12 माह से अधिक पुराना नहीं) के अनुसार बही मूल्य पर अन्यथा ₹1 प्रति कंपनी
ग. अधिमानी शेयर	- परिपक्वता प्रतिफल के आधार पर, समुचित क्रेडिट स्प्रेड मार्कअप सहित
घ. पीएसयू बॉन्ड	- समुचित क्रेडिट स्प्रेड मार्कअप के साथ परिपक्वता प्रतिफल के आधार पर
ङ. म्यूचुअल फंड की यूनिटें	- फंड द्वारा प्रत्येक स्कीम के संबंध में घोषित अद्यतन पुनर्खरीद मूल्य/शुद्ध आस्ति मूल्य एनएवी पर
च. उद्यम पूंजी	- लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार घोषित एनएवी जोकि 18 माह से ज्यादा पुरानी न हो, यदि लगातार 18 माह से अधिक के एनएवी या लेखा परीक्षित वित्तीय आंकड़े उपलब्ध न हों तो प्रति उद्यम पूंजी निधि (वीएसएफ) ₹1/-

3.4 निवेशों का निस्तारण

“परिपक्वता तक धारित” के रूप में वर्गीकृत निवेशों की बिक्री पर लाभ/हानि को संबंधित निवेशों की भारित औसत लागत/बही मूल्य के आधार पर लाभ एवं हानि खाते में अंकित किया जाता है एवं “परिपक्वता तक धारित” वर्गीकरण में संबंधित निवेशों के बही मूल्य के समतुल्य लाभ को प्रारक्षित पूंजी खाते में विनियोजित किया जाता है.

एएफएस/एचएफटी श्रेणी के निवेशों की बिक्री पर हुई लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में लिया गया है.

3.5 बैंक के द्वारा निवेशों के लिए, निपटान तारीख आधार पर समरूप लेखा प्रणाली का अनुसरण किया जा रहा है.

3.6 विदेशी शाखाओं में निवेश के सम्बंध में भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा मेजबान देशों के दिशा-निर्देशों का, दोनों में से जो अधिक कठोर हों, का अनुपालन किया जाता है. ऐसी शाखाओं के मामले में जो ऐसे देशों में स्थित है जहां कोई विशिष्ट दिशानिर्देश नहीं है, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है.

3.7 इन श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों के अंतरण की गणना, अंतरण की तारीख को उसकी अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/ बाजार मूल्य में से जो भी कम हो, पर की गई है और ऐसे अंतरण के फलस्वरूप आए मूल्यहास, यदि कोई है, के लिए प्रावधान किया गया है.

3.8 घरेलू गैरनिष्पादक प्रतिभूतियों से संबंधित आय को नहीं लिया गया है. और इन प्रतिभूतियों के मूल्य में मूल्यहास के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार प्रावधान किया गया है.

3.9 रेपो / रिवर्स रेपो

बैंक ने पुनः खरीद तथा प्रत्यावर्तित पुनः खरीद लेनदेनों को लेखांकित

available are valued as per norms laid down by Reserve Bank of India, which are as under: -

a	Government / Approved securities	-	On Yield to Maturity basis.
b	Equity Shares, PSU and Trustee shares	-	At book value as per the latest Balance Sheet (not more than 12 months old), otherwise Re.1 per company.
c	Preference Shares	-	On Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up.
d	PSU Bonds	-	On Yield to Maturity basis with appropriate credit spread mark-up.
e	Units of Mutual Funds	-	At the latest repurchase price / NAV declared by the Fund in respect of each scheme.
f	Venture Capital	-	Declared NAV or break up NAV as per audited balance sheet which is not more than 18 months old. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months continuously then at Re. 1/- per VCF.

3.4 Disposal of Investment

Profit / loss on sale of investments classified as HTM is recognized in the Profit and Loss account based on the weighted average cost / book value of the related investments and an amount equivalent of profit on sale of investments in HTM classification is appropriated to Capital Reserve Account.

Profit /loss on sale of Investment in AFS/HFT category is recognized in Profit and Loss account.

3.5 The Parent is following uniform methodology of accounting for investments on settlement date basis.

3.6 In respect of Investments at Overseas Branches, Reserve Bank of India guidelines or those of the host countries, whichever are more stringent are followed. In case of those branches situated in countries where no guidelines are specified, the guidelines of the Reserve Bank of India are followed.

3.7 The transfer of a security between these categories is accounted for at the acquisition cost / book value / market value on the date of transfer, whichever is the least, and the depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.

3.8 In respect of domestic non-performing securities, income is not recognised, and provision is made for depreciation in the value of such securities as per RBI guidelines.

3.9 REPO / REVERSE REPO

The Parent has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of market Repo and Reverse Repo transactions [other



करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बताई गई एक समान लेखा प्रणाली को अपनाया है। रेपो / रिवर्स रेपो खाते में शेष राशि को निवेश खाते में शेष राशि की एवज में समायोजित की गई है। (भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चल निधि समायोजन योजना (एलएएफ) के अंतर्गत हुए लेनदेनों को छोड़कर)। रिपो एवं रिवर्स रिपो लेनदेनों को, सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद करने के समझौते के साथ संपार्श्विक उधार/ऋण के रूप में लिया गया है। रिपो के अन्तर्गत बेची गई प्रतिभूतियां उन्हें रिवर्स रिपो के तहत निवेश व खरीदी गई प्रतिभूतियों के रूप में दर्शाया गया है, तथा उन्हें निवेशों में शामिल नहीं किया गया है। लागत तथा राजस्व की गणना ब्याज व्यय/ आय जैसा भी मामला हो के हिसाब से की गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत खरीदी / बिक्री की गई प्रतिभूतियां निवेश खाते में नामे / जमा की गयी हैं तथा इन्हें संव्यवहार की परिपक्वता पर रिवर्स कर दिया गया है। इन पर व्यय / अर्जित किये गए ब्याज को व्यय / लागत के रूप में लेखांकित किया गया है।

3.10 डेरिवेटिव्स :

बैंक वर्तमान में ब्याज दरों तथा मुद्रा डेरिवेटिव्स में डील करता है। बैंक द्वारा व्यवहारित ब्याज दर डेरिवेटिव्स में रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याजदर स्वेप तथा फारवर्ड रेट एग्रीमेंट्स शामिल हैं। बैंक द्वारा व्यवहार में लाये जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स में ऑप्शन तथा मुद्रा स्वेप्स हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर, डेरिवेटिव्स का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है :

व्यवस्था बचाव/गैर व्यवस्था बचाव (मार्केट मेकिंग) संव्यवहार अलग-अलग रिकार्ड किये जाते हैं। व्यवस्था बचाव डेरिवेटिव्स को उपचित आधार पर लेखांकित किये जाते हैं। ट्रेडिंग डेरिवेटिव पोजिशनस को बाजार चिन्हित किया गया है तथा परिणामी हानि, यदि कोई हो, को लाभ-हानि खाते में दर्ज किया गया है। लाभ, यदि कोई हो, को छोड़ दिया गया है। ब्याज दर स्वैप से संबंधित आय तथा व्यय निपटान तारीख को लिया गया है। ट्रेडिंग स्वैप्स की समाप्ति पर हुए लाभ/हानि को समाप्ति तिथि पर आय/व्यय के रूप में दर्ज किया गया है।

मूल्यांकन के उद्देश्य से कुल स्वैप के उचित मूल्य की गणना उस राशि के आधार पर की गयी है जो कि तुलनपत्र की तारीख को स्वैप समझौतों से संबंधित लेन-देन की समाप्ति पर प्राप्य या देय होगा। इससे संबंधित हानि, यदि कोई हो, के लिए पूर्ण प्रावधान किए गए हैं जबकि लाभ, यदि कोई हो, को छोड़ दिया गया है।

विदेशी मुद्रा वाले डेरिवेटिव संविदाओं से संबंधित आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र की तारीख को फेडाई द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग विनिमय दरों पर रिपोर्ट किया गया है।

4. अग्रिम

4.1 मूल संस्था तथा इसकी घरेलू सहयोगी संस्थाओं के अग्रिम मानक, अवमानक, संदिग्ध एवं हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं और इन पर हुई हानि के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदण्डों के अनुसार प्रावधान किए गए हैं। विदेशी शाखाओं तथा अनुषंगियों द्वारा किए गए अग्रिम के संबंध में अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा मेजबान देश, जिसमें अग्रिम दिया गया है, के अनुरूप किया गया है, इन में से जो भी अधिक कठोर हो।

4.2 अग्रिम राशि, उच्चत खते के ब्याज, वादग्रस्त विविध जमा खातों में प्राप्त एवं रखी गई राशि, प्राप्त क्लेम और गैर निष्पादित अग्रिमों के लिए किए

than the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI]. Repo and Reverse Repo Transactions are treated as Collateralised Borrowing / Lending Operations with an agreement to Repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under Investments and Securities purchased under Reverse Repo are not included in Investments. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

Securities purchased / sold under LAF with RBI are debited / credited to Investment Account and reversed on maturity of the transaction. Interest expended / earned thereon is accounted for as expenditure / revenue.

3.10 DERIVATIVES

The Parent presently deals in interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Parent are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps and forward rate agreements. Currency Derivatives dealt with by the Parent are Options and Currency swaps.

Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

The hedge / non-hedge (market making) transactions are recorded separately. Derivative contracts designated as hedges are not marked to market unless their underlying is marked to market. Trading derivative positions are marked-to-market (MTM) and the resulting losses, if any, are recognized in the Profit and Loss Account. Profit, if any, is ignored. Income and Expenditure relating to interest rate swaps are recognized on the settlement date. Gains / losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income / expenditure.

For the purpose of valuation, the fair value of the total swap is computed on the basis of the amount that would be receivable or payable on termination of the transactions of the swap agreements as on the Balance Sheet date. Losses arising there from, if any, are fully provided for while the profits, if any, are ignored.

Contingent Liabilities on account of derivative contracts denominated in foreign currencies are reported at closing rates of exchange notified by FEDAI at the Balance Sheet date.

4 ADVANCES

4.1 Advances in India of the Parent and Subsidiaries are classified as Standard, Sub-standard, Doubtful or Loss assets and Provision for losses are made on these assets as per Prudential Norms of Reserve Bank of India. In respect of Advances made in overseas branches and overseas subsidiaries, Advances are classified in accordance with stringent of the Prudential Norms prescribed by the Reserve Bank of India or local laws of the host country in which advances are made, whichever is more stringent.

4.2 Advances are net of specific loan loss provisions, interest suspense; amount received and held in suit-



गए प्रावधान के बाद की राशि है।

- 4.3 पुनर्निर्धारित/पुनर्गठित खातों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्ग निर्देशों के अनुसार मौजूदा मूल्य शर्तों में आंके गये ब्याज हानियों के लिए प्रावधान किया गया है।
- 4.4 आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी)/जांच कंपनी (एससी) को बेची गई आस्तियों के मामले में यदि बिक्री शुद्ध बही मूल्य (एनबी वी) (अर्थात बही मूल्य घटाएं धारित प्रावधान) से कम मूल्य पर की गई हो तो हानि (कमी) को लाभ हानि खाते में नामे किया गया है। यदि बिक्री मूल्य, शुद्ध बही मूल्य से ज्यादा है तो अतिरिक्त प्रावधान राशि को रिवर्स नहीं किया गया है अपितु इसका उपयोग दूसरी गैर निष्पादक आस्तियों की बिक्री के फलस्वरूप कमी / घाटे को पूरा करने के लिए किया गया है।

5. अचल आस्तियां

- 5.1 पुनर्मूल्यांकित परिसरों को छोड़कर, परिसर व अन्य अचल आस्तियां सामान्यतः परम्परागत लागत पर ली गई हैं, पुनर्मूल्यांकन पर हुई वृद्धि को पूंजीगत प्रारक्षित निधि में जमा किया गया है। ऐसी बढ़ी हुई राशि पर मूल्यहास हेतु किए गए प्रावधान को इसमें से घटा दिया जाता है।
- 5.2 “परिसर” में भूमि तथा निर्माणाधीन भवन का समावेश है।

6. प्रारक्षित निधियां एवं अधिशेष

राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित निधियों में सम्बद्ध देशों में प्रचलित स्थानीय कानूनों के अनुसार विदेशी शाखाओं द्वारा निर्मित सांविधिक प्रारक्षित निधियों को शामिल किया गया है।

7. राजस्व का निर्धारण

- क. जब तक अन्यथा उल्लेखित न हो, आय (पैराग्राफ 7.2 में उल्लिखित मद से भिन्न) / व्यय का निर्धारण उपचय आधार पर किया गया है। विदेशी कार्यालयों के मामले में सम्बद्ध देश जहां विदेशी कार्यालय स्थित है, स्थानीय नियमों के तहत आय का निर्धारण किया गया है।
- ख. शुल्कों के माध्यम से प्राप्त आय, सरकारी कारोबार को छोड़कर कमीशन, गारंटी, साखपत्र पर कमीशन, विनिमय, दलाली तथा अतिदेय बिलों/अग्रिम बिलों पर ब्याज को वास्तविक वसूली आधार पर हिसाब में लिया गया है। अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगी इकाइयों में शेयरों में लाभांश को वसूली आधार पर हिसाब में लिया गया है।
- ग. गैर निष्पादित अग्रिमों तथा निवेशों के मामलों में आय की वसूली की अनिश्चितता के कारण ऐसी आय भारतीय रिज़र्व बैंक मार्गनिर्देशों के अनुसार केवल वसूल होने पर ही लेखांकित की गई है।
- घ. परिचालन लीज पर ली गई आस्तियों के लिए लागत वृद्धि सहित लीज भुगतानों को आईसीएआई द्वारा जारी एस 19 (लीज) के अनुसार लीज टर्म पर लाभ एवं हानि लेखा में हिसाब में लिया जाता है।

8. जीवन बीमा कम्पनी

क. प्रीमियम आय

देय होने पर प्रीमियम (सेवा कर का निवल) को आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है। सहवर्ती व्यवसाय के लिए जब सहयोग इकाइयों सृजित की जाती हैं, प्रीमियम को गणना में लिया जाता है। टॉप-अप प्रीमियम को एकल प्रीमियम के रूप में समझा जाता है।

कालातीत पालिसियों पर प्रीमियम को तब आय के रूप में लिया जाता है जब ऐसी पॉलिसियां पुनः चालू की जाती हैं।

filed Sundry Deposit and Claims Received.

- 4.3 In respect of Rescheduled / Restructured accounts, Provision for diminution in fair value of restructured advances is measured in present value terms as per RBI guidelines.
- 4.4 In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitization Company (SC), if the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. Book value less provisions held) the shortfall is debited to the Profit and Loss Account. If the sale value is higher than the NBV, the surplus provision is carried forward and utilised to meet the shortfall /loss on account of subsequent sale of non-performing financial assets.

5. FIXED ASSETS:

- 5.1 Premises and other fixed assets are stated at historical cost except revalued premises which are stated at revalued amount. The appreciation on such revaluation is credited to Capital Reserve and the depreciation provided thereon is deducted there from.
- 5.2 Premises include Land and Building under construction.

6. RESERVES AND SURPLUS:

Revenue and other Reserves include Statutory Reserves created by foreign branches as per applicable local laws of the respective countries.

7. REVENUE RECOGNITION:

- a. Income (other than item referred in Paragraph 7.2)/ expenditure is generally recognised on accrual basis. In case of foreign offices, income/ expenditure is recognised as per the local laws of the country in which the respective foreign office is located.
- b. Income by way of Fees, Commission other than on Government business, Commission on Guarantees, Letter of Credits, Exchange, Brokerage and interest on Advance Bills are accounted for on realisation basis. Dividend on shares in subsidiaries, joint ventures and associates is accounted on realisation basis.
- c. In view of uncertainty of collection of income in cases of Non-performing Assets/ Investments, such income is accounted for only on realization in terms of the RBI guidelines.
- d. Lease payments including cost escalation for assets taken on operating lease are recognised in the Profit and Loss Account over the lease term in accordance with the AS 19 (Leases) issued by ICAI.

8 LIFE INSURANCE COMPANY:

a. Premium Income:

Premium (net of service tax) is recognised as income when due. For linked business, premium is recognised when the associated units are created. Top up premiums are considered as single premium.

Premium on lapsed policies is recognised as income when such policies are reinstated.

Commission received on reinsurance ceded is recognised as income in the period in which reinsurance



- पुनर्बीमा होने पर प्राप्त कमीशन को उस अवधि में आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है जब पुनर्बीमा प्रीमियम प्राप्त होता है.
- ख. निधियों से लिक्ड आय
लिक्ड निधियों, जिसमें प्रीमियम आबंटन प्रभार, पालिसी प्रशासनिक प्रभार, मोर्टलिटी प्रभार, निधि प्रबंधन प्रभार इत्यादि शामिल हैं, से आय को जारी की गई पॉलिसी की शर्तों एवं नियमों के अनुसार लिक्ड निधियों से वसूल किया जाता है.
- ग. पुनर्बीमा प्रीमियम
पुनर्बीमा की लागत को बीमाकर्ता के साथ की गई शर्त अथवा सिद्धांततः व्यवस्था के अनुसार प्रीमियम आय के निर्धारण के समय हिसाब में लिया जाता है. पुनर्बीमा पर लाभ कमशीन, पुनर्बीमा से प्राप्त प्रीमियम पर नेटेटे ऑफ़ किया जाता है.
- घ. प्रदत्त लाभ (दावों सहित)
प्रदत्त लाभों में पॉलिसी लाभ तथा दावा निपटान लागत, यदि कोई हो, शामिल हैं.
मृत्यु, अनुवृद्धि (राइडर) तथा अभ्यर्पण दावों को सूचना प्राप्त होने पर हिसाब में लिया जाता है.
उत्तरजीवी लाभ दावों तथा परिपक्वता दावों को देय होने पर गणना में लिया जाता है.
लिक्ड पालिसियों के तहत आहरणों तथा अभ्यर्पणों को संबंधित योजनाओं में तब हिसाब में लिया जाता है. जब अनुबंधी यूनिटें निरस्त हो जाती हैं. दावों पर पुनर्बीमा वसूली को संबंधित दावों की उसी अवधि में हिसाब में लिया जाता है.
- ङ. अधिग्रहण लागत
अधिग्रहण लागत ऐसी लागत है जो भिन्न-भिन्न होती हैं और बीमा संविदाओं के अधिग्रहण से मुख्यतः समबद्ध होती हैं और व्यय होते हैं जोकि खर्च की अवधि से संबद्ध होते हैं.
- च. जीवन बीमा पालिसियों के लिए देयता
कंपनी की बीमांकिक देयताओं की बीमा अधिनियम 1938, बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण (आस्तियां, देयताएं तथा बीमाकर्ताओं के सोलवेंसी मार्जिन) विनियमन, 2000, भारतीय बीमांकिक संस्थान द्वारा जारी दिशा-निर्देश नोट तथा सामान्यतः स्थापित बीमांकिक पद्धतियों के अनुसार गणना की जाती है.
- ज. निवेश
बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियमन, 2000, बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (निवेश) (संशोधन) विनियमन, 2001 तथा समय-समय पर आईआरडीए द्वारा जारी किए गए परिपत्रों / अधिसूचनाओं के अनुसार निवेश किया जाता है.

8. कर्मचारी लाभ

- 8.1 भविष्य निधि
भविष्य निधि एक सुपरिभाषित अंशदान योजना है जिसके तहत बैंक पूर्वनिर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है. बैंक की बाध्यता ऐसे निश्चित अंशदान तक ही सीमित है. अंशदानों को लाभ/हानि खाते पर प्रभारित किया जाता है.

- premium is ceded.
- b. Income from linked funds:
Income from linked funds which includes premium allocation charges, policy administrative charges, mortality charges, fund management charges etc. are recovered from the linked funds in accordance with the terms and conditions of policies issued.
- c. Reinsurance Premium:
Cost of reinsurance ceded is accounted for at the time of recognition of premium income in accordance with the treaty or in-principle arrangement with the reinsurer. Profit commission on reinsurance ceded is netted off against premium ceded on reinsurance.
- d. Benefits paid (including claims):
Benefits paid comprise of policy benefits & claim settlement costs, if any.
Death, rider & surrender claims are accounted for on receipt of intimation.
Survival benefit claims and maturity claims are accounted for when due.
Withdrawals & surrenders under linked policies are accounted for in the respective schemes when the associated units are cancelled. Reinsurance recoveries on claims are accounted for, in the same period as the related claims.
- e. Acquisition Costs:
Acquisition costs are costs that vary with and are primarily related to acquisition of insurance contracts and are expensed in the period in which they are incurred.
- f. Liability for life policies:
Actuarial liabilities of the company have been calculated in accordance with the requirements of insurance Act.1938, Insurance Regulatory and Development Authority (Assets, Liabilities, and Solvency Margin of Insurers) Regulations, 2000, Guidance Notes issued by Institute of Actuaries of India and generally established actuarial practices.
- g. Investments:
Investments are made in accordance with the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, the insurance regulatory and Development Authority (investment) (Amendment) Regulations, 2001 and various other circulars / notifications issued by the IRDA in this context from time to time.

8. EMPLOYEES BENEFITS:

8.1 PROVIDENT FUND

Provident fund is a defined contribution scheme as the Parent pays fixed contribution at pre-determined rates. The obligation of the Parent is limited to such fixed contribution. The contributions are charged to Profit and Loss Account.



8.2 ग्रेच्युटी

ग्रेच्युटी देयता एक निश्चित हितबाध्यता है और इसके संबंध वर्ष की समाप्ति में बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किये जाते हैं। बैंक द्वारा योजना के लिए निधि उपलब्ध करायी जाती है एवं एक अलग ट्रस्ट द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है।

8.3 पेंशन

8.3.1 पेंशन देयता देयता एक निश्चित हितबाध्यता है और इसके संबंध वित्त वर्ष की समाप्ति में संचित मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किये जाते हैं। यह उन कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने 31.3.2010 तक बैंक सेवा ग्रहण की और पेंशन का विकल्प लिया। बैंक द्वारा योजना के लिए निधि उपलब्ध करायी जाती है एवं एक अलग ट्रस्ट द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है।

8.3.2 नई पेंशन योजना, जो कि बैंक में 1.4.2010 को अथवा इसके पश्चात सेवा में आने वाले कर्मचारियों पर लागू होती है, एक परिभाषित अंशदायी योजना है। बैंक पूर्व निर्धारित दर पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। बैंक का दायित्व केवल निर्धारित अंशदान तक ही सीमित है। अंशदान को लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

8.4 अनुपस्थिति क्षतिपूर्ति

संचित अनुपस्थिति क्षतिपूर्तियों जैसे कि अधिकारजन्य अवकाश (पीएल) तथा रुग्ण अवकाश को बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया गया है।

8.5 अन्य कर्मचारी लाभ

अन्य कर्मचारी लाभ जैसे कि छुट्टी रियायत किराया (एलएफसी), चिकित्सा लाभ इत्यादि को बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया गया है।

विदेशी शाखाओं एवं कार्यालयों के संबंध में कर्मचारियों से संबंधित लाभों को, प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारियों को छोड़, संबद्ध देश में लागू कानून के आधार पर लेखाकृत किया गया है।

9. मूल्यहास

9.1 भारत में अचल आस्तियों पर मूल्यहास (नीचे दिए गए पैरा 9.3 एवं 9.4 में संदर्भित को छोड़) कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV के अनुसार मूल्यहासित बही मूल्य पद्धति के आधार पर, पुनर्मूल्यित आस्ति को छोड़ - जिसके संबंध में इन पुनर्मूल्यित आस्तियों की अनुमानित उपयोगिता अवधि के आधार पर ज्यादा मूल्यहास किया जाता है, प्रदान किया गया है।

9.2 भारत से बाहर अचल आस्तियों पर मूल्यहास (नीचे दिए गए पैरा 9.3 में संदर्भित को छोड़) स्थानीय कानून अथवा संबद्ध देश में लागू व्यवहारों पर प्रदान किया गया है।

9.3 कम्प्यूटरों तथा साफ्टवेयर जो भारत और भारत से बाहर कम्प्यूटर हार्डवेयर का अनिवार्य अंग हैं, उनपर मूल्यहास भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार स्ट्रेट लाइन विधि से 33.33% प्रतिवर्ष की दर से प्रदान किया गया है। कम्प्यूटर साफ्टवेयर जोकि हार्डवेयर का अनिवार्य अंग नहीं है पर मूल्यहास खरीद वर्ष के दौरान ही कर दिया गया है।

9.4 एटीएम पर मूल्यहास 20% प्रतिवर्ष की दर से स्ट्रेट लाइन विधि से प्रदान किया जाता है।

9.5 परिवर्द्धनों पर मूल्यहास का संपूर्ण वर्ष के लिए प्रावधान किया गया है। जब कि बेचे गए/निस्तारित किए गए वर्ष में मूल्यहास का कोई प्रावधान नहीं

8.2 GRATUITY

Gratuity liability is a defined benefit obligation and is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year. The gratuity liability is funded by the Parent and is managed by a separate trust.

8.3 PENSION

8.3.1 Pension liability is a defined benefit obligation and is provided for on the basis of an actuarial valuation made at the end of the financial year, for the employees who have joined Parent up to 31.03.2010 and opted for pension. The pension liability is funded by the Parent and is managed by a separate trust.

8.3.2 New Pension Scheme which is applicable to employees who joined parent on or after 01.04.2010 is a defined contribution scheme, Parent pays fixed contribution at pre determined rate, the obligation of the Parent is limited to such fixed contribution. The contribution is charged to Profit and Loss Account.

8.4 COMPENSATED ABSENCES

Accumulating compensated absences such as Privilege Leave and Sick Leave are provided for based on actuarial valuation.

8.5 OTHER EMPLOYEE BENEFITS

Other Employee benefits such as Leave Encashment, Leave Fare Concession and Additional Retirement Benefits on Retirement are provided for based on actuarial valuation.

In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

9. DEPRECIATION:

9.1 Depreciation on Fixed Assets in India [other than those referred to in Para 9.3 & 9.4] is provided on the written down value method in accordance with Schedule XIV to the Companies Act, 1956, except in case of revalued assets, in respect of which higher depreciation is provided on the basis of estimated useful life of these revalued assets.

9.2 Depreciation on Fixed Assets outside India [other than those referred to in Para 9.3 below] is provided as per local laws or prevailing practices of the respective territories.

9.3 Depreciation on Computers and Software forming an integral part of Computer Hardware, in and outside India is provided on Straight Line Method at the rate of 33.33% p.a, as per the guidelines of RBI. Computer software not forming an integral part of hardware is charged directly to Profit and Loss Account.

9.4 Depreciation on ATMs is provided on Straight Line Method at the rate of 20% p.a.

9.5 Depreciation on additions is provided for full year and no



किया गया है।

- 9.6 पट्टाकृत भूमि एवं पट्टाकृत परिसर संबंधी सुधारों की लागत का पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधन किया गया है।

10. आस्तियों की क्षति

अचल आस्तियों की क्षति, यदि कोई हो, का निर्धारण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा इस संबंध में जारी लेखा मानक 28 (आस्तियों की क्षति) के अनुसार किया जाता है और लाभ हानि खाते को प्रभारित किया जाता है।

11. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

- 11.1 विदेशी मुद्रा से संबंधित संव्यवहारों का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तनों के प्रभाव पर जारी लेखा मानक 11 विदेशी मुद्रादरों में परिवर्तन के प्रभाव के अनुरूप किया गया है।

- 11.2 लेखा मानक एस-11 के प्रयोजन के लिए बैंक के मूल एवं अनुषंगी विदेशी मुद्रा परिचालनों को (क) एकीकृत परिचालन एवं (ख) असमाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मूल संस्था की सभी विदेशी शाखाओं, ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों, विदेशी अनुषंगियों को असमाकलित परिचालन एवं विदेशी मुद्रा के घरेलू परिचालनों एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन एवं प्रतिनिधि कार्यालयों को एकीकृत परिचालन के रूप में माना गया है।

- 11.3 एकीकृत परिचालनों के संबंध में संव्यवहार

(क) संव्यवहारों को प्राथमिक तौर पर फेडाई द्वारा सूचित की गई औसत साप्ताहिक दरों पर रिकार्ड किया गया है।

(ख) विदेशी मुद्रा विनिमय से संबंधित आस्ति एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गई क्लोजिंग स्पॉट दरों पर रूपांतरित किया गया है।

(ग) परिणामी विनिमय अंतरों की गणना आय अथवा व्यय के रूप में की गई है तथा इन्हें तदनुसार लाभ हानि खाते में लेखांकन किया गया है। विदेशी मुद्रा आस्ति देयताओं संबंधी किसी भी भुगतान अथवा रिवर्सल को पिछले सप्ताह की औसत क्लोजिंग दरों के आधार पर किया गया है तथा बकाया राशि एवं उस राशि जिसके लिए भुगतान किया गया है/रिवर्सल किया गया है के बीच के अंतर को लाभ हानि खाते में दर्शाया गया है।

(घ) तुलनपत्र की तारीख को बकाया एवं ट्रेडिंग के लिए पारित विदेशी मुद्रा स्पॉट एवं वायदा संविदाओं को क्रमशः फेडाई द्वारा अधिसूचित समाप्ति स्पॉट एवं वायदा दरों पर तथा अंतरिम परिपक्वता वाली संविदाओं को इंटरपोलेटेड दरों पर पुनर्मूल्यित किया गया है। परिणामी वायदा मूल्यांकन लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि खाते में शामिल किया गया है।

- 11.4 असमाकलित परिचालनों के संबंध में संव्यवहार

(क) आस्तियों एवं देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गई क्लोजिंग स्पॉट दरों पर रूपांतरित किया गया है।

(ख) तुलनपत्र की तारीख को बकाया एवं ट्रेडिंग के लिए पारित विदेशी मुद्रा स्पॉट एवं वायदा सापेक्ष देयताओं को क्रमशः फेडाई द्वारा अधिसूचित समाप्ति स्पॉट एवं वायदादरों पर तथा अंतरिम परिपक्वता वाली संविदाओं को इंटरपोलेटेड दरों पर पुनर्मूल्यित किया गया है।

(ग) आमदनी एवं खर्चों को फेडाई द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंत में सूचित की गई औसत तिमाही दरों पर रूपांतरित किया गया है।

depreciation is provided in the year of sale / disposal.

- 9.6 Cost of leasehold land & leasehold improvements are amortised over the period of lease.

10. IMPAIRMENT OF ASSETS:

Impairment losses (if any) on Fixed Assets (including revalued assets) are recognized in accordance with the AS 28 (Impairment of Assets) issued by ICAI and charged off to Profit and Loss Account.

11. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS:

- 11.1 Accounting for transactions involving foreign exchange is done in accordance with AS 11, (The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates), issued by ICAI.

- 11.2 As stipulated in AS-11, the foreign currency operations of the Parent and its Subsidiaries are classified as a) Integral Operations and b) Non Integral Operations. All Overseas Branches, Offshore Banking Units, Overseas Subsidiaries of Parent are treated as Non Integral Operations; and Domestic Operations in Foreign Exchange and Representative Offices are treated as Integral Operations.

- 11.3 Translation in respect of Integral Operations:

a. The transactions are initially recorded on weekly average rate as advised by FEDAI.

b. Foreign Currency Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

c. The resulting exchange differences are recognized as income or expenses and are accounted through Profit and Loss Account. Any reversals / payment of foreign currency assets & liabilities is done at the weekly average closing rate of the preceding week and the difference between the outstanding figure and the amount for which reversal / payment is made, is reflected in Profit and Loss Account.

d. Foreign exchange spot and forward contracts outstanding as at the balance sheet date and held for trading, are revalued at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities. The resulting forward valuation profit or loss included in the Profit and Loss Account.

- 11.4 Translation in respect of Non Integral Operations:

a. Assets and Liabilities (including contingent liabilities) are translated at the closing spot rates notified by FEDAI at the end of each quarter.

b. Foreign Exchange Spot and Forward contingent liabilities outstanding as at the balance sheet date are translated at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities.

c. Income and Expense are translated at quarterly average rate notified by FEDAI at the end of each quarter.



(घ) परिणामी विनिमय अंतरों की गणना उस अवधि के लिए आय अथवा व्यय के रूप में नहीं की गई है तथा इसे शुद्ध निवेशों के निस्तारण होने तक अलग से एक खाते "विदेशी मुद्रा रूपांतरण प्रारक्षित निधि" में रखा गया है।

11.5 वायदा विनिमय करार

लेखा मानक एस 11 तथा भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) के दिशानिर्देशों के अनुसार व्यापार हेतु धारित बकाया विदेशी मुद्रा हाजिर (स्पॉट) एवं वायदा संविदाओं को तुलन पत्र की तिथि को फेडाई द्वारा अधिसूचित बंद हाजिर एवं वायदा बाजार संविदाओं एवं अन्तरिम परिपक्वता संविदाओं को इन्टरपोलेट दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया जाता है। इसके फलस्वरूप वायदा मूल्यांकन लाभ अथवा हानि को लाभ-हानि खाते में शामिल किया जाता है।

12. आय पर कर

इसमें भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आईसीएआई) के लेखांकन मानदंड 22 के अनुसार निर्धारित (सम्बद्ध अवधि के लिए लेखा आय तथा करयोग्य आय के बीच भिन्नता से करों के प्रभाव को दर्शाते हुए) आयकर के लिए प्रावधान, आस्थगित कर अथवा क्रेडिट शामिल हैं। आस्थगित कर को, आमदनी एवं खर्च की उन मदों के संबंध में जो किसी एक समय बिंदु पर निर्धारित होती है और जो एक अथवा अधिक परवर्ती अवधियों में प्रत्यावर्तन योग्य हैं, विवेकपूर्ण नीति के अधीन हिस्सा में लिया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं की गणना अधिनियमित कर दरों पर, उन वर्षों की अपेक्षित दरों पर की जाती है जिन वर्षों में समय अंतरालों के रिवर्स करने की संभावना होती है। कर की दरों में परिवर्तन के प्रभाव के कारण आस्थगित कर देयताओं एवं आस्तियों पर हुए प्रभाव को उस अवधि की आय विवरणी, जिसमें ऐसे परिवर्तन को अधिनियमित किया गया हो, के आधार पर हिस्सा में लिया जाता है।

13. प्रति शेयर अर्जन

बैंक द्वारा अपने बेसिक एवं डाइल्यूटेड प्रति ईक्विटी शेयर अर्जन को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के इस संबंध में जारी लेखा मानक 20 (प्रति शेयर अर्जन) के अनुसार रिपोर्ट किया गया है। बेसिक प्रति शेयर अर्जन की गणना शुद्ध आय को अवधि के लिए बकाया भारित औसत ईक्विटी शेयरों की संख्या से विभाजित कर ली गई है। डाइल्यूटेड प्रति शेयर अर्जन की गणना शुद्ध आय को उस अवधि के लिए बकाया भारित ईक्विटी शेयरों एवं इस अवधि के दौरान डायल्यूटेड ईक्विटी शेयरों की संख्या में गणना की गई है।

14. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के इस संबंध में जारी लेखा मानक 29 (आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान) के अनुसार बैंक द्वारा आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों के लिए प्रावधान विगत में हुई किसी घटना से उत्पन्न हुए वर्तमान दायित्व के लिए किया गया है। यह संभव है कि इस दायित्व के निस्तारण के लिए आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता हो और तब इस दायित्व हेतु राशि का विश्वसनीय मूल्यांकन किया जा सके।

जब तक आर्थिक लाभ के संसाधनों के आउटफ्लो की संभावना अप्रत्यक्ष न हो तब तक आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण किया जाता है।

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरण नहीं माना गया है। क्योंकि इसकी आय, जिसकी वसूली नहीं हो सकती है, के निर्धारण के फलस्वरूप हो सकता है।

d. The resulting exchange differences are not recognized as income or expense for the period but accumulated in a separate account "Foreign Currency Translation Reserve" till the disposal of the net investment.

11.5 Forward Exchange Contracts

In accordance with the guidelines of FEDAI and the provisions of AS 11, Foreign exchange spot and forward contracts outstanding as at the balance sheet date and held for trading, are revalued at the closing spot and forward rates respectively notified by FEDAI and at interpolated rates for contracts of interim maturities. The resulting forward valuation profit or loss is included in the Profit and Loss Account.

12 TAXES ON INCOME:

This comprises of provision for Income tax and deferred tax charge or credit (reflecting the tax effects of timing differences between accounting income and taxable income for the period) as determined in accordance with AS 22 (Accounting for taxes on Income) issued by ICAI. Deferred tax is recognised subject to consideration of prudence in respect of items of income and expenses those arise at one point of time and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Deferred tax assets and liabilities are measured using enacted tax rates expected to apply to taxable income in the years in which the timing differences are expected to be reversed. The effect on deferred tax assets and liabilities of a change in tax rates is recognised in the income statement in the period of enactment of the change.

13 EARNINGS PER SHARE:

The Parent reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the AS 20 (Earnings per Share) issued by the ICAI. Basic earning per equity share has been computed by dividing net income by the weighted average number of equity shares outstanding for the period. Diluted earning per equity share has been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the period.

14 PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS:

As per the AS 29 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets) issued by ICAI, the Parent recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent Assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of income that may never be realised.



अनुसूची - 19 : 31 मार्च 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष की समेकित वित्तीय विवरणियों पर नोट

Schedule-19 - Notes on the Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March 2012

1. समेकित वित्तीय विवरणी (सीएफएस) में बैंक ऑफ़ बड़ौदा (मूल संस्था) तथा निम्नलिखित अनुषंगियों/सहयोगी इकाइयों/संयुक्त उद्यमों के परिणाम शामिल हैं।

1. The Consolidated Financial Statements (CFS) of the group comprise the results of the Bank of Baroda (Parent) and the following Subsidiaries/Associates/Joint Ventures:

1.1 अनुषंगियां	देश, जहां विद्यमान है	स्वामित्व का अनुपात	31.03.12	31.03.11
1.1.1 देशीय अनुषंगियां				
क) बैंकिंग				
1) नैनीताल बैंक लि.	भारत	98.57%	98.57%	
ख) गैर बैंकिंग				
1) बॉब कैपिटल मार्केट लि.	भारत	100.00%	100.00%	
2) बॉब कार्ड्स लि.	भारत	100.00%	100.00%	
1.1.2 विदेशी अनुषंगियां				
क) बैंकिंग				
1) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (बोत्सवाना) लि.	बोत्सवाना	100.00%	100.00%	
2) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (केन्या) लि.	केन्या	86.70%	86.70%	
3) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (यूगांडा) लि.	यूगांडा	80.00%	80.00%	
4) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (गुयाना) आइएनसी	गुयाना	100.00%	100.00%	
5) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (तंजानिया) लि.	तंजानिया	100.00%	100.00%	
6) बैंक ऑफ़ बड़ौदा त्रिनिदाद एवं टोबेगो लिमिटेड	त्रिनिदाद एवं टोबेगो	100.00%	100.00%	
7) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (घाना) लि.	घाना	100.00%	100.00%	
8) बैंक ऑफ़ बड़ौदा (न्यूजीलैंड) लि.	न्यूजीलैंड	100.00%	100.00%	
ख) गैर बैंकिंग				
1) बॉब (यू के) लि.	यूनाइटेड किंगडम	100.00%	100.00%	

1.1 Subsidiaries	Country of Incorporation	Percentage of Ownership as on	31.03.2012	31.03.2011
1.1.1 Domestic Subsidiaries				
a) Banking				
i) The Nainital Bank Ltd.	India	98.57	98.57	
b) Non Banking				
i) BOB Capital Markets Ltd.	India	100.00	100.00	
ii) BOB Cards Ltd.	India	100.00	100.00	
1.1.2 Overseas Subsidiaries				
a) Banking				
i) Bank of Baroda (Botswana) Ltd.	Botswana	100.00	100.00	
ii) Bank of Baroda (Kenya) Ltd.	Kenya	86.70	86.70	
iii) Bank of Baroda (Uganda) Ltd.	Uganda	80.00	80.00	
iv) Bank of Baroda (Guyana) Inc.	Guyana	100.00	100.00	
v) Bank of Baroda (Tanzania) Ltd	Tanzania	100.00	100.00	
vi) Bank of Baroda Trinidad & Tobago Ltd.	Trinidad & Tobago	100.00	100.00	
vii) Bank of Baroda (Ghana) Ltd.	Ghana	100.00%	100.00%	
viii) Bank of Baroda (Newzealand) Ltd.	Newzealand	100.00%	100.00%	
b) Non Banking				
i) BOB (UK) Ltd.	United Kingdom	100.00%	100.00%	

1.2 सहयोगी इकाइयां
समेकित वित्तीय विवरणी (सीएफएस) में समाहित सहयोगी इकाइयों के विवरण निम्नलिखित हैं :

1.2 Associates
The particulars of Associates considered in the CFS are as under:

नाम	Name	देश, जहां विद्यमान है	मूल संस्था का हिस्सा (%)	Parent's ownership Interest (%) as on
		Country of Incorporation	31.03.12	31.03.11
(क) इन्डो जाम्बिया बैंक लिमिटेड	(a) Indo Zambia Bank Limited	जाम्बिया /Zambia	20	20
(ख) बड़ौदा पायोनियर असेट मेनेजमेंट कंपनी लि.	(b) Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd.	भारत /India	49	49
(ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक:-	(c) Regional Rural Banks			
i) बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक	i) Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank	भारत /India	35	35
ii) नैनीताल-अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	ii) Nainital-Almora Kshetriya Gramin Bank	भारत /India	35	35
iii) बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक	iii) Baroda Rajasthan Gramin Bank	भारत /India	35	35
iv) बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक	iv) Baroda Gujarat Gramin Bank	भारत /India	35	35
v) झाबुआ-धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	v) Jhabua-Dhar Kshetriya Gramin Bank	भारत /India	35	35



1.3 संयुक्त उद्यम

1.3 Joint Ventures

नाम / Name	देश जहां विद्यमान है Country of Incorporation	मूल संस्था का हिस्सा Percentage of Ownership (%) as on	
		31.03.2012	31.03.2011
क) इण्डियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लि. a) IndiaFirst Life Insurance Company Ltd.	भारत India	44	44
ख) इण्डिया इंटरनेशनल बैंक (मलेशिया) बीएचडी. b) India International Bank (Malaysia) Bhd.	मलेशिया Malaysia	40	40

2. सहयोगी इकाइयों में निवेश का विवरण

2. Particulars of the Investment in Associates

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

क्र. सं	विवरण	Sr. No.	Particulars	31.03.2012 को As at 31.03.2012	31.03.2011 को As at 31.03.2011
(क)	सहयोगी इकाइयों में निवेश की लागत	a.	Cost of Investment in Associates	152.94	141.39
(ख)	उपरोक्त (क) में शामिल अधिग्रहण पर साख	b.	Goodwill on acquisition included in (a) above	-	-
(ग)	उपरोक्त (क) में अधिग्रहण पर प्रारक्षित पूंजी	c.	Capital reserve on acquisition included in (a) above	25.27	25.27
(घ)	पुनर्मूल्यांकित प्रारक्षित निधि और एफसी संव्यवहार प्रारक्षित निधि के खाते में परिवर्धन	d.	Additions on account of Revaluation reserve & Foreign Currency Translation reserve	3.54	3.62
(ङ)	अधिग्रहण उपरान्त गुड विल/आरक्षित पूंजी के लाभ (शुद्ध) का अंश	e.	Share of post acquisition profits (Net) of Goodwill/ Capital Reserve	239.11	197.54
(च)	31 मार्च को निवेश (क-ख-ग + घ + ङ)	f.	Investment as at 31st March (a -b-c+d+e)	370.32	317.28
(छ)	भारत में निवेश	g.	Investment in India	324.61	279.66
(ज)	भारत के बाहर निवेश	h.	Investment outside India	45.71	37.62
(झ)	कुल (छ + ज)	i.	Total (g + h)	370.32	317.28

3. अनुषंगियों /सहयोगी इकाइयों की वित्तीय विवरणियां

3. Financial Statements of Subsidiaries / Associates

3.1.1 अनुषंगियों तथा सहयोगी इकाइयों की वित्तीय विवरणियां, बैंक ऑफ बड़ौदा (यूगांडा) लि. (इसकी संपूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी बैंक ऑफ बड़ौदा कैपिटल मार्केट यूगांडा लि. को शामिल करते हुए), बैंक ऑफ बड़ौदा (केन्या) लि., बैंक ऑफ बड़ौदा (तंजानिया) लि. को छोड़कर, जिनकी 31 मार्च, 2012 तक तैयार की गई है उसी रिपोर्टिंग तारीख के अनुसार तैयार की गई हैं जिस तारीख को मूल संस्था की विवरणी तैयार की गई है. उक्त अनुषंगियों की विवरणियां 31 दिसंबर, 2011 की स्थिति के अनुरूप तैयार की गई हैं. प्रबंधन द्वारा यथा प्रमाणित 1 जनवरी, 2012 से 31 मार्च, 2012 के बीच अपेक्षित समायोजनों हेतु कोई उल्लेखनीय संव्यवहार नहीं हुआ है.

3.1.1 The audited financial statements of the subsidiaries and associates have been drawn up to the same reporting date as that of the Parent i.e. 31st March, 2012 except for Bank of Baroda (Uganda) Ltd, (including its wholly-owned subsidiary Baroda Capital Markets (Uganda) Ltd.), Bank of Baroda (Kenya) Ltd., Bank of Baroda (Ghana) Ltd. and Bank of Baroda (Tanzania) Ltd., which have been drawn up to 31st December, 2011. As certified by the Management, there are no significant transactions or other events during 1st January, 2012 to 31st March, 2012 requiring adjustment therein.

3.1.2 समेकित वित्तीय विवरणी वर्ष 2011-12 में बैंक ऑफ बड़ौदा (बोत्सवाना) लि. तथा बैंक ऑफ बड़ौदा (त्रिनिदाद एवं टोबैगो) लि. के अलेखा परीक्षित वित्तीय विवरणियों का भी समावेश है.

3.1.2 CFS for the year 2011-12 of the group includes unaudited financial statements of subsidiaries viz., Bank of Baroda (Botswana) Ltd. and Bank of Baroda (Trinidad and Tobago) Ltd.

3.2 बैंक की सहयोगी इकाई बड़ौदा पायोनियर एसेट मैनेजमेंट कं.लि. की निवेश तथा अचल आस्तियों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान की लेखांकन नीतियां बैंक (मूल संस्था) से भिन्न हैं. इसके प्रभाव के प्रमाण का उल्लेख समेकित वित्तीय विवरण में नहीं दिया गया है, क्योंकि प्रबंधन की राय में यह महत्वपूर्ण नहीं है.

3.2 The accounting policies of Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd, an associate of the parent on Investments and Provision for Depreciation on Fixed Assets are different from the Parent. Impact of the same is not given in the Consolidated Financial Statement, and in the opinion of the Management the same is not material.



4. 31.03.2012 को समाप्त वर्ष हेतु निम्नलिखित देशीय अनुषंगियों के खाते कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के अधीन हैं :

- 1) बॉब कैपिटल मार्केटस् लि.
- 2) बॉब कार्डस् लि.

5. पूंजीगत प्रारक्षित निधि

पूंजीगत प्रारक्षित निधि में अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप होने वाली मूल्यवृद्धि एचटीएम प्रतिभूति बिक्री पर लाभ (कर एवं प्रारक्षित निधि में अंतरण के पश्चात्) तथा लघु / मध्यम उद्योगों के लिए निर्यात विकास परियोजनाओं / औद्योगिक निर्यातों परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक की योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार की अंशदान राशि शामिल हैं.

6. करों के लिए प्रावधान

6.1 आयकर का प्रावधान, अपीलीय प्राधिकारियों के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए तथा परामर्शदाता के परामर्श से किया गया है.

6.2 अग्रिम रूप से भुगतान किया गया कर/स्रोत पर काटा गया कर, प्रावधान के उपरांत है एवं यह 'अन्य आस्तियों' के तहत ₹2017.81 करोड़ रखा गया है. इसमें मूल का ₹1993.11 करोड़ शामिल है जो विभिन्न वर्षों के दौरान बैंक द्वारा भुगतान किए गए विवादित कर मांगों के भुगतान से संबंधित समायोजित राशि है. उक्त मांगों के संबंध में बैंक द्वारा किसी प्रकार का प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है क्योंकि बैंक की राय तथा उसके काउंसिलो की राय और/अथवा न्यायिक घोषणाओं के अनुसार निर्धारण कर्ता अधिकारी द्वारा परिवर्धन/अस्वीकृति अनियत है.

7. बैंक की कुछ संपत्तियां पुनर्मूल्यित राशि के आधार पर दर्शायी गयी है. परिसर के संबंध में वर्ष के अंत तक कुल पुनर्मूल्यन राशि ₹1773.43 करोड़ (विदेशी कार्यालयों के ₹30.55 करोड़ सहित) तथा मूल्यहास के उपरांत पुनर्मूल्यन राशि ₹1173.68 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1242.49 करोड़) शामिल किया गया है.

8. प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का अलग अलग विवरण

लाभ हानि खाते में दर्शाए गए प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं का अलग अलग विवरण निम्नानुसार है :

4. The accounts of the following domestic subsidiaries for the year ended 31st March, 2012 are subject to the comments of Comptroller & Auditor General of India under Section 619(4) of the Companies Act, 1956:

- 1) BOB Capital Markets Ltd.
- 2) BOB Cards Ltd.

5. Capital Reserves

Capital Reserve includes appreciation arising on revaluation of immovable properties, profit on sale of HTM securities (net of tax and transfer to Statutory Reserve) and amount subscribed by Government of India under the World Bank's Scheme for Export Development Projects / Industrial Export Projects for small / medium scale industries.

6. Provision for Taxes

6.1 Provision for taxes are arrived at after due consideration of decisions of appellate authorities and advice of Consultant.

6.2 Tax paid in advance / tax deducted at source is net of provisions and is appearing under "Other Assets" amounting to ₹2017.81 crores, includes ₹1993.11 crores of the parent, represents amounts adjusted by the department / paid by the Parent in respect of disputed tax demands for various assessment years. No provision is considered necessary in respect of the said demands as in the parent's view, duly supported by counsels opinion and / or judicial pronouncements, additions / disallowances made by the Assessing Officer are not sustainable.

7. Certain properties of the Parent are stated at revalued amounts. The gross amount of the revaluation included in premises as at the year ₹1777.43 crores (including ₹30.55 crores at overseas offices) and net of depreciation the revaluation amounts to ₹1173.68 crores (Previous Year ₹1242.49 crores).

8. Break up of Provisions and Contingencies

The break-up of provisions and contingencies appearing in Profit & Loss Account is as under:

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year
बट्टेखाते डाले गए ऋणों/एनपीए के लिए प्रावधान	Bad debts written off / Provision made towards NPA	1595.98	1086.11
पुनर्गठित मानक व अवमानक खातों में ब्याज के सेक्रीफाइज हेतु प्रावधान	Provision towards sacrifice of interest in Restructured standard and sub-standard accounts	296.32	(4.71)
देशगत जोखिम प्रबंधन हेतु प्रावधान	Provision for Country Risk Management	5.22	2.06
करों के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	Provision for taxes (including deferred Taxes)	1087.98	1477.22
निवेश पर मूल्यहास हेतु प्रावधान	Provision for depreciation on investment	238.81	12.12
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	Provision for standard assets	449.66	224.16
कर्मचारी कल्याण व्यय हेतु प्रावधान	Provision for staff welfare expenses	25.00	15.00
अन्य	Others	493.76	369.06
जोड़	Total	4192.73	3181.02



9. ए एस-15 - कर्मचारी लाभ (बैंक)

लेखा मानक प्रकटीकरण -

मूल बीमांकिक धारणा (भारित औसत के रूप में व्यक्त)

9. AS-15 Employee Benefits [Parent]

Disclosures

Principal Actuarial Assumptions [Expressed as Weighted Averages]

(₹ करोड़ में) / (₹ in crores)

		योजना का स्वरूप / TYPE OF PLAN			
		पेंशन Pension	अवकाश नकदीकरण Leave encashment	उपदान Gratuity	अति. सेवा लाभ ARB
डिस्काउंट दर	Discount rate	8.75%	8.50%	8.50%	8.50%
वेतन वृद्धि दर	Salary Escalation Rate	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%
हास दर	Attrition Rate	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
योजनागत आस्तियों पर संभावित रिटर्न रेट	Expected Rate of Return on plan Assets	8.00%	-	8.00%	-

देयताओं के आरंभिक और अंतिम शेष का समाधान

Reconciliation of opening and closing balance of liability

(₹ करोड़ में) / (₹ in crores)

		योजना का स्वरूप / TYPE OF PLAN			
		पेंशन Pension	अवकाश नकदीकरण Leave encashment	उपदान Gratuity	अति. सेवा लाभ ARB
1/4/2011 को पीवीओ	PVO as at 01.04.2011	6654.04	559.91	1327.35	441.52
जोड़ें-ब्याज की लागत	Add- Interest Cost	563.82	48.43	111.95	37.28
जोड़ें-चालू सेवा लागत	Add- Current Service Cost	146.39	33.90	53.96	12.25
घटायें-प्रदत्त लाभ	Less- Benefits Paid	334.44	48.16	128.45	30.47
जोड़ें-दायित्व पर बीमांकिक हानि/लाभ(-)	Add- Actuarial loss/gain(-) on obligation	3.74	-28.07	52.04	-13.96
31.03.2012 को पीवीओ	PVO as at 31.03.2012	7033.55	566.01	1416.85	446.62

योजना आस्तियों के उचित मूल्य के आरंभिक शेष एवं अंतिम शेष का समाधान

Reconciliation of opening & closing balance of fair value of plan assets

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

		योजना का स्वरूप / TYPE OF PLAN	
		पेंशन Pension	उपदान Gratuity
1/4/2011 को योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	Fair Value of plan assets as on 01-04-2011	4388.57	906.86
जोड़ें- योजनागत आस्तियों पर संभावित रिटर्न	Add- Expected Return on Plan Assets	431.11	101.05
जोड़ें- अंशदान	Add- Contributions	1167.53	420.50
जोड़ें- अन्य न्यास एवं सदस्यों से अंतरित	Add- transfer from other trust and members	97.58	-
घटायें-प्रदत्त लाभ	Less- Benefits Paid	334.44	128.45
जोड़ें-बीमांकिक लाभ / (-) हानि	Add- Actuarial gain/(-)loss	-10.06	8.88
31.03.2012 को योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets as on 31.03.2012	5740.29	1308.84



तुलन-पत्र में मान्य राशि

Amount recognized in the Balance Sheet

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

		योजना का स्वरूप TYPE OF PLAN			
		पेंशन PENSION	अवकाश नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	ग्रेच्युटी GRATUITY	अति. सेवा लाभ ARB
क) दायित्व का पीवी	a) PV of obligation	7033.55	566.01	1416.85	446.62
ख) योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	b) Fair value of plan assets	5740.29	-	1308.84	-
ग) अन्तर	c) Difference	1293.26	566.01	108.01	446.62
घ) अनिर्धारित संक्रमणशील देयता	d) Unrecognised transitional liability	1097.94	-	-	-
ङ) तुलनपत्र में मान्य देयता	e) Liability Recognised in the BS	195.32	566.01	108.01	446.62

लाभ-हानि खाते में निर्धारित राशि

Amount recognized in the P & L Account

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

		योजना का स्वरूप TYPE OF PLAN			
		पेंशन PENSION	अवकाश नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT	ग्रेच्युटी GRATUITY	अति. सेवा लाभ ARB
क) चालू सेवा लागत	a) Current Service Cost	146.39	33.90	53.96	12.25
ख) ब्याज लागत	b) Interest Cost	563.82	48.43	111.95	37.28
ग) योजनागत आस्ति पर संभावित रिटर्न	c) Expected Return on Plan Assets	-431.11	-	-101.05	-
घ) निर्धारित पिछली सेवा लागत (-)	d) Net Actuarial Loss/gain(-)	13.80	-28.07	43.17	-13.96
ङ) वर्ष के दौरान संक्रमणीय देयता	e) Transitional liability recognized in the year	378.98	39.20	37.60	45.40
च) लाभ हानि खाते में निर्धारित खर्च	Expenses Recognised in P&L	671.88	93.46	145.63	80.97

अगली अवधि (2012-13) के लिए संभावित अंशदान

Expected contribution for next period (2012-13)

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	पेंशन / Pension	ग्रेच्युटी / Gratuity
संभावित अंशदान	Expected contribution	401.57	136.01

निवेश पैटर्न

Investment Pattern

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	Pension	Gratuity
केन्द्रीय सरकार प्रतिभूतियां	Central Government Securities	23.91 %	20.33 %
राज्य सरकार प्रतिभूतियां	State Government Securities	20.74 %	21.56 %
कार्पोरेट (पीएसयू)	Corporate (PSU)	34.69 %	29.41 %
कार्पोरेट (प्राइवेट)	Corporate (Private)	3.05 %	2.12 %
अन्य	Others	17.61 %	26.58 %
कुल	Total	100.00 %	100.00 %



10. सेगमेंट रिपोर्टिंग (एस 12)

लेखा मानक 17 - सेगमेंट रिपोर्टिंग के तहत प्रकटीकरण -
भाग क प्राथमिक खंड

10. Segment Reporting (AS – 17)

Accounting Standard 17 - Disclosure under Segment Reporting
Part A: Primary Segments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

बिजनेस सेगमेंट	Business Segments	ट्रेजरी Treasury		कार्पोरेट/होलसेल बैंकिंग Corporate / Wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Banking & Other Operations		कुल Total	
		2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11
राजस्व	Revenue	7453.90	5692.51	13185.19	9878.83	8730.83	6179.83	5218.99	4049.24	34588.91	25800.41
परिणाम	Result	925.50	912.04	980.42	1714.37	2849.50	1371.18	3173.47	2960.49	7928.90	6958.08
अनाबंटित खर्च	Unallocated Expense									1592.86	1047.15
परिचालनगत लाभ	Operating Profit									6336.04	5910.93
आयकर	Income taxes									1087.47	1477.22
विशिष्ट लाभ / हानि	Extra-ordinary Profit/loss									---	---
शुद्ध लाभ	Net Profit									5248.57	4433.71
अन्य सूचना	Other Information										
सेगमेंट आस्तियां	Segment Assets	105423.13	87263.90	140909.25	116945.44	64819.14	55496.07	141608.18	103595.07	452759.70	363300.48
अनाबंटित आस्तियां	Unallocated Assets									4652.31	2913.29
कुल आस्तियां	Total Assets									457412.01	366213.77
सेगमेंट देयताएं	Segment Liabilities	98850.77	82062.92	132124.59	109975.42	60778.14	52188.47	132779.94	97420.73	424533.44	341647.54
अनाबंटित देयताएं	Unallocated Liabilities									4362.27	2739.66
कुल देयताएं	Total Liabilities									428895.71	344387.20
नियोजित पूंजी	Capital Employed	6572.36	5200.98	8784.66	6970.02	4041.00	3307.60	8828.24	6174.33	28226.26	21652.93
अनाबंटित	Unallocated									290.04	173.64
कुल नियोजित पूंजी	Total Capital Employed									28516.30	21826.57

भाग-ख - गौण सेगमेंट / Part B : Secondary Segments

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण	Particulars	देशीय परिचालन Domestic Operations		अन्तर्राष्ट्रीय परिचालन International Operations		कुल / Total	
		2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11
राजस्व	Revenue	29907.95	22550.54	4540.52	3249.87	34448.47	25800.41
आस्तियां	Assets	323453.13	272458.10	133958.87	93755.67	457412.00	366213.77

टिप्पणी :

- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार लेखांकन मानकों के अनुपालन में बैंक ने ट्रेजरी ऑपरेशन, होलसेल, रिटेल और अन्य बैंकिंग परिचालनों को प्राथमिक कारोबार सेगमेंट और देशीय और अन्तर्राष्ट्रीय को गौण / भौगोलिक सेगमेंट के रूप में अपनाया है।
- बैंकिंग एवं अन्य परिचालनों में अन्य बैंकिंग तथा गैर बैंकिंग परिचालन शामिल हैं।
- सेगमेंट राजस्व बाह्य ग्राहकों से प्राप्त राजस्व को दर्शाता है।
- सेगमेंट परिणाम तय करते समय, बैंक द्वारा अपनाई गई अंतरण मूल्य निर्धारण प्रणाली को प्रयोग में लाया गया है।
- प्रत्येक सेगमेंट के लिए नियोजित पूंजी को सेगमेंट की आस्तियों के लिए आनुपातिक तौर आबंटित किया गया है।

Notes:

- As per guidelines of RBI on compliance with Accounting Standards, parent has adopted Treasury Operations, Wholesale, Retail and other Banking Operations as Primary business segments and Domestic and International as Secondary / Geographic segments.
- Banking & Other operations includes other banking operations and non-banking operations
- Segment revenue represents revenue from external customers.
- In determining the segment results, the funds transfer price mechanism followed by the Parent has been used.
- Capital Employed for each Segment has been allocated proportionate to the assets of the Segment.



11. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (एस-18)

11. Related Party Disclosures (AS-18)

S.No	नाम Name	पदनाम Designation	पारिश्रमिक Remuneration	
			चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
1	श्री. एम. डी मल्या Shri M.D.Mallya	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman & Managing Director	25,37,459	21,87,200
3	श्री राजीव कुमार बक्षी Shri Rajiv Kumar Bakshi	कार्यकारी निदेशक Executive Director	21,97,317	18,37,145
4	श्री एन. एस. श्रीनाथ Shri N.S.Srinath	कार्यकारी निदेशक Executive Director	21,22,495	13,57,347

12. प्रति शेयर अर्जन (एस-20)

12. Earnings per Share (AS-20)

		चालू वर्ष Current Year	विगत वर्ष Previous Year
i.	इक्विटी शेयर धारकों हेतु कर के बाद उपलब्ध शुद्ध लाभ (₹ करोड़ों में) Net Profit after tax available for Equity shareholders (₹ in crores)	5248.57	4433.71
ii.	इक्विटी शेयरों की संख्या (भारित) Number of Equity Shares (Weighted)	391653059	364490716
iii.	प्रति शेयर मूल व डायल्यूटेड अर्जन ₹10 प्रत्येक के Basic and diluted earnings per share of ₹10/- each (₹)	134.01	121.64
iv.	प्रति इक्विटी अंकित शेयर मूल्य Nominal Value per Equity Share	₹ 10.00	₹ 10.00

13. आय पर कर गणना (एस-22)

13. Accounting for Taxes on Income (AS-22)

क. आस्थगित कर देयता (निवल)

a. Deferred Tax Assets (Net)

विवरण	Particulars	31.03.2012		31.03.2011	
		आस्तियां Asset	देयता Liability	आस्तियां Asset	देयता Liability
आयकर अधिनियम के तहत बही मूल्यहास तथा मूल्यहास के बीच अंतर	Difference between book depreciation and Depreciation under Income Tax Act	8.94	-	3.79	-
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के तहत कटौतियां	Deduction under section 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961	-	-	-	-
अन्य	Others	0.16	-	0.24	-
संदिग्ध ऋण एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	Provision for doubtful debts and advances	0.03	-	-	-
आयकर अधिनियम की धारा 40(ए) (आई ए) के तहत अमान्य राशि	Amount Disallowable U/S 40(a)(ia) of the IT Act	-	-	-	-
छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	Provision for leave encashment	2.77	-	2.22	-
संदिग्ध ऋणों तथा अग्रिमों हेतु प्रावधान (विदेशी)	Provision for doubtful debts and advances (foreign)	-	-	-	-
जोड़	Total:	11.90	-	6.25	-
शुद्ध आस्थगित कर देयता / आस्तियां	Net Deferred tax Liability /Asset	11.90	-	6.25	-

ख. आस्थगित कर देयता (निवल)
b. Deferred Tax Liabilities (Net)

(₹ करोड़ में / ₹ in Crores)

विवरण Particulars	31.03.2012		31.03.2011	
	आस्तियां Asset	देयता Liability	आस्तियां Asset	देयता Liability
आयकर अधिनियम के तहत बही मूल्यहास तथा मूल्यहास के बीच अंतर	-	90.16	-	53.51
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के तहत कटौतियां	-	-	-	-
अन्य	-	426.96	-	217.22
संदिग्ध ऋण एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-	-	-
आयकर अधिनियम की धारा 40(ए) (आई ए) के तहत अमान्य राशि	9.84	-	9.70	-
छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	174.43	-	158.86	-
संदिग्ध ऋणों तथा अग्रिमों हेतु प्रावधान (विदेशी)	76.14	-	-	-
जोड़	260.41	517.12	168.56	270.73
शुद्ध आस्थगित कर देयता / आस्तियां	-	256.71	-	102.17

14. परिचालन बंद करना (एस 24)

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने अपनी किसी भी शाखा को बंद करने संबंधी कार्यवाही नहीं की है, फलस्वरूप देयताओं को कम करके आस्तियों की वसूली की जा सकी है और संपूर्ण बैंक स्तर पर अपने परिचालन में किसी कार्यवाही की समाप्ति, जिससे उपरोक्त प्रभाव पड़े, संबंधी निर्णय नहीं लिया गया है।

15. आस्तियों का अनर्जक बनना (एस-28)

लेखा मानक-28 "आस्तियों का इंपेयरमेंट" के खंड 5 से खंड 13 - के अंतर्गत कोई महत्वपूर्ण उल्लेख न होने के फलस्वरूप चालू वित्तीय वर्ष में अचल संपत्ति का कोई भी इंपेयरमेंट जरूरी नहीं है।

16. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियां (एस-29)

देयताओं के लिए प्रावधानों का संचालन (अन्य के लिए प्रावधानों को छोड़कर)

14. AS-24 Discontinuing operations

During the financial year 2011-12 the Group has not discontinued the operations of any of its branches, which resulted in shedding of liability and realization of the assets and no decision has been finalized to discontinue an operation in its entirety, which will have the above effect.

15. AS-28 Impairment of Assets

In view of the absence of indication of material impairment within the meaning of clause 5 to clause 13 of AS 28 Impairment of Assets, no impairment of fixed assets is required in respect of current financial year.

16. AS-29 – Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

Movement of provisions (excluding provisions for others)

(₹ in crores)

विवरण Particulars	मुकदमों Legal Cases / आकस्मिकताएं Contingencies	
	Current Year	Previous Year
1 अप्रैल को शेष	8.82	4.87
वर्ष के दौरान प्रदत्त	1.31	3.95
वर्ष के दौरान प्रयुक्त	-	-
31 मार्च को शेष	10.13	8.82
आउटफ्लो/अनिश्चितताओं का समय	Outflow on settlement / crystallization	

आकस्मिक देयताएं

तुलनपत्र के शेड्यूल 12 के क्र. (I) से (VI) में उद्धृत ऐसी देयताएं अदालत के निर्णय, पंच फैसले, अदालत के बाह्य निस्तारण, अपील का निपटारा, मांगी गई राशि, अनुबंधन दायित्वों के संबंध में, क्रमशः संबंधित पार्टियों द्वारा की गई मांगों पर निर्भर करती हैं। ऐसे मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

Contingent Liabilities

Such liabilities as mentioned at Serial No (I) to (VI) of Schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon, the outcome of court, arbitration, out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, development and raising of demand by concerned parties respectively. No reimbursement is expected in such cases.



17. अतिरिक्त प्रकटीकरण

मूल बैंक एवं अनुषंगियों की अलग-अलग वित्तीय विवरणियों में प्रकट की गई अतिरिक्त सूचना का सीएफएस के सही एवं स्पष्ट दृष्टिकोण से संबंध नहीं है और साथ ही ऐसी मदों से संबंधित सूचना को, जो महत्वपूर्ण नहीं है, सीएफएस में प्रकट नहीं किया गया है।

18. वर्ष के दौरान, मूल बैंक और उसके अनुषंगी नैनीताल बैंक लिमिटेड ने उन कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प पुनः खोला, जिन्होंने पहले पेंशन योजना को ग्रहण नहीं किया था। 19289 कर्मचारियों द्वारा यह विकल्प ग्रहण करने के परिणामस्वरूप 1855.71 करोड़ रुपये की देयता सृजित हुई। इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान समूह के कर्मचारियों को देय ग्रेच्युटी की सीमा में ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 में संशोधन के अनुसरण में वृद्धि की गई थी। इसके परिणामस्वरूप समूह की ग्रेच्युटी देयता बढ़कर 10.09 करोड़ रुपये हो गई।

लेखांकन मानक 15 कर्मचारी लाभ की आवश्यकताओं के अनुसार लाभ तथा हानि खाते में 1865.80 करोड़ रुपये की समग्र राशि प्रभारित करना अपेक्षित था। तथापि भारतीय रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प पुनः खोलने और ग्रेच्युटी सीमाओं में वृद्धि विवेक सम्मत नियामक व्यवहार के बारे में परिपत्रांक डीबीओडी.बीपी.बीसी.80/21.04.018/2010-11 दिनांक 9 फरवरी 2011 को जारी किया है। उक्त परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार समूह में लाभ-हानि खाते में 746.32 करोड़ रुपये (1865.80 करोड़ रुपये के 2/5 भाग के रूप में) प्रभारित किए हैं। 1119.48 करोड़ रुपये (1865.80 करोड़ रुपये - 746.32 करोड़ रुपये) की अनिर्धारित शेष राशि हिसाब में ली जाएगी और उसे उक्त परिपत्र में नियम बची हुई अवधि में विमुक्त/सेवानिवृत्त कर्मचारियों में संबंधित कोई कर्मचारी शामिल नहीं है।

19. बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र सं.यूबीडी.सीओ.एमईआरओईआर नं. 7814/09.16.901/2010.11 दि. 4 मार्च, 2011 में दिए गए अनुमोदन के अनुसार मेमन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की विनिर्दिष्ट आस्तियों एवं देयताओं का अधिग्रहण दिनांक 18.04.2011 को किया। उक्त अधिग्रहण के परिणामस्वरूप ₹ 149.25 करोड़ के हुए घाटे में से बैंक ने 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 49.75 करोड़ की राशि लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित की है। भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र सं. डीबीओडी.सं.बीपी. 1311/21.01.048/2012-11 दि. 25 जुलाई, 2011 में दिए गए अनुमोदन के अनुसार ₹ 99.50 करोड़ की शेष राशि वित्तीय वर्ष 2013-14 तक की शेष अवधि के दौरान आनुपातिक रूप से प्रभारित की जाएगी।

20. बैंक ने जमानती अवमानक अग्रिमों पर 15% की विनियामक आवश्यकता की तुलना में 20% का प्रावधान किया है।

इसके अतिरिक्त बैंक ने कुछ अनर्जक घरेलू अग्रिम खातों में 31 मार्च 2012 को ₹ 342.79 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 320.08 करोड़) का अतिरिक्त तदर्थ प्रावधान किया है।

21. पिछले वर्ष के आंकड़े

समूह संस्थाओं के पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां आवश्यक समझा गया, वहां पुनः व्यवस्थित / पुनर्निर्धारित / पुनः समूहीकृत किया गया है।

17. Additional Disclosures:

Additional information disclosed in the separate financial statements of the Parent and the subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the CFS and also the information pertaining to the items which are not material, have not been disclosed in the CFS.

18. During the previous year, the Parent and its subsidiary The Nainital Bank Ltd. reopened the pension option for such of its employees who had not opted for the pension scheme earlier. As a result of exercise of such option by 19289 employees, the Group had incurred a liability of ₹1855.71 crores. Further, during the previous year, the limit of gratuity payable to the employees of the Group was also enhanced pursuant to the amendment to the Payment of Gratuity Act, 1972. As a result, the gratuity liability of the Group had increased by ₹10.09 crores.

In terms of the requirements of the AS 15 - Employee Benefits, the entire amount of ₹1865.80 crores was required to be charged to the Profit and Loss Account. However, vide RBI circular no. DBOD.BP.BC.80/21.04.018/2010-11 on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits – Prudential Regulatory Treatment, dated 9th February 2011, the Group has charged an amount of ₹746.32 crores (representing two-fifth of ₹1865.80 crores) upto March 31, 2012. The unrecognized balance of ₹1119.48 crores (₹1865.80 crores – ₹746.32 crores) shall be accounted for and charged off over the balance period stipulated in terms of the said circular. This liability does not include any amount relating to separated/ retired employees.

19. The Parent has taken over specified Assets & Liabilities of The Memon Co-operative Bank Ltd on 18th April, 2011 as per approval granted by RBI vide letter no. UBD. CO.MEROER No. 7814/09.16.901/2010.11 dated 04th March, 2011. Out of the deficit of ₹149.25 crores on account of the said take over, the Parent has proportionately charged ₹49.75 crores of the said deficit to the Profit and Loss Account during the year ended 31st March, 2012. The balance amount of ₹99.50 crores will be charged proportionately during the remaining period till Financial Year 2013-14, as approved by RBI vide letter no. DBOD. No.BP.1311/21.04.048/2010-11 dated 25th July, 2011.

20. The Parent has made provision @ 20% on the Secured Sub-standard Advance as against the Regulatory requirement of 15%.

Further the Parent has made an additional ad-hoc provision of ₹342.79 Crores for the year ended March 31, 2012 (previous year ₹320.08 Crores) in certain non performing domestic advance accounts.

21. Previous Year Figures:

Previous year's figures of the group entities have been rearranged / recast / regrouped wherever considered necessary.



31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नगदी प्रवाह विवरण
Statement of Consolidated Cash Flow for the year ended 31st March, 2012

(000' अर्न्कित omitted)

		31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2012	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011
क. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह :	A. Cash flow from operating activities :		
कर से पूर्व शुद्ध लाभ	Net Profit before taxes	6336,03,70	5910,92,52
निम्नलिखित के लिए समायोजन :	Adjustments for:		
अचल आस्तियों पर मूल्यहास	Depreciation on fixed assets	295,48,16	259,70,38
निवेशों पर मूल्य हास (परिपक्व ऋणपत्रों सहित)	Depreciation on investments (including on Matured debentures)	238,81,36	12,11,71
बूटे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण/ गैर निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान	Bad debts written-off/Provision in respect of non-performing assets	1892,81,38	1081,40,04
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provision for Standard Assets	449,66,42	224,16,04
अन्य मदों के लिए प्रावधान	Provision for Other items	523,98,03	386,12,58
अचल आस्तियों की बिक्री से लाभ /(हानि)	(Profit)/loss on sale of fixed assets	(79,87)	12,67
गौण ऋणों पर ब्याज लाभ/प्रावधान, (अलग से लिया गया)	Payment/provision for interest on subordinated debt(treated separately)	914,36,03	846,16,11
उप जोड़	Sub total	10650,35,21	8720,72,05
निम्नलिखित के लिए समायोजन :	Adjustments for:		
निवेशों में (वृद्धि) / कमी	(Increase)/Decrease in investments	(12781,39,85)	(10867,30,43)
अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी	(Increase)/Decrease in advances	(61884,83,95)	(55454,61,41)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी	(increase)/Decrease in other assets	(3545,00,45)	(1828,71,14)
उधार राशियों में वृद्धि / (कमी)	Increase/(Decrease)in borrowings	1031,35,69	6771,68,11
जमा राशियों में वृद्धि / (कमी)	Increase/(Decrease) in deposits	81012,69,61	65652,10,34
अन्य देयताओं तथा प्रावधानों में वृद्धि /(कमी)	Increase/(Decrease) in other liabilities and provisions	1928,70,34	529,28,09
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (रिफंड का शुद्ध)	Direct taxes paid (Net of Refund)	(1774,47,81)	(1489,04,58)
परिचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी (क)	Net cash from operating activities (A)	14637,38,79	12034,11,03
ख. निवेश संबंधी क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह :	B. Cash flow from Investing activities :		
अचल आस्तियों की खरीद	Purchase of fixed assets	(456,14,17)	(376,06,61)
अचल आस्तियों की बिक्री	Sale of fixed assets	40,02,44	27,12,32
निवेश संबंधी कार्यकलापों से शुद्ध नकदी (ख)	Net cash from investing activities (B)	(416,11,73)	(348,94,29)
ग. वित्तीय क्रियाकलापों से नकद प्रवाह	C. Cash flow from financing activities:		
शेयर पूंजी	Share Capital	19,57,73	27,27,96



(000' अनंकित omitted)

		31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2012	31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2011
शेयर प्रीमियम	Share premium	1625,11,20	2433,72,03
गैर जमानती गौण बांड	Unsecured Subordinated Bonds	188,37,19	2202,37,78
लाभांश	Dividend	(753,35,20)	(648,13,60)
गैर जमानती प्रतिदेय बांडों पर प्रदत्त / देय ब्याज	Interest paid / payable on unsecured redeemable bonds	(914,36,03)	(846,16,11)
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकदी (ग)	Net cash from financing activities (C)	165,34,89	3169,08,06
नकदी एवं नकदी समतुल्य (क)+(ख)+(ग) में शुद्ध वृद्धि	Net increase in cash & cash equivalents (A)+(B)+(C)	14386,61,95	14854,24,80
वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य	Cash and cash equivalents as at the beginning of the year	51423,72,72	36569,47,92
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य	Cash and cash equivalents as at the end of the year	65810,34,67	51423,72,72
टिप्पणी	Notes:		
1 नकदी तथा नकदी समतुल्य में हाथ में नकदी, भा.रि.बैं. तथा अन्य बैंकों के पास शेष और मांग तथा अल्पावधि नोटिस पर मुद्रा शामिल हैं.	Cash & Cash equivalents includes Cash on hand, Balance with RBI & Other banks and Money at call and Short Notice.		
2 नकदी तथा नकदी समतुल्य के घटक	Components of Cash & Cash Equivalents	31/3/2012	31/3/2011
भा.रि.बैं. के पास नकदी एवं शेष	Cash & Balance with RBI	22268,34,40	20394,41,61
बैंकों के साथ शेष तथा मांग एवं अल्पावधि नोटिस पर मुद्रा	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	43542,00,27	31029,31,11
जोड़	Total	65810,34,67	51423,72,72



बैंक ऑफ बड़ौदा की समेकित वित्तीय विवरणियों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट Auditors' Report on Consolidated Financial Statements of Bank of Baroda

सेवा में,

निदेशक मंडल, बैंक ऑफ बड़ौदा

1. हमने बैंक ऑफ बड़ौदा ('ग्रुप') के 31 मार्च, 2012 के संलग्न समेकित तुलन पत्र और उसके साथ संलग्न उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ-हानि लेखे और उक्त तारीख को समाप्त समेकित नकदी प्रवाह विवरणी की लेखा परीक्षा की है। इनमें निम्नलिखित के खाते शामिल किए गए हैं;
 - i. हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 04.05.2012 के अनुसार हमारे द्वारा लेखा परीक्षित बैंक ऑफ बड़ौदा (द बैंक) के लेखा परीक्षित खाते,
 - ii. अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित -10- अनुषंगियों तथा -7- सहयोगी इकाइयों, 2 संयुक्त उपक्रमों के लेखा परीक्षित खाते,
 - iii. 2 अनुषंगियों के अलेखापरीक्षित खाते

समेकित वित्तीय विवरणियां वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं तथा इन्हें प्रबंधन द्वारा अनुषंगियों तथा सहयोगी इकाइयों तथा संयुक्त उपक्रमों की अलग वित्तीय विवरणियों तथा अन्य वित्तीय सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। हमारी जिम्मेदारी समेकित वित्तीय विवरणियों के बारे में हमारे द्वारा की गई लेखा-परीक्षा के आधार पर मत व्यक्त करना है।
2. बैंक द्वारा समेकित वित्तीय विवरणियों को लेखा-मानक एस-21 - (समेकित वित्तीय विवरणियां) और लेखा मानक एस-23 (समेकित वित्तीय विवरणी में अनुषंगियों में निवेश हेतु लेखांकन) तथा लेखा मानक एस-27 (संयुक्त उपक्रमों में ब्याज की वित्तीय रिपोर्टिंग) के आधार पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार किया गया है।
3. हमने समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखा-परीक्षा, भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा-परीक्षा मानकों के अनुरूप की है। इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम लेखा-परीक्षा इस प्रकार सुनियोजित और संपन्न करें कि हमें यह तर्क संगत आश्वासन मिले कि ये वित्तीय विवरणियां सभी प्रकार की महत्वपूर्ण गलतियों से मुक्त हैं। लेखा-परीक्षा में, जांच आधार पर परीक्षण, राशियों संबंधित प्रमाण और वित्तीय विवरणियों का प्रकटीकरण शामिल है। लेखा-परीक्षा में प्रबंधन द्वारा, प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धान्तों का निर्धारण और महत्वपूर्ण आकलन शामिल है। इसमें समग्र वित्तीय विवरणियों का प्रस्तुतीकरण मूल्यांकन भी शामिल हैं। हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा की गई लेखा-परीक्षा हमारी राय का तर्क संगत आधार है।

To

The Board of Directors, Bank of Baroda

1. We have audited the attached Consolidated Balance Sheet of BANK OF BARODA (the "Group") as on 31st March 2012, the Consolidated Profit and Loss Account for the year ended on that date and the Consolidated Cash Flow Statement for the year ended on that date, annexed thereto, in which are incorporated:
 - i. Audited Accounts of the Bank of Baroda (The Bank), audited by us, vide our audit report dated May 4, 2012
 - ii. Audited Accounts of -10- Subsidiaries, -7- Associates and -2- Joint Ventures, audited by other Auditors,
 - iii. Unaudited Accounts of -2- Subsidiaries.

The Consolidated Financial Statements are the responsibility of the Bank's management and have been prepared by the management on the basis of separate financial statements and other financial information regarding subsidiaries, associates & joint ventures. Our responsibility is to express our opinion on these Consolidated Financial Statements based on our audit.
2. These Consolidated Financial Statements have been prepared by the Bank in accordance with the requirements of AS 21 (Consolidated Financial Statements), AS 23 (Accounting for Investment in Associates in Consolidated Financial Statements) and AS 27 (Financial Reporting of Interest in Joint Ventures) issued by the ICAI and the guidelines issued by the Reserve Bank of India.
3. We conducted our audit of the Consolidated Financial Statements in accordance with the Auditing Standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the Financial Statements are prepared, in all material respects, in accordance with an identified financial reporting framework and are free of material misstatements. An audit includes, examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.



4. समेकित वित्तीय विवरणियों निम्नलिखित शामिल हैं-
- (क) -2- अंतर्राष्ट्रीय अनुषंगियों - बैंक ऑफ बड़ौदा (बोत्सवाना) लिमिटेड और बैंक ऑफ बड़ौदा (त्रिनिदाद एवं टोबेगो) लिमिटेड के बारे में अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों के आंकड़ें, इनकी वित्तीय विवरणियों में 31 मार्च, 2012 को कुल आस्तियां 1497.68 करोड़ रुपये की कुल आस्तियों का उल्लेख है और उक्त वर्ष की समाप्ति की तारीख को कुल राजस्व 82.34 करोड़ रुपये और नकदी प्रवाह 29.32 करोड़ रुपये हैं.
- (ख) -7- अंतर्राष्ट्रीय अनुषंगियों तथा -1- अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त उद्यम की वित्तीय विवरणियां, जिनकी हमने लेखा परीक्षा नहीं की है. इनकी वित्तीय विवरणियों में 31 मार्च 2012 को कुल आस्तियां 4680.42 करोड़ रुपये का उल्लेख है और वर्ष के अंत में 425.43 करोड़ रु. का कुल राजस्व तथा 191.06 करोड़ रुपये का नकदी प्रवाह है. उक्त अनुषंगियों तथा संयुक्त उद्यमों की वित्तीय विवरणियों तथा अन्य वित्तीय सूचना की स्थानीय रूप से सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों (जीएपी) की आवश्यकताओं के अनुसार दूसरे लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षा की गई है. प्रबंधन द्वारा भारतीय जीएपी की अपेक्षाओं के अनुसार इन वित्तीय विवरणियों को रूपांतरित किया गया है और इनकी उनके द्वारा लेखा परीक्षा की गई है और हमारे विचार से उक्त अनुषंगियों के बारे में जहां तक समाविष्ट राशियों का संबंध है, ये मूलतः उन लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर तथा इसके उपर्युक्त भारतीय जीएपी में रूपांतरण के आधार पर है.
- (ग) -3- घरेलू अनुषंगियों तथा -1- घरेलू संयुक्त उद्यम के आंकड़े, जिनकी दूसरे लेखा परीक्षकों ने लेखा परीक्षा नहीं की है. इनकी वित्तीय विवरणियों में 31 मार्च, 2012 को कुल आस्तियां 5393.35 करोड़ रुपये तथा वर्ष के अंत में 1036.41 करोड़ रुपये की कुल आय एवं नकदी प्रवाह के रूप में 160.57 करोड़ रुपये का उल्लेख है.
5. अपनी राय को संज्ञान में न लेते हुए, हम निम्नलिखित की और ध्यान आकर्षित करते हैं -
- (क) अनुसूची 19 के नोट सं.18, जिसमें बैंक तथा उसकी अनुषंगी नैनीताल बैंक लिमिटेड की आस्थगित देयता का उल्लेख किया गया है जोकि 31 मार्च, 2012 को 1119.48 करोड़ रुपये की पेंशन तथा उपदान (ग्रेच्युटी) से संबद्ध है. यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों को पेंशन का विकल्प पुनः खोलने तथा उपदान (ग्रेच्युटी) सीमा में वृद्धि - विवेकपूर्ण नियामक व्यवहार के बारे में जारी परिपत्रांक डीबीओडी.बीपी.बीसी/80/21.04.018/2010-11 दिनांक 9 फरवरी, 2011 के अनुसार एएस 15 (संशोधित) कर्मचारी लाभ के प्रावधानों को लागू करने से बैंकों को छूट देने के अनुपालन के रूप में है.
- (ख) अनुसूची 19 के नोट सं.19 में भारतीय रिज़र्व बैंक पत्र सं. डीबीओडी सं.बीपी.1311/21.04. 048/2010-11 दिनांक 25 जुलाई, 2011 के द्वारा प्राप्त अनुमोदन के अनुसार मेमन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की विनिर्दिष्ट आस्तियों तथा देयताओं के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2012 को 99.50 करोड़ रुपये के कुल निर्धारित घाटे का उल्लेख किया गया है जिसे वित्तीय वर्ष 2013-14 तक आनुपातिक रूप से प्रभाषित किया जाना है.
4. Incorporated in the Consolidated Financial Statements are:
- (a) Figures of unaudited financial statements in respect of -2- international subsidiaries, namely Bank of Baroda (Botswana) Ltd. and Bank of Baroda (Trinidad and Tobago) Ltd., whose financial statements reflect total assets of ₹1497.68 crores as on 31st March, 2012 and total revenue of ₹82.34 crores and cash flows amounting to ₹29.32 crores for the year ended on that date
- (b) Financial statements of -7- international subsidiaries and -1- international Joint venture which have not been audited by us whose financial statements reflect total assets of ₹4680.42 crores as at 31st March, 2012 and total revenue of ₹425.43 crores and cash flows amounting to ₹191.06 crore for the year then ended. The financial statements and other financial information of said subsidiaries and joint ventures have been audited by other auditors as per the requirement of respective local Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). These financial statements have been converted as per the requirements of Indian GAAP by the management and audited by them and our opinion, in so far it relates to the amounts included in respect of those subsidiaries is based solely on the reports of those auditors and its conversion into Indian GAAP as stated above.
- (c) Figures of -3- domestic subsidiaries and -1- domestic joint venture which have been audited by other auditors whose financial statements reflect total assets of ₹5393.35 crore as at March 31, 2012 and total revenue of ₹1036.41 crore and cash flows amounting to ₹160.57 crore for the year then ended.
5. Without qualifying our opinion, we draw attention to:
- (a) Note No.18 of Schedule-19, which describes deferment of liability of the Bank and its subsidiary, the Nainital Bank Ltd, relating to pension and gratuity to the extent of ₹1119.48 crores as on March 31, 2012 pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India to the public sector banks from application of the provisions of AS 15 (revised), Employee Benefits, vide its circular no. DBOD.BP.BC/80/21.04.018/2010-11 dated February 9, 2011, on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limit- Prudential Regulatory Treatment.
- (b) Note No.19 of Schedule-19, which describes that the unrecognized deficit aggregating ₹99.50 crores as on March 31, 2012, arising out of the take-over of specified assets and liabilities from the Memon Co-operative Bank Limited to be charged off proportionately till financial year 2013-14 as per approval received from RBI vide Letter No. DBOD. No.BP.1311/21.04.048/2010-11 dated July 25, 2011.



6. हमारी लेखा परीक्षा एवं अन्य लेखा-परीक्षकों की अलग वित्तीय विवरणियों और घटकों की अन्य वित्तीय सूचना तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और पैराग्राफ 4 तथा 5 के साथ पठित हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी यह राय है कि संलग्न समेकित वित्तीय विवरणियां भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार वास्तविक एवं सही तस्वीर प्रस्तुत करती हैं.
- (i) 31 मार्च 2012 को बैंक, बैंक की अनुषंगियों के कार्य व्यवहारों तथा बैंक की सहयोगी कम्पनियों / संयुक्त उपक्रमों के हितों से सम्बंधित समेकित तुलनपत्र के सम्बंध में.
- (ii) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए "ग्रुप" के समेकित लाभ सम्बन्धी समेकित लाभहानि खाते के सम्बन्ध में, तथा
- (iii) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए "ग्रुप" के नकदी प्रवाह सम्बन्धी समेकित नकदी प्रवाह विवरणी के सम्बंध में.
6. Based on our audit, consideration of reports of other auditors on separate financial statements, consideration of unaudited financial statements and on the other financial information of the components, and to the best of our information and according to the explanations given to us read with paragraphs 4 and 5 above, we are of the opinion that the attached consolidated financial statements give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:
- (i) in the case of the Consolidated Balance Sheet, of the state of affairs of the Bank, its Subsidiaries and interests in its Associates/ Joint ventures(Group) as on 31st March 2012;
- (ii) in the case of the Consolidated Profit & Loss Account, of the consolidated Profit of the "Group" for the year ended on that date, and
- (iii) in the case of Consolidated Cash Flow Statement, of the cash flows of the "Group" for the year ended on that date.

कृते खिमजी कुंवरजी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 105146 डब्ल्यू
(गौतम वी शाह)
भागीदार
एम. नं.: 117348

For Khimji Kunverji & Co
Chartered Accountants
FRN: 105146W
(Gautam V. Shah)
Partner
M No.117348

कृते एस के. मित्तल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 001135 एन
(कृष्ण सरुप)
भागीदार
एम. नं.: 010633

For S. K. Mittal & Co.
Chartered Accountants
FRN: 001135N
(Krishan Sarup)
Partner
M. No. 010633

कृते ब्रह्मय्या एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000511 एस
(के. जितेंद्र कुमार)
भागीदार
एम. नं.: 201825

For Brahmayya & Co.
Chartered Accountants
FRN: 000511S
(K. Jitendra Kumar)
Partner
M No.201825

कृते एन.बी.एस. एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 110100 डब्ल्यू
(प्रदीप जे शेट्टी)
भागीदार
एम. नं.: 046940

For N. B. S. & Co.
Chartered Accountants
FRN: 110100W
(Pradeep J. Shetty)
Partner
M No.046940

कृते रे एण्ड रे
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 301072 ई
(ए. एन. येन्नेमादी)
भागीदार
एम. नं.: 031004

For Ray & Ray
Chartered Accountants
FRN: 301072E
(A. N. Yennemadi)
Partner
M. No. 031004

कृते लक्ष्मीनिवास नीथ एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 002460 एस
(दयानिवास शर्मा)
भागीदार
एम. नं.: 216244

For Laxminiwash Neeth & Co.
Chartered Accountants
FRN: 002460S
(Dayaniwas Sharma)
Partner
M No.216244

स्थान / Place: मुंबई / Mumbai
दिनांक / Date: 15th May, 2012

सी ई ओ / सी एफ ओ प्रमाणीकरण

निदेशक मण्डल
बैंक ऑफ़ बड़ौदा
मुम्बई

प्रिय महोदय,


विषय : वर्ष 2011-12 के लिए सी ई ओ / सी एफ ओ प्रमाणीकरण - समेकित

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के साथ सूचीबद्धता करार की धारा 41 एवं धारा 49 की अनुपालना स्वरूप हम एतद् द्वारा प्रमाणित करते हैं कि

- क. हमने वर्ष 2011-12 की वित्तीय विवरणी तथा नकदी प्रवाह विवरणी (समेकित) की समीक्षा की है तथा हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :
- इन विवरणियों में कोई विषयगत अयथार्थ अभिकथन नहीं है अथवा कोई विषयगत तथ्य छिपाया नहीं गया है अथवा इनमें कोई भ्रामक अभिकथन शामिल नहीं किया गया है.
 - ये अभिकथन / विवरण बैंक के कार्यकलापों का सही एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा ये विद्यमान लेखा मानकों, लागू नियमों एवं विनियमों के अनुरूप हैं.
- ख. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसे कोई संव्यवहार नहीं किए गए जो धोखाधड़ी में लिप्त हो, गैर कानूनी हो अथवा बैंक की आचार संहिता के विरुद्ध हों.
- ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग से सम्बद्ध आन्तरिक नियन्त्रणों का पूर्ण दायित्व स्वीकार करते हैं. हम यह भी स्वीकार करते हैं कि हमने वित्तीय रिपोर्टिंग की आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन/आकलन किया है तथा हमने लेखा परीक्षकों और लेखा समिति को आन्तरिक नियन्त्रणों के परिचालन एवं स्वरूप से सम्बद्ध कमियों, यदि कोई है अथवा जो हमारे अभिज्ञान में हैं एवं हमने इन्हें दूर करने के लिए जो उपाय किए हैं या प्रस्तावित हैं, की जानकारी दे दी है.
- घ) हमने लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित से अवगत कराया है.
- वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के संदर्भ में आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन
 - वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा इनका उल्लेख वित्तीय विवरणियों के नोट्स में कर दिया गया है
 - हमारी जानकारी में आए धोखाधड़ी सम्बंधी विशिष्ट मामले तथा उनमें प्रबन्धन अथवा किसी कर्मचारी की संलिप्तता, जिसकी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली संबंधी वित्तीय रिपोर्टिंग में अहम भूमिका हो.



वी. के. गुप्ता
महाप्रबन्धक
(कार्पोरेट खाते एवं कराधान तथा सीएफओ)



एम. डी. मल्या
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 15 मई 2012

स्थान : मुंबई



CEO / CFO CERTIFICATION

Board of Directors,
Bank of Baroda
Mumbai

Dear Sirs,

Re : CEO/CFO Certification for the year 2011 - 12 - Consolidated

Pursuant to Clause 41 and 49 of the Listing Agreements with Bombay Stock Exchange Limited and National Stock Exchange Limited, we hereby certify that:

- a. We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year 2011-12 (Consolidated) and that to the best of our knowledge and belief:
 - i. These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading:
 - ii. These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.
- c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- d. We have indicated to the Auditors and the Audit Committee.
 - i. Significant changes in internal control over financial reporting during the year.
 - ii. Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements and
 - iii. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

V. K. Gupta
General Manager
(Corporate Accounts & Taxation and CFO)

M. D. Mallya
Chairman and Managing Director

Date : 15th May 2012

Place : Mumbai



बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

फार्म बी
प्रॉक्सी - फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षर किया जाए)
16वीं वार्षिक सामान्य बैठक
गुरुवार, 28 जून, 2012

पंजीकृत फोलियो क्र. _____ डीपी आईडी क्र.* _____ ग्राहक आईडी क्र.* _____
(इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए लागू)

मैं/हम _____ निवासी _____
_____ जिला _____

राज्य _____ बैंक ऑफ़ बड़ौदा का/के शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा

श्री/श्रीमती _____

निवासी _____ जिला _____

राज्य _____ को अथवा उनकी अनुपस्थिति में श्री/श्रीमती _____

निवासी _____ जिला _____

राज्य _____ को 28 जून, 2012 को प्रातः 10.30 बजे सर सयाजीराव नगरगृह, वड़ोदरा महानगर सेवा सदन, बैंक ऑफ़ बड़ौदा शताब्दी वर्ष (2007-2008) टी.पी. -1, एफ.पी.549/1, जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, अकोटा, वड़ोदरा - 390 020 में या इसकी स्थगित तारीख को बैंक ऑफ़ बड़ौदा के शेयरधारकों की होने वाली 16वीं वार्षिक सामान्य बैठक में मेरी /हमारी ओर से बैठक में भाग लेने और वोट देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता/करती हूँ/करते हैं.

तारीख _____ माह _____ 2012 को हस्ताक्षरित

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर _____

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) : _____

पता : _____

कृपया
राजस्व
टिकट यहां
लगायें

प्रथम शेयरधारक / एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने एवं प्रस्तुत करने संबंधी अनुदेश

1. प्रॉक्सी की कोई लिखत तब तक वैध नहीं मानी जाएगी जब तक कि :

- यह वैयक्तिक शेयरधारक के मामले में, शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा विधिवत लिखित रूप में प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
- संयुक्त धारकों के मामले में, यह रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा या उसके द्वारा विधिवत् लिखित रूप में प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.
- निकाय कार्पोरेट के मामले में, विधिवत लिखित रूप में प्राधिकृत इसके अधिकारी अथवा अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित न हो.

बशर्ते कि प्रॉक्सी लिखत किसी शेयरधारक द्वारा समुचित रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए किंतु यदि किसी कारणवश शेयरधारक अपना नाम लिखने में असमर्थ हैं और उसके अंगूठे का निशान वहां लगा है, तो यह न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उपरजिस्ट्रार ऑफ़ एश्योरेन्सेस या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या बैंक ऑफ़ बड़ौदा के किसी अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित होना चाहिए.

- कोई भी प्रॉक्सी तब तक वैध नहीं होगी जब तक विधिवत स्टांपित न हो और इसे बैंक के प्रधान कार्यालय में **बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले** अर्थात शनिवार 23 जून, 2012 को दोपहर 2.00 बजे तक बैंक ऑफ़ बड़ौदा, केवाईसी एवं एएमएल विभाग, प्रधान कार्यालय, आठवां तल, सूरज प्लाजा - 1, सयाजीगंज, वड़ोदरा-390 005 में बैंक को कार्य समाप्ति पर या इससे पूर्व जमा न कराया गया हो. इसके साथ उस मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके तहत इसे हस्ताक्षरित किया गया हो या उस मुख्तारनामा की प्रति या प्राधिकार की प्रति जिसे नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट द्वारा सत्य प्रमाणित किया गया हो, को जमा न कराया गया हो, बशर्ते कि ऐसा मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार, बैंक में पहले जमा और पंजीकृत न किया गया हो..
- प्रॉक्सी का कोई भी लिखत तब तक विधिमान्य नहीं होगा, जब तक वह फार्म - बी में न हो.
- बैंक के पास जमा की गई प्रॉक्सी की लिखत अपरिवर्तनीय और अंतिम होगी..
- विकल्प के तौर पर दो स्वीकृत व्यक्तियों के पक्ष में दी गई प्रॉक्सी लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा.
- प्रॉक्सी की लिखत को निष्पादित करने वाला अनुदाता (गारंटर) संबंधित बैठक में व्यक्तिगत रूप में मतदान का हकदार नहीं होगा.
- किसी भी ऐसे व्यक्ति को यथाविधि प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जाएगा जो बैंक ऑफ़ बड़ौदा का अधिकारी अथवा कर्मचारी हो.
- प्रॉक्सी फार्म में किए गए सभी परिवर्तन यथाविधि प्रभावरित होने चाहिए

Form B

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholder)
16th Annual General Meeting
Thursday, 28th June 2012

Regd.Folio No. _____ DP.ID No* . _____ Client ID No.* _____
(* Applicable for members holding shares in electronic form)

I / We _____ resident of _____
_____ in the district of _____

in the State of _____ being a shareholder / shareholders of Bank of Baroda, hereby appoint

Shri/Smt. _____

resident of _____ in the district of _____

in the State of _____ or failing him/her, Shri/Smt. _____

resident of _____ in the district of _____


in the state of _____ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the 16th ANNUAL GENERAL MEETING of the Shareholders of BANK OF BARODA to be held on the Thursday, 28th June 2012, at 10.30 a.m. at Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, Bank of Baroda Centenary Year (2007-2008), T.P. - 1, F.P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara – 390020 and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2012

Signature of Proxy _____

Name _____
(In Block Letters)

Address _____



Signature of first named/sole Shareholder

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- No instrument of proxy shall be valid unless:
 - In the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or by his/her attorney, duly authorized in writing or
 - In the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorized in writing or
 - In the case of the body corporate, signed by its officer or an attorney duly authorized in writing.Provided that an instrument of Proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark / thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government gazetted officer or an officer of Bank of Baroda.
- No proxy shall be valid unless it is duly stamped and is deposited at the Head Office of the Bank at Bank of Baroda, KYC & AML Department, 08th Floor, Suraj Plaza – I, Sayajiganj, Vadodara – 390 005, **not less than –4- days before the date fixed for the meeting** i.e. on or before the closing hours of the Bank at 2.00 p.m. on Saturday, 23rd June 2012, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority certified as true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank.
- No instrument of proxy shall be valid unless it is in 'Form B'.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of Bank of Baroda.
- All alterations in the Proxy Form should be duly authenticated.

उपस्थिति पर्ची

16वीं वार्षिक सामान्य बैठक

दिनांक	गुरुवार, 28 जून, 2012
स्थान	सर सयाजीराव नगरगृह, वड़ोदरा महानगर सेवा सदन, बैंक ऑफ़ बड़ौदा शताब्दी वर्ष (2007-2008), टीपी 1, एफपी 549/1, जीईबी कॉलोनी के पास, ओल्ड पादरा रोड, अकोटा-वड़ोदरा - 390 020
पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
शेयरों की संख्या	
फोलियो सं. (भौतिक रूप में होल्डिंग हेतु)	
डीपी आईडी / ग्राहक आई.डी. संख्या (इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारकों के लिए)	
उपस्थित शेयरधारक/ प्रॉक्सी / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	

टिप्पणी :

- बैठक में भाग लेने के इच्छुक सदस्य/प्रॉक्सी धारक बैठक में उपस्थिति पर्ची अवश्य साथ लाए तथा इसे विधिवत रूप में भरकर एवं हस्ताक्षर कर प्रवेश द्वार पर सौंप दें.
- बैठक में भाग लेने के इच्छुक सदस्य / प्रॉक्सीधारक बैठक में संदर्भ आदि के लिए वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति साथ लेकर आएँ.

प्रवेश पत्र

(बैठक की समस्त कार्यवाही के दौरान अपने पास रखें)

फोलियो सं. (भौतिक रूप में शेयरधारकों के लिए)	
डीपी आईडी / ग्राहक आई.डी. (इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारकों के लिए)	
पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
शेयरों की संख्या	

टिप्पणी :

- शेयरधारकों/प्रॉक्सी अथवा शेयरधारकों के प्रतिनिधि से अनुरोध है कि वे बैठक स्थल पर प्रवेश प्राप्त करने के लिए बैंक/आरटीए में पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप यथाविधि हस्ताक्षरित उक्त उपस्थिति पर्ची और प्रवेशपत्र एक साथ प्रस्तुत करें.
- प्रवेश, सत्यापन /जांच, जैसा आवश्यक समझा जाएगा, के अधीन होगा.
- किसी भी परिस्थिति में, बैठक के प्रवेशद्वार पर कोई डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी.

ATTENDANCE SLIP

16th Annual General Meeting

Date	Thursday, 28th June 2012
Place	Sir Sayajirao Nagargriha, Vadodara Mahanagar Seva Sadan, Bank of Baroda Centenary Year (2007-2008) T.P.-1, F.P. 549/1, Near GEB Colony, Old Padra Road, Akota, Vadodara – 390 020
Full Name (In Block Letters)	
No of Shares	
Folio No. (for holding in physical form)	
DP ID / Client ID No. (for holding in electronic form)	
Signature of the Shareholder / Proxy / Representative present	

Notes:

1. Member / proxy holder wishing to attend the meeting must bring the attendance slip to the meeting and hand it over at the entrance duly filled-in and signed.
2. Member / proxy holder wishing to attend the meeting should bring his/her copy of the Annual Report for reference at the meeting.

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

Folio No. (for holding in physical form)	
DP ID / Client ID No. (for holding in electronic form)	
Full Name (In Block Letters)	
No. of Shares	

Notes:

1. Shareholders / proxy or representative of shareholders are requested to produce the above attendance slip, duly filled in and signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank/RTA, along with the entry pass, for admission to the venue.
2. The admission will, however, be subject to verification / checks, as may be deemed necessary.
3. Under no circumstances, any duplicate attendance slip will be issued at the entrance to the meeting.



बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (जमा समाशोधन)
इकिवटी शेयरों पर लाभांश के भुगतान के लिए ईसीएस अधिदेश

1. प्रथम शेयरधारक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :
2. पता :
3. शेयरधारक की फोलियो संख्या (भौतिक रूप में शेयरधारकों के लिए) :
डी. पी. आईडी / ग्राहक आईडी संख्या (इलेक्ट्रॉनिक शेयरधारकों के लिए) :
4. बैंक खाते का विवरण :
क. बैंक का नाम :
ख. शाखा का नाम एवं शहर का पिन कोड :
ग. खाता संख्या (जैसा कि चेक बुक में दिया गया है) :
घ. खाता प्रकार (कृपया टिक करें) : बचत बैंक चालू नकद उधार
(बचत बैंक खाता/चालू खाता या नकद-उधार खाता)
ङ. बैंक खाते की लेजर फोलियो संख्या :
(यदि चेक बुक पर अंकित किया जा रहा हो)
च. बैंक द्वारा जारी माइकर चेक में मुद्रित :
बैंक और शाखा की 9 अंकीय कोड सं. :
5. कृपया पहचान के प्रमाण स्वरूप अपने पैन कार्ड की स्वयं द्वारा सत्यापित फोटो प्रति तथा कोड संख्या की सत्यता की जांच के लिए अपने उपर्युक्त खाते से संबंधित, आपके बैंक द्वारा जारी चेक के पन्ने की फोटो कापी / कोरा रद्द किया गया चेक संलग्न करें

घोषणा

मैं एतद्वारा यह घोषित करता/ती हूँ कि उपर्युक्त विवरण सही व पूर्ण हैं. यदि अपूर्ण जानकारी के कारणों से लेनदेन में देरी होती है या यह प्रभावी नहीं होता है तो मैं बैंक ऑफ़ बड़ौदा को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा/गी.

स्थान :

प्रथम धारक के हस्ताक्षर

दिनांक :

टिप्पणी :

1. यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए हैं : कृपया फार्म पूर्णतया भर कर इस पर हस्ताक्षर करें तथा इसे अद्यतन करने हेतु अपेक्षित दस्तावेजों सहित अपने प्रतिभागी डिपॉजिटरी को प्रस्तुत करें.
2. यदि शेयर भौतिक रूप में रखे गए हैं : कृपया फार्म पूर्णतया भर कर इस पर हस्ताक्षर करें तथा इसे अपेक्षित दस्तावेजों सहित रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) अर्थात मैसर्स कार्बी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि., प्लॉट नं. 17-24, विठ्ठलराव नगर, माधापुर, हैदराबाद-500 081 अथवा बैंक ऑफ़ बड़ौदा, निवेशक सेवाएं विभाग, प्रथम तल, बड़ौदा कार्पोरेट सेंटर, सी-26 जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला काम्पलेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400 051 के पते पर भेज दें.

BANK OF BARODA

Electronic Clearing Service (Credit Clearing)
ECS Mandate for Payment of Dividend on Equity Shares

1. First Shareholder's Name (in Block Letters) :
2. Address :
3. Shareholder's Folio number (for holding in physical form)
D. P. ID / Client ID number (for holding in electronic form) :
4. Particulars of Bank Account :
 - A. Bank Name
 - B. Branch Name & City Pin Code :
 - C. Account No.
(as appearing on the cheque book) :
 - D. Account Type (please Tick) :
(SB Account / Current A/c. or Cash Credit A/c) : SB Current Cash Credit
 - E. Ledger Folio number of Bank Account
(if appearing on the cheque book) :
 - F. 9 Digit Code No. of the Bank &
Branch appearing on the MICR
Cheque issued by the Bank :
5. Please attach a self-attested photocopy of your PANCARD as Proof of Identity alongwith a photocopy of a Cheque leaf / blank cancelled cheque issued by your Bank relating to your above account for verifying the accuracy of the Code numbers.

DECLARATION

I, hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete information, I would not hold Bank of Baroda responsible.

Place:

Date:

Signature of the First Holder

Note:

1. **If the shares are held in electronic mode:** Please complete the form, sign and submit alongwith the required documents to your Depository Participant for necessary updation.
2. **If the shares are held in physical mode:** Please complete the form, sign and mail alongwith the required documents at the address of Registrar and Transfer Agent (RTA), i.e. M/s Karvy Computershare Pvt. Ltd, Plot No. 17-24, Vithalrao Nagar, Madhapur, Hyderabad - 500 081 OR at Bank of Baroda, Investors' Services Dept. 1st Floor, Baroda Corporate Centre, C-26, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051.

पुरस्कार एवं सम्मान / Awards and Accolades



एन डी टी वी प्रोफिट लीडरशीप अवार्ड - सार्वजनिक क्षेत्र का श्रेष्ठ बैंक
 NDTV Profit Leadership Award for Best Public Sector Bank



बिजनेस वर्ल्ड बेस्ट बैंक अवार्ड - फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक - लार्ज
 Business World Best Bank 2011 Award for Fastest Growing Bank - Large



एमसीएक्स एवं टीवी18 द्वारा श्रेष्ठ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के लिए भारत का श्रेष्ठ बैंक एवं वित्तीय संस्थान अवार्ड
 India Best Banks and Financial Institutions Awards' by MCX and CNBC TV18 for Best Public Sector Bank



वित्तीय सेवाएं - बैंक के लिए केंद्रीय पीएसयू के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में उत्कृष्टता
 - दैनिक भास्कर इंडिया प्राइड अवार्ड
 Dainik Bhaskar India Pride Award for excellence in public sector under the Central PSU for Financial Services - Banks



एफ आय बी ए सी बैंकिंग अवार्ड - बेस्ट इनीशिएटिव इन इंकलूसिव बैंकिंग
 FIBAC Banking Award for Best initiative in Inclusive Banking

हितधारक को लाभांश / Dividend to Stakeholder



वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए भारत सरकार को लाभांश का भुगतान
 Payment of Dividend to Govt. of India for Financial Year 2010-11



BARODA next

STATE-OF-THE-ART. STRAIGHT FROM THE HEART.

www.bankofbaroda.com



बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

India's International Bank